

अधिनियम, नियम एवं विनियम

Act, Rules & Regulations

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY
आयुष मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय, भारत सरकार
A Statutory Body under Ministry of AYUSH, Government of India



अधिनियम, नियम एवं विनियम

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
सांविधिक निकाय, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

मुद्रक :— युगान्तर प्रकाशन (प्रा.) लि.
डब्ल्यू एच–23, मायापुरी, नई दिल्ली–110064
दूरभाष – 9811349619, 9953134595
ईमेलः yugpress01@gmail.com, yugpress@rediffmail.com

अनुक्रमानिका

क्र.सं.	अधिनियम, आदेश एवं अधिसूचना	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 दिनांकः 21.09.2020	H1-H33
2.	अधिसूचना – राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की धाराओं का केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित करना दिनांकः 07.10.2020	H35
3.	अधिसूचना – राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग एवं स्वायत्त बोर्डों का गठन, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम की धाराओं का लागू होना तथा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम का निरसन दिनांकः 05.07.2021	H37-H42
4.	अधिसूचना – सलाहकार परिषद का गठन दिनांकः 22.09.2021	H43-H44
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2022 दिनांकः 14.02.2022	H45-H46
6.	अधिसूचना – स्वायत्त बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दिनांकः 13.06.2022	H47-H48
7.	अधिसूचना – आयोग के अंशकालीन सदस्यों एवं सचिव की नियुक्ति	H49
8.	अधिसूचना – स्वायत्त बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दिनांकः 20.02.2024	H51
9.	अधिसूचना – सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति दिनांकः 04.01.2024	H53-H54

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

क्र.सं.	विनियम	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम–बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) विनियम–2022 दिनांकः 06.12.2022	H55-H104
2.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी अर्हता को मान्यता) विनियम–2023 दिनांकः 12.07.2023	H105-H133
3.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (राष्ट्रीय होम्योपैथी परीक्षा) विनियम–2023 दिनांकः 22.11.2023	H135-H144
4.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान) विनियम–2023 दिनांकः 01.12.2023	H145-H151
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम–होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम–2024 दिनांकः 18.03.2024	H153-H197

होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड

क्र.सं.	विनियम	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर) विनियम–2024 दिनांकः 11.03.2024	H199-H277
2.	नए होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम–2024 दिनांकः 12.03.2024	H279-H293
3.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणी निर्धारण) विनियम–2024 दिनांकः 12.03.2024	H295-H305

होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड

क्र.सं.	विनियम तथा नियम	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति), नियम, 2021 दिनांकः 01.06.2021	H307-H311
2.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति), संशोधन नियम, 2023 दिनांकः 27.07.2023	H313
3.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए आचार संहिता) विनियम 2022 दिनांकः 13.12.2022	H315-H325
4.	शुद्धिपत्र – राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए आचार संहिता) विनियम 2022 दिनांकः 27.12.2022	H327-H328
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों का राष्ट्रीय पंजीका तैयार करने हेतु प्रविधि एवं रखरखाव) विनियम 2022 दिनांकः 13.12.2022	H329-H346
6.	शुद्धिपत्र – राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों का राष्ट्रीय पंजीका तैयार करने हेतु प्रविधि एवं रखरखाव) विनियम 2022 दिनांकः 27.12.2022	H347

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.—डी.एल.—ई.—22092020—221864
CG-DL-E-22092020-221864

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 40] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2020/ भाद्र 30, 1942 (शक)
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2020/BHADRA 30, 1942 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 15)

[20 सितम्बर, 2020]

ऐसी चिकित्सा शिक्षा पद्धति के लिए, जो देश के सभी भागों में क्वालिटी और सस्ती आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बनाने में अभिवृद्धि करती है; जो पर्याप्त और उच्च क्वालिटी वाले होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है ; जो ऐसी साम्यापूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देख-देख का संवर्धन करती है जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को बढावा मिलता है और सभी नागरिकों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों की सेवाओं को सुगम और वहन करने योग्य बनाती है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यों का संवर्धन करती है; होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों को उनके कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अंगीकृत करने और अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है; जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी रूप से निर्धारण करना और भारत के लिए होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव को सुकर बनाना तथा चिकित्सीय सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना है; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने के लिए सुनम्य है और जिसमें एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र सम्मिलित हो तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्वायत्त बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित कोई स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 5 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिषद्" से धारा 11 के अधीन गठित होम्योपैथी सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) "होम्योपैथी" से होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत ऐसे जैव रसायन उपचार का उपयोग करना है जो ऐसे आधुनिक अभिदाय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास द्वारा अनुपूरित है जिन्हें आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे ;

(छ) "होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड" से धारा 18 के अधीन होम्योपैथी शिक्षा के लिए गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुज्ञप्ति" से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई होम्योपैथी का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित चिकित्सा संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ञ) "चिकित्सा संस्था" से भारत के भीतर या उसके बाहर की कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो होम्योपैथी में उपाधि, डिप्लोमा या अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और इसके अंतर्गत सहबद्ध महाविद्यालय और मानित किए जाने वाले विश्वविद्यालय भी हैं ;

(ट) "सदस्य" से धारा 4 में निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(ठ) "राष्ट्रीय रजिस्टर" से धारा 32 के अधीन होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ड) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) "प्रधान" से धारा 20 के अधीन नियुक्त स्वायत्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है;

(त) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(थ) "राज्य चिकित्सा परिषद्" से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होम्योपैथी व्यवसायियों के व्यवसाय को विनियमित करने और उनका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए गठित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) "राज्य रजिस्टर" से होम्योपैथी व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुरक्षित राज्य होम्योपैथी रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ध) "विश्वविद्यालय" का वह अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है और इसके अंतर्गत कोई स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है ।

1956 का 3

अध्याय 2

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) आयोग, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आयोग की संरचना ।

4. (1) आयोग, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष ;

(ख) सात पदेन सदस्य ; और

(ग) उन्नीस अंशकालिक सदस्य ।

(2) अध्यक्ष, उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि हो और होम्योपैथी के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दस वर्ष स्वास्थ्य देख-रेख परिदान, होम्योपैथी की उन्नति और विकास या उसकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में रहा हो ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड का प्रधान ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का प्रधान ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का प्रधान ;

(घ) आयुष मंत्रालय में सलाहकार (होम्योपैथी) या भारत सरकार का संयुक्त सचिव, जो होम्योपैथी का भारसाधक है ;

(ङ) निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता ;

(च) निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग ; और

(छ) महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य, जिनके पास होम्योपैथी, प्रबंध, विधि, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हों ;

(ख) सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार परिषद् के छह सदस्य :

परंतु कोई सदस्य या तो स्वयं या अपने कुटुम्ब सदस्यों में से किसी सदस्य के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी प्राइवेट या गैर-सरकारी आयुर्विज्ञान संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन विनियमित है, के प्रबंध निकाय का स्वामी नहीं होगा या उसके साथ सहबद्ध नहीं होगा या उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजन के लिए "अग्रणी" पद से कोई विभागाध्यक्ष या किसी संगठन का प्रधान अभिप्रेत है ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन समिति की सिफारिश पर धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के प्रधान की नियुक्ति करेगी,—

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ, जिनके पास होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, जो उत्कृष्ट अर्हताएं और स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो – सदस्य ;

(ङ) आयुष का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जो संयोजक होगा – सदस्य :

परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए खोजबीन समिति खंड (ख) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और संयोजक-सदस्य के रूप में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिलकर बनेगी तथा इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के भारसाधक सचिव द्वारा की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के होने, जिसके अन्तर्गत, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष अथवा सदस्य की अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति को भरने के लिए खोजबीन समिति को निर्देश करेगी ।

(3) खोजबीन समिति, उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, खोजबीन समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसा व्यक्ति कोई वित्तीय या अन्य हित तो नहीं रखता है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल खोजबीन समिति के किसी सदस्य की किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) तथा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस आधार पर, जिसका वह ऐसा सदस्य है, पद धारण करता है ।

(3) जहां पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, आयोग के तीन क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है और उसकी ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में कोई विधिमान्य कारण नहीं माना जा सकता वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(4) अध्यक्ष और किसी पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो ऐसा व्यक्ति तीन मास से पहले कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा या तीन मास से आगे जब तक कोई उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं हो जाता है, बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करते समय और अपना पद छोड़ते समय अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा करेगा और अपनी वृत्तिक तथा वाणिज्यिक वचनबंध या अन्तर्गस्तता को भी ऐसे प्ररूप और रीति में घोषित करेगा जो विहित की जाए और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर, ऐसे पद को त्यागने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शी या कोई विशेषज्ञ भी है, किसी प्राइवेट होम्योपैथी चिकित्सा संस्था में या जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निपटाया गया है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित किसी निकाय या संस्था, जिसके अन्तर्गत होम्योपैथी चिकित्सा संस्था भी है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित करती है ।

(8) उपधारा (7) में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी सदस्य को किसी ऐसे प्राइवेट होम्योपैथी चिकित्सा संस्था में किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शदाता या विशेषज्ञ भी है, जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा निपटाया गया है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित नहीं करेगी ।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ;

(ग) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है ।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृतिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा जिसका प्रधान सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) आयोग का सचिव प्रमाणित प्रशासनिक योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित किया जाए ।

(3) सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों पर ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उतनी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियुक्त कर सकेगा, जो होम्योपैथी का विशेष ज्ञान तथा होम्योपैथी, लोक स्वास्थ्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, रोगी परामर्शी सेवा, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या विधि में अनुभव रखते हैं ।

आयोग की बैठकें ।

9. (1) आयोग, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा कोई सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दी जाती है तब तक आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधा, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, से गणपूर्ति होगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड के प्रधान का निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए विनिश्चय के सिवाय, आयोग के किसी विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे विनिश्चय की संसूचना के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

आयोग की शक्ति और कृत्य ।

10. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) होम्योपैथी की शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ख) आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ग) स्वास्थ्य देख-रेख में अपेक्षाओं, जिनके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन और स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख अवसंरचना भी हैं, का निर्धारण करना; और ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ;

(घ) ऐसे विनियम बनाकर जो आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों, मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और नीतियां अधिकथित करना ;

(ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करना ;

(च) ऐसे उपाय करना, जो इस अधिनियम के अधीन उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धातों और बनाए गए विनियमों का राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ;

(छ) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीली अधिकारिता का प्रयोग करना ;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा देख-रेख की व्यवस्था के दौरान नैतिक आचरण का संवर्धन करने के लिए विनियम बनाना ;

(झ) ऐसे प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, पचास प्रतिशत स्थानों के संबंध में फीस और अन्य सभी प्रभारों को अवधारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे तथा आयोग, सचिव को प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) आयोग उपसमितियों का गठन कर सकेगा और उनको अपनी उन शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा किए जाने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 3

होम्योपैथी सलाहकार परिषद्

होम्योपैथी सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा होम्योपैथी सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी ।

(2) परिषद्, एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य परिषद् का पदेन सदस्य होगा;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस राज्य में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अर्हताएं हों, जिसे उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अहर्ताएं हों, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु जहां होम्योपैथी में अर्हताएं रखने वाला कुलपति उपलब्ध नहीं है, वहां होम्योपैथी में अहर्ताएं रखने वाला कोई संकायाध्यक्ष या संकाय के प्रधान को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) राज्य हौम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसा सदस्य, जिसे उस राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् ;

(छ) चार सदस्य, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ज) परिषद् में गैर-पदेन सदस्यों की पदावधि चार वर्ष की होगी ।

होम्योपैथी सलाहकार परिषद् के कृत्य ।

12. (1) परिषद्, ऐसा प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार तथा सरोकार रख सकेंगे और जो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को तैयार करने में सहायक हो सके ।

(2) परिषद्, आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी जो चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी सभी मामलों में न्यूनतम मानकों का अवधारण करने तथा उनको बनाए रखने और उनके रखरखाव का समन्वय करने से संबंधित हो ।

(3) परिषद्, आयोग को चिकित्सा शिक्षा तक साम्यापूर्ण पहुंच की वृद्धि करने के उपायों पर सलाह देगी ।

होम्योपैथी सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

13. (1) परिषद्, वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट ऐसा अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक कि विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा उपबंधित न की जाए, तब तक अध्यक्ष सहित परिषद् के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी और परिषद् के सभी कार्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में होम्योपैथी की स्नातकपूर्व में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में संचालित करेगा ।

(3) आयोग विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसेलिंग संचालित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा :

परन्तु सामान्य काउंसेलिंग—

(i) अखिल भारतीय स्थानों के लिए केन्द्रीय सरकार ; और

(ii) राज्य स्तर पर शेष स्थानों के लिए राज्य सरकार,

के अभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित होगी ।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।

15. (1) राष्ट्रीय निकास परीक्षा के नाम से ज्ञात सामान्य अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व चिकित्सा परीक्षा का आयोजन होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए किया जाएगा ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवर्तनशील होगी ।

(4) विदेशी चिकित्सा अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्हित करना होगा ।

स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में होम्योपैथी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर सीटों के लिए प्रवेश हेतु अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसेलिंग संचालित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

17. (1) राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होम्योपैथी के उन स्नातकोत्तरों के लिए पृथक़तः संचालित की जाएगी जो उस विधाशाखा में अध्यापन व्यवसाय अपनाने की वांछा रखते हैं ।

(2) आयोग ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवर्तनशील होगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

स्वायत्त बोर्ड का गठन ।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित

कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड ; और

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड, एक स्वायत्त निकाय होगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की संरचना ।

19. (1) स्वायत्त बोर्डों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, होम्योपैथी की विधाशाखा से एक प्रधान और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड होम्योपैथी की विधाशाखा से एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधाशाखा से होगा और दूसरा सदस्य प्रत्यायन विशेषज्ञ होगा ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, होम्योपैथी की विधाशाखा से एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधाशाखा से होगा और दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो चिकित्सा आचार पर कार्य के लोक अभिलेख का प्रदर्शन कर चुका है या गुणवत्ता आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या रोगी पक्ष समर्थन में से किसी विधाशाखा से चुना गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन चुने जाने वाले स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्य उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधाशाखाओं में स्नातकोत्तर उपाधि हो और जो संबंधित क्षेत्रों में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखते हों जिनमें से कम से कम सात वर्ष अग्रणी के रूप में रहे हो:

परन्तु होम्योपैथी के प्रधान और सदस्य की दशा में, अग्रणी के रूप में सात वर्ष होम्योपैथी में स्वास्थ्य, उन्नति और शिक्षा के विकास के क्षेत्र में रहे हों ।

प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।

20. केन्द्रीय सरकार, धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तद्धीन गठित खोजबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।

प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

21. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का प्रधान और सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होगीं, जो विहित की जाएं ।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों से

संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) और उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबंध, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

22. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी नैतिक समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए गठित की जाएं ।

स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।

23. धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञों, वृतिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को स्वायत्त बोर्डों को, उतनी संख्या में और ऐसी रीति में उपलब्ध कराया जाएगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्वायत्त बोर्डों की बैठकें ।

24. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो वह नियत करे, बैठक करेगा ।

(2) ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, स्वायत्त बोर्डों के सभी विनिश्चय सर्वसम्मति से किए जाएंगे और यदि सर्वसम्मति संभव नहीं है तो विनिश्चय, प्रधान और सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

25. (1) आयोग, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के प्रधान को निर्विघ्न और दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए अपनी सभी या किन्हीं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(2) किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान उस बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का और प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

26. (1) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

(क) स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट स्तरों पर शिक्षा के मानकों का अवधारण करना और उनसे संबंधित सभी पहलुओं का पर्यवेक्षण करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी स्तरों पर होम्योपैथी के लिए सक्षमता आधारित गत्यात्मक पाठ्यक्रम को ऐसी रीति में विकसित करना जो स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट छात्रों में समुचित कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों और नैतिकता को विकसित करता है और उन्हें स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराने, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने तथा चिकित्सा अनुसंधान करने में समर्थ बनाता है ;

(ग) देश की आवश्यकताओं, वैश्विक सन्नियमों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, होम्योपैथी में स्नातकपूर्व,

स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विरचित करना ;

(घ) स्थानीय स्तरों पर सृजनात्मक आवश्यकताओं और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को संचालित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानकों को अवधारित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में शिक्षा और अनुसंधान की अवसंरचना, संकाय और क्वालिटी के लिए मानकों और सन्नियमों का अवधारण करना ;

(च) होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अपने ऐसे कृत्यों के सबंध में, जो विभिन्न पणधारियों, जिनमें छात्र, संकाय, आयोग और सरकार भी हैं, के हित से संबंधित हैं, इलैक्ट्रानिक रूप से और अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए सन्नियम विनिर्दिष्ट करना ;

(छ) संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(ज) अनुसंधान कार्यक्रम को सुकर बनाना ;

(झ) सभी स्तरों पर होम्योपैथी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(2) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेश की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 32 के उपबंधों के अनुसार, होम्योपैथी के सभी अनुज्ञप्त व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, वृत्तिक आचरण को विनियमित करना और चिकित्सीय नैतिकता का संवर्धन करना :

परन्तु होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस दशा में जहां ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा वृत्तिक या नैतिक कदाचार की बाबत अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् के माध्यम से वृत्तिक और नैतिक आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ;

(ग) होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों के आचरण को प्रभावी रूप से अभिवृद्धि करने और विनियमित करने के लिए राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करना ;

(घ) धारा 31 के अधीन किसी राज्य चिकित्सा परिषद् के द्वारा की गई

कार्रवाई के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

28. (1) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए विनियमों के अनुसार, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया का होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों का उनके अनुपालन के आधार पर अवधारण करना ;

(ख) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार, नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना करने या किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने या स्थानों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करना :

परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, यदि यह आवश्यक समझे, तो ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु किसी अन्य तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों को किराए पर ले सकेगा और उन्हें प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसे तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा कि वे ऐसे अभिकरण या व्यक्ति तक पहुंच का उपबंध करें ;

(घ) ऐसी सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं को उनके खुलने की ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित करने, उनका निर्धारण करने तथा उनका रेट करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करना या जहां यह आवश्यक समझे, उन्हें पैनलीकृत करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को नियमित अन्तरालों पर अपनी वेबसाइट पर या लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराना ;

(च) किसी आयुर्विज्ञान संस्था के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में उसकी असफलता के लिए ऐसे उपाय करना, जिनके अन्तर्गत चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति का अधिरोपण करना, प्रवेश के अन्तर्ग्रहण या ठहराव को कम करना और आयोग को मान्यता की वापसी के

लिए सिफारिश करना भी है ।

(2) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

नई आयुर्विज्ञान संस्था स्थापित करने के लिए अनुज्ञा ।

29. (1) कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा या स्थानों की संख्या नहीं बढ़ाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" पद के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय या कोई न्यास या कोई अन्य निकाय भी है किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड को एक स्कीम, ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करते समय, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड शिक्षा और अनुसंधान मानकों, अवसंरचना और संकाय संबंधी मानकों और सन्नियमों, आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अवधारित अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा और ऐसी स्कीम की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करेगा :

परंतु ऐसी स्कीम को अननुमोदित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को त्रुटियों का, यदि कोई हो, सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करेगा ।

(4) जहां, उपधारा (3) के अधीन कोई स्कीम अनुमोदित की जाती है, वहां ऐसा अनुमोदन नई आयुर्विज्ञान संस्था स्थापित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी ।

(5) जहां, कोई स्कीम उपधारा (3) के अधीन अननुमोदित की जाती है या जहां उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम को प्रस्तुत करने के तीन मास के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, वहां संबंधित व्यक्ति, आयोग को, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन के पंद्रह दिन के भीतर या तीन मास बीत जाने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(6) जहां, आयोग ने स्कीम का अननुमोदन कर दिया है या उपधारा (5) के अधीन अपील करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया है, वहां संबंधित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के सात दिन के भीतर या पंद्रह दिन की विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर दूसरी अपील कर सकेगा ।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड किसी पूर्व सूचना के बिना किसी

भी समय या तो सीधे या किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, जिसे चिकित्सा वृत्ति में सत्यनिष्ठा और अनुभव हो, किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था का मूल्यांकन और निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के निष्पादन, मानकों और निर्देश चिह्नों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ।

स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने के लिए मानदंड ।

30. धारा 29 के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय, यथास्थिति, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात् :—

(क) अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता ;

(ख) क्या पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद और ऐसी अन्य आवश्यक सुविधाओं का आयुर्विज्ञान संस्था के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु उपबंध किया गया है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर उपबंध कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं या स्कीम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर प्रदान कर दिया जाएगा ;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं के लिए जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानदंडों को शिथिल किया जा सकेगा ।

राज्य चिकित्सा परिषद् ।

31. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर, यदि किसी राज्य में कोई राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् विद्यमान नहीं है तो वह उस राज्य में ऐसी परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम, राज्य चिकित्सा परिषद् को, होम्योपैथी के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मार्गदर्शक-सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगी :

परंतु उस समय तक, जब तक कि किसी राज्य में राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती है, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस राज्य में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस राज्य में होम्योपैथी के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार से संबंधित परिवादों और शिकायतों को प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यथास्थिति, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् ऐसे किसी व्यवसायी को, कोई आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई करने से पूर्व, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धनीय शास्ति अधिरोपित किया जाना भी है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) कोई होम्योपैथी व्यवसायी, जो निम्नलिखित द्वारा पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई से व्यथित है—

(क) उपधारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद्, होम्योपैथी नैतिक और

रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा और उस पर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चय, यदि कोई हो, ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् पर तब तक आबद्धकर होगा, जब तक कि उपधारा (4) के अधीन दूसरी अपील फाइल नहीं कर दी जाती है ;

(ख) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन आयोग को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी, जो होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राज्य" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद्" पदों से क्रमशः "केन्द्रीय सरकार" और "होम्योपैथी संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत है;

(ख) "वृत्तिक या नैतिक कदाचार" पद के अंतर्गत ऐसे किसी कार्य को करना या उसका लोप भी है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

होम्योपैथी का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

32. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें होम्योपैथी के किसी अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता और उसके द्वारा धारण की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या अर्हता को जोड़े जाने या उससे हटाए जाने की रीति और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर डालकर जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूपविधान में एक राज्य रजिस्टर रखेगी तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करेगी और उसकी एक प्रति इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को प्रदाय करेगी ।

(6) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक रूप से समसामयिक रहे कि ऐसे किसी एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन स्वतः ही अन्य रजिस्टर में प्रतिबिंबित हो ।

राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार और इस संबंध में उनकी बाध्यताएं ।

33. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन होम्योपैथी में कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जो धारा 15 के अधीन आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय निकास परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, उसे होम्योपैथी में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति होगी और उसके नाम तथा अर्हताओं को, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या किसी राज्य रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निकास परीक्षा प्रचालित होने से पहले होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रखे गए होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः अनुरक्षित राज्य रजिस्टर में और तत्पश्चात् राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा ।

1973 का 59

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर के किसी देश में स्थापित आयुर्विज्ञान संस्था से होम्योपैथी में कोई अर्हता अभिप्राप्त की है और जो उस देश में होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ तथा धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन होम्योपैथी की राष्ट्रीय निकास परीक्षा के प्रचालन में आने के पश्चात् होम्योपैथी के राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा, जब तक वह होम्योपैथी की राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित नहीं कर लेता है ।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है, कोई उपाधि, डिप्लोमा, विज्ञान या चिकित्सा में प्रवीणता संबंधी ऐसी कोई अर्हता अभिप्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 के अधीन एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, तो वह, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रविष्ट किए जाने का हकदार होगा ।

व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

34. (1) यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति,—

(क) एक अर्हित व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक के रूप में कोई पद या ऐसा कोई अन्य पद, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, धारण नहीं करेगा, जिसे, यथास्थिति, चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किया जाना है ;

(ग) सम्यक् रूप से किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किए जाने के लिए, किसी विधि द्वारा अपेक्षित है, किसी चिकित्सा या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर, हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा ;

1872 का 1

(घ) किसी मृत्यु-समीक्षा में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में होम्योपैथी से संबंधित किसी विषय पर किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा :

परंतु आयोग ऐसे व्यवसायियों की एक सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में, उस देश में ऐसे व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होम्योपैथी में व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उसे भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी कि,—

(क) किसी राज्य रजिस्टर में होम्योपैथी के व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के अधिकार को, केवल इस आधार पर प्रभावित नहीं करेगी कि उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं है ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी राज्य में कम से कम पांच वर्ष से होम्योपैथी में व्यवसाय कर रहा है, उस राज्य में व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी का राज्य रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाता है ।

अध्याय 6

होम्योपैथी की अर्हताओं को मान्यता

भारत में विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त अर्हताओं को मान्यता ।

35. (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा होम्योपैथी में स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी ।

(2) भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, जो होम्योपैथी में स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट अर्हता प्रदान करता है, किंतु उसे होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, वह ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(3) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्रदान करने के लिए किसी आवेदन की, छह मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परीक्षा करेगा ।

(4) जहां, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करता है, वहां, वह ऐसी अर्हता को उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करेगा और ऐसी मान्यता को प्रभावी करने की तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा, अन्यथा वह मान्यता प्रदान न करने के अपने विनिश्चय की संसूचना संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था को देगा ।

(5) व्यथित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगी ।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की दो मास की अवधि के भीतर परीक्षा करेगा और यदि यह विनिश्चय करता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकेगी तो वह संबद्ध बोर्ड को, ऐसी अर्हता को उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) जहां आयोग उपधारा (6) के अधीन मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां व्यथित विश्वविद्यालय या संबंधित आयुर्विज्ञान संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा ।

(8) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताओं को, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा भी ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसे सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

1973 का 59

भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता ।

36. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश की विधि द्वारा, उस देश में होम्योपैथी की अर्हताओं की मान्यता का कार्य सौंपा गया है, भारत में ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु आयोग को कोई आवेदन करता है, वहां आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

(2) जहां आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है, वहां ऐसी अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी और उसे ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां आयोग किसी अर्हता को मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी मान्यता.को प्रदान करने से इंकार करने से पूर्व उस प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां आयोग, उपधारा (2) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करता है, वहां संबद्ध प्राधिकरण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी सभी अर्हताएं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा ऐसी रीति में, जो

1973 का 59

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना ।

37. (1) जहां आयोग को, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित आयुर्विज्ञान संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानकों और सन्नियमों का किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है और ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रही है,

वहां आयोग, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा :

परंतु आयोग स्वप्रेरणा से किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने से पूर्व धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, और राज्य सरकार तथा संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता को वापस ले सकेगा और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के सामने की प्रविष्टियों में इस प्रभाव का संशोधन करे कि ऐसी अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता, उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है ।

(3) यदि आयोग की, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकरण से सत्यापन के पश्चात्, यह राय है कि कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता की, जिसे उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, मान्यता को समाप्त किया जाना है, वहां वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा ।

कतिपय दशाओं में अर्हताओं की मान्यता के लिए विशेष उपबंध ।

38. जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई होम्योपैथी में कोई अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी :

परंतु ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को उस देश में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा

व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार किसी चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय ऐसी अवधि के लिए सीमित होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह भी कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करता है ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

39. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

40. (1) "होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्तियां और प्रभार ;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोत से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए, प्राप्त सभी धन राशियां ।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा—

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों या उपगत होने वाले व्ययों, जिसके अंर्तगत आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं ।

संपरीक्षा और लेखा ।

41. (1) आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्ट रूप से अभिलेखों, पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और उस तक पूर्ण पहुंच बनाने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे, जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात् वह उसे यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियों और रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

42. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्टों और विवरणियों तथा आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित ऐसी विशिष्टियां को, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

(2) आयोग, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

43. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत्त बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उन्हें लिखित में दे :

परंतु आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, यथासाध्य, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

44. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका

45. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट, अपने कार्यवृत्त की प्रतियां, अपने लेखाओं का सार और अन्य जानकारी देगा, जिसकी वह सरकार अपेक्षा करे ।

प्रकाशन ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट, कार्यवृत्तों, लेखाओं का सार और अन्य जानकारी को प्रकाशित कर सकेगी ।

विश्वविद्यालयों और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की बाध्यताएं ।

46. इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्था हर समय एक वेबसाइट अनुरक्षित करेगी और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी सूचनाएं प्रदर्शित करेगी, जो यथास्थिति, आयोग और किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।

47. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी आयुर्विज्ञान संस्था में किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहा था, वैसे ही अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा तथा ऐसी संस्था, ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन के अनुसार, ऐसे छात्र के लिए अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन कराती रहेगी और ऐसे छात्र के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री या डिप्लोमा प्रदान की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आयुर्विज्ञान संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे यह समय के बीत जाने के कारण हुआ हो या स्वेच्छया अभ्यर्पण के कारण या किसी अन्य कारण से हुआ हो, वहां ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था उस समय तक, जब तक कि ऐसे सभी अभ्यर्थी उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उसका उपबंध करेगी ।

आयोग, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

48. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य का किया जाना तात्पर्यित हो, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

49. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या किसी राज्य चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति या इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले सरकार या आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

अपराधों का संज्ञान ।

50. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, आयोग या होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

केन्द्रीय सरकार की आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

51. (1) यदि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) आयोग ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बारबार व्यतिक्रम किया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आयोग को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए अधिक्रांत कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार, आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अधिक्रांत क्यों न कर दिया जाए और आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग को अधिक्रांत करने वाली किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) सभी सदस्य अधिक्रमण किए जाने की तारीख से अपना पद उसी रूप में रिक्त कर देंगे ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन आयोग द्वारा या उसके निमित्त प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों या निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों का, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ;

(ग) आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल के अवसान पर,—

(क) अतिष्ठिति काल को, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा आयोग का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अतिष्ठिति काल, चाहे वह अवधि मूल रूप से उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के अवसान से पूर्व, किसी भी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित एक पूरी रिपोर्ट को सर्वप्रथम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त

52. (1) होम्योपैथी भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति के बीच इंटरफेश का संवर्धन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो परस्पर नियत किया जाए, आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति

बैठकें ।

आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठक की जाएगी ।

(2) संयुक्त बैठक की कार्यसूची संबद्ध आयोगों के अध्यक्षों के बीच पारस्परिक सहमति से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक और चिकित्सा मापदंड या कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी चिकित्सा पद्धतियों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरंभ किया जा सकेगा और इस प्रकार चिकित्सा बहुलवाद की अभिवृद्धि की जा सकेगी ।

राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करना ।

53. प्रत्येक राज्य सरकार, लोक स्वास्थ्य का पता लगाने या उसकी अभिवृद्धि करने के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर आयोग के पांच सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किए जाने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 30 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति ;

(ठ) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्ट और विवरण तथा किसी ऐसे विषय से संबंधित विशिष्टियां, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ढ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(ण) धारा 58 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन नियोजन को समयपूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर ;

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित किया जा सकेगा तथा ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन होम्योपैथी की शिक्षा में बनाई रखी जाने वाली गुणवत्ता और मानक ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति ;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यकरण को विनियमित करने की रीति ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित

प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा ;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसेलिंग कराए जाने की रीति ;

(ञ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन करेगा ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें ऐसा व्यक्ति, जिसके पास विदेशी चिकित्सा अर्हता है, राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करेगा ;

(ठ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश संचालित किया जाएगा ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसेलिंग कराए जाने की रीति ;

(ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन होम्योपैथी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की रीति और अभिहित प्राधिकरण, जिसके माध्यम से ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ;

(ण) धारा 23 के अधीन विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और वह रीति, जो आयोग द्वारा स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराई जाएगी ;

(त) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें स्वायत्त बोर्डों का विनिश्चय किया जाएगा ;

(थ) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या ;

(द) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन होम्योपैथी में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाएं स्थापित करने की रीति ;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ;

(न) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन होम्योपैथी की आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता संबंधी मानक और सन्नियम ;

(प) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने और चिकित्सा नैतिकता का संवर्धन करने की रीति ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग का निरीक्षण करने की रीति ;

(भ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं का संचालन, निर्धारण और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करने की रीति और उन्हें पैनलबद्ध करने की रीति ;

(म) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को वेबसाइट या लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ;

(यक) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ लगाई जाने वाली फीस और स्कीम को प्रस्तुत करने की रीति ;

(यख) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ;

(यग) धारा 30 के परंतुक के अधीन ऐसे क्षेत्र जिनके संबंध में मानदंड शिथिल किए जा सकेंगे ;

(यघ) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विरुद्ध वृत्तिक या नैतिक कदाचार के लिए किसी राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति और होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(यङ) धारा 31 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन कारित ऐसे कृत्य या लोप, जो वृत्तिक या नैतिक कदाचार की कोटि में आता है ;

(यच) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यछ) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप और उसकी रीति भी है;

(यज) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें किसी नाम या अर्हता को राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा जा सकेगा या हटाया जा सकेगा और उन्हें हटाए जाने के लिए आधार ;

(यझ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को प्रविष्टि करने की रीति ;

(यञ) धारा 34 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए किसी विदेशी नागरिक का अस्थायी

रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(यट) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करने और उसका अनुरक्षण करने की रीति ;

(यठ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन का परीक्षण करने की रीति ;

(यड) धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग को अपील करने की रीति ;

(यढ) धारा 36 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में कोई चिकित्सा अर्हता सम्मिलित करने की रीति ;

(यण) धारा 35 की उपधारा (8) के अधीन वह रीति, जिसमें होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ऐसी चिकित्सा अर्हताओं की सूची बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ;

(यत) धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें आयोग उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

56. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार, उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

58. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 निरसित हो जाएगा और उक्त

1973 का 59

अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विघटित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को उसी प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा या ऐसी कोई शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है ।

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति तथा परिषद् का कोई अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, जो ऐसे विघटन से ठीक पूर्व ऐसा कोई पद धारण किया हुआ था, वे अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अपनी पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त था, वह ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी, जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर परिषद् द्वारा नियोजित किया गया था, वह केन्द्रीय परिषद् का ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी नहीं रहेगा और वह अपने नियोजन के समयपूर्व समापन के लिए ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो कम से कम तीन मास का ऐसा वेतन और भत्ता होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) पूर्वोक्त अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन किया गया कोई आदेश, व्यवसाय करने के लिए जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई आयुर्विज्ञान संस्था को आरंभ करने या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या अनुदत्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुमति, किसी अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की कोई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में हैं, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार से प्रवर्तन में बने रहेंगे, मानों उन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया हो । 1973 का 59

संक्रमणकालीन उपबंध ।

59. (1) आयोग, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्वाधीन न्यास भी है, के हित में उत्तरवर्ती होगा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् की सभी आस्तियों और दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आयोग को अंतरित हो गए हैं ।

1973 का 59

(2) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का निरसन होते हुए भी, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के शिक्षा और चिकित्सा मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

परंतु निरसनाधीन अधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन शैक्षिक और चिकित्सा मानकों तथा अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तद्नुसार, तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन नए आयोग के तत्स्थानी विघटित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के निर्बाध संक्रमण के लिए ऐसे समुचित उपाय कर सकेगी, जो आवश्यक हो ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222289
CG-DL-E-07102020-222289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3094] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942
No. 3094] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ASVINA 15, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3475(अ).—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 (2020 का 15) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5, 6, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 54 और 55 के प्रावधान दिनांक 7 अक्तूबर, 2020 से लागू होंगे।

[फा. सं. आर-21011/1/2020-ईपी-III]

पी. एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2692(अ).—होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 18 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करती है, नामतः—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड; और

(ग) होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड।

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की संरचना में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत (अध्यक्ष और चार सदस्य)		
1.	डॉ तारकेश्वर जैन, विभाग प्रमुख, मटेरिया मेडिका विभाग, डॉ. एम.पी.के. होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज, जयपुर	अध्यक्ष
2.	रिक्त	सदस्य
3.	रिक्त	सदस्य

4.	रिक्त	सदस्य
5.	रिक्त	सदस्य

3. होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड के गठन में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
धारा 19 की उप-धारा (1) के उप-खंड(ख) के तहत (अध्यक्ष और दो सदस्य)		
1.	डॉ. के. आर. जनार्दनन नायर, वरिष्ठ परामर्शदाता, होम्योपैथी विभाग, मार स्लीवा मेडिसिटी, पलाई और पूर्व प्राचार्य, राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम	अध्यक्ष
2.	रिक्त	सदस्य-होम्योपैथी
3.	रिक्त	सदस्य–प्रत्यायन विशेषज्ञ

4. होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड के गठन में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड(ग) के तहत (अध्यक्ष और दो सदस्य)		
1.	डॉ. पिनाकिन एन. त्रिवेदी, निदेशक, श्रीमती ए.जे. सवला होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज, मेहसाणा	अध्यक्ष
2.	रिक्त	सदस्य – होम्योपैथी
3.	रिक्त	गैर-होम्योपैथी सदस्य

5. पैरा 2 से 4 में उल्लिखित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष 05 जुलाई, 2021 की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2693(अ).—होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 1 की उपधारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 05 जुलाई, 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन से अनुभागों के 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58 और 59 प्रभावी होंगे।

[फा. सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2694(अ).— राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 3 की उप धारा (1) और-धारा 4 और 6 के अनुसरण में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन करती है, नामतः—

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की संरचना में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. अनिल खुराना, महानिदेशक, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और अध्यक्ष, शासक मंडल, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद	अध्यक्ष
	धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत	
1.	डॉ. तारकेश्वर जैन, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;	*पदेन सदस्य*
2.	डॉ. के.आर. जानर्दनन नायर, होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष	*पदेन सदस्य*
3.	डॉ. पिनाकिन एन. त्रिवेदी, होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष	*पदेन सदस्य*
4.	भारत सरकार के सलाहकार (होम्योपैथी) अथवा संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी के प्रभारी	*पदेन सदस्य*
5.	निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	*पदेन सदस्य*
6.	निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	*पदेन सदस्य*
7.	महानिदेशक, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, जनकपुरी, नई दिल्ली	*पदेन सदस्य*

धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अंतर्गत		
1.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
2.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
3.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अंतर्गत		
1.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
2	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
3	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
4	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
5	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
6	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
7	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
8	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
9	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
10	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अंतर्गत		
1	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
2	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
3	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
4	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
5	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
6	रिक्त	अंशकालिक सदस्य

6. आयोग 05 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त होगा। आयोग का अध्यक्ष 05 जुलाई, 2021 से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यभार संभालेगा।

[फा. सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

आयुष मंत्रालय

आंधेसूचना

नई दिल्ली, **5** जुलाई, 2021

का.आ. 2695(अ).— राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 58 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) को 05 जुलाई, 2021 से निरस्त करती है।

2. दिनांक 05.07.2021 से केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की भंग हो जाएगी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपना कार्यालय खाली कर देंगे।

[फा.सं. आर-21011/10/2021-ईपी-III]

डी सेंथिल पांडियन संयुक्त सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–27092021–229981
CG-DL-E-27092021-229981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3 —Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
No. 550] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ ASVINA 5, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 667(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होम्योपैथी सलाहकार परिषद् का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन:

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष - *पदेन* अध्यक्ष;

(2) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन:

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के सभी सदस्य- *पदेन* सदस्य;

(3) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन (राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशित सदस्य):

क. राज्य के नामनिर्देशित सदस्य

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नामनिर्देशित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	डॉ. डी. सांबा मूर्ति, प्रोफेसर, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कडप्पा;
2.	पंजाब	डॉ. रचना सिंह, डीन होम्योपैथी, गुरु रविदास आयुर्वेद

		विश्वविद्यालय, होशियारपुर, पंजाब;
3.	तमिलनाडु	डॉ. एन. कार्तिकेयन, प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तिरुमंगलम, मदुरै;

ख. संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशित सदस्य

क्रम संख्या	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नामनिर्देशित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	दिल्ली	डॉ. अनु कपूर, प्राचार्य, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बी-ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024;

(4) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन (राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों के नामनिर्देशित सदस्य):

क. राज्य के नामनिर्देशित सदस्य

क्रम संख्या	राज्य चिकित्सा परिषद् का नाम	नामनिर्देशित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	हरियाणा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद्	डॉ हरपरकाश शर्मा;
2.	त्रावणकोर-कोचीन होम्यो. चिकित्सा परिषद् , केरल	डॉ. सी. सुंदरेसन, रेशमी;
3.	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति परिषद् , पंजाब	डॉ. तेजिंदर पाल सिंह;

ख. संघ राज्यक्षेत्रों के नाम निर्देशित सदस्य

क्रम संख्या	संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा परिषद् का नाम	नामनिर्देशित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली	डॉ. केवल कृष्ण जुनेजा;

(5) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के अधीन:

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य *पदेन*;

(6) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन:

निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् - सदस्य *पदेन*;

(7) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन:

1. निदेशक, आईआईटी बॉम्बे;

2. निदेशक, आईआईटी जोधपुर;

3. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद;

4. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलॉग;

[फा.सं.आर-21011/9/2021-ईपी-III]
कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022022-233393
CG-DL-E-14022022-233393

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2022/माघ 25, 1943
No. 631] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2022/MAGHA 25, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2022

का.आ. 650(अ).—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) को 20 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और उक्त अधिनियम की धारा 29, जो नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अनुज्ञा प्रदान करती है, 5 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) में किसी भी व्यक्ति को होम्योपैथी चिकित्सा के मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना या नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरूआत या सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उपबंध नहीं है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) में अन्य बातों के साथ उक्त अधिनियम की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त योजना पर विचार करते समय, होम्योपैथी चिकित्सा के मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड को शिक्षा और अनुसंधान के मानकों, अवसंरचना और संकाय के लिए मानकों और मानदंडों, चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के दिशा-निर्देशों और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अवधारित अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर योजना को अनुमोदित या अननुमोदित करने के लिए आदेश पारित करने का अनुबंध है ;

और, आयोग ने उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित तीन महीने की अवधि के भीतर उक्त अनुबद्ध प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी कठिनाई से अवगत कराया और इसके कारण उक्त धारा 29 के उपबंधों के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त कठिनाइयों के निराकरण के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम (कठिनाईयों का निराकरण) आदेश, 2022 है ।

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. धारा 29 में संशोधन - राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 में, "तीन महीने" जहां भी वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर, "छह महीने" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. R-11011/1/2022-EP-III]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236568
CG-DL-E-14062022-236568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
No. 2587] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

का.आ. 2715(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्याक का.आ. 2692 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में-

(क) पैरा 2 में, सारणी में, क्रम संख्याक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी;

क्रम संख्याक	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
"2.	डॉ मंगेश रमेशचंद्र जटकर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, मटेरिया मेडिका विभाग, वीवीएसएम दापोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज	सदस्य ";

(ख) पैरा 4 में, सारणी में, क्रम संख्याक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

क्रम संख्याक	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
"2.	डॉ. जे. सेंथिल कुमार विभागाध्यक्ष, रिपर्टोरी विभाग, विनायक मिशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु	सदस्य-होम्योपैथी";

(ग) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 5. पैरा 2 से 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।"

[फा. सं. आर-21011/6/2021-ईपी.III]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्याक का.आ. 2692(अ) तारीख 5 जुलाई, 2021 को प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की गई थी।

No.5/14/2021-EO(SM II)

Immediate

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet
******

North Block, New Delhi
09 05.2022

he Appointments Committee of the Cabinet has approved the following proposals of the Ministry of AYUSH

ppointment to the following posts of Secretary and Members of Autonomous Boards in National Commission r Homoeopathy (NCH), in Level 14 of the Pay Matrix, for a term of 04 years w.e.f. the date of assumption of arge of the post, or till the incumbent attains the age of 70 years, or until further orders, whichever is the arliest:

Secretary, NCH

Sl. No.	Name
1.	Dr Sanjay Gupta Professor, Govt. Homoeopathic Medical College, Bhopal, MP

Post of Member in Homoeopathy Education Board (HEB)

Sl. No.	Name
(i)	Dr. Mangesh Rameshchandra Jatkar Professor &HoD, D/o Materia Medica, VVSM Dapoli Homoeopathic Medical College, Palghar

Post of Member in Board of Ethics and Registration for Homoeopathy (BERH)

Sl. No.	Name
(i)	Dr J Senthil Kumar HoD, D/o Repertory, Vinayaka Mission Homoeopathic Medical College, Tamil Nadu

ppointment of the following 02 Part-time Members in the NCH, with a sitting fee of Rs.5000/- for each day of ting of the Commission, for a term of 04 years w.e f. the date of assumption of charge of the post, or till the cumbent attains the age of 70 years, or until further orders, whichever is the earliest.

Sl. No.	Name
1.	**Part-time Member**
(i)	Dr. Gautam Ash Retired Professor, National Institute of Homoeopathy
2.	**Part-time Member**
(i)	Dr. Hitesh G. Purohit Principal, Smt. Malini Kishore Sanghvi Homoeopathic Medical College, Karjan Vododara

(Subir Kumar)
Under Secretary (EO-SM II)
Tel 2309 2712

AYUSH,
a Rajesh Kotecha, Secretary),
wan, Block 'B' GPO Complex,

ued for information to.

he Minister's Office (Shri Hrisheekesh Arvind Modak, Director)
inet Secretariat (Dr Amandeep Garg, Joint Secretary)
rd File

(Subir Kumar)
Under Secretary (EO-SM II)
Tel 2309 2712

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–22022024–252301
CG-DL-E-22022024-252301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2024/फाल्गुन 3, 1945
No. 786] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2024/PHALGUNA 3, 1945

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

का.आ. 823(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का **15)** की धारा 18 की उपधारा (**1)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (**ii)** में संख्याक का. आ. 2692 **(**अ), तारीख **5** जुलाई, **2021** द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में पैरा 3 में, सारणी में, क्रम संख्याक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

क्रम संख्याक	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
"2.	डॉ. आनंद कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय पं. जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।	सदस्य- होम्योपैथी ";

[फा. सं. आर-21011/6/2021-ईपी-III part (1)]

विश्वजीत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्याक का.आ.(अ) 2692 तारीख 5 जुलाई, 2021 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ.(अ) 2715 तारीख 13 जून, 2022 द्वारा किया गया |

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–04012024–251162
CG-DL-E-04012024-251162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3–Sub-section(i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945
No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 26(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप- खण्ड (i) तारीख 27 सितंबर, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 667 (अ) तारीख 22 सितंबर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा (3) की सारणी में, "क. राज्य के नामिति" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“4.	गुजरात	डॉ. गिरीश पटेल, डीन, होम्योपैथी संकाय, महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर, गुजरात;”

(ii) पैरा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8). पैरा 3 और पैरा 4 में निर्दिष्ट होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सलाहकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जब तक वे कार्यालय में उस मूल पद को धारण करते है जिसके फलस्वरूप उन्हें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है अथवा चार वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक जारी रहेगा।

[फा. सं. आर/21011/9/2020-ईपी-III]

बी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, संख्या सा.का.नि. 667(अ) तारीख 22 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप- खण्ड (i) में तारीख 27 सितंबर, 2021 में प्रकाशित की गई थी।



होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–09122022–240905
CG-DL-E-09122022-240905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4
PART III —Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944
No. 633] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022AGRAHAYANA 16, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

फा. सं. 3-34/2021/NCH/HEB/CC/10758.— राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 1 तथा धारा 55 की उप-धारा (2) के उपबंधों (एच), (आई), (क्यू), (एस) तथा (टी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) बी.एच.एम.एस. विनियम, 1983 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए लोप किया गया है, आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियमों का निर्माण किया गया हैं:-

1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम - बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) विनियम-2022 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 परिभाषाएँ :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, अधिनियम, 2020 (2020 का 15);

(ख) "अनुलग्नक" का अर्थ इन विनियमों से संलग्न एक अनुलग्नक है;

(ग) "परिशिष्ट" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट है;

(घ) "आयोग" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 3 के तहत् गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग;

(ङ) "चयनात्मक" का अर्थ है छात्र की शैक्षिक अभिव्यक्ति को समृद्ध करने के लिए तैयार किए गए अध्ययन का एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम।

(2) यहां इस्तेमाल किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

3. बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम :

बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.), क्षेत्र में समकालीन प्रगति के साथ, होम्योपैथी का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातकों को तैयार करेगा, जो व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के ज्ञान के पूरक होंगे तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के देखभाल की सेवाओं में एक कुशल समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले चिकित्सक के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे।

4. प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और प्रवेश का तरीका : -

(1) बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम पात्रता निम्नानुसार होगी :

(क) उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ 10 + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और सामान्य वर्ग से संबंधित छात्रों के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी में एक साथ न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों;

बशर्ते कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के संबंध में, उक्त परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य श्रेणी के मामले में पैंतालीस प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे;

(ख) 10+2 स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी इस प्रवेश के लिए विचार-योग्य नही होगा।

(ग) ओपन स्कूल से या निजी उम्मीदवारों के रूप में 10 + 2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) किसी भी उम्मीदवार को बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.)पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उम्मीदवार पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है;

(2) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी, जिसका नाम राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) होगा और यह परीक्षा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित एक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।

बशर्ते कि विदेशी नागरिक उम्मीदवारों के मामले में प्रवेश के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अहर्ता को मंजूरी प्रदान की जाएगी और विनियम 4 का उप-विनियम (2) इसमें प्रयोज्य नहीं होगा।

(3) स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह- प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से कम प्राप्त करने वाले किसी उम्मीदवार के उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत से कम नही होगा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का

49) के तहत निर्दिष्ट विकलांगों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के मामले में 45 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 40 प्रतिशत से कम नही होगा।

परंतु यह और कि आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से संबंधित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, आवश्यक न्यूनतम अंक को कम कर सकता है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक, केवल उस शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(4) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची के साथ-साथ पात्र उम्मीदवारों की राज्य-वार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और केवल उक्त योग्यता सूची से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जाता है।

(5) सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटे के लिए पंद्रह प्रतिशत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटे के लिए पचासी प्रतिशत होगी। :

बशर्ते कि -

क) सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय कोटा सरकारी और निजी दोनों के लिए सौ प्रतिशत होगा;

ख) जिन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पहले से ही अखिल भारतीय कोटे की सीटें पंद्रह प्रतिशत से अधिक है, वे उस कोटा को बनाए रखना जारी रखेंगे;

ग) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत क्षमता का पांच प्रतिशत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार और राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर निर्दिष्ट विकलांगता वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड के उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित निर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट "ए" में निर्दिष्ट है और होम्योपैथी में निर्दिष्ट विकलांगता के साथ किसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवार की पात्रता परिशिष्ट "बी" में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी तथा यदि किसी विशेष श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटा की काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, का होगा।

(7) (क) अखिल भारतीय कोटे के तहत सीटों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी;

(ख) सभी सरकारी और निजी दोनों कोटि के डीम्ड विश्वविद्यालयों की सभी शत प्रतिशत सीटों के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नामित प्राधिकरण द्वारा, आयोजित की जाएगी।

(8) प्रवेश निम्नानुसार लिया जाएगा।

क) विदेशी नागरिकों को छोड़कर केवल काउंसलिंग के माध्यम से;

ख) इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके के अलावा, किसी अन्य माध्यम को मंजूरी नहीं दी जाएगी और

विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके छात्रों को प्रवेश देने वाले किसी भी संस्थान को आगे के शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रवेश लेने की अनुमति से वंचित कर दिया जाएगा;

ग) संस्थानों को, प्रवेश के लिए नियत किए गए छात्रों की सूची के सत्यापन के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, प्रवेश के लिए कटऑफ तिथि पर शाम छह बजे या उससे पहले प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करनी होगी;

घ) चिकित्सा संस्थान उन उम्मीदवारों (विदेशी नागरिकों को छोड़कर) के प्रवेश को मंजूरी देंगे जिन्हें काउंसलिंग (केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो) के माध्यम से आबंटित किया गया है।

(9) कोई भी उम्मीदवार जो इस विनियम के उप-विनियम (3) के तहत न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(10) कोई भी चिकित्सा संस्थान प्रवेश के संबंध में इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को आयोग द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(11) प्राधिकारी या चिकित्सा संस्थान, जो इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, अधिनियम के अनुसार विहित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(12) चिकित्सा संस्थान, आयोग को छात्रों के प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर उनके द्वारा भर्ती किए गए छात्रों की संख्या के बारे में सूचना भेजेंगे और आयोग किसी भी समय कॉलेजों द्वारा विनियम के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने का सत्यापन कर सकता है।

5. बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम की अवधि – निम्नलिखित तालिका में विहित के अनुसार बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष और छह महीने की होगी, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

तालिका-1

क्रम संख्या	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम	अवधि
(1)	**(2)**	(3)
1.	प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	अठारह महीने
2.	द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	बारह महीने
3.	तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	बारह महीने
4.	चतुर्थ(अंतिम) व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	बारह महीने
5.	अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप	बारह महीने

6. सौंपी जाने वाली डिग्री - उम्मीदवार को सभी परीक्षाओं को पास करने और निर्धारित अवधि में अध्ययन के

निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने और बारह महीने से अधिक की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के पूरा होने के बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस) डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

7. **अध्ययन की रूपरेखा -** बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रम और चयनात्मक शामिल होंगे और अध्ययन की रूपरेखा का पालन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

(1) **मुख्य पाठ्यक्रम** : -

क) प्रवेश के बाद, छात्र को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के माध्यम से कम से कम 10 कार्य दिवसों, जो 60 घंटे से कम नहीं होगा और हर दिन 'कॉन्टेंट फॉर फाउंडेशन कोर्स' के आधार पर छह घंटे शामिल हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य अगले पांच साल और छह महीने के लिए भर्ती होने वाले नए छात्र को होम्योपैथिक प्रणाली और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए आवश्यक कौशल की जानकारी प्रदान करना है।

ख) फाउंडेशन पाठ्यक्रम के दौरान, होम्योपैथी के छात्र होम्योपैथी का इतिहास सीखेंगे, दुनिया भर में होम्योपैथिक विज्ञान के विकास के साथ उन्मुख होंगे, पारस्परिक संचार कौशल में सुधार की समझ, तनाव और समय का प्रबंधन, बुनियादी जीवन समर्थन और प्राथमिक चिकित्सा के साथ-साथ अनुलग्नक-I में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

ग) पहले व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शैक्षणिक घंटे दो हजार एक सौ छह(2106) से कम नहीं होंगे, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे व्यावसायिक सत्र के लिए, प्रत्येक पेशेवर सत्र में न्यूनतम एक हजार चार सौ चार(1404) घंटे का शिक्षण पूरा करना आवश्यक है।

घ) शिक्षण की निर्धारित अवधि और अपेक्षित गतिविधि को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए

(क) "व्याख्यान" का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण अर्थात कक्षा शिक्षण

(ख) गैर-व्याख्यान में व्यावहारिक या नैदानिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण शामिल हैं और प्रदर्शनात्मक शिक्षण में छोटे समूह शिक्षण या ट्यूटोरियल या सेमिनार या संगोष्ठी या असाइनमेंट या रोल प्ले या ड्रग पिक्चर प्रेजेंटेशन या फार्मेसी प्रशिक्षण या प्रयोगशाला प्रशिक्षण या विच्छेदन या क्षेत्र का दौरा या कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षण या एकीकृत शिक्षा या समस्या आधारित शिक्षा या केस आधारित शिक्षा या प्रारंभिक नैदानिक प्रदर्शन या साक्ष्य आधारित शिक्षा आदि तथा विषय की आवश्यकता के अनुसार तथा गैर-व्याख्यानों में, नैदानिक या व्यावहारिक भाग सत्तर प्रतिशत होगा और प्रदर्शनात्मक शिक्षण तीस प्रतिशत होगा।

(ङ) अनुसंधान योग्यता के विकास के साथ-साथ सभी स्वास्थ्य विज्ञानों के समग्र और एकीकृत ज्ञान प्रदान करने के लिए नए विभागों और विषयों जैसे मनोविज्ञान, योग, आधुनिक फार्माकोलॉजी की अनिवार्यता और अनुसंधान पद्धति और जैव सांख्यिकी जैसे विषयों को डिग्री पाठ्यक्रम में पेश किया गया है।

(च) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विभाग/विषय होंगे, जिनके नाम हैं :

तालिका संख्या 2

क्र.सं.	विभाग का नाम
(1)	(2)
1	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका
2	ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी
3	होम्योपैथिक फार्मेसी
4	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग
5	मानव शरीर रचना विज्ञान
6	मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन
7	फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान
8	पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी
9	सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और बायोस्टैटिस्टिक्स
10	सर्जरी
11	स्त्री रोग और प्रसूति
12	फार्माकोलॉजी की अनिवार्यताओं के साथ चिकित्सा का अभ्यास
13	स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग

(छ) निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, अर्थात् : -

तालिका -3

क्र.सं.	विषय का कोड	विषय
(1)	(2)	(3)
1	होमयूजी-एचएमएम-I	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका
2	होमयूजी-ओएम-I	ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी
3	होमयूजी-आर-I	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग
4	होमयूजी-एचपी	होम्योपैथिक फार्मेसी
5	होमयूजी-एएन	मानव शरीर रचना विज्ञान
6	होमयूजी-पीबी	मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन
7	होमयूजी-योग-I	स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग

(ज) द्वितीय व्यावसायिक सत्र सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो निम्नलिखित है : -

तालिका -4

क्र.सं.	विषय का कोड	विषय
(1)	(2)	(3)
1.	होमयूजी-एचएमएम- II	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका
2.	होमयूजी-ओएम-II	ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी
3.	होमयूजी-आर-II	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग
4.	होमयूजी-एफएमटी	फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान
5.	होमयूजी-पैथोएम	पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी
6.	होमयूजी-सर्ज-I	सर्जरी
7.	होमयूजी-ओबीजीवाई-I	स्त्री रोग और प्रसूति
8.	होमयूजी-पीएम-1	चिकित्सा का अभ्यास
9.	होमयूजी-योग-II	स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग

(झ) तृतीय व्यावसायिक सत्र सामान्यतः द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो निम्नलिखित है : -

तालिका -5

क्र.सं.	विषय का कोड	विषय
(1)	(2)	(3)
1	होमयूजी-एचएमएम-III	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका
2	होमयूजी-ओएम-III	ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी
3	होमयूजी-आर-III	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग
4	होमयूजी-पीएम-II	चिकित्सा का अभ्यास
5	होमयूजी-मोड.फार	फार्माकोलॉजी की अनिवार्यता
6	होमयूजी-सर्ज-II	सर्जरी
7	होमयूजी-ओबीजीवाई-II	स्त्री रोग और प्रसूति
8.	होमयूजी-सीएम-I	सामुदायिक चिकित्सा
9.	होमयूजी-योग-III	स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग

(ञ) चतुर्थ व्यावसायिक सत्र सामान्यतः तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो निम्नलिखित है : -

तालिका-6

क्र.सं.	विषय का कोड	विषय
(1)	(2)	(3)
1	होमयूजी-एचएमएम-IV	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका
2	होमयूजी-ओएम-IV	ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी
3	होमयूजी-आर-IV	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग
4	होमयूजी-पीएम-III	चिकित्सा का अभ्यास
5	होमयूजी-सीएम-आरएम-स्टेट-II	सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और जैव सांख्यिकी
6	होमयूजी-योग-IV	स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग

(ट) **नैदानिक प्रशिक्षण** - छात्र का नैदानिक प्रशिक्षण द्वितीय सत्र के बाद प्रथम व्यावसायिक सत्र से प्रारंभ होगा तथा संबंधित संकाय एवं विभाग द्वारा संलग्न अस्पताल में विषय की आवश्यकता के अनुसार गैर-व्याख्यान घंटे में विषय संबंधित नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है-

(i) पहले व्यावसायिक सत्र के दौरान, बाह्य रोगी विभाग(ओ.पी.डी.), आंतरिक रोगी विभाग (आई.पी.डी.), समुदाय और परिधीय क्लीनिकों में नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उपयुक्त ऑडियो-विजुअल मीडिया या सिम्युलेटेड रोगियों के माध्यम से क्लिनिकल एक्सपोजर की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(ii) छात्रों को प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न, दवा के नाम, खुराक, दवाओं के वितरण आदि से परिचित होने के लिए अस्पताल फार्मेसी में तैनात किया जाएगा।

(iii) दूसरे, तीसरे और चौथे व्यावसायिक सत्र के दौरान, विशिष्ट आउट पेशेंट विभाग (ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), परिधीय आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और सामुदायिक पोस्टिंग के माध्यम से नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें उपरोक्त विभागों के शिक्षक सलाहकार हैं। रेडियोलॉजी, हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी प्रयोगशाला सहित ओपीडी में मरीजों की जांच केस लेना, विश्लेषण, मूल्यांकन और लक्षणों की समग्रता, नैदानिक परीक्षा, प्रदर्शन और जांच और नुस्खे लेखन में छात्रों को शामिल किया जाएगा।

(iv) एड ऑन थेरेपी पर प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण : संबंधित सलाहकार द्वारा छात्रों को योग, फिजियोथेरेपी और आहार और पोषण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(v) दूसरे और तीसरे व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण गैर-व्याख्यान/नैदानिक बैचों के अनुसार रोटेशन के आधार पर और निम्नलिखित विषयों के लिए निर्धारित नैदानिक/गैर-व्याख्यान शिक्षण घंटों के अनुसार होगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं : -

क) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनिवार्य रेपर्टोराइजेशन के साथ, होम्योपैथिक विशेष और सामान्य आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), पेरिफेरल आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), सामुदायिक आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.)

ख) चिकित्सा का अभ्यास : एम.ओ.यू. वाले संलग्न अस्पताल/ सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) और विशेष क्लीनिक विभाग जैसे बाल रोग, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, ऑन्कोलॉजी या किसी अन्य में अभ्यास

ग) सर्जरी: आंख, ई.एन.टी., डेंटल आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और किसी अन्य संबंधित विशेषता क्लीनिक; ऑपरेशन थिएटर यूनिट: एम.ओ.यू. वाले संलग्न अस्पताल/सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में तैयारी कक्ष, पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम, नसबंदी, घाव देखभाल और संक्रमण नियंत्रण, जैव-अपशिष्ट प्रबंधन और किसी प्रकार की विशेष इकाइयां।

घ) स्त्री रोग और प्रसूति : आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), लेबर रूम, प्रक्रिया कक्ष, और प्रजनन, मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अन्य संबंधित विशेषता वाले क्लीनिक, यदि कोई हों।

ङ) सामुदायिक चिकित्सा विभाग, विशेष क्लीनिकों द्वारा अपनाए गए गांवों/स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे जागरूकता शिविरों, अभियानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रोफिलैक्सिस और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) में भर्ती मरीजों के पोषण संबंधी आकलन और आहार की आवश्यकता का निर्धारण अस्पताल के आहार विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पोषण संबंधी विकारों और संतुलित आहार के बारे में जागरूकता शामिल की जाएगी।

च) स्कूल स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के तहत काम कर रहे क्लिनिकल आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) और क्लिनिक

(vi) चौथे व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण, आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.), फिजियोथेरेपी कक्ष में विषयों की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाएगा और गैर-व्याख्यान /नैदानिक प्रशिक्षण, बैच के अनुसार रोटेशन के आधार पर और निम्नलिखित विषयों के लिए निर्धारित नैदानिक/गैर- व्याख्यान शिक्षण घंटे के अनुसार होगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं : -

i. सामान्य और विशेष होम्योपैथिक आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) और इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.)

ii. अस्पताल में आपातकालीन/हताहत विभाग

iii. अस्पताल में कौशल प्रयोगशाला

iv. मेडिसिन का अभ्यास : एमओयू वाले संलग्न अस्पताल / सुपरस्पेशलिटी अस्पताल यदि कोई हो, में विभाग के तहत काम कर रहे आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.), इनपेशेंट विभाग(आई.पी.डी.) और स्पेशलिटी क्लीनिक (बाल रोग, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, ऑन्कोलॉजी)।

(2) चयनात्मक-

(क) चयनात्मक छात्र के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए तैयार किए गए अध्ययन के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का गठन करता है तथा प्रत्येक विषय की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो नियमित पाठ्यक्रमों द्वारा पर्याप्त रूप से समाविष्ट नहीं की जाती हैं।

(ख) चयनात्मक का प्रबंधन आयोग द्वारा एक ऑनलाइन गतिविधि के रूप में किया जाएगा।

(i) प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम से तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम तक के प्रत्येक छात्र से प्रत्येक वर्ष दो चयनात्मक करने की अपेक्षा की जाएगी।

(ii) चयनात्मक प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के दूसरे टर्म से शुरू होंगे।

(iii) प्रत्येक व्यावसायिक वर्ष में एक चयनात्मक विकल्प अनिवार्य होगा, जबकि एक छात्र द्वारा किसी विशेष व्यावसायिक वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई सूची में से एक का चयन किया जा सकता है।

(iv) संबंधित शैक्षणिक वर्ष उत्तीर्ण करने के लिए दो चयनात्मक को पूरा करना अनिवार्य है।

(v) प्रत्येक चयनात्मक अवधि के संदर्भ में भिन्न हो सकता है लेकिन उपलब्ध होगा और लगभग 2 या अधिक घंटों के भागों में विभाजित होगा और सामग्री/प्रस्तुति को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक भाग में,व्याख्यान/प्रदर्शन, कुछ सुझाई गई पठन सामग्री/गतिविधियों और मूल्यांकन के रूप में एक दृश्य-श्रव्य भाग शामिल होगा।

(vii) प्रत्येक मूल्यांकन को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद छात्र एक भाग से दूसरे भाग में प्रगति कर सकता है।

(viii) प्रत्येक चयनात्मक के अंत में, छात्र को आयोग द्वारा एक चयनात्मक पूर्णता प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। ग्रेड वाला यह प्रमाणपत्र, चयनात्मक पूरा करने के प्रमाण के रूप में कॉलेज के अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे संबद्ध विश्वविद्यालय को भेजा जाना चाहिए।

(ix) कोई भी छात्र यदि चयनात्मक को पूरा करने में विफल रहता है, उसे विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(x) प्रत्येक छात्र को पोर्टल में लॉग इन करने के लिए एक विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी।

8. होम्योपैथी में आधुनिक प्रगति, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के पूरक के लिए पद्धति (स्मार्ट-होयोपैथी) -

(1) होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक के संबंध में, विनियम 7 तालिका संख्या 2 में उल्लिखित सभी तेरह विभागों को निदान उपकरण, वैचारिक प्रगति और निम्नानुसार उभरते क्षेत्रों के क्षेत्र में प्रासंगिक और उचित प्रगति/विकास के साथ पूरक, समृद्ध और अद्यतन किया जाएगा। -

(क) जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान आदि जैसे बुनियादी विज्ञानों में नवाचार या प्रगति या नए विकास;

(ख) नैदानिक प्रगति;

(ग) दवाओं की गुणवत्ता और मानकीकरण, दवा विकास आदि सहित फार्मास्युटिकल तकनीक;

(घ) शिक्षण, प्रशिक्षण के तरीके और प्रौद्योगिकी;

(ङ) अनुसंधान के तरीके, पैरामीटर, उपकरण और मापक आदि;

(च) टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन आदि;

(छ) बायोमेडिकल प्रगति;

(ज) चिकित्सकीय संसाधन;

(झ) कोई अन्य नवाचार, अग्रिम, प्रौद्योगिकियां और विकास जो होम्योपैथी में अनुसंधान को समझने, मान्य करने, शिक्षण, जांच, निदान, उपचार, निदान, प्रलेखन, मानकीकरण और संचालन के लिए उपयोगी हैं।

(2) होम्योपैथी में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के उद्देश्य से आयोग द्वारा बहु-विषयक कोर समिति गठित की जाएगी, जो किसी एक या कई विभागों में शामिल करने के लिए उपयुक्त और समुचित विकास की पहचान करेगी।

(3) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक विभाग के लिए एक विशेषज्ञ समिति होगी, जो उक्त प्रगतियों और विकासों के अनुकूलन और समावेश की विधि को परिभाषित करने और सुझाव देने के लिए और स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर इसे शामिल करने को भी निर्दिष्ट करेगी। विशेषज्ञ समिति,आवश्यकता के अनुसार उपयोग, मानक संचालन प्रक्रिया और व्याख्या के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करेगी।

(4) होम्योपैथी में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के संबंध में शिक्षण कर्मचारी, चिकित्सक, शोधकर्ता, छात्र और नवप्रवर्तक आदि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं और ऐसे सुझाव होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा कोर कमेटी के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे।

(5) आधुनिक प्रगतियों को होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर,उक्त प्रगति की अध्ययन द्वारा समर्थित उचित व्याख्या के साथ शामिल किया जाएगा, और पाठ्यक्रम में ऐसी प्रगतियों को शामिल करने के पांच साल बाद, उन्हें होम्योपैथी पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

(6) एक बार जब कोर कमेटी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है, तो राष्ट्रीय होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को निर्देश देगा कि वह विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इसे शामिल करे और यदि अनुशंसित आधुनिक प्रगति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को शामिल करने के लिए शिक्षकों के उन्मुखीकरण का संचालन करने के लिए आवश्यक है,तो आयोग इसके लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(7) स्मार्ट-होम्योपैथी के लिए समितियों की संरचना - प्रत्येक विभाग के लिए एक कोर समिति और एक विशेषज्ञ समिति होगी और ऐसी समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी -

(क) स्मार्ट-होम कोर समिति (होम्योपैथी) की संरचना : स्मार्ट-होम, एक ग्यारह सदस्यीय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - अध्यक्ष;

(ii) होम्योपैथी के चार विशेषज्ञ (मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के एक-एक विशेषज्ञ) - सदस्य;

(iii) सी.सी.आर.एच., एन.आई.एच., फार्मा उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य से एक-एक विशेषज्ञ (या तो सेवानिवृत्त या सेवा में) - सदस्य;

(iv) एक शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य;

(v) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के सदस्य - सदस्य सचिव।

बशर्ते कि कोर समिति, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष की उचित अनुमति से, विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है।

(ख) संदर्भ की शर्तें -

(i) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

(ii) समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(iii) समिति ऊपर सूचीबद्ध किसी भी आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की पहचान करेगी जो होम्योपैथी के लिए प्रासंगिक और प्रयोज्य हो और इसके लिए उपयोगी हो -

क) होम्योपैथी में अनुसंधान गतिविधियों के संचालन को मान्य करने की समझ;

ख) निदान या प्रोग्नोसिस एक विशिष्ट नैदानिक स्थिति और उपचार है;

ग) शिक्षण और प्रशिक्षण;

घ) होम्योपैथी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं।

(iv) समिति,होम्योपैथी के चार विशेषज्ञ सदस्यों की सहायता से होम्योपैथी के बुनियादी सिद्धांतों के लिए चिह्नित की गई आधुनिक प्रगति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की प्रयोज्यता सुनिश्चित करेगी।

(v) कोर समिति,आधुनिक प्रगति या विकास की पहचान के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों की पहचान करेगी और उनकी सिफारिश करेगी।

(vi) कोर समिति,मामले के अनुरूप प्रगति या विकास को विशिष्ट विभाग में इसके उपयोग के संदर्भ में या स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आदि में शामिल करने के लिए सुझाव देगी।

(vii) चूंकि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगातार बदल रही है, कोर समिति आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुराने हिस्से की पहचान करेगी और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को उचित आधुनिक प्रगति के साथ इसे बदलने का सुझाव देगी।

(8)

(क) प्रत्येक विभाग के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(i) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ - अध्यक्ष;

(ii) प्रासंगिक होम्योपैथी विषयों के दो विशेषज्ञ (एक यू.जी. से और एक पी.जी. से) - सदस्य;

(iii) प्रासंगिक आधुनिक विषय से एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(iv) शिक्षण प्रौद्योगिकी से एक विशेषज्ञ - सदस्य।

बशर्ते कि विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की अनुमति से चयनित क्षेत्र के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है।

(ख) संदर्भ की शर्तें –

(i) विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा;

(ii) आयोग के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति की बैठकें जितनी बार चाहे, होंगी;

(iii) विशेषज्ञ समिति, कोर समिति के सुझाव पर काम करेगी और इसे पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, इसके शिक्षण का तरीका (अर्थात, व्याख्यान/गैर-व्याख्यान) और शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद्, विशेषज्ञों की मदद से मूल्यांकन को तय करेगी;

(iv) विशेषज्ञ समिति, पहले इसकी प्रासंगिकता के लिए चिह्नित किए जाने वाले आधुनिक प्रगतियों की प्रयोज्यता और होम्योपैथी के बुनियादी सिद्धांतों के साथ इसके संदर्भ को समझेगी;

(v) विशेषज्ञ समिति, होम्योपैथी में विशेष रूप से उस वर्टिकल के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता की पहचान करेगी और उपयुक्त तकनीक की पहचान करेगी और मानक संचालन प्रक्रिया या कार्यप्रणाली के साथ इसके उपयोग की सिफारिश करेगी;

(vi) स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शामिल की जाने वाली आधुनिक प्रगति और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेषज्ञ समिति कोर समिति को सुझाव देगी।

9. परीक्षाओं, परिणामों और पुन : प्रवेश के लिए सामान्य दिशानिर्देश :

1) विश्वविद्यालय,विभिन्न राज्यों या संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिकृत एजेंसियों में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करेंगे।

2) परीक्षा निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा संस्थानों को विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए छात्रों को भेजने की अनुमति देने से पहले संबंधित विनियमों में निर्दिष्ट प्रत्येक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी(बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में विषयों में व्याख्यान/प्रदर्शन/व्यावहारिक/सेमिनार आदि के लिए न्यूनतम घंटों का पालन किया जाता है।

3) परीक्षा निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा संस्थानों के छात्र, जो इन नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए नहीं भेजा जाता है।

4) प्रत्येक छात्र को परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक / व्याख्यान घंटे / व्यावहारिक और नैदानिक / गैरव्याख्यान घंटे में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक - होगा।

5) जहां संस्थान भौतिक रूप में रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, उसे अनुबंध-iii के अनुसार संचयी संख्या पद्धति में दर्ज किया जाएगा और पाठ्यक्रम/अवधि/पाठ्यक्रम के भाग के अंत में, प्रत्येक छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, इसे विभाग के संबंधित प्रमुख द्वारा प्रमाणित और संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

6) अनुमोदित उपस्थिति विश्वविद्यालय को अग्रेषित की जाएगी।

7) प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) व्यावसायिक वर्षों के दौरान चिकित्सा संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएँ।

8) आंतरिक मूल्यांकन का अधिभार मुख्य विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट कुल अंकों का 10 प्रतिशत होगा तथा आंतरिक मूल्यांकन केवल व्यावहारिक रूप में होगा।

9) छह महीने की प्रत्येक अवधि में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में, एक आवधिक मूल्यांकन और एक सत्रीय परीक्षा शामिल होगी।

10) संबंधित व्यावसायिक वर्ष के अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म को भरने से पहले प्रत्येक छात्र को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चिकित्सा संस्थान के प्रमुख किसी भी व्यावसायिक वर्ष की अंतिम परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय को आंतरिक मूल्यांकन और टर्म टेस्ट के अंक भेजेंगे।

11) विषम बैच के छात्र (वे छात्र जो सत्र पूरा नहीं कर सके) के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी और छात्र को नियमानुसार नियमित बैच के साथ या जूनियर बैच के साथ कक्षा में उपस्थित होना चाहिए।

12) अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु पात्र बनने के लिए, एक छात्र को सभी चार व्यावसायिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए और छह ऐच्छिक में उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटर्नशिप सहित, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) का पूरा पाठ्यक्रम अधिकतम दस वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

13) सैद्धान्तिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों (एम.सी.क्यू.) के लिए दस प्रतिशत अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न (एस.ए.क्यू.) के लिए चालीस प्रतिशत अंक और दीर्घ व्याख्यात्मक उत्तर प्रश्न (एल.ए.क्यू.) के लिए पचास प्रतिशत अंक होंगे और ये प्रश्न विषय को व्यापक रूप से कवर करेंगे।

14) प्रत्येक सैद्धान्तिक परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी।

15) प्रत्येक विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सैद्धांतिक भाग में पचास प्रतिशत और व्यावहारिक भाग में पचास प्रतिशत, जिसमें व्यावहारिक, नैदानिक, मौखिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और चयनात्मक शामिल हैं, जहां भी लागू हो, अलग-अलग होंगे।

16) चयनात्मक का मूल्यांकन : उपस्थिति और मूल्यांकन के संदर्भ में चयनात्मक का मूल्यांकन ग्रेडिंग द्वारा किया जाएगा : -

क) ग्रेडिंग केवल दो चयनात्मक व्यावसायिक सत्र के लिए होगी और ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन के बाद छात्र द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा।

ख) ग्रेडिंग का उल्लेख छात्र के विश्वविद्यालय के अंकपत्र में किया जाएगा।

ग) संस्थान की परीक्षा शाखा छात्रों द्वारा प्राप्त चयनात्मक के ग्रेड को संकलित करेगी और संस्थान के प्रमुख के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी ताकि विश्वविद्यालय इसे छात्र की अंतिम अंकतालिका में जोड़ सके।

17) **चयनात्मक की ग्रेडिंग निम्नानुसार किया जाएगा** :

क) चयनात्मक का मूल्यांकन संसाधन व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा, जिसने चयनात्मक की सामग्री तैयार की है और छात्र का मूल्यांकन किया है।

ख) ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा :

i. समस्या की परिभाषा की गहराई – 15%

ii. किए गए कार्य का विस्तार – 20%

iii. नवोन्मेष – 15%

iv. प्रस्तुति का तार्किक एवं समेकित तरीका – 20%

v. प्राप्त शिक्षण की गुणवत्ता – 20%

vi. लिए गए संदर्भों की पर्याप्तता – 10%

ग) अंतिम ग्रेड निम्नानुसार होंगे:

i. "ए" – उत्कृष्ट (70% से अधिक)

ii. "बी" – अच्छा (60 % से अधिक)

iii. "सी" – औसत (50% के आसपास)

iv. "डी" – औसत से कम (40% के आसपास)

v. "ई" – खराब (40% से कम)

घ) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम पास करने के लिए छात्र को सभी चयनात्मक में न्यूनतम 'सी' ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक होगा।

18) जैसा कि परीक्षा निकाय निर्धारित करे, वह उसी तिथि और समय पर परीक्षा आयोजित करेगा, कर सकता है तथा सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल परीक्षाएं परीक्षा निकाय द्वारा अनुमोदित केंद्र पर आयोजित की जाएंगी।

19) एक वर्ष में एक नियमित परीक्षा तथा एक पूरक परीक्षा होगी तथा अंकपत्र जारी करने सहित नियमित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

20) साठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा और पचहत्तर प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को विषय में विशिष्टता दी जाएगी।

21) पूरक परीक्षाओं के लिए कक्षा और विशिष्टता का पुरस्कार लागू नहीं होगा।

22) किसी परीक्षा में उपस्थित न होने पर, उम्मीदवार को उस परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी।

23) कोई भी डिप्लोमा/डिग्री योग्यता, जो वर्तमान में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973(1973 का 59) की अनुसूची II और अनुसूची III में शामिल है, जहां नामकरण इन विनियमों के अनुरूप नहीं है, इन विनियमों के लागू होने के बाद वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता समाप्त हो जाएगी। हालांकि, यह खंड उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जो इन विनियमों के लागू होने से पहले ही इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं।

24)

क) किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक परीक्षा के किसी भी विषय में बाहरी या आंतरिक परीक्षक या पेपर सेटर या मॉडरेटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) डिग्री प्राप्त करने के लिए अंतिम व्यावसायिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हुआ हो, जब तक कि इसके लिए पहले के समय में उसने पहले तीन वर्ष न लिए हों तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.डी. (होम्यो.) की डिग्री या विशेष रूप से समकक्ष योग्यता शिक्षकों की पात्रता पर आयोग की सिफारिश के अनुसार संबद्ध महाविद्यालय में संबंधित विषय में एक संकाय पद पर विषय योग्यता और कुल शिक्षण के कम से कम तीन साल का अनुभव हो चुका हो।

ख) मेडिकल छात्रों के अध्यापन में लगे गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक जैसे पूर्णकालिक शिक्षक, उनके संबंधित विषय में परीक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित पीजी योग्यता हो और स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद मेडिकल छात्रों को तीन साल का शिक्षण अनुभव हो।

बशर्ते कि परीक्षकों की संख्या का 50 प्रतिशत (आंतरिक और बाहरी) चिकित्सा योग्यता की विधा से होगा।

(ग) एक से अधिक कॉलेज वाले विश्वविद्यालय के लिए, संबंधित कॉलेज के आंतरिक परीक्षकों के साथ, प्रत्येक कॉलेज के परीक्षक के अलग-अलग सेट होंगे।

(घ) ऐसे राज्य में जहां एक से अधिक संबद्ध विश्वविद्यालय मौजूद हैं, बाहरी परीक्षक दूसरे विश्वविद्यालय से होंगे।

(ङ) बाह्य परीक्षकों को 2 वर्ष के अंतराल पर बारी-बारी से कार्य करना होगा।

(च) होम्योपैथिक संस्थान में संबंधित विषय में तीन साल के न्यूनतम शिक्षण अनुभव वाले पूर्णकालिक शिक्षक को उनके विषय में रोटेशन द्वारा आंतरिक / बाहरी परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।

10. विश्वविद्यालय परीक्षा

(1) प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

(क) छात्र को प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उसकी उपस्थिति विनियम 9 के उपबंध (4) के अनुसार और चिकित्सा संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के अनुरूप हो।

(ख) प्रवेश की तारीख से सत्रहवें - अठारहवें महीने के बीच प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) की परीक्षा के संचालन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

(ग) प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा।

(2) द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

(क) किसी भी उम्मीदवार को द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं किया है और विनियम 9 के उप-खंड (4) के अनुसार और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार उपस्थिति आवश्यक है।

(ख) प्रवेश की तिथि से उनतीसवें - तीसवें माह के बीच द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के परीक्षा आयोजन एवं परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए।

(ग) द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा।

(3) तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

क. किसी भी उम्मीदवार को तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं किया हो और विनियम 9 के उप खंड (4) के अनुसार और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की संतुष्टि के अनुरूप उपस्थिति आवश्यक है।

ख. प्रवेश की तारीख से इकतालीसवें से बयालीसवें महीने के बीच तीसरे बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) की परीक्षा संचालन और उसके परिणाम की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

ग. तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को पास करना होगा।

(4) चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा :

क. किसी भी उम्मीदवार को चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लिया है और विनियम 9 के उप खंड (4) के अनुसार और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप उपस्थिति आवश्यक है।

ख. परीक्षा आयोजित करने और तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया, प्रवेश की तारीख से तिरेपनवें-चौवनवें महीने के बीच पूरी की जानी चाहिए।

ग. चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा में "उत्तीर्ण" घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा के सभी विषयों को पास करना होगा।

परिणाम :

(क) परीक्षा निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के परिणाम, परीक्षा की अंतिम तिथि के एक महीने के भीतर प्रकाशित हो जाएं ताकि छात्र प्रवेश के बाद साढ़े पाँच वर्षों में पाठ्यक्रम पूरा कर सकें।

(ख) एक या एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को, उस विषय या उन विषयों में बाद की परीक्षाओं में, फिर से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, यदि उम्मीदवार मूल परीक्षा सहित चार अवसरों के भीतर पूरी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।

(ग) पूर्वगामी नियमों के बावजूद, छात्रों को निम्नलिखित शर्तों पर टर्म रखने की सुविधा दी जाएगी :

(i) उम्मीदवार को द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से कम से कम एक सत्र (छह महीने) पहले, सभी विषयों में प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ii) उम्मीदवार को तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से कम से कम एक सत्र (6 महीने)पहले द्वितीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(iii) उम्मीदवार को चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा में शामिल होने से कम से कम एक सत्र (6 महीने) पहले तृतीय बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(घ) जिस छात्र ने सभी चार प्रयासों को समाप्त करने के बाद भी चार व्यावसायिक परीक्षाओं में से कोई भी उत्तीर्ण नहीं किया है, उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि छात्र की गंभीर व्यक्तिगत बीमारी के मामले में और किसी भी अपरिहार्य परिस्थितियों में, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति चार व्यावसायिक परीक्षाओं में से किसी एक में दो और अवसर प्रदान कर सकते हैं।

(ङ) परीक्षा निकाय असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को सूचित करते हुए अपने द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर सकता है और ऐसे रद्दीकरण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उन विषयों में पुन: परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकता है।

(च) यदि छात्र एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो विश्वविद्यालय या परीक्षा प्राधिकरण के पास अधिकतम दस अंक तक के ग्रेस अंक देने का विवेकाधिकार होगा।

11. मूल्यांकन - छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा-

(1) रचनात्मक मूल्यांकन – बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम सामग्री की समझ और उनके सीखने के परिणाम को निर्धारित करने के लिए छात्रों को कक्षा में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित तरीके से मूल्यांकित किया जाएगा। :-

(क) आवधिक मूल्यांकन व्यावहारिक रूप से और किसी विषय या मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के किसी विशेष भाग के शिक्षण के अंत में किया जाएगा। निम्नलिखित मूल्यांकन पद्धति को सामग्री के लिए उपयुक्त के रूप में अपनाया जा सकता है।

तालिका -7

क्रम संख्या	मूल्यांकन पद्धति
1	2
1.	व्यावहारिक/नैदानिक प्रदर्शन
2.	मौखिक परीक्षा
3.	ओपन बुक टेस्ट (समस्या आधारित)
4.	सारांश लेखन (अनुसंधान पत्र/सार)
5.	कक्षा प्रस्तुतियाँ; वर्क बुक अनुरक्षण
6.	समस्या आधारित असाइनमेंट
7.	ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन (ओ.एस.सी.ई.), ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन (ओ.पी.एस.ई.), मिनी क्लिनिकल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज (मिनी-सी.ई.एक्स.), डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसीजर्स (डी.ओ.पी.), केस बेस्ड डिस्कशन (सी.बी.डी.)
8.	पाठ्येतर गतिविधियाँ, (सामाजिक कार्य, जन जागरूकता, निगरानी / रोकथाम गतिविधियाँ, खेल या अन्य गतिविधियाँ जो विभाग द्वारा तय की जा सकती हैं)।
9.	छोटा प्रोजेक्ट

(ख)

(i) प्रथम बैचलर ऑफ होम्यो(ख)(i) होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम: प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम तीन आवधिक मूल्यांकन होंगे (आमतौर पर 4वें, 9वें और 14वें महीने में) और दो टर्म टेस्ट (आमतौर पर 6वें और 12वें महीने में) और उसके बाद अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा होगी

(ii) द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम: चौथे और नौवें महीने में न्यूनतम दो आवधिक मूल्यांकन और छठे महीने में एक सत्रीय परीक्षा और उसके बाद अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा होगी।

(iii) मूल्यांकन की योजना तथा उनका योग निम्नानुसार दी गई तालिकाओं के अनुरूप होगा। :

तालिका-8

[मूल्यांकन की योजना(रचनात्मक और योगात्मक)]

क्र.सं. (1)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (2)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि (3)			
		पहला टर्म (क)	दूसरा टर्म (ख)	तीसरा टर्म और विश्वविद्यालय की परीक्षा (ग)	
1	प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी. -1	दूसरा पी.ए. तथा दूसरा टी.टी. -2	तीसरा पी.ए.	प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)परीक्षा(एफ.यू.ई.)

		पहला टर्म	**दूसरा टर्म और विश्वविद्यालय की परीक्षा**	
2	द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी. -1	दूसरा पी.ए.	द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा(एफ.यू.ई.)
3	तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी.	दूसरा पी.ए.	तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)परीक्षा(एफ.यू.ई.)
4	चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)	पहला पी.ए. तथा पहला टी.टी.	दूसरा पी.ए.	चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा(एफ.यू.ई.)

पी.ए. : आवधिक मूल्यांकन; टी.टी.: टर्म जाँच; पी.ई. : विश्वविद्यालय-पूर्व परीक्षा

यू.ई.: विश्वविद्यालय परीक्षाएँ, बी.एच.एम.एस. : बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी

(2) **योगात्मक मूल्यांकन –**

(क) प्रत्येक व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)के अंत में आयोजित अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा, योगात्मक मूल्यांकन होगा।

(ख) दोहरी मूल्यांकन प्रणाली होगी और पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(ग) एक सौ अंकों के लिए विश्वविद्यालय की व्यावहारिक/नैदानिक/ मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक (एक आंतरिक और एक बाहरी) होंगे। यह दो सौ अंकों के लिए बढ़कर चार (दो आंतरिक और दो बाहरी) हो जाएगा। दो सौ अंकों की पूरक परीक्षा के दौरान, यदि छात्र पचास से कम हैं, तो एक आंतरिक और एक बाहरी परीक्षक द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकती है, लेकिन यदि छात्र पचास से अधिक हैं, तो चार परीक्षकों की आवश्यकता होती है (दो आंतरिक और दो बाहरी परीक्षक)।

(घ) योगात्मक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करते समय, आंतरिक मूल्यांकन के भाग को तालिका-10, तालिका-12, तालिका-14 और तालिका-16 में दिए गए अंक पैटर्न के वितरण के अनुसार माना जाएगा।.

12. **व्यावसायिक विषय, पत्रों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। : -**

तालिका - 09

प्रथम वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) (3 टर्म)			
विषय	**शिक्षण के घंटों की संख्या**		
	व्याख्यान	**गैर- व्याख्यान**	**कुल**
होम्यो यू.जी.-ओ.एम.-I	180	100	280
होम्यो यू.जी.-ए.एन.	325	330	655
होम्यो यू.जी.-पी.बी.	325	330	655
होम्यो यू.जी.-एच.पी.	100	110	210
होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-I	120	75	195
होम्यो यू.जी.-आर-I	21	-	21
होम्यो यू.जी.-योग-I	-	30	30
कुल योग	**1071**	**975**	**2046**

तालिका – 10

अंक वितरण प्रथम वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)

क्र. सं.	**विषय का कोड**	**पत्र**	**सैद्धांतिक**	**व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन**					**सकल योग**
				व्यावहारिक / नैदानिक	**मौखिक**	**आई.ए.**	**चयनात्मक का ग्रेड**	**समेकित योग**	
1	*होम्यो यू.जी.-ओ.एम. -I*	1	**100**	50	40	10	चयनात्मक-I	100	200
2	*होम्यो यू.जी.-ए.एम.ई.*	2	**200**	100	80	20	चयनात्मक-II	200	400
3	*होम्यो यू.जी.-पी.बी.*	2	**200**	100	80	20		200	400
4	*होम्यो यू.जी.-एच.पी.*	1	**100**	50	40	10		100	200
5	*होम्यो यू.जी.-एच. एम.एम.*	1	**100**	50	40	10		100	200
सकल योग									1400

तालिका -11

द्वितीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) (2 **टर्म**) *शिक्षण के घंटे=1404*				
क्र.सं.	**विषय का कोड**	**शिक्षण के घंटों की संख्या**		
		व्याख्यान	**गैर-व्याख्यान**	**कुल**
1	होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-II	150	30	180
2	होम्यो यू.जी.-ओ.एम.- II	150	30	180
3	होम्यो यू.जी.-आर.- II	50	30	80
4	होम्यो यू.जी.-एफ.एम.टी.	120	50	170
5	होम्यो यू.जी.-पैथ- माइक्रो	200	80	280
7	होम्यो यू.जी.-पी.एम.-I	80	92	172
8	होम्यो यू.जी.-सर्जरी-I	92	60	152
9	होम्यो यू.जी.-ओबीजीवाई -I	100	60	160
10	होम्यो यू.जी.-योग-II	-	30	30
	सकल योग	942	462	1404

तालिका -12

अंक वितरण द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)									
क्र .सं.	**विषय का कोड**	**पत्र**	**सैद्धांतिक**	**व्यावहारिक नैदानिक**	**व्यावहारिक या नैदानिक** (6)				
		(3)	**(4)**	**(5)**	**मौखिक**	**चयनात्मक का ग्रेड (ख)**	**आई.ए.**	**समेकित योग**	**सकल योग (ड)**
(1)	(2)				**(क)**		**(ग)**	**(घ)**	
1.	*होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.*-II	**1**	**100**	**50**	**40**	चयनात्मक I चयनात्मक II	**10**	**100**	**200**
2.	*होम्यो यू.जी.-ओ.एम. -//*	**1**	**100**	**50**	**40**		**10**	**100**	**200**
3.	*होम्यो यू.जी.-एफ.एम.टी. -/*	**1**	**100**	**50**	**40**		**10**	**100**	**200**
4.	*होम्यो यू.जी.-पैथो माइक्रो*	**2**	**200**	**100**	**80**		**20**	**200**	**400**
	सकल योग								**1000**

तालिका -13

तृतीय व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) (2 टर्म) *शिक्षण के घंटे =1404*				
क्र.सं.	विषय का कोड	शिक्षण के घंटों की संख्या		
		व्याख्यान	नैदानिक /व्यावहारिक	कुल
1	होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-III	150	50	200
2	होम्यो यू.जी.-ओ.एम.-III	150	50	200
3	होम्यो यू.जी.-आर.-III	100	50	150
4	होम्यो यू.जी.-पी.एम.-II	120	100	220
5	होम्यो यू.जी.-सर्जरी II	120	100	220
6	होम्यो यू.जी.-ओबीजीवाई II	110	79	189
7	होम्यो यू.जी.-सी.एम.	100	60	160
8	होम्यो यू.जी.-मोड. फार्मे.-I	45	-	45
9	होम्यो यू.जी.-योग-III		20	20
	सकल योग	895	509	1404

तालिका -14

	(तृतीय वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) अंक वितरण)								
क्र.सं. (1)	विषय का कोड (2)	पत्र (3)	सैद्धांतिक (4)		व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन (5)				सकल योग (6)
				व्यावहारिक या नैदानिक (क)	मौखिक (ख)	चयनात्मक का ग्रेड (ग)	आई.ए. (घ)	समेकित योग (ड)	
1	*होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम. -///*	1	100	50	40	चयनात्मक I -	10	100	200
2	*होम्यो यू.जी.-ओ.एम.*-III	2	200	100	80		20	200	400
3	*होम्यो यू.जी.-आर..-///*	1	100	50	40	चयनात्मक II-	10	100	200
4	*होम्यो यू.जी.-सर्जरी//*	2	200	100	80		20	200	400
5	*होम्यो यू.जी.-*ओबीजीवाई.//	2	200	100	80		20	200	400
6	*होम्यो यू.जी.-सी.एम.*	1	100	50	40		10	200	200
	सकल योग								1800

तालिका -15

चतुर्थ व्यावसायिक वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) (2 टर्म) शिक्षण के घंटे =1404				
क्र.सं. (1)	विषय का कोड(2)	शिक्षण के घंटों की संख्या (3)		
		व्याख्यान (क)	गैर-व्याख्यान (ख)	सकल योग (ग)
1	होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम.-IV	200	83	283
2	होम्यो यू.जी.-ओ.आर.जी. -IV	100	75	175
3	होम्यो यू.जी.-आर. -IV	60	120	180
4	होम्यो यू.जी.-पी.एम. -III	300	300	600
5	होम्यो यू.जी.-सी.एम. II आर.एम.-स्टेट. सहित	71	75	146
6	होम्यो यू.जी.-योग-II	-	20	20
	कुल	731	673	
			सकल योग	**1404**

तालिका -16

(चतुर्थ वर्ष बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) अंक वितरण)								
क्र.सं. (1)	विषय का कोड (2)	पत्र (3)	सैद्धांतिक(4)	व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन (5)				सकल योग (6)
				व्यावहारिक या नैदानिक (क)	मौखिक (ख)	आई.ए. (ग)	समेकित योग (घ)	
1	होम्यो यू.जी.-एच.एम.एम. -IV	2	200	100	80	20	200	400
2	होम्यो यू.जी.-ओ.आर.जी.-IV	1	100	50	40	10	100	200
3	होम्यो यू.जी.-आर.-IV	1	100	50	40	10	100	200
4	होम्यो यू.जी.-पी.एम.-III	3	300	100	80	20	200	500
5	होम्यो यू.जी.-सी.एम.-आर.एम.-स्टेट	1	100	50	40	10	200	200
6	होम्यो यू.जी.-फार्मेकोलॉजी की विशिष्टताएँ	1	50		40	10	50	100
	सकल योग							**1600**

13. **अध्ययन के दौरान छात्रों का प्रव्रजन** : -

(1) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र को दूसरे कॉलेज में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रव्रजन की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इन परीक्षाओं में असफल छात्र के स्थानांतरण और मध्यावधि प्रव्रजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रव्रजन के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय दोनों के सिद्धांतों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा यह रिक्त सीट के विरुद्ध होगा।

(3) एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में प्रव्रजन किसी छात्र का अधिकार नहीं है।

(4) होम्योपैथिक कॉलेज से भारत में दूसरे होम्योपैथिक कॉलेज में छात्रों के प्रव्रजन पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर केवल असाधारण मामलों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित मानदंड पूरे हों तथा अन्य आधारों पर नियमित प्रव्रजन की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(क) दोनों कॉलेज, अर्थात एक जिसमें छात्र वर्तमान में पढ़ रहा है और एक जिसमें प्रव्रजन की मांग की गई है, को आयोग के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

(ख) प्रव्रजन के लिए, आवेदक अपना आवेदन फार्म-3 (नीचे अनुबंध-VI में) सभी प्रकार से पूर्ण करके, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रथम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने (परिणाम की घोषणा) के एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(ग) आवेदक को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वह स्थानांतरित होने वाले कॉलेज, जिसमें वह स्थानांतरण की मांग कर रहा है, में दूसरी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी व्यावसायिक परीक्षा में बैठने से पहले बारह महीने निर्धारित अध्ययन करेगा, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा और शपथपत्र मिलने के बाद ही स्थानांतरण प्रभावी होगा।

(घ) इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर प्रव्रजन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इस तरह के प्रव्रजन की अनुमति केवल संबंधित कॉलेजों की आपसी सहमति से दी जाएगी, जहां दोनों कॉलेज, यानी एक जहां छात्र वर्तमान में पढ़ रहा है और एक जहाँ पर प्रव्रजन मांगा गया है उसे आयोग के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है।

(5) प्रव्रजन के लिए सभी आवेदन कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को भेजे जाएंगे। कोई भी संस्था या विश्वविद्यालय आयोग की स्वीकृति के बिना सीधे प्रव्रजन की अनुमति नहीं देगा।

(6) आयोग निम्नलिखित अनुकंपा आधारों के अलावा किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो निम्नलिखित हैं : -

(क) सहायक अभिभावक की मृत्यु;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा प्रमाणित चिकित्सा आधार द्वारा समर्थित विकलांगता का कारण बनने वाले उम्मीदवार की बीमारी;

(ग) उस क्षेत्र में जहां कॉलेज स्थित है, संबंधित सरकार द्वारा घोषित अशांत स्थिति।

(7) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन करने वाला विद्यार्थी 'प्रारूप-3' में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से आवेदन करेगा।

14. अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप प्रशिक्षण - निम्नानुसार अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप प्रशिक्षण होंगे :-

(1)

(क) प्रत्येक उम्मीदवार को चौथे बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा पास करने के एक वर्ष के भीतर इंटर्नशिप ओरिएंटेशन और फिनिशिंग पाठ्यक्रम सहित अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप से गुजरना होगा।

(ख) नियमित बैच के छात्रों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम आमतौर पर अप्रैल के पहले कार्य दिवस और पूरक बैच के छात्रों के लिए सितंबर के पहले कार्य दिवस से शुरू होगा।

(ग) छात्र छह चयनात्मक सहित पहली से चौथी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा में, सभी विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद और संबंधित विश्वविद्यालयों से अनंतिम डिग्री प्रमाणपत्र और संबंधित राज्य बोर्ड या अनिवार्य रोटरी इंटर्नशिप काउंसिल से अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनिवार्य इंटर्नशिप पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

(2) इंटर्नशिप के दौरान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के संस्थानों और सभी निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों से संबंधित इंटर्न संबंधित सरकार के तहत अन्य चिकित्सा प्रणालियों के बराबर छात्रवृति पाने के पात्र होंगे और चिकित्सा प्रणालियों के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

(3)

(क) इंटर्नशिप के दौरान प्रव्रजन कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों की सहमति से होगा; ऐसे मामले में जहां प्रव्रजन दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के बीच है।

(ख) यदि प्रव्रजन केवल एक ही विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के बीच है तो दोनों महाविद्यालयों की सहमति आवश्यक होगी।

(ग) संस्थान या कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' के साथ अग्रेषित आवेदन प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रव्रजन स्वीकार किया जाएगा।

(4) उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इंटर्नशिप के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का परिचय देना है।

(क) सभी इंटर्न इंटर्नशिप के संबंध में एक उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे और इंटर्नशिप शुरू होने से पहले उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी।

(ख) उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन इस आशय से किया जाएगा कि इंटर्न को निम्नलिखित के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त हो सके:

(i) चिकित्सा पद्धति और पेशे के नियम और विनियम,

(ii) चिकित्सा नैतिकता,

(iii) चिकित्सा के कानूनी पहलू,

(iv) चिकित्सा के रिकार्ड,

(v) चिकित्सा बीमा,

(vi) चिकित्सा प्रमाणन,

(vii) संचार कौशल,

(viii) आचरण और शिष्टाचार,

(ix) राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य देखभाल पाठ्यक्रम।

(x) परियोजना कार्य

(ग) इंटर्नशिप की शुरुआत में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक इंटर्न द्वारा एक ई-लॉग बुक का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें इंटर्न उन्मुखीकरण के दौरान उसके द्वारा की गई गतिविधियों का दिनांक-वार विवरण दर्ज करेगा।

(घ) उन्मुखीकरण की अवधि इंटर्नशिप शुरू होने की तारीख से तीन दिन पहले की होगी।

(ङ) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उन्मुखीकरण के संचालन के लिए मैनुअल का पालन किया जाएगा।

(5)

(क) इंटर्नशिप के पूरा होने पर तीन दिनों के लिए एक समापक पाठ्यक्रम होगा।

(ख) यह पाठ्यक्रम इंटर्न के लिए बनाया गया है और इसमें तीन दिनों की अवधि में विस्तारित दस सत्र शामिल होंगे। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों और आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, इस बारे में इंटर्न को जानकारी देना है।

(ग) इस प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद छात्र निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे

(i) डिग्री पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों की सूची बनाना।

(ii) अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करना;

(iii) अपनी पसंद का पेशा चुनना;

(iv) एक सफल पेशेवर बनने के लिए, पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की गणना करना;

(v) पेशे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण प्रदर्शित करना;

(vi) संचार, समस्या समाधान, लेखन, टीम निर्माण, समय प्रबंधन, निर्णय लेने आदि में बेहतर कौशल प्रदर्शित करना।;

(vii) नैतिक और पेशेवर मूल्यों का प्रदर्शन करना और एक दयालु और देखभाल करने वाला नागरिक/पेशेवर बनना।

(6) समापक कार्यक्रम निम्नानुसार होंगे :

क) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद नौकरी के अवसर

ख) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद भारत और विदेशों में अध्ययन के अवसर

ग) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उद्यमिता के अवसर

घ) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद अनुसंधान के अवसर

ङ) पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद लोक सेवा के अवसर

च) प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता

छ) सही विकल्प चुनने के लिए आत्म विश्लेषण

ज) साक्षात्कार कौशल, नेतृत्व कौशल, लेखन कौशल, समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल सहित पारस्परिक और मधुर कौशल का निर्माण

झ) पेशे से संबंधित प्रमाण पत्र लेखन और नुस्खे लेखन और चिकित्सा-कानूनी मुद्दे

ञ) स्थापना और अध्ययन के लिए उपलब्ध ऋण सहायता और अन्य छात्रवृत्ति सुविधाएं

ट) इंटर्नशिप के सफल समापन के बाद नैतिक / व्यावसायिक और सामाजिक जिम्मेदारियां

(7) इंटर्नशिप के दौरान क्रियाकलापों में नैदानिक कार्य तथा परियोजना कार्य शामिल रहेंगे।

(क) (i) ओपीडी/कॉलेज अस्पताल/एमओयू अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी मेडिसिन के किसी भी सरकारी या एन.ए.बी.एच. (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) होम्योपैथी के निजी अस्पताल से मान्यता प्राप्त अस्पताल में नैदानिक कार्य।

(ii) इंटर्न के दैनिक कार्य घंटे आठ घंटे से कम नहीं होंगे; इंटर्न को एक ई-लॉग बुक/लॉग बुक का रखरखाव करना होगा जिसमें इंटर्नशिप के दौरान उसके द्वारा की गई सभी गतिविधियां शामिल हों।

(iii) चिकित्सा संस्थान इंटर्नशिप पूरी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करेगा और इसे कॉलेज / संस्थान की विवरण-पुस्तिका में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

क) विकल्प I, कॉलेज से जुड़े होम्योपैथी अस्पताल में दस महीने के नैदानिक प्रशिक्षण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी चिकित्सा के किसी भी सरकारी अस्पताल या एन.ए.बी.एच. (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त होम्योपैथी के निजी अस्पताल में दो महीने के नैदानिक प्रशिक्षण में विभाजित होगा।

i. प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित में से किसी भी केंद्र में तैनात किया जाएगा जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और ये पोस्टिंग उन्मुखीकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के ज्ञान से परिचित होने के लिए निम्नलिखित के संबंध में होगी,-

क. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;

ख. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल;

ग. कोई भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित होम्योपैथी अस्पताल या डिस्पेंसरी;

घ. होम्योपैथी में केंद्रीय अनुसंधान परिषद की एक नैदानिक इकाई/अस्पताल में।

ii. क्लॉज (क) से (घ) में उल्लिखित उपरोक्त सभी संस्थानों को इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

iii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी अस्पताल या औषधालय के किसी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल में दो महीने के इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान, इंटर्न को निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा :

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दिनचर्या एवं उनके अभिलेखों के रख-रखाव से परिचित होना;

(2) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित बीमारियों और उनके प्रबंधन से परिचित होना;

(3) ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य देखभाल विधियों के शिक्षण और विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल करना;

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा या गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के नियमित कामकाज से परिचित हों और इस अवधि में हमेशा कर्मचारियों के संपर्क में रहना;

(5) अनुसंधान योग्यता विकसित करना;

(6) संबंधित रजिस्टर जैसे दैनिक रोगी रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, सर्जिकल रजिस्टर आदि के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं या कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी लेना;

(7) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

iv. इंटर्न द्वारा पी.एच.सी./सी.एच.सी./डिस्पेंसरी में दो महीने के दौरान उनकी पोस्टिंग के अनुसार उपस्थिति का रिकॉर्ड अनुरक्षित किया जाना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी/उप चिकित्सा अधीक्षक/अनुसंधान अधिकारी/रेसिडेंट मेडिकल ऑफीसर(आर.एम.ओ.) /संकाय/आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जहां छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और मासिक आधार पर कॉलेज के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

ख) विकल्प II, चिकित्सा संस्थान से जुड़े होम्योपैथी अस्पताल में पूरे बारह महीने की होगी और इंटर्न द्वारा कॉलेज से जुड़े अस्पताल में बारह महीनों के दौरान उनकी पोस्टिंग के अनुसार उपस्थिति का रिकॉर्ड अनुरक्षित किया जाना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी/उप चिकित्सा अधीक्षक/अनुसंधान अधिकारी/आर.एम.ओ./संकाय/आउटपेशेंट विभाग(ओ.पी.डी.) प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जहां इंटर्न प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और मासिक आधार पर कॉलेज के डीन/प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तुत और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ख) विकल्प I और विकल्प II में पोस्टिंग के दौरान नैदानिक कार्य का विभाजन। इंटर्नशिप के दौरान नैदानिक कार्य निम्नलिखित तालिक के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे :

तालिका-17

(इंटर्नशिप की अवधि का वितरण)			
क्र.सं.	**विभाग**	**विकल्प I**	**विकल्प II**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मनोचिकित्सा और योग, त्वचाविज्ञान, और संबंधित विशिष्टताओं और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग सहित चिकित्सा आउटपेशेंट विभाग का अभ्यास	2 महीने	3 महीने
2.	ओ.टी. सहित सर्जरी आउटपेशेंट विभाग, संबंधित विशेषता और नेत्र विज्ञान, कान नाक और गला(ई.एन.टी.) और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग	2 महीने	2 महीने

3.	स्त्री रोग और प्रसूति आउटपेशेंट विभाग, ऑपरेशन थियेटर सहित संबंधित विशेषता, और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग	2 महीने	2 महीने
4.	नियोनटल इंटेंसिव केयर यूनिट, और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग सहित बाल चिकित्सा आउटपेशेंट विभाग से संबंधित विशेषज्ञता	1 महीना	2 महीने
5.	सामुदायिक चिकित्सा आउटपेशेंट विभाग, ग्रामीण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/एम.सी.एच. और इनपेशेंट विभाग के संबंधित अनुभाग सहित संबंधित विशेषज्ञता	2 महीने	2 महीने
6.	दुर्घटना	1 महीना	1 महीना
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद का अनुसंधान संस्थान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल या एन.ए.बी.एच. (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त होम्योपैथी का निजी अस्पताल	2 महीने	

(ग) इंटर्न कॉलेज से जुड़े अस्पताल में संबंधित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियां करेगा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं : -

(1) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से निम्नलिखित से निपटने के लिए परिचित करने और उसे सक्षम बनाने के लिए चिकित्सा अभ्यास में निम्नानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा : -

(क) रोगियों के मामले लेने, जांच, निदान और होम्योपैथिक दवा के साथ उनके प्रबंधन जैसे सभी नियमित कार्य;

(ख) दैनिक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कार्य जैसे हीमोग्लोबिन का आकलन, संपूर्ण हेमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों की सूक्ष्म जांच, थूक की जांच, स्टूल की जांच, प्रयोगशाला आँकड़ों की व्याख्या और क्लिनिकल निष्कर्ष और एक निदान पर पहुंचना और सभी पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जांच के लिए उपयोगी विभिन्न रोग स्थितियों की निगरानी करना;

(ग) नियमित वार्ड कार्यविधियों में प्रशिक्षण और रोगियों के आहार, आदतों और दवा अनुसूची के सत्यापन के संबंध में पर्यवेक्षण।

(2) इंटर्न को व्यवहारिक रूप से सर्जरी से परिचित होने और उससे निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा :-

(क) होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य सर्जिकल विकारों का नैदानिक परीक्षण, निदान और होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करते हुए उनका प्रबंधन;

(ख) फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन, तीव्र पेटदर्द जैसी कुछ सर्जिकल आपात स्थितियों का प्रबंधन;

(ग) इंटर्न प्री-ऑपरेटिव और पोस्टऑपरेटिव मैनेजमेंट में शामिल होंगे;

(घ) कान, नाक, गला, दंत समस्याओं, नेत्र संबंधी समस्याओं में सर्जिकल प्रक्रियाएं;

(ङ) बाह्य रोगी विभाग में सहायक उपकरणों के साथ आँख, कान, नाक, गला और अपवर्तक त्रुटि की परीक्षा; तथा

(च) सेप्टिक और एंटीसेप्टिक तकनीक, नसबंदी का व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(छ) स्थानीय एनेस्थेटिक तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग और एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग;

(ज) रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाएं, एक्स-रे की नैदानिक व्याख्या, इंट्रा वेनस पाइलोग्राम, बेरियम मील, सोनोग्राफी और इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम;

(झ) सर्जिकल प्रक्रियाएं और नियमित वार्ड तकनीक जैसे -

(i) ताजा चोटों की टांके लगाना;

(ii) घाव, जलन, अल्सर और इसी तरह की बीमारियों की ड्रेसिंग;

(iii) फोड़े का चीरा और जल निकासी;

(iv) सिस्ट को छांटना और;

(v) वेनसेक्शन;

(3) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से स्त्री रोग और प्रसूति से निपटने के लिए परिचित करने और उसे सक्षम बनाने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा :-

(क) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर समस्याएं और उनके उपचार, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल;

(ख) सामान्य और असामान्य प्रसव का प्रबंधन;

(ग) छोटी और बड़ी प्रसूति शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं;

(घ) सभी नियमित कार्य जैसे मामले लेना, जांच, निदान और सामान्य स्त्रीरोग संबंधी स्थितियों का होम्योपैथिक दवा के साथ प्रबंधन;

(ङ) महिलाओं में सामान्य कार्सिनोमाटस स्थितियों की जांच।

(4) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह बाल चिकित्सा से परिचित हो सके और अपने आपको उसमें सक्षम बना सके, अर्थात् :-

(क) टीकाकरण पाठ्यक्रम के साथ-साथ नवजात शिशुओं की देखभाल;

(ख) महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा समस्याएं और उनका होम्योपैथिक प्रबंधन;

(5) इंटर्न को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह सामुदायिक चिकित्सा से परिचित हो सके और अपने आपको उसमें सक्षम बना सके, अर्थात् :-

(क) पोषण संबंधी विकार, टीकाकरण, संक्रामक रोगों के प्रबंधन आदि सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण का पाठ्यक्रम;

(ख) परिवार कल्याण योजना पाठ्यक्रम;

(ग) सभी स्तरों पर केंद्र सरकार के सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पाठ्यक्रम

(घ) महामारी / स्थानिक / महामारी रोगों के मामलों में होम्योपैथिक प्रोफिलैक्सिस और प्रबंधन।

(6) (क) इंटर्न को सभी आपातकालीन स्थितियों से परिचित होने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और हताहत और आघात के मामलों की पहचान और उनके प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल के हताहत अनुभाग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए और ऐसे मामलों को चिन्हित अस्पतालों को भेजने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ख) प्रोजेक्ट कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :-

क) प्रत्येक इंटर्न बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) IV में प्राप्त अनुसंधान पद्धति और जैवसांख्यिकी के ज्ञान का उपयोग करते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू करेगा।

ख) इंटर्नशिप के पहले महीने के भीतर विषय (नैदानिक/समुदाय/शिक्षा) के शीर्षक का चयन करना इंटर्न की जिम्मेदारी होगी और वह इसके बारे में प्रिंसिपल द्वारा आवंटित गाइड/मेंटर को सूचित करेगा।

ग) प्रोजेक्ट तीन चरणों, योजना (तीन महीने), डेटा संग्रह (तीन महीने) और अंतिम रूप देने और लिखने (तीन महीने) के माध्यम से चलेगी।

घ) लेखन अनुसंधान पद्धति पर पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले प्रारूप के अनुसार होगा और न्यूनतम एक हजार पांच सौ शब्दों का होगा। इसे टाइप किया जाएगा और स्पाइरल बॉन्ड फॉर्म के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी जमा किया जाएगा।

ङ) प्रोजेक्ट बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) IV छात्रों के लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ समाप्त होगा।

च) प्राचार्य प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के लिए एक शिक्षक को नियुक्त करेंगे जो निम्नलिखित के संबंध में होगा :

i. विचार की मौलिकता

ii. विचारों और डिजाइनों को तैयार करने में वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया गया

iii. विश्लेषण

iv. परिणाम और निष्कर्ष

v. लेखन के गुण

vi. ग्रेड ए (70% और अधिक), बी (60 - 70%), सी (50-60%) और डी (50% से कम) तक होंगे।

(ग) प्रोजेक्ट का शीर्षक और प्राप्त ग्रेड बताते हुए इंटर्न को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(15) **ईलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक/लॉगबुक -**

(i) एक इंटर्न के लिए निर्दिष्ट ई-लॉगबुक/लॉगबुक में दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई/सहायता/देखी गई प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड का अनुरक्षण अनिवार्य होगा और इंटर्न काम का एक रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा, जो कि चिकित्सा अधिकारी या यूनिट या विभाग के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके तहत वह काम करता है।

(ii) इंटर्नशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में डीन/प्रिंसिपल/निदेशक को संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित ई-लॉगबुक/लॉगबुक प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, इंटर्नशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के किसी भी या सभी विषयों में उसके प्रदर्शन को रद्द किया जा सकता है।

(iii) संस्था पूर्ण और प्रमाणित लॉग बुक/लॉगबुक की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखेगी और सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(16) **इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का मूल्यांकन –**

(1) मूल्यांकन प्रणाली, इस उद्देश्य के साथ सूचीबद्ध प्रक्रियाओं की न्यूनतम संख्या का प्रदर्शन करते हुए एक इंटर्न के कौशल का आकलन करेगी ताकि इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सीखने से इंटर्न अपने वास्तविक अभ्यास में इसे संचालित करने में सक्षम होंगे।

(2) प्रत्येक पोस्टिंग के अंत में संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को फॉर्म -1 में जमा की जाएगी।

(3) प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने सहित अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप का एक वर्ष पूरा होने पर, संस्थान के प्रमुख संबंधित पोस्टिंग के अंत में विभाग प्रमुख द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित फॉर्म -1 में सभी मूल्यांकन रिपोर्टों का आकलन करेंगे और यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो इंटर्न को सात कार्य दिवसों के भीतर फॉर्म-2 में इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(4) यदि फॉर्म-2 के अनुसार, किसी भी विभाग में मूल्यांकन में पंद्रह अंक से कम या पचास प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर किसी इंटर्न के प्रदर्शन को असंतोषजनक घोषित किया जाता है, तो उसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण और पोस्टिंग में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत की अवधि के लिए संबंधित विभाग में पोस्टिंग दोबारा करना आवश्यक होगा।

(5) इंटर्न को अपने मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, संबंधित विभाग के प्रमुख और संस्थान के प्रमुख को अलग से मूल्यांकन के संचालन और अंक प्रदान करने के, किसी भी आयाम के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, और ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, संस्था के प्रमुख संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से सात कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से शिकायत का निवारण और निपटान करेंगे।

(17) **इंटर्न के लिए अवकाश -**

(i) एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के दौरान पंद्रह दिनों के अवकाश की अनुमति है।

(ii) पंद्रह दिनों से अधिक की किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

(18) **इंटर्नशिप की पूर्णता :** (1) यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इंटर्नशिप शुरू करने या इंटर्नशिप के दौरान ब्रेक लेने में कोई देरी होती है, तो ऐसे मामलों में, इंटर्नशिप की अवधि चतुर्थ (अंतिम) प्रोफेशनल बी.एच.एम.एस.योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से अधिकतम 24 महीने के भीतर पूरी की जाएगी तथा ऐसे मामलों में, छात्र संस्थान के प्रमुख से लिखित रूप में सभी सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्व अनुमति लेगा

(2) अनुमति पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों की जांच करने और अनुरोध की वास्तविक प्रकृति का आकलन करने के लिए संस्था / कॉलेज के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी;

(3) इंटर्नशिप में फिर से शामिल होने के दौरान, छात्र को सहायक दस्तावेजों और अपने आवेदन के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र जमा करना होगा।

(19) **शैक्षणिक कैलेंडर**: विश्वविद्यालय, संस्थान/कॉलेज इन विनियमों में अनुलग्नक II में निर्दिष्ट अस्थायी शैक्षणिक कैलेंडर के टेम्पलेट के अनुसार एक विशेष बैच का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे छात्रों को परिचालित किया जाएगा, संबंधित वेबसाइटों पर होस्ट किया जाएगा और तदनुसार पालन किया जाएगा।

(20) **ट्यूशन शुल्क** - संबंधित राज्य शुल्क विनियमन समिति द्वारा नियत किए गए और निर्धारित ट्यूशन शुल्क के रूप में, केवल साढ़े चार साल की अध्ययन अवधि के लिए शुल्क लिया जाएगा और परीक्षा (परीक्षाओं) में अनुत्तीर्ण होने के मामले में, अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी अन्य कारण से और उसी संस्थान में इंटर्नशिप करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, (होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड)

[विज्ञापन-III/4/असा./453/2022-23]

परिशिष्ट-ए

(विनियम 5 का उप-विनियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (जेड.सी.) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट विकलांगता" से संबंधित अनुसूची निम्नानुसार प्रदान करती है:-

1. शारीरिक विकलांगता -

(*क*) लोकोमोटर विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं गतिशीलता से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की अक्षमता), सहित -

(i) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है, लेकिन इससे पीड़ित है -

क) हाथों या पैरों में सनसनी की हानि के साथ-साथ, संवेदना की हानि और आँख और पलक में पक्षाघात लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;

ख) प्रकट विकृति और पक्षाघात लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना, ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अधिक आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग ठीक" तदनुसार माना जाएगा।

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिशीलता और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है।

(iii) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है।

(iv) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह है जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गायब जानकारी होती है, जो उन्हें मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकता है। यह कंकाल की मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है।

(v) "एसिड अटैक विक्टिम" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंककर हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(*ख*) **दृश्य हानि -**

(i) "अंधापन" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति के पास सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

क) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, या

ख) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम दृश्य तीक्ष्णता, या

ग) 10 डिग्री से कम के कोण को अंतरित करने वाले दृष्टि क्षेत्र की सीमा।

(ii) "कम दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात् :-

क) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक बेहतर संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में; या

ख) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक अंतरित करना।

(*ग*) **श्रवण बाधित -**

(i) "बधिर" का अर्थ दोनों कानों में स्पीच आवृत्तियों में 70 डी.बी. श्रवण हानि वाले व्यक्तियों से है;

(ii) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है दोनों कानों में स्पीच आवृत्तियों में 60 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति

(*घ*) "बोली और भाषा अक्षमता" का अर्थ जैविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों से बोली और भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करने वाली लेरिंजेक्टॉमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता है;

(*ङ*) बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखने, समस्या को हल करने) और मूल व्यवहार, जिसमें हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं, दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की स्थिति द्वारा पारिभाषित होती है -

(i) "सीखने की विशिष्ट अक्षमता" का अर्थ परिस्थितियों का एक विषम समूह है जिसमें भाषा, बोली जाने वाली या लिखित प्रसंस्करण में कमी है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमताओं, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(ii) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में प्रकट होती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

2. "मानसिक बीमारी" का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से क्षीण करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के रुके हुए या अधूरे विकास के कारण, एक उतपन्न स्थिति है,

3. निम्नलिखित के कारण हुई विकलांगता -

(*क*) **पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे -**

(i) "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक इनफ्लेमेटरी, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी, अनिश्चित गति से चिह्नित होता है, मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है जो मस्तिष्क के बेसल गैन्गिलया के डीजनरेशन और मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन कमी से जुड़े होते हैं।

(*ख*) **रक्त विकार -**

(i) "हीमोफिलिया" का अर्थ एक विरासत में मिली बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की सामान्य थक्का बनाने की क्षमता के नुकसान या हानि की विशेषता होती है, ताकि एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सके,

(ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ विरासत में मिले विकारों के एक समूह से है जो हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति की विशेषता परिलक्षित करता है।

(iii) "सिकल सेल डिजीज" का अर्थ है हेमोलिटिक डिसऑर्डर जो क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है। "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन रिलीज होता है।

4. बधिर, अंधापन सहित बहु विकलांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक), जिसका अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति में श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

5. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी।

परिशिष्ट -बी

(विनियम 5 का उप-विनियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत "निर्दिष्ट विकलांगता" के साथ छात्रों के बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) में प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश।

1. "विकलांगता का प्रमाण पत्र" विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. किसी व्यक्ति में "निर्दिष्ट विकलांगता" की सीमा का मूल्यांकन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित संख्या एस.ओ. 76 (ई), दिनांक 4 जनवरी, 2018 के तहत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से" दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

3. निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बेंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।

4. 'शारीरिक रूप से विकलांग' (पी.एच.) शब्द के स्थान पर 'विकलांग व्यक्ति' (पी.डब्ल्यू.डी.) शब्द का प्रयोग किया जाना है।

तालिका-18

क्र.सं.	अक्षमता की कोटि	अक्षमता का प्रकार	विशिष्ट अक्षमता	अक्षमता का विस्तार		
				(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए योग्य, पी.डब्ल्यू.डी. कोटा के लिए अयोग्य	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस .) पाठ्यक्रम के लिए योग्य, पी.डब्ल्यू.डी. कोटा के लिए योग्य	पाठ्यक्रम के लिए अयोग्य

1.	शारीरिक अक्षमता	(क) विशिष्ट अक्षमताओं सहित लोकोमोटर अक्षमता (ए से एफ)	(क) लेप्रोसी से ठीक हुआ व्यक्ति*	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता- 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी अक्षमता का कार्य सहायक उपकरणों की सहायता करेगा, यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, यह देखने के लिए कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ाने और सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता पर्याप्त मोटर है।	80% से अधिक विकलांगता
			(ख) सेरेब्रल पाल्सी**			
			(ग) बौनापन			
			(घ) मस्कुलर डिस्ट्रोफी			
			(ङ) एसिड अटैक के शिकार			
			(च) अन्य* ** जैसे कि एम्पुटेशन, पोलियोमीलिटिस , आदि।			

			* उंगलियों और हाथों में संवेदनाओं के नुकसान, विच्छेदन, साथ ही आंखों की भागीदारी और संबंधित सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ** दृष्टि, श्रवण, संज्ञानात्मक कार्य आदि की हानि पर ध्यान दिया जाना चाहिए और संबंधित सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। *** बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम के लिए योग्य माने जाने के लिए दोनों हाथ बरकरार हैं, बरकरार संवेदनाओं के साथ, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा आवश्यक है।			
		(ख) दृश्य हानि (*)	(क) अंधापन (ख) कम दृष्टि	40% से कम विकलांगता(जैसे कोटि ‘ ओ (10%)’ I(20%)’ & II (30%)		40% के बराबर या अधिक विकलांगता (जैसे कि कोटि III तथा उपर)
		(ग) श्रवण हानि@	(क) बहरापन (ख) ऊँचा सुनना	40% से कम विकलांगता		40% के बराबर या अधिक विकलांगता
			(*)40% से अधिक दृष्टिबाधित/दृश्य निःशक्तता वाले व्यक्तियों को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी दृश्य विकलांगता को उन्नत कम दृष्टि वाले उपकरण जैसे दूरबीन / आवर्धक की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाता है। @ 40% से अधिक श्रवण अक्षमता वाले व्यक्तियों को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते कि श्रवण अक्षमता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाता है। इसके अलावा, व्यक्ति का स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 60% से अधिक होना चाहिए।			
		(घ) बोली तथा भाषा अक्षमता	ऑर्गेनिक/न्यूरोलॉजिकल कारण	40% से कम विकलांगता		40% के बराबर या अधिक विकलांगता

		बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, स्पीट इंटीलेजिबिलिटी अफेक्टेड (एस.आई.ए.) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए पात्र होने के लिए (जो 40% से कम के अनुरूप होगा)। इस स्कोर से परे व्यक्ति बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक अफासिया क्वोटेंट(ए.क्यू.) वाले व्यक्ति बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए पात्र हो सकते हैं। लेकिन इससे परे वे न तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र होंगे और न ही उनके लिए कोई आरक्षण होगा।

2.	बौद्धिक अक्षमता		(क) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्क्लेकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात) #	# वर्तमान समय में एस.एल.डी. की गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई मापक पैमाना उपलब्ध नहीं है, इसलिए 40% का कट-ऑफ पक्षपातपूर्ण है और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।		
				40% से कम विकलांगता	40% विकलांगता के बराबर या उससे अधिक लेकिन चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपचारात्मक/सहायक प्रौद्योगिकी/सहायता/ ढांचागत परिवर्तन की मदद से मूल्यांकन की गई सीखने की क्षमता पर आधारित होगा।	
			(ख) आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार	अनुपस्थित या मामूली अक्षमता, सिंड्रोम के अनुसार(आई.एस.ए.ए. के अनुसार 40-60% अक्षमता) जहाँ व्यक्ति को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा योग्य माना जाता है।	वर्तमान समय में, वस्तुनिष्ठ विधि की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है। हालांकि, विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीके विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता के बराबर या उससे अधिक और/या यदि व्यक्ति को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा अयोग्य माना जाता है।

3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक बीमारी	अनुपस्थित या मामूली विकलांगता : 40% से कम (आई.डी.ई.ए.एस. के तहत्)	वर्तमान समय में, मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा को स्थापित करने के लिए वस्तुनिष्ठ विधि की कमी के कारण इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि, विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीके विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या उससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने में अयोग्य माना जाता है। "दवा अभ्यास करने के लिए फिटनेस" के लिए मानकों का मसौदा तैयार किया जा सकता है।

4.	के कारण हुई विकलांगता	(ए) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां	(i) मल्टीपल स्क्लेरोसिस	40% से कम विकलांगता	40%80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			(ii) पार्किंसनिज्म			
		(बी) रक्त विकार	(i) हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40%80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			(ii) थैलेसीमिया			
			(iii) सिकल सेल रोग			
5.	बहरापन अंधापन सहित कई विकलांगता		उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक	उपरोक्त में से किसी की उपस्थिति के संबंध में, व्यक्तिगत मामलों में सिफारिशों पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सभी पर विचार करना चाहिए, अर्थात् दृश्य, श्रवण, बोली और भाषा की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, और कई अक्षमताओं के घटक के रूप में मानसिक बीमारी। भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजन फार्मूला: $\frac{a+b\ (90-a)}{90}$ (जहाँ विभिन्न अक्षमताओं के लिए a = अक्षमता% का अत्यधिक मान तथा b = अक्षमता% का निम्नतर मान) अनुशंषित है। जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक अक्षमता की स्थिति मौजूद हो, तो विकलांगता की गणना के लिए। इस फॉर्मूले का उपयोग कई विकलांगता वाले		

				मामलों में किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति में मौजूद विशिष्ट विकलांगता के अनुसार प्रवेश और/या आरक्षण के संबंध में सिफारिशें की जा सकती हैं।

टिप्पणी 1 : पी.डब्ल्यू.डी. श्रेणी के तहत चयन के लिए, उम्मीदवारों को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा नामित विकलांगता मूल्यांकन बोर्डों में से एक से काउंसलिंग की निर्धारित तिथि से पहले विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2 : यदि किसी विशेष श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जाती हैं, तो सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

अनुलग्नक -I

फाउंडेशन पाठ्यक्रम

(विनियम 7 के उप-विनियम 1 का खंड (ख) देखें)

पृष्ठभूमि

भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के लिए नए प्रवेशकों को एक बुनियादी दार्शनिक अभिविन्यास, एक एकीकृत और समग्र तरीके से सोचने की आवश्यकता, बेडसाइड पर एक टीम में कार्य करने की क्षमता और जीवन भर सीखने के पैटर्न में कुछ जोड़ते रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। होम्योपैथी, हालांकि 225 वर्ष से अधिक पुरानी है, एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में अपेक्षाकृत युवा है और इसने कई कारणों से कई नकारात्मक सामुदायिक जोखिम को आकर्षित किया है। भारत में, हम जानते हैं कि जो छात्र होम्योपैथिक कॉलेज के परिसर में प्रवेश करते हैं, वे शायद ही कभी अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं। यह अक्सर अंतिम विकल्प के रूप में एक अभ्यास होता है या जिसे एक 'चिकित्सा' डिग्री के लिए एक कदम के रूप में अपनाया जाता है। इसलिए, नए प्रवेशकों की मानसिकता शायद ही कभी सूचित, सकारात्मक और आत्म-पुष्टि करने वाली होती है।

हालांकि, हम जानते हैं कि सभी चिकित्सा विषयों की तरह, होम्योपैथी प्रशिक्षण में डोमेन का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है जिसमें अस्पताल, समुदाय, क्लीनिक आदि सहित विभिन्न सेटिंग्स में मानवीय बातचीत और पारस्परिक संबंधों के संपर्क शामिल हैं। प्रशिक्षण गहन है और महान प्रतिबद्धता, लचीलापन और आजीवन शिक्षण अपेक्षित करता है। नए वातावरण के लिए अनुकूलन और परिचितता की अवधि बनाना वांछनीय है। इसमें पाठ्यक्रम संरचना, सीखने के तरीकों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और सहकर्मी से बातचीत का परिचय शामिल होगा जो जूनियर कॉलेज से होम्योपैथिक कॉलेज में उनके सहज स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

इसे बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम की शुरुआत में समर्पित 10 दिनों के विशेष "फाउंडेशन कोर्स" के माध्यम से प्राप्त करने की योजना है, ताकि छात्रों को विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में उन्मुख और संवेदनशील बनाया जा सके।

लक्ष्य और उद्देश्य

होम्योपैथी के फाउंडेशन कोर्स के व्यापक लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. छात्रों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पहलुओं की ओर उन्मुख करना;
2. उनमें मास्टर हैनीमैन द्वारा परिभाषित 'मिशन' के प्रति सचेत जागरूकता पैदा करना;
3. इस पेशेवर पाठ्यक्रम से गुजरने और मरीजों की देखभाल करने के लिए आवश्यक कुछ बुनियादी, लेकिन महत्वपूर्ण कौशल से उन्हें लैस करना;
4. उनके संचार, भाषा, कंप्यूटर और सीखने के कौशल को बढ़ाना;
5. साथियों और शिक्षकों के बीच बातचीत का अवसर प्रदान करना और विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के लिए एक अभिविन्यास शुरू करना।

उद्देश्य

(*क*) **फाउंडेशन कोर्स के उद्देश्य निम्नलिखित हैं** :

शिक्षार्थियों को निम्नलिखित के प्रति उन्मुख करना :

(i) चिकित्सा पेशा और समाज में एक होम्योपैथ का मिशन

(ii) बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(iii) संस्थान का विजन और मिशन

(iv) समग्र और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा और इसे प्राप्त करने और बनाए रखने के तरीके

(v) चिकित्सा और होम्योपैथी का इतिहास और दुनिया में होम्योपैथी की स्थिति

(vi) चिकित्सा नैतिकता, दृष्टिकोण और व्यावसायिकता

(vii) देश में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियाँ

(viii) स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और इसकी वितरण

(ix) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताएं और नीतियां

(x) प्राथमिक देखभाल के सिद्धांत (सामान्य और समुदाय आधारित देखभाल)

(xi) मेंटरशिप पाठ्यक्रम की अवधारणा

(*ख*) **कौशल बढ़ाने की आवश्यकता की सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में सक्षम करें**:

(i) भाषा

(ii) बुनियादी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का अवलोकन, प्रलेखन और समझ

(iii) पारस्परिक संबंध और टीम व्यवहार

(iv) विभिन्न उम्र और संस्कृतियों में संचार

(v) समय प्रबंधन

(vi) तनाव प्रबंधन

(vii) सूचना तकनीक का उपयोग

(*ग*) **निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करें**:

(i) प्राथमिक उपचार/आपातकालीन प्रबंधन

(ii) जीवन का मूलभूत आधार

(iii) सार्वभौमिक सावधानियां तथा टीकाकरण

(iv) रोगी की सुरक्षा और जैविक खतरे से सुरक्षा

(*घ*) **भाषा तथा कंप्यूटर कौशल प्रदान करना**

(i) स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम

(ii) अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम

(iii) कंप्यूटर कौशल

इन्हें विशेष बैच की जरूरतों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है और फाउंडेशन पाठ्यक्रम के बाद अतिरिक्त कोचिंग जारी रखी जा सकती है।

सामग्री और पद्धति

पाठ्यक्रम सत्रों में चलाया जाएगा जो इंटरैक्टिव अवश्य होना चाहिए।

फाउंडेशन कोर्स के प्रमुख भागों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1) उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम :

इसमें छात्रों को आज के समय में होम्योपैथी और होमियोपैथ की भूमिका पर विशेष जोर देने के साथ नीचे उल्लिखित सभी भागों की ओर उन्मुख करना शामिल है।

2) कौशल मॉड्यूल (बुनियादी) :

इसमें बुनियादी जीवन समर्थन/आपातकालीन प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, सार्वभौमिक सावधानियां और जैव चिकित्सा अपशिष्ट और सुरक्षा प्रबंधन जैसे कौशल सत्र शामिल हैं, जिन्हें रोगी की देखभाल के क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले छात्रों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है।

3) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फील्ड दौरा:

ये दौरे सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से देखभाल के वितरण के लिए उन्मुखीकरण प्रदान करते हैं, और इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों, रोगियों और उनके परिवारों के साथ बातचीत शामिल है।

4) नैतिकता सहित पेशेवर विकास :

यह व्यावसायिकता और नैतिकता की अवधारणा का परिचय है और एक चिकित्सक के आचरण पर हैनिमैन के प्रभाव से निकटता से संबंधित है। यह भाग छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि नैदानिक क्षमता, संचार कौशल और ठोस नैतिक सिद्धांत व्यावसायिकता की नींव हैं। यह अनैतिक और गैर-पेशेवर व्यवहार के परिणामों, ईमानदारी के मूल्य, अखंडता और सभी बातचीत में सम्मान की समझ भी प्रदान करेगा। जवाबदेही, परोपकारिता, उत्कृष्टता की खोज, सहानुभूति, करुणा और मानवतावाद जैसी व्यावसायिक विशेषताओं को भी इसमें संबोधित किया जाएगा। इसे लिंग, पृष्ठभूमि, संस्कृति, क्षेत्रीय और भाषा विविधता के लिए सम्मान और संवेदनशीलता पैदा करनी चाहिए। इसमें विकलांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान भी शामिल होना चाहिए। यह छात्रों को स्वास्थ्य की देखभाल की टीम के हिस्से के रूप में अनुकंपा देखभाल और कामकाज की मूल अवधारणा से परिचित कराता है। यह छात्रों को एक व्यवहार के रूप में "सीखने" और सीखने के उपयुक्त तरीकों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

5) भाषा / कंप्यूटर कौशल / शिक्षण कौशल :

यह सत्र विविध पृष्ठभूमि और भाषा क्षमता वाले छात्रों को अंग्रेजी बोलने और लिखने, स्थानीय भाषा में प्रवाह और बुनियादी कंप्यूटर कौशल के प्रशिक्षण से गुजरने का अवसर प्रदान करने के लिए है। छात्रों को विभिन्न शिक्षण पद्धतियों जैसे कि छोटे समूह चर्चा, कौशल प्रयोगशाला, सिमुलेशन, प्रलेखन और स्व-निर्देशित सीखने की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

तालिका 19

छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा

फाउंडेशन पाठ्यक्रम			
क्र.सं.	**विषय**	**क्रियाकलाप का प्रकार**	**अवधि घंटों में**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्वागत और संस्थान के विजन/मिशन का परिचय	व्याख्यान	1

2.	होम्योपैथी के प्रभाव को प्रदर्शित करने सहित समाज में होम्योपैथी और एक होमियोपैथ का मिशन और भूमिका	पारस्परिक चर्चा	3
3.	बी.एच.एम.एस. अध्ययन पाठ्यक्रम तथा फर्स्ट ईयर फैकल्टी का परिचय	प्रस्तुति	1
4.	संस्थान/परिसर/सुविधाओं का दौरा	पैदल दौरा	2
5.	समग्र और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा	पारस्परिक चर्चा	2
6.	चिकित्सा और होम्योपैथी का इतिहास और दुनिया में होम्योपैथी की स्थिति	प्रस्तुति	2
7.	वयस्क सीखने के सिद्धांत	पारस्परिक चर्चा	2
8.	स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और वितरण	पीएचसी/शहरी स्वास्थ्य केंद्र का दौरा और कर्मचारियों के साथ बातचीत	3
9.	देश में मान्यता प्राप्त विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ और बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की अवधारणा	प्रस्तुति	1
10.	प्राथमिक सामुदायिक देखभाल	परस्पर क्रिया	2
11.	जीवन का मूल आधार	वीडियो प्रदर्शन और अभ्यास	4
12.	संचार - विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक व्यवस्थापन में इसकी प्रकृति और महत्व	परिदृश्यों के साथ व्यावहारिक और पर्यवेक्षण के साथ अधिनियमन	4
13.	चिकित्सा नैतिकता - रोगी देखभाल बढ़ाने में भूमिका	भूमिका निभाना	2
14.	पेशेवर कौन है?	किसी विषय पर दो पक्षों के बीच बहस	2
15.	समय प्रबंधन	व्यावहारिक पाठ	3
16.	प्राथमिक चिकित्सा - सिद्धांत और तकनीक	प्रदर्शन और प्रस्तुति	2
17.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताएं और नीतियां	प्रस्तुति	1
18.	चिकित्सा पेशे में एक मेडिकल छात्र के लिए मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व खेलकूद और पाठ्येतर गतिविधियों के महत्व सहित तनाव प्रबंधन	व्यावहारिक प्रदर्शन / वीडियो	4
19.	सलाह की अवधारणा और अभ्यास	पारस्परिक चर्चा	4
20.	संवैधानिक मूल्य, समानता, लैंगिक संवेदनशीलता और रैगिंग नीति	प्रस्तुति और पारस्परिक चर्चा	3
21.	सार्वभौमिक सावधानियां और टीकाकरण	प्रस्तुति के बाद चर्चा	1
22.	होम्योपैथिक अभ्यास में अवलोकन और प्रलेखन का महत्व	वीडियो अवलोकन के माध्यम से अभ्यास करना	4

23.	सामूहिक कार्य	खेल और डीब्रीफिंग	2
24.	रोगी सुरक्षा और बायोमेडिकल खतरे	वीडियो और प्रस्तुति	1
25.	कंप्यूटर कौशल	वर्ड, एक्सेल और पी.पी.टी. के बुनियादी उपयोग का प्रदर्शन और अभ्यास	2
26.	भाषा कौशल	भाषा प्रयोगशालाएँ	2
	कुल योग		**60**

अनुलग्नक –II

भाग-क

शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना

प्रथम व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस).(18 महीने)

क्र.सं.	**तारीख/अवधि**	**अकादमिक क्रियाकलाप**
(1)	(2)	(3)
1.	अक्टूबर का पहला कार्य दिवस	पाठ्यक्रम का प्रारंभ
2.	10 कार्य दिवस	फाउंडेशन पाठ्यक्रम
3	पहला आवधिक मूल्यांकन	जनवरी – आंतरिक मूल्यांकन (पी.ए.-1)
4.	मार्च का चौथा सप्ताह	प्रथम टर्मिनल जाँच – आंतरिक मूल्यांकन (टी.टी.-1)
5	दूसरा आवधिक मूल्यांकन	जून – आंतरिक मूल्यांकन (पी.ए.-2)
6.	सितंबर का पहला सप्ताह	द्वितीय टर्मिनल जाँच – आंतरिक मूल्यांकन (टी.टी.-2)
7.	तीसरा आवधिक मूल्यांकन	नवंबर – आंतरिक मूल्यांकन (पी.ए.-3) _
8.	फरवरी के दूसरे सप्ताह से मार्च	विश्वविद्यालय परीक्षा
9.	***अप्रैल का पहला कार्य दिवस***	***द्वितीय व्यावसायिक वर्ष का प्रारंभ***
	टिप्पणी - 1. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच का अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करना होगा। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना है। 2. अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थान/कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार समय को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। 3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर को संशोधित किया जा सकता है।	

भाग-ख

शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना

द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यावसायिक बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस) (12 महीने)

क्र.सं.	तारीख/अवधि	अकादमिक क्रियाकलाप
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल का पहला कार्यदिवस	पाठ्यक्रम का प्रारंभ
2.	जुलाई का चौथा सप्ताह	प्रथम आवधिक – आंतरिक मूल्यांकन (पी.टी.-1)
3.	सितंबर का चौथा सप्ताह	प्रथम टर्मिनल परीक्षा – आंतरिक मूल्यांकन (टी.टी.-1)
4.	दिसंबर का चौथा सप्ताह	द्वितीय आवधिक – आंतरिक मूल्यांकन (पी.टी.-2)
5.	फरवरी का तीसरा सप्ताह	विश्वविद्यालय परीक्षा
6.	***अप्रैल का पहला कार्यदिवस***	***तृतीय/चतुर्थ/इंटर्नशिप व्यावसायिक वर्ष का प्रारंभ***
	टिप्पणी - 1. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच का अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करना होगा। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना है। 2. अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थान/कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार समय को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। 3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर को संशोधित किया जा सकता है।	

अनुलग्नक-III

उपस्थिति रखरखाव के लिए दिशानिर्देश

(सिद्धांत/व्यावहारिक/नैदानिक/गैर-व्याख्यान घंटे)

होम्योपैथी में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों/कॉलेजों को ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। हालांकि, यदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण गतिविधियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौतिक रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, तो निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :

(1) उपस्थिति को संचयी क्रमांकन तरीके में चिह्नित किया जाना है:

(*क*) उपस्थिति के मामले में, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 … तथा इसी रूप में चिह्नित किया जाना है;

(*ख*) अनुपस्थिति के मामले में, इसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए;

(*ग*) उदाहरण : P P P P A P P P A A P P P… के बदले इसे (1, 2, 3, 4, A, 5, 6, A, A, 7, 8,9…) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

(2) उपस्थिति के लिए 'पी' को चिह्नित करने से सख्ती से बचें।

(3) थ्योरी और प्रैक्टिकल/क्लिनिकल/गैर-व्याख्यान गतिविधियों के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाए जाने हैं।

(4) सत्र या पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के भाग के अंत में, अंतिम संख्या को कुल उपस्थिति के रूप में

लिया जाएगा।

(5) छात्र के हस्ताक्षर के बाद कुल उपस्थिति को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रिंसिपल द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।

(6) कई शर्तों के मामले में, पाठ्यक्रम के अंत में सभी सत्र उपस्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना है और क्लिनिकल और गैर-व्याख्यान घंटों सहित सिद्धांत और व्यावहारिक के लिए अलग से प्रतिशत की गणना की जानी है।

[**टिप्पणी** : * यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

प्रपत्र 1

[विनियम 16 का उपनियम (2) तथा (3) देखें]

(महाविद्यालय का नाम तथा पता)

बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम

विभाग----------

उपस्थिति तथा इंटर्नशिप के मूल्यांकन का प्रमाणपत्र

1) **इंटर्न का नाम :**

2) **इंटर्नशिप के दौरान उपस्थिति**

प्रशिक्षण की अवधि ---------- से ---------- तक

(*क*) कार्यदिवसों की संख्या :

(*ख*) उपस्थिति वाले कार्यदिवसों की संख्या :

(*ग*) अवकाश वाले कार्यदिवसों की संख्या :

(*घ*) अनुपस्थिति वाले कार्यदिवसों की संख्या :

इंटर्नशिप का मूल्यांकन

क्र.सं.			**कोटि**	**प्राप्त अंक**
1.			सामान्य	अधिकतम 10
	क.		जिम्मेदारी तथा समयबद्धता	(____) 2 में से
	ख.		अधीनस्थों, सहकर्मियों तथा वरीयों के साथ व्यवहार	(____) 2 में से
	ग.		दस्तावेजीकरण की योग्यता	(____) 2 में से
	घ.		चरित्र तथा आचरण	(____) 2 में से
	ङ.		अनुसंधान की योग्यता	(____) 2 में से
2.			नैदानिक	अधिकतम 20
	क.		विषय के मूलभूत सिद्धांतों में कार्यकुशलता	(____) 4 में से
	ख.		बेडसाइड आचरण तथा रोगी के साथ संबंध	(____) 4 में से

	ग.		प्राप्त की जाने वाली नैदानिक कुशाग्रता और योग्यता	(____) 4 में से
		i.	कार्यविधियों का निष्पादन करके	
		ii.	कार्यविधियों में सहायता देकर	(____) 4 में से
		iii.	कार्यविधियों का पर्यवेक्षण करके	(____) 4 में से
कुल प्राप्त स्कोर				(____) 30 में से

अंकों का प्रदर्शन ग्रेड [ ]

खराब < 8, औसत से कम 9-14, औसत 15-21, अच्छा 22-25, उत्कृष्ट 26 तथा अधिक

टिप्पणी : असंतोषजनक स्कोर (15 से कम) प्राप्त करने वाले इंटर्न को संबंधित विभाग में पोस्टिंग की कुल अवधि का एक तिहाई दोबारा करना आवश्यक होगा।

तारीख :

स्थान :

इंटर्न का हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर

प्रपत्र 2

[विनियम 16 का उप-विनियम (3) तथा (4) देखें]

(महाविद्यालय का नाम तथा पता)

(बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम)

अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पाठ्यक्रम समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____(इंटर्न का नाम) जो, _____ (महाविद्यालय का नाम तथा पता), का इंटर्न है, ने _____ (महाविद्यालय का नाम तथा पता और तैनाती का स्थान) में निम्नलिखित विभागों में एक वर्ष _____ से _____ तक अपना अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरा किया है।

तालिका 20

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रशिक्षण अवधि (से) (d d/m m /yyyy)	प्रशिक्षण अवधि (तक) (d d/m m /yyyy)

इंटर्नशिप की अवधि के दौरान छात्र का आचरण _____

तारीख :

स्थान :

इंटर्नशिप प्रभारी/प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक का हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुहर

प्रपत्र-3

{विनियम 13 का उप-विनियम (4) तथा (7) देखें}

श्री / सुश्री _____का होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय _____से होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय _____ प्रव्रजन।

1. प्रथम बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि
2. प्रथम बी.एच.एम.एस. विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि
3. आवेदन की तिथि
4. विमुक्त करने वाले महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
5. विमुक्त करने वाले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
6. स्वीकार करने वाले महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
7. स्वीकार करने वाले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
8. विमुक्त करने वाला महाविद्यालय जहाँ अवस्थित है, उस राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र(संलग्न) – हाँ /नही
9. शपथपत्र, जिसमें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ली गई है कि "द्वितीय व्यावसायिक विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से पहले मैं स्थानांतरित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बी.एच.एम.एस पाठ्यक्रम की मौजूदा कक्षा में पूरे बारह महीने अध्ययन करूंगा" – हाँ /नही
10. प्रव्रजन करने का संक्षिप्त कारण(कृपया साक्ष्य की प्रति संलग्न करें) – हाँ / नही
11. स्थायी पता: _____".

****

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–20072023–247472
CG-DL-E-20072023-247472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2023/आषाढ़ 28, 1945
No. 500] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2023/ASHADHA 28, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

मिसिल सं. 3-41/2022/रा हो आ / हो. शि. बो./विनियम-डी आर एल-पार्ट.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधिक्रमण में उप-धारा (1) और धारा 55 की उप- धारा (2) के खंड (यट), (यठ), (यड), (यढ), (यण) और (यत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्:-

1-संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी अर्हता को मान्यता) विनियम, 2023 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(अ) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(आ) "अनुलग्नक " से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न एक अनुलग्नक है ;

(इ) "बोर्ड "से तात्पर्य होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड है।

(ई) "पाठ्यक्रम" से तात्पर्य होम्योपैथी में अध्ययन पाठ्यक्रम है अर्थात: -

(i) होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक (बी. एच. एम. एस.) होम्योपैथी में, बोर्ड द्वारा सूचीबद्व तथा अनुरक्षित एक स्नातक अर्हता;

(ii) एम डी (होम्योपैथी) अथवा होम्योपैथी स्नात्कोत्तर, बोर्ड द्वारा सूचीबद्व तथा अनुरक्षित एक होम्योपैथी स्नात्कोत्तर अर्हता;

(उ) '' डिजिटल कोड'' से तात्पर्य मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञानी अर्हता;

(Å) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन विनियमों में सलग्न एक प्रपत्र है;

(ए) "आयुर्विज्ञानी अर्हता" से तात्पर्य होम्योपैथी पद्धति में किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत तथा बोर्ड द्वारा संस्तुत डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा इस प्रकार की अन्य अर्हता, जैसा मामला हो,

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जोकि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि क्रमशः अधिनियम मे समनुदेशित किए गए हैं।

3. भारत में विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता-

(1) बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता शामिल करने हेतु सूची निम्नानुसार बनाएगा, अर्थात:-

(i) अनुलग्नक- I में दिए गये मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता की सूची को आयोग के वेब पोर्टल में प्रदर्शित करेगा,

(ii) अनुलग्नक-VII के अनुसार मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता को सूचीबद्ध करते समय इस प्रकार की मान्यता की वैधता की अवधि को उल्लेखित किया जाएगा,

(iii) अनुलग्नक-VII में उल्लेखित प्रपत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता का विवरण बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों की होम्योपैथी परिषदों को सूचित करेगा,

(iv) आयुर्विज्ञान अर्हता को सूचीबद्ध तथा शामिल करने के उद्देश्य हेतु, एक डिजिटल कोड बनाना पडेगा जोकि राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का उपनाम, विश्वविद्यालय कोड, आयुर्विज्ञान संस्थान कोड के पश्चात अर्हता का उपनाम कोड तथा संशोधन यदि कोई हो, जिसमें –

(अ) राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र को राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के संक्षिप्त नाम से दर्शाया जाएगा, जैसा कि मामला हो, जिसमें कि विश्वविद्यालय स्थित हो जैसा कि अनुलग्नक- II में उल्लेखित हों I

(आ) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के संक्षिप्त नाम से दर्शाया जाएगा जिससे कि आयुर्विज्ञान संस्थान संबद्ध हो जैसा कि अनुलग्नक- III में उल्लेखित हो I

(इ) आयुर्विज्ञान संस्थान को आयोग द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थान के उपनाम से दर्शाया जाएगा. जैसा कि अनुलग्नक - IV में दर्शाया गया है।

(ई) आयुर्विज्ञानी अर्हता कोड को अर्हता के संक्षिप्त नाम से जाना जाएगा जैसाकि अनुलग्नक- V में दर्शाया गया है I

(2) बोर्ड होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की द्वितीय अनुसूची में शामिल सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक- VI में उल्लेखित है तथा सूची को आयोग के पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा ।

(3) बोर्ड सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक- VII में उल्लेखित है तथा ये आयुर्विज्ञान अर्हताएँ अधिनियम के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएँ होंगी।

(4) सभी विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात आगे निरंतर अर्हताओं को मान्यता प्रादान करने हेतु आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्राप्त सूची में नियत 'प्रपत्र- अ' अथवा ' प्रपत्र– ब' जैसा मामला हो, विनियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के आधार पर होगा ।

(5) आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान करने के पूर्व यदि आवश्यक हो बोर्ड, विश्वविद्यालयों अथवा आयुर्विज्ञान संस्थानों के शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा परीक्षा संचालन की जॉच हेतु निरीक्षण अथवा निरीक्षण हेतु निरीक्षकों को नियुक्त करेगा ।

(4) आवेदन की जॉच -(1) होम्योपैथी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु बोर्ड निम्न पात्रता की जॉच करेगा-

(अ) (i) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय जो कि भारत में स्थित हो,

(ii) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय, आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होगा,

(iii) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता की नामपद्धति, आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा द्वारा होम्योपैथी हेतु मान्यता प्रदत्त होगा,

(iv) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता के पाठ्यक्रम की अवधि जैसा कि आयोग द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित होगा,

(v) होम्योपैथी हेतु अपनाया गया पाठयक्रम, पाठ्यविवरण अथवा पाठयचर्या, जैसा कि आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्रदान किया गया हो, होगा,

(vi) पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया जैसा कि आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, होगा ।

(आ) नाम पद्धति तथा होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता की अनुमोदित अवधि का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार उपलब्ध कराएगा ।

(2) विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि पात्रता मानदण्ड पूर्ण करता हो जैसा कि उप विनियम (1) ऑफ लाइन अथवा आनलाइन प्रारूप में अध्यक्ष, बोर्ड को प्रेषित करेंगे -

(i) होम्योपैथी स्नातक पाठ्यक्रमअथवा कोई अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता के लिए जैसा कि बोर्ड द्वारा संस्तुत किया गया हो, आवेदन नियत, प्रपत्र में जैसा कि 'प्रपत्र –अ' में उल्लेखित है, स्नातक की गृह शिक्षुता पूर्ण होने के पैंतालीस दिन के पश्चात जमा करेंगे,

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नियत प्रारूप में जैसा कि 'प्रपत्र-ब' में उल्लेखित है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पैंतालीस दिन के पश्चात जमा करेंगे,

परन्तु यह कि नये स्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान, होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरंभ करेगा , जब अभ्यार्थी गृह शिक्षुता में प्रवेश लेंगे ।

परन्तु आगे यह कि यदि आयुर्विज्ञान संस्थान होम्योपैथी में नया पाठ्यक्रम आरंभ करेगा अथवा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरंभ करेगा , जब अभ्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश लेंगे ।

(ब) बोर्ड प्राप्त आवेदनों की उप विनियम (1) उल्लेखित मानदण्डों के अनुसार जॉच कर कार्रवाई करेगा,

(स) बोर्ड द्वारा आवेदन पर कार्रवाई करने के पश्चात, आवेदन प्राप्ति के छ: माह के अन्दर आवेदक को एक मान्यता प्रदान करने अथवा प्रदान करने से मना करने का आदेश प्रेषित करेंगे,

(द) यदि बोर्ड को कोई त्रुटि प्रतीत होती है, आवेदक को इस प्रकार की त्रुटि दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदक इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को कारण स्पष्ट करते हुए सूचित किया जाएगा।

5. आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु बोर्ड से अपील: -

(1) आवेदक जिसके आवेदन को विनियम 4 के उप विनियम 2 के अंतर्गत अमान्य कर दिया गया हो, तो वह आयोग के आदेश के विरूद्ध इस प्रकार की सूचना की तिथि के साठ दिनों की अवधि के अंदर अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को संबोधित आवेदन में अपील करेगा,

(2) आवेदक विर्निदिष्ट प्रपत्र- स में पूर्ण रूप में भर कर स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ऑफ लाइन अथवा ऑन लाइन अपील कर सकता है,

(3) आयोग इस प्रकार के अपीलों की जॉच पात्रता के मानदण्डों के अनुसार जैसा कि विनियम 4 के उप विनियम (1) के अंतर्गत दो माह के अंदर जॉच करेंगे तथा यदि आयोग निर्णय ले कि आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान किया जाए, आयोग होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्रदान करने हेतु निदेशित करेगा तथा विनियम 3 के उप विनियम (1) के अनुसार इस प्रकार की अर्हता को शामिल करेगा,

(4) यदि बोर्ड को कोई त्रुटि प्रतीत होती है, आवेदक को इस प्रकार की त्रुटि दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदक इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को कारण स्पष्ट करते हुए सूचित किया जाएगा ।

(5) यदि आयोग आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान करने से मना करता है अथवा आयोग निर्धारित अवधि दो माह में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो आवेदक द्वितीय अपील केन्द्रीय सरकार को सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय को संबोधित करते हुए आदेश उप विनियम (4) के अंतर्गत सूचित करने की तिथि से विर्निदिष्ट अवधि तीस दिन के अन्दर करेगा अथवा उक्त दो माह अवधि बीतने के पश्चात,

(6) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की अपील को विनियम-4 उप विनियम (1) में उल्लेखित पात्रता मानदण्डों के आधार पर जॉच करेगी तथा यदि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले कि ऐसे आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान किया जाए, तो केन्द्रीय सरकार, आयेाग को निदेशित करेगा कि वह मान्यता प्रदान करे तथा विनियम-3 उप विनियम (1) के अनुसार शामिल करे,

(7) यदि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले कि इस आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता न दी जाए, तो केन्दीय सरकार ऐसी अपील को अमान्य कर रद्द करेगी,

परन्तु यह कि ऐसी अपील अमान्य करने से पूर्व यदि कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो आवेदक को इस प्रकार की त्रुटि दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदक इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को कारण स्पष्ट करते हुए सूचित किया जाएगा ।

6. भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता:- (1) बोर्ड होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की त् तृतीय अनुसूची में शामिल सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक- IX में उल्लेखित है तथा सूची को आयोग के पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा ।

(2) बोर्ड सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक-VIII में उल्लेखित है तथा ये आयुर्विज्ञान अर्हताएँ अधिनियम के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएँ होंगी ।

डां. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./287/2023-24]

अनुलग्नक – I

(विनियम-3, उप विनियम (1) तथा विनियम – 4 उप विनियम (1) देखें)

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम) होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया (बी एच एम एस) स्नातक विनियम, 2022 तथा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विनियम (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989 के अनुसार स्नातक डिग्री तथा स्नात्कोत्तर डिग्री हेतु नामपद्धति निम्नानुसार होगी :-

क्रम सं.	पाठ्यक्रम की नामपदद्धि	अवधि	उप नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बी०एच० एम० एस० (होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक)	5 ½ वर्ष	बी०एच०एम०एस०
2.	एम०डी०(होम) (होम्योपैथी स्नातकोत्तर)	3 वर्ष	एम०डी०(होम)
3.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में शामिल अन्य सभी ऐसी डिग्री अथवा डिप्लोमा उनके उप नाम सहित	-----	-----

XXXXXXX

अनुलग्नक –II

राज्य कोड

(विनियम -3 उप विनियम-1 देखें)

क्रम सं.	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र	उप नाम	क्रम सं.	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र	उप नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आंध्र प्रदेश	आ प्र	20	उड़ीसा	ओई
2	अरुणाचल प्रदेश	अन प्र	21	पंजाब	पंज
3	असम	अस	22	राजस्थान	राज
4	बिहार	बिहा	23	सिक्किम	सिक
5	छत्तीसगढ़	छग	24	तमिलनाडु	तमिल
6	गोवा	गो	25	त्रिपुरा	त्रिप
7	गुजरात	गुज	26	उत्तराखंड	उत्त
8	हरियाणा	हरि	27	उत्तर प्रदेश	उप्र
9	हिमाचल प्रदेश,	हिम	28	पश्चिम बंगाल	प स
10	तेलंगाना	तेलंग	29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अंड
11	झारखंड	झाख	30	चण्डीगढ	सीडी
12	कर्नाटक	कर्ना	31	दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव	दाद
13	केरल	केर	32	दिल्ली	दिल
14	मध्य प्रदेश	मद	33	लक्षद्वीप	लक्ष
15	महाराष्ट्र	महा	34	पुडुचेरी	पी वाई
16	मणिपुर	मणि	35	लद्दाख	लाल
17	मेघालय	मेघ	36	जम्मू एवं कश्मीर	जेके
18	मिज़ोरम	मिजो			
19	नागालैंड	नागा			

अनुलग्नक –III

(विश्वविद्यालय कोड)

(विनियम -3 उप विनियम-1 देखें)

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	विश्व़विद्यालय पहचान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	एन टी आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा	(आ प्र-०1)
2.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोने हिल्स दोईमुख, ईटानगर	(अन प्र 01)
3.	असम	श्रीमंता संकरादेवा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	(अस -01)
4.	बिहार	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफरपुर	(बिहा-01

5.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	(छग-01)
6.	छत्तीसगढ़	पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हैल्थ साइंस तथा आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर, छग	(छग-02)
7	चंडीगढ	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर,	(सीडी-01)
8	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	(दिल-01)
9	दिल्ली	गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	(दिल-02)
10	गोवा	गोवा विश्वविद्यालय तेलीगॉव प्लाटेयू, गोवा	(गो-01)
11	गुजरात	स्वर्णिम स्टार्टप एवं इनोवेशन, विश्वविद्यालय	(गुज-01)
12	गुजरात	हेमचंद्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन, गुजरात	(गुज-02)
13	गुजरात	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	(गुज-03)
14	गुजरात	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वी वी नगर	(गुज-04)
15	गुजरात	पारूल विश्वविद्यालय, वडोदरा (संबद्ध महाविद्यालय)	(गुज-05)
16	गुजरात	महाराजा कृष्ण कुमार सिंघजी भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	(गुज-06)
17	गुजरात	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	(गुज-07)
18	गुजरात	संकलचंद पटेल विश्वविद्यालय	(गुज-08)
19	गुजरात	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	(गुज-09)
20	गुजरात	श्री गोविन्द गुरू विश्वविद्यालय, गोदरा	(गुज-10)
21	गुजरात	भक्त कवि नरसिंघ मेहता विश्वविद्यालय	(गुज-11)
22	गुजरात	पी पी सावनी विश्वविद्यालय	(गुज-12)
23	गुजरात	सुमनदीप विद्यापीठ विश्वविद्यालय	(गुज-13)
24	हरियाणा	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा	(हरि-01)
25	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	(हिम -01)
26	झारखण्ड	विनोबा भावे विश्व़विद्यालय, हजारीबाग	(झाख -01)
27	झारखण्ड	वाई बी एन विश्वविद्यालय	(झाख -02)
28	झारखण्ड	निलांबर पीतांबर विश्वविश्द्यालय (2010-11) विनोबा भावे विश्व़विद्यालय, हजारीबाग	(झाख -03)
29	कर्नाटक	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलूरू	(कर्ना-01)
30	कर्नाटक	के एल ई विश्वविद्यालय, जे एम एन सी कैंपस, नेहरू नगर, बेलगावी ((सम) संबद्ध महाविद्यालय	(कर्ना-02)
31	कर्नाटक	येनेपोया विश्वविद्यालय, मैंगलूरू (संबद्ध महाविद्यालय)	(कर्ना-03)
32	केरल	केरल स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पो०ओ० त्रिसूर- 680596	(केल-01)
33	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान, विश्वविद्यालय, जबलपुर	(मध-01)
34	मध्य प्रदेश	सर्वपल्ली राधा कृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल	(मध-02)
35	मध्य प्रदेश	डॉ0 ए पी जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय , इंदौर	(मध-03)
36	मध्य प्रदेश	श्री सत्य सॉई तकनीकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	(मध-04)
37	मध्य प्रदेश	आर के डी फ विश्वविद्यालय, भोपाल	(मध-05)
38	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	(मध-06)
39	मध्य प्रदेश	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट	(मध-07)

40	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्वास्थ्य-विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक	(महा-01)
41	महाराष्ट्र	भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे	(महा-02)
42	महाराष्ट्र	डॉ0 डी वाई पाटिल विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) संत तुकाराम नगर पिपंरी, पुणे -411018	(महा-03)
43	मेघालय	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनइएचयू), शिलॉग	(मेघ-01)
44	उडीसा	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	(ओई -01)
45	उडीसा	बहरामपुर विश्वविद्यालय	(ओई -02)
46	उडीसा	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	(ओई -03)
47	पंजाब	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पंजाब	(सीडी-01)
48	राजस्थान	डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर	(राज-01)
49	राजस्थान	तॉतिया विश्वविद्यालय	(राज-02)
50	राजस्थान	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय)	(राज-03)
51	राजस्थान	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (संबद्ध संकाय)	(राज-04)
52	राजस्थान	माधव विश्वविद्यालय (संबद्ध संकाय)	(राज-05)
53	राजस्थान	होम्योपैथी विश्वविद्यालय का संबद्ध विश्वविद्यालय, जयपुर	(राज-06)
54	तमिलनाडु	डॉ0 एम जी आर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	(तमिल-01)
55	तमिलनाडु	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, डीम्ड विश्वविद्यालय, सेलम	(तमिल-02)
56	तेलंगाना	कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, निजामाबाद, वारांगल, तेलंगाना	(तेलंग-01)
57	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	(उत्त -01)
58	उत्तराखण्ड	कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	(उत्त -02)
59	उत्तर प्रदेश	डॉ भीम राव अम्वेडकर विश्वविद्यालय,आगरा	(उ प्र-01)
60	उत्तर प्रदेश	महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	(उ प्र-02)
61	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकता	(प स -01)

अनुलग्नक – IV

(आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कोड)

(विनियम 3 का उप विनिमय 1 देखें)

क्रम सं.	कॉलेज का नाम	राज्य	आयुर्विज्ञान संस्थान पहचान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए एस आर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वाई जंकशन, प्रातिपाडु तादेपाल्लगुदेम , पश्चिम	आंध्र प्रदेश	(01-01)
2	डॉ. अल्लू रामलिंगैय्या राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 26-1-11, वाई-जंक्शन, राजा महेंद्रावरम	आंध्र प्रदेश	(01-02)
3	डॉ. गुरूराजू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गुडिवडा, कृष्णा जिला - 521 301	आंध्र प्रदेश	(01-03)

4	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रामा राजू पल्ली, रविंद्रा नगर पोस्ट, कडपा, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश – 516003	आंध्र प्रदेश	(01-04)
5	के के सी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 1-52, केकेसी नगर, परमेश्वर मंगलम चित्रूर- 517584	आंध्र प्रदेश	(01-05)
6	महाराजा होम्योपैथी विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, डी.सं. 31-15, नेल्लिमरला, निकट एमडीओ कार्यालय, नेल्लिमरला, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश-535217	आंध्र प्रदेश	(01-06)
7	श्री आदि शिव सतगुरू अली साहेब शिवरयुला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, थिम्मापुरम, एनएच-63, अंजिनेयास्वामी मंदिर के निकट, गुंटाकल, अनंतपुर - 515801	आंध्र प्रदेश	(01-07)
8	पूर्वोत्तर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, विवेक विहार, इटानगर, पापुमपारे– 791113	अरुणाचल प्रदेश	(02-01)
9	असम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुल्ल सिंह रोड, लखिनगर पीओ हैबरगांव, जिला नगांव-782 002.	असम	(03-01)
10	डॉ. जे.के. सैकिया राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिमखाना क्लब रोड के निकट, जिला जोरहाट-785008.	असम	(03-02)
11	स्वाहिद जाधव नाथ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव बाघरबारी, डाकखाना खानापारा, गुवाहाटी- 781037	असम	(03-03)
12	बी.एन.एम. होम्योपैथिक मेडिकल अस्पताल, सहरसा-852201	बिहार	(04-01)
13	के एन एच होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मायागंज, भागलपुर-812001	बिहार	(04-02)
14	मगध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बिहार शरीफ, स्टेशन रोड, नालंदा-803101.	बिहार	(04-03)
15	जी.डी. मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पूर्वी राम कृष्णा नगर, पीओ जगनपुरा, पटना - 800 027	बिहार	(04-04)
16	डॉ. रामबालक सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमवा, बोध गया-824231, गया	बिहार	(04-05)
17	डॉ. यदुबीर सिंह सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहरियासराय, दरभंगा-846002.	बिहार	(04-06)
18	मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्रो. विष्णुकुमार मार्ग, श्रीनगर, सिवान-841226	बिहार	(04-07)
19	आर.डी. केडिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डाकखाना हनुमान सुगर मिल्स, बरियापुर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण-841226	बिहार	(04-08)
20	दॅ टेम्पल ऑफ हनेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डाकखाने के सामने, भगत सिंह चौक, मुंगेर - 811201.	बिहार	(04-09)
21	आर.बी.टी.एस. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, राम दयालू नगर, पीओ रमना, मुजफ्फरपुर - 842 002.	बिहार	(04-10)
22	डॉ. हालिम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एक्मिघाट, डाकखाना लहरिया सराय-846001.	बिहार	(04-11)
23	केंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गांव एवं डाकखाना खिलवत, हाजिपुर, वैशाली- 844101.	बिहार	(04-12)
24	महर्षि मेन्ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीवछ नगर, कटिहार-854105.	बिहार	(04-13)

25	मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रघु नाथ पांडेय नगर, एमआईसी बेला, मुजफ्फरपुर-842005.	बिहार	(04-14)
26	पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राम कृष्णा नगर (सोरंगपुर), पटना-800027.	बिहार	(04-15)
27	छदमीलाल चौकसी (सी.एल.) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लाल खदान मस्तूरी रोड, बिलासपुर - 495001.	छत्तीसगढ़	(05-01)
28	महाराणा प्रताप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ऋषभ एनक्लेव के निकट, इमलीडीह, नया राजेंद्र नगर, रायपुर-001	छत्तीसगढ़	(05-02)
29	रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राम कुण्ड, चौबे कालोनी, रायपुर-492001	छत्तीसगढ़	(05-03)
30	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एम-671, सेक्टर-26, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़- 160 019.	चंडीगढ़	(06-01)
31	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बी-ब्लॉक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024.	दिल्ली	(07-01)
32	डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, निकट नानकपुरा गुरूद्वारा (रिंग रोड), मोती बाग-।।, नई दिल्ली-110021	दिल्ली	(07-02)
33	कामाक्षी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हिल टॉप, शिरोडा, गोवा - 403103.	गोवा	(08-01)
34	अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, ऐट भोया राठौड, इफको अदालज-सरथा रोड के सामने, गांधीनगर-382420.	गुजरात	(09-01)
35	लक्ष्मीबेन होम्योपैथी संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, लालजी पार्क, उंझा-मेहसाणा राजमार्ग, गांव एवं डाकखाना भांदू-384120, ता-विसानगर, जिला मेहसाणा (उत्तर गुजरात)	गुजरात	(09-02)
36	श्री लिम्बडी विकास ट्रस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लिम्बडी-धानुका राज्य राजमार्ग, जिला सुरेंद्र नगर लिम्बडी, गुजरात – 363421	गुजरात	(09-03)
37	आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, सरदार बाग के निकट, भालेज रोड, आनंद – 001, जिला खेड़ा	गुजरात	(09-04)
38	बड़ोदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सोनार कुई के निकट, जेविर तकनीकी संस्थान के सामने, सेवासी-सिंधरोट रोड, सेवासी, वड़ोदरा – 391101	गुजरात	(09-05)
39	डॉ. वी.एच. दवे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.आई. पटेल (इपकोवाला) होम्योपैथिक अस्पताल, हाहनेमन हाउस, अमुल डेयरी रोड, आनंद – 001, जिला खेड़ा	गुजरात	(09-06)
40	जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मार्फ्त पारुल एजूकेशनल कांम्पलेक्स, पोस्ट-लिम्बडा, ताल-वाघोडिया, जिला – वड़ोदरा -391760.	गुजरात	(09-07)
41	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, देथाली, तहसील सिधपुर, जिला पाटन (उत्तरी गुजरात)- 384151	गुजरात	(09-08)
42	श्री एच.एन. शुक्ला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्री एच.एन. शुक्ला कॉलेज परिसर, लालपरी लेक के निकट, मार्किटिंग यार्ड के पीछे, अमरगढ़-भिछरी, राजकोट (श्री महात्मा	गुजरात	(09-09)

	गांधी एजूकेशन ट्रस्ट, राजकोट, गुजरात द्वारा)		
43	स्वामी विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, खेलकूद परिसर के निकट, सिदसर रोड, भावनगर-364 060.	गुजरात	(09-10)
44	विद्यादीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र (गुजरात035), अनिता (किम), सूरत, गुजरात	गुजरात	(09-11)
45	अर्रदेक्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पो ओ नबी मेतरल जिला- सबरकांटा	गुजरात	(09-12)
46	समर्पण चेरिटेबल एंड एजूकेशन मेडिकल एवं रिसर्च ट्रस्ट, श्री बचूभाई अलाभाई डांगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आईओसी डिपो के सामने, जामनगर रोड, राजकोट-360007.	गुजरात	(09-13)
47	अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव एवं डाकखाना घूमा-भोपाल रोड, घूमा, अहमदाबाद-380058	गुजरात	(09-14)
48	राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जयनाथ पेट्रोल पम्प, गोंडल रोड, राजकोट-360 002.	गुजरात	(09-15)
49	आर्य-वीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ऐट कुवाडवा, कुवाडवा-सरदार रोड, राजकोट-अहमदाबाद एनएच, जिला राजकोट-360 030	गुजरात	(09-16)
50	अग्रवाल एजूकेशन फाउंडेशन, एस.एस. अग्रवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, देवीना पार्क सोसायटी के निकट, विरांजलि मार्ग, गनदेवी रोड, नवसारी-396445	गुजरात	(09-17)
51	अन्नया होम्योपैथिक कॉलेज, केआईआरसी परिसर, अहमदाबाद-मेहसाणा राजमार्ग, कलोल, जिला गांधीनगर- 382721	गुजरात	(09-18)
52	भार्गव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विद्याग्राम, गांव एवं डाकखाना दहेमी, टा-बोरसद, जिला आनंद- 388560.	गुजरात	(09-19)
53	सी.डी. पच्चीगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आनंद मंगल सोसायटी के निकट, भातार रोड, मंजुरा, सूरत-395001.	गुजरात	(09-20)
54	गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव व डाकखाना सवली-391770, जिला वड़ोदरा	गुजरात	(09-21)
55	ज्ञान ज्योत एजूकेशन ट्रस्ट, बी.जी. गैरैया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कालिपत, निकट ट्राम्बा, भावनगर राजमार्ग, राजकोट-360 020.	गुजरात	(09-22)
56	जय जालाराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव एवं डाकखाना मोरवा (रीना), ताकुला शहरिया, जिला पंचमहल-389001.	गुजरात	(09-23)
57	कामदार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, हरिपर पाल सर्वेक्षण सं.12, एनआरआई बंगलों के पीछे, दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने, कालावाड रोड, राजकोट-360007.	गुजरात	(09-24)
58	मर्चेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मर्चेंट एजूकेशन परिसर, मेहसाणा-विसनगर राजमार्ग, गांव एवं डाकखाना गाधा, बसना, मेहसाणा--384 315.	गुजरात	(09-25)
59	पी पी सावनी होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रा रा-8, जी ई टी सी ओ नियर बिल्टेक कंपनी, ग्राम धमदौड, कोसांबा, जिला- सूरत-394125	गुजरात	(09-26)
60	पारुल होम्योपैथिक एवं अनुसंधान संस्थान, डाकखाना लिम्डा, तहसील वाघोडिया, जिला वड़ोदरा-391760.	गुजरात	(09-27)

61	पायोनीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पायोनीर मेडिकल परिसर, अमेरिकन स्कूल बड़ोदा के निकट, गांव एवं डाकखाना सयाजीपुरा, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 के निकट, अजवा क्रॉस रोड, वड़ोदरा	गुजरात	(09-28)
62	श्री छोटालाल नागिनदास कोठारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, वन चेतना के निकट, ककरापर बाई पास, तडकुवा व्यारा, जिला सूरत-394 650.	गुजरात	(09-29)
63	श्री महालक्ष्मी महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, (श्री श्यामलाजी आरोग्य सेवा ट्रस्ट), गुजरात ट्रैक्टर्स की साइड, विश्वमित्री पुल के निकट, मुंजनालुडा लालबाग रोड, वड़ोदरा-390011.	गुजरात	(09-30)
64	श्री स्वमीनारायण होम्योपैथिक कॉलेज, श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरूकुल ट्रस्ट, अहमदाबाद-मेहसाणा राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट, गांव एवं डाकखाना सैज, कलोल, जिला गांधीनगर-382721	गुजरात	(09-31)
65	श्री शामलाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, गोधरा, मून लाइट सिनेमा के निकट, गोधरा-389 001.	गुजरात	(09-32)
66	श्री विवेक भारती ट्रस्ट, नोबल होम्योपैथिक कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, जूनागढ़, "पार्थ वाटिका", ब्हेसन रोड, वाया वाडाल, बामनगाम- 362310, तहसील एवं जिला जूनागढ़	गुजरात	(09-33)
67	वालन होम्योपैथी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल,वालन-पालेज रोड एट पी ओ वालन, तालु कर्जन जिला- वडोदरा -392310	गुजरात	(09-34)
68	श्री सरदार पटेल महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मोरबी रोड, हडाला, राजकोट-360003	गुजरात	(09-35)
69	सुमनदीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पोस्ट-पिपारिया, तालुका-वाघोडिया, जिला वड़ोदरा, गुजरात – 391760	गुजरात	(09-36)
70	श्री एन.एम. पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पोस्ट–सलावडा, तह. उनावदा, जिला महिसागर, गुजरात – 388270	गुजरात	(09-37)
71	नूतन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नूतन सर्वविद्यालय केलारानी मण्डल, संकलचंद पटेल विद्याधाम अंबाजी गांधी नगर, स्टार हाईवे विस नगर-384315	गुजरात	(09-38)
72	श्रीमती ए.जे. सावला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुष्पांजलि बिल्डिंग, निकट जिला सेशन पंचायत, निकट करवे स्कूल, विस नगर रोड., मेहसाणा, गुजरात – 384001	गुजरात	(09-39)
73	श्रीमती मालिनी किशोर सांघवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एट मियॉ गॉव तालुका कर्जन, जिला वडोदरा-391240	गुजरात	(09-40)
74	श्रीमती टी.वी. मेहता चारिटेबल फाउंडेशन, ललितावेन रमणीकलाल शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गरदी विद्यापीठ परिसर, शिव शक्ति होटल के सामने, कालावाड राजमार्ग, ग्राम आनंदपुर-361162, राजकोट.	गुजरात	(09-41)
75	श्रीमती वसंताबेन एन. व्यास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एसआर सं. 873/2, जेसिंगपरा, अमरेली-365 601.	गुजरात	(09-42)
76	गांधीनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुबारकपुर (पर्ल एजूकेशन चारिटेबल ट्रस्ट), अहमदाबाद- 392721	गुजरात	(09-43)

77	जे.आर. किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पुराना सुंदरपुर रोड, जींद बाई पास, रोहतक – 124 001.	हरियाणा	(10-01)
78	सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बैरोग बाई-पास (शूलिनी फिलिंग स्टेशन के नजदीक), कुमाराहट्टी - 173229,	हिमाचल प्रदेश	(11-01)
79	आरोग्यम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गांव – झलुवा, डाकखाना कल्याणपुर, गरहवा-822114	झारखंड	(12-01)
80	मॉ कलावती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, राजौलातु, नामकुम, रांची - 834010	झारखंड	(12-02)
81	राजकीय होम्योपैथिक मेडिक़ल कॉलेज, पारसपानी गोड्डा-814147	झारखंड	(12-03)
82	देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान अस्पताल, फराथिया, गरहवा -822114,	झारखंड	(12-04)
83	सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, जामताडा, झारखण्ड-292999	झारखण्ड	(12-05)
84	दॅ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और मिहिजम अस्पताल, पीओ मिहिजम, जिला जमतारा, झारखंड - 815 354.	झारखण्ड	(12-06)
85	भारतेश होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बी.सी.-188, पुराना पी.बी. रोड., धारवार, बेलगाम- 590016	कर्नाटक	(13-01)
86	ए.जी.एम. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर-हुबली, कर्नाटक - 581207.	कर्नाटक	(13-02)
87	केएलई यूनिवर्सिटी का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, येल्लूर रोड, बेलगावी-59005	कर्नाटक	(13-03)
88	शेट्टी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शेट्टी एजूकेशन हब, शाहबाद रोड, कालाबुर्गी-585105,	कर्नाटक	(13-04)
89	येनोपोया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, आर.एस. सं.29, 30, 31, नरिंगाना गांव, डाकखाना डेरालाकट्टे (मंगलौर), तहसील बंटवाल, जिला दिक्षिण, कर्नाटक-575018.	कर्नाटक	(13-05)
90	दॅ होली फैमिली एडुकेशन सोशयटी, रोजी रॉयल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गांव-माल्लापुरा, नेलामंगला, बंगलौर-562162.	कर्नाटक	(13-06)
91	एस.बी. शिरकोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अनंत विद्या नगर, पी.बी. सं. 16, सनकेश्वर - 591 313, जिला बेलगाम	कर्नाटक	(13-07)
92	ए.एम. शेख होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नेहरू नगर, बेलगाम - 590 010	कर्नाटक	(13-08)
93	डॉ. बी.डी. जत्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डी.सी. कम्पाउंड, धरवाड़ - 580001.	कर्नाटक	(13-09)
94	डॉ. मालकारेड्डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, महादेवप्पा रामपुरे मार्ग, सेडम रोड, कलबुर्गी-585105	कर्नाटक	(13-10)
95	फादर मूलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, यूनिवर्सिटी रोड, डेरालाकट्टे, मंगलौर - 574160.	कर्नाटक	(13-11)
96	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉ. सिद्धैय्या पुराणिक रोड (राजकीय मेडिकल स्टोर्स के निकट), बसावेश्वर-नगर, बंगलौर - 560 079.	कर्नाटक	(13-12)
97	अल्वास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शोभावना परिसर, एनएच-13, मिजार मूडबिदरी- -574225,	कर्नाटक	(13-13)

98	अनुराधा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एसवाई, सं. 78/5 (पुराना एसवाई सं. 78/1), श्रीगंदराकावल	कर्नाटक	(13-14)
99	भगवान बुद्ध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, 'श्रीनिधि कम्पलेक्स', मल्लाथल्ली, बंगलौर-056	कर्नाटक	(13-15)
100	बीवीवी संघा बीवीवीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बीवीवीएस पुराना परिसर, बेलगावी-रायचुर, बगलकोट, कर्नाटक-587101	कर्नाटक	(13-16)
101	एस.सी.एस.ई. सोसायटी का बसव ज्योति होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आर.एस. सं.43/2ए, प्लॉट सं.8, इंडाल रोड, आजम नगर, बेलगाम- 590010.	कर्नाटक	(13-17)
102	श्री बसावेश्वर रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, श्री सत्य साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, प्लॉट सं.19, 'सी', औद्योगिक क्षेत्र, सत्तूर, धारवाड़-580009,	कर्नाटक	(13-18)
103	एसवीई ट्रस्ट का वीरभद्रेश्वर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, साई बाबा मंदिर के निकट, हूमनाबाद (डाक एवं तालुका), जिला बिदर-585330	कर्नाटक	(13-19)
104	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इमामूत्तम, डाकखाना मनाकौड, तिरुवनंतपुरम-695009.	केरल	(14-01)
105	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, करापराम्बा, जिला कोज्झीकोड -673 010.	केरल	(14-02)
106	मानसिक स्वास्थ्य में नेशनल होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान (एन एच आर आई एम एच), एट सी आर आई (एच) सचिवोतमापुरम, पी ओ कोटटायम -686532	केरल	(14-03)
107	अथुराश्रामम एन.एस.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सचिवोथामापुरम, पीओ कुरिकी, जिला कोट्टायम-686532.	केरल	(14-04)
108	डॉ. पादियर मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, छोट्टानिक्कारा, एर्णाकुलम-682312.	केरल	(14-05)
109	श्री विद्याधिराज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नेमोम, तिरुवनंतपुरम-695020.	केरल	(14-06)
110	स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुलिस लाइन रोड के निकट, छतरपुर (मध्य प्रदेश) - 471001	मध्य प्रदेश	(15-01)
111	जिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 478, काटजू नगर, रतलाम- 457 001	मध्य प्रदेश	(15-02)
112	आर.के.डी.एफ. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, माइल स्टोन 12, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462046.	मध्य प्रदेश	(15-03)
113	सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (स्वास्तिक एजूकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी), महलगांव, आरआई प्रशिक्षण संस्थान के सामने, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474002,	मध्य प्रदेश	(15-04)
114	अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, समदरिया ग्रीन सिटी के निकट, काशोधन नगर, मधोताल, जबलपुर-482 002.	मध्य प्रदेश	(15-05)
115	एच.के.ई. सोसाइटी का नारायण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, क्लिनिकल एवं अनुसंधान केंद्र, पुष्पा नगर, भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट, भोपाल-462 010.	मध्य प्रदेश	(15-06)

116	हनेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नया जेल बाई-पास रोड, कराउंड, भोपाल--462 038.	मध्य प्रदेश	(15-07)
117	महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नीमखेडा, गौर तिराहा (मांडला रोड), मार्बल रॉक स्कूल के सामने, जबलपुर-482001	मध्य प्रदेश	(15-08)
118	ओम चेरिटेबल चिकित्सा समिति का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गाम पिपरोली, चिरवई नाका, लश्कर, ग्वालियर-474001.	मध्य प्रदेश	(15-09)
119	आर.एन. कपूर होम्योपैथिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर-देवास बाईपास रोड, गांव– अरंदिया, डाकखाना झालारिया, इंदौर-452016	मध्य प्रदेश	(15-10)
120	रानी दुलैय्या स्मृति होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल, बरखेड़ी कलां, भदभदा रोड, भोपाल-462044	मध्य प्रदेश	(15-11)
121	श्री गुजराती समाज श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एससीएच सं. 54 ए.बी. रोड.	मध्य प्रदेश	(15-12)
122	इंदिरा गांधी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 131, प्रकाश नगर, धार-454001	मध्य प्रदेश	(15-13)
123	लाल बहादुर शास्त्री (एल.बी.एस.) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सामर्दा कालियासौट, रत्नपुर, मंडीदीप रोड, भोपाल - 462026	मध्य प्रदेश	(15-14)
124	स्कूल ऑफ होम्योपैथी, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, एसएच-18, भोपाल-इंदौर रोड, ऑयलफील्ड प्लांट के सामने, पचामा, जिला सिहोर, सिहोर - 466001.	मध्य प्रदेश	(15-15)
125	शासकीय राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मैक्ट हिल्स, आयुष कैम्पस, कालियासोट बांध के साथ, चूना भट्टी, भोपाल-462003	मध्य प्रदेश	(15-16)
126	राम कृष्ण होम्योपैथी, कालेज तथा मेडिकल साइंसेज, आर के डी फ विश्वविद्यालय कैंपस नियर एयरपोर्ट बाईपास रोड. गांधी नगर भोपाल- 462033	मध्य प्रदेश	(15-17)
127	सेंधवा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिला बरवानी, सेंधवा-451666,	मध्य प्रदेश	(15-18)
128	शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बैरागढ़ चिचि, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल-462042.	मध्य प्रदेश	(15-19)
129	अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एट सेंधवा जिला वरबानी-45166	मध्य प्रदेश	(15-20)
130	सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अनुसंधान केन्द्र, नमक मण्डी, सागर-470 002	मध्य प्रदेश	(15-21)
131	शीतला सहाय होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान केंसर अस्पताल, ग्वालियर (मप्र)	मध्य प्रदेश	(15-22)
132	श्री रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति होम्योपैथी मेडिकल कालेज, गोरमी भिन्ड – 477660	मध्य प्रदेश	(15-23)
133	श्रीमती एस.एम. देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सरदार पटेल परिसर, गेखुरी, बालाघाट, जिला बालघाट-481001	मध्य प्रदेश	(15-24)
134	वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, महदजी		

	नगर, शिवपुरी, लिंक रोड, ग्वालियर-474 001.	मध्य प्रदेश	(15-25)
135	रत्नदीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, जामखेड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जामखेड (रत्नपुर), ताल जामखेड, जिला अहमदनगर – 413201, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	(16-01)
136	डोंडुमामा साठे (डीएस) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एफपी सं.23, कारवे रोड के सामने, पुणे-411 004.	महाराष्ट्र	(16-02)
137	डॉ. डी.वाई. पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पिम्परी, जिला पुणे-411018.	महाराष्ट्र	(16-03)
138	डॉ. जी.डी. पोल फाउंडेशंस येरला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र, सांस्थानिक क्षेत्र सेक्टर-4, खारघर रेलवे स्टेशन के सामने, खारघर, नवी मुंबई - 410210.	महाराष्ट्र	(16-04)
139	डॉ. जे.जे. मगदुम ट्रस्ट का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शिरोल वादी रोड. जयसिंहपुर, तालुका –शिरोल, जिला कोल्हापुर-416101	महाराष्ट्र	(16-05)
140	काका साहेब म्हास्के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नागापुर, एम.आई.डी.सी., अहमदनगर -414 111,	महाराष्ट्र	(16-06)
141	मोतीवाला (राष्ट्रीय) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मोतीवाला नगर, गंगापुर सतपुर लिंक रोड, वाया नासिक, एचपीओ, नासिक - 422 001.	महाराष्ट्र	(16-07)
142	प्रभात एजूकेशन सोसाइटी का पी.डी. जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के पीछे, वकील कालोनी, परभनी-431 401.	महाराष्ट्र	(16-08)
143	नागपुर होम्योपैथी मेडिकल कालेज, नागपुर	महाराष्ट्र	(16-09)
144	पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, बडनेरा रोड् अमरावती- 444605	महाराष्ट्र	(16-10)
145	श्री जनता होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टावर, जाथपीठ , रोड केडिया प्लाट अकोला- 444005	महाराष्ट्र	(16-11)
146	मौली होम्योपैथिक कालेज तथा अनुसंधान संस्थान तोंदार ता. उदगीर जिला लातूर 413517	महाराष्ट्र	(16-12)
147	गोंडिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएचएमसी परिसर, सूर्य टोला, गोंडिया-441614.	महाराष्ट्र	(16-13)
148	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चिंचोली, जलगांव, महाराष्ट्र- 425002	महाराष्ट्र	(16-14)
149	के.ई.एस. लोकनेते एडव. दत्ता पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बालासाहेब खरदेकर रोड, वेंगुरला, भटावडी, जिला सिंधुदुर्ग-416 516.	महाराष्ट्र	(16-15)
150	किसान ध्यानोदय मंडल का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, निमजारी रोड, शिरपुर जिला, धुले-425405.	महाराष्ट्र	(16-16)
151	एम.एच.एफ. का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, हानेमन हिल, पोखारीफाटा, गुंजालवाड़ी, तालुका सांगमनेर जिला अहमदनगर-422 605.	महाराष्ट्र	(16-17)
152	मातोश्री आसराबाई दराडे होम्योपैथिक कॉलेज, मातोश्री आसराबाई दराडे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बाबुलगांव, तह.	महाराष्ट्र	(16-18)

	येवला, जिला नाशिक		
153	ओमर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र, नया रेलवे स्टेशन, रजनी, ता. गन्सावांगी, जिला जालना – 425415	महाराष्ट्र	(16-19)
154	श्रद्धा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जिला-वाशिम, कोंडलाजाम्ब्रे, महाराष्ट्र - 443301	महाराष्ट्र	(16-20)
155	नूतन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गेट सं. 412, लंगडेवाड़ी, तालुका क्वाथेमहांकल, जिला सांगली- 416405,	महाराष्ट्र	(16-21)
156	पुरुषोत्तमदास बागला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पठानपुरा मरदा रोड, अरवट, जिला चंद्रापुर-442402.	महाराष्ट्र	(16-22)
157	सायली चेरिटेबल ट्रस्ट, होम्योपैथी कॉलेज, गट सं. 141, 150, 55, मितमिता, नासिक रोड, औरंगाबाद- 431003	महाराष्ट्र	(16-23)
158	श्री भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, सिडको एन-6, औरंगाबाद-431 003.	महाराष्ट्र	(16-24)
159	श्री तख्तमल श्रीवल्लभ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, होम्यो सदन, राजापेट, अमरावती-444 606	महाराष्ट्र	(16-25)
160	श्री तात्यासाहेब घटके चारिटेबल ट्रस्ट, आर.आर. पाटिल होम्योपैथी कॉलेज, पुणे बाईपास रोड, सांगली-416416.	महाराष्ट्र	(16-26)
161	विद्या वैभव शिक्षण मंडल दपोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अपाति, डाकखाना तालसुर, तालुका-दपोली, जिला रत्नागिरी, पिन--415 712	महाराष्ट्र	(16-27)
162	दिशा शिक्षण-वी-विकास केंद्र का ई.बी. गडकरी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 1830/ए/बी, कडगांव रोड, सरकारी आराम गृह के सामने, गाधिंगलाज, जिला कोल्हापुर - 416 502.	महाराष्ट्र	(16-28)
163	गॉधी नाथा रंगाजी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, 13, बुद्धवार पेठ, जैन बोर्डिंग कैंपस, बाली वेस, सोलापुर-413002	महाराष्ट्र	(16-29)
164	भारती विद्यापीठ का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, धनकावडी, कटराज, पुणे-411043.	महाराष्ट्र	(16-30)
165	दक्षिण केसरी मुनि मिश्रीलालजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बिबि का मकबरा के पीछे, श्री गुरू गणेश नगर, औरंगाबाद-431 004	महाराष्ट्र	(16-31)
166	डॉ. एम.एल. धावले मेमोरियल होम्योपैथिक संस्थान, एस.टी. कार्यशाला के सामने, पालघर बोईसर रोड, पालघर - 401 404 (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	(16-32)
167	फोस्टर डेवलपमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एन-5, गुलमोहर कालोनी के पीछे, सिडको, औरंगाबाद - 431003.	महाराष्ट्र	(16-33)
168	गुरू मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शेलगांव, तालुक बदनापुर, जिला जालना - 431 202	महाराष्ट्र	(16-34)
169	राष्ट्रीय होम्यो विज्ञान मेडिकल कॉलेज (वामनराव इथपे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज), न्यू नगर रोड, संगमनेर, जिला अहमदनगर-422 605	महाराष्ट्र	(16-35)
170	पंचशील होम्योपैथिक शिक्षण प्रसारक मंडल का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सिविल लाइंस, केलानगर, खमगांव-444 303, जिला बुलढाण	महाराष्ट्र	(16-36)
171	पौरवी शिक्षण प्रसारक मंडल का महिला होम्योपैथिक मेडिकल	महाराष्ट्र	(16-37)

	कॉलेज एवं अस्पताल, 283/1बी, कोलगिरि नगर, होटगी रोड, माजरेवाडी, सोलापुर, महाराष्ट्र		
172	अहमदनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सवेदी रोड, अहमदनगर -414003	महाराष्ट्र	(16-38)
173	अनंतराव कांसे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अलेफाटा, ताल, जूनार, जिला पूणे-412411.	महाराष्ट्र	(16-39)
174	अंतरभारती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (ढाभा), नागपुर- 440 023.	महाराष्ट्र	(16-40)
175	अटल बिहारी वाजपेयी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जलके (बीके), खडके, तालुक नेवारा, जिला अहमदनगर	महाराष्ट्र	(16-41)
176	श्री जगदगुरू पंचाचार्य एजूकेशन सोसाइटी का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 200 ई, तारानी चौक, कोल्हापुर- 416 003.	महाराष्ट्र	(16-42)
177	बालीराजा शिक्षण प्रसारक मंडल का पद्मश्री श्यामरावजी कदम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, सीआईडीसीओ, नया नांदेड- 431603.	महाराष्ट्र	(16-43)
178	धनवंतरी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, धनवंतरी परिसर, कामतवाडे, अभियंता नगर के सामने, सीआईडीसीओ, नासिक-422008.	महाराष्ट्र	(16-44)
179	गोदावरी फाउंडेशन का डॉ. उल्हास पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोदावरी अस्पताल, एम जे कालेज रोड., जिला जलगॉव - 425001.	महाराष्ट्र	(16-45)
180	श्रीमती कंचनबाई बाबूलालजी (के.बी.) अबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव एवं डाकखाना नेमिनगर, चंदवाड, जिला नासिक-423 101	महाराष्ट्र	(16-46)
181	सोनाजीराव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विद्या नगर (पश्चिम), कॉलेज रोड, बीड-431 122.	महाराष्ट्र	(16-47)
182	गुलाबराव पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 795, गुलाबराव पाटिल एजूकेशन परिसर, सरकारी मिल्क डेयरी के निकट, जिला सांगली, मिराज- 416410.	महाराष्ट्र	(16-48)
183	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अकोट रोड, अकोला-444001.	महाराष्ट्र	(16-49)
184	जनसेवा मंडल का साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, दुगद फाटा, तहसील-भिवंडी, जिला थाणे-421302 (महराष्ट्र).	महाराष्ट्र	(16-50)
185	के.ई.एस. का चंद्रांकांत हरि केलुस्कर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अलीबाग, जिला रायगढ-402 201.	महाराष्ट्र	(16-51)
186	कोंकण एजूकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट का विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वीर सावरकर मार्ग, विरार, तहसील वसई, जिला थाणे-401305.	महाराष्ट्र	(16-52)
187	स्व. श्रीमती हौसाबाई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, निमशिरगांव-416101, सांगली-कोल्हापुर रोड, धर्मन्गा के निकट, ताल-शिरोल, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	(16-53)
188	लोकामान्य मेडिकल फाउंडेशन का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ऐल्पो कंपनी के निकट, पीसीएम चिंचवाड सभागार के पीछे, पुणे-411 033.	महाराष्ट्र	(16-54)

189	महालक्ष्मी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एस.सं. 259, डाकखाना रायगांव, तालुका जाओली, सतारा-415020. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	(16-55)
190	राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केन्द्र, अहमदनगर-	महाराष्ट्र	(16-56)
191	समर्थ एजूकेशन ट्रस्ट का स्वाकार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एएम-1/1, अपर एमआईडीसी, देगांव रोड, सतारा-415004.	महाराष्ट्र	(16-57)
192	शरदचंद्रजी पॅवार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिवा ट्रस्ट कैम्पस, वडाला-महादेव, तालुका श्रीराम जिला अहमदनगर-413739.	महाराष्ट्र	(16-58)
193	श्री चामुंडामाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 9, 10, 11 गायद्धी नगर टेलीफोन एवं पारख नगर, जिल्हा पेठ, जलगांव-425003.	महाराष्ट्र	(16-59)
194	श्रीमती चंदाबेन मोहनभाई पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इरला, नटाक्कर आर.जी. गडकरी मार्ग, विले, पारले (पश्चिम), मुंबई-400 056.	महाराष्ट्र	(16-60)
195	एस वी वी पी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, बी-101, तुलसी आर्केड, कनॉट प्लेस, सिडको, औरंगाबाद-431003, हिंगोली	महाराष्ट्र	(16-61)
196	वसंतराव काले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पी-12, एम.आई.डी.सी., कलाम रोड, लातुर-413 531.	महाराष्ट्र	(16-62)
197	वेनुतई यशवंतराव चवाण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 2968, "सी", दसारा चौक, कोल्हापुर-416002.	महाराष्ट्र	(16-63)
198	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, मवडियांगडियांग, शिलांग, -793018.	मेघालय	(17-01)
199	कटक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नया बाज़ार, कटक - 753004.	ओडिशा	(18-01)
200	डॉ. अभिन चंद्रा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, यूनिट-III, खारवेला नगर, भुवनेश्वर, जिला पुरी-751 001	ओडिशा	(18-02)
201	बीजू पटनायक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बरहामपु, पिन--760001 (गंजम.)	ओडिशा	(18-03)
202	मयूरभंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गांव एवं डाकखाना बारीपदा, जिला म्यूरभंज- 757029.	ओडिशा	(18-04)
203	उड़ीसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान, संबलपु-768 001.	ओडिशा	(18-05)
204	मंजरी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुरानापधान, प्लाट सं.262, पोस्ट-सिसिलो, वाया बलिआंटा, भुवनेश्वर, जिला खोरधा, ओडिशा – 752100	ओडिशा	(18-06)
205	उत्कलमणि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नया बाजार, राउरकेला, ओडिशा-769010	ओडिशा	(18-07)
206	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़ रोड (बाई पास के निकट), अबोहर-152 116.	पंजाब	(19-01)
207	श्री गुरूनानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कैनाल रोड, ब्रेवाल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के निकट, वाया अयालिकलां, लुधियाना-142027.	पंजाब	(19-02)

208	कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कालेज, तरण तारन साहिब पंजाब-004	पंजाब	(19-03)
209	लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉ. हानेमन चौक, किचलू नगर, सिविल लाइंस, लुधियाना-141 001.	पंजाब	(19-04)
210	मांगीलाल निर्बाण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, एम.एन.एस. अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, बीकानेर-334001	राजस्थान	(20-01)
211	श्री गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर-335002	राजस्थान	(20-02)
212	स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, जय विला, नारायण सिंह रोड, त्रिमूर्ति सर्किल के निकट, जयपुर-302004	राजस्थान	(20-03)
213	भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एनएच-11, आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, भरतपुर, राजस्थान – 320001	राजस्थान	(20-04)
214	आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पी. नं.104/1, ढाणी कगोटा की नैला कनोटा, जामवरमगढ़, जयपुर - 303012.	राजस्थान	(20-05)
215	राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विद्यापीठ परिसर, डबोक, उदयपुर-313 002	राजस्थान	(20-06)
216	होम्योपैथी विज्ञान संकाय के अधीन, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान वैली, झरना, महला जोबर, लिंक रोड, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे, एनएच-8, जयपुर-303122	राजस्थान	(20-07)
217	माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, माधव हिल्स, पोस्ट-भारजा, तहसील-पिंडवारा, बानस रिवर ब्रिट टोल के सामने, एचएन-27, आबू रोड, सिरोही- 307026	राजस्थान	(20-08)
218	डॉ. मदन प्रताप खुटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी प्लॉट सं. 10-11 और 12, गांव साईपुरा, सांगानेर, जयपुर–302029.	राजस्थान	(20-09)
219	विश्वविद्यालय होम्योपैथिक कॉलेज, केकरी, अजमेर-305404	राजस्थान	(20-10)
220	विश्वविद्यालय होम्योपैथिक कॉलेज,कादवाड, जोधपुर	राजस्थान	(20-11)
221	ओ पी जे एस होम्योपैथी मेडिकल कालेज, वी पी ओ – रावत सरकुंजला,नियर संखु फोर्ट राजगढ सादुलपुर झुनझुनु रोड, चुरू राजस्थान -331303	राजस्थान	(20-12)
222	युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शिवाजी पार्क, अलवर- 301 001	राजस्थान	(20-13)
223	मार्टिन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डी.पी.एफ. मिल परिसर, जी.एन. मिल्स (पी ओ), मेट्टुपलायम रोड, कोयंबटूर-641 029.	तमिल नाडु	(21-01)
224	श्री साईराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र (सप्तगिरी एजूकेशन ट्रस्ट), साई लियो नगर ताम्ब्रम पश्चिम, चेन्नैई -600044,	तमिल नाडु	(21-02)
225	वेंकटेश्वर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सं; 4/11, समयापुरम मेन रोड, करमबक्कम, पोरुर, चेन्नैई-600 116.	तमिल नाडु	(21-03)
226	सारदा कृष्णन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कुलासेखरम जिला कन्याकुमारी - 629161.	तमिल नाडु	(21-04)

227	विनायक मिशन का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चिन्नासीरगापाडी, पीओ रा०रा०-47 संकरी मेन रोड, सलेम - 636 308.	तमिल नाडु	(21-05)
228	व्हाइट मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अल्तूर, वीयानूर - 629 177, जिला कन्याकुमारी	तमिल नाडु	(21-06)
229	डॉ. हानेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, कोनेरीपट्टी, रासीपुरम, नामक्कल जिला- 637408.	तमिल नाडु	(21-07)
230	एक्सेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एनएच 544, रांगानूर रोड, सनकारी पश्चिम पोस्ट, पालक्कापलायम कोमरपलाएम, नामाकल, तमिल नाडु – 637303	तमिल नाडु	(21-08)
231	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तिरुमंगलम, जिला मदुरै-626 706.	तमिल नाडु	(21-09)
232	मारिया एजूकेशन और चारिटेबल ट्रस्ट, चेवाराकोड कन्याकुमारीज मारिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पेराय थिरुवत्तार पीओ, कन्याकुमारी जिला,- 629177.	तमिल नाडु	(21-10)
233	आर.वी.एस. मेडिकल ट्रस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 242 बी, त्रिची रोड, सुलूर, कोयंबटूर जिला- 402	तमिल नाडु	(21-11)
234	सिवराज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, सिधार कोविल रोड, थुम्बाथुलिपट्टी, पेरुममपथी (पीओ), सलेम- 636 307.	तमिल नाडु	(21-12)
235	एस.वी.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कल्लाकुरिची - 606202, विल्लुपुरम जिला,	तमिल नाडु	(21-13)
236	श्री बरानी होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तिरूचेनगोडे, नामाकल	तमिल नाडु	(21-14)
237	जे.एस.पी.एस. शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रामनाथपुर, हैदराबाद - 500 013.	तेलंगाना	(22-01)
238	जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्री रामनगर, मुचिंतल ग्राम, पालमाकुला, पी.ओ. शम्साबाद मण्डल, जिला रंगारेड्डी -509325	तेलंगाना	(22-02)
239	देवस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, देवानगर, अंकिरेड्डी पल्ली, केसारा मंडल, आर आर जिला– 501301	तेलंगाना	(22-03)
240	गुरू नानक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इब्राहीमपतनम, रानारेडडी जिला, हैदराबाद-501506	तेलंगाना	(22-04)
241	एमएनआर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 2-23बी/350, भाग्यनगर, फेस-III, एचएमटी हिल्स कालोनी के निकट, जेएनटीयू के सामने, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500085	तेलंगाना	(22-05)
242	श्रेयान ईशान एजूकेशनल सोसायटी, हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, क्षीरसागर गांव, मुलुगू मंडल, मेढक जिला- 502279, तेलंगाना	तेलंगाना	(22-06)
243	परम हिमालय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, खैरी रोड, दोईवाला, देहरादून-248140.	उत्तराखंड	(23-01)
244	चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, किच्छा रोड, रूद्रपुर, पीओ लालपुर, जिला उद्यमसिंह नगर, नैनीताल, - 263148.	उत्तराखंड	(23-02)

245	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 1, विराज खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226001	उत्तर प्रदेश	(24-01)
246	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बी-36, नॉलेज पार्क, फेस-।, ग्रेटर नोएडा (जिला गौतम बुद्ध नगर) - 201 306	उत्तर प्रदेश	(24-02)
247	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, गांव नवलपुर, तहसील एटमादपुर, आगरा - 283206	उत्तर प्रदेश	(24-03)
248	पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ब्लॉक ए/1, स्कीम-38, लखनपुर, कल्याणपुर, कानपुर - 208024.	उत्तर प्रदेश	(24-04)
249	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फाफामऊ, इलाहाबाद -02	उत्तर प्रदेश	(24-05)
250	राजकीय डॉ. ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, देवकलि, फैजाबाद--224001.	उत्तर प्रदेश	(24-06)
251	श्री साईनाथ होम्योपैथिक स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज संस्थान और अनुसंधान केंद्र, 109/04, जार्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211003	उत्तर प्रदेश	(24-07)
252	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रौजा, गाजीपुर-233001.	उत्तर प्रदेश	(24-08)
253	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोरखपुर-273402. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	(24-09)
254	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कासिमपुर रोड, छीरत, अलीगढ़-202122, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	(24-10)
255	राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रेलवे लाइन पार, मुरादाबाद- 001.	उत्तर प्रदेश	(24-11)
256	राजकीय श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चंदेश्वर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश - 276 001.	उत्तर प्रदेश	(24-12)
257	बंगाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इस्माइल, पीओ आसनसोल -713 301, जिला बर्धवान	पश्चिम बंगाल	(25-01)
258	बिरभूम विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पीओ सैंथिया, जिला बिरभूम-731234	पश्चिम बंगाल	(25-02)
259	नेतई चरण चक्रवर्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 45, 'एफ' रोड, बेलगचिया, हावड़ा-711 101.	पश्चिम बंगाल	(25-03)
260	डी.एन. डे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 12, जी.के. रोड, कोलकाता-700 046	पश्चिम बंगाल	(25-04)
261	महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एच.आई.टी. रोड, इच्छापुर, दूमुर्जला हावड़ा-4	पश्चिम बंगाल	(25-05)
262	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ब्लॉक-जीई, सेक्टर-III, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106.	पश्चिम बंगाल	(25-06)
263	दॅ कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 265/66, आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा रोड, कोलकाता-09	पश्चिम बंगाल	(25-07)
264	बर्धवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, निंबारक भवन राज गंज पीओ नूतनगंज, जिला बर्धवान-713 102	पश्चिम बंगाल	(25-08)
265	खड़गपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कौशल्या, पीओ खड़गपुर-721 301. जिला मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	(25-09)

266	मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रामचंद्रपुर, सोदेपुर, कोलकाता-700 110.	पश्चिम बंगाल	(25-10)
267	मिदनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पीओ और जिला मिदनापुर-721 104.	पश्चिम बंगाल	(25-11)
268	प्रताप चंद्र मेमोरियल होम्योपैथिक अस्पताल और कॉलेज, 14/1, नरकेलडंगा नॉर्थ रोड, कोलकता -700 011	पश्चिम बंगाल	(25-12)

अनुलग्नक –V

(आयुर्विज्ञान अर्हता कोड)

(विनियम 3 उप विनियम (1) देखें)

क्रम सं.	अर्हता	कोड
(1)	(2)	(3)
1	स्नातक	अ
2	स्नात्कोत्तर	ब
3	होम्योपैथी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई अर्हता	स

XXXXX

अनुलग्नक –VI

(विनियम 3 उप विनियम (2) देखें)

(होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार भारत में विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं0	विश्वविद्यालय,बोर्ड अथवा मेडिकल संस्थान का नाम	मान्यता प्राप्त अर्हता	पंजीकरण हेतु उप नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुलग्नक –VII

(विनियम 3 देखें)

आयुर्विज्ञानी अर्हता मान्यता सूची (एम क्यू आर एल)

(अधिनियम की धारा 35 देखें)

(भारत में विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं0	राज्य (कोड)	विश्वविद्यालय का नाम (कोड)	मेडिकल संस्थान का नाम (कोड)	आयुर्विज्ञानी अर्हता (कोड)	डिजिटल (कोड)	वैधता अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

XXXXXX

अनुलग्नक –VIII

(विनियम 6 देखें)

आयुर्विज्ञानी अर्हता मान्यता सूची (एम क्यू आर एल)

(अधिनियम की धारा 36 देखें)

(भारत से बाहर विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं0	देश (कोड)	विश्वविद्यालय का नाम (कोड)	मेडिकल संस्थान का नाम (कोड)	अर्हता (कोड)	वैधता अवधि	डिजिटल कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

XXXXXX

अनुलग्नक –IX

(विनियम 6 देखें)

(होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 की तृतीय अनुसूची के अनुसार भारत से बाहर किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं0	**विश्वविद्यालय,बोर्ड अथवा मेडिकल संस्थान का नाम**	**मान्यता प्राप्त अर्हता**	**पंजीकरण हेतु उप नाम**	**टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

XXXXX

प्रपत्र-अ

(विनियम 3 उप विनियम (4) तथा विनियम 4 उप विनियम(2) देखें)

भारत में स्नातक पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता हेतु आवेदन

1 अर्हता प्रदान करने वाले आवेदक विश्वविद्यालय का नाम :
2 आवेदक कालेज/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम :
3 स्नातक पाठ्यक्रम का पूरा नाम :
4 स्नातक पाठ्यक्रम का उप नाम :
5 दाखिल सत्र/ बैच हेतु आवेदन :
6 आवेदन के समय (आन लाईन/ऑफ लाईन) सभी दस्तावेजों को उचित माध्यम से जमा करना होगा :
7 आवेदित पाठ्यक्रम हेतु आयुर्विज्ञान संस्थानों /विश्वविद्यालयों से संबद्ध अनुमति प्राप्त होम्योपैथी मेडिकल कालेज दाखिल क्षमता सहित :-

क्रम सं.	महाविद्यालय/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम	पता	ई-मेल	वेब साइट	आवेदित शैक्षणिक सत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

XXXXX

केन्द्रीय सरकार / न्यायालय से विशिष्ट बैच के लिए अनुमति (प्रति संलग्न/ अपलोड करें)	अनुमति प्राप्त दाखिला क्षमता	दाखिल छात्रों की संख्या	टिप्पणी यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)

8. निम्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल छात्रों का विवरण उपलब्ध करायें :-

क्रम सं.	छात्रों का नाम	दाखिले की तिथि	सामान्य योग्यता		प्रवेश कोटा		द्वारा प्रवेश	
			रैंक	प्राप्तांक	अखिल भारतीय हॉ/ना	राज्य (हॉ/ना)	प्राधिकरण पर प्रवेश	न्यायालय आदेश तथा अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

विश्वविद्यालय प्रवेश पंजीकरण की तिथि	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	गृह शिक्षुता पूर्ण की तिथि	टिप्पणी यदि कोई हो
(10)	(11)	(12)	(13)

9. कालेज अनुसार/ संस्थान अनुसार स्थानांतरित छात्रों का विवरण उपलब्ध करायें :-

9 –अ अन्य कालेज में स्थानांतरित छात्रों का विवरण (सहायक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें) :-

क्रम सं0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	छात्र का नाम	स्थानानतरण की तिथि	स्थांतरण का व्यावसायिक वर्ष	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9 –ब अन्य कालेज से स्थानांतरित छात्रों का विवरण(सहायक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें) :-

क्रम सं.	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	छात्र का नाम	स्थानानतरण की तिथि	स्थांतरण का व्यावसायिक वर्ष	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10 – गृह शिक्षुता वाले छात्रों का पाठ्यक्रम हेतु विवरण:-

क्रम सं0	छात्र का नाम	दाखिले की तिथि	अंतिम बी एच एम एस पूर्ण कर परीक्षा परिणाम की तिथि	अस्थायी पंजीकरण सं0	अस्थायी पंजीकरण का वर्ष (राज्य होम्योपैथी मेडिकल परिषद् / होम्योपैथी बोर्ड से)	गृहशिक्षुता आरंभ की तिथि	गृहशिक्षुता पूर्ण करने की तिथि	टिप्पणी यदि कोई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पंजीयक के हस्ताक्षर
विश्वविद्यालय की मुहर एवं तिथि सहित

संलग्नकों की सूची :-

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञानी अर्हता सूची में सूचीबद्धता हेतु आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा निम्न सूचना की सहायक दस्तावेजों को अपलोड अथवा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा:-

(1) संबंधित विश्वविद्यालय के पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित (मुहर) तथा संबंधित महाविद्यालय/ आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सभी दस्तावेज

(2) वर्तमान(तथा पूर्व मे) में विश्वविद्यालय से संबद्ध होम्योपैथी कालेजों / आयुर्विज्ञान संस्थानों की संख्या (उनके नाम, पते तथा दाखिल क्षमता) का विवरण

(3) विश्वविद्यालय अध्यादेश / विनियमों की प्रति (विश्वविद्यालय पंजीयक के हस्ताक्षर युक्त)

(4) विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों के दाखिले का विवरण, छात्रों के नाम, दाखिले की तिथि,एन ई ई टी प्राप्तांक – यदि लागू हो, वार्षिक परीक्षा की तिथि जिसमें वे उपस्थित हुए हों तथा उसमें प्राप्तांक को अपलोड अथवा उपलब्ध करायें,

(5) संलग्न प्रपत्र में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थांतरण का विवरण तथा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् तथा विश्वविद्यलय से अनुमति प्राप्त है, अपलोड अथवा उपलब्ध करवायें,

(6) पाठ्यक्रम में असफल छात्रों का विवरण, यदि हों तो संख्या (महाविद्यालय अनुसार) तथा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या (अलग अलग) उपलब्ध करायें,

(7) प्रत्येक छात्र द्वारा आवश्यक गृह शिक्षुता आरंभ एवं पूर्णता की तिथि जो कि सभी विषयों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये हो प्रशिक्षण देने वाले अस्पताल का नाम जहाँ वह प्रशिक्षण प्राप्त किया हो / की हो,(राज्य होम्योपैथी परिषद् प्रदत्त अस्थाई पंजीकरण संख्या)

(8) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट वर्ष हेतु प्रदत्त मान्यता की प्रति,

(9) अन्य सूचना जब जैसी आवश्यक हो ।

प्रपत्र-ब

(विनियम 3 उप विनियम (4) तथा विनियम 4 उप विनियम(2) देखें)

भारत में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता हेतु आवेदन

1 अर्हता प्रदान करने वाले आवेदक विश्वविद्यालय का नाम :

2 आवेदक कालेज/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम :

3 स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम का पूरा नाम :

4 स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम का उप नाम :

5 दाखिल सत्र/ बैच हेतु आवेदन :

6 आवेदित पाठ्यक्रम हेतु आयुर्विज्ञान संस्थानों /विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुमति प्राप्त होम्योपैथी मेडिकल कालेज दाखिल क्षमता सहित :-

क्रम सं.	महाविद्यालय/केन्द्र/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम	पता	ई-मेल	वेब साइट	आवेदित शैक्षणिक सत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

XXXXXX

केन्द्रीय सरकार / न्यायालय से विशिष्ट बैच के लिए अनुमति (प्रति संलग्न करें)	अनुमति प्राप्त दाखिला क्षमता	दाखिल छात्रों की संख्या	टिप्पणी यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)

7. निम्न प्रारूप के अनुसार एमडी (होम) पाठ्यक्रम हेतु (विशेषज्ञता के विषयों के अनुसार)/ अन्य कोई स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल नियमित छात्रों की संख्या (वर्ष एवं विषयानुसार) उपलब्ध करायें :-

छात्र का नाम महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि सहित	पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में पंजीकरण की तिथि	सामान्य योग्यता		प्रवेश कोटा		द्वारा प्रवेश	
		रैंक	प्राप्तांक	अखिल भारतीय हॉ/ना	राज्य (हॉ/ना)	प्राधिकरण पर प्रवेश हॉ / ना	न्यायालय आदेश तथा अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अर्हता (डिग्री) का नाम प्रदत्त प्राधिकारी का नाम तथा एम डी (होम) में प्रवेश का वर्ष	स्नातक स्तर पर गृह शिक्षुता पूर्णकरने की तिथि	राज्य होम्योपैथी परिषद् में पंजीकरण की तिथि	एम डी (होम) पार्ट-1 परीक्षा पूर्णता की तिथि /निर्धारित परीक्षा	एम डी (होम) पार्ट -2 का परीक्षा पूर्णता की तिथि /निर्धारित परीक्षा	एम डी (होम) पार्ट -2 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	टिप्पणी यदि कोई
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

8. स्नात्कोत्तर छात्रों द्वारा किए गये कार्यों का विवरण-

8. – अ. स्नात्कोत्तर छात्रों के शोध निबंध (डिजर्टेशन) के विषय- वार्षिक/अनुभाग अनुसार:-

क्रम सं0	छात्र का नाम	हाउस जॉब की अवधि .... से .... तक	विषय का नाम	जमा करने की तिथि	प्रकरण से कोई प्रकाशन हॉ / ना	यदि हॉ विवरण दें (लेख का विषय/जर्नल का नाम / वर्ष / माह / अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ब. स्नातकोत्तर छात्रों, बैच द्वारा दिए गये व्याख्यान:-

क्रम सं.	छात्र का नाम	कक्षा	तिथि व दिन	समय	विषय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स. स्नातकोत्तर छात्रों,बैच द्वारा दी गई प्रस्तुति/ संगोष्ठी में भाग लिया:-

क्रम सं.	छात्र का नाम	प्रस्तुति की सूची	भाग लिए गए समिनार का विषय
(1)	(2)	(3)	(4)

XXXXXX

पंजीयक के हस्ताक्षर
विश्वविद्यालय की मुहर एवं तिथि सहित

संलग्नकों की सूची :- अपलोड अथवा उपलब्ध करायें

(i) स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम विशेषज्ञता के विषयवार,बैचवार, स्नात्कोत्तर प्रवेश परीक्षा (जो भी लागू हो), प्राप्तांक, संबंधित महाविद्यालय द्वारा पंजीकृत जिनकी जॉच विश्वविद्यालय द्वारा (आज तक) की गई हो, छात्रों के नामों का विवरण उपलब्ध अथवा अपलोड करेगा,

(ii) संबधित महाविद्यालय के होम्योपैथी अस्पताल में स्नात्कोत्तर छात्रों हेतु अंत:रोगी विभाग में निर्धारित शैय्या का रोगी द्वारा माहवार/वार्षिक अधिभोग का विवरण अपलोड अथवा उपलब्ध करवायें,

(iii) स्नात्कोत्तर छात्रों द्वारा विभाग में हाउस जॉब अथवा प्रशिक्षण के दौरान किए गए कार्यों का रिर्पोट अपलोड अथवा उपलब्ध करायें,

(iv) विश्वविद्यालय अध्यादेश अथवा विनियमों की प्रति (विश्वविद्यालय पंजीयक द्वारा सत्यापित), स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाए,

(v) विभिन्न विशेषज्ञता के विषयों के जारी सभी परीक्षा परिणामों की प्रति (महाविद्यालयवार, योग्य बैचवार),

(vi) अन्य आवश्यक सूचना यदि आवश्यक हो I

प्रपत्र- स

(विनियम 5 देखें)

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 35 के अंतगर्त

(भारत में डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय हेतु) आयुर्विज्ञानी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु अपील करने हेतु आवेदन-

निदेश :-

1. डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा जमा करने हेतु आवेदन
2. यदि एक विश्वविद्यालय से एक से अधिक संस्थान संबद्ध हों तो प्रत्येक संस्थान के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा
3. आवेदन या तो प्रथम बैच के अस्थायी प्रमाण पत्र जारी होने या डिग्री प्रदान करने , या गृह शिक्षुता के दौरान जमा की जा सकती है

1	पीडित विश्वविद्यालय का नाम	
2	पीडित विश्वविद्यालय का पता	
3	संबंधित विश्वविद्यालय पंजीयक का ई – मेल	
4	संपर्क व्यक्ति (नाम तथा पद)	
5	मोबाईल नं0 (संपर्क व्यक्ति)	
6	ई-मेल पता (संपर्क व्यक्ति)	
7	आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम	
8	पाठ्यक्रम की नाम पद्धति	
9	पाठ्यक्रम का उपनाम (यदि हो)	

10	बोर्ड को प्रथम आवेदन की तिथि	
11	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन नामंजूर करने की तिथि	
12	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन नामंजूर करने के कारण	
13	विश्वविद्यालय को अपील/प्रार्थना	
14	अपील करने का औचित्य दस्तावेजों सहित	
नोट : कृपया जहॉ लागू नहीं है वहॉ लागू नहीं लिखें		

संलग्नक :-

1. सफल अभ्यार्थियों को जारी करने वाली डिग्री की मूल रद्द प्रति / नमूना प्रति

2. संचालन करने वाली विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या की प्रति

घोषणा अथवा प्रमाण पत्र

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण अथवा संलग्न मेरे विश्वास एवं जानकारी से सत्य है। मै सुनिश्चित करता हूँ, कि यह विश्वविद्यालय /प्रदत्त निकाय पूर्णता से उन नियम तथा विनियम जो कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग / पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा लागू किये गये हों तथा होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है,पालन करते हैं।

पंजीयक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय की मुहर एवं तिथि सहित
(जारी करने वाले प्राधिकारी)
पदनाम

[**टिप्पणी** : यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–29112023–250299

CG-DL-E-29112023-250299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2023/अग्रहायण 7, 1945
No. 778] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2023/AGRAHAYANA 7, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर 2023

फा. सं. 3-104/2023/रा.हो.आ/एच.ई.बी/परिक्षा विनियम– राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधिक्रमण में उप-धारा (1) और धारा 55 की उप- धारा (2) के खंड (ज), (ञ), (ट), (ठ), (ड) और (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (राष्ट्रीय होम्योपैथी परीक्षा) विनियम, 2023 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है ;

(ii) "अनुलग्नक " से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न एक अनुलग्नक है ;

(iii) " परीक्षा प्रकोष्ठ " से तात्पर्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा हेतु योजना बनाने तथा आयोजित करने हेतु गठित प्रकोष्ठ है ;

(iv) "नामित प्राधिकरण" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा होम्योपैथी परीक्षा अथवा योजना, समन्वय तथा होम्योपैथी राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित अथवा परीक्षण हेतु प्राधिकृत कोई एजेंसी अथवा प्राधिकरण तथा /अथवा एक परीक्षा प्रकोष्ठ है ;

(v) "परामर्शदाता प्राधिकरण" से तात्पर्य है केन्द्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति जैसा कि अखिल भारतीय सीटों के सीट आवंटन हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश कोटा हेतु राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट परामर्श समिति;

(vi) "राष्ट्रीय परीक्षा" से तात्पर्य है परीक्षा अथवा परीक्षण जिसमें शामिल है होम्योपैथी हेतु राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय निकास परीक्षा, राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा आयोजित अन्य कोई परीक्षा ।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति जोकि परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , उनका वही अर्थ होगा जो कि इन विनियमों में नियत किया गया है,

3.परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्य :- (1)अधिनियम 14,15,16 तथा 17 में उल्लेखित विभिन्न परीक्षाओं के समन्वय अथवा आयोजित करने हेतु आयोग के अधीन स्वतंत्र "परीक्षा प्रकोष्ठ" होगा तथा परीक्षायें जो कि अधिनिमय के अध्याय- IV में उल्लेखित नहीं हों किन्तु समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित तथा आवश्यक मानी जाएं ।

(2)परीक्षा प्रकोष्ठ,प्रत्येक महाविद्यालय से प्रवेशित छात्रों तथा विशेष वर्ष हेतु स्वीकृत प्रवेश क्षमता सहित प्राप्त आकडों को सत्यापित करेगा तथा कमियॉ, यदि कोई हो, तो संबंधित बोर्ड को रिपोर्ट करेगा ।

(3)परीक्षा प्रकोष्ठ, प्रत्येक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑकडे निम्न मानदण्डों के आधार पर सत्यापित करेगा–

(i) आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तथा समय में इस अधिनियम के अनुलग्नक-I तथा अनुलग्नक-III में उल्लेखित प्रारूप में महाविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रवेशित छात्रों के ऑकड़े।

(ii) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में निश्चित तिथि एवं समय पर जैसा कि इस अधिनियम के अनुलग्नक - II तथा अनुलग्नक-IV लें उल्लेखित हैं, परामर्शदाता प्राधिकरण (केन्द्र तथा राज्य) द्वारा प्रस्तुत प्रवेशित छात्रों के ऑक्डें ।

(iii) महाविद्यालय, होम्योपैथी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं कोटि निर्धारण बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से मान्यता प्राप्त होगा ।

(iv) स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की कुल संख्या, जैसा मामला हो, होम्योपैथी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं कोटि निर्धारण बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,भारत सरकार से विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र के लिए स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार होगी ।

(v) सभी छात्रों को केन्द्र अथवा राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रशासन, जैसा मामला हो, परामर्श के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा ।

(vi) अभ्यर्थी(स्नातक) के विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा, क्रमांक सं०, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा श्रेणी, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक, परामर्शदाता प्राधिकरण, श्रेणी यदि कोई हो, राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा के ऑकडों, केन्द्र अथवा राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश परामर्शदाता प्राधिकरण द्वारा जैसा कि मामला हो, अनुमत छात्रों की संख्या, संस्थावार प्रस्तुत ऑकडों के साथ सत्यापित करेंगे ।

(vii) अभ्यर्थी(स्नातकोत्तर) के विवरण जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा क्रमांक सं०, परामर्शदाता प्राधिकरण, श्रेणी, यदि कोई हो, प्रदत्त विशेषज्ञता अथवा स्नातकोत्तर विषय को प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा परिणाम के ऑकड़े का सत्यापन तथा केन्द्र अथवा राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के परामर्शदाता प्राधिकरण द्वारा संस्थावार प्रदत्त, छात्रों के समेकेतिक ऑकड़े ।

(viii) इस विनियम के खण्ड 3 के उप खण्ड (3) के मद (vi) तथा मद (vii) के अनुसार जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आकड़े प्रदत्त करने में असफल होगें उन्हें रूपये एक लाख (रू० 1,00,000/-) प्रति दिन के हिसाब से दण्ड प्रभार लगाया जाएगा अथवा जैसा कि समय समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा । भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि स्थांतरण के माध्यम से किया जाएगा अथवा वास्तवित समय सकल समझौता (रियल टाइम ग्रौस सेटलमेंट) के अन्तर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के खाते में स्थांतरित किया जाएगा ।

(ix) परीक्षा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को संस्थावार आकडों की सत्यापित रिपोर्ट कमियों सहित, यदि कोई हो, जैसा मामला हो, प्रस्तुत करेगा ।

(x) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेशित छात्रों के आकड़े स्वीकृत किए जाने के पश्चात परीक्षा प्रकोष्ट एक विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज जारी करेगी । विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज में निम्न शामिल होंगे –

आयुष पहचान प्रारूप :

वर्तमान वर्ष की अन्तिम दो इकाई + संस्थान का विशिष्ट पहचान दस्तावेज + राज्य उप नाम की दो इकाई राज्य + उर्ध्वगामी संख्या की अन्तिम पॉच इकाई ।

उदाहरण – 23होम2509पब 00031

(xi) यदि छात्र का एक संस्थान से अन्य संस्थान में स्थांतरण होता है तो विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज को निम्न रूप से संशोधित किया जाएगा –

अ. अक्षर 'स्था ' जिसका अर्थ 'स्थांतरण' होगा, जो कि उपनामों के साथ जोड़ा जाएगा जैसे कि ; 'होम स्था'-

आ. संस्थान तथा राज्य कोड को नये संस्थान के पहचान दस्तावेज तथा राज्य कोड लागू होगा :

उदाहरणार्थ :

यदि छात्र उत्तराखण्ड(उख) के होम0459 से राजस्थान (राज) होम0232 में स्थांतरण लेता है तो नये आयुष पहचान दस्तावेज होगा –

21होम स्था 0232 राज 17256 होगा, तथा

(xii) कमियो के मामले में अथवा यदि आयुर्विज्ञान संस्थान प्रस्तुत द्वारा विवरण गलत हों, ऐसे छात्र के अस्थायी आयुष पहचान दस्तावेज वापस ले लिए जायेंगे तथा मामला होम्योपैथी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं कोटि निर्धारण बोर्ड को दण्ड हेतु अग्रसित किया जाएगा, जैसा कि उपयुक्त हो ।

4. परीक्षक प्रकोष्ठ को संघठन :- (1) परीक्षा प्रकोष्ठ में निम्न होंगे :

(i) परीक्षा नियंत्रक

(ii) परीक्षा उप नियंत्रक

5.परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व :- परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व निम्न होंगे :-

(अ) परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित सभी गतिधियों के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(आ) वह अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग तथा अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से विचार विमर्श कर इन विनियमों में सूचीबद्ध विभिन्न परीक्षाओं की योजना एवं आयोजन करेगा ।

(इ) वह प्रत्येक परीक्षा के लिए कैलेंडर तैयार करेगा तथा गतिविधि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित करेगा ।

(ई) वह विभिन्न परीक्षओं के आयेाजन हेतु उपयुक्त एजेंसी की पहचान करेगा तथा उसकी संस्तुति सलाहकार समिति के अनुमोदन हेतु करेगा ।

(उ) वह दिए गये परीक्षा के आयोजन हेतु अनुमोदित एजेंसी के साथ समन्वय करेगा, तथा,

(ऊ) अन्य कोई गतिविधि जैसा कि अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड अथवा अध्यक्ष, आयोग द्वारा समय समय पर दी जाएँगी ।

6. परीक्षा उप नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व :- परीक्षा उप नियंत्रक के कर्तव्य व उत्तरदायित्व जैसा कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियत किए जाएँगे तथा वह परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्य को सुचारू रूप से निर्वहन करने में उसकी सहायता करेगा ।

7. सामान्य सलाह कार समिति तथा तकनीकी समिति : - प्रत्येक परीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति तथा तकनीकी समिति का गठन आयोग द्वारा अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड से विचार विमर्श से किया जाएगा ।

8. सलाहकार समिति का गठन :- सलाहहकार समिति में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे :-

(अ) आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष

(आ) अध्यक्ष होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - सदस्य

(इ) आयुष मंत्रालय से मनोनीत - सदस्य

(ई) होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य

(अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग) द्वारा मनोनीत – सदस्य

(उ) परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव

9. सलाहकार समिति की शर्तें:-

सलाहकार समिति गठन की निम्न शर्तें होंगी :-

(अ) सलाहकार समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा अथवा आयोग द्वारा नये समिति के गठन तक, जो भी पहले हो, तक होगा;

(आ) सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी;

(इ) सलाहकार समिति अध्यक्ष की सहमति से आवश्यकता अनुसार किसी विशेषज्ञ की सेवा ले सकती है;

(ई) सलाहकार समिति उपयुक्त एजेंसी की पहचान कर प्रवेश, परीक्षा अथवा जॉच हेतु कार्य सौपेगी;

(उ) सलाहकार समिति, आयुष प्रवेश राष्ट्रीय केन्द्रीय परामर्शदाता समिति का गठन परामर्श तथा अखिल भारतीय कोटा की सीट आवंटन हेतु करेगी ।

10. तकनीकी समिति का गठन :- तकनीकी समिति का गठन निम्न से किया जाएगा अर्थात :-

(अ) अध्यक्ष होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - अध्यक्ष

(आ) निदिष्ट एजेंसी से नामित - सदस्य

(इ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा
नामित दो होम्योपैथी विशेषज्ञ - सदस्य

(ई) स्वास्थ्य शिक्षा प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य

(उ) उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव

(अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा)

11. तकनीकी समिति की शर्तें :- तकनीकी समिति के गठन की शर्तें निम्न होंगी अर्थात:-

(अ) समिति का कार्यकाल दो वर्ष अथवा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो तक का होगा ।

(आ) समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी ।

(इ) समिति, अध्यक्ष तकनीकी समिति की सहमति से आवश्यकता अनुसार किसी विशेषज्ञ की सेवा ले सकती है ।

(ई) तकनीकी समिति प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का ख़ाका विकसित करेगी ।

(उ) तकनीकी समिति प्रश्न पत्र तैयार करने हेतु विशेषज्ञ एवं मध्यस्थ की पहचान करेगी ।

(ऊ) तकनीकी समिति नियत एजेंसी के साथ परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सहयोग करेगी ।

(ए) तकनीकी समिति सुनिश्चित करेगी की परीक्षा संबंधित मामलों में गोपनीयता बनी रहे ।

12. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा:- (1) होम्योपैथी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा, आयोग द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकरण अथवा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएँगी ।

(2) होम्योपैथी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की योग्यता तथा स्नातक पाठयक्रम में परामर्श प्रक्रिया, को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम – होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया पाठ्यक्रम विनियम, 2022), जैसा अधिसूचित किया गया है तथा जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश हैं, के अनुसार होगा ।

13. राष्ट्रीय निकास परीक्षा:- (1) आयोग, निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के खण्ड (15) उप खण्ड (1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक सामान्य होम्योपैथी राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित करेगी ।

(2) राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन चिकित्सा साभ्यासी को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने तथा राज्य पंजिका अथवा राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सा साभ्यासी के रूप में दर्ज करने हेतु किया जाएगा ।

(3) होम्योपैथी स्नातक को एक होम्योपैथी साभ्यासी के रूप में पंजीकरण हेतु परीक्षा का स्वरूप नैदानिक योग्यता पर आधारित होगी ।

(4) राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन सामान्यतया प्रत्येक वर्ष फरवरी तथा अगस्त माह में किया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय निकास परीक्षा में उपस्थित होने की योग्यता निम्न होगी :-

(अ) एक इन्टर्न जो कि कम से कम दो सौ तथा सत्तर दिन की इंटर्नशिप, राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आवेदन जमा करने के अंतिम दिन तक पूर्ण कर चुका हो ।

(आ) होम्योपैथी स्नातक जो कि अपनी इंटर्नशिप पूर्ण कर चुका हो ।

(इ) विदेशी नागरिक जिनकी अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के तृतीय अनुसूची में शामिल हो अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा-36 के अनुसार मान्यता प्राप्त हो ।

(6) यद्यपि, राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीचिकित्सा साभ्यासी का पंजीकरण तभी पा सकेगा जब कि वह शेष अवधि की गृह शिक्षुता पूर्ण कर ले तथा होम्योपैथी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड उल्लेखित योग्यता पूर्णकर ले ।

(7) साभ्यासी जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं अथवा इन विनियमों की अधिसूचना के पूर्व अपनी इंटर्नशिप पूर्ण कर चुके है उन्हें राष्ट्रीय निकास परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यता नहीं होगी ।

(8) होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 15 का उप धारा (1) के अनुसार बिना राष्ट्रीय निकास परीक्षा पास किये कोई भी होम्योपैथी स्नातक (होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक) राज्य, केन्द्र शासित अथवा केन्द्रीय पंजीका में पंजीकरण हेतु जैसा कि मामला हो, योग्य नहीं होगा।

(9) राष्ट्रीय निकास परीक्षा में प्रवेश के प्रयासों की कोई सीमा नहीं होगी ।

(10) अभ्यर्थी जो कि 50% या अधिक अंक प्राप्त करे उसे राष्ट्रीय निकास परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा तथा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा ।

(11) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी स्नातक डिग्री अन्य सभी अवसर कार्यों के लिए मान्य होगी तथा अन्य शिक्षा कार्यक्रमों अथवा पाठ्यक्रमेां जहॉ चिकित्सा पंजीकरण आवश्यक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण :- अन्य स्नातक डिग्रीधारियों की अपेक्षा यह होम्योपैथी डिग्री धारी, जिन्होंने राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो, वे चिकित्सा साभ्यास करने के योग्य नहीं होंगे, यद्यपि वे रोजगार अथवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जहॉ से डिग्रीयॉ मान्यता प्राप्त हो, में प्रवेश ले सकते हैं ।

(12) राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा पंजीकृत चिकित्सा साभ्यासी का राज्य अथवा राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकरण आवश्यक होगा अथवा अन्य कोई कार्य जिसमें नैदानिक कार्य शामिल हो अथवा होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेना हो ।

14. अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा:- (1) जैसा कि होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) उल्लेखित है, स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को अन्यथा अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा कहा जाएगा।

(2) होम्योपैथी के लिए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का आयोजन आयोग निर्दिष्ट एजेंसी के माध्यम से करेगा।

(3) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर परीक्षा सामान्यता प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि में आयोजित होगी।

(4) स्नातक डिग्री धारक (होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक) जिन्होंने अपनी रोटेटरी गृह शिक्षुता 30 अप्रैल तक किसी होम्योपैथी संस्थान में पूर्ण कर ली हो अथवा समय समय पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर ली हो, अखिल भारतीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्रवेश करने हेतु योग्य होगा।

(5) प्रवेश के समय अभ्यर्थीके पास वैध चिकित्सा साभ्यासी का राज्य अथवा केन्द्रीय संघ शासित प्रदेश अथवा राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकरण, जैसा मामला हो, होना आवश्यक है।

(6) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा जारी किया जाएगा तथा वर्ष के विशेष शैक्षिक सत्र के लिए लागू होगा।

(7) परामर्श तथा होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

15. राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा :- (1) राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा होम्योपैथी स्नातकोत्तर के लिए अलग से किया जाएगा जो कि होम्योपैथी में शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहता हो।

(2)राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा देने हेतु न्यूनतम योग्यता आयोग अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अथवा शैक्षिणक संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त विषय में स्नातकोत्तर होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति जो प्रथम बार सहायक प्राध्यापक (एसे स्तर का शिक्षण व्यावसाय चुनना चाहता है, तो उसे परीक्षा देनी होगी तथा न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे (बिना पूर्णांकित किए)।

(4) मान्यता प्राप्त संस्थान से शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जीव रसायन, न्याय आयुर्विज्ञान तथा विष-विज्ञान में विज्ञान निष्णात, सार्वजनिक स्वास्थ्य में निष्णात सहायक प्राध्यापक हेतु राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा दे सकता है यदि अभ्यर्थीहाम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया में स्नातक डिग्री प्राप्त हो।

(5) यदि कोई व्यक्ति जो कि पहली बार सह- प्राध्यापक (एसोसिऐट प्रोफेसर) स्तर का शिक्षण व्यावसाय अपनाना चाहता है तथा पॉच वर्ष का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अथवा राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा, आयुष मंत्रालय में निमित कार्य करने का अनुभव रखता हो (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात) अथवा पॉच वर्ष का मान्यता प्राप्त होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सा अधिकारी के रूप में (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात) पूर्णकालिक कार्य करने का अनुभव रखता हो वह राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा में सह-प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) यदि कोई व्यक्ति पहली बार सह- प्राध्यापक स्तर को शिक्षण व्यावसाय अपनाना चाहता है तथा संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त होम्योपैथी स्नातकोत्तर अर्हता के साथ पॉच वर्ष का केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेश विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान का पूर्णकालिक का अनुभव के साथ कम से कम तीन अनुक्रमित प्रकाशन अथवा किसी पत्रिका में समीक्षा प्रकाशित की हों वह भी राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता में सह- प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन विज्ञान न्याय विज्ञान में विज्ञान में निष्णात के साथ विज्ञान वाचस्पति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सार्वजनिक स्वास्थ्य में निष्णात भी राष्ट्रीय प्रवेश योग्यता परीक्षा में सह- प्राध्यापक के पद हेतु आवेदन कर सकता है।

(8) परीक्षा का स्वरूप कौशल आधारित होगा तथा शिक्षण कौशल, संप्रेषण कला, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा आकलन तकनीक, छात्र मनोविज्ञान, एंड्रागॉजी, अध्यापन शास्त्र, जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय समय दिए गये दिशा निर्देशों पर केन्द्रित रहेगा।

(9) आयोग, उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(10) शिक्षक योग्यता परीक्षा अवैध मानी जाएगी यदि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा राष्ट्रीय येाग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के दस वर्ष के अन्दर पदभार न ग्रहण करे अथवा शिक्षण व्यवसाय में दस वर्ष अथवा अधिक का विराम हो । इस प्रकार के मामलों में पुन: शिक्षा व्यवसाय से जुड़ने के लिए होम्योपैथी आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा पुन: देनी होगी ।

(11) अभ्यर्थी को आवेदन से पहले शिक्षक की योग्यता पात्रता में अपनी योग्यता के प्रति संतुष्ट करना चाहिए तथा वह आवेदन के लिए अयोग्यता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

(12) यदि अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी पात्रता सत्यापित हो गयी है तथा इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता ।

(13) पात्रता अंतिम तौर पर संबंधित भर्ती एजेंसी अथवा नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किया सत्यापन की जायेगी ।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

[विज्ञापन-III/4/असा./560/2023-24]

अनुलग्नक –I

(विनियम -3(3) (i) देखें)

होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु शैक्षणिक वर्ष ..... के लिए स्नातक छात्रों के ऑकड़े जमा करने हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा उपलब्ध संस्थान के पहचान दस्तावेज	प्रवेश की तिथि	अभ्यर्थीका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	राष्ट्रीय योगयता सह प्रवेश परीक्षा रैंक	राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता	अखिल भारतीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा क्रमांक	राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक	श्रेणी		प्रवेशित कोटा	केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन परामर्श से प्रवेशित छात्र
											अभ्यर्थी श्रेणी	प्रवेशित श्रेणी		

XXXXX

अनुलग्नक –II

(विनियम 3 (3)(ii) देखें)

महाविद्यालय वार परामर्श दाता प्राधिकरण द्वारा प्रवेशित छात्रों (स्नातक) को शैक्षणिक वर्ष ..... के लिए जमा करने हेतु समेकेतिक प्रारूप

क्रम संख्या	परामर्श दाता प्राधिकरण	अभ्यर्थिका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	अखिल भारतीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा क्रमांक	अखिल भारतीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता	अखिल भारती-य योग्यता सह प्रवेश परीक्षा रैंक	अखिल भारतीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक	श्रेणी		आबंटित कोटा	पाठ्यक्रम का नाम	आबंटित महाविद्यालय का नाम
										अभ्यर्थी श्रेणी	आबंटित श्रेणी			

XXXXX

अनुलग्नक –III

(विनियम 3 (3)(i) देखें)

होम्योपैथी महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष ..... में स्नातकोत्तर में प्रवेशित छात्रों के आकड़े जमा करने हेतु प्रारूप

क्रम संख्या	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा उपलब्ध संस्थान के पहचान दस्तावेज	परामर्शदाता प्राधिकरण	अभ्यर्थिका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	अ भा यो सह प्र परी क्रमांक	अ भा यो सह प्र परी प्रतिशतता	अ भा यो सह प्र परी रैंक	अ भा यो सह प्र परी में प्राप्तांक	श्रेणी		आबंटित कोटा	केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन परामर्श से प्रवेशित छात्र	प्रवेशित स्नातकोत्तर विशेषज्ञता
											अभ्यर्थी श्रेणी	आवंटित श्रेणी			

XXXXXX

अनुलग्नक –IV

(विनियम 3 (3)(ii) देखें)

महाविद्यालय वार परामर्श दाता प्राधिकरण द्वारा प्रवेशित छात्रों (स्नातकोत्तर) को शैक्षणिक वर्ष ..... के लिए जमा करने हेतु समेकेतिक प्रारूप

क्रम संख्या	परामर्श दाता प्राधिकरण	अभ्यर्थिका नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा क्रमांक	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा प्रतिशतता	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा रैंक	अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक	श्रेणी		आबंटित कोटा	पाठ्यक्रम का नाम	आबंटित महाविद्यालय का नाम	स्नात कोत्तर विशेष-ज्ञता आबंटित
										अभ्यर्थी श्रेणी	आबंटित श्रेणी				

XXXXXX

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–05122023–250430

CG-DL-E-05122023-250430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2023/अग्रहायण 13, 1945
No. 797] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2023/AGRAHAYANA 13, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 2023

मि.सं. 3-36/2021/राहोआ/एचईबी/ आर सी.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) और धारा 10 की उप- धारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान) विनियम, 2023 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(ख) "जैव-चिकित्सा (बायोमेडिकल) एवं स्वास्थ्य अनुसंधान " से तात्पर्य, अनुप्रयुक्त तथा संक्रियात्मक अनुसंधान मुख्यत: रोग तथा परिस्थियों के संदर्भ में (भौतिक तथा सामाजिक स्वभाव संबंधित) वैज्ञानिक ज्ञानवर्धन, पहचान, कारक तथा स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम अथवा रोग के सुधार सहित मूलभूत अध्ययन तथा पुनर्वास सहित नैदानिक अनुसंधान विकसित करना है;

(ग) "नैदानिक अनुसंधान" से तात्पर्य अनुसंधान जो कि अंत:क्षेप के प्रभाव के अध्ययन हेतु एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को सीधे अथवा सामग्री के प्रयोग अथवा मनुष्यों के ऑकड़े अप्रत्यक्ष रूप

से जैसे कि रोग से बचाव, उपचार अथवा स्वास्थ्य विकार हेतु व्यवहार अथवा जैविक नमूनों को शामिल करता हो;

(घ) "नैदानिक अध्ययन" से तात्पर्य एक नयाचार(प्रोटोकोल) जिसमें जैव चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य संबंधित निष्कर्षों के मूल्यांकन करने हेतु एक अथवा अधिक मानव प्रतिभागियों को शामिल कर अत:क्षेप तथा अवलोकनात्मक अध्ययन सहित हों, जिसमें अन्वेषक मानव प्रतिभागियों के अंत:क्षेप को निर्दिष्ट नहीं करता किन्तु नियमित नैदानिक देखभाल के दौरान दिया गया अंत:क्षेप का अवलोकन करता है, इसमें रोगी चिकित्सा रिकार्ड अथवा प्रासंगिक साहित्य की पूर्वव्यापी समीक्षा भी शामिल हो सकती है;

(ड.) इन विनियमों के परिधि में "नैदानिक परीक्षण" से तात्पर्य कोई वर्तमान अथवा नये होम्योपैथी औषध में औषध प्रमाणन के अंतर्गत औषध की लाक्षिणक जानकारी की खोज करना तथा अथवा इसकी नैदानिक, भेषजगुणी, भेषज क्रियाविज्ञान सहित, अथवा भेषजगुणगतिकी, तथा अथवा सुरक्षा निर्धारण के उद्देश्य के साथ विपरीत प्रभाव, तथा अथवा औषध की प्रभावकारिता को सत्यापित करने हेतु , व्यवस्थित अध्ययन है ;

(च) गैर नियामक प्रकृति के "नैदानिक परीक्षण" से तात्पर्य है, कोई भी शोध अथवा अध्ययन जो मानव प्रतिभागियों या मनुष्यों के समूहों के जैव औषध तथा स्वास्थ्य अंत:प्रभाव के परिणाम के प्रभाव का आंकलन जैसे कि बाजार में विक्रयित होम्योपैथी औषध, लोक स्वास्थ्य अंत:क्षेप अथवा नियमित नैदानिक देखभाल के दौरान अवलोकन, करता है ;

(छ) "आचार समिति" से तात्पर्य मानव प्रतिभागियों, उनके जैविक सामग्री तथा आंकड़ों से जुड़े सभी प्रस्तावों की वैज्ञानिक तथा नैतिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, 2017 द्वारा जारी मानव प्रतिभागिता हेतु नैतिक दिशानिर्देश तथा केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होम्योपैथी में नैदानिक परीक्षणों हेतु अच्छे नैदानिक साभ्यास दिशानिर्देशों के अनुसार गठित एक समिति है ;

(ज) "होम्योपैथी औषध" में शामिल हैं मनुष्यों और जानवरों में रोग या विकार के निदान, उपचार, रोकथाम के लिए आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए बनाई गई कोई भी दवा, जो होम्योपैथिक परीक्षण या उपचारात्मक प्रभावकारिता में दर्ज की गई है और आधिकारिक होम्योपैथिक साहित्य में वर्णित चिकित्सीय अनुभव या अनुसंधान के माध्यम से स्थापित की गई है, जिसको समय-समय पर अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा एवं जिसे होम्योपैथिक फार्मेसी की तकनीकों के अनुसार निर्मित किया गया हो और ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के अवयवों के संयोजन से तैयार औषधियों को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसमें ऐसी दवा सम्मिलित नहीं है जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है ;

(झ)" नई औषध की जांच " से तात्पर्य जैसा कि नीचे 'ट' के तहत परिभाषित हो तथा जिसके मानक तैयार किए गए हैं और सुरक्षा और प्रभावकारिता के संबंध में नैदानिक परीक्षण में जांच के लिए तैयार हो, है ;

(ञ) " अन्वेशक" से तात्पर्य परीक्षण स्थान पर वह व्यक्ति जो किसी समय पर नैदानिक परीक्षण अथवा नैदानिक जांच करने के लिए जिम्मेदार हो ;

(ट) " नई औषध" से तात्पर्य :-

(i) एक औषध जोकि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होम्योपैथी की संबंधित आधिकारिक पुस्तकों में उल्लेखित नहीं है अथवा और मनुष्यों या जानवरों में संबंधित चिकित्सीय दावों के साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर तैयार की गई हों ;

(ii) एक औषध, एकल अथवा भेषजीय होम्योपैथिक औषधियों के संयोजन से निर्मित, संशोधित अथवा नवीन दावों के लिए अभिप्रेत है अथवा नवीन चिकित्सीय संकेतको, औषधि देने के नए तरीके, खुराक के प्रकार तथा संशोधित खुराक या नए दावों सहित विपणन करने का प्रस्ताव भी शामिल है ।

(ठ) " प्रमुख अन्वेशक" से तात्पर्य वह अन्वेषक जिसके पास किसी स्थान (स्थानों) के अध्ययन में शामिल अनुसंधान टीम के विभिन्न सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी हो;

(ड) "नयाचार(प्रोटोकॉल)" से तात्पर्य एक दस्तावेज़ जो परीक्षण की पृष्ठभूमि, तर्क, उद्देश्य (यों), डिज़ाइन, कार्यप्रणाली, सांख्यिकीय विचार और संगठन और उन शर्तों को प्रदर्शित करता है, जिसके तहत इसे निष्पादित और प्रबंधित किया जाना है । होम्योपैथिक नैदानिक अनुसंधान नयाचार (प्रोटोकॉल) में शामिल की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची सेक्शन '4' के अंतर्गत विभिन्न नियमावलियों में दर्शायी गई है । नयाचार की सामग्री और प्रारूप में परीक्षण के लिए प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । नयाचार शब्द, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, दस्तावेज़ के नवीनतम संशोधित संस्करण इसके सभी परिशिष्टों और अनुलग्नकों के साथ संलग्न है ;

(ढ) "अनुसंधान संगठन" से तात्पर्य है एक व्यक्ति या संगठन जिसे प्रायोजक अनुसंधान अध्ययन के संचालन के संबंध में अपने एक या अधिक कार्यों और कर्तव्यों को स्थानांतरित या सौंप सकता है ।

(2) यहां प्रयुक्त शब्दों और भावों जो परिभाषित नहीं किये गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं; क्रमशः वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में प्रयुक्त हैं ।

3. परिधि:- बेहतर शैक्षणिक समझ के लिए, वैज्ञानिक आधार पर होम्योपैथी के विकास के लिए सभी प्रकार के शोध; अंत:क्षेपीय(इंटरवेंशनल), अथवा गैर अंत:क्षेपीय(नॉन इंटरवेंशनल); एक या अधिक पूर्व-निर्दिष्ट परिणामों सहित, विभिन्न चरणों के मौलिक अथवा बुनियादी अनुसंधान, प्रयोगात्मक, पूर्व-नैदानिक और नैदानिक परीक्षण; और अंतरविषयक प्रकृति या एकीकृत आधारित अध्ययन, इस विनियम की परिधि में आते हैं ।

4. **होम्योपैथी अनुसंधान में पालन करने वाले नियम, दिशा निर्देश:-** सभी अन्वेषकों, अनुसंधान संगठनों से निम्नलिखित दिशानिर्देशों का नैतिक तथा वैज्ञानिक कारणों से, जिनमें से कुछ अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य हैं, का पालन करने की अपेक्षा की जाती है :

(क) होम्योपैथी से संबंधित सभी नैदानिक परीक्षण (होम्योपैथी नैदानिक परीक्षण) होम्योपैथी की अच्छी नैदानिक प्रथाओं के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए।

(ख) इसके अतिरिक्त उन्हें जैव-चिकित्सा अनुसंधान के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) और नियम (1945) और उसके पश्चात लागू संशोधन सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं ।

(ग) हेल्सिंकी घोषणा (2013 अथवा बाद के संस्करण जैसा लागू हो) ।

(घ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वस्थ नैदानिक अभ्यास दिशानिर्देश (2001 अथवा बाद के संस्करण, जैसा भी लागू हो) ।

(ङ.) मानव प्रतिभागियों को शामिल कर जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश (2017 अथवा बाद के संस्करण, जैसा भी लागू हो) ।

(च) बच्चों से जुड़े जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय नैतिक दिशानिर्देश (2017 अथवा बाद के संस्करण, जैसा भी लागू हो) ।

(छ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अनुसंधान अखंडता और प्रकाशन

नैतिकता नीति (2019 अथवा बाद के संस्करण) तथा अन्य प्रासंगिक नियम और दिशानिर्देश, जैसा भी लागू हो ।

(ज) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार की समिति द्वारा अधिसूचित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए ।

5. जिम्मेदार पार्टी:- एक लागू परीक्षण के प्रायोजक को जिम्मेदार पार्टी माना जाएगा, जब तक कि एक योग्य प्रमुख अन्वेषक अथवा समन्वयक परीक्षण आरंभ नहीं करता है (अन्वेषक द्वारा आरंभ अनुसंधान अथवा परीक्षण) जहॉ वह नामनिर्दिष्ट या अनुबंध के आधार पर या जिम्मेदार पार्टी के नाते निश्चित किया गया है।

6. पंजीकरण:- सभी अंत:क्षेपीय नैदानिक परीक्षण अथवा अध्ययन को विशिष्ट नैदानिक परीक्षण में पहले प्रतिभागी के नामांकन से पूर्व क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ़ इंडिया कार्यालय के साथ जिम्मेदार पार्टी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा ।

7. अनुसंधान रिकॉर्ड प्रस्तुत करना :—आयोग के पास विनियामक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों के विवरण सहित किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए अनुसंधान अथवा परीक्षण से संबंधित जिम्मेदार पार्टी से सभी जानकारी और दस्तावेजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या निर्दिष्ट रूप और तरीके से मांगने का अधिकार होगा । जिम्मेदार पार्टी एक हलफनामा प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तुत नैदानिक परीक्षण की जानकारी झूठी अथवा भ्रामक नहीं है।

8. अनुसंधान लेखापरीक्षा :- आयोग, परीक्षण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय अनुसंधान अथवा परीक्षण की लेखा परीक्षा हेतु विशेषज्ञों की एक टीम अथवा तीसरे पक्ष की एजेंसी को अधिकृत कर सकता है, जिस हेतु जिम्मेदार पार्टी पूरी तरह से सहयोग करेगी तथा लेखा परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा वॉछित आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगी।

9. समकक्ष समीक्षा जर्नल में शोध प्रकाशन :- लेखकों को सलाह कि अपने अनुसंधान लेख नॉन-प्रीडेटरी पीयर समीक्षा जर्नल में प्रकाशित करें ।

10. अनुसंधान कदाचार :- (1) अनुसंधान कदाचार को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है :-

(क) अनुसंधान के परिणाम को प्रस्तावित करने, निष्पादित करने अथवा रिपोर्ट करने में, मिथ्याकरण और साहित्यिक चोरी;

(ख) अनुसंधान हेतु स्वीकृत प्रकिया में जानबूझकर, खतरनाक या लापरवाही से किया गया विचलन;

(ग) इसमें स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता शामिल है।

यदि इस विफलता के परिणामस्वरूप मनुष्यों या पर्यावरण को अनुचित जोखिम या नुकसान होता है और अन्य द्वारा मिलीभगत अथवा ऐसे कार्यों को छिपाकर अनुसंधान में कदाचार किया जाता है; तथा

(घ) इसमें जानबूझकर अनधिकृत उपयोग, प्रकटीकरण या हटाना, अथवा किसी अन्य की अनुसंधान-संबंधी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है, जिसमें उपकरण, सामग्री लेखन, डेटा हार्डवेयर अथवा सॉफ़्टवेयर अथवा अनुसंधान के संचालन में उपयोग किए गए अथवा उत्पादित किसी भी अन्य पदार्थ अथवा उपकरण शामिल हैं ।

(2) अनुसंधान संचालन कर रहे संगठन के उत्तरदायित्व :-

(क) यह संगठन का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी शोध टीम के खिलाफ बिना किसी पूर्वाग्रह के, लगाए गए शोध कदाचार के सभी आरोपों की जांच करे । अनुसंधान कदाचार का पता लगाना भी संस्थागत नैतिकता समिति के अंतर्गत विचार का विषय होगा। संस्थागत नैतिकता समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का दायित्व संस्थागत प्रमुख पर होगा, जिसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रायोजक, आयोग और अनुसंधान से संबंधित अन्य संबद्ध निकायों को भेजी जानी चाहिए;

(ख) संगठन को प्रत्येक स्तर पर अनुसंधान में प्रत्येक भागीदार की जिम्मेदारी परिभाषित करनी होगी;

(ग) अनुसंधान कदाचार या गैर-अनुपालन या अनिवार्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन संबंधित किसी भी जांच के परिणाम को अनिवार्यत: प्रायोजक, आयोग तथा अनुसंधान से संबंधित अन्य संबंधित निकायों को सूचित किया जाएगा; तथा

(घ) आयोग के अनुसंधान विनियमों में स्पष्ट किया गया है कि अनुसंधान कदाचार को संगठन द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा तथा कर्मचारियों में से कोई भी सदस्य प्रामाणिक चिंताएं व्यक्त कर सकता है, बिना किसी के डर के गोपनीय रूप से ऐसा कर सकता है, किन्तु दुर्भावनापूर्ण लगाए गए आरोपों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

(3) अनुसंधान कदाचार नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन न करने अथवा आरोपों की जांच के लिए संगठन के लिए दिशानिर्देश :

(क) प्रत्येक संगठन को अपने कर्मचारियों और छात्रों और अन्य शोध के खिलाफ अनुसंधान कदाचार के आरोपों से निपटने के लिए कानूनी रूप से मान्य विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए औपचारिक लिखित प्रक्रियाएं अपनानी होंगी;

(ख) प्रत्येक जांच हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की घोषणा जारी की जाए ।

(ग) इसमें सख्ती से गोपनीयता बनाए रखी जाएगी;

(घ) आरोप को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा । कार्यवाही का उचित रिकार्ड बनाया जाएगा;

(ङ) आरोपों के बारे में सभी इच्छुक पार्टियों को कार्यवाही के उचित स्तर पर सूचित किया जाएगा;

(च) सभी इच्छुक पार्टियों को यथाशीघ्र आरोपों के परिणाम से सूचित किया जाएगा;

(छ) जांच अवधि के दौरान मुखबिर और आरोपी दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी;

(ज) कदाचार के आरोपी या दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति के पास सुनवाई करने और अपील करने का अधिकार होगा;

(झ) जब आरोप सही पाया जाता है तो ऐसे मामलों में कानूनन उचित प्रतिबंध और अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं लागू होंगी; तथा

(ञ) यदि आरोप खारिज हो जाएँ तो संगठन तथा अथवा आरोपी पक्ष की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए।

(4) आयोग की जिम्मेदारी:-

(क) आयोग में सीधे अपील के मामले में, जांच संबंधित संगठन या प्राधिकरण को भेज दी जाएगी; तथा

(ख) आरोपों की प्रकृति के आधार पर आयोग अपने स्तर पर जांच कर सकता है । इसके लिए संगठनात्मक समर्थन अनिवार्य होगा ।

(5) सिद्ध हो चुके अनुसंधान कदाचार या गैर-शिकायत या अनिवार्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन में प्रतिबंध तथा अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई निष्कर्ष के अनुपात में होगी जो मामले दर मामले के आधार पर निम्नानुसार हो सकती है:-

(क) चेतावनी या फटकार पत्र;

(ख) दंड- वित्तीय सहायता पर रोक या प्रकाशनों को वापस या मामले दर मामले के आधार पर निर्णय लेना;

(ग) भविष्य में निगरानी के लिए दिशानिर्देश; तथा

(घ) विशेषज्ञ की सलाहनुसार कानूनी कार्रवाई करना ।

11. होम्योपैथिक अनुसंधान विनियमन समिति – (1) आयोग द्वारा समिति का निम्नानुसार गठन किया जाएगा-

(क) सलाहकार (होम्योपैथी), आयुष मंत्रालय- अध्यक्ष;

(ख) महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद- सदस्य;

(ग) होम्योपैथी के दो विशेषज्ञ जिनके पास भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संगठन अथवा संस्थान में न्यूनतम बीस वर्षों का होम्योपैथी में अनुसंधान का अनुभव हो;

(घ) होम्योपैथी का एक विशेषज्ञ जिनके पास न्यूनतम बीस वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और अनुसंधान में कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड सिद्ध हो;

(ङ) एक विशेषज्ञ – जैवनीतिवादी – सदस्य;

(च) एक जैव-सांख्यिकी विशेषज्ञ जिसके पास जैव-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में न्यूनतम बीस वर्षों का व्यावसायिक अनुभव हो – सदस्य;

(छ) दो विशेषज्ञ बुनियादी विज्ञान या भेषजी (फार्मेसी) अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा आधुनिक चिकित्सा अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जिनके पास जैव चिकित्सा अनुसंधान में न्यूनतम बीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो- सदस्य;

(ज) भेषजगुण विज्ञान(फार्माकोलॉजिकल) अनुसंधान में न्यूनतम बीस वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ एक भेषज्ञविज्ञानी (फार्माकोलॉजिस्ट) - सदस्य; तथा

(झ) अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड - संयोजक ।

समिति, यदि आवश्यक हो, आयोग के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से, कानूनी, बौद्धिक संपदा जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित किसी विशिष्ट मामले और समस्या से निपटने के लिए सदस्य(यों) को शामिल अथवा सरकारी अथवा गैर-सरकारी विशेषज्ञों को बुनियादी विज्ञान आदि पर उनकी सलाह लेने हेतु आमंत्रित कर सकती है।

2. संदर्भ की शर्तें –

(क) समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा;

(ख) समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी । अध्यक्ष के निर्देशानुसार, प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर समिति अधिक बार बैठकें कर सकती है। समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं बैठक शुल्क, समिति द्वारा वहन किया जायेगा;

(ग) आयोग, हितों के टकराव, विचार-विमर्श के गैर-प्रकटीकरण और सदस्यों के लिए आचार संहिता के मुद्दों का विवरण देते हुए समिति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा ;

(घ) समिति, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार मदों के अनुसार काम करेगी;

(ङ) समिति, होम्योपैथी अनुसंधान के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों हेतु दिशानिर्देश तैयार करेगी, मात्रा, स्थिरता, सहयोग, गुणवत्ता और उत्कृष्टता के अन्य पहलुओं के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन तथा नैतिकता तथा प्रतिभागी सुरक्षा हेतु उच्चतम मानक सुनिश्चित करेगी;

(च) समिति, विचारार्थ भेजे गए मामलों पर आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान करने वाले पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने हेतु समयबद्ध तरीके से मध्यस्थ नियुक्त करेगी;

(छ) समिति के पास अधिकार होगा कि वह विचार के लिए भेजे गए मामलों पर आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित समय अवधि के लिए अध्ययन की प्रगति की निगरानी करें;

(ज) समिति, समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए अनुसंधान परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित अपनी सिफारिशें देगी ; तथा

(झ) समिति, आयोग द्वारा संदर्भित अनुसंधान कदाचार से संबंधित पीड़ित पक्ष की अपीलों से निपटेगी और आयोग को सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट देगी ।

12. व्याख्या तथा छूट देने का अधिकार:—(1) जब इन विनियमों की व्याख्या पर कोई संदेह उत्पन्न हो, तो उसके स्पष्टीकरण हेतु आयोग को भेजा जाएगा ।

(2) यदि आयोग संतुष्ट है कि किसी विनियम के संचालन में अनुचित कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह कारणों लिखित रूप में दर्ज करते हेतु आदेश जारी कर विनियम को ऐसे अपवादों व शर्तों के अधीन शिथिल कर सकता है। ऐसे मामलों को न्यायसंगत तथा समानता के अधार पर निपटाया जाएगा ।

डॉ ० तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./579/2023-24]

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–21032024–253270
CG-DL-E-21032024-253270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2024/फाल्गुन 29, 1945
No. 189] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

फा. सं. 3-42/2021/एनसीएच/एचईबी/पीजी. रजि.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 16 और धारा 26 के साथ पठित धारा 55 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) विनियम, 1989 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों के लोप के सिवाय, आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम - होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न हो-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुलग्नक" से इन विनियमों के साथ संलग्न एक अनुलग्नक अभिप्रेत है;

(ग) "परिशिष्ट" से इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(घ) "ऐच्छिक" से अभिप्रेत है छात्र की शैक्षणिक अभिव्यक्ति को समृद्ध करने के लिए तैयार किए गए अध्ययन का एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम;

(ङ) "एम.डी. (होम्योपैथी) से अभिप्रेत है इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट होम्योपैथी (होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उपाधि;

(च) "पाठ्यविवरण (सिलेबस)" में इन विनियमों के तहत राष्ट्रीय हौम्योपैथी आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या अंतर्विष्ट है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को यहां पारिभाषित नहीं किया गया है परंतु उन्हें अधिनियम में पारिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमश: पारिभिाषित किया गया है।

3. होम्योपैथी स्नातकोत्तर प्रशैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य - होम्योपैथी स्नातकोत्तर प्रशैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न प्रकार होगा, नामत: -

(क) होम्योपैथी की महत्ता को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के संदर्भ में मान्यता देना;

(ख) होम्योपैथी की प्रैक्टिस नैतिकता और प्रणाली (सिस्टम) के सिद्धांतों के अनुरूप करना;

(ग) स्वत:-निर्देशित छात्र के रूप में कौशल विकसित करना, निरंतर शिक्षा आवश्यकताओं को मान्यता देना, उपयुक्त अधिगम संसाधनों का चयन एवं उपयोग करना।

(घ) शोध प्रविधि अर्थात रिसर्च मैथोडोलॉजी एवं जानपदिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में अपनी अभिक्षमता को प्रदर्शित करना और संबद्ध प्रकाशित शोध साहित्य का विस्तृत रूप से विश्लेषण करना।

(ङ) किसी दिए गए मामले में स्वास्थ्य के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, जैवकीय और भावनात्मक निर्धारकों की पहचान करना, और थेराप्यूटिक अथवा चिकित्साविधान, पुनर्वास, रोकथाम और प्रोत्साहक उपायों या रणनीतियों की योजना बनाते हुए उनको ध्यान में रखना;

(च) स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना और नैदानिक मूल्यांकन, जांचों आदि के आधार पर और होम्योपैथी के दायरे के अनुसार प्रबंध करना;

(छ) उचित शोध प्रविधि का प्रयोग करके शोधनिबंध (डिसर्टेशन) या शोध परियोजना शुरु करके वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करना;

(ज) होम्योपैथी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सौंपी गई भूमिका को प्रभावशाली ढंग से और जिम्मेदारी से निभाना;

(झ) आयुष क्लिनिक या अस्पताल या क्षेत्र/फील्ड में पर्याप्त प्रबंधकीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए चुनी हुई या सौंपी गई स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को व्यवस्थित करना और पर्यवेक्षण करना; और

(ञ) होम्योपैथी चिकित्सा छात्रों के शैक्षणिक के लिए लागू शैक्षणिक विधियों और तकनीकों का उपयोग करने में उनमें कौशल विकसित करना।

4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संघटक - स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या प्रत्येक विशेषता वाले विषय अथवा प्रत्येक स्पेशिएलिटी सब्जेक्ट के लिए पारिभाषित परिणामों के आधार पर अभिक्षमता आधारित एकीकृत फ्रेमवर्क में स्थापित की जाएगी। अन्य विशिष्ट संघटकों के अलावा, इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात: -

(क) सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान;

(ख) विशेषज्ञता वाले विषय से संबंधित व्यावहारिक, नैदानिक (क्लिनिकल), समुदाय और प्रबंधन संबंधी कौशल;

(ग) शोधनिबंध कार्य पूरा करना;

(घ) किसी शोध लेख का किसी पीयर-रिव्यूड वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशन या शोध आलेख का प्रस्तुतीकरण संबंधित सोसायटी के राष्ट्रीय सम्मेलन में करना;

(ङ) अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशलों सहित सॉफ्ट कौशल और विशेषताएं;

(च) शोध प्रविधि, चिकित्सा नैतिकता और चिकित्सा-विधिक पहलुओं में प्रशैक्षणिक; और

(छ) पूरे व्यावसायिक जीवन में निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता एवं व्यावसायिकता।

5. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड और प्रवेश की प्रक्रिया- (1) एम.डी. (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता निम्नलिखित होगी, अर्थात: -

(क) किसी भी उम्मीदवार को एम.डी. (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास निम्नलिखित डिग्री न हो:-

(i) एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप सहित पांच वर्ष और छह महीने की अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद, होम्योपैथी में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी या समकक्ष अर्हता, जो अधिनियम के उपबंधों के तहत अनुसूची या चिकित्सा अर्हता मान्यता सूची में शामिल हो; या

(ii) कम से कम दो वर्ष की अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद, होम्योपैथी में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी (ग्रेडेड डिग्री) या समकक्ष अर्हता, जो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची में शामिल हो;

(ख) उम्मीदवार राज्य बोर्ड या परिषद, जैसा भी मामला हो, के साथ पंजीकृत हो।

(2) सभी होम्योपैथिक स्नातकों के लिए समान प्रवेश परीक्षा होगी, नामत:, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षण (ए आई ए पी जी ई टी) परीक्षा, जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी:

बशर्ते कि विदेशी नागरिक उम्मीदवारों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष अर्हता को प्रवेश के लिए अनुमति दी जा सकेगी और इस उप-विनियम के उपरोक्त उपबंध लागू नहीं होंगे।

(3) कोई भी उम्मीदवार, जो उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में 50वीं परसेंटाइल से कम अंक प्राप्त करता है, के प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों जिन्होंने न्यूनतम 40वीं परसेंटाइल प्राप्त किए हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के मामले में न्यूनतम 45वीं परसेंटाइल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में न्यूनतम 40वीं परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा:

बशर्ते यह और कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो आयोग केंद्र सरकार के परामर्श के साथ, संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक अंकों को कम कर सकेगा और आयोग द्वारा कम किए गए अंक केवल उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(4) नामित प्राधिकारी द्वारा शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता अथवा मेरिट सूची के साथ-साथ पात्र उम्मीदवारों की राज्य-वार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और संबंधित श्रेणी के भीतर उम्मीदवार को उक्त योग्यता सूची से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

(5) सरकारी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा के लिए पंद्रह प्रतिशत और राज्य कोटा एवं संघ राज्य क्षेत्र कोटा, जैसा भी मामला हो, के लिए पचासी प्रतिशत होगा:

बशर्ते कि, -

(क) मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय कोटा सरकारी और निजी दोनों के लिए एक सौ प्रतिशत होगा;

(ख) पंद्रह प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीट वाले विश्वविद्यालय और संस्थान उक्त कोटा को अक्षुण्ण रखेंगे;

(ग) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत सीट संख्या का पांच प्रतिशत, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के तहत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित निर्दिष्ट दिव्यांगता *परिशिष्ट "क"* में निर्दिष्ट है और होम्योपैथी में निर्दिष्ट दिव्यांगता के साथ किसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता *परिशिष्ट "ख"* में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। यदि किसी विशेष श्रेणी में दिव्यांग जन के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी होम्योपैथिक शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पचासी प्रतिशत कोटा की काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबद्ध नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, का होगा।

(7) अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी :-

(8) प्रवेश निम्न प्रक्रिया में दिया जाएगा :-

(क) विदेशी नागरिकों के सिवाय, विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से;

(ख) इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के सिवाय, कोई अन्य प्रक्रिया को किसी भी संस्थान द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के विनियम 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करके छात्रों को प्रवेश देने वाले किसी भी संस्थान को आगे के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश लेने की अनुमति से वंचित कर दिया जाएगा;

(9) चिकित्सा संस्थानों को प्रवेश दिए गए सभी छात्रों की सूची आयोग द्वारा प्रवेश के लिए समय-समय पर नियत कटऑफ तिथि को सायंकाल छह बजे या उससे पहले उसके द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में जमा करनी होगी;

(10) चिकित्सा संस्थानों को प्रवेश दिए गए उन छात्रों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी जिन्हें विदेशी नागरिकों के सिवाय, काउंसलिंग प्राधिकारी (केंद्र, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो) के माध्यम से सीटें आवंटित की गई हैं।

(11) जो उम्मीदवार उप-विनियम (3) के तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(12) कोई भी प्राधिकारी या चिकित्सा संस्थान इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और इन विनियमों के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को आयोग द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

(13) प्राधिकारी या चिकित्सा संस्थान, जो इन विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, तो वह अधिनियम के विनियम 28 के उप-विनियम (1) के खंड (च) के तहत विहित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(14) चिकित्सा संस्थान प्रवेश बंद होने के एक महीने के भीतर प्रवेश दिए गए छात्रों की अंतिम सूची आयोग को भेजेगा और आयोग किसी भी समय पर नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा संस्थान का सत्यापन करेगा।

6. अध्ययन पाठ्यक्रम.- (1) होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए विशेषज्ञता के विषय निम्नलिखित होंगे, अर्थात: -

(क) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका;

(ख) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी;

(ग) होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग;

(घ) होम्योपैथिक फार्मेसी;

(ड.) चिकित्सा का अभ्यास;

(च) बाल चिकित्सा;

(छ) मनोचिकित्सा;

(ज) सामुदायिक चिकित्सा;

(झ) त्वचाविज्ञान।

(2) पाठ्यक्रम नियमित, पूर्णकालिक और तीन वर्ष की अवधि का होगा।

(3) छात्र नियमित अध्ययन करेगा और परिसर में संस्थागत-नौकरी अथवा हाउस-जॉब के एक वर्ष के दौरान निवासित रहेगा और उसे विनियमन 7 के प्रावधानों के अनुसार प्रशैक्षणिक दिया जाएगा:

बशर्ते कि छात्र अपने प्रवेश की तारीख से अधिकतम छह वर्ष की अवधि के भीतर एक विशेषज्ञता वाले विषय में एम.डी. (होम्योपैथी) का पाठ्यक्रम पूरा करेगा।

(4) प्रत्येक कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक अठारह महीने की अवधि के क्रमशः एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I और एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II ।

(5) प्रत्येक कार्यक्रम के भाग-I के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होंगे: -

(क) एम.डी. (होम्योपैथी) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका -

(i) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के मूलभूत सिद्धांत;

(ii) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(ख) एम.डी. (होम्योपैथी) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी-

(i) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी के मूल सिद्धांत;

(ii) ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि और जैव सांख्यिकी।

(ग) एम.डी. (होम्योपैथी) होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग -

(i) रिपर्टरी और केस टेकिंग के मूलभूत सिद्धांत;

(ii) होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(घ) एम.डी. (होम्योपैथी) होम्योपैथिक फार्मेसी -

(i) होम्योपैथी फार्मेसी के मूलभूत सिद्धांत;

(ii) होम्योपैथिक फार्मेसी में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(ड.) एम.डी. (होम्योपैथी) चिकित्सा अभ्यास -

(i) चिकित्सा अभ्यास के मूल सिद्धांत;

(ii) चिकित्सा अभ्यास में होम्योपैथी के मूल सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(च) एम.डी. (होम्योपैथी) बाल चिकित्सा -

(i) बाल चिकित्सा के मूल सिद्धांत;

(ii) बाल चिकित्सा में होम्योपैथी के मूल सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(छ) एम.डी. (होम्योपैथी) मनोचिकित्सा -

(i) मनोचिकित्सा के मूल सिद्धांत;

(ii) मनोचिकित्सा में होम्योपैथी के मूल सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(ज) एम.डी. (होम्योपैथी) सामुदायिक चिकित्सा -

(i) सामुदायिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत;

(ii) सामुदायिक चिकित्सा में होम्योपैथी के मूल सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(झ) एम.डी. (होम्योपैथी) त्वचाविज्ञान -

(i) त्वचाविज्ञान के मूल सिद्धांत;

(ii) त्वचाविज्ञान में होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांत; और

(iii) शोध प्रविधि एवं जैव सांख्यिकी।

(6) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II परीक्षा के लिए, केवल दो प्रश्नपत्रों के साथ मुख्य विशेषता वाला विषय होगा।

7. प्रशैक्षणिक का तरीका (पैटर्न) - (1) होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री इन स्पेशिएलिटी सब्जेक्ट के लिए प्रशैक्षणिक की अवधि परीक्षा अवधि सहित तीन पूर्ण वर्ष होगी।

(2) स्नातकोत्तर प्रशैक्षणिक की शुरुआत में, सात दिनों का एक प्रवेश कार्यक्रम (इंडक्शन प्रोग्राम) होगा जिसमें निम्न शामिल होगा -

(क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बारे में अभिविन्यास; और

(ख) विषय विशेषज्ञों के साथ संबंधित विषय विशेषज्ञता में कार्यशाला।

(3) होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के सभी विशेषज्ञता वाले विषयों में स्नातकोत्तर छात्रों को एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I में जूनियर रेजिडेंट और एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II में सीनियर रेजिडेंट कहा जाएगा।

(4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान, नैदानिक प्रशैक्षणिक पर अधिक जोर दिया जाएगा और उपदेशात्मक व्याख्यान पर कम दिया जाएगा।

(5) छात्र को सेमिनार, समूह चर्चाओं, नैदानिक बैठकों और जर्नल क्लब बैठकों में भाग लेना चाहिए।

(6) छात्र को विनियम 8 में वर्णन के अनुसार एक शोधनिबंध लिखना होगा।

(7) छात्र को अस्पताल परिसर में ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उसकी देखभाल के तहत दाखिल मरीजों के प्रबंधन और उपचार हेतु उच्च जिम्मेदारी दी जाएगी।

(8) छात्र स्नातक छात्रों या इन्टर्न के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक में भाग लेगा।

(9) छात्रों को एक ई-लॉग बुक या लॉग बुक कायम रखनी होगी और प्रत्येक विशेषज्ञता वाले विषय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशाला या नैदानिक कार्य करने होंगे।

(10) एम.डी. होम्योपैथी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाला छात्र पूरी अवधि में संस्थान के संबंधित विभाग में एक नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करेगा। होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम की पढ़ाई करने के दौरान किसी भी छात्र को किसी प्रयोगशाला या महाविद्यालय या उद्योग या फार्मेसी में कार्य करने की अनुमति नहीं है। होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कोई भी छात्र भारत या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य नियमित डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा।

(11) स्नातकोत्तर छात्रों को संस्थान के प्रमुख की अनुमति से एम.डी. (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम के लिए सौंपे गए कार्य या कर्तव्यों में कोई व्यवधान के बिना विभिन्न कौशलों में सुधार लाने के लिए मुक्त दूरस्थ अधिगम या ऑनलाइन मोड के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है।

(12) उपस्थिति की गणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

(13) प्रत्येक छात्र को विभाग या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के दौरान संगोष्ठियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, जर्नल क्लब की बैठकों और व्याख्यानों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा और बिना किसी वैध कारण और संस्थान के प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहना होगा।

(14) कोई छात्र जिसने न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त की है और वह संतोषजनक प्रगति दिखाता है, तो उसे क्रमशः एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I और भाग-II परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(15) कोई भी छात्र जो उपरोक्त में उल्लेखित प्रक्रिया में पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को एक प्रमाण पत्र भेजा जाएगा।

(16) प्रत्येक छात्र एम.डी. (होम्योपैथी) के लिए एक ई-लॉग बुक या लॉगबुक (भाग-I और भाग-II के लिए अलग-अलग) कायम रखेगा और विभाग द्वारा आयोजित प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों, जैसे कि जर्नल समीक्षाएं, नैदानिक प्रस्तुतीकरणों, सेमिनारों में अपनी सहभागिता को दर्ज करेगा।

(17) विभागाध्यक्ष और संस्था प्रमुख द्वारा कार्य डायरी की संवीक्षा और प्रमाणन किया जाएगा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय पर विश्वविद्यालय में, यथा आवश्यकता, प्रस्तुत की जाएगी।

(18) छात्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरणों के साथ-साथ छात्र द्वारा किए गए परीक्षणों या प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के विवरण का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(19) प्रस्तुतीकरणों का मूल्यांकन संकाय सदस्यों और पीयर्स द्वारा 1 से 10 तक संख्यात्मक रेटिंग स्केल पर किया जाएगा।

8. सिनोप्सिस एवं शोध प्रबंध:- (1) प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम शुरु होने की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर या विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि से पहले प्रस्तावित शोध अध्ययन के विवरणों सहित एक रूपरेखा (सिनोप्सिस) अनुलग्नक में दिए गए विहित प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। सिनोप्सिस को गाइड अथवा निर्देशक, संबंधित विशेषज्ञता विभाग के प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा और संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(2) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र अपने गाइड की देखरेख में विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में अपने शोध अध्ययन के बारे में शोधनिबंध लिखेंगे और विश्वविद्यालय के पास उसे जमा करेंगे। इसमें समस्या की पहचान करना, शोध प्रश्न का सूत्रीकरण, हाइपोथिसिस साहित्य की समीक्षा, अध्ययन डिजाइन सहित शोध प्रविधि, शोध अध्ययन संचालित करने के परिणामों और विधियों पर चर्चा, डेटा संग्रहण, सांख्यिकीय विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना शामिल है।

(3) एम.डी. (होम्योपैथी) डिग्री कोर्स करने वाले प्रत्येक छात्र को एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II परीक्षा आयोजित करने के छह महीने पहले कम से कम दस हजार शब्दों में अपने स्वयं के शोध अध्ययन के शोधनिबंध की छह मुद्रित प्रतियां या संबंधित विश्वविद्यालय की अपेक्षानुसार प्रतियां तथा सॉफ्ट कॉपी, यदि आवश्यक हो, विश्वविद्यालय को अनुमोदन के लिए जमा कराना आवश्यक है।

(4) सिनोप्सिस के निरस्तीकरण के मामले में, छात्र को किसी भी स्थिति में एमडी (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षा से तीन महीने पहले, अपने गाइड के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय को सिनोप्सिस फिर से जमा करनी होगी।

(5) प्रस्तावित अध्ययन की सिनोप्सिस को संस्थागत नैतिक समिति से नैतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत की क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए।

(6) शोधनिबंध निम्नलिखित शीर्षकों के तहत लिखा जाना चाहिए, अर्थात: -

(क) सारसंक्षेप (एक्सट्रैक्ट);

(ख) परिचय;

(ग) अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्य;

(घ) साहित्य की समीक्षा;

(ड.) सामग्री और विधियाँ;

(च) प्रेक्षण और परिणाम;

(छ) चर्चा;

(ज) उपसंहार;

(झ) संदर्भ; और

(ञ) अनुलग्नक या परिशिष्ट

(7) शोधनिबंध का लिखित पाठ पचास पृष्ठों से कम नहीं होगा और संदर्भों, तालिकाओं, आंकड़ों तथा अनुलग्नकों को छोड़कर, दो सौ पृष्ठों से अधिक नहीं होगा। इसे बांड पेपर (ए4 आकार, 8.27" x 11.69") के एक तरफ डबल लाइन स्पेसिंग के साथ साफ-सुथरे ढंग से टाइप किया जाना चाहिए और उचित रूप में बाइंड होना चाहिए। स्पायरल बाइंडिंग नहीं की जानी चाहिए। शोध निबंध को गाइड एवं सह-गाइड (यदि कोई हो), विभागाध्यक्ष और संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(8) एक छात्र को समय-समय पर संशोधित साहित्यिक चोरी नीति और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) का पालन करना होगा और इसके लिए लिखित रूप में एक वचनपत्र देना होगा।

(9) शोधनिबंध को विश्वविद्यालय में जमा करने के लिए नियत समय से कम से कम तीन महीने पहले गाइड को प्रस्तुत किया जाएगा। गाइड या सुपरवाइजर प्रमाणित करेगा कि शोध प्रबंध की सामग्री/कन्टेंट्स उम्मीदवार का मूल कार्य है और उसे किसी भी डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस छात्र का शोधनिबंध विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, तो छात्र द्वारा एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II परीक्षा से पहले तीन महीने की अवधि के भीतर उसे फिर से जमा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(10) छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शोधनिबंध के आधार पर एक शोध पत्र लिखे और उसे किसी पीयर-रिव्यूड वैज्ञानिक जर्नल में प्रस्तुत करे या राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में प्रस्तुत करे।

9. स्नातकोत्तर गाइड या परीक्षक के लिए पात्रता - (1) किसी व्यक्ति के पास गाइड या परीक्षक बनने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव होना चाहिए, अर्थात: -

(क) एम.डी. (होम्योपैथी), जो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की चिकित्सा अर्हता मान्यता सूची में शामिल है; और

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में शिक्षक, जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता वाले विषय में संयुक्त प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर है:

बशर्ते कि जो शिक्षक पहले से स्नातकोत्तर गाइड के रूप में अनुमोदित हैं, वे स्नातकोत्तर गाइड बने रहेंगे।

बशर्ते कि त्वचा विज्ञान और सामुदायिक चिकित्सा जैसे नए शुरु किए गए विशेषज्ञता वाले विषयों में, वे शिक्षक स्नातकोत्तर गाइड या परीक्षक बनने के लिए पात्र होंगे जो क्रमशः होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता के साथ चिकित्सा अभ्यास और सामुदायिक चिकित्सा के साथ स्नातकपूर्व विभाग में शिक्षक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर अथवा प्रोफेसर के रूप में तैनात हैं। यह व्यवस्था इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष तक लागू रहेगी:

बशर्ते यह और कि स्नातकोत्तर विशेषज्ञता का गाइड या सुपरवाइजर केवल उसी विशेषज्ञता के लिए गाइड या सुपरवाइजर बना रहेगा और वह एक से अधिक विशेषज्ञता वाले विषयों के लिए गाइड या सुपरवाइजर नहीं बन सकता है।

(2) सह-गाइड के चयन के लिए शैक्षणिक अर्हता और अनुभव- खंड (क) में उल्लेखित या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में सात वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ विशेषज्ञता वाले विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता:

(3) किसी विशेष चिकित्सा संस्थान के शैक्षणिक संकाय केवल उसी संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों के गाइड या सुपरवाइजर बनने के लिए पात्र हैं। विषयवार गाइड सूची संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

10. छात्र गाइड अनुपात.– (1) यदि गाइड प्रोफेसर संवर्ग का है तो छात्र-गाइड अनुपात 3:1 होगा।

(2) यदि गाइड एसोसिएट प्रोफेसर संवर्ग का है तो छात्र-गाइड अनुपात 2:1 होगा।

11. माइग्रेशन- किसी भी परिस्थिति में, होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे छात्र का एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में माइग्रेशन या स्थानांतरण की अनुमति किसी भी विश्वविद्यालय या प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जाएगी।

12. मूल्यांकन की योजना.- (1) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन रचनात्मक और समग्र का होगा। रचनात्मक मूल्यांकन के विवरण सक्षमता आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क में प्रत्येक विशेषता के लिए अलग से तैयार किए जाएंगे। इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और इन्हें उचित महत्व दिया जाएगा। समग्र मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होने से पहले उम्मीदवार को रचनात्मक मूल्यांकन में संतोषजनक प्रदर्शन करना होगा। यह एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I के साथ-साथ एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II के लिए भी होगा और समग्र मूल्यांकन में निम्न शामिल होगा: -

(क) लिखित परीक्षा; और

(ख) क्लिनिकल या प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा (वाइवा-वोस)

(2) मूल्यांकन की अनुसूची:-मूल्यांकन की अनुसूची निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी, अर्थात

तालिका

	रचनात्मक मूल्यांकन (आंतरिक मूल्यांकन)	समग्र मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा)
एम.डी.(होम्यो.) भाग-I	पहले सत्र की परीक्षा - प्रशैक्षणिक के छठे माह के दौरान	प्रशैक्षणिक के अठारहवें माह के दौरान
	दूसरे सत्र की परीक्षा - प्रशैक्षणिक के बारहवें माह के दौरान	
एम.डी.(होम्यो.) भाग-II	पहले सत्र की परीक्षा - प्रशैक्षणिक के चौबीसवें माह के दौरान	प्रशैक्षणिक के छत्तीसवें माह के दौरान
	दूसरे सत्र की परीक्षा - प्रशैक्षणिक के तीसवें माह के दौरान	

(3) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षा – परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक और उत्तीर्णांक निम्नवत होंगे, अर्थात: -

(क) एम.डी. (होम्योपैथी) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका –

	थ्योरी (सैद्धांतिकी)	**मौखिक (वाइवा-वोस) सहित**

विषय				व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	100	50		
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छः महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(ख) एम.डी. (होम्योपैथी) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलोसफी –

विषय		सैद्धांतिकी (थ्योरी)		मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी के मूल सिद्धांत;	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत; और	100	50		
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छः महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(ग) एम.डी. (होम्योपैथी) होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग –

विषय		सैद्धांतिकी (थ्योरी)		मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	100	50		

प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छ: महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(घ) एम.डी. (होम्योपैथी) होम्योपैथिक फॉर्मेसी –

विषय		**सैद्धांतिकी (थ्योरी)**		**मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा**	
		अधिकतम अंक	**उत्तीर्णांक**	**अधिकतम अंक**	**उत्तीर्णांक**
प्रश्नपत्र- I	होम्योपैथिक फॉर्मेसी के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	होम्योपैथिक फॉर्मेसी में नैदानिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	100	50		
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छ: महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(ड.) एम.डी. (होम्योपैथी) चिकित्सा का अभ्यास –

विषय		सैद्धांतिकी (थ्योरी)		मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	चिकित्सा का अभ्यास के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	चिकित्सा का अभ्यास में होम्योपैथी के मूलभंत सिद्धांत	100	50		
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छ: महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(च) एम.डी. (होम्योपैथी) बाल चिकित्सा –

विषय		सैद्धांतिकी (थ्योरी)		मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	बाल चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	बाल चिकित्सा में होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांत	100	50		
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छः महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(छ) एम.डी. (होम्योपैथी) मनोचिकित्सा –

विषय		सैद्धांतिकी (थ्योरी)		मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	मनोचिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-II	मनोचिकित्सा में होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांत	100	50		
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छः महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(ज) एम.डी.(होम्योपैथी) सामुदायिक चिकित्सा –

विषय		**सैद्धांतिकी (थ्योरी)**		**मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा**	
		अधिकतम अंक	**उत्तीर्णांक**	**अधिकतम अंक**	**उत्तीर्णांक**
प्रश्नपत्र-I	सामुदायिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200* (160+40)	100* (80+20) (समग्र

प्रश्नपत्र-II	सामुदायिक चिकित्सा में होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांत	100	50	(समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छ: महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(झ) एम.डी. (होम्योपैथी) त्वचाविज्ञान –

विषय		सैद्धांतिकी (थ्योरी)		मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा	
		अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक
प्रश्नपत्र-I	त्वचाविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत	100	50	200*	100*
प्रश्नपत्र-II	त्वचाविज्ञान में होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांत	100	50	(160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	(80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक) (आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)
प्रश्नपत्र-III	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	100	50	--	--

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छ: महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(4) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II परीक्षा – परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम और न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे, अर्थात: -

विषय	**सैद्धांतिकी (थ्योरी)**		**मौखिक (वाइवा-वोस) सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा**	**उत्तीर्णांक अंक**
	अधिकतम अंक	**उत्तीर्णांक**	**अधिकतम अंक**	**उत्तीर्णांक**
(i) विशेषज्ञता विषय प्रश्नपत्र-I	100	50	200* (160+40) (समग्र मूल्यांकन- 160 अंक)	100* (80+20) (समग्र मूल्यांकन- 80 अंक)

(ii) विशेषज्ञता विषय प्रश्नपत्र-II	100	50	(आंतरिक मूल्यांकन- 40 अंक)	(आंतरिक मूल्यांकन- 20 अंक)

(*प्रश्नपत्र-I और II (100 अंक व्यावहारिक + 100 अंक मौखिक परीक्षा) के लिए एक सामान्य व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी; बीस प्रतिशत भारांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा, जिसकी गणना केवल व्यावहारिक या मौखिक सहित नैदानिक परीक्षा के लिए की जाएगी। छ: महीने के प्रत्येक सत्र और औसतन दो सत्रों के के बाद 40 अंक के आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक (व्यावहारिक या नैदानिक) + 20 अंक (मौखिक परीक्षा) पर विचार किया जाएगा। *अस्सी प्रतिशत भारांक समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा)।

(5) परीक्षा के लिए दिशानिर्देश निम्न प्रकार होंगे, अर्थात:-

(क) सैद्धांतिकी/थ्योरी परीक्षा में लघु उत्तर वाले प्रश्नों के लिए चालीस प्रतिशत अंक होंगे और लंबे व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों के लिए चालीस प्रतिशत अंक होंगे जिसमें वर्णनात्मक, केस सिनेरियो और नैदानिक अनुप्रयोग-आधारित प्रश्न शामिल होंगे, और समस्या-आधारित प्रश्न के लिए बीस प्रतिशत अंक होंगे तथा ये प्रश्न विषय के पूरे पाठ्यविवरण/सिलेबस को कवर करेंगे।

(ख) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सैद्धांतिकी घटक में आवश्यक न्यूनतम अंक पचास प्रतिशत और प्रैक्टिकल या क्लिनिकल घटक में (जिसमें प्रैक्टिकल, क्लिनिकल, वाइवा-वोस शामिल है) प्रत्येक विषय में पचास प्रतिशत अंक अलग से होंगे ।

(ग) प्रत्येक सैद्धांतिकी परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी।

(घ) प्रत्येक विशेषज्ञता वाले विषय में मौखिक परीक्षा या प्रैक्टिकल या नैदानिक परीक्षा और शोधनिबंध का मूल्यांकन, कम से कम चार परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से दो बाह्य परीक्षक होंगे और दो आंतरिक परीक्षक होंगे।

(ड.) विश्वविद्यालय को परिणाम की अनुशंसा करने के लिए चार परीक्षक संयुक्त रूप से प्रत्येक छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। छात्र के मूल्यांकन के लिए चार परीक्षकों के औसत अंकों पर विचार किया जाएगा।

(च) विश्वविद्यालय परिणाम घोषित होने के छह महीने के भीतर असफल छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देगा।

(छ) विश्वविद्यालय किसी भी विषय के लिए एक वर्ष में दो से अधिक परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा, दोनों परीक्षाओं के बीच छह महीने से कम का अंतराल नहीं होगा।

(ज) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षा एक वर्ष की अवधि की संस्थागत नौकरी (हाउस जॉब) पूरी होने के अठारहवें महीने में आयोजित की जानी है।

(झ) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I पाठ्यक्रम के किसी एक विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाला छात्र उस विषय के सभी भागों की फिर से परीक्षा देगा, लेकिन उक्त परीक्षा के लिए केवल एक अवसर मिलेगा जिसमें विफल रहने पर उसे एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I पाठ्यक्रम के सभी विषयों (सभी भागों में) की परीक्षा दोबारा देनी होगी।

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम सैद्धांतिकी या प्रैक्टिकल या क्लिनिकल या मौखिक परीक्षा तथा शोधनिबंध मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के रूप में अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ट) एम.डी. (होम्योपैथी) परीक्षाओं के लिए किसी भी दिन क्लिनिकल या प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या दस से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा, अर्थात:-

(क) स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए सभी पात्र परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं।

(ख) सभी उत्तर पुस्तिकाओं का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दो मूल्यांकन किए जाएंगे। प्रश्नपत्र के लिए दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए कुल अंकों में से उच्चतम, जिसे निकटतम अंक तक पूर्णांकित किया जाना है, अंकों को परिणामों की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) सभी उत्तर पुस्तिकाओं, जहाँ दो मूल्यांकनों के बीच का अंतर प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित कुल अंकों में से दस प्रतिशत से अधिक है, का तीसरा मूल्यांकन किया जा सकता है।

(घ) प्रश्नपत्र के लिए तीन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों में से, दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए सर्वोत्तम कुल अंकों, जिन्हें निकटतम अंक तक पूर्णांकित किया जाना है, को परिणामों की अंतिम गणना के लिए विचार किया जाएगा।

(ड.) अंकों की गणना और परिणामों की घोषणा के बाद, किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।

(च) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय या संस्थान बार-कोडित डिजिटल मूल्यांकन के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे।

(7) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करना होगा, अर्थात: -

(क) संस्थान या महाविद्यालय (जहाँ पाठ्यक्रम प्रदान किया गया है) के प्राचार्य या प्रमुख से उन विषयों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बारे में एक प्रमाण पत्र जिस परीक्षा में उम्मीदवार प्रवेश चाहता है; और

(ख) पाठ्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में, होम्योपैथिक अस्पताल में एक वर्ष की संस्थागत नौकरी पूरी करने का प्रमाण पत्र।

(ग) इन विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर सिनोप्सिस प्रस्तुत करने के संबंध में गाइड से एक प्रमाण पत्र;

(घ) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्र बनने हेतु उपस्थिति न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत होगी।

(ड.) किसी भी स्नातकोत्तर छात्र को इन विनियमों के अनुसार अनिवार्य कोर्स वर्क और आंतरिक मूल्यांकन पूरा किए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करना होगा, अर्थात: -

(क) अंकतालिका या परीक्षाफल, जो यह दर्शाता हो कि छात्र ने एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षा उत्तीर्ण की है;

(ख) शोधनिबंध प्रस्तुत करने के समर्थन में और इन नियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर गाइड द्वारा उसकी स्वीकारिता का प्रमाण पत्र;

(ग) संस्थान या महाविद्यालय (जहाँ पाठ्यक्रम प्रदान किया गया है) के प्राचार्य या प्रमुख से उन विषयों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बारे में एक प्रमाण पत्र जिस परीक्षा में उम्मीदवार प्रवेश चाहता है;

(घ) एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-II परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र बनने हेतु स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत होगी;

(ड.) किसी भी स्नातकोत्तर छात्र को इस विनियमन के अनुसार अनिवार्य कोर्स वर्क और आंतरिक मूल्यांकन पूरा किए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) परीक्षकों के लिए निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात:-

(क) परीक्षकों के लिए मानदंड वही होंगे जो स्नातकोत्तर गाइड के लिए होंगे;

(ख) दो आंतरिक परीक्षक होंगे; और

(ग) कम से कम पचास प्रतिशत परीक्षक बाह्य परीक्षक होंगे।

13. सामान्य अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क)- (1) एमडी (होम्योपैथी) भाग-I के लिए, निम्नलिखित पाठ्यक्रम कार्य यानी कोर्स वर्क विशेषज्ञता वाले विषय के बावजूद सभी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामान्य और अनिवार्य होगा, अर्थात: -

(क) बेसिक कार्डिएक लाइफ सपोर्ट स्किल्स में पाठ्यक्रम-

(i) सभी स्नातकोत्तर छात्रों को बेसिक कार्डिएक लाइफ सपोर्ट स्किल्स में एक कोर्स पूरा करना होगा जो केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से विधिवत प्रमाणित किया गया हो। यदि किसी छात्र ने पहले ही यह कोर्स कर लिया है और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, वह इस विनियम के खंड (3) में उल्लिखित ऐच्छिक की सूची में से कोई अन्य पाठ्यक्रम चुन सकता है।

(ii) छात्रों को बैच शुरु होने के एक वर्ष के भीतर कोर्स कार्य पूरा करना होगा।

(iii) किसी भी स्नातकोत्तर छात्र को उपरोक्त प्रमाणीकरण के बिना एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) बायोएथिक्स में कोर्स-

(i) सभी स्नातकोत्तर छात्रों को बायोएथिक्स में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस सहित एक कोर्स पूरा करना होगा, जिसे संस्थानों द्वारा स्वयं या किसी अन्य विधि द्वारा संचालित किया जाना है।

(ii) छात्रों को बैच शुरु होने के एक वर्ष के भीतर कोर्स पूरा करना होगा।

(iii) किसी भी स्नातकोत्तर छात्र को उपरोक्त कोर्स पूरा किए बिना एम.डी. (होम्योपैथी) भाग-I परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) एमडी (होम्योपैथी) भाग-II के लिए निम्नलिखित कोर्स विशेषज्ञता-विषय के बावजूद सभी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामान्य और अनिवार्य होगा, अर्थात: -

(क) सभी स्नातकोत्तर छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एक बेसिक कोर्स पूरा करना होगा जिसे केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

(ख) सभी स्नातकोत्तर छात्रों को वैज्ञानिक लेखन में एक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा जो केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से विधिवत प्रमाणित हो।

(3) संस्थानों को टेलीमेडिसिन, प्रभावी प्रस्तुतीकरणों, पबमेड का उपयोग, चिकित्सा लेखापरीक्षा प्रबंधन में जागरुकता, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, सांख्यिकी के मूलभूत तत्व, मानव व्यवहार से एक्सपोजर और होम्योपैथिक फार्मेसी का अध्ययन एवं ज्ञान जैसे ऐच्छिक विषयों पर प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक छात्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि में उपरोक्त ऐच्छिक विषयों में से किसी एक को पूरा करे।

14. स्नातकोत्तर होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थानों के लिए अतिरिक्त मूलभूत ढांचे की आवश्यकता और शर्तें - राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक), विनियम, 2024 में उल्लिखित स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों के अलावा, स्नातकोत्तर होम्योपैथिक संस्थानों के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं अनिवार्य होंगी, अर्थात :-

(1) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर केंद्र के रूप में माना जाएगा जो होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं, मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, और लगातार पांच वर्षों तक सफलतापूर्वक होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम चला रहा है।

(2) ऐसे प्रत्येक चिकित्सा संस्थान या शैक्षणिक अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता का एक विभाग होगा और इन नियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं भी होंगी।

(3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता अधिकतम दस सीटें होंगी, लेकिन सबसे पहले अनुमति किसी विशेषज्ञता वाले विषय में अधिकतम सात सीटों के लिए दी जाएगी। चिकित्सा संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

के लिए प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले बैच को पूरा करने के बाद या अपने स्नातक पाठ्यक्रम के पहले बैच के पूरा होने के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरु करने के बाद कर सकता है।

(4) अस्पताल की आवश्यकता निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक), विनियम-2024 में यथा निर्दिष्ट होगी, अर्थात: -

(क) होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले चिकित्सा संस्थान के अस्पताल में पिछले पांच कैलेंडर वर्षों के दौरान प्रतिदिन औसतन न्यूनतम तीन सौ रोगियों वाला बाह्य रोगी विभाग।

(ख) प्रत्येक विशेषज्ञता वाले नैदानिक विषय के लिए प्रति छात्र एक बिस्तर अलग से रखा जाएगा, जो कि उसके एक वर्ष में औसतन शैक्षणिक (महाविद्यालयी) होम्योपैथिक अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक बिस्तरों के अलावा, बिस्तरों की संख्या न्यूनतम 50% होगी।

(ग) संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग और अंतरंग रोगी विभाग में उक्त उपस्थिति उस दिन उपलब्ध होनी चाहिए जब चिकित्सा संस्थान के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से मान्यता या अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है।

(5) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पास ऐसी सूचना और विवरणिकाएं (रिटर्न) की मांग करने की शक्ति होगी जो वह विश्वविद्यालय और चिकित्सा संस्थानों से उचित समझे और वे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करेंगे:

बशर्ते कि यदि चिकित्सा संस्थान निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना एवं विवरणिका प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो आयोग अधिनियम की धारा 28 के अधीन संबंधित चिकित्सा संस्थान के खिलाफ यह मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश करेगा कि संबंधित संस्थान विनियमन के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

(6) प्रत्येक महाविद्यालय आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक सूचना, दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध करेगा।

(7) प्रशासनिक क्षेत्र राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक), विनियम-2024 में यथा अधिसूचित होगा।

(8) व्याख्यानों, बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और परामर्श आदि के लिए महाविद्यालय परिसर में कम से कम दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक सेमिनार हॉल उपलब्ध होगा। हॉल में पर्याप्त विद्युतीय और बैठने की व्यवस्था, क्लोज सर्किट टेलीविजन, इंटरनेट सुविधाओं के साथ दृश्य-श्रव्य व्यवस्था होगी।

(9) बायोमैट्रिक उपस्थिति के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात: -

(क) सभी चिकित्सा संस्थान मानव संसाधनों की उपस्थिति की नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करने के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा यथा निर्देशित प्रक्रिया में आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित करेंगे जो शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों की अक्षुण्णता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और आयोग के लिए अनिवार्य रूप से ऐक्सेस योग्य होगी।

(ख) आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर और आयोग के निर्देशानुसार समर्पित पोर्टल पर होम्योपैथी में चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन के लिए मूल्यांकन के दौरान या उसके बाद चिकित्सा संस्थान से उक्त उपस्थिति का रिकॉर्ड मांगेगा।

(ग) आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की संस्थापना, रखरखाव और निरंतर सुचारू संचालन चिकित्सा संस्थानों की जिम्मेदारी होगी और बायोमैट्रिक प्रणाली के कामकाज में किसी भी तकनीकी समस्या को बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के लिए नामित प्रभारी नोडल अधिकारी

के माध्यम से तुरंत आयोग को सूचित की जानी चाहिए जिसे रिपोर्टिंग की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उसे ठीक किया जाएगा।

(घ) आधार सक्रिय बायोमैट्रिक मशीनों द्वारा दर्ज की गई न्यूनतम एक वर्ष की उपस्थिति का रिकॉर्ड आयोग या मूल्यांकन टीम को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और महाविद्यालय कम से कम एक वर्ष के लिए रिकॉर्ड कायम रखेगा।

(10) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की अनुमति से एक कैमरा स्थापित किया जाएगा।

(11) महाविद्यालय की वेबसाइट का रख-रखाव निम्न प्रकार होगा, अर्थात:-

(क) प्रत्येक और हर चिकित्सा संस्थान की अपनी वेबसाइट होगी जिसमें प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीटों के साथ स्नातकोत्तर छात्रों के संबंध में, वर्तमान वर्ष और पिछले शैक्षणिक सत्रों के लिए उनके मेरिट-वार, श्रेणी-वार विषय-वार सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ हर वर्ष प्रवेश दिए गए छात्रों के सभी विवरण तथा उनके अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा स्कोर होंगे।

(ख) बुनियादी ढांचे, स्टाफ (शैक्षणिक और अशैक्षणिक), पुस्तकालय, उपकरण, चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, नमूनों के संबंध में सभी विशेषज्ञता विषय के स्नातकोत्तर विभाग के विवरण वेबसाइट पर तस्वीरों के साथ अपलोड किए जाएंगे।

(ग) अस्पताल से संबंधित सूचना, बाह्य रोगी विभाग और अंतरंग रोगी विभाग का डेटा हर महीने अपडेट किया जाएगा।

15. स्टाफ की आवश्यकताएँ - (1) शैक्षणिक स्टाफ - एम.डी. (होम्योपैथी) के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम पूर्णकालिक शैक्षणिक स्टाफ होगा (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ के अतिरिक्त (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024), नामत:-

तालिका

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर
(1)	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका	1	2
(2)	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होमियोपैथिक फिलोसफी	1	2
(3)	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग	1	2
(4)	होम्योपैथिक फॉर्मेसी	1	2
(5)	चिकित्सा अभ्यास	1	2
(6)	बाल चिकित्सा	1	2
(7)	मनोचिकित्सा	1	2
(8)	सामुदायिक चिकित्सा	1	2
(9)	त्वचारोग विज्ञान	1	2
(10)	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	1	1

(2) सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु शिक्षकों और छात्रों की सहायता के लिए एक पूर्णकालिक सांख्यिकीय सहायक नियुक्त किया जाएगा।

16. विभाग एवं उनकी विशिष्ट आवश्यकताएँ - (1) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विभाग -

(क) चिकित्सा संस्थान स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए गए क्षेत्र के अतिरिक्त कम से कम नब्बे वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध करेगा। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा

कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय कक्ष और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान ऑडियो-विजुअल और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ उपलब्ध कराना होगा।

(ख) ऑनलाइन सत्रों के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में अलग से अधिसूचित यथा निर्दिष्ट विभागीय पुस्तकों और पुस्तक सूची के भंडारण के लिए दो अलमारियाँ होंगी। प्रत्येक छात्र के लिए ई-पुस्तकालय सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में न्यूनतम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग के संकाय के विपरीत उच्च संवर्ग के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ड.) एक गैर-तकनीकी स्टाफ, जैसे कि सहायक या परिचारक उपलब्ध होगा।

(च) उपकरण एवं सामग्री निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी:-

तालिका

क्र. सं.	उपकरण एवं सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	गोल या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना पट्ट	01
(6)	बाह्य हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	15
(8)	पुस्तकें	5 सेट
(9)	एक्सरे व्यू बॉक्स	01
(10)	शोधनिबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोधप्रबंध

(छ) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची,-

(i) साइंस और फिलोसफी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका;

(ii) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का अध्ययन के भिन्न उपागम;

(iii) पीरियोडिक टेबल;

(iv) आरेख - तीन पॉलीक्रेस्ट - पौधे, पशु, खनिज पारिस्थितिकी प्रत्येक से एक-एक;

(v) नोडोजिज - कोई दो दवाएं;

(vi) सारकोड- एक दवा;

(vii) समूह लक्षण या अध्ययन - तीन समूह;

(viii) किन्हीं तीन रोगों का उपचार।

(2) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी विभाग -

(क) चिकित्सा संस्थान स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए गए क्षेत्र के अतिरिक्त, कम से कम नब्बे वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध करेगा। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय कक्ष और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान ऑडियो-विजुअल और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ उपलब्ध होगा।

(ख) ऑनलाइन सत्र के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा निर्दिष्ट विभागीय पुस्तकों और पुस्तक-सूची के भंडारण के लिए दो अलमारियाँ। प्रत्येक छात्र के लिए ई-पुस्तकालय सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में न्यूनतम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग के संकाय के विपरीत उच्च संवर्ग के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ड.) एक गैर-तकनीकी स्टाफ, यानी सहायक या परिचारक उपलब्ध होगा।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र. सं.	उपकरण एवं सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	गोल या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना पट्ट	01
(6)	बाह्य हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	15
(8)	पुस्तकें	5 सेट
(9)	एक्सरे व्यू बॉक्स	01
(10)	शोधनिबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोधनिबंध

(छ) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची -

(i) भिन्न सिद्धांत;

(ii) केस टेकिंग;

(iii) रोग का वर्गीकरण;

(iv) ऑर्गेनन का ग्राउंड प्लान;

(v) होम्योपैथी के कार्डिनल सिद्धांत;

(vi) रोग विकास की अवधारणा;

(vii) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का भिन्न संस्करण;

(viii) रोग परिदृश्य - मियास्मस-प्सोरा, साइकोसिस, ट्यूबरकुलर, सिफलिस;

(ix) रोग का कारण;

(x) मनुष्य की हैनिमैनियन अवधारणा;

(xi) पोसोलॉजी पर प्रदर्शन;

(xii) संवेदनशीलता का निर्धारण;

(xiii) सी.वॉन. बीओर्निंगहौसेन द्वारा लक्षणों का मूल्यांकन;

(xiv) जे.टी.केंट द्वारा लक्षणों का मूल्यांकन; और

(xv) सी.एम. बोगर द्वारा लक्षणों का मूल्यांकन।

(3) होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग विभाग -

(क) चिकित्सा संस्थान स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए गए क्षेत्र के अतिरिक्त कम से कम नब्बे वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध करेगा। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा कक्ष, स्नातकोत्तर, शैक्षणिक संकाय कक्ष और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान ऑडियो-विज़ुअल और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ उपलब्ध होगा।

(ख) ऑनलाइन सत्र के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी।

(ग) अलग से यथा निर्दिष्ट अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विभागीय पुस्तकों और पुस्तक-सूची के भंडारण के लिए दो अलमारियाँ। कार्ड रिपर्टरी या मॉडल प्रदर्शन और चर्चा के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र के लिए ई-पुस्तकालय सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में न्यूनतम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग के संकाय के विपरीत उच्च संवर्ग के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ड.) एक गैर-तकनीकी स्टाफ, यानी सहायक या परिचारक उपलब्ध होगा।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र. सं.	उपकरण एवं सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	5
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	गोल या सेंटर टेबल	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना पट्ट	01
(6)	बाह्य हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	15
(8)	होम्योपैथी रिपर्टरी सॉफ्टवेयर (अधिमानत: बहुउपयोगी)	5
(9)	एक्सरे व्यू बॉक्स	01
(10)	शोधनिबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोधनिबंध
(11)	पुस्तकें	5 सेट

(छ) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची -

(i) रिपर्टरीज़ का उद्भव;

(ii) रेपर्टोरियल उपागम (एप्रोचिज) - जे.टी.केंट;

(iii) रेपर्टोरियल उपागम - सी.वॉन.बोएनिंगहौसेन;

(iv) रेपर्टोरियल उपागम - सी.एम.बोगर;

(v) की-नोट लक्षणों की अवधारणा;

(vi) गैर रिपोर्टोरियल उपागम - संरचनाकरण;

(vii) कार्ड रिपर्टरीज़;

(viii) रेपर्टोरियल सिंड्रोम और संभावित भिन्नात्मक क्षेत्र;

(ix) रूब्रिक और सब रूब्रिक का अर्थ;

(x) रेपर्टोरिज़ेशन की सामान्य अवधारणाएँ;

(xi) रिपर्टरी और रिपर्टरीज़ेशन;

(xii) क्षेत्रीय रिपर्टरीज़;

(xiii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर;

(xiv) केस- टेर्किंग और रिपर्टरी;

(xv) लक्षणों का विश्लेषण और मूल्यांकन;

(xvi) रिपर्टरी का वर्गीकरण।

(4) होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग -

(क) चिकित्सा संस्थान स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ऑडियो-विजुअल और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ चर्चा कक्ष, स्नातकोत्तर, शैक्षणिक संकाय कक्ष और विभागीय पुस्तकालय सहित कम से कम नब्बे वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध करेगा।

(ख) ऑनलाइन सत्र के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी।

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में अलग से यथा अधिसूचित विभागीय पुस्तकों और पुस्तक सूची के भंडारण के लिए दो अलमारियाँ। प्रत्येक छात्र के लिए ई-पुस्तकालय सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में न्यूनतम दो संयुक्त प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग के संकाय के विपरीत उच्च संवर्ग के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ड.) एक गैर-तकनीकी स्टाफ, यथा सहायक या परिचारक उपलब्ध होगा।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र. सं.	उपकरण एवं सामग्री	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	गोल या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01

(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना पट्ट	01
(6)	बाह्य हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	16
(8)	हर्बेरियम शीटें	20
(9)	एक्सरे व्यू बॉक्स	01
(10)	शोधनिबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोधनिबंध
(11)	पुस्तकें	5 सेट

(छ) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची -

(i) होम्योपैथिक फार्माकोपिया;

(ii) दवाओं का मानकीकरण - ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन;

(iii) दवाओं का मानकीकरण - सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन;

(iv) दवाओं का मानकीकरण - भौतिक मूल्यांकन;

(v) दवाओं का मानकीकरण - रासायनिक मूल्यांकन;

(vi) दवाओं का मानकीकरण - जैविक मूल्यांकन;

(vii) औषधियों और उनकी प्रभावकारिता का संरक्षण;

(viii) होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण - हैनिमैनियन विधि;

(ix) होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण - नई विधि;

(x) पोटेंशियलाइजेशन (प्रभावकारिता) के पैमाने;

(xi) पोटेंशियलाइजेशन की विधियाँ;

(xii) पोसोलॉजी के सिद्धांत;

(xiii) फार्माकोनॉमी;

(xiv) होम्योपैथिक फार्मेसी अधिनियम और नियम;

(xv) विभिन्न प्रकार की औषधि क्रियाएं;

(xvi) भारतीय औषधियाँ और उनके स्थानीय नाम।

(ज) संबद्ध औषधि अधिनियम विधियां एवं विधायन प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में रखे जाएंगे।

(5) चिकित्सा अभ्यास विभाग -

(क) चिकित्सा संस्थान दृश्य-श्रव्य और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय कक्ष और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान सहित कम से कम नब्बे वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध करेगा।

(ख) ऑनलाइन सत्र के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा निर्दिष्ट विभागीय पुस्तकों और पुस्तक-सूची के भंडारण के लिए दो अलमारियाँ। प्रत्येक छात्र के लिए ई-पुस्तकालय सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में न्यूनतम दो संयुक्त प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग के संकाय के विपरीत उच्च

संवर्ग के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ङ) एक गैर-तकनीकी स्टाफ, यानी सहायक या परिचारक उपलब्ध होगा।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी:-

तालिका

क्र. सं.	उपकरण एवं सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	गोल या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना पट्ट	01
(6)	बाह्य हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	15
(8)	नैदानिक प्रशैक्षणिक के लिए चिकित्सा उपकरण	आवश्यकता के अनुसार
(9)	एक्सरे व्यू बॉक्स	01
(10)	पुस्तकें	5 सेट
(11)	शोधनिबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोधनिबंध

(छ) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची -

(i) पेरीफेरल नर्व इवेल्युएशन एक्सिस (पीएनई) अक्ष और उनके घटक;

(ii) ब्रोन्कोपल्मोनरी सीक्वैस्ट्रेशन (बीपीएस) मॉडल और कारणता की अवधारणा;

(iii) डर्माटोम्स और परिधीय तंत्रिका आपूर्ति;

(iv) संवेदनशीलता और विभिन्न पैरामीटर;

(v) हार्मोनल ऐस्से और इनकी व्याख्या;

(vi) रुमेटॉइड गठिया के निदान के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रुमेटोलॉजी क्राइटेरिया;

(vii) विभिन्न कार्डियोवेस्कुलर में असामान्य ईसीजी खोजें;

(viii) मियाज़्म और इसकी विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ;

(ix) मधुमेह मेलिटस का विश्व स्वास्थ्य वर्गीकरण;

(x) प्राथमिक और माध्यमिक त्वचा घाव;

(xi) कार्डिएक और रिस्पाइरेटरी डिसनिया के बीच अंतर;

(xii) अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं के प्रकार;

(xiii) गुर्दे के दर्द का मटेरियामेडिका (भेषजगुणविज्ञान) चिकित्सा विधान;

(xiv) सांस की तकलीफ (डिस्पेनिया) का मेटेरियामेडिका चिकित्सा विधान;

(xv) बुखार का मटेरिया मेडिका चिकित्सा विधान

(6) बाल चिकित्सा विभाग:-

(क) चिकित्सा संस्थान कम से कम नब्बे वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराएगा जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्थान, चर्चा के लिए कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय के लिए कक्ष और ऑडियो-विज़ुअल (श्रव्य-दृश्य) और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ विभागीय पुस्तकालय शामिल हैं।

(ख) ऑनलाइन सत्रों के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) विभागीय पुस्तकों और अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा उल्लिखित बुकलिस्ट (पुस्तकों की सूची) के भंडारण के लिए दो अलमारी। प्रत्येक छात्र के लिए ई-लाइब्रेरी की सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग (कैडर) संकाय की तुलना में उच्च संवर्ग (कैडर) के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ङ) एक गैर-तकनीकी कर्मचारी जैसे सहायक या परिचारक उपलब्ध होंगे।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र.सं.	उपकरण और सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	राउंड या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना बोर्ड	01
(6)	एक्सटर्नल हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	13
(8)	बाल चिकित्सा में नैदानिक प्रशैक्षणिक के लिए चिकित्सा उपकरण एवं औजार	आवश्यकतानुसार
(9)	एक्स-रे व्यू बॉक्स	01
(10)	पुस्तकें	5 सेट
(11)	शोध प्रबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतियां	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोध प्रबंध

(छ) मॉडल और चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची –

(i) मॉडल:-

(क) स्तन (ब्रेस्ट) मॉडल;

(ख) पोषण मॉडल;

(ग) विकासात्मक मॉडल;

(घ) प्रशैक्षणिक पुतले या डमी;

(ङ) प्रशैक्षणिक के लिए पुतले या डमी - कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन (रिससिटेशन), इंट्रावेनस कैनुला इन्सर्शन।

(ii) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले –

(क) सामान्य अल्पता चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले - मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स - प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मोटापा, रिकेट्स, स्कर्वी;

(ख) पूरक आहार चार्ट;

(ग) चित्रों के साथ सामान्य जन्मजात विसंगतियां चार्ट;

(घ) वंशावली चार्ट ;

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन विकास चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले;

(च) मुखाकृति, पल्स, मुखविरूपता, कार्यकलाप और श्वसन स्कोर;

(छ) पानी की कमी के ग्रेड;

(ज) डिस्पेनिया के ग्रेड;

(झ) इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन;

(ञ) बाल चिकित्सा में सामान्य एंथ्रोपोमेट्री सूत्र;

(ट) किन्हीं तीन संकेतों के साथ बच्चों के सामान्य संवैधानिक उपचार के चित्र;

(ठ) दो होम्योपैथिक चिकित्सा उपचार के साथ चित्रों के साथ बच्चों में रोग की सामान्य स्थिति - खसरा, चिकन पॉक्स, गल गण्ड रोग, कृमि संक्रमण, दस्त रोग इत्यादि;

(ड) विस्तृत क्लिनिकोपैथोलॉजिकल वर्णन और विकास के साथ दो नैदानिक स्थितियां।

(7) मनोचिकित्सा विभाग:-

(क) चिकित्सा संस्थान कम से कम नब्बे वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराएगा जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्थान, चर्चा के लिए कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय के लिए कक्ष और ऑडियो-विज़ुअल (श्रव्य-दृश्य) और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ विभागीय पुस्तकालय शामिल हैं।

(ख) ऑनलाइन सत्रों के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) विभागीय पुस्तकों और अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा उल्लिखित बुकलिस्ट (पुस्तकों की सूची) के भंडारण के लिए दो अलमारी। प्रत्येक छात्र के लिए ई-लाइब्रेरी की सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग (कैडर) संकाय की तुलना में उच्च संवर्ग (कैडर) के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ङ) एक गैर-तकनीकी कर्मचारी जैसे सहायक या परिचारक उपलब्ध होंगे।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र.सं.	उपकरण और सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	राउंड या सेंट्रल टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना बोर्ड	01
(6)	एक्सटर्नल हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	15

(8)	एक्स-रे व्यू बॉक्स	01
(9)	साइकोमेट्रिक मूल्यांकन उपकरण ➔ 1. इंटेलीजेंस का परीक्षण-व्हिसलर इंटेलीजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन 2. सोशल कोशंट का परीक्षण – विनेलैंड सोशल मैचुरिटी स्केल्स 3. वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण (क) मिलन क्लिनिकल मल्टीएक्सियल इन्वेंटरी (ख) मिनेसोटा मल्टीफेसिक परसोनेलिटी इन्वेंटरी 4. प्रोजेक्टिव परीक्षण (क) रोर्शचैच टेस्ट (ख) टर्नएराउंड टाइम (ग) टर्नएराउंड एक्सियल टोमोग्राफी 5. रेटिंग स्केल: प्रकार और उनके उपयोग	
(10)	पुस्तकें	5 सेट
(11)	शोध प्रबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतियां	पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के शोध प्रबंध

(छ) चार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची –

(i) मस्तिष्क संरचना और इसका कार्य;

(ii) मानसिक स्वास्थ्य के मॉडल;

(iii) सुलिवन का पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत;

(iv) मानसिक रोगों के हैनिमैनियन वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाला चार्ट।;

(v) मानसिक बीमारी का आधुनिक वर्गीकरण;

(vi) व्यक्तित्व विकारों का क्लस्टर वर्गीकरण;

(vii) संज्ञानात्मक, भावनात्मक या व्यक्तित्व मूल्यांकन से संबंधित चर्चा और सीखने के लिए विभिन्न साइकोमेट्रिक परीक्षण;

(viii) मानसिक स्थिति की जांच;

(ix) मिनी मानसिक स्थिति जांच;

(x) **सीसीए** (अनुभूति, इच्छाशक्ति और प्रभाव);

(xi) चिंता विकारों का वर्गीकरण और अभिव्यक्ति;

(xii) मनोलैंगिक और मनो-सामाजिक विकास (तुलना);

(xiii) बाल मनोचिकित्सा नैदानिक स्थितियां;

(xiv) भावात्मक विकार और उनका वर्गीकरण;

(xv) स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम विकार;

(xvi) मॉडल (कोई दो)

(क) मास्लो का मॉडल;

(ख) एरिकसन मनोसामाजिक मॉडल;

(ग) जीन पियागेट का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत.

(8) सामुदायिक चिकित्सा विभाग-

(क) चिकित्सा संस्थान कम से कम नब्बे वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराएगा जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्थान, चर्चा के लिए कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय के लिए कक्ष और ऑडियो-विज़ुअल (श्रव्य-दृश्य) और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ विभागीय पुस्तकालय शामिल हैं।

(ख) ऑनलाइन सत्रों के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) विभागीय पुस्तकों और अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा उल्लिखित बुकलिस्ट (पुस्तकों की सूची) के भंडारण के लिए दो अलमारी। प्रत्येक छात्र के लिए ई-लाइब्रेरी की सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग (कैडर) संकाय की तुलना में उच्च संवर्ग (कैडर) के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ङ) एक गैर-तकनीकी कर्मचारी जैसे सहायक या परिचारक उपलब्ध होंगे।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र.सं.	उपकरण और सामग्रियां	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	5
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	राउंड या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना बोर्ड	01
(6)	एक्सटर्नल हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	16
(8)	एक्स-रे व्यू बॉक्स	01
(9)	पुस्तकें	5 सेट
(10)	शोध प्रबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतियां	जो भी उपलब्ध हो

(छ) चार्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और चित्रों की सूची –

(i) स्वास्थ्य और बीमारी की अवधारणा;

(ii) संचारी रोगों का महामारी विज्ञान;

(iii) टीकाकरण और टीकाकरण अनुसूची;

(iv) होमियोपैथिक रोकथाम;

(v) जनसांख्यिकी और परिवार नियोजन;

(vi) स्वास्थ्य जानकारी और बायोस्टैटिस्टिक्स;

(vii) आहार, पोषण और पोषण संबंधी समस्याएं और कार्यक्रम;

(viii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम;

(ix) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां;

(x) पानी और सीवेज उपचार;

(xi) चिकित्सा कीटविज्ञान;

(xii) व्यावसायिक स्वास्थ्य;

(xiii) धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं की लत;

(xiv) स्वास्थ्य प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली;

(xv) रोगों की जांच;

(xvi) संचारी रोगों, आहार, रोगनिरोधी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित अन्य सामग्री।

(9) त्वचाविज्ञान विभाग,

(क) चिकित्सा संस्थान कम से कम नब्बे वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराएगा जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्थान, चर्चा के लिए कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय के लिए कक्ष और ऑडियो-विज़ुअल (श्रव्य-दृश्य) और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ विभागीय पुस्तकालय शामिल हैं।

(ख) ऑनलाइन सत्रों के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) विभागीय पुस्तकों और अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा उल्लिखित बुकलिस्ट (पुस्तकों की सूची) के भंडारण के लिए दो अलमारी। प्रत्येक छात्र के लिए ई-लाइब्रेरी की सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा या निचले संवर्ग (कैडर) संकाय की तुलना में उच्च संवर्ग (कैडर) के अतिरिक्त संकाय पर विचार किया जाएगा।

(ङ) एक गैर-तकनीकी कर्मचारी जैसे सहायक या परिचारक उपलब्ध होंगे।

(च) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र.सं.	उपकरण और सामग्री	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	2
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	राउंड या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	20
(5)	सूचना बोर्ड	01
(6)	एक्सटर्नल हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	13
(8)	स्लाइड्स	30 नैदानिक स्थितियां (सबसे आम)
(9)	एक्स-रे व्यू बॉक्स	01
(10)	पुस्तकें	5 सेट

(11)	शोध प्रबंधों पर पोस्टर प्रस्तुतियां	जो भी उपलब्ध हो

(छ) विभाग में चार्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले अथवा एल्बम की सूची –

(i) गंजापन;

(ii) मस्सा;

(iii) एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा और इसके प्रकार;

(iv) पेम्फिगस (जलपीटिका रोग);

(v) ल्यूकोप्लाकिया;

(vi) मोलस्कमकंटेजियोसा;

(vii) सोराइसिस (छालरोग);

(viii) खुजली;

(ix) टीनियाक्रूरिस;

(x) लाइकेन प्लेनस;

(xi) पित्ती;

(xii) सफेद दाग;

(xiii) सेबोरिक डर्मेटाइटिस (त्वचा वसा स्राव)।

(10) शोध प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग-

(क) इस विभाग के लिए चिकित्सा संस्थान कम से कम नब्बे वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराएगा जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्थान, चर्चा के लिए कक्ष, स्नातकोत्तर शैक्षणिक संकाय के लिए कक्ष और ऑडियो-विज़ुअल (श्रव्य-दृश्य) और इंटरनेट सुविधाओं के प्रावधान के साथ विभागीय पुस्तकालय शामिल हैं।

(ख) ऑनलाइन सत्रों के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) विभागीय पुस्तकों और अलग से अधिसूचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यथा उल्लिखित बुकलिस्ट (पुस्तकों की सूची) के भंडारण के लिए एक अलमारी। प्रत्येक छात्र के लिए ई-लाइब्रेरी की सदस्यता अनिवार्य है।

(घ) विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होगा।

(ङ) उपकरण और सामग्रियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:-

तालिका

क्र.सं.	उपकरण और सामग्री	मात्रा
(1)	डेस्कटॉप या लैपटॉप	1
(2)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) प्रोजेक्टर	01
(3)	राउंड या सेंटर टेबल (बैठने की बेहतर व्यवस्था के लिए)	01
(4)	कुर्सियां	10
(5)	सूचना बोर्ड	01
(6)	एक्सटर्नल हार्ड डिस्क	01
(7)	चार्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले	05

(8)	पुस्तकें	पुस्तकों के 5 सेट,प्रत्येक सेट अनुसंधान पद्धति और बायोस्टैटिस्टिक्स पर

(च) चार्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सूची–

(i) केयर केस रिपोर्ट दिशानिर्देश चेक लिस्ट;

(ii) नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक;

(iii) नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट;

(iv) होम्योपैथी की बेहतर नैदानिक पद्धतियां;

(v) फार्माको सतर्कता।

17. शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी – (1) शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक), विनियम, 2024 के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर होम्योपैथिक महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के अशैक्षणिक और अस्पताल कर्मचारियों के लिए योग्यताएं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की तृतीय अनुसूची के अनुसार विनिर्दिष्ट होंगी।

(3) शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित सामान्य प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व संबंधित निर्धारित विनियम को पूरा करने वाले महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक स्टाफ के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के संबंधित विषय में शैक्षणिक अनुभव को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक कर्माचारी की नियुक्ति के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस विनियमन के प्रयोजनार्थ किसी शिक्षक के उस विषय में शैक्षणिक अनुभव, जिस विषय के लिए उसे नियुक्त किया गया है, केवल उसी विषय के लिए गिना जाएगा।

(ख) शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति के लिए पैंतालीस वर्ष की आयु से पहले मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त की जाएगी:

परंतु यह कि पैंतालीस वर्ष का यह आयु मानदंड इन विनियमों की अधिसूचना जारी किए जाने से पहले नियुक्त मौजूदा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान में शैक्षणिक के अनुभव की गणना की जाएगी।

(4) स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारी के लिए योग्यता निम्न प्रकार होंगी, अर्थात:-

1. प्रोफेसर: – होम्योपैथिक विषय अर्थात् होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक फार्मेसी और होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग –

(क) अनिवार्य योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो –

(i) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए;

(ii) किसी सूचीबद्ध या विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में दो मूल लेख प्रकाशित हुए हों।

(ख) **वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो -**

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; अथवा

(ii) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; अथवा

(iii) संबंधित विश्वविद्यालय और या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

2. **प्रोफेसर:-** चिकित्सा का अभ्यास, बाल चिकित्सा, मनोचिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा और त्वचाविज्ञान ।

(क) अनिवार्य योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो–

(i) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या डिग्री स्तर के किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव हो या चिकित्सा अभ्यास विभाग में उपर्युक्त अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इस विनियम के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए त्वचाविज्ञान विभाग में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा; अथवा

संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ संबंधित विषय में भारतीय चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री या राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त किसी होम्योपैथिक कॉलेज या किसी मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में नियमित शैक्षणिक का दस वर्ष का अनुभव हो; और

(ii) किसी सूचीबद्ध या विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में दो मूल लेख प्रकाशित हुए हों।

(ख) वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो-

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; अथवा

(ii) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; अथवा

(iii) संबंधित विश्वविद्यालय और या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

3. **प्रोफेसर**: शोध प्रविधि और जैव सांख्यिकी

(क) अनिवार्य योग्यता: अभ्यर्थी ने –

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो या किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव हो किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में न्यूनतम दो लेख प्रकाशित हुए हों; अथवा

मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (चिकित्सा सांख्यिकी) या बायोस्टैटिस्टिक्स (जैव सांख्यिकी) या महामारी विज्ञान (एपिडेमियोलॉजी) या अनुसंधान पद्धति (रिसर्च मेथडोलॉजी) या मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के अन्य प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में समूह "क" पद में नियमित सेवा में रहते हुए दस वर्ष का पूर्णकालिक शोध अनुभव और किसी सूचीबद्ध या विशेषज्ञ द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम चार मूल लेख प्रकाशित हुए हों और इसके प्रचालन में आने की तारीख से पहले राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली हो।

(ख) वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो –

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; अथवा

(ii) होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; अथवा

(iii) संबंधित विश्वविद्यालय और या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

4. **एसोसिएट प्रोफेसर:** होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मेसी और होम्योपैथिक रिपर्टरी।

(क) अनिवार्य योग्यताएं: अभ्यर्थी के पास हो –

किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ होमियोपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता हो। किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपाकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो; अथवा

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में नियमित सेवा में रहते हुए कम-से-कम पांच वर्ष के पूर्णकालिक शोध अनुभव के साथ संबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता हो और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में कम-से-कम तीन लेख प्रकाशित हुए हों और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में नियमित सेवा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पूर्णकालिक पांच वर्ष का अनुभव हो और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो–

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; अथवा

(ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

5. **एसोसिएट प्रोफेसर :** चिकित्सा का अभ्यास और सामुदायिक चिकित्सा –

(क) अनिवार्य योग्यता : अभ्यर्थी के पास हो–

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो; अथवा

संबंधित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय चिकित्सा परिषद) या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री के साथ डिग्री स्तर के किसी होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में या केंद्र सरकार या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो; अथवा

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों की अनुसंधान परिषदों में नियमित सेवा में कम से कम पांच साल के पूर्णकालिक अनुसंधान अनुभव के साथ संबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम तीन लेख प्रकाशित हुए हों और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद नियमित सेवा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पूर्णकालिक पांच वर्ष का अनुभव और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो–

(i)होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; अथवा

(ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

6. **एसोसिएट प्रोफेसर**: त्वचाविज्ञान, बाल रोग और मनोचिकित्सा –

(क) अनिवार्य योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो -

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ डिग्री स्तर के किसी होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो या चिकित्सा अभ्यास में स्नातकोत्तर डिग्री और चिकित्सा अभ्यास विभाग में पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव रखने वाले शिक्षकों को भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए त्वचाविज्ञान या बाल रोग या मनोचिकित्सा विभाग में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा; अथवा

संबंधित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय चिकित्सा परिषद) या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री के साथ डिग्री स्तर के किसी होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में या केंद्र सरकार या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अनुमत महाविद्यालय में संबंधित विषय में कम-से-कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो; अथवा

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों की अनुसंधान परिषदों में नियमित सेवा में कम से कम पांच वर्ष के पूर्णकालिक अनुसंधान अनुभव के साथ संबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों को संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम तीन लेख प्रकाशित हुए हों और इसके प्रचालन में आने की तारीख से पहले आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद) का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद) और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय-विशेषज्ञों के संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम तीन लेख प्रकाशित हुए हों तथा इसके प्रचालन में आने की तारीख से पहले आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो –

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का

अनुभव; अथवा

(ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

7. **एसोसिएट प्रोफेसर:** शोध प्रविधि और जैव सांख्यिकी –

(क) अनिवार्य योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो –

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो और शोध प्रविधि भी पढ़ाई हो और किसी सूचीबद्ध अथवा विषय विशेषज्ञ द्वारा संपादित पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम-से-कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो; अथवा

होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता या मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (चिकित्सा सांख्यिकी) या बायोस्टैटिस्टिक्स (जैव सांख्यिकी) या महामारी विज्ञान (एपिडेमियोलॉजी) या शोध प्रविधि (रिसर्च मेथडोलॉजी) या चिकित्सा सांख्यिकी (मेडिकल स्टैटिस्टिक्स) के अन्य प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में नियमित सेवा में रहते हुए कम-से-कम पांच वर्ष का पूर्णकालिक शोध अनुभव हो और किसी सूचीबद्ध या विषय-विशेषज्ञ द्वारा संपादितपत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम चार मूल लेख प्रकाशित हुए हों और इसके प्रचालन में आने की तारीख से पहले राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) वांछनीय योग्यता: अभ्यर्थी के पास हो –

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; अथवा

(ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./843/2023-24]

परिशिष्ट क

(विनियम 5 का उप-विनियम (5) देखें)

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (यग) में उल्लिखित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची में प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

1. शारीरिक दिव्यांगता-

(क) लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़े विशिष्ट कार्यकलापों को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें शामिल हैं-

(i) "कुष्ठ रोग से ठीक होने वाले व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन उसमें निम्नलिखित के कारण काम करने की कमी है-

(क) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलकों में संवेदना और पैरेसिस की हानि लेकिन कोई प्रत्यक्ष विकृति नहीं;

(ख) प्रत्यक्ष विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने से वे सामान्य आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न हो सकें;

(ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ बढ़ी हुई उम्र जो उसे कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है और "कुष्ठ रोग से ठीक होने वाले" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिशीलता और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली नॉन-प्रोगेसिव न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है।

(iii) "बौनापन" का अर्थ है एक ऐसी चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की लंबाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है।

(iv) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक ऐसा समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और जानकारी का अभाव होता है, जो उन्हें मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रोगेसिव स्केलेटल मसल (कंकाल की मांसपेशियों) की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु के रूप में परिलक्षित होता है।

(v) "एसिड हमला पीड़ित" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के क्षयकारी पदार्थ फेंककर हिंसक हमले किए जाने के कारण विकृत हुआ व्यक्ति।

(ख) दृष्टि हानि-

(i) "अंधापन" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद भी निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है-

(क) पूर्ण दृष्टि हानि, या

(ख) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंखों में 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलेन) से कम दृष्टि तीक्ष्णता, या

(ग) 10 डिग्री से कम का कोण अंतरित करने वाले दृष्टि क्षेत्र की सीमा

(ii) "कम-दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो अर्थात्:-

(क) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं होना या 20/60 से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलेन) से कम होना; या

(ख) 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक अंतरित करने वाले दृष्टि क्षेत्र की सीमा।

(ग) श्रवण हानि -

(i) "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 70 डेसीबल्स (डीबी) श्रवण हानि वाले व्यक्ति;

(ii) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 डेसीबल्स (डीबी) की श्रवण हानि हो,

(घ) "वाक् और भाषा दिव्यांगता" का अर्थ है जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से बातचीत और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करने वाली लेरिंजेक्टोमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी दिव्यांगता;

(ङ) बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कामकाज (तर्क करने, सीखने, समस्या को सुलझाने) और मूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा को दर्शाती है जिसमें दिन-प्रतिदिन के अनेक सामाजिक और व्यावहारिक कौशल आते है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) "सीखने से संबंधित विशिष्ट अक्षमताएं" का अर्थ है स्थितियों का एक ऐसा विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने की कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी, या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें स्थायी दिव्यांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(ii) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देने वाली न्यूरो-डेवलपमेंट संबंधी स्थिति जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों के साथ संबंध को

समझने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और यह अक्सर पारंपरिक या रूढ़िवादी रिवाजों या व्यवहारों से जुड़ी होती है,

2. "मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति में पर्याप्त विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अधूरे विकास की स्थिति होती है,

3. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता-

(क) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे -

(i) "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक इन्फ्लेमेटरी, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे विघटन होता है और मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र की एक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली बीमारी जो कंपकंपी, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी, गलत गति के रूप में चिह्नित होती है, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्गिलया विकार और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी वाले मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है।

(ख) रक्त विकार-

(i) "हीमोफिलिया" का अर्थ है एक विरासत में मिली बीमारी, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं के माध्यम से उनके मेल बच्चों में प्रेषित होती है जिससे रक्त का सामान्य थक्का जमने की क्षमता के नुकसान या हानि के रूप में परिलक्षित होता है जिसके कारण एक मामूली घाव घातक रक्तस्राव में बदल सकता है,

(ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ है विरासत में मिले विकारों का एक समूह जो हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति को परिलक्षित करता है,

(iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक हेमोलिटिक विकार जो पुरानी एनीमिया (खून की कमी), दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक व अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं के रूप में परिलक्षित होती है "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विकार को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

4. बहरा, अंधापन सहित बहु दिव्यांगता (ऊपर निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को श्रवण और दृश्य हानि दोनों हो सकता है जिसके कारण गंभीर संचार, विकास और शैक्षणिक समस्याएं होती हैं।

5. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली कोई अन्य श्रेणी।

परिशिष्ट ख

(विनियम 5 का उप-विनियमन (5) देखें)

होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम-डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश।

(1) "दिव्यांगता प्रमाण पत्र" दिव्यांग जन अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति की "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" की सीमा का मूल्यांकन दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत दिनांक 4 जनवरी, 2018 को संख्या एस.ओ. 76 (ई) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) दिव्यांगता की न्यूनतम डिग्री चालीस प्रतिशत होनी चाहिए। विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों द्वारा आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र होने के लिए (बेंचमार्क दिव्यांगता)।

(4) 'शारीरिक रूप से दिव्यांग' (पीएच) शब्द के बजाय 'दिव्यांग जन (पीडब्ल्यूडी) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

तालिका

क्रम संख्या	श्रेणी	दिव्यांगता का प्रकार	विनिर्दिष्ट दिव्यांगता	दिव्यांगता की सीमा		
				(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के लिए पात्र-होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, दिव्यांग जन के लिए पात्र नहीं	होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के लिए पात्र-होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, दिव्यांग जन कोटा के लिए पात्र	पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक दिव्यांगता	(क) विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं सहित लोकोमोटर दिव्यांगता, (क से च).	(क) कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति* (ख)सेरेब्रल पाल्सी** (ग) बौनापन (घ) मस्कुलर डिस्ट्राफीक (मांसपेशीय दुर्विकास) (ङ) एसिड हमला के पीड़ित (च) अन्य ** जैसे विच्छेदन, पोलियोमाइलाइटिस, इत्यादि।	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता-80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्य अक्षमता में सहायक उपकरणों की सहायता ली जाएगी, इनका उपयोग यह देखने के लिए किया जाएगा कि क्या इससे दिव्यांगता 80% से नीचे आ गई है और क्या उनके पास इस पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त मोटर, क्षमता है।	80% से अधिक
			* उंगलियों और हाथों में संवेदनाओं के नुकसान, विच्छेदन तथा आंखों के योगदान और संबंधित सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ** दृष्टि, श्रवण, संज्ञानात्मक कार्य आदि की हानि पर ध्यान दिया जाना चाहिए और संबंधित सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। *** होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कोर्स - डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथ सही-सलामत होना, उनमें पूरी संवेदना, पर्याप्त ताकत और पूरी तरह गति का होना आवश्यक है।			

		(ख) दृष्टि हानि (*)	(क) अंधापन (ख) कम दिखाई देना	40% से कम दिव्यांगता (अर्थात श्रेणी '0 (10%)' I (20%)' II (30%)		40% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता (अर्थात श्रेणी III और इससे ऊपर)
		(ग) श्रवण हानि@	(क) बहरापन (ख) कम सुनाई देना	40% से कम दिव्यांगता		40% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता
			(*)40% से अधिक दृश्य हानि/दृश्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स-डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है बशर्ते कि दृश्य दिव्यांगता को दूरबीन/मैग्निफायर जैसे कम दृष्टि के लिए उन्नत उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाए। @ 40% से अधिक श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को होम्योपैथी में बैचलर ऑफ होम्योपैथी, स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स- डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते कि श्रवण दिव्यांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम स्तर पर लाया जाए। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक स्पीच डिस्क्रिमिनेशन (बातचीत विभेदन) स्कोर होना चाहिए।			
		(घ) बातचीत और भाषा	ऑर्गेनिक/न्यूरोलॉजिकल कारण	40% से कम		बराबर या उससे अधिक

		दिव्यांगता		दिव्यांगता		40% दिव्यांगता
		होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कोर्स- डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी में प्रवेश के लिए स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अफेक्टेड स्कोर 3 (जो 40% से कम के सदृश होगा) से अधिक नहीं होगा। इस स्कोर से अधिक स्कोर वाले व्यक्ति होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कोर्स- डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक अपासिया कोशंट (एक्यू) वाले व्यक्ति होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कोर्स-डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी करने के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक होने पर वे न तो होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कोर्स- डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी करने के लिए पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण मिलेगा।			

2.	बौद्धिक दिव्यांगता		(क) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (अवधारणात्मक दिव्यांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्क्लेकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक अपासिया) #	# फिलहाल, एसएलडी की गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई गणना पैमाना उपलब्ध नहीं है; इसलिए 40% का कट-ऑफ मनमाना है तथा इसके लिए और अधिक सबूतों की आवश्यकता है।		
				40% से कम दिव्यांगता	40% के बराबर या उससे अधिक दिव्यांगता लेकिन विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपचारात्म/सहायक प्रौद्योगिकी/सहायक	

					उपकरणों (एड्स)/ अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई सीखने की योग्यता के आधार पर चयन होगा।	
			(ख) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार	जिन मामलों में किसी व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा होम्योपैथी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री कोर्स- डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी कोर्स के लिए योग्य माना जाता है, उन मामलों में दिव्यांगता, न हो या कम दिव्यांगता हो, एस्परसर सिंड्रोम (**आईएसएए** के अनुसार 40-60% दिव्यांगता)	फिलहाल, वस्तुनिष्ठ पद्धति की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है। तथापि, दिव्यांगता आकलन की बेहतर पद्धति विकसित करने के बाद आरक्षण/कोटा के लाभ पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।	60% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक दिव्यांगता और/या यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन- पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स करने के लिए अयोग्य माना जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	दिव्यांगता न होना या हल्का होना: 40% से कम (**आईडीईएएस** के तहत)	फिलहाल, मानसिक बीमारी होने और उसकी सीमा की पुष्टि करने की वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं होने के कारण अनुशंसित नहीं है। तथापि, दिव्यांगता आकलन की बेहतर पद्धति विकसित करने के बाद आरक्षण/कोटा के लाभ पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या उससे अधिक दिव्यांगता या यदि व्यक्ति को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अयोग्य माना जाता है। "योग्यता" के मानक तैयार किए जा सकते हैं।

4.	के कारण दिव्यांगता	(क) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल	(i) मल्टिपल स्क्लेरोसिस	40% से कम	40% 80%	80% से अधिक दिव्यांगता

		स्थितियां	(ii) पार्किंसनिज़्म	दिव्यांगता	दिव्यांगता	
		(ख) रक्त विकार	(i) हीमोफीलिया (अधिक रक्तस्राव)	40% से कम दिव्यांगता	40%80% दिव्यांगता	80% से अधिक दिव्यांगता
			(ii) थैलेसीमिया			
			(iii)सिकल सेल रोग			
5.	बहरापन, अंधापन सहित विविध दिव्यांगता		ऊपर विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक	व्यक्तिगत मामलों में उपर्युक्त में से किसी की भी अर्थात्, दृश्य, श्रवण, बातचीत और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक बीमारी उपस्थिति के संबंध में सिफारिशों पर निर्णय लेते समय विविध दिव्यांगता के घटक के रूप में उपर्युक्त सभी पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित सूत्र का संयोजन: $\frac{क+ख\ (90-क)}{90}$ (जहां विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए की गई गणना के अनुसार क = दिव्यांगता का उच्च % मूल्य और ख = दिव्यांगता का कम % मूल्य) की अनुशंसा उस दिव्यांगता की गणना करने के लिए की गई है जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक दिव्यांगता होती है। इस सूत्र का उपयोग विविध दिव्यांगता वाले मामलों में किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति में मौजूद विशिष्ट दिव्यांगताओं के अनुसार प्रवेश और/या आरक्षण के बारे में सिफारिशें की जा सकती हैं।		

नोट 1: दिव्यांग जन (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के तहत चयन के लिए अभ्यर्थी को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा नामित दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्डों द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित तिथि से पहले जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट 2: किसी भी श्रेणी में पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, खाली सीटों को अखिल भारतीय कोटा सीटों या राज्य कोटा सीटों, जैसा भी मामला हो, की सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

अनुलग्नक

सारांश मूल्यांकन प्रोफार्मा

(विनियम 8 का उप-विनियम (1) देखें)

क्र.सं.	**प्रस्तुत शीर्षक और सारांश का विवरण**	
1.	कॉलेज:	कॉलेज का कोड कॉलेज का नाम
2.	पाठ्यक्रम:	विषय/विशेषता के साथ पीजी डिग्री कोर्स का नाम
3.	छात्र:	छात्र का नाम (पहला नाम ____ मध्य नाम ____ अंतिम नाम)

		संपर्क नंबर: ई-मेल आईडी:
4.	बैच:	शैक्षणिक वर्ष जिसमें छात्र को प्रवेश दिया गया – प्रवेश की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)
5.	गाइड/सुपरवाइजर:	गाइड/सुपरवाइजर का नाम: संपर्क नंबर: ई-मेल आईडी:: पीजी मान्यता की स्थिति:
6.	पात्रता:	संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को जारी किया गया अनुमति पत्र और स्नातकोत्तर विभाग की पात्रता (पत्र की तारीख और संदर्भ संख्या)
7.	शोध प्रविधि कार्यशाला:	क्या उपस्थित हुआ: हाँ/नहीं यदि हां, तो उपस्थिति की तारीख (तारीख/माह/वर्ष) भागीदारी प्रमाण पत्र संलग्न है: हाँ/नहीं
8.	सारांश का शीर्षक:	(विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया)

छात्र का नाम: **विषय विशेषज्ञता:** **प्रवेश का वर्ष:**

सारांश प्रस्तुत करने की तारीख: **स्नातकोत्तर गाइड से अनुमोदन की तारीख:**

संस्थान में भर्ती प्रत्येक विषय विशेषज्ञता में प्रत्येक छात्र के सारांश का मूल्यांकन करने के लिए सभी होम्योपैथी स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए सारांश मूल्यांकन जांच-सूची (चेकलिस्ट)।

सभी छात्रों की संकलित जानकारी नीचे उल्लिखित चेकलिस्ट में अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी

सारांश मूल्यांकन जांच-सूची						
क्र.सं.	**मद**	**घटक**	**हां**	**नहीं**	**उ०न०**	**टिप्पणी, यदि कोई हो**
1.	शीर्षक	1. स्पष्ट और संक्षिप्त				
		2. उल्लिखित महत्वपूर्ण वेरिएबल				
		3. रोगी/प्रतिभागी				
		4. कार्यकलाप				
		5. कंपैरेटर				
		6. परिणाम				
		7. अध्ययन डिजाइन को दर्शाता है				
		8. प्राथमिक उद्देश्यों को दर्शाता है				
		9. लक्षित जनसंख्या शामिल है				

		10. क्या शीर्षक/अध्ययन दोहराया गया है				
2.	रिसर्च गैप	1. अब तक किए गए अनुसंधान में अंतराल की पहचान की गई है				
3.	अनुसंधान प्रश्न	1. व्यवहार्य				
		2. रोचक				
		3. अभिनव				
		4. नैतिकतापूर्ण				
		5. प्रासंगिक				
		6. सामाजिक रूप से प्रासंगिक				
4.	प्राक्कल्पना	1. स्पष्ट रूप से बताया गया				
		2. दो या दो से अधिक वैरिएबल के बीच संबंध को दर्शाता है				
5.	प्रस्तावना	1. अध्ययन का औचित्य				
		2. प्रासंगिक महामारी विज्ञान डेटा				
		3. मौजूदा ज्ञान की कमी और इस तरह की कमी को कैसे दूर किया जाए				
6.	साहित्य की समीक्षा	1. वर्तमान अध्ययन के लिए प्रासंगिक हाल में किए गए शोध अध्ययन शामिल हैं				
		2. बताई गई समस्या के बारे में ज्ञान कमी को प्रस्तुत करता है				
		3. अनुसंधान प्रश्न को सही ठहराता है				
		4. निम्नलिखित स्रोतों से संदर्भ लिए गए: -पत्रिकाएं, पाठ्यपुस्तकें, सरकारी रिपोर्ट, शास्त्रीय पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, डेटाबेस, वेबसाइटें इत्यादि।				
7.	उद्देश्य:	स्मार्ट मानदंडों को पूरा करता है? **विशिष्ट** –सुधार के लिए एक				

		विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित करें। **मापने योग्य** – मात्रा या कम से कम प्रगति का एक संकेतक सुझाएं। **असाइनेबल** (निर्धार्य) – निर्दिष्ट करें कि यह कौन करेगा यथार्थवादी–बताएं कि उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए वास्तव में क्या परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। **समय से संबंधित**–बताएं कि परिणाम कब प्राप्त किए जा सकते हैं।				
8.	पद्धति	1. अध्ययन डिजाइन का प्रकार				
		2. सेटिंग (अध्ययन का स्थान)				
		3. अध्ययन की अवधि				
		4. अध्ययन विषयों के चयन की विधि (पात्रता मानदंड) - समावेशन मानदंड - बहिर्वेषण मानदंड				
		5. तुलना/नियंत्रण समूह के चयन की विधि				
		6. मिलान मानदंड				
		7. प्रचालन परिभाषाएं				
		8. उपकरणों और संबंधित मापों की विशिष्टता				
9.	आंकड़ा संग्रह के लिए निर्दिष्ट और बताई गई शोध प्रविधि	1. नमूना आकार				
		2. नमूना तैयार करने की तकनीक				
		3. उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक संग्रह की विधि				
		4. अध्ययन उपकरण या आंकड़ा संग्रह उपकरण				
		5. आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण प्रक्रिया (कोडिंग और कंप्यूटर का उपयोग)				

		6. सांख्यिकीय विश्लेषण की योजना				
10.	नैतिक मंजूरी					
11.	संदर्भ शैली:	1. वैंकूवर				
12.	अनुलग्नक:	1. अध्ययन में उपयोग किया जाने वाला केस रिकॉर्ड फॉर्म या प्रश्नावली या प्रोफार्मा या कोई अन्य अध्ययन उपकरण 2. रोगी का सूचना पत्र और सूचित सहमति फॉर्म (स्थानीय भाषा सहित) 3. मान्य और प्रामाणिक संक्षिप्त नाम 4. अध्ययन परिणामों के मूल्यांकन के मानदंड 5. सहयोगी शोध कार्य के प्रामाणिक दस्तावेज, यदि कोई हो (बुनियादी अवसंरचना, मानव संसाधन इत्यादि का उपयोग) 6. परिशिष्ट 'क' (सारांश प्रस्तुत करने के पत्र का शीर्षक) 7. परिशिष्ट 'ख' (आचार समिति का अनुमोदन) 8. छात्र द्वारा भाग ली गई शोध प्रविधि कार्यशाला का प्रमाण पत्र				
13.	मूल्यांकनकर्ता द्वारा समापन टिप्पणी:	1. स्वीकार किया गया 2. संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया 3. खारिज कर दिया गया				
14.	सुझाए गए संशोधन:					

हस्ताक्षर

दिनांक:

मूल्यांकनकर्ता का नाम, पदनाम और पता



होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253037
CG-DL-E-15032024-253037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

फा. सं. 3-35/2021/एनसीएच/एचईबी/एमईएस.सी.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (घ) एवं (ड.) के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (1) एवं और उपधारा (2) के खंड (ध) एवं (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर) विनियम 2013 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों या किए जाने वाले कार्यों के लोप के सिवाय, आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ – (1)** इन विनियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर), विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षा न की गई हो -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "परिशिष्ट" से ऐसा परिशिष्ट अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के साथ संलग्न किया गया है;

(ग) "संबद्ध अस्पताल" से शैक्षणिक (टीचिंग) होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल अभिप्रेत है जो चिकित्सा संस्थान से संबद्ध है;

(घ) "निदेशक" से चिकित्सा संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रभागाध्यक्ष" से वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से विभाग का एक अध्यापक/शिक्षक अभिप्रेत है जो विभाग के अकादमिक/शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है;

(च) "इन्टर्न" से एक चिकित्सा विद्यार्थी अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम – बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) विनियम, 2022 के तहत यथा उपलब्ध प्रशैक्षणिक, "अनिवार्य चक्रिक इन्टर्नशिप" की अवधि से गुज़र रहा है;

(छ) "नोडल अधिकारी" से एक पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे किसी निश्चित परियोजना अथवा संगठन या संस्थान के भीतर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ज) "प्राचार्य" से चिकित्सा संस्थान का प्राचार्य अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "शैक्षणिक अनुभव" से उस संबंधित विषय में प्राप्त पूर्णकालिक शैक्षणिक अनुभव अभिप्रेत है जिसमें उसे केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी चिकित्सा संस्थान में नियुक्त किया जा रहा है;

(ट) यहां प्रयुक्त एवं अपारिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्ति, जिन्हें अधिनियम में पारिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में उन्हें क्रमश: पारिभिाषित किया गया है।

3. उद्देश्य- इन विनियमों का उद्देश्य होगा :-

(क) न्यूनतम आवश्यक मानकों को विनिर्दिष्ट करना;

(ख) पूर्ण रूप से कार्यशील चिकित्सा संस्थान और उसका शैक्षणिक अस्पताल सुनिश्चित करना;

(ग) महाविद्यालय के विभिन्न विभागों और संबद्ध अस्पताल और अवसंरचना में स्टाफ (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक); यंत्रों; उपकरण की आवश्यकता का निर्धारण चिकित्सा संस्थान को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की मंजूरी देने अथवा अनुमति को अनुरक्षित करने और उसकी उत्तरोत्तर रेटिंग के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए करना।

4. विभाग - (1) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे, नामत :-

(क) होम्योपैथिक मैटिरिया मेडिका;

(ख) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन; होम्योपैथिक दर्शनशास्त्र एवं मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत;

(ग) होम्योपैथिक फॉर्मेसी;

(घ) होम्योपैथिक रेपर्टोरी एवं केस टेकिंग;

(ङ) मानव शरीर-रचना;

(च) मानव शरीरक्रिया विज्ञान एवं जैवरसायन विज्ञान;

(छ) फॉरेंसिंक चिकित्सा एवं आविष विज्ञान;

(ज) विकृति-विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान;

(झ) सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान/शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी;

(ञ) शल्यचिकित्सा;

(ट) स्त्री रोग एवं प्रसूति;

(ठ) भेषज विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के साथ चिकित्सा का अभ्यास (प्रैक्टिस); और

(ड) स्वास्थ्यवर्धन के लिए योग।

(2) उपर्युक्त में उप-विनियम (1) में वर्णित विभागों के अलावा, चिकित्सा संस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ एक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक होगा।

(3) प्रत्येक विभाग निम्नलिखित रजिस्टर अथवा डायरी का रखरखाव करेगा, नामत :-

(क) गैर-उपभोज्य अथवा डेड स्टॉक रजिस्टर;

(ख) शीघ्र खराब हाने वाली वस्तुओं के स्टॉक का रजिस्टर;

(ग) उपभोज्य वस्तुओं का रजिस्टर;

(घ) शैक्षणिक योजना एवं अनुपालन अथवा शैक्षणिक डायरी;

(ङ) मांग-पत्र रजिस्टर;

(च) विभागीय गतिविधि अभिलेख;

(छ) विभागीय पुस्तकालय रजिस्टर और;

(ज) 'व्याख्यान एवं गैर-व्याख्यानों' में छात्रों की उपस्थिति के लिए अलग-अलग रजिस्टर।

5. भूमि की आवश्यकता- संबद्ध अस्पतालों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि नए होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना), विनियम-2024 में यथा विनिर्दिष्ट होगी:

परंतु यह कि उक्त भूमि की आवश्यकता शासकीय राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान के लिए लागू नहीं है।

(क) भूखंड यदि सड़क या नहर या नाले से अलग है लेकिन पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा। आयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के समय पर जिला पंचायत या स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा जिसमें प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के अनुसार अपेक्षित निर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को प्रमाणित या अनुमोदित किया गया हो।

(ख) प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार महाविद्यालय और अस्पताल के लिए एक अलग भवन या इंटरकनेक्टेड भवन निर्मित किया जा सकता है। संबद्ध राज्य द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार भूमि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होनी चाहिए या राज्य के विनियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष या अधिकतम स्वीकार्य अवधि के लिए पट्टे पर होनी चाहिए। पट्टे के नवीनीकरण हेतु अनुमति पट्टे की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्राप्त की जानी चाहिए।

(ग) नई महाविद्यालय स्थापनाओं के लिए, किसी व्यक्ति के नाम पर भूमि को अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है:

परंतु यह कि केवल होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल के लिए भूमि के उपयोग हेतु अपरिवर्तनीय प्राधिकार का संकल्प पारित किया गया हो।

(घ) उक्त पारित संकल्प को उस पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा समवर्ती रूप से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है, जिसके पास आवेदक पंजीकृत है।

(ड.) संपत्ति केवल होम्योपैथी शैक्षणिक संस्थान के लिए अनन्य रूप से सीमांकित की जाएगी।

(च) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित किए गए चिकित्सा संस्थान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे, अर्थात: -

(i) भूमि के आकार और कब्जे की आवश्यकता के लिए, वर्तमान पट्टा अवधि के अंत में, उक्त चिकित्सा संस्थान या तो भूमि का मालिक होना चाहिए या उसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नियमों या विनियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष या अधिकतम स्वीकार्य अवधि के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त करनी होगी।

(ii) यदि ऐसे संस्थान सीटों की मौजूदा संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन जमा करते हैं या उच्चतर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें नए होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना), विनियम-2024 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि और बुनियादी ढांचे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

परंतु यह कि ये प्रावधान मौजूदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर लागू नहीं होंगे जो अपने मौजूदा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम के लिए नए विषयों को जोड़ने के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं।

(iii) यदि कोई मौजूदा चिकित्सा संस्थान शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो वह विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्मित या बिल्ट अप एरिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पांच कि.मी. से कम की दूरी या पन्द्रह मिनट की यात्रा समय दूरी पर अलग परिसर में एक अस्पताल या महाविद्यालय खोल सकते हैं।

(छ) विभागीय मापों के साथ भवन योजना को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सुविधाओं के सत्यापन के बाद स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाना होगा।

(ज) होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान और अस्पताल के भवन प्रचलित भवन संहिताओं एवं स्थानीय भवन उपविधियों या मानदंडों के अनुरूप होंगे। अस्पतालों में स्थानीय उपविधियों और विनियमों के अनुसार रोगी के निकास की योजनाओं सहित अग्निशामक उपाय होने चाहिए। वे दिव्यांगजनों को पहुंच और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। संस्थान और अस्पताल भवन इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

6. सीटों की संख्या- होम्योपैथी डिग्री पाठ्यक्रम, नामत: बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी में एक सौ सीटों तक आवेदन पर विचार किया जाएगा।

7. सूचना और रिटर्न (विवरणिका) की मांग करने की शक्ति.- (क) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों को ऐसी सूचना और रिटर्न (विवरणिका) की मांग करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे। विश्वविद्यालय और चिकित्सा संस्थान राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना को प्रस्तुत करेंगे:

परंतु यह कि यदि चिकित्सा संस्थान समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के भीतर सूचना एवं रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग यह मानते हुए कि संबंधित चिकित्सा संस्थान विनियमन का अनुपालन नहीं कर रहा है, उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान होम्योपैथी चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए निरीक्षण या मूल्यांकन के दौरान उनके द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचना, दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध करेगा।

8. अनुपालन में विफलता- यदि कोई चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे संस्थानों या अस्पतालों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

9. चिकित्सा संस्थान एवं संबद्ध अस्पताल की आवश्यकता.- (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में प्रथम अनुसूची में दिए गए अपेक्षित क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी, उपकरण होंगे और संबद्ध अस्पताल में द्वितीय अनुसूची में दिए गए अपेक्षित क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी और उपकरण होंगे। कर्मचारियों की योग्यता/अर्हता तृतीय अनुसूची में दी गई है।

(ख) एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता वाले सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट बिल्ट अप एरिया या निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

(ग) एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता वाले सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट विभाग-वार आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।।

प्रथम अनुसूची

(विनियम 5 के खंड (क) एवं (ख), और विनियमन 9 के खंड (क) का अवलोकन करें)

होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की आवश्यकताएँ - क. सामान्य :

(1) (क) चिकित्सा संस्थान इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों को समायोजित करने हेतु उपयुक्त बिल्ट-अप स्थान (चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल दोनों में) उपलब्ध कराएगा तथा शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय, प्रशासनिक क्षेत्र, कमरे, छात्रों को सुविधाएं आदि उपलब्ध कराएगा।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में छात्रों और इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) के लिए चिकित्सा संस्थान या अस्पताल के संकाय और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय क्षेत्र के साथ या उसके बिना संबद्ध अस्पताल और छात्रावास सुविधा होगी।

(2) **महाविद्यालय परिषद -** (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में एक महाविद्यालय परिषद होगी जिसमें सदस्य के रूप में सभी विभागों के प्रमुख या चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी इकाई के लिए निर्दिष्ट संकाय सदस्य होंगे तथा उसका अध्यक्ष प्राचार्य या निदेशक होगा।

(ख) पाठ्यचर्या और प्रशैक्षणिक कार्यक्रम के विवरणों को रूपरेखा देने, अनुशासन के प्रवर्तन और अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए परिषद एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। सभी बैठकों के कार्यवृत्त उचित रूप से अनुरक्षित किए जाएंगे।

(ग) परिषद संस्थान में अनुसंधान की आवधिक समीक्षा सहित ग्रैंड राउंड, सांख्यिकीय बैठकें और नैदानिक अथवा क्लिनिकल बैठकें जैसी अंतर-विभागीय बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित करेगी।

(3) **बायोमेट्रिक उपस्थिति -** (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान मानव संसाधनों की उपस्थिति को नियमित रूप से दर्ज करने के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित करेंगे और यह अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और आयोग के लिए ऐक्सेस योग्य होगी ताकि शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित हो सके।

(ख) आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति को चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर और आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित समर्पित पोर्टल पर होम्योपैथी चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन के लिए मूल्यांकन के दौरान या उसके बाद चिकित्सा संस्थान से उपस्थिति का उक्त रिकॉर्ड मांगेगा।

(ग) आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और निरंतर सुचारू रूप से कार्यकरण की जिम्मेदारी चिकित्सा संस्थानों की होगी और बायोमेट्रिक प्रणाली के कार्यकरण में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए नामित नोडल प्रभारी अधिकारी के माध्यम से तुरंत आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सात दिनों के भीतर ठीक करना होगा।

(घ) आधार सक्षम बायोमेट्रिक मशीन द्वारा न्यूनतम एक वर्ष की उपस्थिति का रिकॉर्ड आयोग या मूल्यांकन टीम को उपलब्ध कराना होगा और महाविद्यालय कम से कम एक वर्ष के संदर्भ में रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा।

(ड.) सभी संकाय और आवासीय चिकित्सकों के लिए कुल कार्य दिवसों (छुट्टियों को छोड़कर) में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। छुट्टी की अवधि के दौरान, अस्वस्थता की छुट्टी या आपातकालीन स्थितियों के कारण ली गई छुट्टियों के अलावा, ड्यूटी पर मौजूद संकाय कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। आपातकालीन छुट्टियाँ विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

(4) क्लोज सर्किट टेलीविजन- (क) आयोग को चिकित्सा शिक्षा और प्रदान किए जा रहे प्रशैक्षणिक के मानकों पर निरंतर निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के परिसर अथवा कैम्पस में क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली स्थापित करनी होगी और वह क्लासरूम अथवा कक्षाओं और संबद्ध अस्पताल की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में उपलब्ध कराएगा, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और आयोग के लिए अनिवार्य रूप से ऐक्ससेबल होगी ताकि आयोग प्रदान की जा रही चिकित्सा शिक्षा और प्रशैक्षणिक के मानक पर निरंतर निगरानी रख सके।

(ख) चिकित्सा संस्थानों की निगरानी के लिए महाविद्यालयों में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए जाएंगे, जो आयोग या केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर त्वरित संदर्भ के लिए एक महीने की रिकॉर्डिंग का बैकअप रखेंगे। उसके कार्यकरण या रखरखाव की निगरानी के लिए चिकित्सा संस्थान से एक नोडल अधिकारी को विशेषतया नामित किया जा सकता है।

(ग) क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और निरंतर सुचारू संचालन की जिम्मेदारी चिकित्सा संस्थानों की होगी और संस्थान द्वारा महसूस की जा रही किसी भी तकनीकी समस्या या खराबी के मामले में, उसकी सूचना तुरंत नोडल अधिकारी के माध्यम से आयोग को देनी होगी, जिसे सात कार्य दिवसों के भीतर दुरुस्त किया जाएगा।

(घ) व्यापक कवरेज के लिए आवश्यक क्षेत्र और कैमरों की संख्या निम्नलिखित सारणी के अनुसार है, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	क्षेत्र	कैमरों की सं.
1.	कक्षाएं/क्लासरूम (प्रत्येक में एक)	05*
2.	सभी बायोमैट्रिक मशीनों के ऊपर	01
3.	बाह्य-रोगी विभाग भवन के प्रतीक्षालय क्षेत्र में	01
4.	अंत: रोगी विभाग क्षेत्र	01
5.	होम्योपैथिक फॉर्मेसी/औषधालय	01
6.	प्रतीक्षालय सहित रोगी का पंजीकरण स्थल	01
7.	अस्पताल की प्रयोगशाला	01

* स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए अतिरिक्त।

(5) **शैक्षणिक कक्ष और इंटरनेट सुविधा- (क)** चिकित्सा संस्थानों में प्रति वर्ष न्यूनतम दो स्मार्ट बोर्ड के साथ चरणबद्ध तरीके से कक्षा और व्याख्यान भवन में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से स्मार्ट-बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। प्रदर्शन कक्षों और नैदानिक कक्षाओं में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर और लोक शिकायत प्रणाली जैसी दृश्य-श्रव्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

(ख) चिकित्सा संस्थानों के पास स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या वायरलेस सुविधा के साथ एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम सेट अप के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित शैक्षणिक सुविधा के साथ-साथ शैक्षणिक खंड, अस्पताल और पुस्तकालय को कवर करने के लिए पर्याप्त गति हो।

(ग) सभी बाह्य रोगी विभागों में एक लाइसेंस-प्राप्त होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना होगा जिसे रोगी देखभाल के विभिन्न कार्यों के प्रबंध के लिए अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा सकता है और इसका बैकअप पांच वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट पर रोगी की उपस्थिति उपलब्ध कराने के लिए डैशबोर्ड के रखरखाव सहित सभी आवश्यकताओं के सुचारू कामकाज के लिए नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन के साथ पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराना होगा।

(6) **वेबसाइट -** प्रत्येक चिकित्सा संस्थान की अपनी वेबसाइट होगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, जिन्हें हर महीने के पहले सप्ताह में अद्यतित किया जाना होगा, अर्थात: -

(क) चिकित्सा संस्थान के निदेशक या प्राचार्य और चिकित्सा संस्थान के अधीक्षक का विवरण, जिसमें उनका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, योग्यता व अर्हता, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता शामिल हो;

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय, उसके कुलपति, होम्योपैथी संकाय के डीन (संकायाध्यक्ष) या प्रमुख, परीक्षा नियंत्रक और कुलपति का विवरण तथा उनके नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता हो। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए;

(ग) आयुष या होम्योपैथी के प्रमुख सचिव या सचिव और आयुक्त या निदेशक का विवरण, जिसमें उनका नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता हो। सचिवालय एवं आयुष होम्योपैथी निदेशालय की वेबसाइट का लिंक चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा;

(घ) शैक्षणिक कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों का विवरण तथा विभाग में उनकी नियुक्ति की तारीख एवं कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, उनकी तस्वीर, पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, योग्यता व अर्हता, अनुभव, विभाग, प्रकाशनों की संख्या और ऐसे अन्य आवश्यक विवरण, यदि कोई हो, शामिल किए जाने होंगे;

(ड) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की विस्तृत स्थिति;

(च) होम्योपैथी में शैक्षिक पाठ्यक्रमों की स्वीकृत सीटों की संख्या का विवरण; जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हो;

(छ) वर्तमान और पिछले शैक्षणिक सत्रों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए छात्रों की योग्यता-वार, श्रेणी-वार सूची, उनके राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा स्कोर;

(ज) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीयर या गैर पीयर रिव्यूड जर्नलों में सभी शोध प्रकाशन और कोई अन्य प्रकाशन;

(झ) संस्थान द्वारा संचालित सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, अनुसंधान पाठ्यक्रम, सम्मेलनों और/या किसी अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण;

(ञ) छात्रों या संकाय या महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा प्राप्त कोई भी पुरस्कार और उपलब्धि का विवरण;

(ट) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम;

(ठ) पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क और अन्य लागतों का विवरण;

(ड) बाह्य रोगी विभाग या अंतरंग विभाग के पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े;

(ढ) अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग के रोगियों और उपचार क्षेत्र के पंजीकरण की रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी;

(ण) आयुष मंत्रालय की गतिविधियों की सूचना और उस तक पहुंच के लिए वेबसाइट (https://main.ayush.gov.in) पर लिंक उपलब्ध कराना होगा;

(त) केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी संबंधित निकायों के लिए लिंक;

(थ) वेबसाइट के कार्यकरण या रखरखाव की निगरानी के लिए चिकित्सा संस्थान से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा;

(द) नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण वेबसाइट मार्गदर्शिका पर उपलब्ध कराना होगा; और

(ध) कोई अन्य सूचना जो आयोग द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।

(7) **छोटे समूह में शैक्षणिक सुविधाएँ -** शैक्षणिक कक्षों, छात्रों के लिए प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों और व्याख्यान कक्षों और किसी भी अन्य उपलब्ध क्षेत्र के कॉमन संसाधन पूल का उपयोग इन विनियमों में निर्दिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ-साथ छोटे समूह (तीस छात्रों तक) को पढ़ाने और शैक्षणिक विभाग द्वारा साझा करने के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल और इंटरनेट सुविधाएं होंगी।

(8) **छात्रों के लिए सुविधाएं** - छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सुविधाओं में शौचालय, प्रेक्षागृह, आवधिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों, अंतरंग एवं बाह्य खेल और छात्रों के लिए काउंसिलिंग सेवाओं के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग आम कमरों की सुविधाएं होंगी। महाविद्यालय में बाह्य या अंतरंग खेलों और ट्रैक इवेंट के लिए खेल का मैदान होगा। चिकित्सा संस्थान बाह्य खेल और ट्रैक इवेंट के संचालन के लिए कुछ खेल परिसरों के साथ समझौता ज्ञापन भी कर सकते हैं, यदि ऐसी सुविधाएं उनके अपने परिसर में उपलब्ध न हों।

(9) **जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन-** होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान को समय-समय पर अधिसूचित जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उनके पास मानव मूल के जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर एक उत्कृष्ट संस्थागत नीति होनी आवश्यक है, जिसमें जैवचिकित्सा कचरे को अलग करने और निपटान की एक सुपारिभाषित व्यवस्था हो। अस्पताल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण कराना होगा।

(10) सरकारी जल प्राधिकरण के प्रमाणीकरण के तहत चौबीस घंटे पीने योग्य और गैर-पीने योग्य पानी की उपलब्धता की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और तीन महीने में कम से कम एक बार किसी भी अधिकृत जल परीक्षण एजेंसी से समय-समय पर पीने के पानी की जांच करानी होगी तथा उसकी रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

(11) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में उचित सफाई और स्वच्छता के साथ प्रत्येक मंजिल पर अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय निर्मित करने होंगे। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त सीवेज जल निकासी व्यवस्था या सीवेज शोधन संयंत्र होना आवश्यक है।

(12) चिकित्सा संस्थान में कर्मचारियों, रोगियों और छात्रों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधा होना जरूरी है।

(13) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा, सार्वजनिक भविष्य निधि, श्रम नियम, निर्माण एवं रखरखाव और ऐसी अन्य संबंधित चीजों से संबंधित सभी आवश्यक सांवधिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

ख. विभागवार विशिष्ट आवश्यकताएं निम्न प्रकार हैं, नामत:-

(1) होम्योपैथिक मैटिरिया मेडिका विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के लिए अपेक्षित स्थान, प्रदर्शन कक्ष, संग्रहालय, और विभागीय पुस्तकालय: पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारी: तृतीय अनुसूची के अनुसार योग्यता/अर्हता होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, नामत: -

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी-टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ- (i) संग्रहालय में प्रत्येक वर्ष कवर किए गए विषयों पर चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटो पैनल (चित्र-वार प्रस्तुति) होंगे। चार्ट को हर चार महीने में बदलना होगा। नए महाविद्यालय की स्थापना के मामले में, संग्रहालय में चार्ट की संख्या उनके स्तर (पहले वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष के बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रम के दौरान) के अनुपात में होगी और पांच चार्टों को वार्षिक रूप से जोड़ना होगा। चार्ट छात्रों द्वारा तैयार करने होंगे जिनका रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में भी रखना होगा। चार्ट निम्नलिखित विषयों पर हो सकते हैं, अर्थात: -

(क) पादप पारिस्थितिकी/प्लांट किंगडम (10)

(ख) पशु पारिस्थितिकी/ एनिमल किंगडम (10)

(ग) खनिज पारिस्थितिकी/मिनिरल किंगडम (10)

(घ) ओफिडिया समूह (05)

(ड.) मकड़ी परिवार (02)

(च) नोसोड्स (01)

(छ) सारकोड्स (01)

(ज) इम्पॉन्डरबिलिया (01)

(ii) अन्य रचनात्मक चार्ट (प्रत्येक एक) निम्नलिखित विषयों पर होंगे, अर्थात: -

(क) गंभीर रोगोपचारों की अभिलाक्षणिकताएं;

(ख) डीप एक्टिंग कंस्टिट्यूशनल रोगोपचारों की अभिलाक्षणिकताएं;

(ग) दुर्लभ चिकित्सा की अभिलाक्षणिकताएं;

(iii) नमूने: सभी पारिस्थितिकियों से पच्चीस अलग-अलग शुष्क और गीले नमूने विभाग में रखे जाएंगे।

(ड.) होम्योपैथी के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थापकों और योगदानकर्ताओं की तस्वीर

मैटिरिया मेडिका में जन्म या मृत्यु की तारीख और संक्षिप्त विवरण का उल्लेख निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रदर्शित करना होगा, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	नामचीन व्यक्ति का नाम
1.	डॉ. सैमुअल हैनीमैन
2.	डॉ. जे. टी. केंट
3.	डॉ. कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग
4.	डॉ. टी.एफ.एलन
5.	डॉ. एच.सी.एलन
6.	डॉ. रिचर्ड ह्यूजेस
7.	डॉ.जे.एच.क्लार्क
8.	डॉ. एम.एल. टायलर
9.	डॉ. विलियम बोएरिके
10.	डॉ. सी. डनहम
11.	डॉ. ई.ए. फ़ारिंगटन
12.	डॉ. ई.बी.नैश
13.	डॉ. बी.के.बोस
14.	स्थानीय या क्षेत्रीय नामचीन होम्योपैथी चिकित्सक

(2) आर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान मूल सिद्धांत विभाग

(क) शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, संग्रहालय एवं विभागीय प्रयोगशाला के लिए स्थान: पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारी अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्न सारणी के अनुसार होगी, नामत:-

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02

अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताओं के साथ सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम संवर्ग के एक अलग अभ्यागत संकाय (विजिटिंग फैकल्टी) को मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के शैक्षणिक के लिए अनुबंधित किया जाएगा ।

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) नमूने या तस्वीरें;

(ii) शैक्षणिक सामग्री: गंभीर और असाध्य रोगों सहित प्रसूची/कैटलॉग (बीस गंभीर और दस असाध्य रोग मामले): प्रत्येक की दो प्रतियां।

(iii) ई-सामग्री- सॉफ्टवेयर या वीडियो या पीपीटी या चार्ट

(iv) चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल: नीचे उल्लिखित सभी चार्टों में से, पांच चार्ट संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने हैं जिन्हें हर चार महीने के बाद बदलना होगा। चार्ट केवल छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं जिनका रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में रखा जाना है।

(क) चिकित्सा का इतिहास-5 चार्ट;

(ख) होम्योपैथी का इतिहास - 5 चार्ट (विश्व, भारत, राज्य का);

(ग) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन - 15 चार्ट;

(घ) दर्शनशास्त्र - 10 चार्ट;

(ड.) मनोविज्ञान- 5 चार्ट

(v) चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटो पैनल के लिए विषय इस प्रकार हैं, अर्थात: -

(क) होम्योपैथी क्या है;

(ख) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की अंतर्वस्तु;

(ग) आर्गेनन के विभिन्न संस्करण;

(घ) चिकित्सक (मिशन, उपचार के सिद्धांत, अर्हता);

(ड.) प्रकृति का चिकित्साविधान नियम;

(च) होम्योपैथी उपचार की कार्यप्रणाली;

(छ) चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों की तुलना;

(ज) रोगों का वर्गीकरण;

(झ) केस टेकिंग के लिए दिशानिर्देश;

(ञ) औषधि प्रमाणन विधियां, प्रमाणक, दिशानिर्देश;

(ट) ड्रग डायनेमाइजेशन की विधियां, पैमाने;

(ठ) क्रोनिक मियास्म की तुलना;

(ड) एक तरफा (वन साइडेड) रोग;

(ढ) मानसिक रोग;

(ण) आंतरायिक रोग;

(त) अनुषंगी उपाय;

(थ) होम्योपैथी के मौलिक सिद्धांत;

(द) लक्षणों का वर्गीकरण;

(ध) लॉजिक-इंडक्टिव एवं डिडक्टिव;

(न) संवेदनशीलता;

(प) संघटन (स्वभाव, डायथेसिस);

(फ) रोगनिदान/प्रॉग्नोसिस (दवा की क्रिया के बाद प्रेक्षण);

(ब) विनिर्देश (पहली और उसके बाद के);

(भ) अवधारणाओं की तुलना (जे टी केंट, एच ए रॉबर्ट्स, एस.क्लोज़);

(म) लक्षण का विश्लेषण या मूल्यांकन;

(य) पोज़ोलॉजी;

(र) मनोविज्ञान (प्रकार);

(ल) व्यक्तित्व (प्रकार);

(व) भावनाएँ;

(स) व्यवहार और प्रतिक्रियाएं;

(ह) स्मृति और बुद्धि।

(vi) संग्रहालय में अन्य आवश्यकताएँ:-

(क) ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थापकों और योगदानकर्ताओं की तस्वीर, जिसमें उनके जन्म या मृत्यु की तारीख और संक्षिप्त विवरण का उल्लेख हो, निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	**नामचीन व्यक्ति का नाम**
1.	डॉ. सैमुअल हैनीमैन
2.	डॉ. जे. टी. केंट
3.	डॉ. स्टुअर्ट क्लोज
4.	डॉ. हर्बट ए रॉबर्ट
5.	डॉ. जे. एच. एलन
6.	डॉ. आर. ई. डुजियॉन
7.	डॉ. महेन्द्र लाल सरकार
8.	डॉ. बाबू राजेन्द्र लाल दत्ता
9.	डॉ. बी.के. सरकार
10.	डॉ. दीवान हरीश चंद
11.	डॉ. के. जी. सक्सेना
12.	डॉ. महेन्द्र सिंह
13.	स्थानीय या क्षेत्रीय नामचीन होम्योपैथी चिकित्सक

(3) होम्योपैथी फॉर्मेसी विभाग

(क) शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, संग्रहालय एवं विभागीय प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित स्थान: एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर

(ख) कर्मचारी की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्न सारणी के अनुसार होगी, नामत:-

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर	01
2.	सहायक प्रोफेसर	01
अशैक्षणिक कर्मचारी		
3.	प्रयोगशाला सहायक	01
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

(i) फार्माकोपियाज (सभी खंड)

(क) भारत का होम्योपैथिक फार्माकोपिया -01 सेट

(ख) जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया -01 सेट

(ग) यूनाइटेड स्टेट का होम्योपैथिक फार्माकोपिया -01 सेट

(घ) ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया -01 सेट

(ii) नमूनों का कैटलॉग जिसमें भेषजीय अथवा फॉर्माकोलॉजीकल कार्रवाई, सामान्य विशेषताओं और नैदानिक संकेतों को दर्शाया गया हो : 2 प्रतियां।

(iii) प्रैक्टिकल या क्लिनिकल रिकॉर्ड या हर्बेरियम पर जर्नल का अनुरक्षण करना होगा।

(iv) विभाग के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित अल्कोहल या स्पिरिट लाइसेंस या उसकी अनुमति एवं उपयोग के रजिस्टर की प्रति अनुरक्षित करनी होगी।

(v) विद्यार्थियों का फार्माकोपिया प्रयोगशाला या बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाई का दौरा जो सरकार के प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होम्योपैथिक दवाइयों के विनिर्माण की प्रथाओं का अनुपालन करते हैं। ऐसे दौरे का प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड तथा उपस्थिति का विवरण रखना होगा।

(ड.) फार्मेसी विभाग के लिए उपकरणों की सूची परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।

(च) विभाग में निम्नलिखित चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल होना आवश्यक है और चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं जिनके रिकॉर्ड को ए4 आकार की शीट में भी अनुरक्षण किया जाना है।

(i) होम्योपैथिक फार्माकोपिया (सभी खंड);

(ii) दवाओं के स्रोत;

(iii) होम्योपैथिक फार्मास्युटिकल कोडेक्स;

(iv) दवाओं का मानकीकरण - ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन;

(v) दवाओं का मानकीकरण - सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन;

(vi) दवाओं का मानकीकरण - भौतिक मूल्यांकन;

(vii) दवाओं का मानकीकरण - रासायनिक मूल्यांकन;

(viii) दवाओं का मानकीकरण - जैविकीय मूल्यांकन;

(ix) दवाओं और उनकी प्रभावकारिता का संरक्षण;

(x) वाहन - ठोस पदार्थ परिवहन वाले वाहन;

(xi) वाहन - तरल पदार्थ परिवहन वाले वाहन;

(xii) वाहन - अर्ध-ठोस पदार्थ परिवहन वाले वाहन;

(xiii) होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण - हैनिमैनियन विधि;

(xiv) होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण - नई विधि;

(xv) तनुकरण (पोटेंटाइजेशन) के पैमाने;

(xvi) तनुकरण की विधियाँ;

(xvii) पोसोलॉजी (शुद्धमात्रिकी) के सिद्धांत;

(xviii) निदेश-पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) लेखन;

(xix) फार्माकोनॉमी;

(xx) विभिन्न प्रकार के बाह्य अनुप्रयोग;

(xxi) हैनिमैनियन औषधि प्रमाणन;

(xxii) होम्योपैथिक रोगजनक परीक्षण;

(xxiii) पादप-संघटक;

(xxiv) होम्योपैथिक फार्मेसी अधिनियम और नियम;

(xxv) विभिन्न प्रकार की औषध अभिक्रियाएं;

(xxvi) भारतीय औषधियाँ और उनके स्थानीय नाम।

(छ) हर्बेरियम: 20

(ज) औषध स्रोतों की लेमिनेटेड तस्वीरें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होनी चाहिए: -

(i) वानस्पतिक पारिस्थितिकी;

(ii) पशु पारिस्थितिकी;

(iii) खनिज पारिस्थितिकी;

(iv) नोसोड्स;

(v) सरकोडेस;

(vi) इम्पॉन्डरबिलिया;

(vii) सिंथेटिक स्रोत।

(झ) विभाग में मॉडल निम्न प्रकार होने चाहिए:-

(i) पोटेंटाइजर;

(ii) ट्रिट्यूरेटर;

(iii) ग्लोब्यूल बनाने का पात्र।

(ञ) आवश्यक नमूनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

(i) वानस्पतिक: क) शुष्क नमूना -50;
ख) ताज़ा या गीला नमूना-20;

(ii) पशु - 10;

(iii) रसायन - 20.

(ट) हर्बल गार्डन में निम्नलिखित होना चाहिए: -

(i) रोपित प्रजातियों की संख्या-30;

(ii) गमलों में रोपित पौधे -30;

(iii) पर्याप्त सिंचाई सुविधा और प्रशिक्षण;

(4) रेपर्टोरी और केस टेकिंग विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान: पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, नामत: -

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकता:- (i) विभाग दस कंप्यूटरों से सुसज्जित होगा जिन्हें समय-समय पर आवश्यक सहायक उपकरणों से नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड किया जाएगा, और पांच अलग-अलग होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर पैकेज होंगे जिनमें केंट, बोगर बोएनिंगहौसेन, बोएरिक, पाठक, सिंथेसिस, मर्फी, कम्प्लीट रेपर्टोरी आदि जैसे विभिन्न रेपर्टोरी सन्निहित होंगे।

(ii) रेपर्टोरी पर पंद्रह चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटो पैनल (छात्रों द्वारा तैयार किए जाने वाले चार्ट जिनके रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करने होंगे) निम्नलिखित विषयों पर उपलब्ध कराने होंगे, अर्थात: -

(क) रेपर्टोरीज़ का विकास;

(ख) रेपर्टोरी की परिभाषा और उसकी आवश्यकता एवं उपयोग;

(ग) रेपर्टोरीज़ का वर्गीकरण;

(घ) क्रॉस रिपर्टोराइजेशन की प्रक्रिया;

(ड.) बोएनिंगहाउज़ेन (Boenninghausen) का लक्षणों अथवा उपागम का मूल्यांकन क्रम;

(च) केंट का लक्षणों अथवा उपागम का मूल्यांकन क्रम;

(छ) बोगर का लक्षणों अथवा उपागम का मूल्यांकन क्रम;

(ज) केंट के रेपर्टोरी संस्करण;

(झ) कार्ड रेपर्टोरीज़;

(ञ) रेपर्टोरियल सिंड्रोम और संभावित भिन्नात्मक क्षेत्र;

(ट) परिकल्पित छायाचित्र/इमेज;

(ठ) क्षेत्रीय रिपर्टरियां;

(ड) रेपर्टोरी सॉफ्टवेयर;

(ढ) लक्षणों का विश्लेषण और मूल्यांकन;

(ण) केस टेकिंग और रेपर्टोरी।

(ड.) होम्योपैथी रेपर्टोरी के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थापकों और योगदानकर्ताओं की तस्वीर, जिसमें उनके जन्म या मृत्यु की तारीख और संक्षिप्त विवरण का उल्लेख हो, निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	नामचीन व्यक्ति का नाम
1.	डॉ. सैमुअल हैनीमैन
2.	डॉ. जे. टी. केंट
3.	डॉ. सी. वी. बोएनिंगहोसेन
4.	डॉ. सी. एम. बोजर
5.	डॉ. जी. एच. जाहर
6.	डॉ. एस. आर. पाठक
7.	डॉ. जुगल किशोर
8.	डॉ. रमनलाल पी. पटेल
9.	डॉ. फ्रेडेरिक स्क्रोयेन्स
10.	डॉ. रोजर वेन जेंडवूर्त
11.	डॉ. रॉबिन मर्फी
12.	डॉ. डी. पी. रस्तोगी
13.	स्थानीय या क्षेत्रीय नामचीन होम्योपैथी चिकित्सक

(5) मानव शरीर रचना विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, विच्छेदन कक्ष, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान: एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर;

(ख) लाइसेंस प्रचलित कानूनों के विस्तृत प्रावधानों के अनुसार होगा;

(ग) कर्मचारियों की अर्हता व योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी;

(घ) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, नामत: -

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02

अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	प्रयोगशाला सहायक	01
5.	शव-परीक्षण सहायक	01
6.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(ड.) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में वॉश बेसिन और शवों के भंडारण के साथ अच्छी तरह हवादार अंग-विच्छेदन हॉल होगा।

(च) संग्रहालय में आवश्यकताएँ: विभाग के पास निम्न को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल, नमूने, हड्डी सेट, आर्टिकुलेटेड कंकाल, हिस्टोलॉजी अर्थात ऊतक विज्ञान और भ्रूणविज्ञान मॉडल या स्लाइड होने चाहिए-

(i) मॉडलों की संख्या-20;

(ii) चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटोपैनल की संख्या-30 (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करने होंगे)।

(iii) ऊतक विज्ञान अथवा हिस्टोलॉजी स्लाइड- 50;

(iv) सभी आंतो का कोमल भाग-प्रणाली-वार-25;

(v) हड्डियाँ

(क) पूर्ण हड्डी सेट (03 पुरुष और 03 महिला) - 06;

(ख) आर्टिकुलेटेड और गैर-आर्टिकुलेटेड कंकाल - 02;

(vi) अनुप्रयुक्त शरीर-रचना के लिए एक्स-रे फिल्में, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, मेग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्टों का नमूना - 25;

(vii) जर्नल: (क) हिस्टोलॉजी जर्नल- सभी हिस्टोलॉजी स्लाइडें और अंग-प्रत्यंग स्लाइडों का विवरण;

(ख) सकल शरीर-रचना जर्नल;

(छ) शरीर-रचना प्रयोगशाला के लिए परिशिष्ट-2 के अनुसार आवश्यक उपकरणों की सूची।

(6) मानव शरीरक्रिया विज्ञान और जैवरसायन विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान = एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	**पदनाम**	**अपेक्षित संख्या**
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	प्रयोगशाला सहायक	01

5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	01
6.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

घ) शरीक्रिया विज्ञान अथवा फिजियोलॉजी प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी।

(ड.) जैव रसायन प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट-4 के अनुसार होगी।

(7) फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान = पचहत्तर वर्ग मीटर

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	**पदनाम**	**अपेक्षित संख्या**
	शैक्षणिक कर्मचारी	
1.	प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर	01
2.	सहायक प्रोफेसर	01
	अशैक्षणिक कर्मचारी	
3.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

(i) निम्नलिखित के मॉडल, अर्थात: -

(क) दांत का ऊर्ध्वाधर खंड;

(ख) बालों की जड़ (हेयर रूट्स);

(ग) उंगलियों के निशान के पैटर्न;

(घ) कैडवेरिक स्पैज्म;

(ड.) मार्बलिंग चिन्ह;

(च) पैटर्नयुक्त घर्षण;

(छ) घाव में रंग परिवर्तन;

(ज) घाव;

(झ) कटा हुआ घाव;

(ञ) घाव सृजन;

(ट) सृजित घाव;

(ठ) प्रवेशीय घाव और बहिर्वेशित घाव;

(ड) कूप एवं काउंटरकूप क्षतियां;

(ढ) अंतरकपालीय अथवा इंट्राक्रानियल रक्तस्राव;

(ण) फिक्स नॉट एवं स्लिप नॉट;

(ii) निम्नलिखित के लिए चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल और प्रमाणपत्र प्रारूप (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाएंगे और रिकॉर्ड ए 4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित किया जाएगा) प्रदर्शित करने होंगे, नामत:-

(क) शवपरीक्षण का प्रयोजन या उद्देश्य;

(ख) शवपरीक्षण के नियम;

(ग) शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप;

(घ) मृत्यु के लक्षण- तत्काल, जल्दी, विलंबित;

(ड.) रिगर मोर्टिस- शुरुआत और अवधि;

(च) चिकित्सा प्रमाणपत्र और पुलिस के पास दर्ज कराई गई सूचना की रिपोर्ट;

(छ) दुर्घटना रजिस्टर प्रारूप;

(ज) घाव प्रमाण पत्र;

(झ) आयु अनुमान प्रारूप;

(ञ) आयु प्रमाणपत्र;

(ट) बलात्कार पीड़िता की जांच;

(ठ) बलात्कार या अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी की जांच;

(ड) पुरुष की शक्ति या नपुंसकता की जांच के लिए प्रफॉर्मा;

(ढ) महिला की शक्ति या नपुंसकता का प्रमाण पत्र;

(ण) चिकित्सा-विधिक मामलों में चिकित्सक के कर्तव्य

(ड.) आविष विज्ञान संबंधी नमूने: 35 (पाठ्यक्रम-विवरण अथवा सिलेबस के अनुसार)

(च) हथियार (कुंद, तेज और नुकीले): 20

(छ) संगत अधिनियमों और विनियमों की पर्याप्त प्रतियां प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में रखी जानी हैं:-

(ज) परिशिष्ट -5 के अनुसार फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी लैब के लिए उपकरणों की सूची।

(झ) अदालती कार्यवाहियों और शवपरीक्षण के लिए जिला अदालतों और अस्पतालों में जाने वाले छात्रों के रिकॉर्ड।

(8) विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान = एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारी की अर्हता/योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	**पदनाम**	**अपेक्षित संख्या**
	शैक्षणिक कर्मचारी	
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
	अशैक्षणिक कर्मचारी	

4.	प्रयोगशाला सहायक	01
5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	01
6.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

(i) हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइडें - 25;

(ii) मॉडल – 20

(ड.) परिशिष्ट-6 के अनुसार पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए उपकरणों की सूची।

(9) सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान = एक सौ वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारी की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	**पदनाम**	**अपेक्षित संख्या**
	शैक्षणिक कर्मचारी	
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
	अशैक्षणिक कर्मचारी	
4.	सांख्यिकी सहायक	01
5.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) निम्नलिखित के मॉडल, अर्थात: -

(क) स्लो सैंड मॉडल;

(ख) रैपिड सैंड मॉडल;

(ग) सेनेटरी वेल मॉडल;

(घ) इनसेनेटरी वेल मॉडल;

(ड.) रिसर्च कम एक्शन शौचालय मॉडल;

(च) सेप्टिक टैंक शौचालय मॉडल;

(छ) 4 प्रकार के मच्छरों के जीवन चक्र का मॉडल;

(ज) मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का मॉडल;

(झ) फाइलेरिया के जीवन चक्र का मॉडल;

(ञ) धुआं रहित चालाह;

(ट) महत्वपूर्ण हेल्मिंथों का जीवन चक्र;

(ठ) आदर्श वेल मॉडल

(ii) निम्नलिखित के चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल और आरेख (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं जिनका रिकॉर्ड ए 4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करना होगा), अर्थात: -

(क) स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा;

(ख) संक्रामक रोगों की जानपदिकता;

(ग) टीकाकरण और टीकाकरण अनुसूची;

(घ) होमियोप्रोफिलैक्सिस;

(ड.) जनसांख्यिकी और परिवार नियोजन;

(च) स्वास्थ्य सूचना और जैव सांख्यिकी;

(छ) गैर-संक्रामक रोग;

(ज) सूचना, शिक्षा, संचार और परामर्श;

(झ) आहार, पोषण और पोषण संबंधी समस्याएं एवं कार्यक्रम;

(ञ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम;

(ट) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां;

(ठ) नॉयज, लाइट, रेडिएशन और मौसम विज्ञान;

(ड) पर्यावरणीय स्वच्छता, शौचालय;

(ढ) जल और सीवेज उपचार;

(ण) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन;

(त) वेंड की धुलाई, मानक सावधानी, पीपीई;

(थ) चिकित्सा कीटविज्ञान;

(द) व्यावसायिक स्वास्थ्य;

(ध) धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं की लत;

(न) स्वास्थ्य प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली;

(प) ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा उपयोग;

(फ) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण दिन और सप्ताह;

(ब) रोगों की जांच;

(भ) संक्रामक रोग, आहार, रोगनिरोधी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित अन्य सामग्री।

(म) अनुसंधान प्रविधि और जैवसांख्यिकी चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या निम्नलिखित के स्टैंडीज़ या फोटो पैनल, अर्थात: -

(i) परिचर्या दिशानिर्देश जांच सूची;

(ii) नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक;

(iii) नैदानिक अध्ययन रिपोर्टें;

(iv) अच्छी नैदानिक प्रथाएँ;

(v) फार्माकोविजिलेंस।

(iii) सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर

(iv) होम्योपैथिक स्नातकपूर्व छात्रों के लिए निम्नलिखित दौरे आवश्यक हैं और प्रत्येक दौरे का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

(क) जल शोधन संयंत्र;

(ख) दुग्ध पाश्चुरीकरण संयंत्र;

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;

(घ) उप-केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र;

(ड.) वृद्धाश्रम;

(च) औद्योगिक इकाइयाँ;

(छ) संक्रामक रोग अस्पताल;

(ज) स्वास्थ्य मेला या स्वास्थ्य जांच शिविर;

(झ) शारीरिक और मानसिक विकलांगताओं के लिए पुनर्वास केंद्र;

(ञ) रिमांड होम, शरण, बाल देखभाल केंद्रों सहित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा।

(ड.) सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग में उपकरणों की सूची **परिशिष्ट-7** के अनुसार होगी।

(10) शल्यचिकित्सा विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान = पचहत्तर वर्ग मीटर

(ख) तृतीय अनुसूची के अनुसार कर्मचारियों की अर्हता होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	**पदनाम**	**अपेक्षित संख्या**
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) निम्नलिखित के चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं और उनका रिकॉर्ड A4 आकार की शीट में भी कायम करना होगा), अर्थात: -

(क) सूजन का विभेदन निदान या सूजन की जांच;

(ख) अल्सर के प्रकार या अल्सर का वर्गीकरण;

(ग) ट्यूमर का वर्गीकरण;

(घ) हर्निया का वर्गीकरण;

(ड.) क्षति के प्रकार;

(च) साइनस और फिस्टुला;

(छ) उत्तेजन का वर्गीकरण और उत्तेजन पर नौ नियम;

(ज) रक्तस्राव के प्रकार;

(झ) वैरिकाज़ (अपस्फीत) नस;

(ञ) सदमे के प्रकार;

(ट) पेप्टिक अल्सर;

(ठ) गंभीर एपेंडिसाइटिस;

(ड) गंभीर अग्नाशयशोथ;

(ढ) गंभीर आंत्र रुकावट;

(ण) कोलेलिथियसिस के साथ गंभीर कोलेसिस्टिटिस;

(त) पेट का गंभीर विभेदक निदान;

(थ) पेट के क्षेत्र के अनुसार पेट दर्द का कारण;

(द) गुर्दे की पथरी के प्रकार;

(ध) गुर्दे की पथरी के उपचार;

(न) इन्गुइनोस्क्रोटल सूजन के प्रकार;

(प) फ्रैक्चर के प्रकार;

(फ) घावों के उपचार;

(ब) ग्लासगो का कोमा स्केल;

(भ) गर्दन की सूजन के प्रकार;

(म) सर्जरी में उपकरण।

(ii) निम्नलिखित नमूनों की सूची, अर्थात: -

(क) लिपोमा;

(ख) पुटी/सिस्ट;

(ग) कॉर्न;

(घ) प्रोस्टेट का ट्रांसुरेथ्रल रिसेक्शन (टर्प);

(ड.) कोलेसिस्टेक्टोमी;

(च) उण्डुक ((अपेन्डिक्स);

(छ) नाड़ीग्रन्थि;

(ज) होम्योपैथी द्वारा गुर्दे की पथरी का इलाज;

(झ) मूत्राशय की पथरी;

(ञ) फ्रैक्चर का एक्स-रे;

(ट) आंतों में रुकावट, साइनसाइटिस, ओए घुटने (नी), स्पोंडिलोसिस और स्पोंडिलोलिस्थीसिस का एक्स-रे;

(ठ) निमोनिया, वातस्फीति और ब्रोन्किइक्टेसिस का एक्स-रे

(ड.) परिशिष्ट-8 के अनुसार शल्यचिकित्सा विभाग में छात्रों को प्रदर्शन दिखाने हेतु उपकरणों की सूची।

(11) स्त्रीरोग एवं प्रसूति रोग विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान = पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

(i) परिशिष्ट-9 के अनुसार स्त्रीरोग एवं प्रसूति रोग विभाग में आवश्यक उपकरणों की सूची।

(ii) विभाग में आवश्यक नमूनों का विवरण नीचे दिया गया है, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	सर्विक्स के साथ सामान्य गर्भाशय	01
2.	भ्रूणीय झिल्लियों के साथ प्लसेंटा	01
3.	गर्भाशय फाइब्रॉइड	01
4.	साधारण डिम्बग्रंथीय सिस्ट (पुट्टी)	01
5.	चॉकलेट सिस्ट	01
6.	गर्भपात	01

(iii) विभाग में अपेक्षित मॉडल निम्न विवरणों के अनुसार होंगे, नामत:

सारणी

क्र. सं.	मॉडल	अपेक्षित संख्या
1.	डमी पेल्विस	01
2.	डमी बेबी	01
3.	लेबर मनूवर	01
4.	भ्रूणीय कपाल (स्कल)	01

(12) भेषज विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ चिकित्सा अभ्यास विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान: पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

फार्माकोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम पदनाम के साथ एक अलग अभ्यागत संकाय अथवा विजिटिंग फैकल्टी को नियुक्त किया जाएगा।

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) निम्नलिखित में से चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं और उनके रिकॉर्ड A4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करने होंगे), अर्थात: -

(क) सांस फूलने के कारण;

(ख) बड़बड़ाहट के प्रकार और संबंधित नैदानिक स्थितियां;

(ग) जठरांत्र परीक्षण के औदरिक तत्व;

(घ) जठरांत्र परीक्षण में असामान्य श्रवण ध्वनियां;

(ड.) ग्लासगो कोमा स्केल;

(च) चाल-ढाल (गैट) के प्रकार;

(छ) हृदवाहिका तंत्र (सीवीएस) परीक्षण;

(ज) श्वसन तंत्र की जांच;

(झ) औदरिक जांच;

(ञ) जेनिटोयूरिनरी तंत्र की जांच;

(ट) तंत्रिका (नर्वस) तंत्र की जांच;

(ठ) रक्त विकारों का नैदानिक परीक्षण;

(ड) अंतःस्रावी तंत्र की जांच;

(ढ) सामान्य रुधिर विज्ञान और जैव रासायनिक मूल्य;

(ण) पुल्मनेरी (फुफ्फसीय) क्रिया जांच का चार्ट।

(ii) निम्नलिखित के मॉडल, अर्थात: -

(क) फेफड़े का आकार;

(ख) नख रोग;

(ग) एडेमा - प्रकार;

(घ) हृद वाल्व - और बुदबुदाना;

(ड.) श्वसन रोगनिदान - विभेदन;

(च) श्वसन की आवाज़ - सामान्य और असामान्य;

(छ) जोड़ी गई ध्वनियाँ - रोगनिदान;

(ज) श्वास नली - स्थानांतरण, कारण और विभेदन;

(झ) विलिस का चक्र - मस्तिष्क रक्त वाहिकाओं से पैथोलॉजिकल संबंध एवं विभेदन;

(ञ) नेफ्रोटिक (वृक्क) और नेफ्रिटिक सिंड्रोम - नैदानिक विभेदन;

(ट) दाएं हृदय की दुष्क्रिया बनाम बाएं हृदय की दुष्क्रिया।

(iii) निम्नलिखित की एक्स-रे फिल्में, अर्थात: -

(क) छाती/चेस्ट

(i) सामान्य वक्षस्थल;

(ii) अंतरालीय फेफड़े में रोग;

(iii) फेफड़े की एटेलेक्टैसिस;

(iv) फेफड़े की सेग्मेंटल एवं लोबर ओपेसिटीज;

(v) मल्टीफ़ोकल अपारिभाषित ओपेसिटीज;

(vi) डिफ्यूज फाइन नोडुलर ओपेसिटीज;

(vii) फेफड़े में गांठें और द्रव्यमान;

(viii) फेफड़े के सोलिटरी या मल्टीपल लूसेंट घाव;

(ix) न्यूमोथोरैक्स;

(x) फुफ्फुस बहाव या हेमोथोरैक्स या एम्पाइमा;

(xi) वातस्फीति;

(xii) कार्डियोमेगाली।

(ख) उदर

(i) इंट्रापेरिटोनियल वायु;

(ii) आंत्र में रुकावट;

(iii) पथरी;

(iv) अग्न्याशय का कैल्सीफिकेशन।

(ग) अंतःशिरा पाइलोग्राम

(घ) सर्वाइकल मेरुदंड और पीठ दर्द

(ड.) घुटना और टखना

(iv) सिर का कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन-

(क) रक्तस्राव - इंट्रा-पैरेन्काइमल, सबराचोनोइड, सबड्यूरल, एपिड्यूरल;

(ख) अभिघात (ट्रामा);

(ग) स्ट्रोक - इस्केमिक, रक्तस्रावी;

(घ) सामूहिक प्रभाव;

(ड.) हाइड्रोसिफ़लस।

(v) छाती और वक्षस्थल का कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन

(vi) रिपोर्टें:

(क) एंडोस्कोपी रिपोर्ट;

(ख) कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट।

(vii) उपकरण:

(क) फोरसेप्स या एडसन;

(ख) फोरसेप्स या मस्तिष्क ऊतक या फोरसेप्स या डिबेकी या स्पंज;

(ग) क्लैंप या बुलडॉग या क्राफूर्ड या हेमोस्टैट या केली;

(घ) ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब;

(ड.) राइल्स ट्यूब;

(च) अस्थि मज्जा बायोप्सी सुई;

(छ) यकृत बायोप्सी सुई;

(ज) लाल रबर कैथेटर;

(झ) स्पाइरोमीटर - हाथ से पकड़ा जाने वाला;

(ञ) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन।

(13) स्वास्थ्य वर्धन हेतु योग

सभी चिकित्सा संस्थानों में एक सुनियोजित योग विभाग उपलब्ध कराना होगा। यह विभाग महाविद्यालय या अस्पताल भवन में स्थित हो सकता है।

(क) योग शिक्षक/अनुदेशक, सहायक कर्मचारियों और उपकरण के लिए स्थान – चालीस वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता व योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

सारणी

क्र.सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
1.	योग अनुदेशक/शिक्षक	02 (एक पुरुष एवं एक महिला)
2.	मल्टी-टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) स्वास्थ्य वर्धन के लिए योग विभाग में अपेक्षित उपकरण की सूची परिशिष्ट-10 के अनुसार होगी।

ग. इकाइयाँ/एकक -

चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक (एमईटीयू)

(1) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के लिए स्थान- चालीस वर्ग मीटर।

संकाय विकास और शैक्षणिक या अधिगम (लर्निंग) संसाधन सामग्री प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक (एमईटीयू) होगा। इस एकक के लिए आवश्यकताएं इन विनियमों और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। शैक्षणिक प्रदान करने में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी पर चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा संकाय को समय-समय पर प्रशैक्षणिक दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए प्रत्येक संकाय की प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र एकक में दर्ज किया जाएगा। प्राचार्य या निदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक का प्रभारी होगा। विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा आयोजित चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रोफेसरों में से एक को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्राचार्य चक्रिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री या परा क्लिनिकल विभाग से एक संकाय, क्लिनिकल विभाग से एक और होम्योपैथिक विभाग से एक संकाय को सह-चयनित (कोऑप्ट) करेगा। विभाग के कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न प्रकार होंगे, अर्थात:-

(क) आयोग के निर्देशानुसार पाठ्यचर्या का नियोजन और सक्षमता आधारित गत्यात्मक पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन;

(ख) शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक कार्यक्रम का मूल्यांकन;

(ग) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संकाय के लिए कार्यशाला आयोजित करना;

(घ) चिकित्सा शिक्षा में अनुसंधान संचालित करना।

(2) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक में आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट 11 के अनुसार होगी।

घ. चिकित्सा संस्थानों की बुनियादी ढांचा आवश्यकताएं:

सारणी

क्र. सं.	विवरण	बिल्ट अप एरिया (वर्ग मी. में)
(एक सौ संख्या तक छात्रों की संख्या के लिए तथा एक सौ एक से एक सौ पच्चीस तक छात्रों की सीटों की संख्या के लिए लागू, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिएदस प्रतिशत सीटों का आरक्षण हो)		
1.	**प्रशासनिक क्षेत्र** इसमें प्राचार्य का कक्ष, स्वागत कक्ष, आगंतुक कक्ष, समिति कक्ष, प्रशासन और लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सर्वर कक्ष, भवन के प्रत्येक तल पर पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय।	200
2.	**व्याख्यान कक्ष-05** बिजली, पंखे और कूलर या एयर कंडीशनर सुविधाओं के साथ पांच व्याख्यान कक्ष होंगे (पहाड़ी क्षेत्रों में महाविद्यालयों को छोड़कर) जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल एक सौ पच्चीस वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और वहां ऑडियो-विज़ुअल एवं इंटरनेट सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए तथा ई-लर्निंग के लिए सक्षम होने चाहिए।	625
3.	**सेमिनार या परीक्षा कक्ष** बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, परीक्षा, काउंसिलिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों के संचालन के लिए महाविद्यालय परिसर के भीतर न्यूनतम तीन सौ छात्रों के बैठने की क्षमता वाला एक बड़ा हॉल उपलब्ध कराना होगा। हॉल में पर्याप्त बिजली और बैठने की व्यवस्था और इंटरनेट सुविधाओं तथा एयर कंडीशनिंग के साथ ऑडियो-विज़ुअल प्रणाली होगी।	250
4.	**केंद्रीय पुस्तकालय** (क) पुस्तकालय वातानुकूलित होगा (पहाड़ी क्षेत्रों के महाविद्यालयों को छोड़कर) जिसमें बेहतर रोशनी और पुस्तकों और जर्नलों को रखने के लिए पर्याप्त जगह हो। (ख) पुस्तकालय में कम से कम अस्सी से एक सौ छात्रों के लिए बैठने की क्षमता के साथ वाचनालय अर्थात रीडिंग रूम्स, संकाय के लिए वाचनालय, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अलग वाचनालय, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के लिए कमरा, पुरानी पुस्तकों, जर्नलों और पुस्तकालय से संबंधित अन्य सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए कमरा। (ग) पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष दो सौ अतिरिक्त पुस्तकों को जोड़ने	200

	के साथ निर्दिष्ट विषयों पर कम से कम तीन हजार पुस्तकें होंगी। पुस्तकालय में समाचार पत्र [एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक प्रादेशिक भाषा में] या न्यूजलेटर एवं मुद्रित जर्नल (विशेष रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए) होंगे। (घ) इंटरनेट सुविधाओं के साथ छात्रों के वार्षिक दाखिलों व प्रवेश के कम से कम दस प्रतिशत छात्रों के लिए कंप्यूटर नोड्स वाला एक कंप्यूटर कक्ष। (ड.) पुस्तक एवं पत्रिकाओं/पीरियोडिकल्स और ई-जर्नल से पहुंच के साथ ई-लाइब्रेरी या डिजिटल रिपॉजिटरी की सुविधा होगी। (च) ई-जर्नल सहित न्यूनतम पांच जर्नलों की पूर्ण वार्षिक अभिदान अर्थात सब्सक्रिप्शन का प्रमाण होना चाहिए। (छ) पुस्तकालय में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर और स्कैनर होना चाहिए। तृतीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हताओं के अनुसार एक पुस्तकालयाध्यक्ष और एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए।	

5. **शैक्षणिक विभाग**

होम्योपैथी चिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा पाठ्यक्रम स्नातक के लिए तेरह शैक्षणिक विभाग होंगे तथा क्षेत्र-वार आवश्यकता निम्नानुसार होगी, अर्थात:-

	विभाग का नाम	**अपेक्षित स्थान (वर्ग मी. में)**
(क)	होम्योपैथी मटिरिया मेडिका (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय एवं प्रदर्शन कमरे	75
(ख)	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय एवं प्रदर्शन कमरे	75
(ग)	होम्योपैथी फॉर्मेसी (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय एवं प्रदर्शन कमरे	175
(घ)	होम्योपैथी रेपर्टोरी एवं केस टेकिंग (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं प्रदर्शन कमरे	75
(ड.)	मानव शरीर-रचना (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) वाश बेसिन के साथ अच्छी हवादार अंग-विच्छेदन हॉल एवं शव के लिए कक्ष	175

	(iii) हिस्टोलॉजी प्रदर्शन की सुविधा के साथ संग्रहालय	
(च)	मानव शरीरक्रिया एवं जैवरासायनिकी (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) हेमाटोलॉजी एवं जैवरासायनिकी के लिए अलग प्रयोगशालाएं, (iii) क्लिनिकल फिजियोलॉजी के लिए संग्रहालय एवं प्रदर्शन कक्ष	175
(छ)	फॉरेंसिक चिकित्सा एवं आविष विज्ञान (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	75
(ज)	विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	175
(झ)	सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	100
(ञ)	शल्यचिकित्सा (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	75
(ट)	स्त्रीरोग एवं प्रसूति (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	75
(ठ)	भेषज विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ चिकित्सा अभ्यास (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	75
(ड)	स्वास्थ्य वर्धन के लिए योग (i) योग अनुदेशक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	40
6.	चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक	40
7.	बैठने की उचित व्यवस्थाओं और लॉकर के साथ लड़कों एवं लड़कियों के लिए कॉमन कमरे	60
8.	महाविद्यालय परिसरों में जलपान सुविधा	200
	कुल क्षेत्रफल	**2940**

नोट: परंतु यह कि वर्ग मी. में उक्त स्थान की आवश्यकता इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित साठ सीटों वाले महाविद्यालयों के लिए बिंदु 5 (i), (ड) और 6 के सिवाय, लागू नहीं होगी। तथापि, एक सौ सीटों वाले सभी मौजूदा महाविद्यालयों को उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित स्थान संबंधी सभी आवश्यकताओं को इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना होगा, बिंदु 5 (i), (ड) और 6 के सिवाय जिन्हें उपर्युक्त में उल्लिखित सभी अन्य सुविधिाओं के साथ इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से भरा जाना चाहिए।

ड. चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी **(i)** प्राचार्य अथवा निदेशक अथवा संकायाध्यक्ष की आवश्यकता निम्नानुसार होगी अर्थात:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**100 प्रवेशों/दाखिलों तक**
1.	प्राचार्य या निदेशक या संकायाध्यक्ष (डीन) या संस्थान का प्रमुख	01

(2) **शैक्षणिक कर्मचारी:-**

(क) होम्योपैथी एवं शल्य चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम स्नातक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक कर्मचारी निम्न सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होंगे:-

सारणी

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**100 प्रवेशों तक**		
		प्रोफेसर	**एसोसिएट प्रोफसर**	**सहायक प्रोफेसर**
I	होम्योपैथी मैटेरिया मेडिका	1	1	2
J 2.	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत	1	1	2
K 3.	होम्योपैथिक फॉर्मेसी	1 या 1		L 1
M 4.	होम्योपैथी रेपर्टोरी एवं केस टेकिंग	1	1	2
N 5.	मानव शरीर-रचना	1	1	2
O 6.	मानव शरीरक्रिया एवं जैवरासायनिकी	1	1	2
P 7.	फॉरेंसिक चिकित्सा एवं आविष विज्ञान	1 या 1		1
Q 8.	सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	1	1	1
R 9.	विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	1	1	1
S 10.	शल्यचिकित्सा	1	1	1
T 11.	स्त्रीरोग एवं प्रसूति	1	1	1
U 12.	भेषजविज्ञान के मूल सिद्धांतों के साथ चिकित्सा की प्रैक्टिस	1	1	2
V	**कुल**	**40**		

नोट: - उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता को इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी मौजूदा महाविद्यालयों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(3) सभी विभागों या विषयों के शैक्षणिक कर्मचारी केवल पूर्णकालिक होंगे तथा निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया जाएगा अर्थात:-

(क) किसी विभाग में उपलब्ध अतिरिक्त उच्च संवर्ग संकाय पर उसी विभाग में रिक्त निचले संवर्ग के लिए विचार किया जाएगा;

(ख) अस्थायी आधार पर संविदा नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या ग्रहणाधिकार (लिएन) के कारण शैक्षणिक संकायों के रिक्त पदों के विपरीत, शैक्षणिक या अशैक्षणिक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति या ग्रहणाधिकार पर कार्यमुक्ति

की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति या ग्रहणाधिकार की समान अवधि के लिए की जाएगी;

(ग) विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी प्रारंभ में संबंधित विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर से नीचे नहीं, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रिक प्रक्रिया में प्रत्यायोजित की जाएगी;

(घ) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम पदनाम के साथ एक अलग अभ्यागत संकाय (विजिटिंग फैकल्टी) को आधुनिक फार्माकोलॉजी के विषयों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा;

(ड.) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम पदनाम की एक अलग अभ्यागत संकाय को मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के शैक्षणिक के लिए नियुक्त किया जाएगा;

(च) होम्योपैथी के संदर्भ में योग के शैक्षणिक के लिए, तृतीय अनुसूची में इन नियमों में निर्दिष्ट योग्यता के साथ एक पुरुष और महिला योग प्रशिक्षक को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा;

(छ) इन विनियमों में निर्दिष्ट योग्यता के साथ सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग में शिक्षकों की सहायता के लिए महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के सांख्यिकीय कार्य के लिए एक सांख्यिकीय सहायक नियुक्त किया जाएगा;

(ज) पूर्णकालिक शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों जो उसी पदनाम में आठ वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से रुके हुए हैं, के लिए वित्तीय उन्नयन एवं पदनाम सहित समयबद्ध कैरियर उन्नयन योजना को संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसे संस्था की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा। वित्तीय और पदनाम उन्नयन इन विनियमों की प्रथम अनुसूची के खंड (ड.) के (5) के अंतर्गत दी गई सारणी के अनुसार होगा।

(झ) नियुक्ति और पदोन्नति आदेश में पद का विवरण, विभाग का नाम, पदोन्नति की तारीख, नियुक्ति की प्रक्रिया; जैसे कि पूर्णकालिक या अंशकालिक, अतिथि संकाय या अभ्यागत संकाय और नियुक्ति की पदावधि के साथ रोजगार के प्रकार (नियमित या संविदात्मक) के विवरण सन्निहित होंगे।

(ञ) संकाय या कर्मचारियों को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संविदा या परिवीक्षा पर तैनात किया जाएगा। कोई भी शिक्षक स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने उस श्रेणी में अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं कर ली हो जिसमें उसे नियुक्त किया गया था।

नोट: चिकित्सा संस्थान और अस्पताल के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को प्रत्येक वर्ष आयोग को सूचित करना होगा। संस्थान से किसी भी कर्मचारी के त्यागपत्र या निष्कासन के मामले में, उसके बारे में उचित दस्तावेजों के साथ आयोग को अधिसूचित एवं सूचित करना होगा। उसके बाद संस्थान द्वारा की गई नई नियुक्ति की सूचना आयोग को नियुक्ति की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दी जाएगी।

(4) आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी का व्यवसायी परामर्शदाता:

(क) अनुभवी वृत्तिक के साथ छात्रों के एक्सपोजर को सुनिश्चित करने के लिए, यह जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा और होम्योपैथी से अभ्यागत/ विजिटिंग संकाय के रूप में व्यवसायी परामर्शदाताओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जाए। यह अस्पताल और महाविद्यालय के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के अतिरिक्त होगा;

(ख) तथापि, इस अभ्यागत संकाय को इन विनियमों में निर्धारित संकाय आवश्यकता के लिए नहीं गिना जाएगा;

(ग) चिकित्सा संस्थान में छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करने एवं चर्चा करने, संदेहास्पद एवं कठिन मामलों के निदान और प्रबंध के लिए आधुनिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा;

(घ) छात्रों की उपस्थिति और उनकी प्रतिक्रिया से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य चिकित्सा व्यवसायी विभाग में कायम किए जाएंगे;

(ड.) चिकित्सा संस्थान संबंधित विषय में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड या बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा या त्वचाविज्ञान, वेनरोलॉजी और कुष्ठ रोग में डिप्लोमा के साथ आधुनिक चिकित्सा में कार्यरत एवं नैदानिक रूप से नामचीन परामर्शदाता नियुक्त करेगा, जिनके पास कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो। जबकि होम्योपैथी के संदर्भ में, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) डिग्री धारकों के लिए न्यूनतम पंद्रह वर्षों और एम.डी. (होमो.) डिग्री धारक के लिए न्यूनतम दस वर्षों का वृत्तिक अनुभव आवश्यक है;

(च) व्यवसायी परामर्शदाता होम्योपैथी से होगा, जबकि विशेषज्ञ हृदयरोग, बाल चिकित्सा, मनोचिकित्सा, रेडियोलॉजी, नेत्र विज्ञान, रुमेटोलॉजी, दर्द निवारक परिचर्या, जराचिकित्सा, त्वचा विज्ञान, नेफ्रोलॉजी, सामान्य चिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान, स्त्री रोग, प्रसूति, आपातकालीन चिकित्सा एवं गंभीर परिचर्या, शल्यचिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी से होंगे;

परंतु यह कि हर महीने उपर्युक्त विषयों से कम से कम चार अलग-अलग प्रकार के व्याख्यान या इंटरैक्टिव सत्र की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे इंटरैक्टिव सत्रों और उनमें छात्रों की प्रतिभागिता का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

(5) शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन:-

(क) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान या सरकारी स्वायत्त संस्थान या सरकारी विश्वविद्यालय या केंद्रीय, निजी, मानद विश्वविद्यालय या राज्य निजी, मानद विश्वविद्यालय सहित स्व-वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान के शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए, गैर-व्यवसायी भत्ते सहित वेतन और भत्ते का भुगतान क्रमशः नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और चिकित्सा प्रणालियों के बीच वेतन संरचना में कोई विसंगति नहीं होगी। जिन शैक्षणिक और अशैक्षणिक चिकित्सा अधिकारियों को गैर-व्यवसायी भत्ते का भुगतान किया जाता है, वे गैर-महाविद्यालयी घंटों के दौरान नैदानिक अभ्यास नहीं करेंगे।

सारणी (शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए)

क्र.सं.	पद	वेतनमान
1.	सहायक प्रोफेसर	पे मैट्रिक्स (56,100- 1,77,500) में लेवल-10
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	पे मैट्रिक्स (78,800- 2,09,200) में लेवल-12
3.	प्रोफेसर	पे मैट्रिक्स (1,23,100- 2,15,900) में लेवल-13
4.	प्राचार्य या संस्थान का प्रमुख	पे मैट्रिक्स (1,31,100- 2,16,600) में लेवल-13A

(i) **नोट:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा परिभाषित पुस्तकाध्यक्ष पर शैक्षणिक संकाय संवर्ग के अधीन विचार किया जाएगा। केंद्रीय, निजी, समकक्ष विश्वविद्यालय अथवा राज्य निजी, समकक्ष विश्वविद्यालय सहित प्रत्येक स्व-वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान के लिए संबंधित शैक्षणिक संवर्ग हेतु उपरिउल्लिखित सारणी में निर्दिष्ट न्यूनतम मूल वेतन उपलब्ध कराना आवश्यक है। यह विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन होगा तथा यदि इसका भुगतान पहले से ही किया जा रहा है तो यह उससे अधिक वेतन ढांचे के लिए प्रतिबंधित नहीं होगा। तथापि, लागू सभी भत्तो का भुगतान संबद्ध नियोक्ता की नीति तथा संबंधित संवर्ग या पद में एक वर्ष के अनुभव के बारे में वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार ही किया जा सकता है।

सारणी (अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए)

पद	वेतन मान
प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, कार्यालय	चिकित्सा संस्थान और अस्पताल के अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन कुशल और अकुशल जनशक्ति के लिए संबंधित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा

अधीक्षक, लेखपाल, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, एक्स-रे तकनीशियन और सहायक, नर्सिंग स्टाफ, स्टोर कीपर, रिसेप्शनिस्ट, ड्रेसर, कार्यालय सहायक / मल्टी - टास्किंग स्टाफ और वार्ड बॉय या आया।	विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा।

(ख) तदनुरूप वेतनमान संरचना, यथा लागू, को अंगीकृत किया जाए जब भी केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों को संशोधित किया जाए,-

(ग) महाविद्यालयी अस्पताल में आवासीय चिकित्सा अधिकारी का वेतन रु.55000/- प्रति माह से कम नहीं होगा और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का रु.65000/- प्रति माह (के समानांतर) से कम नहीं होगा।)

(घ) अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन चिकित्सा संस्थान के समर्पित खाते से बैंक अंतरण के माध्यम से उनके वेतन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा उपदान, छुट्टियों का नकदीकरण जैसी आवश्यक सुविधाएं तथा इस प्रकार की अन्य सुविधाएं चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करानी होंगी और महाविद्यालय द्वारा अध्यापकों को प्रचलित मानदंडों के अनुसार आयकर कटौती प्रमाणपत्र प्रपत्र 16 या 16ए के रूप में जारी किया जाएगा।

नोट: प्रचार्य हस्ताक्षरी प्राधिकारी होगा या चिकित्सा संस्थान के बैंक खाते के संचालन के लिए हस्ताक्षरी प्राधिकारियों में से एक होगा।

(6) शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु:- (क) शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी। अध्यापकों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त अध्यापकों को पैंसठ वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में पुन-नियोजित किया जा सकता है। तथापि, उक्त पुन-नियोजित अध्यापकों को कोई प्रशासनिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा।

(ख) पैंसठ वर्ष की आयु से लेकर सड़सठ वर्ष की आयु तक, अध्यापकों को केवल स्नातकोत्तर शैक्षणिक के लिए पुन:नियोजित किया जा सकता है। तथापि उन्हें तृतीय अनुसूची में उल्लेखित पदनाम के अनुसार अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करना होगा।

(7) विशिष्ट अध्यापक संहिता - (क) सभी पात्र अध्यापकों के लिए एक विशिष्ट अध्यापक संहिता आयोग द्वारा महाविद्यालय में उनकी नियुक्ति के उपरांत पंद्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन संकाय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आवेदन के अनुमोदन के बाद आवंटित किया जाएगा। इसे ऑनलाइन संकाय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निरंतर मॉनीटर किया जाएगा।

(ख) संबंधित संकाय अपनी स्थिति और योग्यता, पदनाम, तैनाती एवं सेवानिवृत्ति और इस तरह के अन्य विवरणों में परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली में प्रोफाइल अपडेट करेगा।

(ग) आयोग के पास नैतिक और अनुशासनात्मक आधार या यदि शिक्षक किसी भी कारण से पढ़ाना बंद कर देता है या किसी संस्था में पदभार ग्रहण नहीं करता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती या इसी तरह की कोई अन्य मिलती-जुलती या इससे संबंधित अन्य मामले होने पर शिक्षक के कोड को वापस लेने या निलंबित करने या रोकने या रद्द करने की शक्ति होगी। यदि वह बीच में पढ़ाना बंद कर देता है, तो वह राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में नया आवेदन देकर उसी शिक्षक कोड के साथ शैक्षणिक पेशे में फिर से शामिल हो सकता है।

(8) तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी: (1) चिकित्सा संस्थानों के विभिन्न विभागों और इकाइयों में तकनीकी और अन्य कर्मचारी नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे:-

सारणी

क्र.सं.	विभाग	कर्मचारी (तकनीकी और गैर-तकनीकी)	आवश्यक संख्या
1.	शरीर रचना विज्ञान	प्रयोगशाला सहायक	1
		शव सहायक	1
2.	जैव रसायन सहित फिजियोलॉजी	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		प्रयोगशाला सहायक	1
3.	होम्योपैथिक फार्मेसी	प्रयोगशाला सहायक	1
4.	पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		प्रयोगशाला सहायक	1
5.	पुस्तकालय	लाइब्रेरियन	1
		पुस्तकालय सहायक	1
6.	प्रशासनिक कर्मचारी	कार्यालय अधीक्षक	1
		लेखाकार	1
		प्रवर श्रेणी लिपिक	1
		अवर श्रेणी लिपिक	1
		डाटा एंट्री ऑपरेटर	1
		प्रशासन अनुभाग में मल्टी-टास्किंग स्टाफ	02
7.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	सभी विभागों में	13

(2) चिकित्सा संस्थान प्रत्येक विभाग, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय और प्रशासनिक अनुभाग में पर्याप्त सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। निगरानी और वार्ड ड्यूटी, परिवहन और स्वच्छता चिकित्सा संस्थान द्वारा आउटसोर्सिंग से या नियुक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई जाएगी।

द्वितीय अनुसूची
(विनियम 5 का खंड (क) और (ख), विनियम 9 का खंड (क) देखें)
होम्योपैथिक कॉलेजिएट अस्पताल की आवश्यकता

क. सामान्य

(1) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के तहत होम्योपैथी चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को स्नातक डिग्री या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सा संस्थान की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से वैध पंजीकरण वाला पूरी तरह कार्यशील एक अस्पताल होगा जो इन विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक बुनियादी अवसंरचना जैसे बाह्य रोगी विभाग, इनडोर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, प्रयोगशालाएं इत्यादि के साथ कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(2) शैक्षणिक अस्पताल, अस्पताल बनाने और चलाने के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या मंजूरी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को प्रस्तुत करेगा। संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे आवेदक चिकित्सा

संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक वर्ष की वैधता वाली ऐसी अनुमति या मंजूरी की उपलब्धता का सत्यापन करेगा।

(3) सभी शैक्षणिक होम्योपैथिक अस्पतालों को आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर अस्पतालों की मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में आवेदन करना होगा। अस्पताल को पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर प्रारंभिक स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और प्रारंभिक स्तर का प्रमाणन प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के भीतर पूर्ण मान्यता प्राप्त करनी होगी।

(4) बाह्य रोगी विभाग में रिसेप्शन और रोगियों के लिए प्रतीक्षालय हेतु पर्याप्त स्थान, परामर्श या जांच कक्ष होगा। आउटडोर विभाग में एक प्राथमिक चिकित्सा किट भी रखी जाएगी।

(क) फर्नीचर या फिक्स्चर या उपकरण:- **परिशिष्ट-12** के अनुसार बाह्य रोगी विभाग में फर्नीचर या फिक्स्चर या उपकरण की आवश्यकताएं निर्धारित होंगी।

(ख) परिधीय बाह्य रोगी विभाग:-

(i) शैक्षणिक अस्पताल अपने आस-पास की आबादी को प्रभावी, किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने, छात्रों को नैदानिक अनुभव प्रदान करने और शैक्षणिक अस्पताल के लिए माध्यमिक स्तर के रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए मुख्य अस्पताल से दस से पच्चीस कि.मी. की सीमा के भीतर अधिकतम दस परिधीय बाह्य रोगी विभाग स्थापित कर सकते हैं।

(ii) दैनिक केंद्रीय बाह्य रोगी विभाग और परिधीय बाह्य रोगी विभाग से रेफरल की संख्या की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और केस रिकॉर्ड को कॉलेजिएट अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों के रिकॉर्ड के साथ रखा और जोड़ा जाएगा।

(iii) कॉलेजिएट अस्पताल से अन्य आवश्यकताओं और कर्मचारियों का उपयोग परिधीय बाह्य रोगी विभाग के कामकाज के लिए किया जाएगा। परिधीय बाह्य रोगी विभागों के लिए स्वयं के नाम पर या पट्टे पर आवंटित स्थान के संबंध में करारनामा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। न्यूनतम एक वर्ष की कार्यशीलता दर्शाने वाला रिकॉर्ड रखा जाएगा। भवन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और बाह्य रोगी विभाग या अंत: रोगी विभाग के आंकड़े रखे जाएंगे।

(5) अस्पताल में रिसेप्शन, रोगी प्रतीक्षालय, औषधि वितरण कक्ष (डिस्पेंसिंग रूम), ड्रेसिंग रूम, नैदानिक प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी खंड, मेडिकल रिकॉर्ड-रूम, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, स्टोर रूम, पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग वार्ड, डॉक्टरों, नर्सों, अन्य कर्मचारियों के लिए ड्यूटी रूम और किसी कार्यशील अस्पताल के लिए आवश्यक नैदानिक शैक्षणिक कक्ष के अलावा बाह्य रोगी विभाग और अंत: रोगी विभाग को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा और संबद्ध अस्पताल के निर्मित क्षेत्र का विनिर्देश इन विनियमों में किए गए निर्धारण के अनुसार होगा।

(6) चिकित्सा संस्थान और अस्पताल बाह्य रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग में रोगियों के रिकॉर्ड रखने के लिए कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली रखेंगे और विभागवार बाह्य रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग के रिकॉर्ड, बाह्य रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग के रोगियों के केस पेपर, प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, औषधि वितरण रजिस्टर, अंत:रोगी विभाग के रोगियों के आहार रजिस्टर, अस्पताल के कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और ऐसे अन्य संबंधित दस्तावेज भी रखेंगे ताकि इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले वास्तव में कार्यशील होम्योपैथिक शैक्षणिक अस्पताल के दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

(7) चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन और निपटान:- (क) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी लागू हो, के मौजूदा नियमों या विनियमों या कानून के अनुसार अनिवार्य सूचना दर्ज की जानी और रखी जानी चाहिए।

(ख) अंत:रोगियों के कम से कम पिछले दस वर्षों के या उपलब्धता के अनुसार मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संग्रहीत किए जाएं। भविष्य के लिए, अंत:रोगियों के सभी चिकित्सा रिकॉर्ड को नियमित और सतत आधार पर डिजिटाइज़ किया जाना चाहिए और भविष्य के संदर्भों के लिए अनिश्चित काल तक रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जो अनुसंधान और नीति नियोजन उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकता है।

(ग) अस्पताल नीचे उल्लिखित हार्ड कॉपी के रूप में मेडिकल रिकॉर्ड रख सकता है, अर्थात्:-

(i) अंत: रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड (अर्थात केस शीट इत्यादि)-पांच वर्ष;

(ii) बाह्य रोगी विभाग रिकॉर्ड (बाह्य-रोगी विभाग) रजिस्टर और डुप्लिकेट बाह्य-रोगी विभाग रिकॉर्ड, यदि कोई हो- पांच वर्ष;

(iii) मेडिको लीगल रजिस्टर और केस शीट - दस वर्ष या किसी भी न्यायालय में इन रिकॉर्ड से संबंधित चल रहे मामलों के निपटान तक।

(8) (क) नैदानिक क्षेत्र में छात्रों के अनुभव और ऑपरेटिव सर्जरी एवं ऑपरेटिव स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के साथ-साथ गंभीर और सर्जिकल मामलों के प्रबंधन की गहराई को समझने के प्रयोजन के लिए यदि किसी कॉलेज के संबद्ध अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में गंभीर मामलों को संभालने की सुविधा नहीं है, तो वह कॉलेज सभी आवश्यक सुविधाओं वाले पास के किसी प्रतिष्ठित आधुनिक चिकित्सा बहु-विशेषता (मल्टी-स्पेशियलिटी) अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन करेगा जिसमें दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। बहु-विशेषता (मल्टी-स्पेशियलिटी) वाले अस्पताल में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:-

(i) आपातकालीन मामलों और गंभीर रोगियों के प्रबंधन के लिए ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, गहन चिकित्सा इकाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं;

(ii) सभी रेडियोलॉजिकल कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन (सीटी स्कैन), मेग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) सहित और उन्नत प्रयोगशाला जांच सुविधाएं;

(iii) जिस अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त अस्पताल होगा।

(ख) उक्त क्षेत्र में आवश्यक अनुभव के लिए चिकित्सा संस्थान के छात्रों को कॉलेज के संबंधित शैक्षणिक संकाय की सख्त निगरानी में संबद्ध मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में तैनात किया जाएगा। छात्रों के विजिट का समुचित उपस्थिति रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(9) अंत:रोगी विभाग: -

(क) अंत:रोगी के लिए वार्ड और कमरे विभाग:-

(i) जनरल मेडिसिन (पुरुष और महिला वार्ड अलग-अलग)

(ii) बालचिकित्सा;

(iii) सर्जरी (पुरुष और महिला वार्ड अलग-अलग);

(iv) प्रसूति एवं स्त्री रोग;

(v) शौचालय और स्नान गृह (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग)

(vi) डॉक्टरों का ड्यूटी रूम;

(vii) नर्सों के लिए नर्सिंग स्टेशन या ड्यूटी रूम;

(viii) आवश्यक दवाओं के साथ फार्मेसी;

(ix) रिकॉर्ड रूम

(ख) (i) अंत: रोगी विभाग में प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध रहेगा। अस्पताल के अंत:रोगी विभाग (अंत: रोगी विभाग) में अलग-अलग पुरुष और महिला वार्ड होंगे और बिस्तरों का वितरण नीचे दी गई सारणी में किए गए निर्धारण के अनुसार किया जाएगा अर्थात्:-

सारणी

वार्ड	**अंत:रोगी विभाग में बिस्तरों का वितरण**
जनरल मेडिसिन	50% (तीव्र 10% और क्रोनिक 40%)
शल्य चिकित्सा	20%
प्रसूति एवं स्त्री रोग	20%
बाल चिकित्सा	10%

(ii) **परिशिष्ट-**13 **के अनुसार अंत: रोगी विभाग में फर्नीचर या फिक्स्चर होगा।**

(iii) परिशिष्ट-14 के अनुसार अंत: रोगी विभाग (अंत: रोगी विभाग) के लिए उपकरण या औजार होंगे।

(10) **(**क) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक बिस्तरों की संख्या और बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम उपस्थिति नीचे सारणी में किए गए उल्लेख के अनुसार होगी अर्थात्:

सारणी

प्रति वर्ष क्षमता	**अंत:रोगी विभाग में बिस्तरों की न्यूनतम संख्या**	**पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की प्रति दिन न्यूनतम औसत संख्या**
60 छात्रों तक	30	180
61-100 छात्र	50	300

(ख) पिछले एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान अंत:रोगी विभाग में बिस्तर के उपयोग की दर 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

नोट:- पर्वतीय क्षेत्रों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थान के लिए बाह्य रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग में दस प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(11) (क) होम्योपैथिक शैक्षणिक अस्पताल में अपने आउट-डोर और इन-डोर विभागों के लिए अच्छी व्यवस्था वाले अलग-अलग औषधालय होंगे, जिनमें दवा का पर्याप्त भंडार होगा।

(ख) केंद्रीय फार्मेसी कॉलेजिएट अस्पताल के भूतल पर बाह्य रोगी विभाग के समीप होना चाहिए। मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और स्वास्थ्य, स्वच्छता पर शिक्षाप्रद पोस्टर और पढ़ने के लिए साहित्य उपलब्ध होने चाहिए।

(ग) आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार होगी:-

(i) भेषज: 01;

(ii) औषधि वितरक: 02

तृतीय अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त कर्मचारियों की योग्यता

(घ) आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरण:-

(i) उपचार और दवाओं के वितरण के लिए उपयुक्त स्थान;

(ii) जल आपूर्ति की सुविधा;

(iii) बोतल धोने के लिए उपयुक्त स्थान;

(iv) औषधालय के लिए काउंटर;

(v) स्टोर और औषधालयों के लिए आवश्यक सुविधाएं;

(vi) कचरे का डिब्बा।

(ङ) गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(12)(क) कॉलेजिएट अस्पताल में पर्याप्त कर्मियों के साथ विशिष्ट आपातकालीन कक्ष होगा। इसमें अधिमानतः बाह्य रोगी विभाग के मुख्य प्रवेश द्वार से अलग एक प्रवेश द्वार होना चाहिए ताकि अस्पताल में आने वाले हताहतों को तत्काल उपचार देने में बहुत कम समय लगे। वाहनों के आने-जाने के लिए पर्याप्त स्थान और रोगियों के उतरने के लिए कवर किए गए क्षेत्र के साथ एम्बुलेंस के आसानी से पहुंचने के लिए स्थान होना चाहिए। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आपातकाल का साइनेज लगाया जाना चाहिए। अलग से आपातकालीन बिस्तर प्रदान किए जाने चाहिए। आपातकालीन इकाई में रोगी की जांच के लिए आवश्यक सभी बुनियादी उपकरण होंगे जिनमें टॉर्च, थर्मामीटर, टंग डिप्रेसर, नी हैमर, बीपी उपकरण, नेबुलाइज़र, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सुई, सिरिंज, टांके लगाने की सामग्री, स्केलपेल, राइल्स ट्यूब, आईवी सेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, साँस लेने के किट के साथ मास्क और सक्शन मशीन शामिल होंगे।

(ख) आपातकालीन इकाई का प्रबंधन तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सामान्य चिकित्सक की देखरेख में किया जाएगा। डॉक्टरों और नर्सों के लिए ड्यूटी रोस्टर लगाए और रखे जाएंगे।

(ग) परिशिष्ट-15 के अनुसार आपातकालीन उपकरण होंगे।

(घ) दवाइयों में न्यूनतम आवश्यक दवाइयां शामिल हैं जिन्हें सुविधा में रखना होता है।

(i) **परिशिष्ट-16** के अनुसार एनेस्थेटिक्स दवाइयां होंगी।

(ii) **परिशिष्ट-17** के अनुसार आपातकालीन दवाइयां होंगी।

(13) केंद्रीय प्रयोगशालाएं:-

(क) अस्पताल के आउटडोर और इनडोर विभाग से रेफर किए गए रोगियों की नियमित, पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल और हेमेटोलॉजिकल जांच करने के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट उचित बुनियादी ढांचे और कर्मियों के साथ सभी सुविधाओं वाली और अद्यतन केंद्रीय प्रयोगशाला होगी। कॉलेजिएट अस्पताल की इस प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता दी जाएगी। अस्पताल में अनिवार्य रूप से एक्स-रे, ई.सी.जी. की सुविधा होगी। अस्पताल में स्कैनिंग और सोनोग्राफी उपकरण की सुविधा या तो अपने स्वयं के अस्पताल में या पास में स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के तहत होनी चाहिए।

(ख) रोगियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(ग) परिशिष्ट 18 के अनुसार प्रयोगशाला में उपकरणों की सूची होगी।

(14) नैदानिक शैक्षणिक कक्ष - कॉलेजिएट अस्पताल में नैदानिक मामलों पर चर्चा करने या दिखाने के लिए प्रत्येक नैदानिक विभाग में शैक्षणिक कक्ष होगा। नैदानिक कक्ष का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है ताकि छात्र नैदानिक वातावरण के अनुकूल, पेशेवर रूप से विकसित हो सकें, रोगियों के साथ अधिक आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकें, आत्म-चिंतन और मूल्यांकन कौशल विकसित कर सकें।

(15) कौशल प्रयोगशाला -

(क) प्रत्येक होम्योपैथिक शैक्षणिक अस्पताल में एक कौशल प्रयोगशाला होगी जहां छात्र पाठ्यक्रम में पूर्व-निर्धारित कौशल का अभ्यास और सुधार कर सकते हैं। कौशल प्रयोगशाला का उद्देश्य छात्रों को सीखने, अभ्यास करने के लिए सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना और उन्हें कौशलों का प्रदर्शन करते हुए देखना है, इस प्रकार पर्याप्त तैयारी और पर्यवेक्षण के बिना सीधे रोगी पर कौशल प्रदर्शन के जोखिमों को कम करना है। कौशल प्रयोगशाला में नैदानिक वातावरण बनाने और उन कार्यों को करने का प्रयास किया जाता है जो भावी स्वास्थ्य कर्मियों को करना है।

(ख) कौशल प्रयोगशाला में होंगे-

(i) छोटे समूहों को कौशल दिखाने के लिए कमरा;

(ii) संकाय समन्वयक और सहायक कर्मचारियों के लिए कमरा;

(iii) पुतला (डमी) या अन्य उपकरणों या औजारों जैसे कि टांके लगाने की सामग्री, सुई, सिरिंज, अंतःशिरा (इंट्रावेनस) सेट, प्लास्टर करने का सांचा, विभिन्न प्रकार के कैथेटर, एनीमा, राइल्स ट्यूब और इस तरह के अन्य औजारों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह;

(iv) संचार कौशल सिखाने के लिए बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग और समीक्षा करने की सुविधा;

(v) कॉलेजिएट अस्पताल से जुड़े सामान्य चिकित्सक या आपातकालीन चिकित्सा में पाठ्यक्रम पूरा चुके कर्मचारी और पर्याप्त सहायक कर्मचारी;

(vi) कौशल प्रयोगशाला के शैक्षणिक स्थानों में दृश्य-श्रव्य और इंटरनेट सुविधाओं का प्रावधान होगा और उन्हें ई-लर्निंग के लिए सक्षम बनाया जाएगा;

(vii) ट्रेनर सिम्युलेटर या मॉडल या निम्नलिखित के लिए डमी-

(क) प्राथमिक चिकित्सा, बैंडिंग, स्प्लिंटिंग;

(ख) बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस), कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर)

(ग) विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन- सबक्यूटेनियस, इंट्रा-मस्कुलर, इंट्रा-वेनस;

(घ) यूरिन कैथेटर इन्सर्शन;

(ङ) त्वचा (स्किन) और प्रावरणी (फेशिया) स्यूचरिंग;

(च) स्तन जांच मॉडल;

(छ) अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) प्रशैक्षणिक मॉडल सहित स्त्री रोग संबंधी जांच मॉडल।

(16) दिन-प्रतिदिन के काम के लिए सभी सुविधाओं वाला और कार्यशील ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम उपलब्ध कराया जाएगा।

(क) परिशिष्ट-19 के अनुसार ऑपरेशन थियेटर के लिए आवश्यक उपकरण होंगे।

(ख) परिशिष्ट-20 के अनुसार एनेस्थिसिया के लिए आवश्यक उपकरण होंगे।

(17) (क) अस्पताल परिसर में फिजियोथेरेपी और योग सहित पुनर्वास के लिए एक अलग इकाई होगी। कॉलेजिएट अस्पताल में पच्चीस योग मैट रखे जाएंगे। अस्पताल में योग आसनों से संबंधित पोस्टर और चार्ट लगाए जाएंगे। छात्रों और रोगियों के लिए आयोजित योग सत्रों का रजिस्टर रखा जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक द्वारा इसे समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा। छात्रों को सप्ताह में एक बार न्यूनतम एक घंटे (वर्षवार) योग में प्रशैक्षणिक दिया जाएगा।

(ख) फिजियोथेरेपी इकाई के लिए उपकरण या औजार नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

(i) डायथर्मी मशीन-01;

(ii) कर्षण (ट्रैक्शन) (सर्वाइकल और कमर लुंबर)-01;

(iii) फिजियोथेरेपी साइकल-01;

(iv) अल्ट्रासाउंड उपकरण -01;

(v) इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन-01;

(vi) ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन-01;

(vii) उपचार टेबल-01.

(18) परिशिष्ट-21 के अनुसार इमेजिंग उपकरण होंगे।

(19) अस्पताल सुविधाओं के हिस्से के रूप में एम्बुलेंस अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। अस्पताल के पास आपातकालीन मामलों के प्रबंधन के लिए बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस रोगियों को रेफरल अस्पतालों में ले जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(20) बहुं-मंजिली इमारत वाले सभी अस्पतालों में उपयुक्त स्थान पर एक स्ट्रेचर लिफ्ट होनी चाहिए।

(21) दिव्यांग रोगियों के लिए रैंप उपलब्ध होगा।

(22) पोर्च या विजिटिंग एरिया में व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होंगे।

(23) अस्पताल विभाग और प्रयोगशाला (केंद्रीय प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशाला, फार्मेसी, नैदानिक शैक्षणिक कक्ष) में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे अर्थात्:-

(क) मृतक स्टॉक रजिस्टर;

(ख) उपकरण या औजार रजिस्टर;

(ग) इंडेंट रजिस्टर;

(घ) रसायन या घोल रजिस्टर;

(ङ) टूट-फूट रजिस्टर;

(च) दवा स्टोर रजिस्टर;

(छ) दवा वितरण रजिस्टर;

(ज) उपस्थिति रजिस्टर।

ख. आवश्यक बुनियादी ढांचा

अस्पताल में निर्मित क्षेत्र और बुनियादी ढांचा होगा जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:-

सारणी

क्र.सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
		100 (101 से 125*) छात्रों के लिए
1.	अस्पताल प्रशासन खंड	100
	(क) निम्नलिखित के लिए कमरे:	
	(i) अधीक्षक	

	(ii) जनसंपर्क अधिकारी (iii) उप चिकित्सा अधीक्षक (iv) स्टाफ नर्स	
	(ख) रिसेप्शन और पंजीकरण	
2.	**बाह्य रोगी विभाग (बाह्य-रोगी विभाग)**	220
(क)	(i) जनरल मेडिसिन (ii) स्त्री रोग एवं प्रसूति (iii) शल्यचिकित्सा (iv) बाल रोग और बाल स्वास्थ्य	
(ख)	(i) मरहम पट्टी कक्ष (ii) औषधालय स्टोर (iii) रोगी के लिए प्रतीक्षालय	
3.	**नैदानिक शैक्षणिक कक्ष: 04 (प्रत्येक कमरे के लिए क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर)**	120
4.	**कौशल प्रयोगशाला**	100
5.	**अंत:रोगी विभाग (अंत: रोगी विभाग)** (i) जनरल मेडिसिन (पुरुष और महिला वार्ड/अलग-अलग बिस्तर) (ii) बाल चिकित्सा (iii) शल्यचिकित्सा (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग वार्ड) (iv) प्रसूति एवं स्त्री रोग (v) शौचालय और स्नानगृह (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग) (vi) डॉक्टरों का ड्यूटी कक्ष (vii) नर्सों के लिए नर्सिंग स्टेशन या ड्यूटी कक्ष (viii) फार्मेसी (ix) रिकॉर्ड रूम	450
6.	**ऑपरेशन थिएटर यूनिट** (i) ऑपरेशन थियेटर (ii) तैयारी कक्ष (iii) ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ कक्ष (iv) विसंक्रमित लिनन के लिए जगह (v) प्रसव कक्ष (vi) शल्य चिकित्सक या प्रसूति विशेषज्ञ या सहायकों के लिए कक्ष (vii) नर्सिंग स्टाफ रूम	100
7.	**पुनर्वास इकाई** (i) फिजियो-थेरेपी (ii) योग क्लिनिक और हॉल (ii) आहार विशेषज्ञ	100

8.	**केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला** (i) पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी (ii) जैव-रसायन	30
9.	**रेडियोलॉजी और सोनोग्राफी खंड** एक्स-रे रूम, डार्क रूम, फिल्मों और रसायनों के भंडारण की व्यवस्था	40
10.	फार्मेसी	25
11.	आपातकालीन इकाई	25
12.	अस्पताल की रसोई	30
13.	स्टोर	30
	कुल	1370

***** जिस कॉलेज में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस सीटें हैं।

नोट:- परंतु यह कि बिंदु 3,4,11 को छोड़कर, वर्ग मीटर में स्थान की उक्त आवश्यकता इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित चिकित्सा संस्थानों के लिए पांच वर्ष तक लागू नहीं होगी। हालांकि, ऊपर सारणी में उल्लिखित सभी सुविधाएं सभी मौजूदा कॉलेजों द्वारा पूरी की जाएंगी।

ग. अस्पताल के कर्मचारी-

(1) संबद्ध अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी नीचे सारणी में दिए गए अनुसार होंगे और इसे आवश्यक बिस्तरों की संख्या में वृद्धि के अनुसार आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। अस्पताल के कर्मचारियों की योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

सारणी

क्र.सं.	**पद का नाम**	**30** बिस्तर के लिए	**31** से **50** बिस्तर के लिए	**51- 100** बिस्तर के लिए
(क)	चिकित्सा अधीक्षक	1	1	1
(ख)	उप चिकित्सा अधीक्षक*	1	1	1
(ग)	जनरल फिजिशियन** (आपातकालीन चिकित्सा और गहन देखभाल)	1	1	1
(घ)	शल्यचिकित्सक (जनरल सर्जरी)**	1	1	1
(ङ)	प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1	1
(च)	रेडियोलॉजिस्ट	ऑन कॉल	ऑन कॉल	ऑन कॉल
(छ)	पैथोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट**	1	1	1
(ज)	चिकित्सा अधिकारी	2	3	4
(झ)	रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर	1	2	2
(ञ)	अनेस्थिटिस्ट (निश्चेतक)	ऑन कॉल	ऑन कॉल	ऑन कॉल
(ट)	हाउस फिजिशियन (रेजिडेंट) ***	2	5	8
(ठ)	जनसंपर्क अधिकारी या बहुउद्देशीय सामाजिक अधिकारी - कार्यकर्ता	1	1	1
(ड)	भेषजज्ञ	2	3	3
(ढ)	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1	2
(ण)	एक्स-रे तकनीशियन या रेडियोग्राफर	ऑन कॉल	1	1

(त)	ड्रेसर	1	1	2
(थ)	एक्स-रे अटेंडेंट	ऑन कॉल	1	1
(द)	नर्सिंग स्टाफ प्रभारी	1	1	1
(ध)	नर्सिंग स्टाफ****	5	6-8	9-16
(न)	ऑपरेशन थिएटर नर्स	1	1	1
(प)	ऑपरेशन थिएटर सहायक	1	1	1
(फ)	वार्ड बॉय या आया	4	7	9
(ब)	स्टोरकीपर	1	1	1
(भ)	पंजीकरण लिपिक या रिसेप्शनिस्ट	1	2	2
(म)	योग प्रशिक्षक या चिकित्सक	1	1	1
(य)	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	ऑन कॉल	1	1
(यक)	आहार विशेषज्ञ	1	1	1

(2) प्रत्येक होम्योपैथिक अस्पताल पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारी नियुक्त करेगा ताकि अस्पताल को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(3) लैब अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट जैसे सहायक कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार होंगे।

(4) कॉलेज और अस्पताल के प्राधिकारी अस्पताल के परिसर में साफ-सफाई, बागवानी, निगरानी और वार्ड ड्यूटी जैसे कार्यों के लिए या तो अपने स्वयं के पर्याप्त कर्मचारियों से या किसी ठेकेदार के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। सेवाओं के विवरण के साथ एजेंसी के साथ विक्रेता अनुबंध की प्रति रखी जाएगी।

(5) शैक्षणिक अस्पताल में कपड़े धोने और आहार संबंधी सेवाओं का प्रावधान होगा। इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी या ठेकेदार के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। सेवा प्रदाता और अस्पताल के अधीक्षक के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध जैसे दस्तावेज अस्पताल में रखे जाएंगे। सेवा प्रदाता के साथ समझौता ज्ञापन की न्यूनतम वैधता कम से कम एक वर्ष के लिए होगी।

(6) अस्पताल का रिसेप्शन, बाह्य रोगी विभाग पंजीकरण, अंत:रोगी विभाग पंजीकरण, रोकड़ अनुभाग ठीक से संचालित किया जाना चाहिए और अधिमानतः कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

नोट- *प्राचार्य सामान्य परिस्थितियों में संबद्ध होम्योपैथिक कॉलेजिएट अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक होगा। तथापि, यदि प्राचार्य यह पद धारण करने में असमर्थ है तो यह प्रभार उप चिकित्सा अधीक्षक को दिया जाएगा।

** कॉलेज में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, पैथोलॉजी एवं जैव रसायन विभाग में आधुनिक चिकित्सा में आवश्यक योग्यता रखते हैं, उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों के बीच क्रमशः सामान्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, प्रसूति रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट (रोगविज्ञानी) और जैव रसायनज्ञ के रूप में तैनात किया जा सकता है।

*** स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेजों के लिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी) छात्र अपने कॉलेज से जुड़े अस्पताल में हाउस फिजिशियन के रूप में काम करेंगे।

**** उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के मानदंडों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी।

तृतीय अनुसूची
(विनियम 9 का खंड (क) देखें)

चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल के शैक्षणिक, अशैक्षणिक और अस्पताल कर्मचारियों के लिए योग्यता

क. सामान्य

(1) प्राचार्य या निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज और अस्पताल के कर्मचारियों के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव होना चाहिए।

(2) इन विनियमों के तहत नियुक्त सभी शैक्षणिक कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और उनकी स्नातकोत्तर डिग्री पैंतालीस वर्ष की आयु से पहले पूरी की हुई होनी चाहिए।
परंतु यह कि पैंतालीस वर्ष का यह आयु मानदंड इस विनियमन से पहले नियुक्त मौजूदा शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

(3) विभिन्न संवर्गों पर एक शिक्षक की प्रथम भर्ती राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी में राष्ट्रीय परीक्षा) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(4) मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के शैक्षणिक अनुभव की ही गणना की जाएगी।

(5) संबंधित विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, जैव रसायन, कानूनी चिकित्सा, फोरेंसिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ नियुक्त शिक्षकों की संख्या विशिष्ट विभागों में एक से अधिक नहीं होगी। उन्हें विभाग प्रमुख के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाएगा।

(6) एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शिक्षक की पदोन्नति या स्थानांतरण उसकी नियुक्ति के समय प्रभावी विनियमन के अनुसार होगा।

परंतु यह कि यदि किसी शिक्षक की शैक्षणिक सेवा की निरंतरता में छह महीने से अधिक अवधि का कोई ब्रेक होता है, तो लागू विनियमन के अनुसार नई नियुक्ति की जाएगी।

ख. होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारी के लिए योग्यता

(1) प्राचार्य अथवा निदेशक

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ख) डिग्री स्तर के मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में शैक्षणिक संवर्ग में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोफेसर से नीचे का पद धारण न किया हो, या

एसोसिएट प्रोफेसर के कैडर में कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और शैक्षणिक अनुभव के साथ एक एसोसिएट प्रोफेसर।

(ग) विभाग प्रमुख या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक या किसी अन्य प्रशासनिक अनुभव के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि का प्रशासन में अनुभव होना चाहिए।

(घ) किसी सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम तीन मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों।

(ii) वांछनीय योग्यता:

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशासन या स्वास्थ्य प्रशासन में डिग्री या डिप्लोमा; और

(ख) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; और

(ग) क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया के साथ पंजीकृत परियोजना में अन्वेषक के रूप में अनुसंधान अनुभव।

(2) प्रोफेसर

(क) होम्योपैथिक विषयों अर्थात होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग में:

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ख) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, या
किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव;

(ग) किसी सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में दो मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों।

(ii) वांछनीय योग्यता:

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; और

(ख) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव

(ग) क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में संबंधित विश्वविद्यालय और या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान का अनुभव।

(ख) संबद्ध विषयों में, अर्थात्, मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन, फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और जैवसांख्यिकी, फार्माकोलॉजी की अनिवार्यताओं के साथ चिकित्सा का अभ्यास, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान ।

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, या

(ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री के साथ संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, या

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा (फोरेंसिक चिकित्सा) में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री के साथ होम्योपैथी में स्नातक डिग्री के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में बारह वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, अथवा

(घ) शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में या शरीर विज्ञान के लिए शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा या फोरेंसिक चिकित्सा के लिए फोरेंसिक चिकित्सा में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा

संस्थान से पीएचडी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम बारह वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, और

(ङ) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम दो मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों।

(ii) वांछनीय योग्यता:

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, और

(ख) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, और

(ग) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत परियोजना में अनुसंधान अनुभव।

(3) एसोसिएट प्रोफेसर

(क) होम्योपैथिक विषयों अर्थात् होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन एंड होमियोपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग, फार्माकोलोजी की अनिवार्यता के साथ चिकित्सा में अभ्यास।

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता;

(ख) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित हुई हो, या

(ग) सबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों की अनुसंधान परिषदों में कम से कम पांच वर्ष का पूर्णकालिक अनुसंधान अनुभव और सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में कम से कम तीन प्रकाशन और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, या

(घ) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमित सेवा का पूर्णकालिक पांच वर्ष का अनुभव और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।

(ii) वांछनीय योग्यता:

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक या गाइड या सह-गाइड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

(ख) संबद्ध विषयों में, अर्थात्, मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीरक्रिया विज्ञान और जैव रसायन, फोरेंसिक चिकित्सा आविष विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और जैवसांख्यिकी, पैथोलॉजी और सूक्ष्मजीव विज्ञान, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान।

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता।

(ख) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित हुई हो, या

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में नियमित सेवा में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए।

(घ) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित हुई हो, या

(ङ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक योग्यता और शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा (फोरेंसिक चिकित्सा) में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम सात वर्ष का नियमित शैक्षणिक का अनुभव और,

(च) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में एक लेख प्रकाशित हुआ हो, या

(छ) शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान अथवा शरीर विज्ञान के लिए जैव रसायन विज्ञान में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा में या फोरेंसिक चिकित्सा के लिए फोरेंसिक चिकित्सा में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से पीएचडी और किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम सात वर्ष का नियमित शैक्षणिक का अनुभव, और

(ज) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो, या

(झ) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों के शैक्षणिक संस्थान या अनुसंधान परिषदों में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का पूर्णकालिक अनुसंधान अनुभव के साथ सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में कम से कम तीन लेख प्रकाशित हुए हों तथा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।

(ञ) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हों और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, या

(ट) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमित सेवा का पूर्णकालिक पांच वर्ष का अनुभव और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।

(ii) वांछनीय योग्यता:

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक या गाइड या सह-गाइड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

(4) सहायक प्रोफेसर

(क) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, रिपर्टरी और चिकित्सा अभ्यास जैसे विषयों में:-

अनिवार्य योग्यता:

(क) संबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ख) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव हो।

(ख) शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, पैथोलॉजी, फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान जैसे विषयों में: –

अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ख) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेज़िडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव हो, अथवा

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री, और

(घ) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में रेज़िडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है, या

(ङ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक डिग्री और शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा (फोरेंसिक चिकित्सा) में स्नातकोत्तर डिग्री, और

(च) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, या

(छ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में अथवा शरीर विज्ञान के लिए जैव रसायन विज्ञान में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा या फोरेंसिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ज) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(ग) सामुदायिक चिकित्सा और अनुसंधान पद्धति तथा जैव सांख्यिकीय जैसे विषय में:-

अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ख) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेज़िडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है।

(ग) अग्रणी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम दो मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों, या

(घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक डिग्री और सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ङ) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, या

(च) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से पीएचडी के साथ सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री, और

(छ) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।

(घ) मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर

अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और मनोविज्ञान की किसी भी शाखा में परास्नातक डिग्री। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेज़िडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है, या

(ख) मनोचिकित्सा में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजीडेंस चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है, या

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है।

(ङ) आधुनिक औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी) में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर:

(क) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से औषध विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, या

(ख) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त फार्मेसी में मास्टर डिग्री।

(5) योग प्रशिक्षक

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) योग्य डिग्रीधारी (प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक- योग और प्राकृतिक चिकित्सा में साढ़े पांच वर्ष का नियमित चिकित्सा पाठ्यक्रम) या

(ख) प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डिप्लोमा। जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल की इन पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए राज्य या केंद्रीय प्राधिकारण का पंजीयन हो।

(ii) **वांछनीय योग्यता:**

प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ-साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) पुस्तकाध्यक्ष

अनिवार्य योग्यता:

कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने के ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री और तीन वर्ष का अनुभव।

(7) सहायक पुस्तकाध्यक्ष

अनिवार्य योग्यता: कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने के ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री।

ग. अस्पताल कर्मचारियों के लिए योग्यता

(1) चिकित्सा अधीक्षक

(क) अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और प्रोफेसर कैडर का होना चाहिए।

(ख) वांछनीय योग्यता: केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अस्पताल प्रशासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

(2) उप चिकित्सा अधीक्षक

(क) अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और एसोसिएट प्रोफेसर कैडर में न्यूनतम दो वर्ष कार्य किया हो।

(3) आवासीय चिकित्सा अधिकारी

(क) अनिवार्य योग्यता: राज्य होम्योपैथी बोर्ड से नियमित पंजीकरण प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक अस्पताल में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए हाउस फिजिशियन के रूप में अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए।

(4) चिकित्सा अधिकारी

(क) अनिवार्य योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक अस्पताल में हाउस फिजिशियन के रूप में कम से कम एक वर्ष की अवधि के अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री।

(5) सर्जन (जनरल सर्जरी), जनरल फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, प्रसूति रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट

(क) अनिवार्य योग्यता: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। जनरल फिजिशियन की आपातकालीन चिकित्सा और गहन चिकित्सा में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

(6) हाउस फिजिशियन

अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री और कम से कम दो वर्ष की अवधि के पेशेवर अनुभव के साथ राज्य होम्योपैथी बोर्ड से नियमित पंजीकरण हो: परंतु यह कि अनुमत स्नातकोत्तर केंद्र में हाउस फिजिशियन (रेज़िडेंट) पद की अलग से आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का स्नातकोत्तर छात्र अनिवार्य रूप से हाउस जॉब कर रहा होगा।

(7) प्रयोगशाला तकनीशियन

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के साथ विज्ञान स्नातक की डिग्री।

(8) वितरक

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नलिखित में से किसी एक के साथ सीनियर सेकंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण की हो: –

(क) संबंधित राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा; या

(ख) होम्योपैथिक औषधालय या फार्मेसी में होम्योपैथिक दवा वितरित करने का दो वर्ष का अनुभव

(9) एक्स-रे तकनीशियन या रेडियोग्राफर

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया हो।

(10) एक्स-रे सहायक या डार्क रूम सहायक

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण की हो और दो वर्ष तक एक्स-रे विभाग में काम करने का अनुभव हो।

(11) योग चिकित्सक

(क) अनिवार्य योग्यता:

योग्य डिग्रीधारी (प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक - योग और प्राकृतिक चिकित्सा में साढ़े पांच वर्ष का नियमित चिकित्सा पाठ्यक्रम या प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डिप्लोमा) जिसके पास स्वास्थ्य देखभाल की इन प्रणालियों का अभ्यास करने के लिए राज्य या केंद्रीय प्राधिकरणों का पंजीयन है।

(ख) वांछनीय योग्यता:

उपर्युक्त योग्यताओं के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(12) फ़िज़ियोथेरापिस्ट

संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी विषय में डिग्री।

(13) आहार विशेषज्ञ

संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त आहार और पोषण विषय में डिग्री।

(14) ड्रेसर

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी परीक्षा पास हो;

(15) नर्सिंग स्टाफ प्रभारी

नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होनी चाहिए और दो वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित राज्य की नर्सिंग काउंसिल के तहत पंजीकृत हो।

(16) नर्स

(क) अनिवार्य योग्यता:

नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या जनरल नर्सिंग और प्रसूति विद्या (मिडवाइफरी) या सहायक नर्स और मिडवाइफरी हो तथा संबंधित राज्य की नर्सिंग काउंसिल के तहत पंजीकृत

(ख) वांछनीय योग्यता:

होम्योपैथिक अस्पताल में काम करने का एक वर्ष का अनुभव।

(17) स्टोर कीपर

कंप्यूटर के ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण हो।

(18) पंजीयन लिपिक या रिसेप्शनिस्ट:-

(क) अनिवार्य योग्यता:

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी पास हो;

(ii) क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी का ज्ञान हो और कंप्यूटर चलाने की दक्षता हो।

(ख) वांछनीय योग्यता: कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में डिप्लोमा किया हो।

(19) भेषज (फार्मासिस्ट)

होम्योपैथिक फार्मेसी में काम करने के तीन वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी विषय में स्नातक। फार्मेसी में डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(20) सचिवालयी और लेखा कर्मचारी : (क) कार्यालय अधीक्षक -पांच वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातकोत्तर या पूर्व-स्नातक ।

(ख) प्रवर श्रेणी लिपिक - कार्यालय कार्य में तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक।

(ग) अवर श्रेणी लिपिक - कार्यालय कार्य में एक वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक हो।

(घ) **कार्यालय सहायक**-कार्यालय कार्य में एक वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक हो।

(ङ) **लेखाकार -** लेखा, बहीखाता में पांच वर्ष के अनुभव के साथ बी.कॉम. किया हो, बैंकिंग की जानकारी हो, कर्मचारी भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि तथा सभी सरकारी एवं विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों की जानकारी हो,

(च) **डाटा एंट्री ऑपरेटर**-बुनियादी कंप्यूटर पाठ्यक्रम और तीस अथवा इससे अधिक की टाइपिंग गति के साथ सीनियर सेकंडरी पास हो,

(छ) **मल्टी टास्किंग स्टाफ-**किसी मान्यता प्राप्त सीनियर सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

(21) वार्ड ब्वॉय या आया : (क) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

(ख) वांछनीय: रोगी देखभाल सेवाओं में एक वर्ष का अनुभव हो।

(22) चौकीदार या चपरासी : आठवीं पास।

घ. चिकित्सा संस्थान के गैर-शैक्षणिक (नॉन टीचिंग) कर्मचारियों के लिए योग्यता

(1) प्रयोगशाला सहायक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा पांच वर्ष के अनुभव के साथ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

(2) प्रयोगशाला सहायक : मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

(3) शव सहायक – मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो और स्थानीय भाषा का ज्ञान हो।

(4) पुस्तकालय सहायक – मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड
[विज्ञापन-III/4/असा./823/2023-24]

परिशिष्ट–1

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ – ख के उप-पैराग्राफ (3) के खंड (ड.) को देखें)

भेषज विभाग के उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	पिल टाइल्स	30
2.	चीनी मिट्टी की तश्तरियां	30
3.	चिमटी सहित भूषा	30
4.	सिलिका भूषा	02
5.	खरल और मूसली (लौह, शीशा, चीनी मिट्टी)	1+1+30
6.	वाटर बाथ (जलोष्पक) धातु अथवा विद्युत	30
7.	सूक्ष्मदर्शी (विद्यार्थी प्रकार का)	05
8.	पतली परत के क्रोमोटोग्राफी उपकरण - यूवी चैम्बर सहित	1
9.	पीएच मीटर	2
10.	स्टाप वाच	25
11.	हाइड्रोमीटर	5
12.	????????? ????	5
13.	पाइक्नोमीटर	10
14.	वाटर स्टिल (डिस्टिल्ड वाटर प्लांट)	1
15.	परकोलेटर	5
16.	मैसेरेटर	5
17.	मैसेरेटर	10
18.	बोटेनीकल स्लाइड्स	01

19.	स्पेक्ट्रो स्कोप	01
20.	शारीरिक, मॅकेनीकल/विद्युत पोटेन्टाइजर	2/01/01
21.	विद्युतीय तुला	2
22.	डाइसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी	02
23.	आस्वित उपकरण (शीशा)	1 सेट
24.	हॉट एयर ओवन	01
25.	इलैक्ट्रानिक तुला	10
26.	भौतिक तुला	01
27.	मापी ग्लास (क) ग्लास ब्रेकर (100 मि.ली., 250 मि.ली., मि.ली., 500 मि.ली., 1000 मि.ली) (ख) वोल्यूमेट्रिक सिलिन्डर (250 मि.ली. 500 मि.ली, 1000 मि.ली.) (ग) मापी सिलिण्डर (10 मि.ली., 50 मि.ली., 100 मि.ली., 500 मि.ली., 1000 मि.ली.) (घ) परीक्षण ट्यूब (टैस्ट ट्यूब) (8 मि.ली., 10 मि.ली., 12 मि.ली.) होल्डर साहित (ङ) वाच ग्लास (च) क्रमांकित सूक्ष्म नली (ग्रेजुएटेड पिपेट) (1 मि.ली., 10 मि.ली.)	**05** प्रत्येक **05** प्रत्येक **30** प्रत्येक **30** प्रत्येक अपेक्षानुसार
28.	ग्लास रिटोर्ट	02
29.	ग्लास कनेक्शन सहित बनसेन बर्नर	05
30.	विविध (क) रसायन (i) अमोनियम क्लोराइड (ii) अमोनियम ओक्सालेट (iii) बेरियम क्लोराइड (iv) कैल्शियम कार्बाइड (v) कैल्शियम कार्बोनेट (vi) कॉपर सल्फेट (vii) हाइड्रोक्लोरिक एसिड (viii) आयोडीन (ix) नेसलर्स रीजेंट (x) नाइट्रिक एसिड (xi) पोटाशियम फैरो सायनाइड (xii) सेलीसाइलिक एसिड (xiii) सिल्वर नाइट्रेट (xiv) सोडियम हाइड्रोक्साइड (xv) सोडियम क्लोराइड (xvi) सल्फर	अपेक्षानुसार

	(xvii) सल्फ्यूरिक एसिड (xviii) बोरेक्स	
	(ख) भेषज (विद्यार्थियों द्वारा तैयार नमूने) (i) मदर टिंक्चर (क) अर्निका मोन्टाना (ख) कैलेंडुला ऑफीशिनालिस (ग) कैंथारिस (घ) ऐचीनासिया ऐंगुस्टीफोलिया (ङ) यूफ्रेसिया आफिशिनालिस (च) हाइड्रेस्टिस केनाडेंसिस (छ) रूस टोक्सीकोडेनड्रोम (ज) रूटा ग्रेबोलेंस (झ) मुलेन आयल (ii) शक्तिशाली दवाएं विविध क्षमताओं और मात्राओं में सामान्य पालीक्रेस्ट दवाएं (ग) वाहन (साधन) (i) लेक्टोज (भेषजीय ग्रेड) (ii) ग्लोबुल्स (सं0. 10, 20, 30, 40) (iii) ब्लैक टेबलेट्स (1ग्राम, 3 ग्राम व 5 ग्राम) (iv) डिस्टिल्ड वाटर (v) स्ट्रांग एल्कोहल (vi) डिसपेंसिंग अल्कोहल (vii) डिल्यूट एल्कोहल (viii) रेक्टीफाइड स्पिरिट (60 ओपी) (ix) ग्लेसटिन (x) आलिव तेल (xi) सफेद पेट्रोलियम जेली (xii) लेनोलिन (xiii) मोम	05 प्रत्येक अपेक्षानुसार
31.	ग्लास फायल्स	अपेक्षानुसार
32.	कांच की बोतल (15 मि.ली., 30 मि.ली., 60 मि.ली., 100 मि.ली.)	अपेक्षानुसार
33.	शीशे की छडें	अपेक्षानुसार
34.	ग्लास फनल्स	अपेक्षानुसार
35.	फिल्टर पेपर (व्हाट् मैन 1, 100 के पैक में), सामान्य फिल्टर पेपर (100 के पैक में)	अपेक्षानुसार

	लिटमस पेपर (नीला)	
36.	ओइन्टमेंट स्लेब	45
37.	वैक्युम सहित फिल्ट्रेशन के लिए गैस उपस्कर	02
38.	चाफिंग बोर्ड	25
39.	चाफिंग चाकू	25
40.	स्पेटुला (हार्न, स्टेनलेस स्टील)	25
41.	बुरेटी (द्रवमापक नली)	5
42.	प्रेस	2
43.	छलनी (सं0.10, 22, 44, 60, 80, 85, 120)	2 प्रत्येक
44.	थर्मोमीटर	2
45.	ग्रेज्युएटेड कोनीकल ग्लास (10, 50, 100 मि.ली.))	15
46.	वायर गेज	5
47.	ट्रिपोड स्टैंड	5
48.	पोर्सीलेन बाउल	25
49.	लैक्ट्रोमीटर	10

परिशिष्ट – 2

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ -ख के उप-पैराग्राफ (**5**) के खंड (छ) को देखें)

शरीर–रचना-विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची:

क्र.सं.	**मद**	**सं.**
1.	विच्छेदन मेजें जिनका ऊपरी भाग संगमरमर अथवा स्टेनलेस स्टील का हो (6'x 2'x3')	4
2.	स्ट्रेचर - स्टील टाप (6'x'2'x3')	1
3.	पूर्ण विच्छेदन सेट	2
4.	ट्रे (स्टील) औजारों अथवा नमूना प्रदर्शन हेतु)	2
5.	शरीर और अंग विच्छेदन के लिए आरी	1
6.	शव रखने की संग्रह टंकी (क) प्लास्टिक अथवा धातु अथवा कंक्रीट (ख) विसरा के लिए कन्टेनर्स (शीशा) तथा प्रदर्शन हेतु विच्छेदित अंश	**2** **2**
7.	शव-संलेपन सामग्री (क) केनुला (ख) IV ट्यूब (ग) फोर्मलिन होल्डिंग ट्यूब (घ) सिरिंज नीडल्स (ङ) नाइलोन धागा	 **02** **02** **02** **02** **02**
8.	सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) (चिकित्सा)	35
9.	रिवोल्विंग स्टूल - धातु अथवा लकड़ी	35

10.	एक्स रे व्यूइंग बाक्स	01
11.	रसायन (शव-संलेपन तथा नरम अंग प्रतिरक्षा) (क) फोर्मालिन (ख) ग्लिसरीन (ग) सोडियम क्लोराइड	अपेक्षानुसार
12.	शव: (शव तथा विच्छेदित शरीर अंग चिकित्सा संस्था को मांग-पत्र दिए जाने के बाद ही व्यवहार में लाया जाएगा)	02

परिशिष्ट – 3

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ -ख के उप-पैराग्राफ (6) के खंड (घ) को देखें)

शरीर-क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या
1.	आयल इमर्शन के साथ चिकित्सीय सूक्ष्मदर्शी	25
2.	ई.एस.आर. मापन हेतु उपकरण/ई. एस. आर. के लिए स्टैंड पर वेस्ट ग्रेन पिपेट	25 (अतिरिक्त पिपेट सहित)
3.	लोहित कोशिका मापी नलिका (हिमेटोक्रिट ट्यूब)	35
4.	हिमोग्लोबिनो मीटर साहली	35
5.	हिमोसाइटोमीटर	25
6.	स्फीगमोमेनोमीटर	25
7.	आला (स्टेथोस्कोप)	25
8.	नैदानिक थर्मामीटर (डिजिटल अथवा मर्करी)	25
9.	नी हैमर	25
10.	श्रवण परीक्षण के लिए ट्यूटिंग फॉर्क (32-1000 हट्र्ज)	1 सेट
11.	इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ (विद्युत हृदय लेखी) (ई.सी.जी. मशीन)	1
12.	इलैक्ट्रानिक स्टाप वाच 1/10 सेकेण्ड.	04
13.	दोहरे आसवन के पूर्णतः शीशे के उपस्कर	01
14.	सेंट्रीफ्यूज	01
15.	कैलोरीमीटर (फ़ोटो इलेक्ट्रिक)	02
16.	पीएच मीटर इलैक्ट्रि	02
17.	(एड्रिज ग्रीन) रंग बोध लेन्टर्न	01
18.	शैक्षणिक सीडी, डी.बी.डी., फिल्म, स्लाइड, मॉडल, दृश्य श्रवण सामग्री सहित	अपेक्षानुसार
19.	पेरीमीटर	01
20.	स्पाइरोमीटर	01
21.	टोनोमीटर	01
22.	हैंडग्रिप डायनामोमीटर	01
23.	बाइसकिल इर्गोमीटर	01

परिशिष्ट – 4

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप पैराग्राफ (6) के खंड (ड.) को देखें)

जैव रसायन के लिए आवश्यकता

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	इलेक्ट्रोनिक अथवा मोनोपैन तुला	01
2.	सेंट्रीफ्यूज	01
3.	तुला, रासायनिक/साधारण	01
4.	ज्योष्मक (वाटर बाथ)	01
5.	यूरीनोमीटर (मूत्र मापी)	25
6.	रसायन: (क) आयोडीन (ख) अमोनियम आक्सोलेट (ग) बेरियम क्लोराइड (घ) सिल्वर नाइट्रेट (ङ) सोडियम हाइड्रोक्साइड (च) मरक्यूरिक सल्फेट (छ) सेलीसाइलिक एसिड	अपेक्षानुसार
7.	हाइड्रोमीटर (0.700 से 1.00)	02
8.	एल्बुमिनोमीटर	10
9.	ग्लूकोमीटर	10
10.	थर्मामीटर	10
11.	केलोरीमीटर	01
12.	हॉट एअर ओवन 14”x14”x14” (इलेक्ट्रिक)	01
13.	शीशे के बर्तन जैसे कि पिपेट, बीकर, ब्यूरेट, वायर गॉज, एस्बेस्ट्स सहित सेंटर हॉट प्लेट, स्टोव, सिरिंज, बर्नर, रबर नलिका स्टैंड, क्लैम्प, फ्लैश आदि।	अपेक्षानुसार
14.	पीएच मीटर (हाइड्रोजन की मात्रा मीटर)	1
15.	बाइनोकुलर रिसर्च माइक्रोस्कोप	02
16.	स्टेथोस्कोप : बहु-अंगों के साथ प्रदर्शन	02
17.	आप्थोल्मोस्कोप	01
18.	ओटोरहिनोलेरिंगोस्कोप	01
19.	रिवोल्मिग स्टूल, धातु	45

परिशिष्ट – 5

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (7) के खण्ड (ज) को देखें)

न्याय आयुर्विज्ञान और आविष विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	डायल वाली मानव तुला मशीन	01
2.	ऊँचाई नापने के लिए उपकरण	01
3.	वर्नियर कैलिपर स्केल	01
4.	एक्स-रे व्यू बॉक्स वन इन फोर	01
5.	विष-विज्ञान संबंधी विशेषताओं और नैदानिक अनुप्रयोगों एवं अन्य नमूना का उल्लेख करने वाली सूची	02 प्रतियां
6.	विष और विष निवारक औषधियों की सूची, घरेलू, विष-निवारक औषधि की तालिका अथवा सूची	25
7.	(क) हड्डियां; (ख) खोपड़ी; (ग) पेल्विश (कूल्हा) (सेक्रुम, कॉक्सिक्स सहित पूरा)	01 प्रत्येक पुरुष और महिला
8.	(क) बुलेट्स, (गोलियां); (ख) पिस्टल की गोली; (ग) रिवोल्वर की गोली; (घ) बन्दूक (राइफल) की गोली	01 प्रत्येक
9.	शॉटगन कारतूस	01
10.	फिक्स्ड नॉट अथवा लूप, स्लिप नॉट, लूप का नमूना	01 प्रत्येक
11.	पेट की नली	01
12.	हैंड लेंस (फिंगरप्रिंट उद्देश्य से अध्ययन)	02
13.	फिंगरप्रिंट के लिए तुलनात्मक माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शी)	01
14.	अस्थिविकास सेंटर दर्शाते हुए (एक्स-रे फिल्में)	05
	(व्यक्ति विशेष की उम्र और लिंग का निर्धारण करने के लिए विभिन्न अस्थियों की पुरः स्थिति और समेकन)	
15.	पोस्ट मार्टम शैक्षणिक कम्पैक्ट डिस्क अथवा डिजिटल वीडियो डिस्क का दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतीकरण	02

परिशिष्ट-6

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (8) के खण्ड (ड.) को देखें)

विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) और जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की सूची

क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	हाट एअर ओवन (50°c) विशेष स्टैंडिंग के लिए	1
2.	सेंट्रीफ्यूज मशीन विद्युत रोटोफिक्स	2
3.	वाटर बाथ, इलेक्ट्रिक (विद्युत जलोष्मक)	4
4.	शीशे के बर्तन	अपेक्षानुसार
5.	ब्रेकर 100 मि.ली.	30 नग

6.	ग्लास सिलेंडर 100 मि.ली.	30 नग
7.	परीक्षण नली (6`× ½ ")	100 नग
8.	परीक्षण नली (4"× ½)"	100 नग
9.	शीशे की छड़ें (1 फीट)	30 नग
10.	ग्लास स्लाइड्स (सूक्ष्मदर्शी	200 नग
11.	ग्लास कवर स्लिप	300 नग
12.	ग्लास ड्रोपर	30 नग
13.	कोनिकल फ्लास्क	15 नग
14.	(क) अभिरंजन (स्टेन):- (i) लीसमैन स्टेन (ii) बफर सोल्यूशन (iii) डीआयोनाइज्ड वाटर (ख) ग्राम स्टेन:- (i) क्रिस्टल वायलेट (ii) ग्राम्स आयोडिन (iii) एसीटोन (iv) सेफ्रेनिन (ग) जीलनेलसन स्टेन:- (i) कार्बोल - फ्यूसिन (ii) संकेन्द्रित सल्फ्यूरिक एसिड (iii) मिथाइलीन ब्लू (घ) हीट एण्ड एसेटिक एसिड जांच: मूत्र में एल्बूमिन की उपस्थिति (i) 96% ग्लेशियल एसेटिक एसिड (ii) डी. आयोडाइज्ड वाटर (ड.) बेनीडिक्ट गुणात्मक परीक्षण:- मूत्र में शर्करा की उपस्थिति के लिए (i) बेनीडिक्ट क्वालिटेटिव रीजेंट (च) रोथेरा जाँच:- मूत्र में केटोन बॉडीज की उपस्थिति: (i) अमोनियम सल्फेट (ii) सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड (iii) द्रव अमोनिया (छ) कुल डब्ल्यूबीसी काउंट:- (i) डब्ल्यूबीसी डिल्यूटिंग फ्लूड	अपेक्षानुसार

	(ज) कुल आरबीसी काउंट:- (i) आरबीसी डिल्यूटिंग फ्लूड (झ) कोलोरीमीटर द्वारा हीमोग्लोबिन अनुमान (ञ) ड्रेबकिन घोल (ट) एचबी मानक (ठ) एसिड द्वारा एन/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल) (ड) साहली हीमोग्लोबीनोमीटर द्वारा हेमेटिन पद्धति	
15.	रक्त समूह रीजेंट: और एंटी 'ए' एंटी बी, एंटी डी:	अपेक्षानुसार
16.	ओवा, पैरासिट, काइस्ट, लुगोल आयोडिन के लिए मल (स्टूल) की जाँच	अपेक्षानुसार
17.	(क) मीडिया तैयार करने हेतु सामग्री:- (i) न्यूट्रीयंट आगार मीडिया; (ii) मैक्कोनीज मीडिया (iii) लॉनस्टेन जेनसेन मीडिया (एल.जे. मीडिया) (iv) स्टैराइल पेट्री डिश (शीशा अथवा प्लास्टिक); (v) नीक्रोम वायर लूप होल्डर; (vi) डी-आयोनाइज्ड वाटर	अपेक्षानुसार
18.	(क) हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आरक्षित सामग्री :- (i) मैकेनीकल रोटरी माइक्रोटोम (ii) हॉट एअर ओवन (iii) वाटर बाथ (iv) रसायन: (क) एसीटोन (ख) 2- प्रोपेनोल (ग) एक्सीलोन (घ) डीपीएक्स माउन्टेन्ट (ङ) फोर्मल डी हाइड 37% (च) ग्लिसरोल (छ) फोर्मिक एसिड 85% (ज) पपानी सिलिओ सोल्यूशन (झ) मिथाइलीन ब्लू (v) कवर ग्लास स्लिप: 22× 22 मि.मी./18×18 मि.मी. (ख) स्लाइड बाक्स (ग) ड्रापिंग बोतल (घ) डायमंड पेंसिल (ड.) एल. माउल्ड (च) केसेट	 01 01 01 अपेक्षानुसार

	(छ) हीमाटोक्सीलिन एवं इओसिन (एच एंड ई): पावर (ज) एचसीएल 35% : 500 मि.ली. (झ) नाइट्रिक एसिड : 500 मि.ली. (ञ) स्लाइडें (ट) लघु चिमटी (दाँत तथा बिना दाँत) : 2 (ठ) इस्पात स्केल (ड) कैंची (ढ) शीशे का जार	अपेक्षानुसार
19.	इन्क्यूबेटर	2
20.	हीमोसाइटोमीटर के साथ आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी पिपेट्स	25
21.	साहली हीमोग्लोबीनोमीटर	25
22.	आटोक्लेव	2
23.	एनाएरोबिक उपस्कर	2
24.	स्टॉप वाच ½ सेकेंड	2
25.	पीएच मीटर	1
26.	आयल इमर्शन लेंस चल स्टेज एवं कंडेन्सर सहित सूक्ष्मदर्शी	45
27.	सेरोलॉजीकल/हीमाटोलॉजिकल कार्य हेतु उच्च शक्ति के सेंट्रीफ्यूज	1
28.	एरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेशन रेट अनुमान के लिए वेस्टर ग्रेन्स पिपेट्स	10
29.	एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट तथा पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए विन्ट्रोबिहेमेंट्रोक्रिट ट्यूब	10
30.	कोलोनी काउन्टर	1
31.	कपलिन जार	02
32.	सहायक सामग्री सहित कम्प्यूटर	01
33.	कोलोरीमीटर तथा आटो एनालाइजर	01
34.	सेरोलॉजीकल जाँच हेतु ऐलिसा रीडर	01
35.	विकृति विज्ञान संबंधी नमूने	25
36.	यूरीनोमीटर (मर्करी के अलावा)	02

परिशिष्ट – 7

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ – ख के उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ड.) को देखें)

सामुदायिक औषध, अनुसंधान रीतिविज्ञान बायोसांख्यिकीय विभाग में उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	बैरोमीटर (फोर्टिन)	1
2.	लैक्टोमीटर	1
3.	अल्कोहलमीटर	1
4.	वाटर प्यूरीफायर (जिसमें आरओ, यूवी, टीडीएस रेगुलेटर हो)	1
5.	टोटल डिजोल्वड सालिड्स (टीडीएस) मीटर	2

6.	ग्लूकोमीटर	2
7.	वायु गुणवत्ता मॉनिटर	2
8.	मिड अपर आर्म सरकुमफरेंस मापी टेप	5
9.	प्रदर्शन: टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रम, जैव-सांख्यिकीय एवं अनुसंधान प्रविधि, नमूनों, सामाजिक विज्ञान से संबंधित सूचना का प्रदर्शन।	अपेक्षानुसार
10.	रेफ्रिजरेटर	02
11.	हाइड्रोमीटर स्पिरिट-	02
12.	हाइड्रोमीटर मिल्क	02
13.	वजन तौलने की मशीन युवा	03
14.	साल्टर्स शिशु वजन मापी मशीन	02
15.	हार्पेडेन स्किनफोल्ड कैलिपर	02
16.	ऊंचाई (लंबाई) मापी स्टैंड	02
17.	वास्तविक रूप में आयोजित विभिन्न परीक्षणों की पद्धतियों, क्षेत्रीय दौरों तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर संक्षिप्त रूपरेखा संबंधी सूची	02
18.	होरोक्स उपस्कर (जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए अनुमानित अपेक्षित ब्लीचिंग पाउडर)	02
19.	क्लोरोस्कोप (पेयजल में क्लोरीन अवशिष्ट की जांच हेतु)	02

परिशिष्ट – 8

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (**10**) के खंड (ड.) को देखें)

शल्य चिकित्सा विभाग में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए उपकरणों की सूची

क्र.सं.	**वस्तु का नाम**	**मात्रा**
1.	एलिस टिशू चिमटी	न्यूनतम 2
2.	कार्वड एलिस	न्यूनतम 2
3.	मच्छर चिमटी	न्यूनतम 1
4.	दंत चिमटी	न्यूनतम 4
5.	चित्तल चिमटी	न्यूनतम 1
6.	नीडल होल्डर	न्यूनतम 1
7.	स्पंज होल्डिंग चिमटी	न्यूनतम 1
8.	ऐलिस	न्यूनतम 1
9.	साधारण चिमटी	न्यूनतम 2
10.	रबर की मूत्र नलिका	न्यूनतम 2
11.	फॉली मूत्र नलिका	न्यूनतम 2
12.	केनुला (शलाका नलिका)	न्यूनतम 4
13.	श्वास नलिका ट्यूब	न्यूनतम 2

14.	सीधी कैंची	न्यूनतम 4
15.	आर्टरी चिमटी	न्यूनतम 4
16.	कैंची	न्यूनतम 4
17.	प्रॉक्टोस्कोप	न्यूनतम 4
18.	सीवन सामग्री	अपेक्षानुसार
19.	ड्रेसिंग सामग्री	अपेक्षानुसार
20.	राइले ट्यूब	न्यूनतम 4
21.	मूत्र नलिका	न्यूनतम 4
22.	ड्रेसिंग ट्रे	न्यूनतम 1
23.	किडनी ट्रे	न्यूनतम 4
24.	ट्रे	न्यूनतम 4
25.	ड्रेसिंग ड्रम	न्यूनतम 1
26.	ऑरोस्कोप	न्यूनतम 3
27.	स्टेथोस्कोप	न्यूनतम 4
28.	मापन टेप	न्यूनतम 4
29.	हथौड़ा	न्यूनतम 4
30.	आप्थेलमोस्कोप	न्यूनतम 1
31.	टेनोमीटर	न्यूनतम 1
32.	दंत उपकरण	न्यूनतम 1
33.	ईएनटी उपकरण	न्यूनतम 1
34.	शिशु आहार पोषण ट्यूब	न्यूनतम 1
35.	लेरिंगोस्कोप	न्यूनतम 1
36.	रिट्रैक्टर	न्यूनतम 5
37.	सिम स्पैकुलम	न्यूनतम 5

परिशिष्ट - 9

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (11) के खंड (घ) के उप-खंड (i) को देखें)

स्त्री-रोग विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान विभाग में अपेक्षित उपकरणों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	अपेक्षित सं.
1.	सिम्स स्पेकुलम (वीक्षक यंत्र)	01
2.	कुसको स्पेकुलम	01
3.	एंटीनल वेजीनल वाल रिट्रैक्टर	01
4.	सर्वीकल डाइलेटर	01
5.	रबर की साधारण मूत्र नलिका	01

6.	यूटेरिन कुरैटी	01
7.	स्पंज होल्डिंग चिमटी	01
8.	ऐलिस टिसू चिमटी	01
9.	आर्टरी चिमटी	01
10.	डोएन्स रीट्रैक्टर	01
11.	बेबकॉक चिमटी	01
12.	नीडल होल्डर	01
13.	दंत संबंधी चिमटी	01
14.	दंत रहित चिमटी (सामान्य चिमटी)	01
15.	ऐपिसियोटोमी कैंची	01
16.	मायो कैंची	01
17.	तौलिया क्लिप	01
18.	वुलसैलम	01
19.	कोर्ड क्लैम्पस	01
20.	ओबस्टेट्रिक चिमटी	01
21.	फोलीज मूत्र नलिका	01

परिशिष्ट -10

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (**13**) के खंड (घ) को देखें)

स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग विभाग में अपेक्षित उपकरण

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	**मात्रा**
1.	वजन मापी मशीन	1
2.	ऊँचाई (लंबाई) चार्ट	1
3.	रक्त चाप उपकरण	1
4.	स्टेथोस्कोप (आला)	1
5.	टार्च	1
6.	हथौड़ा	1
7.	रोगी रिकार्ड रजिस्टर	1
8.	केस संबंधी प्रपत्र	अपेक्षानुसार
9.	खुराक चार्ट पैड	अपेक्षानुसार
10.	योग चटाई	35
11.	योगा स्ट्रेचिंग बेल्ट	10
12.	योगा एक्सरसाइज गेंद	05
13.	बेली ट्विस्टर	02
14.	फिटनेस साइकिल	01
15.	पाम गेंद	05

परिशिष्ट -11

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ग के उप-पैराग्राफ (2) को देखें)

चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक में अपेक्षित उपकरणों की सूची

क्र.सं.	चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक (एमईटीयू)	मात्रा
1.	स्मार्ट बोर्ड	1
2.	अद्यतन ढांचे सहित कंप्यूटर	2
3.	गोल मेज	2
4.	कुर्सियां	10
5.	प्रिंटर और स्कैनर	प्रत्येक 1
6.	ओवरहेड प्रोजेक्टर	1
7.	चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी पर पुस्तकें व पत्रिकाएँ -: भौतिक तथा सॉफ्ट कॉपी की ऑनलाइन खरीद	10 प्रतियां
8.	लेखन सामग्री	अपेक्षानुसार

परिशिष्ट – 12

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (4) के खंड (क) को देखें)

बाह्य-रोगी विभाग के लिए अपेक्षित फर्नीचर/जुड़नार/उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	डॉक्टर के लिए प्रकाश तथा रोशनदान वाला कक्ष जो एक कुर्सी तथा मेज से सुसज्जित हो	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
2.	एक्स-रे व्यूअर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
3.	रोगियों एवं तीमारदारों के लिए 2 कुर्सियां	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1 सैट	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1 सेट	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1 सैट
4.	प्राइवेसी स्क्रीन के साथ 6 फीट X 2.5 फीट की एक जांच मेज	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
5.	रक्तचाप उपस्कर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
6.	स्टैथेस्कोप (आला)	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
7.	टार्च	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
8.	थर्मामीटर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
9.	वजन मापने वाली मशीन	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
10.	अस्पताल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार

	दृष्टिगत रखते हुए रोगियों की जांच हेतु अपेक्षित अनिवार्य नैदानिक औजार			
11.	प्रकाश स्रोत जो सूर्य की रोशनी के समान प्रकाश रंग एवं तापमान देता हो, जांच बिंदु पर कम से कम 500 लक्स की प्रकाश सघनता	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
	परीक्षण के बिंदु			
12.	कंप्यूटर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
13.	दूरभाष उपकरण	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
14.	एयर कंडीशन	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
15.	ताले वाला पर्याप्त भंडारण स्थान	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
16.	फुट स्टूल	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1

परिशिष्ट-13

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ख) के उप खंड (**ii**) को देखें)

अंत:रोगी विभाग के लिए फर्नीचर/जुड़नार की आवश्यकताएं

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	30 **बिस्तर के लिए**	31 **से** 50 **बिस्तर के लिए**	51 **से** 100 **बिस्तर के लिए**
1.	लोहे के बिस्तर (साधारण, शल्य चिकित्सा के लिए तथा शिशुओं के लिए)	30	50	100
2.	पर्याप्त दीवार अथवा स्पात के कपबोर्ड	4	8	15
3.	आर्म बोर्ड वयस्क	12	24	24
4.	बैकरैस्ट	4	8	20
5.	बेन मैरी ट्रॉली स्टेनलेस स्टील प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1
6.	बिस्तर की तरफ केबिनेट	प्रत्येक 5 रोगियों पर एक	प्रत्येक 5 रोगियों पर एक	प्रत्येक 5 रोगियों पर एक
7.	बिस्तर की तरफ स्क्रीन	प्रत्येक वार्ड में 1 अथवा बिस्तर के मध्य पूरी लंबाई के पर्दे	प्रत्येक वार्ड में 1 अथवा बिस्तर के मध्य पूरी लंबाई के पर्दे	प्रत्येक वार्ड में 1 अथवा बिस्तर के मध्य पूरी लंबाई के पर्दे
8.	प्लास्टिक की बाल्टी	12	24	24
9.	छत के पंखे	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
10.	प्रत्येक वार्ड के लिए 1 घड़ी	1 घड़ी प्रत्येक वार्ड	1 घड़ी प्रत्येक वार्ड	1 घड़ी प्रत्येक वार्ड
11.	रसोईघर के लिए डिब्बे	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

	(कंटेनर)			
12.	बाह्य रोगी और वार्ड के लिए डॉक्टर की कुर्सी	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
13.	डॉक्टर या कार्यालय मेज	3	10	20
14.	ड्रेसिंग ट्रॉली- प्रत्येक तल/वार्ड के लिए व्यवस्था पर निर्भर करते हुए 1	4	8	10
15.	प्रत्येक वार्ड और परामर्श कक्ष में कूड़ेदान	6	12	15
16.	नर्सों के लिए ड्यूटी टेबल	8	20	30
17.	आपातकालीन पुनर्जीवन किट	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1
18.	एनीमा सेट	4	4	8
19.	अग्नि शामक	प्रति वार्ड अथवा व्यवस्था पर आधारित तल के लिए 1 एबीसी	प्रति वार्ड अथवा व्यवस्था पर आधारित तल के लिए 1 एबीसी	प्रति वार्ड अथवा व्यवस्था पर आधारित तल के लिए 1 एबीसी
20.	फुट स्टूल	16	25	25
21.	फ़्रिज	प्रत्येक क्षेत्र अथवा वार्ड के लिए 1	प्रत्येक क्षेत्र अथवा वार्ड के लिए 1	प्रत्येक क्षेत्र अथवा वार्ड के लिए 1
22.	हैवी ड्यूटी टॉर्च लाइट	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
23.	अस्पताल कोट	100	300	500
24.	अस्पताल कोट शिशु चिकित्सा	10	30	50
25.	हॉट वाटर बैग प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
26.	आइस बैग	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
27.	हॉट वाटर गीजर	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
28.	आई-वी स्टैंड - प्रति 10 बिस्तर के लिए 2	20	50	100
29.	इंटरकॉम प्रणाली	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
30.	रसोईघर के बर्तन	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
31.	मसाज टेबल 7 x 2.5 फीट (लकड़ी अथवा फाइबर) यदि सेवा उपलब्ध कराई जाती है।	प्रत्येक क्रियाविधि कक्ष के लिए एक	प्रत्येक क्रियाविधि कक्ष के लिए एक	प्रत्येक क्रियाविधि कक्ष के लिए एक
32.	औषण ट्राली	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
33.	कार्यालय कुर्सियां	8	20	20
34.	कार्यालय मेज	6	10	10
35.	रोगी बिस्तर साइड रेल सहित	कुल बिस्तर का 20%	कुल बिस्तर का 20%	कुल बिस्तर का 20%
36.	रोगी कॉल बेल प्रणाली	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1
37.	रोगी के लॉकर	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1

38.	रोगी जांच मेट – रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए – 1	रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए – 1	रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए – 1	रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए – 1
39.	रोगियों की ओर मेज	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1
40.	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार रेलिंग के साथ बाल चिकित्सा हेतु कोट	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार
41.	इस्पात अथवा लकड़ी के कपबोर्ड	16	20	25
42.	इस्पात के रैक	10	20	40
43.	स्टूल प्रति बिस्तर-1	8	15	25
44.	घूमने वाले स्टूल – प्रति वार्ड -1	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
45.	स्ट्रेचर अथवा रोगी ट्रॉली प्रति वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
46.	पुरुष एवं महिला मूत्रालय	20	50	100
47.	रोगियों के रिश्तेदारों के लिए प्रतीक्षा हेतु कुर्सियाँ अथवा बेंच	बिस्तर की क्षमता का 50%	बिस्तर की क्षमता का 50%	बिस्तर की क्षमता का 50%
48.	वजन मापने वाली मशीन	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
49.	व्हील चेयर	प्रति 50 बिस्तर के लिए - 2	प्रति 50 बिस्तर के लिए - 2	प्रति 50 बिस्तर के लिए - 2
50.	एक्स-रे व्यूअर	प्रति वार्ड - एक	प्रति वार्ड - एक	प्रति वार्ड - एक

परिशिष्ट 14

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ख) के उप खंड **(iii)** को देखें)

अंत: रोगी विभाग (आईपीडी) के लिए उपकरण

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	30 **बिस्तर के लिए**	31 **से** 50 **बिस्तर के लिए**	51 **से** 100 **बिस्तर के लिए**
1.	अंबु बैग	6	6	6
2.	आर्म बोर्ड वयस्क	12	24	24
3.	आटोक्लेव ड्रम	6	9	12
4.	बैक रैस्ट	4	8	20
5.	बैन मैरी ट्रॉली स्टेनलेस स्टील प्रत्येक तल पर 1	2	4	8
6.	बिस्तर पैन, प्रत्येक 5 रोगियों पर 1	6	10	20
7.	जैवचिकित्सा वेस्ट कलर कोडेड बिंस	प्रत्येक तल के लिए एक सेट	प्रत्येक तल के लिए एक सेट	प्रत्येक तल के लिए एक सेट
8.	चीतल फोर्सेप्स वर्गीकृत आकार	8	16	25
9.	रसोई के लिए डिब्बे	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार

10.	ड्रेसिंग ट्रॉली-व्यवस्था पर निर्भर करते हुए प्रत्येक तल/वार्ड के लिए - 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
11.	प्रत्येक वार्ड और परामर्श कक्ष में कूड़ेदान	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
12.	आपातकालीन रिसुसाइटेशन किट	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1
13.	एनिमा सेट	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
14.	फ्रिज	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
15.	हेवी ड्यूटी टॉर्च लाइट प्रति वार्ड - 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
16.	हॉट वाटर बैग प्रति वार्ड-2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
17.	आई वी स्टैंड – प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2	प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2	प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2	प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2
18.	इन्फ्रा-रेडलैम्प	5	10	10
19.	उपकरण ट्रे- न्युनतम 1 ट्रे प्रति वार्ड	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1
20.	उपकरण ट्रॉली – न्यूनतम 1 ट्राली प्रति वार्ड	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1
21.	इंटरकॉम प्रणाली	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
22.	किडनी ट्रे- प्रत्येक 5 बिस्तर पर 1	5 बिस्तर पर 1	5 बिस्तर पर 1	5 बिस्तर पर 1
23.	भेषज ट्रॉली	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1
24.	नीडल कटर - प्रति वार्ड 3	प्रति वार्ड 3	प्रति वार्ड 3	प्रति वार्ड 3
25.	गैर-पारे वाला नैदानिक थर्मामीटर – प्रति वार्ड 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
26.	02 सिलेंडर – स्पैनर सहित – प्रति वार्ड – 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
27.	रोगी परीक्षण मेज- प्रति वार्ड/तल-1 रोगी की प्रोफाइल उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
28.	स्फिग्मोमैनोमीटर- स्टैंड टाइप 1 और पोर्टेबल (एनेरॉइड या डिजिटल) टाइप – 1,	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1

परिशिष्ट – 15

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (12) के खंड (ग) को देखें)

आपातकालीन उपकरण का नाम

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	30 **बिस्तर के लिए**	31 **से** 50 **बिस्तर लिए**	51 **से** 100 **बिस्तर के लिए**
1.	फर्स्ट एड और मूलभूत	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1

	जीवन सहायता कौशल के लिए आपातकालीन उपकरण बॉक्स			
2.	क्रैश- कार्ड ट्रालीः1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
3.	पोर्टेबल डिफाइब्रिलेटरः1	वैकल्पिक	वैकल्पिक	न्यूनतम1
4.	डिस्पोजेबल सीरिंज	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
5.	अंबु बैगः1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	लेरियंगोस्कोप – सेल सहित	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	सील्ड बैटरी सेल	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	एंडोट्रैचियल ट्यूब	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
9.	मोनीटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

परिशिष्ट - 16

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (12) के खंड (घ) के उप खंड (I) को देखें)

एनेस्थेटिक्स भेषज

क्र.सं.	भेषज का नाम	परिमाण	न्यूनतम मात्रा
	1.1 सामान्य एनेथेसिया (केवल अर्हक ऐलोपैथी एनेथेटिस्ट द्वारा ही दिया जाए)		
1.	ईथर,	--	अपेक्षानुसार
2.	हैलोथेन	--	अपेक्षानुसार
3.	आइसोफ्लुरेन*	--	अपेक्षानुसार
4.	केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन	10एमजी /एमल,50 एमजी /एमल	अपेक्षानुसार
5.	नाइट्रस ऑक्साइड	चिकित्सा ग्रेड	अपेक्षानुसार
6.	ऑक्सीजन	चिकित्सा ग्रेड	अपेक्षानुसार
7.	इंजेक्शन थियोपेनटोन सोडियम	0.5जी,1 जी पाउडर	अपेक्षानुसार
	1.2 लोकल एनेस्थिसिया		
8.	इंजेक्शन बुपीवाकेन हाइड्रा ओक्लोराइड	0.25%,0.5%0.5%+7.5% ग्लूकोज	अपेक्षानुसार
9.	स्प्रे इथाइल क्लोराइड	1%	अपेक्षानुसार
10.	इंजेक्शन लिग्नोकेन	टोपीकल फार्म 2-5%	अपेक्षानुसार
11.	इंजेक्शन लिग्नोकेन	हाइड्रोक्लोराइड 1-2% स्पाइल 5% + 7.5% ग्लूकोज	अपेक्षानुसार
12.	इंजेक्शन लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड + एड्रेनालाईन	1%, 2% +एड्रेनोलिन 1:200.000 शीशी में 1.3	अपेक्षानुसार
	1.3 अल्पकालिक पद्धतियों के लिए पूर्व-संचालित मेडिकेशन एवं सेडेशन		
13.	इंजेक्शन एट्रोपाइन सल्फेट	0.6 एमजी /एमएल	अपेक्षानुसार

14.	इंजेक्शन डायजेपम	5 एमजी इंजेक्शन 5 एमजी/ एमएल	अपेक्षानुसार
15.	संबंधित एनेथिएस्ट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य कोई औषध		अपेक्षानुसार

परिशिष्ट – 17

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (12) के खंड (घ) के उप-खंड (II) को देखें)

आपातकालीन औषध

क्र.सं.	औषध का नाम	मात्रा	न्यूनतम मात्रा
1.	इंजेक्शन एड्रेनालाईन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
2.	इंजेक्शन एट्रोपाइन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
3.	इंजेक्शन कैल्शियम कार्बोनेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
4.	इंजेक्शन डोपामाइन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
5.	इंजेक्शन डोबुटामिन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
6.	इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
7.	इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
8.	इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
9.	इनहेलर बेक्लोमीथासोन (250 माइक्रो/ डोज	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
10.	इनहेलर सलबुटामोल (200 माइक्रोग्राम)	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
11.	इंजेक्शन फ्रूसेमाइड	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
12.	इंजेक्शन डायजेपम/मिडाज़ोलम	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
13.	इंजेक्शन डेरिफाइलिन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
14.	इंजेक्शन फेनीटोइन सोडियम	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
15.	इंजेक्शन एविल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
16.	इंजेक्शन ओनडेनसेट्रोन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
17.	इंजेक्शन के.सी.एल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
18.	इंजेक्शन लिग्नोकेन 2%	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
19.	इंजेक्शन एमियाडेरोन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
20.	इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
21.	इंजेक्शन मेनिटोल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
22.	इंजेक्शन मॉर्फिन/इंजेक्शन पेथिडीन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
23.	इंजेक्शन नोराड्रेनालीन बिटिट्रेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
24.	इंजेक्शन फेंटेनाइल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
25.	इंजेक्शन के लिए जल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
26.	इंजेक्शन सोडियम वालपोरेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
27.	इंजेक्शन वोवेरन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
28.	इंजेक्शन पैरासिटामोल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स

29.	मेटोप्रोलोल इंजेक्शन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
30.	एन/2 सेलाइन इंजेक्शन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
31.	ऑक्सीजन इनहेलेशन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
32.	ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स

परिशिष्ट-18

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (**13**) के खंड (ग) को देखें)

प्रयोगशाला में उपकरणों की सूची:

टेस्ट ट्यूब, फनल, लिटमस व फिल्टर पेपर, ब्रेकर, त्रिपोट, बर्नर, वाल्यूमीट्रिक फ्लास्क, ड्रोपर, थर्मामीटर, टंग्स, वजन मापने वाली मशीन, बरेटी, वाच ग्लास, क्रूसिबल, लेबबैलेंस, मिक्सर, शेकर्स, स्टिरर्स, पिपेटीज, अपेक्षानुसार।

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	30 **बिस्तर के लिए**	31 **से** 50 **बिस्तर के लिए**	**51 से 100 बिस्तर के लिए**
1.	अलार्म घड़ी	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1
2.	स्वचालित सेल काउंटर	वैकल्पिक	वैकल्पिक	न्यूनतम 1
3.	ऑटो एनालाइज़र या सेमी ऑटो एनालाइज़र	वैकल्पिक	वैकल्पिक	वैकल्पिक
4.	ऑटो क्लेव	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	जैव-रसायन एनालाइजर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	रसायन बैलेंसेज	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	काउंटिंग चैम्बर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
9.	इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	सेंट्रोफ्यूज मशीन	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
11.	इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
12.	ट्यूब के साथ ईएसआर स्टैंड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
13.	फ्लेम फोटोमीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
14.	ग्लूकोमीटर	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1
15.	हेमाटोलाजी एनालाइजर अथवा सेल काउंटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
16.	हीमोग्लोबीनोमीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
17.	एचबीए1सी मशीन	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
18.	हॉट एअर ओवन	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
19.	हॉट प्लेट्स	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
20.	लैब इनक्यूबेटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
21.	प्रयोगशाला ऑटोक्लेव	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
22.	माइक्रो पिपेट्टी – अलग 2 खंडों में	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

23.	पीएच मीटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
24.	रेफ्रिजरेटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
25.	रोटर अथवा शेकर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
26.	सिंपल बैलेंस	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
27.	स्पिरिट लैंप	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
28.	टीसीडीसी काउंट उपकरण	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
29.	टेस्टट्यूब होल्टर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
30.	टेस्टट्यूब रैक	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
31.	टेस्टट्यूब स्टैंड	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
32.	टाइमर स्टॉप वॉच	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
33.	यूरीन एनालाइजर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
34.	वाटरबाथ	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

परिशिष्ट-19

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (16) के खंड (क) को देखें)

आपरेशन थिएटर के लिए आवश्यक उपकरण

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	30 **बिस्तर के लिए**	31 **से** 50 **बिस्तर के लिए**	**51 से 100 बिस्तर के लिए**
1.	एंटीरियर वेजीनल वाल रिट्रेक्टर	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
2.	आर्टरी फोर्सेप्स	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
3.	ऑटो क्लेव एचपी वर्टिकल (2 बिन)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
4.	स्टेरीलाइज़ेशन/स्टेरीलाइज़र के लिए आटोक्लेव उपकरण	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	ब्लेडर साउंड (यूरेथ्रेल डाइलेटर्स) विभिन्न आकारों में	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	कुस्कोज स्पेकुलम	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
7.	डायथर्मी मशीन (इलेक्ट्रिक कॉटरी)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
8.	डिस्पोजेबल सीरिंज (5-10 सीसी)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
9.	एनीमा पॉट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	फोकस लैंप साधारण	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
11.	फोलीज कैथेटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
12.	फॉर्मेलिन डिस्पेंसर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
13.	सामान्य सर्जिकल उपकरण सेट पाइल्स, फिस्टुला, फिशर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
14.	विभिन्न आकारों की उपकरण ट्रे	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
15.	उपकरण ट्रॉली	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
16.	आई.वी. स्टैंड	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
17.	किडनी ट्रे	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

18.	चाकू और कैंची 1-1	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
19.	एल.पी. ट्रे	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
20.	मैगिल फोर्सेप्स (दो आकार)	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
21.	मेटेलिक अथवा डिस्पोजेबल इनसोमिनेशन केनुला	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
22.	स्टैंड सहित ऑपरेशन टेबल हाइड्रोलिक माइनर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
23.	ओटी स्पॉट लाइट (शेडो लैस सीलिंग फिटेड/स्टैंड माउंटेड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
24.	ऑक्सीजन सिलिंडर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
25.	सर्किट के साथ ऑक्सीजन मास्क	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
26.	प्लास्टिक एप्रोन, दस्ताने तथा मास्क	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
27.	शेडो सहित लैंप सीलिंग टाइप बड़े अथवा छोटे	1	1	2
28.	शेडो सहित लैंप स्टैंड माडल	न्यूनतम1	न्यूनतम1	न्यूनतम1
29.	लघु, मध्यम तथा बड़े आकार में सिम स्पैकुलम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
30.	स्फाइग मोमानो मीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
31.	स्टेराइल रुई	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
32.	स्टेराइल दस्ताने	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
33.	स्टेलाइजर लघु (उपकरण)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
34.	स्टेलाइजर बड़ा (उपकरण)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
35.	स्टेलाइजर मध्यम (उपकरण)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
36.	स्टैथोस्कोप (आला)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
37.	सक्शन एपारेट्स (विद्युत)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
38.	सटरिंग सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
39.	स्वाब होल्डर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम1
40.	थर्मामीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
41.	टंग डिप्रेशर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
42.	दांतों की चिमटी	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
43.	दो लंबे (10 इंची) और दो लघु (6 इंची) आर्टरी चिमटी	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
44.	दो यूटेरिन साउंड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
45.	यूरेथ्रेल डाइलेटर सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
46.	वेजिनल जांच सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
47.	वुलसेलम	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1

परिशिष्ट-20

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (16) के खंड (ख) को देखें)

एनेस्थीसिया के लिए आवश्यक उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	एयरवे महिला एवं पुरुष	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
2.	एनेस्थीसिया ट्रॉली/बॉयलेज उपकरण	न्यूनतम-1 यदि एनेस्थीसिया दिया जाना है	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
3.	एनेस्थीटिक - लैरींगोस्कोप मैजिल्स-चार ब्लेडों सहित	न्यूनतम 2	न्यूनतम 2	न्यूनतम 2
4.	सीओ2 सिलेंडर लेप्रोस्कोप के लिए	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	ईईटी के लिए छह का कनेक्टर सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	डिफाइब्रिलेटर अथवा स्वचालित बाह्य डिफाइब्रिलेटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	एंडोट्रैचियल ट्यूब सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	मेजिल्स फोर्सेप्स (दो आकार)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
9.	माउथप्रॉप	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	मल्टी-पैरामीटर मॉनिटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
11.	एन2ओ सिलेंडर बॉयल्स के लिए	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
12.	ओ2 सिलेंडर बॉयल्स के लिए	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
13.	टंग डिप्रेशर्स	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
14.	ईटीटी के लिए ट्यूब कनेक्टिंग	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त

परिशिष्ट-21

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (18) को देखें)

इमेजिंग उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	300 एम.एम. एक्स-रे मशीन/ डिजिटल एक्स-रे मशीन	01	01	01
2.	अल्ट्रा सोनोग्राम (स्त्री रोग और प्रसूती रोग विभाग में अपनी स्वयं की एक अलग अल्ट्रा-साउंड मशीन होनी चाहिए)	वैकल्पिक अथवा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन	वैकल्पिक अथवा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन	वैकल्पिक अथवा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन
3.	इकोकार्डियोग्राम	01	01	01
4.	एक्स-रे डेवलपिंग टैंक	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम1
5.	सेफ लाइट एक्स-रे डार्करूम	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	कैसेट्स एक्स-रे	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	लीड ऐप्रन	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	इन्टेंसीफाइंग स्क्रीन एक्स-रे	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1 i
9.	थायराइड शील्ड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	टीएलडी बैच	प्रति व्यक्ति एक	प्रति व्यक्ति एक	प्रति व्यक्ति एक
11.	गोनाडल गार्ड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
12.	एक्स-रे लॉबी सिंगल	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1

***यदि महाविद्यालयों में डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध है तो एक्स-रे डेवलपिंग टैंक तथा एक्स-रे कैसेट्स को छोड़कर सभी उपकरण अपेक्षित हैं।**

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–15032024–253038
CG-DL-E-15032024-253038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

मि.सं.3-35/2021/एनसीएच/एचईबी/एमएसआर.सी.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15), की धारा 55 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (द) तथा (यक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011, के अधिक्रमण में, ऐसे मामलों को छोड़कर, जो इस तरह के अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़े गए हों , निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का नाम नए होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना), विनियम-2024 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ -(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(ख) "संबद्ध अस्पताल" से तात्पर्य चिकित्सा संस्थान से जुड़ा एक शिक्षण होम्योपैथिक कॉलेजिएट अस्पताल है;

(ग) "पाठ्यक्रम" से तात्पर्य होम्योपैथी में अध्ययन के पाठ्यक्रम है, अर्थात्: -

(i) होम्योपैथी औषध तथा शल्यक्रिया स्नातक (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी), से तात्पर्य है

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में स्नातक अर्हता;

(ii) "होम्योपैथी औपध वाचस्पति" (होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) का अर्थ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता है;

(iii) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता धारी कोई अन्य पाठ्यक्रम और इसमें स्नातक स्तर से ऊपर होम्योपैथी में प्रशिक्षण अथवा अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) भी शामिल होंगी ।

(घ) "प्रपत्र" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ा एक प्रपत्र है;

(ङ) "योजना" का अर्थ अनुमति तथा कोटिनिर्धारण प्राप्त करने हेतु महाविद्यालयों अथवा संस्थान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की एक संगठित योजना है ।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ को परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जोकि अधिनियम में नियत किए गए हैं ।

3. महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने तथा प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति- कोई भी व्यक्ति जो कि एक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने में इच्छुक हो अथवा अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का एक नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम खोलने में इच्छुक हो उसे अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु इच्छुक हो उसे विनियम 4 से 6 में उल्लिखित प्रक्रियाओं तथा मानदंडों का अनुपालन करना होगा तथा विनियम 4 में निर्दिष्ट प्रपत्र में एक आवेदन के साथ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड को एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।

4. आवेदन और योजना-(1) चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष को प्रपत्र -1 में आवेदन के साथ आंकलन हेतु शुल्क जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण) विनियम, 2024 में उल्लेखित है, सहित योजना प्रस्तुत करेगा ।

(2) अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलने का इरादा रखने वाले किसी भी महाविद्यालय को होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रपत्र -2 में आवेदन के साथ आंकलन हेतु शुल्क जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण) विनियम, 2024 में उल्लेखित है, सहित योजना प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रस्तावित महाविद्यालयों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता वृद्धि के इच्छुक किसी भी महाविद्यालय को होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार होम्योपैथी हेतु अध्यक्ष, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रपत्र -3 में आवेदन के साथ आंकलन हेतु शुल्क जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण) विनियम, 2024 में उल्लेखित है, सहित योजना प्रस्तुत करेगा ।

5. आवेदन करने हेतु पात्रता- (1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन करने हेतु, कोई व्यक्ति अथवा संस्थान पात्र होगा यदि,-

(क) उनका एक उद्देश्य होम्योपैथी के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है;

(ख) प्रपत्र-4 में प्रस्तावित स्थल पर एक नया होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त कर लिया है;

(ग) नए चिकित्सा संस्थान खोलने हेतु राज्य के आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा;

(घ) अनापत्ति प्रमाण पत्र में चिकित्सा संस्थान तथा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के आरंभ होने के शैक्षणिक वर्ष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए;

(ङ) आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित साइट का दौरा कर आवश्यक विवरणों को सत्यापित करना चाहिए तथा तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाना चाहिए;

(च) अनापत्ति प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(छ) किसी केंद्रीय अथवा राज्य के क़ानून के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय से एक नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए 'संबद्धता हेतु सहमति' प्राप्त की हो जो कि प्रपत्र-5 में दो साल के लिए वैध होगी;

(ज) प्रस्तावित महाविद्यालय की किसी भी कक्षा अथवा मानक अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो;

(झ) विगत एक वर्ष से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-II के प्रावधानों के अनुसार एक कार्यात्मक होम्योपैथी अस्पताल का मालिक हो तथा उसका प्रबंधन करता हो;

(ञ) किसी अनुसूचित बैंक से प्रदर्शन बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर अवधि के लिए वैध सुरक्षा राशि प्रदान करने की स्थिति में;

(ट) सौ सीटों तक की प्रवेश क्षमता वाला महाविद्यालय- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पक्ष में दो करोड़ पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी, जोकि पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर अवधि के बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर उपरोक्त लागू नहीं होगा, यदि वे वचन दें कि जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं, वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे ।

(ठ) पिछले एक वर्ष से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचा और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति में है।

(2) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत आवेदन करने हेतु, कोई व्यक्ति अथवा संस्थान पात्र होगा यदि, -

(क) ने प्रपत्र-4 में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का एक नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया हो ;

(ख) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु राज्य के आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने की शैक्षणिक वर्ष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित साइट का दौरा कर आवश्यक विवरणों को सत्यापित करना चाहिए तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

(घ) अनापत्ति प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) प्रपत्र-5 में केन्द्रीय अथवा राज्य कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालय की 'संबद्धता की सहमति अथवा निरंतरता' प्राप्त की हो ;

(च) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण व अन्य बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो;

(छ) होम्योपैथी में क्रमशः कम से कम साढ़े पांच साल और तीन साल के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार अथवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(ज) केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा प्रबंधन के लिए उप-खंड (घ) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई हो;

(झ) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पाठ्यक्रम का नामकरण, गाइड-छात्र अनुपात, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), विनियम, 2024 में निर्धारित किया जाएगा;

(ञ) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम - होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार बुनियादी ढांचे और जनशक्ति स्थापित करने में सक्षम हो;

(ट) महाविद्यालय अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर की अवधि हेतु एक अनुसूचित बैंक की राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक गारंटी या सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने का वचन देता हो;

(ठ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पक्ष में सात सीटों तक प्रति विषय पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी, जो कि पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर अवधि के पश्चात बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर उपरोक्त लागू नहीं होगा, यदि वे वचन दें कि जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं, वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे ।

(3) विनियम 4 के उप-विनियम 3 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कोई व्यक्ति अथवा चिकित्सा संस्थान पात्र होगा यदि, -

(क) उन्होंने प्रपत्र-4 में होम्योपैथिक मेडिकल महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया हो ;

(ख) प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु राज्य के आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रवेश क्षमता तथा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के शैक्षणिक वर्ष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना गया हो ।

(घ) आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित साइट का दौरा कर प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु सभी आवश्यक विवरणों को सत्यापित करे तथा तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय ले ।

(ङ) वह प्रपत्र 5 में केंद्रीय अथवा राज्य क़ानून के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय की 'संबद्धता की सहमति अथवा निरंतरता' प्राप्त करे;

(च) वह राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे ।

(छ) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा बनाए गए आयुर्विज्ञान अर्हता मान्यता सूची में सूचीबद्ध स्नातक पाठ्यक्रम के मामले में साढ़े पांच साल तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा डिग्री के मामले में तीन साल की अवधि पूरी कर ली हो;

(ज) स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा कोई अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाने हेतु केंद्र सरकार अथवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(झ) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संख्या एक सौ से अधिक नहीं हो;

(ञ) गाइड और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार बनाए रखा जाता हो;

(ट) महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अनुशासन हेतु अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं हेतु एक अनुसूचित बैंक से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक बैंक गारंटी अथवा सुरक्षा राशि प्रदान करे:-

(i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रति सीट-पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी,

(ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु, प्रति दस सीटों पर चार लाख रुपये की बैंक गारंटी, लेकिन केवल सौ सीटों तक सीमित।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर उपरोक्त लागू नहीं होगा, यदि वे वचन दें कि जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं, वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे ।

(4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता अधिकतम दस सीटों की होगी लेकिन किसी विशेष विषय में अधिकतम सात सीटों के लिए पहले अनुमति दी जाएगी। एक चिकित्सा संस्थान स्नातक पाठ्यक्रम में साठ से अधिक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सात से

अधिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अपने स्नातक पाठ्यक्रम अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले बैच के पूरा होने के बाद ही, जैसा भी मामला हो, आवेदन कर सकता है

6. भूमि की आवश्यकता- (क) इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा संस्थान, अस्पताल तथा अन्य बुनियादी ढांचे सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि का एक टुकडा 3.5 एकड़ अथवा शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से कम न हो । यदि भूखंड सड़क अथवा नहर अथवा नाले से अलग हो किन्तु पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा । राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार आवश्यक निर्माण क्षेत्र वाले प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को प्रमाणित अथवा अनुमोदित करने वाला जिला पंचायत अथवा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र, जिसे भूमि के टुकड़े में समायोजित किया जा सकता है, प्रदान किया जाना चाहिए। आयोग की अनुमति हेतु आवेदन करने का समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(ख) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I और अनुसूची-II में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार महाविद्यालय तथा अस्पताल के लिए एक अलग भवन अथवा आपस में जुडा भवन हो सकता है । भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए अथवा राज्य के नियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष अथवा अधिकतम स्वीकार्य अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। हालाँकि, अनुमति का नवीनीकरण पट्टे की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, नए महाविद्यालय प्रतिष्ठानों के लिए, व्यक्ति के नाम पर भूमि को अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु केवल होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान तथा संबद्ध अस्पताल हेतु भूमि के उपयोग के लिए अपरिवर्तनीय प्राधिकरण का समाधान हो । इस प्रकार पारित संकल्प को उस पंजीकरण प्राधिकारी को समवर्ती रूप से प्रस्तुत करना होगा अथवा अनुमोदित करना होगा जिसके साथ आवेदक पंजीकृत है। संपत्ति विशेष रूप से केवल होम्योपैथी शिक्षण संस्थान के लिए सीमांकित की जाएगी ।

(ग) चिकित्सा संस्थानों को आवेदन जमा करते समय तहसीलदार से भूमि पर कब्ज़े का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विभागीय माप के साथ भवन योजना को इन नियमों में निर्दिष्ट सुविधाओं के सत्यापन के बाद प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ङ) होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान तथा अस्पताल की इमारतें प्रचलित बिल्डिंग कोड तथा स्थानीय बिल्डिंग उपनियमों अथवा मानदंडों के अनुरूप होंगी। अस्पतालों में स्थानीय उपनियमों और विनियमों के अनुसार, रोगी निकासी योजनाओं सहित अग्नि-सुरक्षा उपाय होने चाहिए। उन्हें विकलांग लोगों तक पहुंच और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा। संस्थान और अस्पताल की इमारतें प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

7. प्रवेश क्षमता - होम्योपैथिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आवेदन एक सौ सीटों तक विचारणीय होगा ।

8. जानकारी व वापसी मांगने की शक्ति - (क) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग तथा उसके स्वायत्त बोर्डों को ऐसी जानकारी व वापसी मांगने की शक्ति होगी जो कि वह उचित समझे । विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा संस्थान राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अपेक्षित उक्त जानकारी प्रस्तुत करेंगे,

परन्तु यह कि यदि चिकित्सा संस्थान समय-सीमा के अंदर जानकारी प्रदान करने तथा आयोग को वापस करने में विफल रहता है, तो आयोग यह मानते हुए कि संबंधित चिकित्सा संस्थान अनुपालन नहीं कर रहा है, अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 1 के खंड (च) के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान निरीक्षण अथवा मूल्यांकन के दौरान उनके द्वारा मांगे गए कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड अथवा आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को सभी आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रदान करेगा ।

9. पालन करने में विफलता- यदि कोई चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे संस्थानों या अस्पतालों के खिलाफ अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के तहत कार्रवाई की सिफारिश करेगा।।

10. चिकित्सा संस्थान तथा संबद्ध अस्पताल की आवश्यकता- (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I में

उल्लेखित वॉछित क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, कर्मचारी तथा उपकरण होंगे व अनुसूची II में संबद्ध अस्पताल के पास वॉछित क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी और उपकरण होंगे तथा अनुसूची- III में कर्मचारियों की योग्यता उल्लेखित होगी ।

(ख) यद्यपि, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व स्थापित एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, इन विनियमों में निर्धारित निर्मित अथवा निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष के अंदर पूरा करेंगे।

(ग) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले स्थापित एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, इन विनियमों में निर्धारित विभागवार निर्दिष्ट आवश्यकताओं को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूरा करेंगे ।

11. होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की आवश्यकताएं - (1) सामान्य - (क) चिकित्सा संस्थान विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों (चिकित्सा संस्थान और संलग्न अस्पताल दोनों में), पुस्तकालय, प्रशासनिक क्षेत्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कमरे, छात्र सुविधाओं और अन्य प्रावधानों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त निर्मित स्थान प्रदान करेगा, जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट है ।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में छात्रों और प्रशिक्षुओं हेतु लिए संबद्ध अस्पताल तथा छात्रावास की, चिकित्सा संस्थान अथवा अस्पताल के संकाय व अन्य कर्मचारियों हेतु आवासीय क्षेत्र के साथ या उसके बिना, सुविधा होगी ।

परन्तु यह कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उस राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में दस लाख की आबादी के लिए सौ होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्य क्रिया स्नातक (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी) सीटों के अनुपात का पालन करेगा ।

(2) महाविद्यालय परिषद- (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में एक महाविद्यालय परिषद होगी जिसमें शामिल होंगे चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी इकाई के लिए निर्दिष्ट सभी विभागों अथवा संकाय के प्रमुख सदस्य और प्राचार्य अथवा निदेशक, अध्यक्ष होंगे।

(ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुशासन के प्रवर्तन और अन्य शैक्षणिक मामलों का विवरण तैयार करने हेतु परिषद एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। सभी बैठकों का कार्यवृत्त ठीक से रखा जाएगा ।

(ग) परिषद, नियमित रूप से संस्थान में आवधिक अनुसंधान समीक्षा सहित भव्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें और नैदानिक बैठकें जैसी अंतर-विभागीय बैठकें भी आयोजित करेगी।

(3) नए चिकित्सा संस्थानों की चरणवार विशिष्ट आवश्यकता- 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा एवं शल्यक्रिया स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहने वाले होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान को प्रावधान के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की स्थापना करनी होगी और अनुसूचियां (इस उप-विनियम में अनुसूची राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुरूप है:

(i) छात्रों के पहले बैच के प्रवेश से पूर्व, चिकित्सा संस्थान को-

(क) अनुसूची-II के अनुसार महाविद्यालय तथा संबद्ध अस्पताल हेतु निर्धारित भूमि में विनियम 10 के उप-विनियम (क) और उप-विनियम (ख) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता हेतु आवेदन जमा करते समय, आवेदन करने की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व कार्याशील होम्योपैथिक अस्पताल के साथ एक पूर्ण विकसित अस्पताल भवन होना चाहिए, जिसमें उचित संख्या में बिस्तर, बिस्तर अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग हो ।

(ख) प्रथम व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु आवश्यक अनुसूची-I और अनुसूची-III में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले सभी शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए ।

(ग) अनुसूची-II में निर्दिष्ट सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति और चिकित्सा अभ्यास विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ डॉक्टर अथवा नैदानिक शिक्षक , अस्पताल संचालन के लिए नियुक्त किया गया ।

(घ) एक पुस्तकालय, तीन हजार पुस्तकों वाला, एक सौ छात्रों की बैठने की क्षमता और दो लाइब्रेरियन तथा चपरासी।

(ङ) अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रथम व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु सुसज्जित और अच्छी तरह से सुसज्जित दो व्याख्यान कक्ष, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं और संग्रहालय आवश्यक हैं। ।

(च) परिसर में औषधीय पौधों की कम से कम सौ प्रजातियों के रोपण के साथ पांच सौ वर्ग मीटर भूमि पर एक औषधीय पौधों का उद्यान।

(छ) अनुसूची- I और अनुसूची- II में निर्दिष्ट इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत पदों पर सौ प्रतिशत पैरामेडिकल, सहायक और अन्य अस्पताल कर्मचारी, नियमित या संविदात्मक आधार पर नियुक्त करेंगे ।

(ज) अस्पताल में दवाओं, डॉक्टरों और आपातकालीन प्रबंधन सहित चिकित्सा सेवाओं की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की करेंगे ।

(झ) पूर्ण रूप से कार्याशील भेषजी (फार्मेसी)।

(ii) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम छह माह पूर्व चिकित्सा संस्थान का दौरा किया जाएगा तथा तब तक संस्थान में -

(क) अनुसूची-I और अनुसूची-III में निर्दिष्ट योग्यताधारी सभी शिक्षकों व प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) एक पुस्तकालय, तीन हजार पुस्तकों सहित;

(ग) अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक वर्षों के शिक्षण हेतु आवश्यक समुचित और पूर्ण रूप से सुसज्जित तीन व्याख्यान कक्ष, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं और संग्रहालय।

(iii) छात्रों के तृतीय बैच में प्रवेश से कम से कम छह माह पूर्व चिकित्सा संस्थान का दौरा किया जाएगा तथा उस समय संस्थानों के पास -

(क) अनुसूची-I और अनुसूची-III में निर्धारित अपेक्षित योग्यता वाले सभी शिक्षकों और पहले, दूसरे और तीसरे व्यावसायिक वर्ष शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) समुचित तथा पूर्ण रूप से सुसज्जित चार व्याख्यान कक्ष, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं और संग्रहालय, जो अनुसूची- I में निर्दिष्ट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय व्यावसायिक वर्षों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं ।

(iv) छात्रों के चतुर्थ बैच में प्रवेश से कम से कम छह माह पूर्व चिकित्सा संस्थान का दौरा किया जाएगा, संस्थान में होंगे-

(क) संबंधित विषय में अनुसूची I और अनुसूची-III में निर्धारित अपेक्षित योग्यताधारी सभी शिक्षक तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ व्यावसायिक वर्षों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारी;

(ख) पूर्णत: कार्याशील प्रयोगशालाएँ ।

(v) उपकरण, मशीनरी इत्यादि की सूची :-

संस्थान छात्रों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री का उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु उपकरण, मशीनरी आदि, जैसा कि अनुसूची-I और अनुसूची-II के अंतर्गत निर्दिष्ट है, चिकित्सा संस्थान के शिक्षण विभागों, अस्पताल, प्रयोगशालाओं और विच्छेदन हॉल, पुस्तकालय, फार्मेसी तथा संस्थान की अन्य इकाइयों में समुचित मात्रा में होने चाहिए ।

डॉ० तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./824/2023-24]

प्रपत्र-1

(विनिमय-4 का उप विनियम-(1) देखें)

नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना **हेतु अनुमति के लिए आवेदन**

1.		आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में):	
2.		पिन कोड, टेलीफोन नंबर सहित पूरा पता। फैक्स व ई-मेल (बड़े अक्षरों में)	

3.		प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो, पिन कोड के साथ, (टेलीफोन नंबर, फैक्स और ई-मेल):	
4.		आवेदक की स्थिति राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय अथवा ट्रस्ट	
5.		पंजीकरण या निगमन (संख्या और दिनांक यदि कोई हो)	
6.		सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता	
7.		राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार चिकित्सा संस्थान तथा संबद्ध अस्पताल हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ संबद्ध करें)	
8.	(क)	ट्रस्ट का गठन,	
	(ख)	सोसायटी अथवा ट्रस्ट के सदस्यों का विवरण,	
	(ग)	प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा परियोजना निदेशक	
9.		अस्पताल प्रमुख अथवा परियोजना निदेशक	
10.		ट्रस्ट सदस्यों की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अर्हता तथा अनुभव, यदि कोई हो	
11.		वित्तीय क्षमता (पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रदान की जानी है) यदि आवेदक एक ट्रस्ट है, तो संसाधनों का विवरण दिया जाना चाहिए)	
12.		प्रस्तावित होम्योपैथी महाविद्यालय का नाम और पता	
13.	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थल की विशेषताएं		
	(क)	स्थलाकृति	
	(ख)	प्लॉट का आकार	
	(ग)	अनुमेय फ़्लोर स्पेस इंडेक्स	
	(घ)	ग्राउंड कवरेज	
	(ड.)	भवन की ऊंचाई	
	(च)	सड़क तक पहुंच	
	(छ)	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता	
	(ज)	विद्युत आपूर्ति	
	(झ)	जल आपूर्ति	
	(ञ)	मल निकास सुविधा	
	(ट)	संचार सुविधाएँ	
	(ठ)	प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु महायोजना	

	(ङ)	खाका योजना, विभाग	
	(ढ)	ऊंचाई और फर्श के अनुसार क्षेत्र की गणना	
14.	शिक्षण कार्यक्रम		
	(क)	प्रस्तावित वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता	
	(ख)	प्रवेश की प्रविधि	
	(ग)	अखिल भारतीय कोटा	
	(घ)	केन्द्रीय कोटा	
	(ङ.)	प्रबंधन कोटा	
	(च)	अनिवसीय भारतीय कोटा	
	(छ)	राज्य कोटा	
	(ज)	सीटों का आरक्षण या अधिमानी आवंटन	
15.	कार्यात्मक कार्यक्रम		
	(क)	विभागवार एवं सेवावार कार्यात्मक आवश्यकताएँ	
	(ख)	क्षेत्र वितरण एवं कक्षवार बैठने की क्षमता	
16.	उपकरण		
	(क)	मात्रा और विशिष्टताओं की वर्षवार अनुसूची के साथ उपकरणों की विभागवार सूची	
	(ख)	चिकित्सा उपकरण	
	(ग)	वैज्ञानिक उपकरण	
	(घ)	संबद्ध उपकरण	
17.	जनशक्ति - विभागवार एवं वर्षवार प्रावधान		
	(क)	पूर्ण कालिक शिक्षण कर्मचारी	
	(ख)	तकनीकी कर्मचारी	
	(ग)	प्रशासनिक कर्मचारी	
	(घ)	सहायक कर्मचारी	
	(ङ.)	वेतन संरचना	
	(च)	वेतन भुगतान प्राविधि	
	(छ)	भर्ती प्रक्रिया	
	(ज)	भर्ती कैलेंडर	
18.	निर्माण कार्यक्रम		
	(क)	विभाग, व्याख्यान थिएटर, परीक्षा कक्ष, संग्रहालय आदि	
	(ख)	कर्मचारियों के रहने हेतु कमरे	
	(ग)	कर्मचारी एवं छात्रों हेतु छात्रावास	
	(घ)	प्रशासनिक कार्यालय	
	(ङ.)	पुस्तकालय	

	(च)	सभागार	
	(छ)	भेषजी शिक्षण	
	(ज)	शवगृह	
	(झ)	सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र	
	(ञ)	क्रीडा स्थल	
	(ट)	औषधीय पादप उद्यान	
	अन्य सुविधाएँ (अन्य सुविधाओं का नाम उल्लेखिल करें)		
19.	प्रस्तावित चरणवद्ध कार्यक्रम एवं तिमाहीवार गतिविधियों की अनुसूची का		
	(क)	भवन डिजाइन का प्रारंभ और समापन	
	(ख)	स्थानीय निकाय की मंजूरी	
	(ग)	नगर विनिर्मण	
	(घ)	अभियांत्रिकी सेवा और उपकरण का प्रावधान	
	(ड.)	कर्मचारी आवश्यकता	
	(च)	प्रवेश कार्यक्रम	
20.	परियोजना लागत		
	(क)	भूमि की पूजी लागत	
	(ख)	भवन	
	(ग)	संयंत्र एवं मशीनरी	
	(घ)	चिकित्सा, वैज्ञानिक और संबद्ध उपकरण	
	(ड.)	फ़र्निचर व फिक्सचर	
	(च)	प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय	
21.	परियोजना के वित्तपोषण के साधन		
	(क)	आवेदक का योगदान	
	(ख)	अनुदान	
	(ग)	दान	
	(घ)	इक्विटी	
	(ड.)	सावधिक ऋण	
	(च)	अन्य स्रोत, यदि कोई हो	
22.	राजस्व अनुमान		
	(क)	शुल्क संरचना	
	(ख)	अस्पताल उपयोगकर्ता शुल्क	
	(ग)	विभिन्न स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व	
23.	व्यय अनुमान		
	(क)	प्रचालन व्यय	

	(ख)	मूल्यह्रास	
24.	प्रचालन परिणाम		
	(क)	आय विवरण	
	(ख)	नकदी प्रवाह विवरण	
	(ग)	अनुमानित बैलेंस शीट	
25.	वर्तमान अस्पताल का नाम, पता तथा विवरण		
	(क)	शैय्या क्षमता	
	(ख)	शैय्या विभाजन, , शैय्या अधिभोग, और क्या छात्र व रोगी का 1:2 का अनुपात का मानक पूरा किया जा रहा है,	
	(ग)	निर्मित क्षेत्र	
	(घ)	नैदनिक तथा परा नैदानिक अनुशासन	
	(ड.)	बाह्य रोगी विभागों की संख्या और विभागवार उपस्थिति	
	(च)	वास्तुशिल्प और लेआउट योजनाएं	
	(छ)	चिकित्सा या संबद्ध उपकरणों की सूची	
	(ज)	अभियांत्रिकी सेवाओं की क्षमता और विन्यास	
	(झ)	अस्पताल सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ, अन्य सहायक और सहायता सेवाएँ (श्रेणीवार कर्मचारी संख्या)	

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नकों की सूची :

1. उपनियम अथवा ज्ञापन तथा और एसोसिएशन अथवा ट्रस्ट डीड के लेखों की किसी भी राष्ट्रीय भाषा में अनुवादित प्रमाणित प्रति,
2. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।
3. विगत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।
4. स्वामित्व के प्रमाण के रूप में उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की किसी भी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) में अनुवादित प्रमाणित प्रति।
5. उनके भूमि उपयोग का संकेत देने वाली उपलब्ध साइटों की ज़ोनिंग योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण ।
7. संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
8. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की "सहमति की संबद्धता"प्रमाणित प्रति।
9. आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकरण पत्र, जिसमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है ।

10.भूमि एवं भवन की सभी माप मेट्रिक सिस्टम में होनी चाहिए।

11. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

12. अनुप्रयोगों के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण इंगित करें)

नोट: सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

प्रपत्र-2

(विनिमय-4 का उप विनियम-(2) देखें)

अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ की अनुमति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) _____
2. पिन कोड, टेलीफोन नंबर अथवा मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पूरा पता (बड़े अक्षरों में)

   _____
3. प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, ई-मेल और वेबसाइट के साथ)_____
4. आवेदक की स्थिति, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक या निजी ट्रस्ट_____
5. पंजीकरण संख्या और तारीख: केंद्र अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण अथवा चैरिटी आयुक्त अथवा नीति आयोग पोर्टल आईडी (यदि कोई हो)_____
6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता _____
7. स्नातक पाठ्यक्रम हेतु प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष_____
8. स्नातक में प्रथम बैच के प्रवेश का पूरा होने का महीना और वर्ष_____
9. वर्तमान स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या तथा मान्यता की तिथि _____
10. अध्ययन के प्रस्तावित नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम का नाम_____
11. प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयवार स्नातक तथा स्नातकोत्तर हेतु आवेदित सीटों की संख्या_____
12. अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का विवरण_____
13. अतिरिक्त स्थान के लिए प्रावधान का विवरण _____
14. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं का विवरण _____
15. अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती प्रावधान का विवरण _____
16. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी_____

दिनॉक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :.....

पद का नाम: .....

अनुलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की निरंतरता अथवा सहमति सत्यापित प्रति।
3. केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को अधिकृत करने हेतु आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान के वित्तीय साख के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने हेतु, आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।
4. यदि पहले से ही केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित है तो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से महाविद्यालय अथवा संस्थान की मान्यता को मंजूरी प्रदान करने वाले पत्र की सत्यापित प्रति ।
5. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार आवश्यक सभी अनुबंध आवेदक महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अथवा डीन द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए प्रपत्र के साथ संबद्ध किए जाने चाहिए।

नोट : सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

प्रपत्र-3

(विनियम-4 का उप विनियम (3) देखें)

प्रवेश क्षमता वृद्धि की अनुमति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) _____

2. पिन कोड, टेलीफोन नंबर अथवा मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पूरा पता (ब्लॉक अक्षरों में)

_____

3. प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, ई-मेल और संस्थान अथवा महाविद्यालय की वेब साइट के साथ) _____

4. आवेदक की स्थिति राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक अथवा निजी ट्रस्ट

_____

5. पंजीकरण संख्या तथा तिथि: केंद्र अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण अथवा चैरिटी आयोग अथवा नीति आयोग पोर्टल आईडी (यदि कोई हो) _____

6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता _____

7. स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष _____

8. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले पहले बैच के प्रवेश का महीना व वर्ष _____

9. पहले प्रवेशित स्नातक बैच के पूरा होने का महीना तथा वर्ष _____

10. वर्तमान स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या तथा मान्यता की तिथि_____

11. प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए लागू अध्ययन के पाठ्यक्रम का नाम_____

12. प्रत्येक विषय अथवा पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या_____

13.अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का विवरण _____

14. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का विवरण

_____

15.अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के प्रावधान का विवरण_____

16. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी_____

दिनॉक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम: _____

पद का नाम:_____

अनुलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की निरंतरता अथवा सहमति सत्यापित प्रति।
3. केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को अधिकृत करने हेतु आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान के वित्तीय साख के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने हेतु, आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।
4. यदि पहले से ही अनुमोदित है तो आयुष मंत्रालय अथवा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से महाविद्यालय अथवा संस्थान की मान्यता को मंजूरी प्रदान करने वाले पत्र की सत्यापित प्रति ।
5. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार आवश्यक सभी अनुबंध आवेदक महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अथवा डीन द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए प्रपत्र के साथ संबद्ध किए जाने चाहिए।

नोट : सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

प्रपत्र-4

(विनियम-5 का उप विनियम (1) खण्ड (ख) देखें)

राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या: .....

..... सरकार

आयुष विभाग,

सेवा में,

दिनॉक .....

(आवेदक का नाम और पता)

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र

संदर्भ :-

महोदय,

वांछित "अनापत्ति प्रमाणपत्र" निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में जारी किया जा रहा है:

(1) संबंधित जिले में पहले से मौजूद होम्योपैथिक संस्थानों की संख्या और कुल आबादी।

(2) उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा होम्योपैथिक चिकित्सकों की जुड़ने वाली वार्षिक संख्या।

(3) राज्य परिषद अथवा होम्योपैथी बोर्ड में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों की संख्या।

(4) राजकीय सेवा में होम्योपैथी चिकित्सकों की संख्या।

(5) राज्य में विशेषकर ग्रामीण अथवा दुर्गम क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सको के रिक्त सरकारी पदों की संख्या।

(6) राज्य रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सको की संख्या।

(7) राज्य में होम्योपैथी चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात

(8) .....पाठ्यक्रम में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा आरंभ किस प्रकार से राज्य में योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमी की समस्या का समाधान करेगा तथा राज्य में ऐसी चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में सुधार करेगा,

(9) राज्य सरकार द्वारा उन छात्रों पर, जो राज्य के निवासी नहीं हैं, राज्य में प्रवेश प्राप्त करने

पर लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों, निर्दिष्ट किए जाएं।

(10)प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आरंभ करने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने का पूर्ण औचित्य।

(11)होम्योपैथी चिकित्सक -जनसंख्या अनुपात हासिल किया जाएगा।

i. मैं, (आवेदक का नाम) ..... ने ..... में नए चिकित्सा संस्थान (होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय) की स्थापना हेतु आवेदन किया है। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर ..... सरकार ने ..... (संख्या) सीटों की क्षमता के साथ..... ..... पाठ्यक्रम के साथ ..... एक नए चिकित्सा संस्थान (होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय) की स्थापना हेतु आवेदक को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने का निर्णय लिया है ।

ii. द्वितीय (आवेदक का नाम) ..... ने (होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय) चिकित्सा संस्थान में ..... वर्ष से आरंभ होने वाली .....से ..... तक सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन किया है ।

प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ... सरकार ने सीटों की क्षमता (होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज) में ..... से ..... तक (संख्या) सीटों की क्षमता वृद्धि के लिए आवेदक को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने का निर्णय लिया है। ... ।

iii. ..... (आवेदक का नाम) .....में नए उच्च पाठ्यक्रम खोलने अथवा वर्तमान उच्च पाठ्यक्रम में सीटों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु आवेदन किया है। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ... सरकार ने (क) होम्योपैथी मटेरिया मेडिका हेतु ..... (संख्या) (ख) ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए ..... सीटें (ग) रिपर्टरी के लिए ..... सीटें (घ) भेषजी के लिए .....सीटें (ङ) औषध साभ्यास के लिए..... सीटें (च) बाल रोग ..... सीटें (च) मनोरोग ..... सीटें (ज) सामुदायिक चिकित्सा ..... सीटें (झ) त्वचाविज्ञान..... सीटों की प्रवेश क्षमता के लिए ..... पाठ्यक्रम आरंभ करना अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु आवेदक को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने का निर्णय लिया है।

प्रमाणित किया जाता है ;

(क) आवेदक पचास शैय्या वाले अस्पताल का स्वामित्व और प्रबंधन करता है, जिसे वर्ष ..... में स्थापित किया गया था।

(ख) जनहित में एक नया चिकित्सा संस्थान स्थापित करने अथवा नया उच्च पाठ्यक्रम आरंभ अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा ..... शुरू करना वांछनीय है। पाठ्यक्रम तथा

(ग) नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा (ट्रस्ट का नाम) द्वारा ..... पाठ्यक्रम शुरू करना संभव है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित अथवा वर्तमान मौजूदा चिकित्सा संस्थान (होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज) के पास लागू न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक लागू न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर मानदंडों के अनुरूप होम्योपैथी महाविद्यालय हेतु बुनियादी ढांचा बनाने में विफल रहता है तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अथवा केंद्र सरकार द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले प्रवेश ले चुके छात्रों की जिम्मेदारी लेगी ।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है ।

आपका विश्वासी,

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर सहित

प्रपत्र-5

(विनियम 5 का उप-विनियम (1) खंड (छ) देखें))

संबद्धता हेतु सहमति

संख्या .....

विश्वविद्यालय.....

स्थान:_____

दिनांक: _____

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर -------- विश्वविद्यालय प्रस्तावित होम्योपैथी महाविद्यालय को (आवेदक का नाम) .....सीट की प्रवेश क्षमता के साथ .....(स्थान) पर प्रवेश क्षमता-------से-------सीटों तक ---------- पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम आरंभ अथवा अध्यक्ष, चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, अधिनियम 2020 की धारा _____ तथा इसके अधीन नियमों के अंतर्गत संबद्ध करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है।

आपका विश्वासी,

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

नोट:- आवेदक को संबद्धता की सहमति जारी करते समय, प्रस्तावित होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट के साथ इसकी एक प्रति निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष, एमएआरबीएच, 61-65, डी-ब्लॉक रोड, औद्योगिक क्षेत्र, जनकपुरी, दिल्ली-110058 को प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय अथवा संस्थान के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से अनुमति के अधीन हर साल संबद्धता जारी रखने या संबद्धता की सहमति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253041
CG-DL-E-15032024-253041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

मि.सं.10-2/हो.चि.आं.एवं श्रे.बो/रा.हो.आ/2023-24– राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,2020 (2020 का 15) के साथ पठित धारा (28) की धारा 55 की उप- धारा (2) की उप-धारा (1) तथा खण्ड (फ),(ब), (भ), (म), (य), (य)(ख) और (य)(ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निरीक्षक तथा आगंतुक) विनियम,1982 के अधिक्रमण में, उनको जो कि इन विनियमों से पहले निकाले अथवा रखे जाने थे, को छोड़ कर, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**-(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणी निर्धारण) विनियम, 2024 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं– (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनयम, 2020 (2020 का 15) है;

(ख) "सम्बद्ध अस्पताल" का तात्पर्य होम्योपैथी आयुर्विज्ञान शैक्षणिक महाविद्यालय संस्थान के साथ सम्बद्ध अस्पताल है;

(ग) "पाठ्यक्रम से तात्पर्य होम्योपैथी अध्ययन पाठ्यक्रम, अर्थात:-

(i) होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक, से तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक होम्योपैथी स्नातक अर्हता,

(ii) "आयुर्विज्ञान वाचस्पति (होम्योपैथी) अथवा होम्योपैथी में स्नातकोत्तर" डिग्री से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक होम्योपैथी स्नातकोत्तर अर्हता,

(iii) अन्य कोई आयुर्विज्ञानी अहर्ता पाठ्यक्रम जो कि होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा होम्योपैथी में स्नातक स्तर से ऊपर की मान्यता प्राप्त अर्हता जिसमें प्रशिक्षण अथवा अधि- सदस्यता (फैलोशिप) शामिल है।

(घ) "प्रपत्र " से तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न प्रपत्र है;

(ङ) "योजना" से तात्पर्य किसी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए मान्यता तथा श्रेणी निर्धारण के लिए सूचना प्रदान करने हेतु व्यवस्थित योजना,

(च) न्यूनतम आवश्यक मानकों' का अर्थ होम्योपैथी शिक्षा संस्थान में होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं के संचालन के लिए निर्धारित मानकों से है और इसमें चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता के मानदंड शामिल हैं;

(छ) 'निरीक्षक' का अर्थ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा नियुक्त या होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष की एजेंसी के द्वारा निर्धारित विशेषज्ञों की एक टीम से है, जो होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के परीक्षण कर आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण और रखरखाव के लिए चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करता है।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जोकि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम मे समनुदेशित किए गए हैं।

3. आयुर्विज्ञान संस्थान का आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण प्रक्रिया – (1) प्रत्येक वर्तमान चिकित्सा संस्थान को न्यूनतम आवश्यक मानकों के रखरखाव के मूल्यांकन के लिए "होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड को निर्दिष्ट शुल्क के साथ वार्षिक आधार पर प्रासंगिक अनुबंधों के साथ ऑफ़लाइन अथवा ऑनलाइन विधि द्वारा, संरचित प्रारूप में जानकारी जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जैसा कि विनियम के माध्यम से श्रेणीनिर्धारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

(2) आवश्यक शुल्क के साथ जमा करने की निर्दिष्ट केवल अंतिम तिथि अथवा उससे पहले प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

(3) चिकित्सा संस्थान आवेदन के साथ विश्वविद्यालय का विगत वर्ष का संबद्धता निरंतरता प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) सभी योग्य चिकित्सा संस्थानों को खोलने हेतु पांच वर्ष की अवधि के बाद तथा तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष, निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अधीन रखरखाव हेतु आंकलन अथवा श्रेणीनिर्धारण किया जाएगा।

(5) ऐसे सभी दस्तावेज़ जो अंग्रेजी अथवा हिंदी में नहीं हैं, उनका अनुवाद किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्नन किया जाएगा।

(6) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड ऐसे संस्थान का आंकलन के पश्चात आवश्यक मानकों को बनाए रखने के अनुपालन के संदर्भ में चिकित्सा संस्थान की पूर्ति का सत्यापन करेगा ।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण के उद्देश्य से किसी भी समय किसी भी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान से कोई जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज अथवा डिजिटल सामग्री मांग सकता है ।

4. आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला शुल्क - विनियमानुसार जमा किए गए आवेदन के साथ निम्नलिखित तालिका-1 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली को देय होगा।

तालिका-1

वर्तमान होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय			
शुल्क	**राशि (रू०)**		
	स्नातक पाठ्यक्रम	केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	दोनों स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
आंकलन हेतु शुल्क प्रसंस्करण	दो लाख	तीन लाख	चार लाख

नये होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु		
शुल्क	**राशि (रू०)**	
आंकलन हेतु शुल्क प्रसंस्करण	स्नातक पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (प्रति विषय)
	पाँच लाख	दो लाख

सीटों की वृद्धि हेतु		
आंकलन हेतु शुल्क प्रसंस्करण	चार लाख	पच्चीस हजार प्रति सीट

5. स्व-प्रकटीकरण के आधार पर वर्तमान संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्यता विस्तारण- (1) सभी मान्यता प्राप्त मौजूदा होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान जो कि जिनकी स्थापना को पांच साल से अधिक है तथा जिन्हें होम्योपैथी या आयोग

या भारत सरकार, चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड से पिछले तीन वर्षों से लगातार अनुमति प्राप्त हो, उन्हें स्व-प्रकटीकरण के आधार पर आयोग के वेब पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम आवश्यक मानकों के पूर्ण अनुपालन के संदर्भ में शपथ पत्र के साथ इन विनियमों में अधिसूचित विगत वर्ष की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार अगले वर्ष हेतु प्रवेश के लिए मान्यता का विस्तार मिलेगा। ऐसे महाविद्यालयों का विनियमों की आवश्यक अनुपालन के सत्यापन हेतु निरीक्षण किया जा सकता है। प्रवेश की अनुमति के विस्तार की सूचना जारी की जाएगी;

(i) यदि संस्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी अधिनियम की धारा 28 के खंड (च) उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत होम्योपैथी अथवा आयोग अथवा भारत सरकार आयुर्विज्ञान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) यदि संस्थान के खिलाफ कोई कानूनी अथवा अनुशासनात्मक मुद्दा लंबित अथवा विचाराधीन न हो।

(iii) यदि संस्थान ने निर्दिष्ट विनियमों अनुसार छात्रों के प्रवेश पर विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

(2) वर्तमान महाविद्यालय जो उपरोक्त उप विनिमय (1) की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें निरीक्षण के पश्चात ही आगामी शैक्षणिक वर्ष के विधार्थियों के प्रवेश हेतु अनुमति दी अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड निरीक्षण के पश्चात यदि संस्थान को नियमों के माध्यम से निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं करता हुआ पाता है, तो इस विनियमन की धारा 8 और 9 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(4) जो संस्थान प्रवेश हेतु अनुमति नहीं मांग रहे हैं अथवा जिन्हें विगत पांच वर्षों के दौरान लगातार अनुमति नहीं प्रदान की गई है, उन्हें नवीन कॉलेज के रूप में माना जाएगा, एवं वे संबंधित विनियमों के अन्यत्र अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार नया महाविद्यालय खोलने की योजना के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

6. आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु निरीक्षक अथवा स्वतंत्र श्रेणीनिर्धारण एजेंसियों की नियुक्ति प्रक्रिया - (1) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड के अध्यक्ष, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति के निरीक्षण हेतु आवश्यक संख्या में निरीक्षकों, प्राधिकृत तृतीय पक्ष एजेंसी की नियुक्ति करेंगे ।

(2) किसी भी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित योग्यताधारी न हो;

(i) आयोग के होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता सूची में शामिल एक मान्यता प्राप्त

स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री योग्यता तथा

(ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्वायत्त संस्थान में कम से कम पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना ।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और रुचि की अभिव्यक्ति तथा आयोग की मंजूरी के पश्चात, चिकित्सा अथवा गैर- चिकित्सा संस्थानों के स्वतंत्र आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु समान कार्य का अनुभव रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी की सेवाएं भी ले सकता है,

(4) विशेषज्ञों की टीम अथवा स्वतंत्र आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण एजेंसी न्यूनतम आवश्यक मानकों के आंकलन तथा संस्थानों के श्रेणीनिर्धारण हेतु जारी दिशानिर्देशों का पालन करेगी ।

7. चिकित्सा संस्थानों का आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु निरीक्षण प्रक्रिया – आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन बोर्ड निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक को बनाए रखने हेतु आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करने हेतु निरीक्षकों की इतनी संख्या अथवा प्राधिकृत तृतीय पक्ष की स्वतंत्र श्रेणीनिर्धारण एजेंसी के माध्यम से जितनी आवश्यक हो, नियुक्त करेगा।

(ख) निरीक्षण भौतिक अथवा ऑनलाइन अथवा हाईब्रिड पद्धिति से किया जाएगा,

(ग) संस्थान का अवलोकन इन विनियमों में निर्दिष्ट श्रेणीनिर्धारण मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) चिकित्सा संस्थानों की श्रेणीनिर्धारण प्रति वर्ष राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(ङ) निरीक्षण दल अथवा श्रेणीनिर्धारण एजेंसी को संस्थानों के प्राधिकारी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित, उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है,

(च) चिकित्सा संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण हेतु निरीक्षण रिपोर्ट को संलग्नकों सहित अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग की जानकारी गोपनीय रखा जाएगा । इसे एक सीलबंद लिफाफे में टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, रिपोर्ट की प्रति उसी दिन बोर्ड के आधिकारिक ईमेल पर ऑनलाइन जमा की जाएगी- ।

(छ) होम्योपैथी चिकित्सा एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय के पश्चात अवलोकन एवं श्रेणीनिर्धारण निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ज) यदि होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड अथवा आयोग द्वारा आवश्यक पाया गया, तो एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान एक महाविद्यालय का एक से अधिक निरीक्षण किए जा सकते हैं।

8 न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता- अवलोकन पर, यदि कोई संस्थान होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो सीटों की संख्या को कम करेगा अथवा प्रवेश की अनुमति प्रदान करने से इंकार करेगा अथवा उस विशेष शैक्षणिक वर्ष अथवा उसके पश्चात के वर्ष, जैसा भी मामला हो, की मान्यता वापस लेने हेतु आयोग को सिफारिश करेगा ।

9. शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता हेतु दण्ड प्रभार- होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड निम्नलिखित कारणों से चिकित्सा संस्थान के विरूद्ध दण्ड अथवा कार्रवाई करने की चेतावनी जारी करेगा:

(i) न्यूनतम मानक स्तर बनाये रखने के दावे के समर्थन में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा संस्थान पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा,

(ii) किसी शिक्षक अथवा किसी अन्य कर्मचारी को झूठा शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने हेतु चिकित्सा संस्थान पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, और

(iii) ऐसे चिकित्सा संस्थानों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा जिनकी पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त संकाय सूची में फर्जी शिक्षक हैं।

(iv) होम्योपैथी के लिए चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, निर्दिष्ट समयबद्ध रूप में न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर बनाए रखने हेतु कमियों को दूर करने के निर्देशों के अतिरिक्त चिकित्सा संस्थान को चेतावनी भी जारी कर सकता है;

(v) यदि पाया गया कि निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर कमियों को दूर करने में संस्थान असफल रहता है तो चिकित्सा संस्थान पर आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक दंड लगाया जाएगा;

(vi) चिकित्सा संस्थान पर लगाए जाने वाले दण्ड प्रभार की राशि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के खाते में जमा की जाएगी;

(vii) यदि आर्थिक दण्ड समय पर आयोग में जमा नहीं कराया जाता है, तो आगामी वर्ष हेतु चिकित्सा संस्थान को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

10. नये चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु योजना के मूल्यांकन हेतु निरीक्षण-(1) नये चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं का मूल्यांकन के पश्चात (प्रपत्र-1) में अपेक्षित शुल्क के साथ आवश्यक जानकारी तथा दस्तावेज जमा करने के उपरांत एक निरीक्षण पर विचार किया जाएगा।

(2) नये संस्थान को आशय पत्र जारी करने से पहले निम्नलिखित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात; - (क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों और न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन;

(ख) आवश्यक योग्यता तथा अनुभव को पूरा करने वाले आवश्यक संकाय की लिखित सहमति, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपलब्धता;

(ग) वर्तमान होम्योपैथी अस्पताल के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसा कि चिकित्सा संस्थान के लिए आवश्यक हों, प्रदान की गई हैं;

(घ) आयोग के प्रारूप के अनुसार परिसर का निरीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र,

(ङ) निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आयोग के प्रारूप में जारी सम्बद्ध विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की

वैध सहमति।

(3) नई योजना का आवेदन, यदि आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार तथा उप-विनियम (2) के तहत पूरा प्रदान नहीं किया गया है, तो वापस कर दिया जाएगा ।

(4) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड निरीक्षण के माध्यम से नई योजना के लिए होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों तथा सुविधाओं के निरीक्षण के पश्चात आशय पत्र जारी करेगा ।

(5) नये चिकित्सा संस्थान की स्थापना के प्रथम वर्ष से पांच वर्ष के दौरान एवं उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से आवश्यक शुल्क के साथ आंकलन, न्यूनतम आवश्यक मानक तथा श्रेणीनिर्धारण के मूल्यांकन हेतु निरीक्षण किया जायेगा ।

(6) नये संस्थान का होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार चरणबद्ध विकास का मूल्यांकन किया जाएगा।

(7) अस्पताल सहित चिकित्सा संस्थान के सुचारू कामकाज हेतु निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, शिक्षण तथा गैर-शिक्षण संकाय, चिकित्सा तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ, तथा अन्य उपयुक्त आवश्यक सुविधाओं के अनुपालन हेतु निर्धारित

मानदंडों के अनुसार जैसा कि आशय पत्र में उल्लेखित हो तथा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(8)होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड महाविद्यालय के भौतिक निरीक्षण के पश्चात सभी सुविधाओं का सत्यापन करेगा, यदि महाविद्यालय में स्थापित सुविधाओं से संतुष्ट हैं तो वह महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल को एक शैक्षणिक वर्ष हेतु अनुमति जारी करेगा । यदि कोई आवश्यक सुविधाओं को संबोधित किया गया नहीं पाया गया, तो आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति पत्र, जैसा भी मामला हो, जारी नहीं किया जाएगा, अथवा रद्द कर दिया जाएगा ।

(9) अनुमति पत्र उस विशेष शैक्षणिक वर्ष हेतु ही जारी किया जाएगा जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ है ।

(10) नये चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन, आवश्यक शुल्क के साथ खुलने की तिथि एवं वर्ष से पांच वर्ष तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(11) नए संस्थान का आंकलन, न्यूनतम आवश्यक मानक तथा श्रेणीनिर्धारण हेतु नई योजना के चरणबद्ध विकास के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नयी योजना की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

11. नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण हेतु नई योजना का आंकलन - (1) एक चिकित्सा संस्थान द्वारा एक नया उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने हेतु निरीक्षण, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनियम के माध्यम से निर्दिष्ट आवेदन की पात्रता की आवश्यकता के अनुसार आंकलन के पश्चात विचार किया जाएगा।

(2) संस्थान का आंकलन आशय पत्र जारी करने से पहले निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा:

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नई योजना के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर, 2024 के अनुसार बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता।

(ख) चिकित्सा संस्थान के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, गैर-शिक्षण तथा सहायक कर्मचारी, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं में अतिरिक्त सुविधाएं व अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हों।

(ग) निरीक्षण के माध्यम से आंकलन के अनुसार पर्याप्त एवं क्रियाशील अस्पताल जिसमें सुविधाएं तथा कामकाज हो रहा हो;

(घ) विगत दो वर्षों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निरंतरता हेतु जारी संबद्धता प्रमाण पत्र सहित, संकायों और गाइडों की सूची,

(ङ) स्नातक पाठ्यक्रम को प्रभावित किए बिना विश्वविद्यालय द्वारा उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए संकायों को मंजूरी; तथा

(च) राज्य सरकार से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण करेगा, यदि आवेदक संस्थान योग्य पाया गया तो इस हेतु आशय पत्र जारी करेगा । एक चिकित्सा संस्थान द्वारा एक नया उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने हेतु आशय पत्र में निरीक्षक द्वारा अवलोकन के अनुसार भवन, ढांचागत सुविधाओं, चिकित्सा और संबद्ध उपकरण, संकाय तथा अन्य श्रमशक्ति की आवश्यकता की पूर्णता के संबंध में एक सूची शामिल होगी।

(4) नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के मामले में होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कमियों सुधारने का एक अवसर दिया जाएगा।

(5) कमियों को दूर न किए जाने की स्थिति में, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा योजना को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(6) मूल्यांकन के पश्चात अनुमति पत्र जारी किया जाएगा तथा आशय पत्र में इंगित शर्तों और आवश्यकताओं के अनुपालन व आयोग के पक्ष में आवश्यक प्रदर्शन बैंक गारंटी अथवा सुरक्षा जमा की प्राप्ति तथा नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने के नियमों के अनुसार आवश्यक संकाय, अन्य श्रमशक्ति तथा सुविधाओं की नियुक्ति।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले सभी सुविधाओं का सत्यापन किया जाएगा।

12. वर्तमान चिकित्सा संस्थान में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए योजना का आंकलन- (1) वर्तमान चिकित्सा संस्थान की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु निरीक्षण, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक स्तरों के अनुसार आवेदन पात्रता की आवश्यकताओं के आंकलन व अपेक्षित शुल्क के साथ आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा करने के पश्चात विचार किया जाएगा।

(2) प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन करने वाले वर्तमान चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान को आशय पत्र जारी करने से पूर्व निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंकलन किया जाएगा, अर्थात :-

(क) विभिन्न नियमों द्वारा अधिसूचित प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर, 2024 के अनुसार बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;

(ख)योजना में निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थान में उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक संकाय, गैर-तकनीकी और सहायक कर्मचारी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं; तथा

(ग) पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं अस्तित्व में कार्यरत हैं।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण करेगा और यदि आवेदक संस्थान योग्य पाया जाता है, तो आशय पत्र जारी करेगा।

(4) किसी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के आशय पत्र में भवन, बुनियादी सुविधाओं, चिकित्सा और संबद्ध उपकरण, संकाय तथा अन्य श्रमशक्ति के संबंध में पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का विवरण शामिल होगा।

(5) प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के मामले में, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर त्रुटि निवारण का अवसर दिया जाएगा।

(6) त्रुटि निवारण न किए जाने की स्थिति में योजना को चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर के रखरखाव पर विचार करने व आशय पत्र में इंगित आवश्यकताओं के अनुपालन तथा पूर्ति के मूल्यांकन के पश्चात ही अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(8) आयोग के पक्ष में आवश्यक निष्पादन बैंक गारंटी अथवा सुरक्षा जमा करने और आवश्यक संकाय तथा अन्य श्रमशक्ति की नियुक्ति।

(9) चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा अवलोकित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के मामले में, प्रवेश क्षमता में वृद्धि की योजना अस्वीकृत कर दी जाएगी।

13. चिकित्सा संस्थानों हेतु श्रेणीनिर्धारण मापदंड- (1) श्रेणीनिर्धारण के उद्देश्य हेतु चिकित्सा संस्थानों का आंकलन निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाएगा:

(i) बुनियादी ढांचा तथा उपकरण;

(ii) मानव तथा वित्त संसाधन;

(iii) अस्पताल संचालन तथा कार्यप्रणाली;

(iv) शिक्षण-प्रज्ञता कार्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी;

(v) शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन (पाठ्यक्रम परिणाम);

(vi) अनुसंधान और प्रकाशन

(vii) समाज तक पहुँचने हेतु कार्यक्रम;

(viii) कर्मचारी अथवा छात्र कल्याण;

(ix) राष्ट्रीय आंकलन और प्रत्यायन परिषद, अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, मानकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन;

(x) गुणवत्ता आश्वासन और प्रतिपुष्टि; और

(xi) संकाय और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण।

(2) औसत अंक प्राप्त करने के लिए, विनियमों में लागू आवश्यकताओं की विशिष्टताओं के अनुसार, चिकित्सा संस्थानों द्वारा बुनियादी ढांचे तथा श्रमशक्ति के संबंध में घटकों को पूरा किया जाना आवश्यक है।

(3) उच्चतम अंक ऐसे संस्थानों को दिए जाएंगे, जिन्होंने होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर तथा प्रत्यायन, अनुसंधान व प्रकाशन, शिक्षा गुणवत्ता पहल तथा अर्जित उच्च शैक्षिक सुविधाओं जैसे अन्य घटकों को हासिल कर लिया है।

(4) संस्थानों का श्रेणीनिर्धारण संबंधित वर्ष में प्रवेश आरंभ से पूर्व राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) चिकित्सा संस्थानों की वेबसाइट, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर उल्लेखित संस्थानों का श्रेणीनिर्धारण का लिंक अपलोड करेगी।

(6) आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(7) चिकित्सा संस्थानों को मूल्यांकन के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अंकों के आधार पर कॉलेजों को 'क ++' श्रेणी, ' क+' श्रेणी, ख+' श्रेणी, ' ख ' श्रेणी से लेकर ' ग ' श्रेणी तक वर्गीकृत किया जाएगा।

श्रेणी	**आवलोकन अंक**
क ++	80% से अधिक कुल अंक
क+	70% से 80% तक के कुल अंक
ख+	60% से 70% तक के कुल अंक
ख	50% से 60% तक के कुल अंक
ग	कुल अंकों के 50% से कम

14. होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा किसी योजना की अस्वीकृति तथा मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को प्रवेश अनुमति देने से इंकार करने पर अपील - (1) जहां प्रस्ताव प्राप्त होने के छह महीने के अंदर अथवा योजना की अस्वीकृति पर चिकित्सा अवलोकन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड द्वारा किसी योजना पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के तीस दिनों के अंदर आयोग में अपील कर सकता है।

(2) आयोग द्वारा विचार की जाने वाली अपील की प्रविधि, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सामान्य) विनियम, 2023 में प्रदान की XBZ है, अपील पर विचार करते समय आयोग उसी का पालन करेगा।

(3) जहां आयोग ने योजना को अस्वीकृत कर दिया है अथवा इन विनियमों के अंतर्गत अपील की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, संबंधित व्यक्ति ऐसे अस्वीकृति की सूचना के सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को दूसरी अपील कर सकता है।

15. अर्हता की मान्यता वापस लेना अथवा मान्यता रद्द करना- (1) निरीक्षण अथवा मूल्यांकन पर, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड चिकित्सा संस्थान को दी गई, किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त अर्हता की मान्यता वापस लेने अथवा मान्यता रद्द करने के लिए आयोग को निम्नलिखित कारणों से रिपोर्ट भेजेगा, अर्थात:-

(क) किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम तथा परीक्षा अथवा उम्मीदवारों से अपेक्षित दक्षता, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है; अथवा

(ख) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों और मानदंडों का किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तथा ऐसा विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में आवश्यक सुधारात्मक

कार्रवाई करने में विफल रहा है, आयोग उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकता है:

(ग) आयोग स्वत: संज्ञान लेकर जुर्माना लगाने अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता की मान्यता को वापस हेतु कार्रवाई आरंभ करेगा।

(घ) आयोग, संस्तुति पर राज्य की सरकार को जिसमें कि विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान स्थित है, लिखेगा। राज्य सरकार संबद्ध विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगेगी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आयोग को संस्तुति प्रषित करेगी।

(ङ) आयोग, जांच करने के पश्चात, जैसा उचित हो, तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा प्रशासन व संबंधित चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के पश्चात, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान की गई है, चिकित्सा अर्हता व होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, संबंधित विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान के खिलाफ बोर्ड द्वारा रखी गई सूची की प्रविष्टियों में संशोधन करने का निर्देश देगा ताकि ऐसी अहर्ता की मान्यता उस आदेश में निर्दिष्ट तिथि से वापस ले ली जाए।

(च) यदि उचित पाया गया, तो आयोग शिक्षा आयोग को निर्देशित करेगा कि प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सूची में संसोधन कर निर्धारित आदेश द्वारा प्रदत्त मान्यता को वापस ले सकता है तथा इसे आम जनता के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है।

16. होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के बंद होने की स्थिति - (1) आवश्यकता एंव पात्रता,-

(क) क्रमिक बंदी अथवा पूर्ण संवरण की मांग करने वाले वर्तमान संस्थान, संबंधित राज्य और संबद्ध विश्वविद्यालय की सिफारिशों के साथ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड पर आवेदन करेंगे।

(ख) क्रमिक बंदी के मामले में, प्रथम स्तर पर बंदी के आरंभ की अनुमति वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में दी जाएगी तथा बाद के वर्षों के कामकाज को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में क्रमिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। यद्यपि, अंतिम समापन आदेश सभी शैक्षणिक कोर्स के पूर्ण होने तथा कॉलेज द्वारा शपथ पत्र/वचनपत्र (प्रपत्र 1) में जमा करने के पश्चात जारी किया जाएगा।

(ग) पूर्ण बंद होने की स्थिति में, संस्थान को एक बार में पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

(घ) क्रमिक संवरण या पूर्ण संवरण, आयोग अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संस्थान के खिलाफ दायर किसी लंबित अदालती मामले के अधीन नहीं होना चाहिए।

(ङ) बंद महाविद्यालय न्यूनतम आवश्यक शिक्षा विनियमों में सूचीबद्ध अन्य पाठ्यक्रमों में आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

(च) महाविद्यालय बंद करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र विनियम के (प्रपत्र 2) के अनुसार होगा।

(2) प्रक्रिया:

(क) महाविद्यालय को विनियमों के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड को आवेदन करना होगा।

(ख) चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड अथवा जांच हेतु गठित समिति महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।

(ग) महाविद्यालय का बंद होना, आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रभावी होगा।

(3) वर्तमान संस्थानों के आवेदन जिन्होंने संस्थान को बंद करने हेतु आवेदन किया है, उन्हें संबद्ध विश्वविद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए शून्य छात्र प्रवेश के साथ अनुमति का विस्तार दिया जाएगा। ऐसे संस्थानों को सभी छात्रों के उत्तीर्ण होने (या) के बाद सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने चाहिए अथवा संबद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नजदीकी होम्योपैथिक महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा महाविद्यालय को आधिकारिक तौर पर बंद करने की मांग करनी चाहिए।

(4) महाविद्यालय को बंद करने का आवेदन उस पाठ्यक्रम की अवधि के लिए वैध होगा जिसके भीतर संस्थान को वॉछित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड, संबद्ध विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को सूचित करके आयोग की मंजूरी के पश्चात कॉलेज को बंद कर सकता है तथा इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। ऐसे संस्थानों के मामले में जहां बैंक गारंटी जारी करने से

पूर्व, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है, (सुरक्षा जमा मूल्य के अनुसार जुर्माना,) बैंक गारंटी वापस करने से पूर्व लगाया जाएगा।

17. छूट हेतु मार्गदर्शन:

आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श कर पहाड़ी, जनजातीय, उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा संस्थानों हेतु अथवा जैसा आयोग, केन्द्र सरकार से इस शर्त के अधीन कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होगी, यदि उचित समझे तो शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर में छूट देगा।

डॉ. के. आर.जर्नादनन नायर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./825/2023-24]

प्रपत्र -1

(विनियम-18(1)(आ) देखें)

शपथ पत्र/ वचन पत्र

(होम्योपैथी चिकित्सा माहविद्यालय शीर्ष पत्र पर जारी होगा)

सेवा में,

अध्यक्ष,

होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण बोर्ड

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

61-65, औद्योगिक क्षेत्र, जनक पुरी

नई दिल्ली -110058

संदर्भ : (नाम) होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय बंद करने वाबत.

महोदय,

हम निम्न वचन देते हैं अर्थात:-

(i) कि जब तक अध्ययनरत् सभी छात्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेते, तब तक महाविद्यालय आवश्यक धनराशि तथा बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर, संकाय व नैदानिक प्रशिक्षण आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ii) कि महाविद्यालय उन छात्रों के लिए भी ऐसी सभी व्यवस्थाएं करेगा जो असफलता के कारण पिछड़ रहे हैं।

(iii) कि महाविद्यालय नियमित छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों के साथ साथ असफलता के कारण पीछे रहने वाले छात्रों की सर्तकता राशि वापस करने का दायित्व वहन करेगा।

(प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित)

प्रपत्र -2

(विनियम-18(1) (ऊ) देखें)

महाविद्यालय बंद करने का प्रस्ताव:

(आवेदक द्वारा 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप।

मैं या हम <नाम> अध्यक्ष, <ट्रस्ट सोसाइटी का नाम> सचिव, <ट्रस्ट या सोसाइटी का नाम>, पुत्र .....आयु ..... , सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान, कथन और वचन देते हैं कि महाविद्यालय को बंद करने

हेतु.....विश्वविद्यालय को <कॉलेज का नाम और पता> के हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने हेतु ।

(अ) नतीजतन, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ट्रस्ट (ट्रस्ट का नाम और पूरा पता) इसके लिए जिम्मेदार है

(आ) इस पाठ्यक्रम में पूर्व से ही प्रवेशित छात्रों की शिक्षा तथा परीक्षा संबंधी कार्य पूरा होने तक।

(इ) ऐसे छात्रों तथा सभी कर्मचारियों (शिक्षण व गैर-शिक्षण) के प्रशासनिक मुद्दे।

(ई) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग या भारत सरकार के खिलाफ कोई अदालती मामला लंबित नहीं है। विश्वविद्यालय, (स्थान)

(उ) कोई रैगिंग अथवा महिला उत्पीड़न अथवा पुलिस का मामला लंबित नहीं है।

(ई) मानदंडों के गैर-अनुपालन के संबंध में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अथवा संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की गई।

वचनपत्र निष्पादित करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(मुहर) के साथ उसकी आधिकारिक स्थिति

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त हलफनामे में बताए गए तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं । इसका कोई भी भाग गलत नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें छिपाया नहीं गया है।

इस पर <दिनांक> पर <स्थान का नाम> सत्यापित किया गया।

साक्षी

(निष्पादकों की मुहर का नाम, पदनाम और पता)



होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227316
CG-DL-E-01062021-227316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943
No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सा.का.नि. 358(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति), नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रकृत होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

"अधिनियम" से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) अभिप्रेत है;

"आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग है;

"धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके क्रमश: दिए गए हैं।

3. धारा 34 की उप-धारा (1) के पहले परन्तुक के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति- (1) आयोग, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' में प्रत्येक छह मास में एक बार केंद्रीय सरकार को होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग, उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूपों को पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट (पीडीएफ) में इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा प्रस्तुत करेगा और उसकी दो हार्ड प्रति आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के मामलों के प्रभारी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव को स्पीड पोस्ट से भेजेगा।

अनुसूची

प्रारूप 'क'

(नियम 3 देखें)

राज्य रजिस्टर अथवा राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं वाले चिकित्साभ्यासियों की सूची

क्र.सं.	वृत्तिक का नाम (बड़े अक्षर में) नवीनतम फोटो के साथ	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)	पत्र-व्यवहार का वर्तमान पता	स्थायी पता	आधार संख्या	ई-मेल पते के साथ फोन, फैक्स और मोबाइल नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

जन्म की तारीख और राष्ट्रीयता	प्राप्त की गई चिकित्सा उपाधि या डिप्लोमा का नाम और विश्वविद्यालय तथा अर्हता उत्तीर्ण करने का मास और वर्ष	रजिस्ट्री की विशिष्टियां: (i) रजिस्ट्रीकरण संख्या: (ii) रजिस्ट्रीकरण की तारीख: (iii) रजिस्टर का/के नाम (राष्ट्रीय/राज्य) (iv) क्या रजिस्ट्रीकरण नवीकरणीय है या स्थायी है:	अध्यापन या अनुसंधान या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूर्ण पता सहित अस्पताल या संस्थान का नाम	संस्था या अस्पताल में उस व्यक्ति का नाम, जो संबंधित डॉक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली रोगी की देखभाल संबंधी विधिक मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्ररूप ख

(नियम 3 देखें)

धारा 34 की उप-धारा(1) के दूसरे परन्तुक के अधीन सीमित अवधि के लिए भारत में व्यवसाय करने की अनुता प्रदान करने और भारत के बाहर से चिकित्सा अर्हताएं धारण करने वाले होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची।

क्र.सं.	वृत्तिक का नाम (बड़े अक्षर में) नवीनतम फोटो के साथ	पिता का नाम (बड़े अक्षर में)	वर्तमान पत्राचार का पता पता	स्थायी पता	पासपोर्ट संख्या	ई-मेल पते के साथ फोन, फैक्स और मोबाइल नम्बर	वीजा के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जन्म तिथि और राष्ट्रीयता	प्राप्त की गई चिकित्सा उपाधि या डिप्लोमा का नाम और विश्वविद्यालय तथा अर्हता उत्तीर्ण	चिकित्साव्यवसाय के लिए भारत में पूर्व में किया गया दौरा, यदि हां, तो पूर्व में किए गए दौरे की तारीख,	क्या आप किसी अन्य देश में भी रजिस्ट्रीकृत हैं? यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण की	क्या आप अपने देश में एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हैं? यदि हां तो

	करने का मास और वर्ष	अवधि और स्थान।	संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित उस निकाय या संगठन या संस्थान का नाम जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं।	रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति नम्बर और तारीख सहित उस निकाय या संगठन या संस्थान का नाम जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

क्या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति नवीकरणीय है या स्थायी है।	अध्यापन या अनुसंधान या चिकित्सा व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूर्ण पता सहित अस्पताल या संस्थान का नाम।	प्रशिक्षण या अनुसंधान या चिकित्सा व्यवसाय की अवधि।	भारत में संस्था या अस्पताल में उस व्यक्ति का नाम, जो संबंधित डॉक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली रोगी की देखभाल संबंधी विधिक मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा।	भारत में नियोजन अस्थायी या स्थायी था, विनिर्दिष्ट करें।
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

[फा. सं. आर-21011/10/2020-ईपी-III]

पी.एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247662
CG-DL-E-27072023-247662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945
No. 441] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 561(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति) नियम, 2021 के, नियम 3 के उप-नियम (2) में, "प्रस्तुत करेगा और उसकी दो हार्ड प्रति आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के मामले के प्रभारी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव को स्पीड पोस्ट से भेजगा" शब्दों के स्थान पर "आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के मामलो मे प्रभारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव को प्रस्तुत करेगा।" शब्द रखे जायेंगे ।

[फा. सं. आर 21011/10/2020-EP-III]

राहुल शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 358 (अ), तारीख 1 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–14122022–241077
CG-DL-E-14122022-241077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944
No. 655] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 दिसम्बर, 2022

मिसिल सं 2-11/2021-BERH/NCH/11050.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की उप-धारा (1) और खंड (य च), (य छ), (य ज), (य झ) और (य ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 55 की उप- धारा (2) के साथ पठित धारा 32, 33 और 34 व्यवसायी(वृतिक आचरण,शिष्टाचार और नैतिक्ता संहिता) विनियम,1982 में उनके सिवाय जो कि अधिक्रमण से पहले रखी अथवा या छोड़ी गई हैं द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-**(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022 होगा ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं–** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(अ) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(आ) "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" का तात्पर्य एक ऐसा मिशन है जो एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थिति की तंत्र बनाने का प्रयास कर एक कुशल, सुलभ, समावेशी, वहन योग्य, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है, यह आंकडो की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सूचना और बुनियादी ढांचा,

विधिवत खुला उपयोग, अंतर-प्रचालनीय, मानक आधारित डिजिटल प्रणाली और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और एकांतता सुनिश्चित करता है ।

(इ) "होम्योपैथी साभ्यासी " में शामिल है, होम्योपैथी चिकित्सा साभ्यासी, होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त चिकित्सक, होम्योपैथी के चिकित्सक शामिल हैं, जो इस समय होम्योपैथी के लिए किसी भी राज्य पंजीका या केंद्रीय पंजीका या होम्योपैथी राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकृत हैं;

(ई) "धारा" का अर्थ अधिनियम की धारा है;

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो कि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम मे समनुदेशित किए गए हैं।

3. **घोषणा और शपथ** - पंजीकरण के समय, प्रत्येक आवेदक को परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार संबंधित होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के पंजीयक (रजिस्ट्रार) को आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा और शपथ प्रस्तुत करनी होगी ।

अध्याय -II

सामान्य सिद्धांत

4. होम्योपैथी सभ्यासी का चरित्र - **(1)** चिकित्सा वृत्ति का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण आदर के साथ मानवता की सेवा करना है और इसमें वित्तीय एक लाभ गौण विचार है ।

(2) जो कोई भी चिकित्सा वृत्ति अपनाता है वह अपने आपको इसके आदर्शों के अनुरूप आचरण करने के लिए आबद्ध करता है । वह पूर्णत: शिक्षित व्यक्ति होगा अथवा होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड दोनों में पंजीकृत होगा । वह अपने चरित्र को शुद्ध रखेगा/गी और बीमारों की देखभाल तत्परतापूर्वक करेगा । वह विनीत, सरल सहनशील तथा तत्पर रहेगा । वह कर्तव्यनिष्ठ होगा और अपनी वृत्ति में और अपने जीवन के सभी कार्यों में औचित्यपूर्ण आचरण करेगा/ गी ।

5. चरित्र और नैतिकता के मानक-(1) चिकित्सा व्यवसाय प्रत्येक होम्योपैथी साभ्यासी से उच्चतम स्तर के चरित्र और नैतिकता की तथा व्यवसाय व कर्तव्य के स्तर को प्राप्त करने की अपेक्षा करता है । होम्योपैथी साभ्यासी होने के नाते वह सभी मामलों में संयम से कार्य करे, क्योंकि चिकित्सा के अभ्यास में एक स्पष्ट और सशक्त के निरंतर उपयोग की आवश्यकता होगी है ।

(2) होम्योपैथी का एक चिकित्सक मानवता को सेवाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ अपने पेशे की गरिमा और सम्मान को बनाए रखेगा और पुरस्कार और वित्तीय लाभ गौण होंगे।

6. होम्योपैथी साभ्यासी की उत्तरदायित्व – होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा के लिये उसके पास आये रोगियों का विश्वास अर्जित करेगा और प्रत्येक की पूरी सेवा करेगा और ध्यान रखेगा । चिकित्सा व्यवसाय के मान्य आदर्शों के अनुसार व्यवसायी का उत्तरदायित्व न केवल व्यक्तियों अपितु समस्त समाज के प्रति होगा । अत: चिकित्सक को अपने ज्ञान एवं कौशल में लगातार सुधार करते रहना चाहिए और ऐसे ज्ञान का लाभ रोगियों और सहकर्मियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए ।

7. नुस्खा प्रलेखन और चिकित्सा प्रमाण पत्र - (1) होम्योपैथी चिकित्सक रोगी को बहत्तर घंटे के भीतर उस व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर या आवश्यक होने पर नुस्खा प्रदान करेगा । और मांगे जाने पर रोगी को चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जारी करेगा । वह कम से कम तीन वर्षों तक रिकॉर्ड के लिए में चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति रखेगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप इन विनियमों के परिशिष्ट-III के प्रारूप के अनुसार होगा ।

(2) होम्योपैथी का चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार अपने क्लिनिक में प्रत्येक नुस्खे पर पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, या वह मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, सदस्यता, सम्मान, अपने नाम के पीछे प्रदर्शित करेगा/गी ।

(3) होम्योपैथी चिकित्सक जिसकी अर्हता होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, **1973 (1973** का **59)** की दूसरी या तीसरी अनुसूची में या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की मान्यता प्राप्त अर्हता की सूची में शामिल हो, अपने नाम के पहले उपसर्ग केरूपमें **"**डॉ०**"** लगा सकता है।

8. विज्ञापन-(1) होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से या समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा, तख्तियों द्वारा या सर्कुलर कार्ड या हैंडबिल के वितरण द्वारा रोगियों की याचना करना अनैतिक होगा ।

(2) होम्योपैथी का चिकित्सक किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार के माध्यम से अपने नाम, हस्ताक्षर के विषय के रूप में उपयोग नहीं करेगा, या दूसरों को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जो इस प्रकार का हो जो उस पर या उसकी व्यावसायिक स्थितियॉ कौशल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए या जैसा कि सामान्यत: होता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्म-उन्नति होती है।

परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी निम्नलिखित मामलों में मीडिया में औपचारिक घोषणा कर सकता है, अर्थात्:

(i) अपना साभ्यास प्रारंभ करना;

(ii) पते में परिवर्तन;

(iii) कार्य से अस्थायी अनुपस्थिति;

(iv) चिकित्सा व्यवसाय पुन; प्रारंभ करना;

(v) किसी अन्य व्यक्ति के चिकित्सा व्यवसाय का उत्तरवर्ती होना;

(vi) किसी भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण।

(3) होम्योपैथी का चिकित्सक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य सूची या निर्माण फर्मों या व्यापारियों की प्रचार सामग्री के माध्यम से स्वयं को विज्ञापित नहीं करेगा जिनके साथ वह किसी भी क्षमता में जुड़ा हो सकता है, नही वह रोगियों से प्राप्त किसी केस, ऑपरेशन या धन्यवाद पत्रों को गैर-व्यवसायिक समाचार पत्रों या जर्नल में प्रकाशित करेगा।

परन्तु उसे विवरण-पत्रिका या निर्देशिका, तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के संबंध में अपना नाम प्रकाशित करने की अनुमति होगी ।

(4) होम्योपैथी चिकित्सक को विभिन्न – ई- प्लेटफ़ॉर्म पर आपत्तिजनक दावों का पालन या प्रचार या अभ्यास करने और ऐसे अनैतिक दावों के अनुसार नुस्खे का उपयोग करने जो प्रक्रिया की प्रतिष्ठा को खराब करने की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु इन विनियमों में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, यदि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता के मामलों में अपने नाम के तहत मीडिया में डालने के लिए लिखता/ती है या बिना किसी विशिष्ट उपचार या नुस्खे का सुझाव दिए कभी-कभी सार्वजनिक व्याख्यान देता है, स्वास्थ्य या स्वच्छता से संबंधित टेलीविजन या रेडियो पर वार्ता करता है।

(5) परन्तु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म होम्योपैथी साभ्यासी द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सेवाओं की खोज करने में सक्षम बनाना इस विनियम के उद्देश्य के लिए रोगियों की याचना नहीं माना जाएगा।

9. व्यवसायिक सेवा- (1) अभ्यास में लगे होम्योपैथी चिकित्सक ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और विशेष रूप से उस समय रोगी को सूचित करेंगे,जब चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है।

(2) होम्योपैथी साभ्यासी के विवेक पर शुल्क कम किया जा सकता है और वह सदैव गरीबी को सेवाओं के लिए वैध दावों को प्रस्तुत करने के रूप में स्वीकार करेगा;

(3) "फायदा नहीं, भुगतान नहीं" का अनुबंध करना अनैतिक होगा ।

अध्याय-III

होम्योपैथी चिकित्सकों के अपने रोगियों के प्रतिकर्तव्य

10. रोगियो के लिए दायित्व –अत्यावश्यकता के दौरान, होम्योपैथी चिकित्सक, मानवता और व्यसाय की महान परंपराओं के लिए, न केवल रोगी और घायलों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा, बल्कि अपने उच्च चरित्र या उसका मिशन और उत्तरदायित्व जो वह अपने व्यसायिक कर्तव्यों के निर्वहन में वहन करता/करती है; अपनी विशेषज्ञता के दायरे और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, के प्रति भी सचेत रहेगा ।

11. रोगी को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए - (1) होम्योपैथी चिकित्सक यह चुनने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह किस का इलाज करेगा; परन्तु वह किसी आपात स्थिति में या जब भी उससे सेवा की अपेक्षा की जाती है या आपात स्थिति में,

होम्योपैथी चिकित्सक रोगी का इलाज करेगा, उसकी सहायता के लिए किसी भी अनुरोध के प्रति प्रतिक्रिया देगा, परन्तु वह अपनी विशेषज्ञता की सीमा के कारण इलाज से इनकार कर सकता है; और रोगी को रोगी के हित में किसी अन्य उपयुक्त चिकित्सक या स्वास्थ्य केंद्र में पास रेफर कर सकता है।

(2) एक बार रोगी को लेने के बाद, होम्योपैथी चिकित्सक रोगी की उपेक्षा नहीं करेगा और न ही रोगी को उसके रिश्तेदारों या उसके जिम्मेदार मित्रों के माध्यम से पर्याप्त समय पहले, जिसमें कि वे होम्योपैथी के किसी और चिकित्सक का प्रबंध कर सकें, नोटिस दिए बिना रोगी को नहीं छोड़ेगा।

12. लापरवाही के कार्य - (1) कोई भी होम्योपैथी चिकित्सक जानबूझ कर लापरवाही कार्य नहीं करेगा जो उसके रोगी को आवश्यक चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दे ।

(2) होम्योपैथी चिकित्सक से सेवाओं में उचित परिश्रम और कौशल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि समान योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों वाले अन्य किसी होम्योपैथी चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है।

(3) होम्योपैथी चिकित्सक के कमीशन या चूक के कार्य को उसके या उसके द्वारा अपेक्षित व्यसायिक सेवा के किसी भी गैर-होम्योपैथी के मानकों द्वारा नहीं आंका जाएगा; परन्तु उन मानकों के अनुसार आंका जाएगा जिसकी किसी होमियोपैथ से उसके प्रशिक्षण, स्थिति और अनुभव की अपेक्षा की जाती है।

(4) होम्योपैथी चिकित्सक होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार और फार्माकोपियल मानकों के अनुसार जो लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है, तैयार की गई किसी भी दवा का उपयोग करेगा और आधुनिक जांच तकनीकों सहित अन्य आवश्यक उपायों को अपनाएगा अर्थात रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, एवं अन्य जो निदान और उपचार की अनुवर्ती क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।

13. होम्योपैथी चिकित्सक को कानून और विनियमों का अनुपालन करना होगा –

होम्योपैथी चिकित्सक,

अ. होम्योपैथी अभ्यास को विनियमित करने वाले कानूनों के विपरीतकार्य नहीं करेंगे;

आ. होम्योपैथी अभ्यास को विनियमित करने वाले कानून की अवज्ञा करने में दूसरों की सहायता नहीं करेंगे;

इ. सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन में सहायता के लिए कार्य करेंगे;

ई. होम्योपैथी चिकित्सक, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23), औषध और प्रसाधन नियम 1945, भेषज अधिनियम, 1948 (1948 का 8), स्वापक औषध और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34), मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42), विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), और जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और निष्पादन) नियम, 1998, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29), गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) और ऐसे अन्य संबंधित अधिनियम और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित स्थानीय प्रशासनिक निकायों के समय-समय पर संशोधित नियम, के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

14. रोगियों के प्रति व्यवहार – होम्योपैथी चिकित्सक का अपने रोगियों के प्रति व्यवहार सदैव विनम्र, सहानुभूतिपूर्ण, मैत्रीपूर्णऔरसहायकहोनाचाहिएऔरप्रत्येक रोगी का सावधानी एवं ध्यान पूर्वक इलाज किया जाना चाहिए।

15. पूर्वानुमान- (1) होम्योपैथी चिकित्सक रोगी की स्थिति की गंभीरता को न तो बढ़ा-चढ़ाकर पेश करेगा और नही उसे कम करेगा और वह सुनिश्चित करेगा कि रोगी, उसके रिश्तेदार या जिम्मेदार दोस्तों को रोगी की स्थिति के बारे में जो कि रोगी और या उसके परिवार के सर्वोत्तम हित में हो,जानकारी दे ।

(2) गंभीर अभिव्यक्तियों के मामलों में, आवश्यक होने पर वह परिवार या रोगी के अधिकृत परिचारक और रोगी को भी समय रहते नोटिस देगा।

16. निजता, गोपनीयता और मेडिकल रिकॉर्ड की नैतिकता (धैर्य, विनम्रता और गोपनीयता)–

गोपनीयता, धैर्य और विनम्रता बनाए रखना होम्योपैथी चिकित्सक के दृष्टिकोण का प्रतीक या चरित्र होना चाहिए और रोगियों द्वारा किसी चिकित्सक को बताए गए व्यक्तिगत या घरेलू जीवन के बारे में विश्वास और चिकित्सा उपस्थिति के

दौरान देखे गए रोगियों के स्वभाव या चरित्र में दोषों का उसके द्वारा किसी को भी खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उनका प्रकटीकरण तत्कालीन कानूनों द्वारा आवश्यक न हो।

अध्याय-IV

होम्योपैथी चिकित्सक के व्यावसाय के प्रतिकर्तव्य

17. व्यसाय के सम्मान को कायम रखना – होम्योपैथी चिकित्सक, हर समय व्यसाय की गरिमा और सम्मान को बनाए रखेगा ।

18. मेडिकल सोसायटी की सदस्यता – अपने व्यसाय कीउन्नति के लिए, होम्योपैथी चिकित्सक मेडिकल सोसायटी से संबद्ध हो सकता है और अपनी प्रगति के लिए अपना समय, ऊर्जा और साधन का योगदान कर सकता है ताकि वह व्यसाय के आदर्शों का बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रचार कर सके।

19. अनैतिक आचरण को उजागर करना – होम्योपैथी के चिकित्सक को,पेशे के किसी भी सदस्य के अक्षम, भ्रष्ट, बेईमान या अनैतिक आचरण का, बिना किसी भय या पक्षपात के उचित प्राधिकारी के सामने उजागर करना चाहिए।

20. अपंजीकृत व्यक्तियों के साथ संबंध या कदाचार में लिप्त होना – चिकित्सक होम्योपैथी अपंजीकृत चिकित्सकों और कदाचार में लिप्त चिकित्सकों के किसी भी व्यक्ति या समाज के साथ खुद को व्यसायिक रूप से संबद्ध नहीं रखेगा ।

21. प्रतिनिधि की नियुक्ति – जब भी होम्योपैथी चिकित्सक किसी अन्य होम्योपैथी के चिकित्सक से अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान अपने रोगियों की देखभाल करने का अनुरोध करता है, तो व्यसायिक शिष्टाचार,बाद वाले के द्वारा ऐसी नियुक्ति को स्वीकृत करने की अपेक्षा करता है, यदि यह उसके या उसके अन्य कर्तव्यों और उक्त चिकित्सक के अनुरूप हों, ऐसी नियुक्ति के तहत कार्यरत होम्योपैथी साभ्यासी, अनुपस्थित चिकित्सक के हितों और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक विचार करेगा और होम्योपैथी के रोगी या अनुपस्थित चिकित्सक से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लेगा, सिवाय उनके बीच एक विशेष व्यवस्था के मामले में और ऐसे रोगियों को होम्योपैथी के अनुपस्थित चिकित्सक के लौटने पर उनकी देखभाल में वापस कर दिया जाएगा।

22. साथी चिकित्सक को बिना शुल्क के सेवा.- (1) होम्योपैथी का चिकित्सक अपने पेशेवर भाई और उसके आश्रितों के लिए, यदि वे उनके आस पास हैं या एक चिकित्सा विद्यार्थी के लिए मुफ्त सेवा प्रदान करने के लिए इसे एक खुशी और विशेषाधिकार मानते हैं और उनकी सेवा के लिए शुल्क नहीं लेंगे।

(2) जब होम्योपैथी किसी चिकित्सक किसी अन्य होमियोपैथी चिकित्सक या उसके आश्रितों को उपस्थित होने या सलाह देने के लिए दूर से बुलाया जाता है, तो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

23. आपातकालीन दौरा - (1) होम्योपैथी साभ्यासी को आपातकालीन स्थिति में किसी अन्य होमियोपैथी चिकित्सक की देख-रेख में होने वाले किसी रोगी को देखने के लिए बुलाया जाता है, जब आपात काल समाप्त हो जाता है, तो बाद वाले के पक्ष में निवृत्त हो जाएगा; लेकिन वह अपनी सेवाओं के लिए रोगी से शुल्क लेने का हकदार होगा/होगी।

(2) जब होम्योपैथी किसी चिकित्सक से उसके अपने निवास पर परामर्श किया जाता है, तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह रोगी से पूछताछ करे कि क्या वह होम्योपैथी के किसी अन्य चिकित्सक से इलाज करवा रहाहै।

(3) जब होम्योपैथी का कोई चिकित्सक किसी अन्य होम्योपैथी चिकित्सक के अनुरोध पर किसी रोगी की जांच करता है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह रोगी के बारेमें अपनी राय बताने के साथ उपचार के तरीके को बताते हुए, जिसे उसे अपनाने की आवश्यकता है एक पत्र लिखे।

24. प्रसूति रोगी के लिए वचनबद्धता- (1) यदि होम्योपैथी के चिकित्सक को किसी महिला रोगी को उसकी प्रसूति के दौरान देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसे ऐसा करना होगा और किसी अन्य काम में लगे होने के बहाने ऐसा करने से इनकार करना अनैतिक माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब वह पहले से ही एक समान या अन्य गंभीर मामले में लगे हुए हैं।

(2) जब होम्योपैथी चिकित्सक जो एक प्रसूति रोगी को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, अनुपस्थित होता है और दूसरे को भेजा जाता है और प्रसव पूरा हो जाता है, तो होम्योपैथी का कार्यरत चिकित्सक अपने पेशेवर शुल्क का हकदार होगा; परन्तु पहले से लगे होम्योपैथी के चिकित्सक के आने पर मरीज से वापस जाने की सहमति प्राप्त करेगा।

25. जब किसी आधिकारिक पद पर आसीन होम्योपैथी के चिकित्सक की किसी बीमारी या चोट को देखने और रिपोर्ट करने की ड्यूटी होती है, तो वह उपस्थित रहने वाले होम्योपैथी के चिकित्सक को सूचित करेगा ताकि उसे उपस्थित होने का विकल्प दिया जा सके और होम्योपैथी के चिकित्सक को निदान या अपनाए गए उपचार पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

अध्याय V

परामर्श में होम्योपैथी चिकित्सक के कर्तव्य

26. परामर्श को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए – गंभीर बीमारी के मामलों में, विशेष रूप से संदिग्ध या कठिन परिस्थितियों में, होम्योपैथी चिकित्सक को विशेषज्ञों के परामर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे ऐसा, पेचीदा बीमारी में, चिकित्सीय गर्भपात में, आपराधिक गर्भपात कराने वाली महिला के इलाज में, विषाक्तता के संदिग्ध मामलों में, या जब रोगी या उसके प्रतिनिधि द्वारा वांछित हो, करना चाहिए ।

27. रोगी को होम्योपैथी के एक अन्य चिकित्सक के पास भेजा जाना- जब होम्योपैथी के इलाज कर रहे सभ्यासी द्वारा किसी मरीज को होम्योपैथी के किसी अन्य चिकित्सक के पास रेफर किया जाता है, तो रोगी का विवरण होम्योपैथी के बाद वाले चिकित्सक को दिया जाएगा और होम्योपैथी के बाद के चिकित्सक को एक बंद लिफाफे में लिखित रूप में अपनी राय सीधे होम्योपैथी के इलाज कर रहे चिकित्सक को देनी होगी।

28. टेली मेडिसिन द्वारा परामर्श – केंद्र या राज्य सरकार और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी टेली मेडिसिन साभ्यास दिशानिर्देशों के अनुसार होम्योपैथिक के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श की अनुमति होगी और वे अपने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म या समाधान या समय-समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं।

29. परामर्श में आचरण- (1) परामर्श में, होम्योपैथी के प्रभारी के बीच अनिष्ठता, प्रतिद्वंदिता या ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मामले के प्रभारी होम्योपैथी चिकित्सक को सभी उचित सम्मान दिया जाना चाहिएऔरकोई बयान या टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए उस पर जो रोगी के विश्वास को कम करती हो और इस प्रयोजन के लिए रोगी या उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

(2) रोगी या उसके या उसके प्रतिनिधियों को मामले के सभी बयान, अन्य सभी परामर्शदाताओं की उपस्थिति में दिए जाने चाहिए, सिवाय अन्यथा सहमति के और रोगी या उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को राय की घोषणा की परिचारक द्वारा की चाहिए

(3) विचारों में भिन्नता को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए; बशर्ते किराय में कोई न सुलझने वाला अंतर हो, परिस्थितियों को रोगी या उसके दोस्तों को स्पष्टरूप से और निष्पक्ष रूप से समझाया जाना चाहिए और रोगी के हित में यदि वे चाहें तो आगे की सलाह लेने के लिए उनके लिए सुविधा होनी चाहिए।

30. चिकित्सा उपचार के लिए सहमति:परामर्शदाता या अंतरिक रोगी विभाग (IPD) उपचार या नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए रोगी या रिश्तेदार या अभिभावक की कोई सहमति आवश्यक नहीं है और आपातकालीन स्थितियों के मामले में, रोगी या अभिभावक की सहमति प्राप्त की जाएगी और यदि कोई होम्योपैथी साभ्यासी ऐसा नहीं करता है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

परंतु आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उपचार, जहां समय न हो और रोगी का जीवन दांव पर लगा हो, पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना दिया जा सकता है और सहमति को निहित माना जाएगा।

31. परामर्श के बाद उपचार - (1) इलाज कर रहे होम्योपैथी चिकित्सक यह निर्णय ले सकते हैं उपचार परिवर्तन में बाद के बदलावों की आवश्यकता हो सकती है; परंतु अगले परामर्शों में इस तरह के बदलावों के कारणों को बताया जाए।

(2) इलाज कर रहे होम्योपैथी चिकित्सक की अनुपस्थिति के दौरान किसी आपातस्थिति के लिए भेजे जाने पर सलाहकार के पास अपने दायित्वों के साथ समान विशेषाधिकार होगा;

परंतु होम्योपैथी उपचार करने वाले चिकित्सक रोगी को किसी भी समय नुस्खा दे सकते हैं, जब रोगी होम्योपैथी के चिकित्सकों से परामर्श करता है।

32. सलाहकार मामले की जिम्मेदारी नहीं लेगा – जब होम्योपैथी चिकित्सक को सबसे दुर्लभ और सबसे असाधारण परिस्थितियों में एक सलाहकार के रूप में बुलाया जाता है, तो वह मामले के प्रभारी के परामर्श का कारण बताएगा और परामर्शदाता केवल रोगी या उसके मित्र के अनुरोध पर ऐसा नहीं करेगा। .

अध्याय VI

जनता के लिए होम्योपैथी चिकित्सकों के कर्तव्य

33. नागरिकों के रूप में चिकित्सक –विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सक, जहां वे रहते हैं, उस समुदाय के स्वास्थ्य के संबंध में सलाह देंगे और वे समुदाय के कानूनों को लागू करने और मानवता के हित को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे, स्वच्छता कानूनों और विनियमों के पालन और प्रवर्तन में अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाए गए औषधियों, विष एवं भेषज से संबंधित सभी कानूनों के प्रावधानों का पालन करेंगे।

34. सार्वजनिक स्वास्थ्य-(1) सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य में लगे होम्योपैथी चिकित्सक जनता को महामारी और संचारी रोग की रोकथाम के लिए संगरोध नियमों और उपायों के बारे में जानकारी देंगे और हर समय संचारी रोग के हर मामले के बारे में गठित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सूचित करेंगे जो उनकी देख-रेख के अंतर्गत हैं, स्वास्थ्य प्राधिकरणों के कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार और जब कोई महामारी फैलती है, तो होम्योपैथी चिकित्सक अपने स्वयं के स्वास्थ्य के जोखिम की परवाह किए बिना अपना श्रम जारीर खेगा।

35. वितरण – होम्योपैथी चिकित्सक को यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार सबसे स्वच्छ तरीके से अपने स्वयं के नुस्खे को तैयार करे और वितरण करे ।

अध्याय VII

कदाचार

36. वृत्तिक कदाचार-होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा किए जाने या चूकने के निम्नलिखित कार्य वृत्तिक कदाचार की श्रेणी मे होंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि, वह: -

क. इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता/करती है;

ख. होम्योपैथी के लिए आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा उसे दी गई पंजीकरण संख्या को अपने क्लिनिक में प्रदर्शित करने में विफल रहता/रहती है;

ग. अपने द्वारा जारी किए गए नुस्खे और प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड को बनाए रखने में विफल रहता/रहती है;

घ. व्यभिचार का अपराध या रोगी के साथ दुर्व्यवहार करता/करती है, या रोगी के साथ अनुचित संबंध बनाए रखता/रखती है;

ड. नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता/जाती है;

च. अपने नाम और अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रमाणपत्र, रिपोर्ट या संबंधित लोगों के चरित्र के दस्तावेज बनाता है या हस्ताक्षर करता/करती है जोअसत्य, भ्रामक और अनुचित हों ;

छ. औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके तहत बनाए गए नियमों से संबंधित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता/करती है;

ज. औषध और प्रसाधन अधिनियम,1940 (1940 का 23) और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिबंधित दवा या विष बेचता/बेचती हो;

झ. किसी अयोग्य व्यक्ति को गर्भपात या कोई बड़ा शल्य क्रिया करने हेतु प्रोत्साहित करता/करती हो;

ञ. अयोग्य या गैर-चिकित्सीय व्यक्ति को होम्योपैथी में अनुभव का प्रमाण पत्र जारी करता/करती हो:

परंतु इस खंड में निहित कुछ भी होम्योपैथी चिकित्सक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंतर्गत डॉक्टरों, दाइयों, डिस्पेंसर, परिचारकों या कुशल यांत्रिक और तकनीकी सहायकों के वैध कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण और निर्देश को रोक या प्रतिबंधित नहीं करेगा;

ट. किसी दवा विक्रेता की दुकान पर या ऐसे स्थान पर जहां वह निवास या कार्य नहीं करता है, एक साइन बोर्ड चिपकाता/ चिपकाती है;

ठ. पीठासीन न्यायाधीश के आदेश के तहत कानून की अदालत को छोड़कर, किसी रोगी की सहमति के बिना उसके रहस्य या गोपनीय जानकारी का खुलासा करता/करती हो जो इलाज के दौरान जाना गया है;

ड. होम्योपैथी आयोग या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता/करती हो:

परंतु इस खंड में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों के अनुसार नैदानिक दवा परीक्षण या रोगियों या स्वयं सेवकों से जुड़े अन्यशोध करता/करती हो;

ढ. रोगी की लिखित सहमति के बिना किसी मेडिकल या अन्य पत्रिका में पहचान के साथ रोगी की तस्वीरें या केस-रिपोर्ट प्रकाशित करता/करती हो, रोगी की पहचान के किसी भी प्रकटीकरण के बिना केवल केस रिपोर्ट प्रकाशित कर सकता/सकती है।

ण. फीस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता/करती हो:

परंतु इस खंड में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा यदि वह चिकित्सक परामर्श या प्रतीक्षा कक्ष में इसे प्रदर्शित करे;

त. मरीजों को बुलाने के लिए दलालों या एजेंटों का उपयोग करता/करती हो;

थ. आयोग द्वारा सूचीबद्ध संबंधित शाखा में विशेष योग्यता के बिना विशेषज्ञ होने का दावा करता/करतीहै;

द. उस संस्थान या क्लिनिक का नाम विज्ञापित या अधिसूचित करता/करती हो जिसमें कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है या उन बीमारियों के नाम नहीं बताए जातेहैं जिनका इलाज नहीं किया जाता हो;

ध. विज्ञापन में क्लिनिक या संस्थान चलाने वाले या रोगियों को देखने वाले डॉक्टर के नाम या तस्वीरें प्रकाशित करता/करती हो ;

न. धर्म या जाति के आधार पर मरीजों का इलाज करने से मना करता/करती है;

प. इन नियमों के परिशिष्ट-II में निर्दिष्ट कोई भी प्रमाण पत्र जारी करता/करती हो, जो गलत, असत्य, भ्रामक या अनुचित हो, उसका नाम राज्य और राष्ट्रीय दोनों होम्योपैथी चिकित्सा पंजीका से हटा दिया जाएगा;

फ. कोई अन्य आचरण करता/करती हो जो होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग के होम्योपैथी नैतिकता और विनियमन बोर्ड द्वारा कदाचार पाया गया हो;

ब. मादक अथवा या मदिरा क दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता/जाती है जिसे पेशेवर कदाचार माना जा सकता है;

भ. रोगियों का इलाज करता है या शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव से ऐसे कार्यों को करने में अयोग्य होने पर अन्य व्यसाय करता/करती हो ;

म. होम्योपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करता/करती हो:

परंतु इस खंड में निहित कुछ भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या निर्धारित किसी प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के तहत होम्योपैथी चिकित्सक के अभ्यास को नही रोकेगा या प्रतिबंधित किया जएगा ।

आगे इस विनियम के तहत वर्णित व्यवसायिक कदाचार के मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पूरी सूची नहीं बनाते हैं और होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद किसी भी तरह से किसी पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सक की ओर से किसी अन्य प्रकार के व्यवसायिक कदाचार पर विचार करने और उससे निपटने से नहीं रोकता है।

37. भेषजीय सतर्कता – होम्योपैथी चिकित्सक किसी भी होम्योपैथी भेषजी उत्पाद के प्रतिकूल असर यदि उसके द्वारा रोगी का इलाज करते समय देखा जाता है तो वह उपयुक्त अधिकारियों इसे रिपोर्ट करेगा, ।

38. होम्योपैथी चिकित्सक उचित नुस्खे और वितरण पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करेगा, अर्थात्: -

अ. होम्योपैथी दवाओं के उपयोग पर अद्यतन ज्ञान और दिशानिर्देशों से परिचित होंगे;

आ. उपचार की जा रही नैदानिक स्थिति के लिए आवश्यक मात्रा और अवधि के लिए ही दवाओं को लिखेंगे;

इ. उचित नैदानिक मूल्यांकन और निदान के बाद दवाएं लिखेंगे;

ई. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होम्योपैथी चिकित्सकों सुगम नैदानिक अभ्यास दिशानिर्देशों के अनुसार रोगियों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।

39. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का तरीका और शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया –

(1) जब होम्योपैथी का कोई चिकित्सक व्यवसायिक या नैतिक कदाचार का कोई कार्य करता है, तो राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड स्वत: या परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार और प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों और पहचान प्रमाण के साथ लिखित शिकायत में प्राप्त होने पर, शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई करेगा।

(2) शिकायत प्राप्त होने के बाद, राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद ऐसी शिकायत दर्ज करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करेगा।

परंतु शिकायत का निर्णय करने से पहले राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड होम्योपैथी चिकित्सक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) यदि जांच के बाद, राज्य चिकित्सा परिषद या होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड ने होम्योपैथी चिकित्सक को व्यवसायिक या नैतिक कदाचार के लिए दोषी पाया, तो यह होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक के खिलाफ अधिनियम या संबंधित राज्य अधिनियम, जैसा भी मामला हो,के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

डॉ. पिनाकीन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, होम्योपैथी आधार और पंजीकरण बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./474/2022-23]

परिशिष्ट-I

[विनियम देखें 3]

घोषणा और शपथ

(1) मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञाकरता हूं कि में मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा।

(2) यहाँ तक कि खतरे में भी, मैं अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग मानवता के नियमों के विपरीत नहीं करूँगा।

(3) मैं, मानव जीवन के लिए अत्यंत सम्मान बनाए रखूंगा।

(4) मैं, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, राजनीतिक विश्वासों या सामाजिक प्रतिष्ठा के विचारों को अपने कर्तव्य और अपने रोगी के बीच हस्तक्षेपकरने की अनुमति नहीं दूंगा।

(5) मैं, होम्योपैथी सिद्धांतों के अनुसार विवेक और सम्मान के साथ अपने पेशे का अभ्यास करूंगा।

(6) मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा पहला विचार होगा।

(7) मैं, होम्योपैथी परामर्श के दौरान मुझे बताए गए रहस्यों का सम्मान करूंगा।

(8) मैं, अपने शिक्षकों को वह सम्मान और आभार दूंगा जो उनका हक है।

(9) मैं, अपनी शक्ति में हर तरह से चिकित्सा व्यवसाय के सम्मान और महान परंपराओं को बनाए रखूंगा

(10) मैं, अपने सहयोगियों के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार करूंगा।

(11) मैं, इन वादों को गंभीरता से, स्वतंत्र रूप से और अपने सम्मान पर करता हूं।

(12) मैं, समय-समय पर संशोधित आचार संहिता, होम्योपैथी अभ्यास के लिए नियमों और विनियमों का पालन करूंगा।

हैनीमैनियन शपथ

"मेरे सम्मान पर, मैं शपथ लेता हूं कि, मैं होम्योपैथी की शिक्षाओं का अभ्यास करूंगा, मुझसे अपेक्षा के अनुसार मै अपना कर्तव्य निभाऊंगा, अपने मरीजों को न्याय दूंगा और बीमारों की सहायता करूंगा जो भी मेरे पास इलाज के लिए आएंगे।मास्टर हैनिमैन की शिक्षाएं मुझे प्रेरित करें और क्या मुझे बीमारों को ठीक करने के उद्देश्य से अपने मिशन को पूरा करने की शक्ति मिले।"

हस्ताक्षर_____

नाम_____

हस्ताक्षर_____

रजिस्ट्रार, होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद।

परिशिष्ट-II

[विनियम देखें 36(प)]

विभिन्न अधिनियमों या प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए होम्योपैथी डॉक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची।

1. विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के तहत जन्म या मृत्यु या मृतकों के निपटान का प्रमाण पत्र;
2. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के तहत पागलपन और मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र।
3. शिक्षा अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र।
4. लोक स्वास्थ्य अधिनियमों के तहत प्रमाण पत्र और उसके तहत किए गए आदेश।
5. अधिनियमों के तहत प्रमाण पत्र और संक्रामक रोगों की अधिसूचना से संबंधित आदेश।
6. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 (1948 का 34) के तहत प्रमाण पत्र।
7. बीमा लाभ के संबंध में प्रमाण पत्र।
8. पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने या जारी करने का प्रमाण पत्र।
9. कोर्टऑफ जस्टिस/सरकारी कार्यालयों या निजी रोजगार में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए बीमारी का प्रमाण पत्र।
10. पेंशन मामलों के संबंध में प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-III(a)

(विनियम देखें 7)

चिकित्सा प्रमाणपत्र

मैं, डॉ. ..... मामले की सावधानी पूर्वक व्यक्तिगत जांच के बाद, एतदद्वारा प्रमाणित करता/ती हूं कि श्री. / श्रीमती। / कुमारी ....जिनका हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, ...से पीड़ित हैं और मैं यह मानता हूं कि ..... की अवधि जो कि .....से प्रभावी है उसके स्वास्थ्य की पुर्नप्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है।

रोगी के हस्ताक्षर.....

दिनांक:-

.....

पंजीकरण संख्या के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक
के हस्ताक्षर और मोहर/सील

परिशिष्ट-III (ख)

स्वस्थता प्रमाण पत्र

मैं, डॉ. .....मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, प्रमाणित करता हूं कि श्रीमती/श्री/सुश्री ..... स्वास्थ्य की पुर्नप्राप्ति पर अब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए स्वस्थ हैं।

रोगी के हस्ताक्षर.....

दिनांक:-

.....

पंजीकरण संख्या के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक
के हस्ताक्षर और मोहर/सील

परिशिष्ट-IV

शिकायत के लिए निर्धारित प्रपत्र

(विनियम देखें 39)

1. शिकायतकर्ता का विवरण:
   - अ. नाम
   - आ. पता:
   - इ. योग्यता:
   - ई. फोन नंबर:
   - उ. ईमेल आईडी:
   - ऊ. पहचान पत्र विवरण:
2. होम्योपैथी के उस चिकित्सक का विवरण जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा रही है :
   - अ. नाम:
   - आ. पता :(i) वर्तमान:
     (ii) स्थायी:
   - इ. योग्यता:
   - ई. फोन नंबर, यदि कोई हो:
   - उ. ईमेल आईडी, यदि कोई हो:
   - ऊ. उस राज्य चिकित्सा परिषद का विवरण जहां होम्योपैथी का उक्त चिकित्सक पंजीकृत है:
   - ऋ. राज्य पंजीकरण संख्या_____
   - ऌ. होम्योपैथी राष्ट्रीय रजिस्टर (NRH) या CRH में नामांकन संख्या ...
3. कथित कदाचार की तिथि एवं वर्ष:
4. क्या शिकायतकर्ता ने किसी अन्य मंच से संपर्क किया है या उपाय किया है?
5. क्या कथित कदाचार से जुड़ी कोई अदालती कार्यवाही अपनाई गई है या लंबित है?
6. दस्तावेज यदि कोई हों,जिन परशिकायतकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है (अनुलग्नक-प्रतियां):
7. क्या आवेदक के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई गवाह है? यदि हां, तो उनका नाम और पता दें :
8. कथित कदाचार के संबंध में संक्षिप्त तथ्य :
9. शिकायत दर्ज कराने में देरी, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण :
10. कथित कदाचार के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

स्थान नाम:

हस्ताक्षर:

संलग्नक:

(अ.)

(आ.)

(इ.)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241451
CG-DL-E-27122022-241451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944
No. 700] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSA 6, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

शुद्धि- पत्र

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

फा. सं. 2-11/2021-BERH/NCH/11390.—भारत के असाधारण राजपत्र स. 655 दिनाक 14 दिसम्बर, 2022 भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सको के लिए आचार संहिता) विनियम 2022 में निम्न शुद्धियाँ की जाती हैं:-

1. प्रथम पैरा के शब्दों व वाक्यों को निम्न शब्दों व वाक्यों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-
2. "फा. स. 2-11/2021-BERH/NCH/110055-राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम,2020 (2020 का 15) धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (प), (यघ), और (यड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (व्यावसायी आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982 के अधिक्रमण में, उनके सिवाय जोकि इस तरह के अधिक्रमण से पहले जोड़ी अथवा हटाई गई हैं, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्"
3. विनियम 1(1) में शब्दों व वाक्य "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सको के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022" को शब्दों व वाक्य "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सको के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. अध्याय –II, सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत विनियम-4(1) के अंत में शब्दों व वाक्य "इसमें वित्तीय एक लाभ गौण विचार है" को शब्दों व वाक्य "इसमें वित्तीय पुरस्कार द्वितीयक परामर्श है" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. विनियम 7 (1) में तीसरी पंक्ति में शब्दों व वाक्य " रिकार्ड के लिए में चिकित्सा" से शब्द "में" को हटा दिया जाएगा।

6. विनियम 8 (3) में दूसरी पंक्ति के अंत में शब्दों व वाक्य में " नही " को शब्द "न ही" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. पृष्ठ-9 हैनीमैनियन शपथ तीसरी पंक्ति में शब्द " क्या" को हटा दिया जायेगा।

डॉ. पिनकिन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, बी.ई.आर.एच., एन.सी.एच.

[विज्ञापन-III/4/असा./519/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241089
CG-DL-E-14122022-241089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944
No. 656] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

फा. सं 2-11/2021-BERH/NCH/11055.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधिक्रमण में उप-धारा (1) और खंड (य च), (य छ), (य ज), (य झ) और (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 55 की उप- धारा (2) के साथ पठित धारा 32, 33 और 34 उनके सिवाय जो कि अधिक्रमण से पहले रखी अथवा या छोड़ी गई हैं द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

1-संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों का राष्ट्रीय पंजीका तैयार करने हेतु प्रविधि एवम रख रखाव) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1)इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भसे अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(अ) "अधिनियम" से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) अभिप्रेत है;

(आ) "अतिरिक्त योग्यता" में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डॉक्टरेट की डिग्री, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो शामिल है;

(इ) "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" का तात्पर्य एक ऐसा मिशन है जो एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र

बनाने का प्रयास कर एक कुशल, सुलभ, समावेशी, वहन योग्य, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है, यह आंकडो की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सूचना और बुनियादी ढांचा, विधिवत खुला उपयोग, अंतर-प्रचालनीय, मानक आधारित डिजिटल प्रणाली और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और एकांतता सुनिश्चित करता है ।

(ई) "प्रपत्र" से इन विनियमों से जुड़ा एक प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ए) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत "स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक पंजीयन" से चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में शामिल सभी स्वास्थ्य व्यावसायिको का एक व्यापक संग्रह अभीप्रेत है ।

(ऐ) "होम्योपैथी साभ्यासी " में शामिल है, होम्योपैथी चिकित्सा साभ्यासी, होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त चिकित्सक, होम्योपैथी के चिकित्सक शामिल हैं, जो इस समय होम्योपैथी के लिए किसी भी राज्य पंजीका या केंद्रीय पंजीका या होम्योपैथी राष्ट्रीय पंजीका में पंजीकृत हैं;

(ओ) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जोकि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि क्रमशः अधिनियम मे समनुदेशित किए गए हैं।

3.राष्ट्रीय पंजीका का रख-रखाव - (1) होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों की सूची प्रस्तुतिकरण) नियम, 2021 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों स्वरूपों में होम्योपैथी का राष्ट्रीय पंजीका बनाएगा ।

(2) होम्योपैथी राष्ट्रीय पंजीका को राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा प्रदान की गई पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सकों की सूची और होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड द्वारा किए गए सीधे पंजीकरण के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों स्वरूपों में प्रपत्र -1 और प्रपत्र -2 में राज्य रजिस्टर को तैयार करेगी और नियमित रूप से अद्यतित करेगी और उसकी हस्ताक्षरित दो प्रतियां भौतिक रूप से अध्यक्ष होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को तिमाही आधार पर निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित समय-सारणी के अनुसार प्रेषित करेगी :-

क्रम स.	आकडो का विवरण	समय सारिणी
(1)	(2)	(3)
1.	01 जनवरी से 31 मार्च तक पंजीकृत साभ्यसियो के आकडे	15 अप्रैल तक
2.	01अप्रैल से 30 जून तक पंजीकृत साभ्यसियो के आकडे	15 जुलाई तक
3.	01 जुलाई से 30 सितंबर तक पंजीकृत साभ्यसियो के आकडे	15 अक्तूबर तक
4.	01 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक पंजीकृत साभ्यसियो के आकडे	15 जनवरी तक

(4) होम्योपैथी संबंधी राज्य चिकित्सा परिषद इन नियमों के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों से संबंधितबुनियादी ढांचे की उपयुक्त व्यवस्था करेगी, ताकि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत सभ्यासियो की संख्या जैसा भी मामला हो, के अनुरूप हो और संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के गठन से पूर्व प्रदत्त अनुज्ञप्ति [लाईसेंस] लाइसेंस या पंजीकरण प्रपत्र -1 और प्रपत्र -2 में उल्लेखित समयबद्ध तरीके से इन नियमों के लागू होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर अद्यतित [अपडेट] हों, ।

(5) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम और किसी राज्य अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू नियमों के बीच किसी विरोधाभास की स्थिति में, अधिनियम के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम प्रभावी होंगे और प्रत्येक होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद एकरूपता बनाए रखने के लिए इनका अनुपालन करेंगी ।

(6) होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, चिकित्सकों के आचारण को प्रभावी ढंग और विनियमित करने के लिए होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ निरंतर वार्ता करेगी ।

(7) (i) सभी पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक जो कि संबंधित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों के अंतर्गत पंजीकृत होम्योपैथी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हेल्थकेयर व्यावसायिक पंजीयक में खुद को नामांकित कर सकते हैं ।

(ii) खंड (i) में निहित किसी भी बात के बावजूद, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के होम्योपैथी सभ्यासियों को अनिवार्य रूप से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत व्यावसायिक पंजियन में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा ।

4. साभ्यास हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की पात्रता - (1) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा पूर्ववर्ती होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की द्वितीय अथवा तृतीय अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा अर्हताधारी कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी साभ्यास हेतु संबंधित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जहाँ का वह निवासी हो, लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक अन्य किसी राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के साथ पहले से पंजीकृत नहीं है:

परंतु आगे किसी अर्हताधारी द्वारा प्रारंभिक पंजीकरण प्राप्त करने में एक वर्ष से अधिक की देरी की स्थिति में, संबंधित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यार्थी ने होम्योपैथी के लिए किसी अन्य राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद से पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देने से पूर्व इस आशय का अनिवार्य शपथ पत्र लिया जायेगा कि उसके पास किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कोई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अथवा पंजीकरण नहीं लिया है ।

5. अतिरिक्त योग्यता -(1) राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक डेटा के सत्यापन और साथ ही अद्यतनीकरण (अपडेशन) के पश्चात होम्योपैथी साभ्यासी के प्रारंभिक पंजीकरण के विरूद्ध मान्यता प्राप्त अतिरिक्त अर्हता का सत्यापन करने के उपरान्त राज्य पंजीका में दर्ज करेगी।

(2) होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद, राज्य पंजीका में किसी होम्योपैथी सभ्यासी के विवरणों में किसी प्रकार के परिवर्तनों अथवा संशोधनों अथवा सुधारों को राष्ट्रीय पंजीका (रजिस्टर) के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा समकालन (सिंक्रोनाइज़ेशन) के माध्यम से अद्यतनीकरण (अपडेशन) किये गये, स्वास्थ्य सेवा व्यावसायी पंजियन (रजिस्ट्री), यदि लागू हो, में भी संशोधित किया जयेगा तथा इस संबंध में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को भी सूचित करेगी ।

6. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में पंजीकरण – जिस राज्य में होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का गठन नहीं किया गया हो, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले होम्योपैथी के सभ्यासी को इन विनियमों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ले कर पंजीकृत करेगा। .

परंतु इस विनियम के तहत सीधे पंजीकरण केवल तब तक किया जाएगा जब तक कि ऐसी राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का गठन नहीं किया जाता है:

परंतु आगे कि होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, पंजिका में ऐसे सभ्यासी का नाम पंजीका में दर्ज करने से पूर्व, अर्हता प्रदान करने वाले प्राधिकारी से साभ्यासी की अर्हता तथा पते का सत्यापन करेगा और संबंधित पुलिस प्राधीकारी से अन्य विवरण भी सत्यापन करायेगा ।

7. नागरिकों अथवा विदेशी हेतु साभ्यास के लिए अनुज्ञप्ति(लाइसेंस)

(1) कोई भी विदेशी नागरिक जो अपने देश की होम्योपैथी में चिकित्सा अर्हता रखता हो और उस देश में होम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में मान्यता प्राप्त हो और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो और भारत में

होम्योपैथी साभ्यास करने हेतु इच्छुक हो, को भारत में रहने के लिए राजनयिक अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और इस तरह के अनुमत प्रवास के भीतर की अवधि, जो कि एक समय मे छह महीने से अधिक नहीं हो, के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

परंतु एक विदेशी नागरिक के मामले में जो कि होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता में कोई अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह अपने अध्ययन की अवधि के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी विदेशी नागरिक, निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के साथ प्रपत्र -7 में राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, में आवेदन करेगा जैसा कि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने की अनुसूची प्रपत्र-8 और उनके लिए पंजीका का भाग-'अ' होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड द्वारा प्रपत्र-2 में रखा जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी अर्हता प्राप्त हो और होम्योपैथी साभ्यास करने के लिए इच्छुक हो, तो संबंधित होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद में आवेदन करेगा:

परंतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के माध्यम से राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत करेगा, जहां राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद

फॉर्म-7 में आवेदन और फॉर्म-8 में पंजीकरण के प्रमाण पत्र द्वारा गठित नहीं किया गया है:

परंतु आगे कि होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, पंजिका में ऐसे सभ्यासी का नाम पंजीका में दर्ज करने से पूर्व, अर्हता प्रदान करने वाले प्राधिकारी से साभ्यासी की अर्हता तथा पते का सत्यापन करेगा और संबंधित पुलिस प्राधीकारी से अन्य विवरण भी सत्यापन करायेगा ।

(4) जहां होम्योपैथी का कोई विदेशी चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत का दौरा करता है, वह रोगी के रिकॉर्ड को बनाए रखने और देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक पंजीयन में स्वयं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नीति, दिशानिर्देश और अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत कर सकता है ।

8. अन्य राज्य में साभ्यास या रोजगार –

(1) होम्योपैथी के लिए किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद से होम्योपैथी साभ्यास हेतु लाइसेंसधारी चिकित्सक अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग से सीधे पंजीकृत अथवा पूर्ववर्ती होम्योपैथी केंद्रीय परिषद से सीधे पंजीकृत अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय पंजीका में दर्ज या केंद्रीय होम्योपैथी परिषद में दर्ज कोई भी चिकित्सक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साभ्यास करने अथवा कार्य करने के लिए पात्र होंगे :

परंतु एक लाइसेंस प्राप्त सभ्यासी संबंधित राज्य चिकित्सा होम्योपैथी परिषद से भी पंजीकृत होगा ।

(2) **(i)** होम्योपैथी का एक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त चिकित्सक, जो किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साभ्यास हेतु इच्छुक हो, वह संबंधित होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद को प्रपत्र - 5 में आवेदन करेगा और विवरणों के सत्यापन के उपरांत होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद उन्हें प्रपत्र -6 में दर्ज करेगी।

(ii) प्रत्येक होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद, प्रपत्र-6 में राज्य पंजीका को अलग से बनायेंगी और नियमित रूप से अद्यितत करेगी और होमियोपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ दर्ज चिकित्सकों के विवरण भी होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को प्रेषित करेंगी ।

(iii) किसी अन्य होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सक जो ऐसे किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में साभ्यास करने में इच्छुक हों , जहां होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद का गठन होना बाकी है,

वह होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को प्रपत्र-5 में अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन करेगा और ऐसे चिकित्सकों को प्रपत्र-6 में दर्ज करेगा:

परंतु विवरणों के सत्यापन के पश्चात, होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, जैसा भी मामला हो, नामांकन पत्र होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद को एक प्रति के साथ नामांकन पत्र जारी करेगा, जहाँ कि चिकित्सक वास्तव में पंजीकृत है:

परंतु आगे कि इस तरह के किसी भी नामांकन को अनंतिम अथवा अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण या सीधे पंजीकरण के बराबर नहीं माना जाएगा और संबंधित राज्य चिकित्साहोम्योपैथी परिषद रिकॉर्ड में नया पता भी अद्यतित करेगी।

9. राज्य या राष्ट्रीय पंजीका (रजिस्टर) में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के विवरण का अद्यतनीकरण (अपडेटिंग)।

(1) एक होम्योपैथी चिकित्सक के लाइसेंस को हर पांच साल के बाद सभी होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों और सीधे पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा एक समान प्रतिरूप में अद्यतित (अपडेटेड) किया जाएगा।

(2) कोई भी चिकित्सक जो कि नियत तिथि से छह महीने के अंदर अपने लाइसेंस को अद्यतित करने में विफल रहता है, होम्योपैथी साभ्यास का अधिकार खो देगा और अपने लाइसेंस के आधार पर रोजगार जारी रखने का अधिकार भी खो देगा, जब तक कि वह होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा निर्धारित शुल्क अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग में सीधे पंजीकरण के मामले में प्रपत्र -9 में आवेदन के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान द्वारा जैसा भी मामला हो, अद्यतित नहीं किया जाय ।

परंतु ऐसे किसी भी अद्यतन (अपडेटिंग) की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि देरी दो साल से अधिक हो और ऐसे मामले में, लाइसेंस या पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और नये लाइसेंस के लिए लागू शुल्क के साथ पुन: नया आवेदन करने की आवश्यकता होगी जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है या जैसा कि होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, जैसा भी मामला हो ।

(3) इस विनियम के तहत किए गए सभी अद्यतन (अपडेटिंग) या हटाए जाने के बारे में होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा कारण बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक प्रारूप के माध्यम से एथिक और पंजीकरण बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

10. राज्य पंजीका (रजिस्टर) या राष्ट्रीय पंजीका (रजिस्टर) में नाम हटाना या बहाल करना –

(1) जहां किसी व्यक्ति का पंजीकरण अमान्य अर्हता, जाली दस्तावेजों या अनुचित साधनों के आधार पर दिया गया है, उसका पंजीकरण संबंधित होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग द्वारा जैसा भी मामला हो, हटा दिया जाएगा । उसके कारणों को रिकॉर्ड करके और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसे सभी रद्दी किया मामलों को पंद्रह दिनों के अंदर होम्योपैथी नैतिकता पंजीकरण बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(2) कोई भी पंजीकृत होम्योपैथी साभ्यासी जिसका नाम होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर से इस आधार के अलावा कि हटा दिया गया हो कि उसके पास आवश्यक चिकित्सा अर्हता नहीं है और नियत समय में अपने लाइसेंस को अद्यतित करने में विफल रहा है, और जहां उक्त साभ्यासी का आवेदन होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर में उस्का नाम बहाली के लिए होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, ऐसी अस्वीकृति के तीस दिनों के भीतर, सभी विवरणों के साथ, अध्यक्ष, होम्योपैथी नैतिकता पंजीकरण बोर्ड में अपील दायर कर सकता है।

(3) ऐसे मामले में, जहां अपील, एक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त साभ्यासी के पक्ष में दी जाती है, जिसका नाम राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर से हटा दिया गया है, उसका नाम तदनुसार संबंधित पंजीका में बहाल कर दिया जाएगा और अद्यतन (अपडेटेड) किया जाएगा।

11. पहले के पंजीकरण या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की सुरक्षा - किसी भी राज्य चिकित्साहोम्योपैथी परिषद द्वारा दिया गया अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अथवा होम्योपैथी केंद्रीय रजिस्टर में भाग- I और भाग- II में आयोग के गठन से पहले केंद्रीय

होम्योपैथी परिषद द्वारा नाम आयोग के गठन से पूर्व दर्ज किया गया हो जब तक कि होम्योपैथी के लिए राज्य परिषदों द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, साभ्यास अथावा रोजगार के लिए मान्य होगा।

12. आयोग इस विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त को शिथिल करने की शक्ति रखता है, कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ताकि अत्यंत योग्य मामलों में चिकित्सकों को किसी भी कठिनाई से बचाया जा सके।

डॉ. पिनाकीन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, होम्योपैथी आचार और पंजीकरण बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./475/2022-23]

फॉर्म 1

[विनियम 3 देखें]

(राज्य पंजीका मे पंजीकृत में दर्ज मान्यता प्राप्त अर्हताधारी होम्योपैथिक चिकित्सकों की, होम्योपैथी के लिए प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा त्रैमासिक आधार पर होम्योपैथी नैतिकता और पजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष को आपूर्ति की जाने वाली सूची)

क्रम संख्या	व्यावसायिक का नाम (बड़े अक्षरों में) नवीनतम फोटो के साथ	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)	वर्तमान पत्राचार का पता	स्थायी पता	आधार संख्या	फोन, फैक्स और ई-मेल के साथ मोबाइल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

जन्म तिथि और राष्ट्रीयता	प्राप्त मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा का नाम और योग्यता पास करने के महीने और वर्ष के साथ विश्वविद्यालय।	पंजीकरण विवरण: (i) पंजीकरण संख्या: (ii) पंजीकरण की तिथि (iii) पंजीका का नाम (राष्ट्रीय/राज्य) (iv) क्या पंजीकरण नवीकरणीय या स्थायी है:	चिकित्सा के शिक्षण या अनुसंधान या साभ्यास के प्रयोजनों के लिए पूरे पते के साथ अस्पताल या संस्थान का नाम ।	चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाने वाली रोगी देखभाल के संबंध में कानूनी मुद्दों के लिए संस्थान या अस्पताल में जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

फार्म -2

[विनियम 3 देखें]

(भारत के बाहर से मान्यता प्राप्त अर्हताधारी होम्योपैथिक चिकित्सकों की, भारत में अभ्यास करने की अनुमति और राज्य पंजीका में दर्ज, प्रत्येक होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा त्रैमासिक आधार पर होम्योपैथी नैतिकता और पजीकरण बोर्ड अध्यक्ष को आपूर्ति की जानी वाली सूची)

क्रम संख्या	व्यावसायिक का नाम (बड़े अक्षरों में) नवीनतम फोटो के साथ.	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)	वर्तमान पत्राचार का पता	स्थायी पता	पासपोर्ट संख्या.	फोन, फैक्स और मोबाइल नंबर के साथ ईमेल का पता	वीजा विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जन्म तिथि और राष्ट्रीयता	मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने का नाम और योग्यता पास करने के महीने और वर्ष के साथ विश्वविद्यालय	क्या पहले चिकित्सा पद्धति के लिए भारत का दौरा किया था। यदि हां, तो पिछली यात्राओं की तारीख, अवधि और स्थान।	क्या आप किसी अन्य विदेशी देश में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो उस निकाय या संगठन या संस्थान का नाम बताएं जिसके साथ पंजीकृत है और पंजीकरण की संख्या और तारीख दर्ज करें	क्या आप अपने देश में चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो निकाय या संगठन का नाम दर्ज करें जिसके साथ पंजीकरण या लाइसेंस संख्या और तारीख पंजीकृत है।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

क्या पंजीकरण या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नवीकरणीय या स्थायी है	अध्यापन अथवा अनुसंधान अथवा चिकित्सा के साभ्यास के प्रयोजनों के लिए पूरे पते के साथ अस्पताल या संस्थान का नाम	चिकित्सा के प्रशिक्षण या अनुसंधान या प्रेक्टिस की अवधि	भारत में संस्थान या अस्पताल में व्यक्ति का नाम, संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाने वाली रोगी देखभाल के संबंध में कानूनी मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार होगा	क्या भारत में रोजगार अस्थायी या स्थायी निर्दिष्ट किया जाना था
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

प्रपत्र -3

(विनियम 6 देखें)

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, अपोजिट. 'डी' ब्लॉक,

जनकपुरी, नई दिल्ली-58

पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (केवल ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों द्वारा उपयोग हेतु जहां होम्योपैथी के लिए कोई राज्य चिकित्सा परिषद मौजूद नहीं है)

कृपया यहाँ एक अप्रमाणित फोटो स्टेपल करें

कृपया यहाँ एक अप्रमाणित फोटो स्टेपल करें

सेवा में,

अध्यक्ष (बीईआरएच),

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058।

श्रीमान,

मैं एतत द्वारा अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम और निम्नलिखित अन्य विवरण राष्ट्रीय होम्योपैथी रजिस्टर में दर्ज किए जाएं।

1. पूरा नाम

(बड़े अक्षरों में) :

2. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में):

3. वर्तमान पत्राचार का पता:

4. स्थायी पता:

5. आधार संख्या:

6. ई-मेल पते के साथ फोन, फैक्स और मोबाइल नंबर:

7. जन्म तिथि और राष्ट्रीयता:

8. प्राप्त मेडिकल डिग्री का नाम और उत्तीर्ण योग्यता के महीने और वर्ष के साथ विश्वविद्यालय: _____

9. संस्थान का नाम और पता जहां आवेदक ने ऐसी योग्यता के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया और ऐसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण की अवधि:

---

10. अध्यापन या अनुसंधान या चिकित्सा पद्धति के प्रयोजनों के लिए अस्पताल या संस्थान का पूरा पता सहित नाम:

11. संस्थान या अस्पताल में उस व्यक्ति का नाम और पदनाम जो संबंधित डॉक्टर द्वारा रोगी की देखभाल के संबंध में कानूनी मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा:

12. मैं इनमें से प्रत्येक की स्वप्रमाणित प्रति इसके साथ अग्रेषित करता हूं:-

(i) माध्यमिक प्रमाण पत्र अथवा उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट अथवा जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।

(ii) गृह शिक्षुता (इंटर्नशिप) पूर्णता प्रमाण पत्र।

(iii) मेरे पास चिकित्सा योग्यता के संबंध में डिग्री प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति।

(iv) आवेदक के आवासीय पते की पुष्टि करने वाले किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति जो कि भारतीय चुनाव आयोग का पहचान पत्र या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है।

(v) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

13. रुपये का पंजीकरण शुल्क। (शब्दों में) नई दिल्ली में देय 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग' के पक्ष में ऑनलाइन या बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... द्वारा प्रेषित।

नोट:- आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदक को सेवा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में रहता / रहती हूँ जहां कोई होम्योपैथिक बोर्ड/परिषद मौजूद नहीं है और मैंने अतीत में किसी अन्य राज्य बोर्ड/परिषद से कोई पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है।

भवदीय ,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :
स्थान :

घोषणा और शपथ

1. मैं मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं।

2. यहां तक कि खतरे की स्थिति में भी, मैं मानवता के नियमों के विपरीत अपने चिकित्सकीय ज्ञान का उपयोग नहीं करूंगा।

3. मैं मानव जीवन का परम सम्मान बनाए रखूंगा।

4. मैं अपने कर्तव्य और अपने रोगी के बीच धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, राजनीतिक विश्वासों या सामाजिक स्थिति के विचारों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।

5. मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार और या बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन (टिशू उपचार) के सिद्धांतों के अनुसार विवेक और गरिमा के साथ अपने पेशे का प्रेक्टिस करूंगा।

6. मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा पहला विचार होगा।

7. मैं उन रहस्यों का सम्मान करूंगा जो मुझ तक सीमित हैं।

8. मैं अपने शिक्षकों को वह सम्मान और आभार दूंगा जो उनका हक है।

9. मैं अपनी शक्ति में हर तरह से चिकित्सा पेशे के सम्मान और महान परंपराओं को बनाए रखूंगा।

10. मेरे सहकर्मी मेरे भाई और बहन होंगे।

11. मैं इन वादों को गम्भीरता से, स्वतंत्र रूप से और अपने सम्मान पर करता हूं।

हैनेमैनियन शपथ

"मैं अपने सम्मान पर शपथ लेता हूँ कि मैं होम्योपैथी की शिक्षाओं का पालन करूँगा, अपना कर्तव्य निभाऊँगा, अपने रोगियों को न्याय दूंगा और बीमारों की मदद करूँगा जो भी मेरे पास इलाज के लिए आएंगे।

मास्टर हैनीमैन की शिक्षाएँ मुझे प्रेरित करें और मुझे अपने मिशन को पूरा करने की शक्ति मिले।"

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

नाम:.....

दिनांक:.....

शपथ को सत्यापित करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर के हस्ताक्षर _____

प्रमाणित होम्योपैथिक चिकित्सक का नाम _____

पंजीकरण संख्या (राज्य बोर्ड के नाम के साथ) और प्रमाणित करने वाले डॉक्टर की योग्यता

*ध्यान दें: - घोषणा और शपथ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और होम्योपैथी के एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होनी चाहिए।

फार्म -4

(विनियम 6 देखें)

होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, अपोजिट. 'डी' ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

पंजीकरण प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी के छायाचित्र के लिए स्थान

प्रमाणपत्र संख्या. एनसीएच _____

उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	पता	अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)

अध्यक्ष
(बीईआरएच)

नई दिल्ली :
दिनांक:-

(जारी होने की तारीख से_____ तक वैध)

फार्म-5

{विनियम 8 का उप-विनियम (i)(2) देखें}

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

अन्य राज्य में व्यवसाय करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

(पंजीकरण प्राधिकारी का नाम)

विषय:- _____राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए नामांकन के संबंध में।

श्रीमती / श्रीमान्,

मेरे पास _____ योग्यता है और मेरे पास वैध पंजीकरण सं._____है। होम्योपैथीराज्य चिकित्सा परिषद / पंजीकरण प्राधिकरण_____ द्वारा _____ को जारी है।

मैं _____की अवधि से _____तक के लिए _____पतेपर प्रेक्टिस करना चाहता हूं। कृपया मेरा नाम अपने सहायक रजिस्टर में जोड़ें और मुझे नामांकन पत्र जारी करें। मेरा पंजीकरण आज तक अद्यतन है। मैं आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हूं। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं: -

(i) डिग्री / डिप्लोमा;

(ii) इंटर्नशिप प्रमाणपत्र;

(iii) अपडेट के प्रमाण के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो;

(iv) नया पता प्रमाण;

(v) कोई अन्य दस्तावेज।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्राधिकारी/राज्य के पास किसी भी प्रकार की कोई एथिकल कार्यवाही लंबित नहीं है।

सधन्यवाद।

भवदीय

( )

दिनांक: पता: _____

ईमेल:_____

मो. _____

प्रपत्र -6

[विनियम 8(2) (i) देखें]

क्रम संख्या	राज्य नामांकन संख्या	व्यावसायिक का नाम (बड़े अक्षरों में) नवीनतम फोटो के साथ.	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)	प्रेक्टिस या कार्य का नया पता।	स्थायी पता।	आधार संख्या।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

फोन, फैक्स और मोबाइल नंबर के साथ ईमेल पता.	जन्म तिथि और राष्ट्रीयता	प्राप्त मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा का नाम और उत्तीर्ण योग्यता के महीने और वर्ष के साथ विश्वविद्यालय।	पंजीकरण विवरण: (i) पंजीकरण संख्या: (ii) पंजीकरण की तिथि: (iii) रजिस्टर का (नाम) (राष्ट्रीय/राज्य): (i) (iv) क्या पंजीकरण नवीकरणीय या स्थायी है:	चिकित्सा के शिक्षण या अनुसंधान या प्रेक्टिस के प्रयोजनों के लिए पूरे पते के साथ अस्पताल या संस्थान का नाम।	संस्थान या अस्पताल में उस व्यक्ति का नाम जो संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाने वाली रोगी देखभाल के संबंध में कानूनी मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्रपत्र -7

[विनियम 7(4) देखें]

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (विदेशी नागरिकों के लिए)

स्वप्रमाणित फोटो चिपकाए	स्वप्रमाणित फोटो चिपकाए

सेवा में,

अध्यक्ष

होम्योपैथी नैतिक्ता और पंजीकरण बोर्ड,

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग,

जनकपुरी, नई दिल्ली -110058।

श्रीमान,

मैं एतद्वारा अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम और नीचे उल्लिखित अन्य विवरण राष्ट्रीय होम्योपैथी रजिस्टर में दर्ज किए जाएं।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में):
3. वर्तमान पत्राचार का पता :
4. स्थाई पता:
5. पासपोर्ट संख्या:
6. वीजा विवरण:
7. ई-मेल पते के साथ फोन, फैक्स और मोबाइल नंबर:
8. जन्म तिथि और राष्ट्रीयता:
9. प्राप्त मेडिकल डिग्री का नाम और उत्तीर्ण योग्यता के महीने और वर्ष के साथ विश्वविद्यालय:

---

10. संस्थान का नाम और पता जहां आवेदक ने ऐसी योग्यता के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया और ऐसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण की अवधि।

---

11. क्या पहले चिकित्सा पद्धति के लिए भारत आए थे। यदि हां, तो पिछली यात्राओं की तारीख, अवधि और स्थान। स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

12. क्या आप किसी अन्य विदेशी देश में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो उस निकाय या संगठन या संस्थान का नाम बताएं जिसके साथ पंजीकृत है और पंजीकरण की संख्या और तारीख दें। स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें:

_____

13. क्या आप अपने देश में चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो उस निकाय या संगठन या संस्थान का नाम प्रदान करें जिसके साथ पंजीकरण या लाइसेंस संख्या और तारीख पंजीकृत है।

स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

_____

14. अध्यापन या अनुसंधान या चिकित्सा पद्धति के प्रयोजनों के लिए अस्पताल या संस्थान का पूरा पता सहित नाम:

_____

15. नाम चिकित्सा के प्रशिक्षण या अनुसंधान या प्रेक्टिस की अवधि।

16. संस्थान या अस्पताल में उस व्यक्ति का नाम और पदनाम जो संबंधित डॉक्टर द्वारा रोगी की देखभाल के संबंध में कानूनी मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा:

17. निर्दिष्ट करने के लिए कि क्या भारत में रोजगार अस्थायी या स्थायी था

18. मैं प्रत्येक की स्वप्रमाणित प्रति इसके साथ अग्रेषित करता हूं :-

(i) पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।

(ii) इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र।

(iii) मेरे पास चिकित्सा योग्यता के संबंध में डिग्री प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति।

(iv) आवेदक के आवासीय पते की पुष्टि करने वाले किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति जो पासपोर्ट हो सकता है।

(v) वीजा की स्व-सत्यापित प्रति।

(vi) राजनयिक अनुमति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

19. पंजीकरण शुल्क रु. (शब्दों में) नई दिल्ली में दिल्ली में देय 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग' के पक्ष में ऑनलाइन या बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... द्वारा प्रेषित।

नोट:- आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदक को सेवा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहता/रहती हूँ। मैंने पूर्व में किसी अन्य राज्य बोर्ड/राज्य चिकित्साहोम्योपैथी परिषद से कोई पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :
स्थान :

घोषणा और शपथ

1. मैं मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं।

2. यहां तक कि खतरे की स्थिति में भी, मैं मानवता के नियमों के विपरीत अपने चिकित्सकीय ज्ञान का उपयोग नहीं करूंगा।

3. मैं मानव जीवन का परम सम्मान बनाए रखूंगा।

4. मैं अपने कर्तव्य और अपने रोगी के बीच धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, राजनीतिक विश्वासों या सामाजिक स्थिति के विचारों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।

5. मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार और या बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन (टिशू उपचार) के सिद्धांतों के अनुसार विवेक और गरिमा के साथ अपने पेशे का प्रेक्टिस करूंगा।

6. मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा पहला विचार होगा।

7. मैं उन रहस्यों का सम्मान करूंगा जो मुझ तक सीमित हैं।

8. मैं अपने शिक्षकों को वह सम्मान और आभार दूंगा जो उनका हक है।

9. मैं अपनी शक्ति में हर तरह से चिकित्सा पेशे के सम्मान और महान परंपराओं को बनाए रखूंगा।

10. मेरे सहकर्मी मेरे भाई और बहन होंगे।

11. मैं इन वादों को गम्भीरता से, स्वतंत्र रूप से और अपने सम्मान पर करता हूं।

हैनीमैनियन शपथ

"मैं अपने सम्मान पर शपथ लेता हूँ कि मैं होम्योपैथी की शिक्षाओं का पालन करूँगा, अपना कर्तव्य निभाऊँगा, अपने रोगियों को न्याय दूंगा और बीमारों की मदद करूँगा जो भी मेरे पास इलाज के लिए आएंगे।

मास्टर हैनीमैन की शिक्षाएँ मुझे प्रेरित करें और मुझे अपने मिशन को पूरा करने की शक्ति मिले।"

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

नाम:.....

दिनांक:.....

शपथ प्रमाणित करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर के हस्ताक्षर _____प्रमाणित करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम _____पंजीकरण संख्या (राज्य बोर्ड के नाम के साथ) और प्रमाणित करने वाले डॉक्टर की योग्यता

*ध्यान दें: - घोषणा और शपथ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और होम्योपैथी के एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होनी चाहिए।

फार्म -8
[विनियम 7(4) देखें]

होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

पंजीकरण प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी के छायाचित्र के लिए स्थान

प्रमाणपत्र संख्या. एनसीएच _____

उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	पता	अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)

अध्यक्ष
(बीईआरएच)

नई दिल्ली :

दिनांक:-

(जारी होने की तारीख से_____ तक वैध)

फार्म-9
(विनियम 9 (2) देखें)

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, इंस्टीट्यूशनलएरिया, 'डी' ब्लॉक ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

नाम की पुन: स्थापन हेतु आवेदन पत्र (केवल ऐसे राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों द्वारा उपयोग हेतु जहां कोई होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद नहीं है।

कृपया यहां एक अप्रमाणित फोटोस्टेपल करें

कृपया यहां एक अप्रमाणित फोटोस्टेपल करें

सेवा में,
(पंजीकरण प्राधिकारी का नाम)।
श्रीमान,
मैं एतद्वारा अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम और निम्नलिखित अन्य विवरण राष्ट्रीय होम्योपैथी पंजीका में दर्ज किए जाएं :
1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :

2. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में):

3. वर्तमान पत्राचार का पता :
4. स्थायी पता:
5. आधार संख्या:
6. ई-मेल पते के साथ फोन, फैक्स और मोबाइल नंबर:
7. जन्म तिथि और राष्ट्रीयता:
8. मूल पंजीकरण संख्या:
9. रजिस्टर से नाम हटाने का कारण:

_____

10. प्राप्त मेडिकल डिग्री का नाम और योग्यता पास करने के महीने और वर्ष के साथ विश्वविद्यालय:

_____

11. संस्थान का नाम और पता जहां आवेदक ने ऐसी योग्यता के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया और ऐसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण की अवधि:

_____

12. अध्यापन या अनुसंधान या चिकित्सा पद्धति के प्रयोजनों के लिए अस्पताल या संस्थान का पूरा पता सहित नाम:

_____

13. संस्थान या अस्पताल में उस व्यक्ति का नाम और पदनाम जो संबंधित डॉक्टर द्वारा रोगी की देखभाल के संबंध में कानूनी मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा:

_____

14. मैं इनमें से प्रत्येक की स्व-सत्यापित प्रति इसके साथ अग्रेषित करता हूं:

(i) मै ट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।

(ii) इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र।

(iii) आवेदक के आवासीय पते की पुष्टि करने वाले किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति जो कि भारतीय चुनाव आयोग का पहचान पत्र या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है।

(iv) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

(v) मेरे पास चिकित्सा योग्यता के संबंध में डिग्री प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति।

15. रुपये की बहाली शुल्क। (शब्दों में) नई दिल्ली में दिल्ली में देय 'होम्योपैथी के लिए राज्य चिकित्सा परिषद / होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग' के पक्ष में ऑनलाइन या बैंक ड्राफ्ट नंबर ..... द्वारा प्रेषित।

नोट:- आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदक को सेवा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए मेरे विवरण, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । मैं उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में रहता हूं जहां कोई होम्योपैथिक बोर्ड/परिषद मौजूद नहीं है और मैंने अतीत में किसी अन्य राज्य बोर्ड/परिषद से कोई पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक:
स्थान :

घोषणा और शपथ

(1) मैं मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं।

(2) यहाँ तक कि खतरे में भी, मैं अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग मानवता के नियमों के विपरीत नहीं करूँगा।

(3) मैं मानव जीवन का परम सम्मान बनाए रखूंगा।

(4) मैं धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, राजनीतिक विश्वासों या सामाजिक स्थिति के विचारों को अपने कर्तव्य और अपने रोगी के बीच हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(5) मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार और या बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन (टिशू उपचार) के सिद्धांतों के अनुसार विवेक और गरिमा के साथ अपने पेशे का अभ्यास करूंगा।

(6) मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा पहला विचार होगा।

(7) मैं उन रहस्यों का आदर करूँगा जो मुझ तक सीमित हैं।

(8) मैं अपने शिक्षकों को वह सम्मान और आभार दूंगा जो उनका हक है।

(9) मैं अपनी शक्ति में हर तरह से चिकित्सा पेशे के सम्मान और महान परंपराओं को बनाए रखूंगा।

(10) मेरे सहयोगी मेरे भाई और बहन होंगे।

(11) मैं इन शपथ को गंभीरता से, स्वतंत्र रूप से और अपने सम्मान पर करता हूँ।

हैनीमैनियन शपथ

"मैं अपने सम्मान पर शपथ लेता हूँ कि मैं होम्योपैथी की शिक्षाओं का पालन करूँगा, अपना कर्तव्य निभाऊँगा, अपने रोगियों को न्याय दूंगा और जो भी रोगी मेरे पास इलाज के लिए आएंगे उसकी मदद करूँगा ।

मास्टर हैनीमैन की शिक्षाएँ मुझे प्रेरित करें और मुझे अपने मिशन को पूरा करने की शक्ति मिले।"

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

नाम:.....

दिनांक:.....

शपथ प्रमाणित करने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक के हस्ताक्षर _____प्रमाणित करने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक नाम_____पंजीकरण संख्या (राज्य बोर्ड के नाम के साथ) और प्रमाणित करने वाले चिकित्सक की अर्हता_____

***नोट: -** घोषणा और शपथ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और होम्योपैथी के एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होनी चाहिए।

अनुसूची

[विनियम 6, 7(2), 7(2)(iii), 9(2) देखें]

होम्योपैथी नैतिक्ता और पंजीकरण बोर्ड में पंजीकरण शुल्क

क्र.सं.	होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएच) के तहत प्रक्रिया	नियमन संख्या	प्राधिकरण का नाम	राशि (रु./$)
1	नियमानुसार एनसीएच में सीधा पंजीकरण	विनियमन सं.6	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	रु. 3000/-
2	एनसीएच में विदेशी नागरिक के लिए अनुज्ञप्ति(लाइसेंस)	विनियमन सं.7(2)	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	अमेरिकी $200
3	अन्य राज्य में नामांकन जहाँ कोई राज्य परिषद मौजूद नहीं है	विनियमन सं.8 (2) (iii)	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	रु.2000/-
4	एनसीएच में देय तिथि के छह महीने से अधिक और 2 वर्ष तक लाइसेंस का अपडेटिंग	विनियमन सं.9 (2)	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	रु.1500/- नियमित पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त
5	नियमानुसार एनसीएच में नाम की बहाली	विनियमन सं.9 (2)	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	रु.2000/- नियमित पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त

मिसिल सं.._____

अध्यक्ष

(बीईआरएच)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241452
CG-DL-E-27122022-241452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944
No. 701] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSA 6, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

शुद्धि- पत्र

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

फा. सं. 2-11/2021-BERH/NCH/11394.—भारत के असाधारण राजपत्र सं. 656 दिनाक 14 दिसम्बर, 2022 भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी के चिकित्सकों का राष्ट्रीय पंजीका तैयार करने हेतु प्रविधि एवम रख- रखाव) विनियम,2022 में निम्न शुद्धियाँ की जाती हैं:-

1. प्रथम पैरा के शब्दों व वाक्यों को निम्न शब्दों व वाक्यों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

   "फा. स. 2-11/2021-BERH/NCH/110055-राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 55 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (यच), (यछ), (यज), (यझ) और (यञ) के साथ पठित धारा 32, 33 और 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1983 के अधिक्रमण में, उनके सिवाय जोकि इस तरह के अधिक्रमण से पहले जोड़ी अथवा हटाई गई हैं, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्"

2. पृष्ठ–6, फ़ार्म-1 के नीचे शीर्षक के शब्दों व वाक्यों को निम्न शब्दों व वाक्यों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :

   "(राज्य रजिस्टर में दर्ज मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले होम्योपैथी चिकित्सकों की सूची, प्रत्येक होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा त्रैमासिक आधार पर होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष को आपूर्ति करने हेतु)"

डॉ. पिनकिन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, बी.ई.आर.एच., एन.सी.एच.

[विज्ञापन-III/4/असा./520/2022-23]

8679 GI/2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



Act, Rules & Regulations

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

Statutory Body, Ministry of AYUSH, Government of India

Printed at: Yugantar Prakashan Pvt. Ltd.
WH-23, Mayapuri Industrial Area Phase-I, New Delhi-64
Ph.: 9811349619, 9953134595
E-mail: yugpress01@gmail.com, yugpress@rediffmail.com

INDEX

S. No.	Act, Order & Notification	Page No. (English)
1.	The National Commission for Homoeopathy Act, 2020 Date: 21.09.2020	E1-E25
2.	Corrigenda- The National Commission for Homoeopathy Act, 2020 Date: 30.09.2020	E27
3.	Notification – Sections of The National Commission for Homoeopathy Act notified by Central Government Date: 07.10.2020	E29
4.	Notification - Constitution of The National Commission for Homoeopathy and Autonomous Board, Sections of The National Commission for Homoeopathy Act into force and repeal of Homoeopathy Central Council Act. Date: 05.07.2021	E31-E36
5.	The National Commission For Homoeopathy (Amendment) Act, 2021 Date: 19.08.2021	E37-E38
6.	Notification – Constitution of The Advisory Council Date: 22.09.2021	E39- E40
7.	The National Commission for Homoeopathy (Removal of Difficulties) Order, 2022. Date: 14.02.2022	E41-E42
8.	Notification – Appointment of Members of Autonomous Board Date:13.06.2022	E43-E44
9.	Notification – Appointment of Part Time Members and Secretary of the Commission	E45
10.	Notification – Appointment of Members of Autonomous Board Date: 20.02.2024	E47
11.	Notification – Appointment of Members of The Advisory Council Date: 04.01.2024	E49-E50

Homoeopathy Education Board

S. No.	Regulations	Page No. (English)
1.	The National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course - Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Regulations - 2022 Date: 06.12.2022	E53-E90
2.	The National Commission for Homoeopathy (Recognition of Qualifications of Homoeopathy) Regulations - 2023 Date: 12.07.2023	E91-E114
3.	The National Commission for Homoeopathy (National Examination in Homoeopathy) Regulations - 2023 Date:22.11.2023	E115-E122
4.	The National Commission for Homoeopathy (Medical Research in Homoeopathy) Regulations - 2023 Date: 01.12.2023	E123-E127
5.	The National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post Graduate Degree Program- Doctor of Medicine in Homoeopathy Regulations), 2024 Date:18.03.2024	E129-165

Medical Assessment & Rating Board for Homoeopathy

S. No.	Regulations	Page No. (English)
1.	The National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges And Attached Hospitals) Regulations - 2024 Date: 11.03.2024	E169-E232
2.	The Establishment of New Homoeopathic Medical Institution (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Intake Capacity by A Medical Institution) Regulations - 2024 Date: 12.03.2024	E233-E245
3.	The National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institutions) Regulations - 2024 Date: 12.03.2024	E247-E255

Board of Ethics and Registration for Homoeopathy

S. No.	Rules & Regulations	Page No. (English)
1.	The National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Rules, 2021 Date: 01.06.2021	E259-E261
2.	The National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Amendment Rules, 2023 Date: 27.07.2023	E 263
3.	The National Commission for Homoeopathy (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Practitioners of Homoeopathy) Regulations - 2022 Date: 13.12.2022	E265-E273
4.	The National Commission for Homoeopathy (Manner of Preparation and Maintenance of National Register for Practitioner of Homoeopathy) Regulations - 2022 Date: 13.12.2022	E275-E290

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.—डी.एल.—ई.—22092020—221864
CG-DL-E-22092020-221864

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 40] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2020/ भाद्र 30, 1942 (शक)
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2020/BHADRA 30, 1942 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 21*st September,* 2020/*Bhadra* 30, 1942 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 20th September, 2020 and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY ACT, 2020

NO. 15 OF 2020

[20*th September,* 2020.]

An Act to provide for a medical education system that improves access to quality and affordable medical education, ensures availability of adequate and high quality Homoeopathy medical professionals in all parts of the country; that promotes equitable and universal healthcare that encourages community health perspective and makes services of Homoeopathy medical professionals accessible and affordable to all the citizens; that promotes national health goals; that encourages Homoeopathy medical professionals to adopt latest medical research in their work and to contribute to research; that has an objective periodic and transparent assessment of medical institutions and facilitates maintenance of a Homoeopathy medical register for India and enforces high ethical standards in all aspects of medical services; that is flexible to adapt to the changing needs and has an effective grievance redressal mechanism and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the National Commission for Homoeopathy Act, 2020.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Autonomous Board" means any of the Autonomous Boards constituted under section 18;

(b) "Board of Ethics and Registration for Homoeopathy" means the Board constituted under section 18;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the National Commission for Homoeopathy appointed under section 5;

(d) "Commission" means the National Commission for Homoeopathy constituted under section 3;

(e) "Council" means the Advisory Council for Homoeopathy constituted under section 11;

(f) "Homoeopathy" means the Homoeopathic System of Medicine and includes the use of biochemic remedies supplemented by such modern advances, scientific and technological development as the Commission may, in consultation with the Central Government, declare by notification from time to time;

(g) "Homoeopathy Education Board" means the Board constituted for Homoeopathy education under section 18;

(h) "licence" means a licence to practice Homoeopathy granted under sub-section *(1)* of section 33;

(i) "Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy" means the Board for assessment and rating of medical institutions constituted under section 18;

(j) "medical institution" means any institution within or outside India which, grants degrees, diplomas or licences in Homoeopathy and includes affiliated colleges and deemed to be Universities;

(k) "Member" means a Member of the Commission referred to in section 4 and includes the Chairperson thereof;

(l) "National Register" means a National Medical Register for Homoeopathy maintained by the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy under section 32;

(m) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(o) "President" means the President of an Autonomous Board appointed under section 20;

(p) "regulations" means the regulations made by the Commission under this Act;

(q) "State Medical Council" means a State Medical Council of Homoeopathy constituted under any law for the time being in force in any State or Union territory for regulating the practice and registration of practitioners of Homoeopathy;

(*r*) "State Register" means a State register for Homoeopathy maintained under any law for the time being in force in any State or Union territory for registration of practitioners of Homoeopathy;

(*s*) "University" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*f*) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes a health university.

3 of 1956.

CHAPTER II

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

Constitution of National Commission for Homoeopathy.

3. (*1*) The Central Government shall, by notification, constitute a Commission, to be known as the National Commission for Homoeopathy, to exercise the powers conferred upon, and to perform the functions assigned to it, under this Act.

(*2*) The Commission shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued.

(*3*) The head office of the Commission shall be at New Delhi.

Composition of Commission.

4. (*1*) The Commission shall consist of the following persons, namely:—

(*a*) a Chairperson;

(*b*) seven *ex officio* Members; and

(*c*) nineteen part-time Members.

(*2*) The Chairperson shall be a person of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in Homoeopathy from a recognised University and having experience of not less than twenty years in the field of Homoeopathy, out of which at least ten years shall be as a leader in the area of healthcare delivery, growth and development of Homoeopathy or its education.

(*3*) The following persons shall be appointed by the Central Government as *ex officio* Members of the Commission, namely:—

(*a*) the President of the Homoeopathy Education Board;

(*b*) the President of the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy;

(*c*) the President of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy;

(*d*) Advisor (Homoeopathy) or Joint Secretary to the Government of India in-charge of Homoeopathy, in the Ministry of AYUSH;

(*e*) the Director, National Institute of Homoeopathy, Kolkata;

(*f*) the Director, North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong; and

(*g*) the Director-General, Central Council for Research in Homoeopathy, Janakpuri, New Delhi.

(*4*) The following persons shall be appointed by the Central Government as part-time Members of the Commission, namely:—

(*a*) three Members to be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing, who have special knowledge and professional experience in the areas of Homoeopathy, management, law, health research, science and technology and economics;

(*b*) ten Members to be appointed on rotational basis from amongst the nominees of the States and Union territories in the Advisory Council for a term of two years in such manner as may be prescribed.

(*c*) six members to be appointed from amongst the nominees of the States and Union territories, under clause (*d*) of sub-section (*2*) of section 11, of the Advisory Council for a term of two years in such manner as may be prescribed:

Provided that no Member shall either himself or through any of his family members, directly or indirectly, own or be associated with or have any dealings with the managing body of a private or non-government medical institution which is regulated under this Act.

Explanation.—For the purpose of this section and section 19, the term "leader" means the Head of a Department or the Head of an Organisation.

Search committee for appointment of Chairperson and Members.

5. *(1)* The Central Government shall appoint the Chairperson referred to in section 4 and the President of the Autonomous Boards referred to in section 20 on the recommendation of a Search Committee consisting of—

(a) the Cabinet Secretary—Chairperson;

(b) two experts, possessing outstanding qualifications and experience of not less than twenty-five years in the field of Homoeopathy, to be nominated by the Central Government—Members;

(c) one expert, from amongst the members as referred to in clause *(c)* of sub-section *(4)* of section 4, to be nominated by the Central Government in such manner as may be prescribed—Member;

(d) one person, possessing outstanding qualifications and experience of not less than twenty-five years in the field of health research, management, law, economics or science and technology, to be nominated by the Central Government—Member;

(e) the Secretary to the Government of India incharge of the AYUSH, to be the Convenor—Member:

Provided that for selection of part-time members of the Commission referred to in clause (*a*) of sub-section (*4*) of section 4, the Secretary referred to in section 8 and other Members of the Autonomous Boards referred to in section 20, the Search Committee shall consist of members specified in clauses (*b*) to (*d*) and Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of AYUSH as Convenor—Member and chaired by Secretary to the Government of India in-charge of the Ministry of AYUSH.

(2) The Central Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy, including by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member, or within three months before the end of tenure of the Chairperson or Member, make a reference to the Search Committee for filling up of the vacancy.

(3) The Search Committee shall recommend a panel of at least three names for every vacancy referred to it.

(4) Before recommending any person for appointment as the Chairperson or a Member of the Commission, the Search Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or Member.

(5) No appointment of the Chairperson or Member shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a Member in the Search Committee.

(6) Subject to the provisions of sub-sections *(2)* to *(5)*, the Search Committee may regulate its own procedure.

Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.

6. *(1)* The Chairperson and Members (other than *ex officio* Members) and Members appointed under clause *(b)* of sub-section *(4)* of section 4 shall hold office for a term not exceeding four years and shall not be eligible for any extension or re-appointment:

Provided that such person shall cease to hold office after attaining the age of seventy years.

(2) The term of office of an *ex officio* Member shall continue as long as he holds the office by virtue of which he is such Member.

(3) Where a Member, other than an *ex officio* Member, is absent from three consecutive ordinary meetings of the Commission and the cause of such absence is not attributable to any valid reason in the opinion of the Commission, such Member shall be deemed to have vacated the seat.

(4) The salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Member, other than an *ex officio* Member, shall be such as may be prescribed.

(5) The Chairperson or a Member may—

(a) relinquish his office by giving in writing a notice of not less than three months to the Central Government; or

(b) be removed from his office in accordance with the provisions of section 7:

Provided that such person may be relieved from duties earlier than three months or allowed to continue beyond three months until a successor is appointed, if the Central Government so decides.

(6) The Chairperson and every Member of the Commission shall make declaration of his assets and liabilities at the time of entering upon his office and at the time of demitting his office and also declare his professional and commercial engagement or involvement, in such form and manner as may be prescribed, and such declaration shall be published on the website of the Commission.

(7) The Chairperson or a Member, ceasing to hold office as such, shall not accept, for a period of two years from the date of demitting such office, any employment, in any capacity, including as a consultant or an expert, in any private Medical institution of Homoeopathy or, whose matter has been dealt with by such Chairperson or Member, directly or indirectly:

Provided that nothing contained herein shall be construed as preventing such person from accepting an employment in a body or institution including Medical institution of Homoeopathy, controlled or maintained by the Central Government or a State Government.

(8) Nothing in sub-section *(7)* shall prevent the Central Government from permitting the Chairperson or a Member to accept any employment in any capacity, including as a consultant or an expert, in any private Medical Institution of Homoeopathy, whose matter has been dealt with by such Chairperson or Member.

Removal of Chairperson and Members of Commission.

7. *(1)* The Central Government may, by order, remove from office the Chairperson or any other Member, who—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson or a Member; or

(d) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or

(f) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest.

(2) No Member shall be removed under clauses *(e)* and *(f)* of sub-section *(1)* unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Appointment of secretary, experts, professionals, officers and employees of Commission.

8. *(1)* There shall be a Secretariat for the Commission to be headed by a Secretary, to be appointed by the Central Government in accordance with the provisions of section 5.

(2) The Secretary of the Commission shall be a person of proven administrative capacity and integrity, possessing such qualifications and experience as may be prescribed.

(3) The Secretary shall be appointed by the Central Government for a term of four years and he shall not be eligible for any extension or re-appointment.

(4) The Secretary shall discharge such functions of the Commission as are assigned to him by the Commission and as may be specified by regulations made under this Act.

(5) The Commission may appoint such officers and other employees, as it considers necessary, against the posts created by the Central Government for the efficient discharge of its functions under this Act.

(6) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Commission shall be such as may be prescribed.

(7) The Commission may engage, in accordance with the procedure specified by regulations, such number of experts and professionals of integrity and outstanding ability, who have special knowledge of Homoeopathy and experience in fields including medical education in Homoeopathy, public health, management, economics, accreditation, patient advocacy, health research, science and technology, administration, finance, accounts or law as it deems necessary, to assist the Commission in the discharge of its functions under this Act.

Meetings of Commission.

9. *(1)* The Commission shall meet at least once every quarter at such time and place as may be appointed by the Chairperson.

(2) The Chairperson shall preside at the meeting of the Commission and if, for any reason, the Chairperson is unable to attend a meeting of the Commission, any Member being the President of the Autonomous Boards, nominated by the Chairperson shall preside at the meeting.

(3) Unless the procedure to be followed at the meetings of the Commission is otherwise provided by regulations, one-half of the total number of Members of the Commission including the Chairperson shall constitute the quorum and all decisions of the Commission shall be taken by a majority of the members, present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence, the President of the Autonomous Board nominated under sub-section *(2)*, shall have the casting vote.

(4) The general superintendence, direction and control of the administration of the Commission shall vest in the Chairperson.

(5) No act or proceeding of the Commission shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commission; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a Chairperson or as a Member.

(6) A person who is aggrieved by any decision of the Commission, except the decision rendered under sub-section *(4)* of section 30, may prefer an appeal to the Central Government against such decision within fifteen days of the communication of such decision.

Power and functions of Commission.

10. *(1)* The Commission shall perform the following functions, namely:—

(a) lay down policies for maintaining a high quality and high standards in education of Homoeopathy and make necessary regulations in this behalf;

(b) lay down policies for regulating medical institutions, medical researches and medical professionals and make necessary regulations in this behalf;

(c) assess the requirements in healthcare, including human resources for health and healthcare infrastructure and develop a road map for meeting such requirements;

(d) frame guidelines and lay down policies by making such regulations as may be necessary for the proper functioning of the Commission, the Autonomous Boards and the State Medical Councils of Homoeopathy;

(e) ensure coordination among the Autonomous Boards;

(*f*) take such measures, as may be necessary, to ensure compliance by the State Medical Councils of Homoeopathy of the guidelines framed and regulations made under this Act for their effective functioning under this Act;

(*g*) exercise appellate jurisdiction with respect to decisions of the Autonomous Boards;

(*h*) make regulations to ensure observance of professional ethics in Medical profession and to promote ethical conduct during the provision of care by medical practitioners;

(*i*) frame guidelines for determination of fees and all other charges in respect of fifty per cent. of seats in private medical institutions and deemed to be Universities which are governed under the provisions of this Act.

(*j*) exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

(*2*) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by signature of the Secretary and the Commission may delegate such of its powers on administrative and financial matters, as it deems fit, to the Secretary.

(*3*) The Commission may constitute sub-committees and delegate such of its powers to them as may be necessary to enable them to accomplish specific tasks.

CHAPTER III

ADVISORY COUNCIL FOR HOMOEOPATHY

Constitution and composition of Advisory council for Homoeopathy.

11. (*1*) The Central Government shall, by notification, constitute an advisory body to be known as the Advisory Council for Homoeopathy.

(*2*) The Council shall consist of a Chairperson and the following Members, namely:—

(*a*) the Chairperson of the Commission shall be the *ex officio* Chairperson of the Council;

(*b*) every Member of the Commission shall be *ex officio* member of the Council;

(*c*) one Member, to represent each State, who is the Vice-Chancellor of a University in that State, possessing qualifications in Homoeopathy, to be nominated by that State Government, and one member to represent each Union territory, who is the Vice-Chancellor of a University in that Union territory, possessing qualifications in Homoeopathy, to be nominated by the Ministry of Home Affairs in the Government of India:

Provided that where the Vice-Chancellor possessing qualifications in Homoeopathy is not available, a Dean or Head of Faculty possessing qualifications in Homoeopathy shall be nominated;

(*d*) one member to represent each State and each Union territory from amongst elected members of the State Homoeopathy Medical Council, to be nominated by that State Medical Council;

(*e*) the Chairman,University Grants Commission;

(*f*) the Director, National Assessment and Accreditation Council;

(*g*) four Members to be nominated by the Central Government from amongst persons holding the post of Director in the Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management and the Indian Institute of Science;

(*h*) the terms of non-*ex officio* Members in the Council shall be four years.

Functions of Advisory Council for Homoeopathy.

12. *(1)* The Council shall be the primary platform through which the States and Union territories may put forth their views and concerns before the Commission and help in shaping the overall agenda, policy and action relating to medical education, training, research and development of Homoeopathy.

(2) The Council shall advise the Commission on measures to determine and maintain, and to coordinate maintenance of the minimum standards in all matters relating to medical education, training, research and development.

(3) The Council shall advise the Commission on measures to enhance equitable access to medical education.

Meetings of Advisory Council for Homoeopathy.

13. *(1)* The Council shall meet at least twice in a year at such time and place as may be decided by the Chairperson.

(2) The Chairperson shall preside at the meeting of the Council and if for any reason the Chairperson is unable to attend a meeting of the Council, such other member as nominated by the Chairperson shall preside over the meeting.

(3) Unless the procedure is otherwise provided by regulations, one-half of the Members of the Council including the Chairperson shall form the quorum and all acts of the Council shall be decided by a majority of the Members present and voting.

CHAPTER IV

NATIONAL EXAMINATION

National Eligibility-cum-Entrance Test.

14. *(1)* There shall be a uniform National Eligibility-cum-Entrance Test, for admission to the undergraduate in Homoeopathy in all medical institutions governed under this Act.

(2) The Commission shall conduct the National Eligibility-cum-Entrance Test in English and in such other languages, through such designated authority and in such manner, as may be specified by regulations.

(3) The Commission shall specify by regulations the manner of conducting common counselling by the designated authority for admission to all the medical institutions governed under this Act:

Provided that the common counselling shall be conducted by the designated authority of —

(i) the Central Government, for All India seats; and

(*ii*) the State Government, for the remaining seats at the State level.

National Exit Test.

15. *(1)* A common final year undergraduate medical examination, to be known as the National Exit Test, shall be held for granting licence to practice as medical practitioner of Homoeopathy and for enrolment in the State Register or National Register, as the case may be.

(2) The Commission shall conduct the National Exit Test for Homoeopathy in English and in such other languages, through such designated authority and in such manner as may be specified by regulations.

(3) The National Exit Test shall become operational on such date, within three years from the date on which this Act comes into force, as may be appointed by the Central Government, by notification.

(4) Any person with a foreign medical qualification shall have to qualify National Exit Test for the purpose of obtaining licence to practice Homoeopathy as medical practitioner of Homoeopathy and for enrolment in the State Register or the National Register, as the case may be, in such manner as may be specified by regulations.

Post-Graduate National Entrance Test.

16. *(1)* A uniform Post-Graduate National Entrance Test shall be conducted for admission to post-graduate courses in Homoeopathy in all medical institutions governed under this Act.

(2) The Commission shall conduct the National Entrance Test for admission to post-graduate courses in English and in such other languages, through such designated authority and in such manner, as may be specified by regulations.

(3) The Commission shall specify by regulations the manner of conducting common counselling by the designated authority for admission to the post-graduate seats in all medical institutions governed under this Act.

National Teachers' Eligibility Test for Homoeopathy.

17. *(1)* A National Teachers' Eligibility Test shall be conducted separately for the post-graduates of Homoeopathy who desire to take up teaching profession in that discipline.

(2) The Commission shall conduct the National Teachers' Eligibility Test for Homoeopathy through such designated authority and in such manner as may be specified by regulations.

(3) The National Teachers' Eligibility Test for Homoeopathy shall become operational on such date, within three years from the date on which this Act comes into force, as may be notified by the Central Government:

Provided that nothing contained in this section shall apply to the teachers appointed prior to the date notified under sub-section *(3)*.

CHAPTER V

AUTONOMOUS BOARDS

Constitution of Autonomous Boards.

18. *(1)* The Central Government shall, by notification, constitute the following Autonomous Boards, under the overall supervision of the Commission, to perform the functions assigned to such Boards under this Act, namely:—

(a) the Homoeopathy Education Board;

(b) the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy; and

(c) the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

(2) Each Board referred to in sub-section *(1)* shall be an autonomous body which shall carry out its functions under this Act in accordance with the regulations made by the Commission.

Composition of Autonomous Boards.

19. *(1)* The composition of the Autonomous Boards shall be as under, namely:—

(a) the Homoeopathy Education Board shall consist of a President and four Members from the discipline of Homoeopathy;

(b) the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall consist of a President from the discipline of Homoeopathy and two Members, out of whom one Member shall be from the discipline of Homoeopathy and the other Member shall be an acceditation expert;

(c) the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall consist of a President from the discipline of Homoeopathy and two Members, out of whom one Member shall be from the discipline of Homoeopathy and the other Member shall be a person who has demonstrated public record of work on medical ethics or chosen from any of the disciplines of quality assurance, public health, law or patient advocacy.

(2) The President and Members of the Autonomous Boards to be chosen under sub-section *(1)* shall be persons of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing post-graduate degree in respective disciplines from a recognised University and having experience of not less than fifteen years in respective fields, out of which at least seven years shall be as a leader:

Provided that seven years as leader in the case of the President and Member from Homoeopathy shall be in the area of health, growth and development of education in Homoeopathy.

Search Committee for appointment of President and Members.

20. The Central Government shall appoint the President and Members of the Autonomous Boards on the basis of the recommendations made in accordance with the procedure specified in section 5 by the Search Committee constituted thereunder.

Term of office and conditions of service of President and Members.

21. *(1)* The President and Members of each Autonomous Board shall hold the office for a term not exceeding four years and shall not be eligible for any extension or re-appointment:

Provided that such person shall cease to hold office after attaining the age of seventy years.

(2) The salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the President and Members of an Autonomous Board shall be such as may be prescribed.

(3) The provisions contained in sub-sections *(3)*, *(5)*, *(6)*, *(7)* and *(8)* of section 6 relating to other terms and conditions of service of, and in section 7 relating to removal from office, the Chairperson and Members of the Commission shall also be applicable to the President and Members of the Autonomous Boards.

Advisory committees of experts.

22. *(1)* Each Autonomous Board, except the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, shall be assisted by such advisory committees of experts, as may be constituted by the Commission, for the efficient discharge of the functions of such Boards under this Act.

(2) The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall be assisted by such ethics committees of experts, as may be constituted by the Commission, for the efficient discharge of the functions of that Board under this Act.

Staff of Autonomous Boards.

23. The experts, professionals, officers and other employees appointed under section 8 shall be made available to the Autonomous Boards in such number and in such manner, as may be specified by regulations made by the Commission.

Meetings of Autonomous Boards.

24. *(1)* Every Autonomous Board shall meet at least once a month at such time and place as it may appoint.

(2) Subject to such regulations as may be made in this behalf, all decisions of the Autonomous Boards shall be made by consensus and if consensus is not possible, decision shall be made by majority of votes of the President and Members.

(3) A person who is aggrieved by any decision of an Autonomous Board may prefer an appeal to the Commission against such decision within thirty days of the communication of such decision.

Delegation of powers.

25. *(1)* The Commission may delegate all or any of its administrative and financial powers to the President of each Autonomous Board to enable such Board to function smoothly and efficiently.

(2) The President of an Autonomous Board may further delegate any of his powers to a Member or officer of that Board.

Powers and functions of Homoeopathy Education Board.

26. *(1)* The Homoeopathy Education Board shall perform the following functions, namely:—

(a) determine the standards of education at the undergraduate, post-graduate and super-speciality levels and oversee all aspects of relating thereto;

(b) develop a competency based dynamic curriculum for Homoeopathy at all levels in accordance with the regulations made under this Act, in such manner that it

develops appropriate skill, knowledge, attitude, values and ethics among the post-graduate and super-speciality students and enables them to provide healthcare, to impart medical education and to conduct medical research;

(c) frame guidelines on setting up of medical institutions for imparting undergraduate, post-graduate and super-speciality courses in Homoeopathy, having regard to the needs of the country, the global norms and the regulations made under this Act;

(d) determine minimum requirements and standards for conducting of courses and examinations in medical institutions, having regard to the needs of creativity at local levels and the regulations made under this Act;

(e) determine standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education and research in medical institutions of Homoeopathy, in accordance with the regulations made under this Act;

(f) specify norms for compulsory annual disclosure, electronically and otherwise, by medical institutions of Homoeopathy in respect of their functions that has a bearing on the interest of various stakeholders including students, faculty, the Commission and the Government;

(g) facilitate development and training of faculty Members;

(h) facilitate research programmes;

(i) grant recognition to medical qualifications of Homoeopathy at all levels.

(2) The Homoeopathy Education Board may, in the discharge of its functions, make such recommendations to, and seek such directions from, the Commission, as it deems necessary.

Powers and functions of Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

27. *(1)* The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall perform the following functions, namely:—

(a) maintain a National Register of all licensed practitioners of Homoeopathy in accordance with the provisions of section 32;

(b) regulate professional conduct and promote medical ethics in accordance with the regulations made under this Act:

Provided that the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall ensure compliance with the code of professional and ethical conduct through the State Medical Council, in a case where such State Medical Council has been conferred power to take disciplinary actions in respect of professional or ethical misconduct by medical practitioners under respective State Acts;

(c) develop mechanisms to have continuous interaction with State Medical Councils of Homoeopathy to effectively promote and regulate the conduct of medical practitioners of Homoeopathy;

(d) exercise appellate jurisdiction with respect to the actions taken by a State Medical Council under section 31.

(2) The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy may, in the discharge of its functions, make such recommendations to, and seek such directions from, the Commission, as it deems necessary.

Powers and functions of Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

28. *(1)* The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall perform the following functions, namely:—

(a) determine the process of assessment and rating of medical institutions on the basis of their compliance with the standards laid down by the Homoeopathy Education Board, in accordance with the regulations made under this Act;

(b) grant permission for establishment of a new medical institution or to start any post-graduate course or to increase number of seats, in accordance with the provisions of section 29;

(c) carry out inspections of medical institutions for assessing and rating such institutions in accordance with the regulations made under this Act:

Provided that the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may, if it deems necessary, hire and authorise any other third party agency or persons for carrying out inspections of medical institutions for assessing and rating such institutions:

Provided further that where inspection of medical institutions is carried out by such third party agency or persons authorised by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, it shall be obligatory on such institutions to provide access to such agency or person;

(d) conduct, or where it deems necessary, empanel independent rating agencies to conduct, assess and rate all medical institutions, within such period of their opening, and every year thereafter, at such time, and in such manner, as may be specified by regulations;

(e) make available on its website or in public domain, the assessment and ratings of medical institutions at regular intervals, in accordance with the regulations made under this Act;

(f) take such measures, including issuing warning, imposition of monetary penalty, reducing intake or stoppage of admissions and recommending to the Commission for withdrawal of recognition, against a medical institution for its failure to maintain the minimum essential standards specified by the Homoeopathy Education Board, in accordance with the regulations made under this Act.

(2) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may, in the discharge of its functions, make such recommendations to, and seek such directions from, the Commission, as it deems necessary.

Permission for establishment of new medical institution.

29. *(1)* No person shall establish a new medical institution or start any post-graduate course or increase number of seats without obtaining prior permission of the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the term "person" includes any University or a trust or any other body but does not include the Central Government.

(2) For the purpose of obtaining permission under sub-section *(1)*, a person may submit a scheme to the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy in such form, containing such particulars, accompanied by such fee, and in such manner, as may be specified by regulations.

(3) While considering the scheme received under sub-section *(2)*, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall have regard to the standards of education and research, the standards and norms for infrastructure and faculty, the guidelines on setting up of medical institutions and other requirements determined by the Homoeopathy Education Board, and pass an order either approving or disapproving the scheme within three months from the date of receipt of such scheme:

Provided that before disapproving such scheme, an opportunity to rectify the defects, if any, shall be given to the person concerned.

(4) Where a scheme is approved under sub-section *(3)*, such approval shall be the permission under sub-section *(1)* to establish a new medical institution.

(5) Where a scheme is disapproved under sub-section *(3)* or where no order is passed within three months of submitting a scheme under sub-section *(2)*, the person concerned may prefer an appeal to the Commission within fifteen days of such disapproval or, as the case may be, after lapse of three months, in such manner as may be specified by regulations.

(6) Where the Commission has disapproved the scheme or no order has been passed within fifteen days from the date of preferring appeal under sub-section *(5)*, the person concerned may prefer a second appeal to the Central Government within seven days of communication of such disapproval or, as the case may be, lapse of specified period of fifteen days.

(7) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may conduct evaluation and assessment of any University or medical institution at any time, either directly or through any other expert, having integrity and experience in medical profession without any prior notice and assess and evaluate the performance, standards and benchmarks of such University or medical institution.

Criteria for approving or disapproving scheme.

30. While approving or disapproving a scheme under section 29, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, or the Commission, as the case may be, shall take into consideration the following criteria, namely:—

(*a*) adequacy of infrastructure and financial resources;

(*b*) whether adequate academic faculty, non-teaching staff and other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of medical institution or would be provided within the time-limit specified in the scheme;

(*c*) whether adequate hospital facilities have been provided or would be provided within the time-limit specified in the scheme;

(*d*) such other factors as may be prescribed:

Provided that, subject to the previous approval of the Central Government, the criteria may be relaxed for the medical institutions which are set up in such areas as may be specified by the regulations.

State Medical Councils.

31. *(1)* The State Government shall, by notification, within three years of the commencement of this Act, establish a State Medical Council for Homoeopathy in that State if no such Council exists in that State.

(2) Where a State Act confers power upon the State Medical Council to take disciplinary actions in respect of any professional or ethical misconduct by a registered practitioner of Homoeopathy, the State Medical Council shall act in accordance with the regulations made, and the guidelines framed, under this Act:

Provided that till such time as a State Medical Council for Homoeopathy is established in a State, the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall receive the complaints and grievances relating to any professional or ethical misconduct against a registered practitioner of Homoeopathy in that State in accordance with such procedure as may be specified by regulations:

Provided further that the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy or, as the case may be, the State Medical Council shall give an opportunity of hearing to such practitioner before passing any order or taking any action, including imposition of any monetary penalty, against such person.

(3) A practitioner of Homoeopathy who is aggrieved by the order passed or the action taken by—

(a) the State Medical Council under sub-section *(2)* may prefer an appeal to the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy and the decision, if any, of the

Board of Ethics and Registration for Homoeopathy thereupon shall be binding on such State Medical Council, unless a second appeal is preferred under sub-section *(4)*;

(b) the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy under the first proviso to sub-section *(2)* may prefer an appeal to the Commission.

(4) A medical practitioner of Homoeopathy who is aggrieved by the decision of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, may prefer an appeal to the Commission within sixty days of communication of such decision.

Explanation.—For the purposes of this Act:—

(a) "State" includes Union territory and the expressions "State Government" and "State Medical Council for Homoeopathy", in relation to a Union territory, shall respectively mean the "Central Government" and "Union Territory Medical Council for Homoeopathy";

(b) the expression "professional or ethical misconduct" includes any act of commission or omission, as may be specified by regulations;

National Register and State Register of Homoeopathy.

32. *(1)* The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall maintain a National Register containing the name, address, all recognised qualifications possessed by a licensed medical practitioner of Homoeopathy and such other particulars as may be specified by regulations.

(2) The National Register shall be maintained in such form, including in electronic form and in such manner as may be specified by regulations.

(3) The manner in which any name or qualification may be added to, or removed from, the National Register and the grounds for removal thereof, shall be such as may be specified by the regulations.

(4) The National Register shall be made available in the public by placing it on the website of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

(5) Every State Medical Council shall maintain and regularly update the State Register in the specified electronic format and supply a physical copy of the same to the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy within three months of the commencement of this Act.

(6) The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall ensure electronic synchronisation of the National Register and the State Register in such a manner that any change in one such register is automatically reflected in the other register.

Rights of persons to be enrolled in National Register and their obligations thereto.

33. *(1)* Any person who has a recognised medical qualification in Homoeopathy under this Act and qualifies the National Exit Test held under section 15 shall have a licence to practice Homoeopathy and shall have his name and qualifications enrolled in the National Register or a State Register, as the case may be:

Provided that a person who has been registered in the Central Register of Homoeopathy maintained under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 prior to the coming into force of this Act and before the National Exit Test becomes operational under sub-section *(3)* of section 15, shall be deemed to have been registered under this Act and be enrolled first in the State Register and subsequently in the National Register maintained under this Act. 59 of 1973.

(2) No person who has obtained a qualification in Homoeopathy from a medical institution established in any country outside India and is recognised as a medical practitioner of Homoeopathy in that country, shall, after the commencement of this Act and the National Exit Test for Homoeopathy becomes operational under sub-section *(3)* of section 15, be enrolled in the National Register for Homoeopathy, unless he qualifies the National Exit Test for Homoeopathy.

(3) When a person whose name is entered in the State Register or the National Register, as the case may be, obtains any title, diploma or qualification for proficiency in sciences or medicine which is a recognised qualification under section 34 or section 35, as the case may be, he shall be entitled to have such title, diploma or qualification entered against his name in the State Register or the National Register, in such manner as may be specified by regulations.

Rights of persons to practice.

34. *(1)* No person other than a person who is enrolled in the State Register or the National Register, as the case may be, shall—

(a) be allowed to practice Homoeopathy as a qualified practitioner;

(b) hold office as a physician or a surgeon or any other office, by whatever name called, which is meant to be held by a physician or surgeon, as the case may be;

(c) be entitled to sign or authenticate a medical or fitness certificate or any other certificate required by any law to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner;

(d) be entitled to give evidence at any inquest or in any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 on any matter relating to Homoeopathy:

1 of 1872.

Provided that the Commission shall submit a list of such practitioners to the Central Government in such manner as may be prescribed:

Provided further that a foreign citizen who is enrolled in his country as a practitioner of Homoeopathy in accordance with the law regulating the registration of such practitioners in that country may be permitted temporary registration in India for such period and in such manner as may be specified by regulations.

(2) Any person who acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.

(3) Nothing contained in sub-section *(2)* shall affect,—

(a) the right of a person enrolled on a State Register as practitioner of Homoeopathy to practice in any State merely on the ground that he does not possess, as on the date of commencement of this Act, a recognised medical qualification in Homoeopathy;

(b) the right of a person who has been practicing Homoeopathy for not less than five years in a State, to continue to practice in that State in which a State Register of Homoeopathy is not maintained as on the date of commencement of this Act.

CHAPTER VI

RECOGNITION OF QUALIFICATIONS OF HOMOEOPATHY

Recognition of qualifications granted by Universities or medical institutions in India.

35. *(1)* The medical qualifications in Homoeopathy at undergraduate or postgraduate or super-speciality level granted by any University or medical institution in India shall be listed and maintained by the Homoeopathy Education Board, in such manner as may be specified by regulations and such medical qualification shall be a recognised qualification for the purposes of this Act.

(2) Any University or medical institution in India which grants an undergraduate or postgraduate or super-speciality qualification in Homoeopathy not included in the list maintained by the Homoeopathy Education Board, may apply to that Board for granting recognition to such qualification.

(3) The Homoeopathy Education Board shall examine the application for grant of recognition within period of six months in such manner as may be specified by regulations.

(4) Where the Homoeopathy Education Board decides to grant recognition to the qualification in Homoeopathy, it shall include such qualification in the list maintained by it

and shall also specify therein the date of effect of such recognition, otherwise it shall communicate its decision not to grant recognition to the concerned University or medical institution.

(5) The aggrieved University or the medical institution may prefer an appeal to the Commission within a period of sixty days from the date of communication of the decision of Homoeopathy Education Board in such manner as may be specified by regulations.

(6) The Commission shall examine the appeal received under sub-section *(5)* within a period of two months and if it decides that recognition may be granted to such medical qualification, it may direct the concerned Board to include such qualification in the list maintained by that Board in such manner as may be specified by regulations.

(7) Where the Commission decides not to grant recognition under sub-section *(6)* or fails to decide within the specified period, the aggrieved University or medical institution concerned may prefer a second appeal to the Central Government within a period of thirty days of the communication of such decision or lapse of specified period, as the case may be.

(8) All medical qualifications which have been recognised before the date of commencement of this Act and are included in the Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973, shall also be listed and maintained by the Homoeopathy Education Board, in such manner as may be specified by regulations. 59 of 1973.

Recognition of medical qualifications granted by medical institutions outside India.

36. *(1)* Where an authority in any country outside India which, by the law of that country, is entrusted with the recognition of qualifications of Homoeopathy in that country, makes an application to the Commission for granting recognition to such qualification in India, the Commission may, subject to such verification as it deems necessary, either grant or refuse to grant recognition to that medical qualification.

(2) Where the Commission grants recognition to any medical qualification under sub-section (*1*), such qualification shall be a recognised qualification for the purposes of this Act and shall be included in the list maintained by the Commission in such manner as may be specified:

Provided that in case the Commission decides not to grant recognition to any qualification, the Commission shall give a reasonable opportunity of being heard to such authority before refusing to grant such recognition.

(3) Where the Commission refuses to grant recognition to a medical qualification under sub-section *(2)*, the authority concerned may prefer an appeal to the Central Government for grant of recognition.

(4) All qualifications which have been recognised before the date of commencement of this Act and are included in the Third Schedule to the Homoeopathy Central Council, Act, 1973 shall also be recognised medical qualifications for the purposes of this Act and shall be listed and maintained by the Commission in such manner as may be specified by regulations. 59 of 1973.

Withdrawal of recognition or de-recognition of qualification.

37. *(1)* Where, upon a report received from the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or otherwise, it appears to the Commission that—

(a) the courses of study and examination to be undergone in, or the proficiency required from candidates at any examination held by, a University or medical institution do not conform to the standards specified by Homoeopathy Education Board; or

(b) the standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education in medical institutions as determined by the Homoeopathy Education Board are not adhered to by any University or medical institution, and such University or medical institution has failed to take necessary corrective action to maintain specified minimum standards,

the Commission may initiate action in accordance with the provisions of sub-section *(2)* :

Provided that the Commission shall, before, taking any action for *suo motu* withdrawal of recognition granted to the medical qualification awarded by a University or medical institution, impose penalty in accordance with the provisions of clause *(f)* of sub-section *(1)* of section 28.

(2) The Commission shall, after making such further inquiry as it deems fit, and after holding consultations with the State Government and the authority of the concerned University or medical institution, comes to the conclusion that the recognition granted to a medical qualification ought to be withdrawn, it may, by order, withdraw recognition granted to such medical qualification and direct the Homoeopathy Education Board to amend the entries against the University or medical institution concerned in the list maintained by that Board to the effect that the recognition granted to such qualification is withdrawn with effect from the date specified in that order.

(3) If the Commission, after verification with the authority in any country outside India, is of the opinion that a recognised medical qualification which is included in the list maintained by it is to be de-recognised, it may, by order, de-recognise such medical qualification and remove it from the list maintained by the Commission with effect from the date of such order.

Special provision in certain cases for recognition of qualifications.

38. Where the Commission deems it necessary so to do, it may, by notification, direct that any qualification in Homoeopathy granted by a medical institution outside India, after such date, as may be specified in that notification, shall be recognised qualification for the purposes of this Act:

Provided that medical practice by a person possessing such qualification shall be permitted only if such person has been enrolled as a medical practitioner in accordance with the law regulating the registration of medical practitioner for the time being in force in that country:

Provided further that medical practice by a person possessing such qualification shall be limited to such period as may be specified in that order:

Provided also that medical practice by a person possessing such qualification shall be permitted only if such person qualifies National Exit Test.

CHAPTER VII

GRANTS, AUDIT AND ACCOUNTS

Grants by Central Government.

39. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the Commission grants of such sums of money as the Central Government may think fit.

National Commission Fund for Homoeopathy.

40. *(1)* There shall be constituted a fund to be called "the National Commission Fund for Homoeopathy" and there shall be credited thereto—

(a) all Government grants, fees, penalties and charges received by the Commission and the Autonomous Boards;

(b) all sums received by the Commission from such other source as may be decided by it.

(2) The fund shall be applied for making payment towards—

(a) The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members of the Commission, Presidents and Members of the Autonomous Boards and administrative expenses including the salaries and allowances payable to the officers and other employees of the Commission and the Autonomous Boards;

(b) the expenses incurred or to be incurred in carrying out the provisions of this Act including in connection with the discharge of the functions of the Commission and the Autonomous Boards.

Audit and accounts.

41. *(1)* The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any other persons appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of, and complete access to, records, books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Commission.

(4) The accounts of the Commission as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually by the Commission to the Central Government which shall cause the same to be laid, as soon as may be after it is received, before each House of Parliament.

Furnishing of returns and reports to Central Government.

42. *(1)* The Commission shall furnish to the Central Government, at such time, in such form and in such manner, as may be prescribed or as the Central Government may direct, such reports and statements and such particulars in regard to any matter under the jurisdiction of the Commission, as the Central Government may, from time to time, require.

(2) The Commission shall prepare, once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the Central Government.

(3) A copy of the report received under sub-section *(2)* shall be laid by the Central Government, as soon as may be after it is received, before each House of Parliament.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

Power of Central Government to give directions to Commission and Autonomous Boards.

43. *(1)* Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Commission and the Autonomous Boards shall, in exercise of their powers and discharge of their functions under this Act be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to them from time to time:

Provided that the Commission and the Autonomous Boards shall, as far as practicable, be given an opportunity to express their views before any direction is given under this sub-section.

(2) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.

Power of Central Government to give directions to State Governments.

44. The Central Government may give such directions, as it may deem necessary, to a State Government for carrying out all or any of the provisions of this Act and the State Government shall comply with such directions.

Information to be furnished by Commission and publication thereof.

45. *(1)* The Commission shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts and other information to the Central Government as that Government may require.

(2) The Central Government may publish, in such manner as it may think fit, the reports, minutes, abstracts of accounts and other information furnished to it under sub-section *(1)*.

Obligation of Universities and medical institutions.

46. Every University and medical institutions covered under this Act shall maintain a website at all times and display in its website all such information as may be required by the Commission or an Autonomous Board, as the case may be.

Completion of courses of studies in medical institutions.

47. *(1)* Notwithstanding anything contained in this Act, any student who was studying for a degree or diploma in any medical institution immediately before the commencement of this Act shall continue to so study and complete his course for such degree or diploma, and such institution shall continue to provide instructions and hold examination for such student in accordance with the syllabus and studies as existed before such commencement, and such student shall be deemed to have completed his course of study under this Act and shall be awarded degree or diploma under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, where recognition granted to a medical institution has lapsed, whether by efflux of time or by its voluntary surrender or for any other reason whatsoever, such medical institution shall continue to maintain and provide the minimum standards as approved by the Commission till such time as all the candidates are able to complete their study in that institution.

Chairperson, Members, officers of Commission, Autonomous Boards to be public servants.

48. The Chairperson, Members, officers and other employees of the Commission, President and Members of Autonomous Boards shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

45 of 1860.

Protection of action taken in good faith.

49. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, the Commission or any Autonomous Board or a State Medical Council or any Committee thereof, or any officer or other employee of the Government or of the Commission acting under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Cognizance of offences.

50. No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made in this behalf by an officer authorised by the Commission or the Ethics and Registration Board or a State Medical Council, as the case may be.

Power of Central Government to supersede Commission.

51. *(1)* If, at any time, the Central Government is of opinion that—

(a) the Commission is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or

(b) the Commission has persistently made default in complying with any direction issued by the Central Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act,

the Central Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Commission for such period, not exceeding six months, as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Central Government shall give a reasonable opportunity to the Commission to show cause as to why it should not be superseded and shall consider the explanations and objections, if any, of the Commission.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section *(1)* superseding the Commission,—

(a) all the Members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;

(b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Commission, shall, until the Commission is re-constituted under sub-section *(3)*, be exercised and discharged by such person or persons as the Central Government may direct;

(c) all property owned or controlled by the Commission shall, until the Commission is re-constituted under sub-section *(3)*, vest in the Central Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section *(1)*, the Central Government may,—

(a) extend the period of supersession for such further term not exceeding six months, as it may consider necessary; or

(b) re-constitute the Commission by fresh appointment and in such case the Members who vacated their offices under clause *(a)* of sub-section *(2)* shall not be deemed disqualified for appointment:

Provided that the Central Government may, at any time before the expiration of the period of supersession, whether as originally specified under sub-section *(1)* or as extended under this sub-section, take action under clause *(b)* of this sub-section.

(4) The Central Government shall cause a notification issued under sub-section *(1)* and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before both Houses of Parliament at the earliest opportunity.

Joint sittings of Commission, National Commission for Indian Systems of Medicine and National Medical Commission.

52. *(1)* There shall be a joint sitting of the Commission, the National Commission for Indian System of Medicine and the National Medical Commission, at least once a year, at such time and place as they mutually appoint, to enhance the interface between Homoeopathy, Indian System of Medicine and modern system of medicine.

(2) The Agenda for the joint sitting may be placed with mutual agreement by the Chairpersons of the Commissions concerned.

(3) The joint sitting may, by an affirmative vote of all members present and voting, decide on approving specific educational and medical modules or programmes that could be introduced in the undergraduate and postgraduate courses across medical systems, and promote medical pluralism.

State Government to promote public health.

53. Every State Government may, for the purposes of addressing or promoting public health, take necessary measures to enhance the capacity of the healthcare professionals.

Power to make rules.

54. *(1)* The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the manner of appointing five Members of the Commission on rotational basis from amongst the nominees of the States and Union territories in the Advisory Council under clause *(b)* of sub-section *(4)* of section 4;

(b) the manner of appointing members under clause (*c*) of sub-section (*4*) of section 4;

(c) the manner of nominating one expert by the Central Government under clause *(c)* of sub-section *(1)* of section 5;

(d) the salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members under sub-section *(4)* of section 6;

(e) the form and the manner of making declaration under sub-section *(6)* of section 6;

(*f*) the qualifications and experience to be possessed by Secretary under sub-section (*2*) of section 8;

(*g*) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of the Secretary, officers and other employees of the Commission under sub-section (*6*) of section 8;

(*h*) the other powers to be exercised and other functions to be performed by the Commission under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 10;

(*i*) the salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the President and Members of an Autonomous Board under sub-section (*2*) of section 21;

(*j*) the other factors under clause (*d*) of section 30;

(*k*) the manner of submitting list of practitioners under the second proviso to sub-section (*1*) of section 33;

(*l*) the form for preparing annual statement of accounts under sub-section (*1*) of section 41;

(*m*) the time within which, and the form and the manner in which, the reports and statements shall be furnished by the Commission and the particulars with regard to any matter as may be required by the Central Government under sub-section (*1*) of section 42;

(*n*) the form and the time for preparing annual report under sub-section (*2*) of section 43;

(*o*) the compensation for the premature termination of employment under the second proviso to sub-section (*3*) of section 58;

(*p*) any other matter in respect of which provision is to be made by rules.

Power to make regulations.

55. (*1*) The Commission may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the functions to be discharged by the Secretary of the Commission under sub-section (*4*) of section 8;

(*b*) the procedure in accordance with which experts and professionals may be engaged and the number of such experts and professionals under sub-section (*7*) of section 8;

(*c*) the procedure to be followed at the meetings of Commission, including the quorum at its meetings under sub-section (*3*) of section 9;

(*d*) the quality and standards to be maintained in education of Homoeopathy under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 10;

(*e*) the manner of regulating medical institutions, medical researches and medical professionals under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 10;

(*f*) the manner of regulating functioning of the Commission, the Autonomous Boards and the State Medical Councils under clause (*d*) of sub-section (*1*) of section 10;

(*g*) the procedure to be followed at the meetings of the Medical Advisory Council, including the quorum at its meetings under sub-section (*3*) of section 13;

(h) the other languages in which, the designated authority through which, and the manner in which the National Eligibility-cum-Entrance Test shall be conducted under sub-section *(2)* of section 14;

(i) the manner of conducting common counselling by the designated authority for admission to medical institutions under sub-section *(3)* of section 14;

(j) the other languages in which, the designated authority through which, and the manner in which, the National Exit Test shall be conducted under sub-section *(2)* of section 15;

(k) the manner in which a person with foreign medical qualification shall qualify National Exit Test under sub-section *(4)* of section 15;

(l) the other languages in which, the designated authority through which, and the manner in which admission to postgraduate courses shall be conducted under sub-section *(2)* of section 16;

(m) the manner of conducting common counselling by the designated authority for admission to the postgraduate seats in all medical institutions under sub-section *(3)* of section 16;

(n) the manner of conducting the National Teachers' Eligibility Test for Homoeopathy and the designated authority through whom such test shall be conducted under sub-section *(2)* of section 17;

(o) the number of, and the manner in which, experts, professionals, officers and other employees shall be made available by the Commission to the Autonomous Boards under section 23;

(p) the manner in which decisions of the Autonomous Boards shall be made under sub-section *(2)* of section 24;

(q) the competency based dynamic curriculum at all levels under clause *(b)* of sub-section *(1)* of section 26;

(r) the manner of setting up of medical institutions for imparting undergraduate, postgraduate and super-speciality courses in Homoeopathy under clause *(c)* of sub-section *(1)* of section 26;

(s) the minimum requirements and standards for conducting courses and examinations in medical institutions under clause *(d)* of sub-section *(1)* of section 26;

(t) the standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education and research in medical institutions of Homoeopathy under clause *(e)* of sub-section *(1)* of section 26;

(u) the manner of regulating professional conduct and promoting medical ethics under clause *(b)* of sub-section *(1)* of section 27;

(v) the procedure for assessment and rating of the medical institutions under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 28;

(w) the manner of carrying out inspections of medical institutions for assessing and rating under clause *(c)* of sub-section *(1)* of section 28;

(x) the manner of conducting, and the manner of empanelling independent rating agencies to conduct, assess and rate all medical institutions under clause *(d)* of sub-section *(1)* of section 28;

(y) the manner of making available on website or in public domain the assessment and ratings of medical institutions under clause *(e)* of sub-section *(1)* of section 28;

(*z*) the measures to be taken against a medical institution for failure to maintain the minimum essential standards under clause *(f)* of sub-section *(1)* of section 28;

(*za*) the form of scheme, the particulars thereof, the fee to be accompanied and the manner of submitting scheme for establishing new medical college under sub-section *(2)* of section 29;

(*zb*) the manner of preferring an appeal to the Commission for approval of the scheme under sub-section *(5)* of section 29;

(*zc*) the areas in respect of which criteria may be relaxed under the proviso to section 30;

(*zd*) the manner of taking disciplinary action by a State Medical Council for professional or ethical misconduct of registered medical practitioner and the procedure for receiving complaints and grievances by the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, under sub-section *(2)* of section 31;

(*ze*) the act of commission or omission which amounts to professional or ethical misconduct under clause *(b)* of the *Explanation* to section 31;

(*zf*) other particulars to be contained in a National Register under sub-section *(1)* of section 32;

(*zg*) the form, including the electronic form and the manner of maintaining the National Register under sub-section *(2)* of section 33;

(*zh*) the manner in which any name or qualification may be added to, or removed from, the National Register and the grounds for removal thereof, under sub-section *(3)* of section 34;

(*zi*) the manner of entering the title, diploma or qualification in the State Register or the National Register under sub-section *(3)* of section 35;

(*zj*) the manner in which, and the period for which temporary registration may be permitted to a foreign citizen under the third proviso to sub-section *(1)* of section 34;

(*zk*) the manner of listing and maintaining medical qualifications granted by a University or medical institution in India under sub-section *(1)* of section 35;

(*zl*) the manner of examining the application for grant of recognition under sub-section *(3)* of section 35;

(*zm*) the manner of preferring an appeal to the Commission for grant of recognition under sub-section *(5)* of section 35;

(*zn*) the manner of including a medical qualification in the list maintained by the Board under sub-section *(6)* of section 36;

(*zo*) the manner in which the Homoeopathy Education Board shall list and maintain the medical qualifications which have been granted recognition before the date of commencement of this Act, under sub-section *(8)* of section 35;

(*zp*) the manner in which the Commission shall list and maintain the medical qualifications which have been granted recognition before the date of commencement of this Act, under sub-section *(4)* of section 36.

Rules and regulations to be laid before Parliament.

56. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation

shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Power to remove difficulties.

57. *(1)* If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary, for the removing of the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Repeal and saving.

58. *(1)* With effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint in this behalf, the Homoeopathy Central Council Act, 1973 shall stand repealed and the Central Council of Homoeopathy constituted under section 3 of the said Act shall stand dissolved. 59 of 1973.

(2) Notwithstanding the repeal of the Act referred to in sub-section *(1)*, it shall not affect,—

(a) the previous operation of the Acts so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act so repealed; or

(c) any penalty incurred in respect of any contravention under the Act so repealed; or

(d) any proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty may be imposed as if that Act had not been repealed.

(*3*) On the dissolution of the Central Council of Homoeopathy, the person appointed as the Chairman of that Council and every other person appointed as the Member and any officer and other employees of the Council and holding office as such immediately before such dissolution shall vacate their respective offices and such Chairman and other Members shall be entitled to claim compensation not exceeding three months' pay and allowances for the premature termination of term of their office or of any contract of service:

Provided that any officer or other employee who has been, immediately before the dissolution of the Central Council of Homoeopathy appointed on deputation basis to the Central Council of Homoeopathy, shall, on such dissolution, stand reverted to their parent cadre, Ministry or Department, as the case may be:

Provided further that any officer, expert, professional or other employee who has been, immediately before the dissolution of the Central Council of Homoeopathy employed on regular basis or on contractual basis by the Council, shall cease to be such officer, expert, professional or other employees of the Central Council and shall be entitled to such compensation for the premature termination of his employment, which shall not be less than three months' pay and allowances, as may be prescribed.

(4) Notwithstanding the repeal of the aforesaid enactment, any order made, any licence to practice issued, any registration made, any permission to start new medical institution or to start higher course of studies or to increase in the admission capacity granted, any recognition of medical qualifications granted, under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 which are in force as on the date of commencement of this Act shall continue to be in force till the date of their expiry for all purposes, as if they had been issued or granted under the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder. 59 of 1973.

Transitory provisions.

59. *(1)* The Commission shall be the successor in interest to the Central Council of Homoeopathy including its subsidiaries or owned trusts and all the assets and liabilities of the Central Council of Homoeopathy shall be deemed to have been transferred to the Commission.

59 of 1973.

(2) Notwithstanding the repeal of the Homoeopathy Central Council Act 1973, the educational and medical standards, requirements and other provisions of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 and the rules and regulations made thereunder shall continue to be in force and operate till new standards or requirements are specified under this Act or the rules and regulations made thereunder:

Provided that anything done or any action taken as regards the educational and medical standards and requirements under the enactment under repeal and the rules and regulations made thereunder shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act and shall continue in force accordingly unless and until superseded by anything or by any action taken under this Act.

(3) The Central Government may take such measures, as may be necessary, for the smooth transition of the dissolved Central Council of Homoeopathy to the corresponding to new Commission under this Act.

———

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—732GI—21-09-2020.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.—डी.एल.—ई.—30092020—222156
CG-DL-E-30092020-222156

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 65] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942 (शक)
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

CORRIGENDA

New Delhi, the 30*th September,* 2020/*Asvina* 8, 1942 (*Saka*)

THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY ACT, 2020

No. 15 OF 2020

In the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 21st September, 2020, issue No. 40,—

(i) in page 4, line 42, *for* "clause (b)", *read* "clauses (*b*) and (*c*)";

(ii) in page 6, line 35, *for* "section 30", *read* "section 31";

(iii) in page 20, line 36, *for* "five", *read* "ten";

(iv) in page 21, line 7, *for* "clause (*i*)", *read* "clause (*j*)";

(v) in page 21, lines 12 and 13, *for* "second proviso to sub-section (*1*) of section 33", *read* "first proviso to sub-section (*1*) of section 34";

(vi) in page 21, line 21, *for* "section 43", *read* "section 42";

(vii) in page 23, line 19, *for* "section 33', *read* "section 32";

(viii) in page 23, line 22, *for* "section 34", *read* "section 32";

(ix) in page 23, line 24, *for* "section 35", *read* "section 33";

(x) in page 23, line 26, *for* "third", *read* "second";

(xi) in page 23, line 34, *for* "section 36", *read* "section 35".

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—880GI—30-09-2020.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222289
CG-DL-E-07102020-222289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3094] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942
No. 3094] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ASVINA 15, 1942

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby notifies that the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 54 and 55 of the said Act shall come into force with effect from the 7th day of October, 2020.

[F. No. R-21011/1/2020-EP-III]
P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

4766 GI/2020

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby constitutes the following Autonomous Boards, namely:—

(a) the Homoeopathy Education Board;

(b) the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy; and

(c) the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

2. The composition of the Homoeopathy Education Board shall consist of the following, namely: —

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
under clause (a) of sub-section (1) of section 19 (President and four Members)		
1.	Dr.Tarkeshwar Jain, Head Of Department, Department of Materia Medica,	President;

	Dr.M.P.K.Homoeopathic Medical College, Jaipur	
2.	Vacant	Member;
3.	Vacant	Member;
4.	Vacant	Member;
5.	Vacant	Member.

3. The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall consist of the following, namely:—

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
under clause (b) of sub-section (1) of section 19		
1.	Dr.K.R.Janardanan Nair, Senior Consultant, Department Of Homoeopathy, Mar Sleeva Medicity, Palai And Former Principal, National Homoeopathy Research Institute In Mental Health, Kottayam.	President;
2.	Vacant	Member-Homoeopathy;
3.	Vacant	Member- Accreditation expert.

4. The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall consist of the following, namely:—

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
under clause (c) of sub-section (1) of section 19		
1.	Dr.Pinakin N. Trivedi, Director, Smt. A.J.Savla Homoeopathic Medical College, Mehsana	President;
2.	Vacant	Member-Homoeopathy;
3.	Vacant	Non Homoeopathy-Member.

5. The President of each Autonomous Boards referred to in paragraph 2 to 4, shall hold office for a term of four years or until further order whichever is earlier, with effect from 5th day of July, 2021.

[F. No. R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 1 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby appoints 5th day of July, 2021, as the date on which the provisions of sections 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, and 59 shall come into force.

[F. No. R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and in pursuance of sections 4 and 6 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby constitutes the National Commission for Homoeopathy, namely:—

2. The composition of the National Commission for Homoeopathy shall consist of the following persons, namely:—

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Dr.Anil Khurana, Director General, Central Council for Research in Homoeopathy and Chairman, Board of Governors, Central Council of Homoeopathy.	Chairperson
under sub-section (3) of section 4		
1.	Dr.Tarkeshwar Jain, the President of the Homoeopathy Education Board;	Member- *ex-officio;*
2.	Dr.K.R.Janardanan Nair, the President of the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy;	Member- *ex-officio;*
3.	Dr.Pinakin N. Trivedi. the President of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy;	Member- *ex-officio;*

4.	Advisor (Homoeopathy) or Joint Secretary to the Government of India in-charge of Homoeopathy in the Ministry of AYUSH;	Member- *ex-officio;*
5.	The Director, National Institute of Homoeopathy, Kolkata,	Member- *ex-officio;*
6.	The Director, North Eastern Institute on Ayurveda and Homoeopathy, Shillong,	Member- *ex-officio;*
7.	The Director General, Central Council for Research in Homoeopathy, Janakpuri, New Delhi	Member- *ex-officio;*
under clause (a) of sub-section (4) of section 4		
1.	Vacant	Part-time Member;
2.	Vacant	Part-time Member;
3.	Vacant	Part-time Member;
under clause (b) of sub-section (4) of section 4		
1.	Vacant	Part-time Member;
2	Vacant	Part-time Member;
3	Vacant	Part-time Member;
4	Vacant	Part-time Member;
5	Vacant	Part-time Member;
6	Vacant	Part-time Member;
7	Vacant	Part-time Member;
8	Vacant	Part-time Member;
9	Vacant	Part-time Member;
10	Vacant	Part-time Member;
under clause (c) of sub-section (4) of section 4		
1	Vacant	Part-time Member;
2	Vacant	Part-time Member;
3	Vacant	Part-time Member;
4	Vacant	Part-time Member;
5	Vacant	Part-time Member;
6	Vacant	Part-time Member.

6. The Commission shall come into force, with effect from 5th day of July, 2021. The Chairperson of the Commission shall hold office for a term of four years or until further orders, whichever is earlier, with effect from 5th day of July, 2021.

[F.No. R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228113
CG-DL-E-05072021-228113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 58 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby repeals the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) with effect from the 5th day of July, 2021.

2. The Central Council of Homoeopathy shall stand dissolved and the Board of Governors shall vacate their office with effect from 5th day of July, 2021.

[F.No. . R-21011/10/2021-EP-III]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—21 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.—डी.एल.—ई.—19082021—229156
CG-DL-E-19082021-229156

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 47] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/ श्रावण 28, 1943 (शक)
No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SRAVANA 28, 1943 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 19*th August,* 2021/ *Sravana* 28, 1943 *(Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 18th August, 2021, and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY (AMENDMENT) ACT, 2021

No. 39 OF 2021

[18*th August*, 2021.]

An Act to amend the National Commission for Homoeopathy Act, 2020.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the National Commission for Homoeopathy (Amendment) Act, 2021.

(*2*) It shall come into force at once.

Amendment of section 58.

15 of 2020.

2. In section 58 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, after sub-section (*4*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*5*) Notwithstanding the expiration of the period for reconstitution of the Central Council under section 3A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as inserted by the Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018, all acts done by the Board of Governors constituted under sub-section (*4*) of that section and all the powers and functions of the Central Council exercised and performed by it under the

59 of 1973.
23 of 2018.

repealed Act, as amended by the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2021, immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act and shall continue in force accordingly unless and until superseded by anything done or by any action taken under this Act.". Ord. 6 of 2021.

———

ANOOP KUMAR MENDIRATTA,
Secretary to the Govt. of India.

———

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 19*th August,* 2021/ *Sravana* 28, 1943 *(Saka)*

CORRIGENDUM

In the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 13th August, 2021, Issue No. 45,—

Throughout the Act, *for* "the Tribunal Reforms Act, 2021", *read* "the Tribunals Reforms Act, 2021".

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—733GI(S3)—19-08-2021.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–27092021–229981
CG-DL-E-27092021-229981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3 —Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
No. 550] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ ASVINA 5, 1943

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2021

G.S.R 667(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby constitutes the Advisory Council for Homoeopathy, consisting of the following members, namely:-

(1) Under clause (a) of sub-section (2) of section 11:

Chairperson of the National Commission for Homoeopathy -*ex officio* Chairperson;

(2) Under clause (b) of sub-section (2) of section 11:

All members of the National Commission for Homoeopathy - *ex officio* members;

(3) Under clause (c) of sub-section (2) of section 11 (nominees of the State and union territories):

A. Nominees of the State

Serial number	Name of State	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Pradesh	Dr. D. Samba Murthy, Professor, Govt. Homeopathic Medical College, Kadapa;
2.	Punjab	Dr. Rachana Singh, Dean Homeopathy, Guru Ravidas Ayurveda University, Hoshiyarpur, Punjab;
3.	Tamil Nadu	Dr. N. Karthikeyan, Principal, Government Homoeopathic Medical College, Thirumanglam, Madurai;

B. Nominees of Union Territories

Serial number	Name of Union Territories	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Delhi	Dr. Anu Kapoor, Principal, Nehru Homeopathic Medical College & Hospital, B-Block, Defense Colony, New Delhi-110024;

(4) Under clause (d) of sub-section (2) of section 11 (nominees of State Homoeopathy Medical Councils):

A. Nominees of the State

Serial number	Name of State Medical Council	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Haryana State Homoeopathic Medical Council	Dr. Harparkash Sharma;
2.	Travancore-Cochine Homeo Medical Council, Kerala	Dr. C. Sundaresan, Reshmi;
3.	Council of Homeopathic System of Medicine, Punjab	Dr. Tejinder Pal Singh;

B. Nominees of Union Territories

Serial number	Name of Medical Council in Union Territories	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Board of Homeopathic System of Medicine, Delhi	Dr. Kewal Krishna Juneja;

(5) Under clause (e) of sub-section (2) of section 11:

Chairman, University Grants Commission-member *ex-officio*;

(6) Under clause (f) of sub-section (2) of section 11:

Director, National Assessment and Accreditation Council-member *ex-officio*;

(7) Under clause (g) of sub-section (2) of section 11:

1. Director, IIT Bombay;
2. Director, IIT Jodhpur;
3. Director, Indian Institute of Management, Ahmedabad;
4. Director, Indian Institute of Management, Shillong.

[F. No. R-21011/9/2021-EP-III]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022022-233393
CG-DL-E-14022022-233393

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2022/माघ 25, 1943
No. 631] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2022/MAGHA 25, 1943

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2022

S.O. 650(E).— WHEREAS, the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) received the assent of the President on the 20th September, 2020 and section 29 of the said Act, which provides for the permission for establishment of new medical institution, came into force with effect from the 5th July, 2021;

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 29 of the said Act provides that no person shall establish a new medical institution or start any post-graduate course or increase number of seats without obtaining prior permission of the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 29, *inter alia*, provides that while considering the scheme received under sub-section (2) of the said section, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall have regard to the standards of education and research, the standards and norms for infrastructure and faculty, the guidelines on setting up of medical institutions and other requirements determined by the Homoeopathy Education Board, and pass an order either approving or disapproving the scheme within three months from the date of receipt of such scheme;

AND WHEREAS, the Commission conveyed its difficulty to complete the said stipulated process within the three months periods as required under sub-section (3) of section 29 of the said Act and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section 29;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 57 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely: -

1. Short title and commencement.– (1) This Order may be called the National Commission for Homoeopathy (Removal of Difficulties) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 29.- In section 29 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, for the words " three months", wherever they occur, the words " six months" shall be substituted.

[F. No. R-11011/1/2022-EP-III]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236568
CG-DL-E-14062022-236568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
No. 2587] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2022

S.O. 2715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2692(E), dated the 5th July, 2021, namely:-

2. In the said notification -

(a) in paragraph 2, in the table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted;

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
"2.	Dr. Mangesh Rameschandra Jatkar Professor and Head of Department, Department of Materia Medica, VVSM Dapoli Homoeopathic Medical College	Member ";

(b) in paragraph 4, in the table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
"2.	Dr. J. Senthil Kumar Head of Department, Department of Repertory, Vinayaka Mission Homoeopathic Medical College, Tamil Nadu	Member-Homoeopathy";

(c) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. The Presidents and the Members referred to in paragraph 2 to 4 shall held office for a term of four years or until further order whichever is earlier with effect from the date of assumption of charge of the post."

[F. No. R-21011/6/2021-EP.III]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published vide notification of the Government of India, published in Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 2692(E), dated 5th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No.5/14/2021-EO(SM II)

Immediate

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet
******

North Block, New Delhi
09 05.2022

he Appointments Committee of the Cabinet has approved the following proposals of the Ministry of AYUSH

ppointment to the following posts of Secretary and Members of Autonomous Boards in National Commission r Homoeopathy (NCH), in Level 14 of the Pay Matrix, for a term of 04 years w.e.f. the date of assumption of arge of the post, or till the incumbent attains the age of 70 years, or until further orders, whichever is the rliest:

Secretary, NCH

Sl. No.	Name
1.	Dr Sanjay Gupta Professor, Govt. Homoeopathic Medical College, Bhopal, MP

Post of Member in Homoeopathy Education Board (HEB)

Sl. No.	Name
(i)	Dr. Mangesh Rameshchandra Jatkar Professor &HoD, D/o Materia Medica, VVSM Dapoli Homoeopathic Medical College, Palghar

Post of Member in Board of Ethics and Registration for Homoeopathy (BERH)

Sl. No.	Name
(i)	Dr J Senthil Kumar HoD, D/o Repertory, Vinayaka Mission Homoeopathic Medical College, Tamil Nadu

pointment of the following 02 Part-time Members in the NCH, with a sitting fee of Rs.5000/- for each day of ting of the Commission, for a term of 04 years w.e f. the date of assumption of charge of the post, or till the cumbent attains the age of 70 years, or until further orders, whichever is the earliest.

Sl. No.	Name
1.	**Part-time Member**
(i)	Dr. Gautam Ash Retired Professor, National Institute of Homoeopathy
2.	**Part-time Member**
(i)	Dr. Hitesh G. Purohit Principal, Smt. Malini Kishore Sanghvi Homoeopathic Medical College, Karjan Vododara

(Subir Kumar)
Under Secretary (EO-SM II)
Tel 2309 2712

AYUSH,
a Rajesh Kotecha, Secretary),
wan, Block 'B' GPO Complex,

ued for information to.

he Minister's Office (Shri Hrisheekesh Arvind Modak, Director)
inet Secretariat (Dr Amandeep Garg, Joint Secretary)
rd File

(Subir Kumar)
Under Secretary (EO-SM II)
Tel 2309 2712

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–22022024–252301
CG-DL-E-22022024-252301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II —Section 3 —Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2024/फाल्गुन 3, 1945
No. 786] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2024/PHALGUNA 3, 1945

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2692 (E) dated the 5th July, 2021, namely: -

2. In the said notification, in paragraph 3, in the table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
" 2.	Dr. Anand Kumar Chaturvedi, Retired Principal State Pt. Jawahar Lal Nehru Homeopathic Medical College, Kanpur, Uttar Pradesh.	Member- Homoeopathy" ;

[F. No. R-21011/6/2021-EP-III-Part(1)]

BISHWAJIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published *vide* notification of the Government of India, published in Gazette of India, Extraordinary, number S.O 2692 (E) dated the 5th July, 2021 and last amended *vide* notification number SO. 2715(E), dated the 13th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.–डी.एल.–ई.–04012024–251162
CG-DL-E-04012024-251162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3–Sub-section(i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945
No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2024

G.S.R 26(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Ayush, number G.S.R. 667 (E), dated the 22nd September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section-3, sub-section (i), dated the 27th September, 2021, namely: -

(i) In the said notification,- in paragraph (3), in the table, under the heading "A. Nominees of the State", after serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"4.	Gujarat	Dr. Girish Patel, Dean, Faculty of Homoeopathy, Maharaja Krishnakumarsinhji, Bhavnagar University, Bhavnagar, Gujarat;"

(ii) after paragraph (7), the following shall be inserted, namely: -

"(8). The tenure of the Members of Advisory Council for Homoeopathy referred to in paragraph 3 and 4, shall continue as long as they hold the substantive post in the office by virtue of which they have been nominated as Member of the Advisory Council for Homoeopathy or four years, or until further orders whichever is earlier".

[F.No. R/21011/9/2020-EP-III]

B. K. SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-3, sub-section (i), dated the 27th September, 2021, *vide* number G.S.R. 667 (E), dated the 22nd September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



Homoeopathy Education Board

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

F. No. 3-34/2021/NCH/HEB/CC/10758.—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) and clauses (h), (i), (q), (s) and (t) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of Homoeopathy (Degree course) B.H.M.S. Regulations, 1983, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These regulations may be called National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Regulations- 2022.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(i) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(ii) "Annexure" means an Annexure appended to these regulations;

(iii) "Appendix" means an Appendix appended to these regulations;

(iv) "Commission" means the National Commission for Homoeopathy constituted under section 3 of this Act;

(v) "Electives" means the course of study devised to enrich the educational expression of the student.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. **Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course**.- The Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) shall produce Graduates, having profound knowledge of Homoeopathy with contemporary advancement in the field, supplemented with knowledge of scientific and technological advancement in modern health science and related technology along with extensive practical training, be able to function as an efficient holistic health care practitioner in health care service in the urban and rural areas.

4. **Eligibility criteria for admission and manner of admissions. -**(1) The eligibility for admission in Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Course shall be, namely:-

(a) the candidate shall have passed 10+2 or its equivalent examination from any recognised Board with Physics, Chemistry, Biology and have obtained minimum of fifty percent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology in case of student belonging to general category and forty percent. marks in case of student belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided that in respect of person with disability specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the qualifying marks in the examinations shall be forty-five percent. in case of General category and forty percent. in case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) Biology/Biotechnology studied as Additional Subject at 10+2 level also shall not be considered for such admission:

(c) Candidate passed 10+2 from Open School or as Private candidate shall not be eligible to appear for National Eligibility-cum-Entrance Test.

(d) No candidate shall be considered for admission in Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Course unless the candidate attains the age of seventeen years on or before the 31st day of December of the year of admission in the first year of the Course;

(2) There shall be a uniform Entrance Examination for all Homoeopathy Medical Institution namely National Eligibility-cum- Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate course in medical institution in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the National Commission for Homoeopathy:

Provided that for foreign national candidate, any other equivalent qualification approved by the Central Government may be allowed for admission and sub- regulation (2) of regulation 4 shall not be applicable in this behalf.

(3) No candidate obtaining less than marks at 50th percentile in the National Eligibility-cum-Entrance Test for undergraduate course conducted for the said academic year shall be considered for such admission:

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes obtain marks not less than 40th percentile and the candidate belonging to person with the disability as specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) obtains the marks not less than 45th percentile in case of General category and not less than 40th percentile in case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for admission.

Provided further that the Commission may, in consultation with the Central Government lower the marks required for admission to undergraduate course for candidate belonging to respective category and marks so lowered by the Commission shall be applicable for that academic year.

(4) An All-India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidate shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility-cum-Entrance Test conducted for the academic year and the candidate within the respective category shall be considered for admission to undergraduate course from the said merit list.

(5) The seat matrix for admission in the Government institution, Government-aided institution and private Institution shall be fifteen percent. for all-India quota and eighty-five percent. for the State quota and Union territory quota as the case may be:

Provided that, -

(a) the all India quota for the purpose of admission to the Deemed University both Government and private shall be hundred percent.;

(b) The university and institute having more than fifteen percent. all India quota seat shall continue to maintain that quota;

(c) five percent. of the annual sanctioned intake capacity in Government and Government aided institution shall be filled up by candidate belonging to persons with disability as specified under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)

Explanation.- For the purposes of this regulation, the specified disability contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) specified in *Appendix "A"* and the eligibility of candidate to pursue a course in Homoeopathy with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in *Appendix "B"*.

(6) The designated authority for counseling of State and Union territory quota for admission to undergraduate course in medical institution in State and Union territory including institution established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the applicable rules and regulations of the concerned State or Union territory, as the case may be.

(7) (a) The counselling for admission to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course for seats under all India quota as well as the all-medical institution established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government in this behalf;

(b) The counselling for admission to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Course for hundred percent. seats of Deemed University both Government and Private shall be conducted by the authority designated by the Central Government, in this behalf.

(8) The admission shall be done;-

(a) through counseling except foreign nationals;

(b) by any means other than manner specified in these regulations shall not be approved and any institution found admitting the students in contravention of the provisions of these regulations shall be denied permission for taking admission for subsequent academic year;

(c) the medical institution shall have to submit the list of admitted students in the format decided by the Commission on or before six p.m. on the cutoff date for admission decided by it from time to time for verification;

(d) the medical institution shall approve the admission of the candidate except foreign national who has been allotted seat through counseling (Central, State or Union territory, as the case may be).

(9) The candidate who fails to obtain the minimum eligibility marks as referred to under sub-regulation (3) shall not be admitted to undergraduate course in the said academic year.

(10) No authority or medical institution shall admit any candidate to the under-graduate course in contravention of the criteria or procedure specified in these regulations and any admission made in contravention of these regulations shall be cancelled by the Commission forthwith.

(11) The authority or medical institution which grants admission to any student in contravention of the provisions of these regulations shall be dealt as specified under the Act.

(12) The medical institution shall send the list of admitted students to the Commission within one month of his admission and the Commission may verify the medical institution to ensure the compliance of the provisions of the regulations at any time.

5. **Duration of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course** -The duration of the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course shall be five years and six months as specified in the table below, namely:-

Table-1

Serial Number	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course	Duration
(1)	(2)	(3)
(1)	First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)	Eighteen Months;
(2)	Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)	Twelve Months;
(3)	Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)	Twelve Months;
(4)	Fourth (Final) Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)	Twelve Months;
(5)	Compulsory Rotatory Internship	Twelve Months.

6. **Degree to be awarded**. -The candidate shall be awarded Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Degree after passing all the examinations and completion of the laid down course of study extending over the laid down period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

7. **Pattern of study**. -The Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course shall consist of main programme and electives and the pattern of study shall follow the following manner, namely:-

(1) Main programme :-

(a) after admission, the student shall be inducted to the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course through a Foundation Programme not less than ten working days/sixty hours based on the 'Content for Foundation programme' which intends to introduce newly admitted student to Homoeopathy system of medicine and skills required to make him well aware of the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course he is going to undergo for next five years and six months.

(b) during the Foundation Programme, the student of Homoeopathy shall learn history of Homoeopathy, get oriented with development of homoeopathic science across the globe, understanding on improvising interpersonal communication skills, management of stress and time, basic life support and first-aid along with other subjects as per syllabus specified in Annexure -I

(c) total teaching hours for first professional session shall be not less than two thousand one hundred and six (2106) while for second, third and fourth professional session, a minimum of one thousand four hundred and four (1404) hours teaching in each professional session to complete.

(d) working hour may be increased by the University or medical institution as per requirement to complete the stipulated period of teaching and requisite activity.

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, -

(a) "Lectures" means Didactic teaching such as classroom teaching,

(b) Non – lecture includes Practical or Clinical and Demonstrative teaching and the Demonstrative teaching includes Small group teaching or Tutorials or Seminars or Symposia or Assignments or Role play or Drug Picture presentation or Pharmacy training or Laboratory training or Dissection or Field visits or Skill lab training or Integrated learning or Problem based learning or Case based learning or Early clinical exposure or Evidence based learning etc. as per the requirement of the subject and in Non-lectures, the Clinical or Practical part shall be seventy percent. and demonstrative teaching shall be thirty per cent.

(e) new department and subject like fundamentals of Psychology, Yoga, essentials of Modern Pharmacology and Research Methodology and Biostatistics are introduced in degree course to provide holistic and integrated knowledge of the health science along with development of research aptitude.

(f) the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course shall consist of following Departments/Subjects, namely : -

Table 2

Serial Number	Name of Department
(1)	(2)
1	Homoeopathic Materia Medica;
2	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology;
3	Homoeopathic Pharmacy;
4	Homoeopathic Repertory and Case Taking;
5	Human Anatomy;
6	Human Physiology and Biochemistry;
7	Forensic Medicine and Toxicology;
8	Pathology and Microbiology;
9	Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics;
10	Surgery;
11	Gynaecology and Obstetrics;
12	Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology;
13	Yoga for health promotion;

(g) The following subjects shall be taught in first professional session as per the syllabus laid down by Homoeopathy Education Board and approved by the Commission, namely:- -

Table-3

Serial Number	Subject Code	Subject
(1)	(2)	(3)
1	HomUG-HMM-I	Homoeopathic Materia Medica;
2	HomUG-OM-I	Organon of Medicine and Homoeopathic philosophy and Fundamentals of Psychology;
3	HomUG-R-I	Homoeopathic Repertory and case taking;

4	HomUG-HP	Homoeopathic Pharmacy;
5	HomUG-AN	Human Anatomy;
6	HomUG-PB	Human Physiology and Biochemistry;
7	HomUG-Yoga I	Yoga for health promotion.

(h) The second professional session shall ordinarily start after completion of first professional examination and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the Homoeopathy Education Board and approved by Commission, namely: -

Table-4

Serial Number	Subject Code	Subject
(1)	(2)	(3)
1.	HomUG-HMM-II	Homoeopathic Materia Medica;
2.	HomUG-OM-II	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy;
3.	HomUG-R-II	Homoeopathic Repertory and case taking;
4.	HomUG-FMT	Forensic Medicine and Toxicology;
5.	HomUG-Path M	Pathology and Microbiology;
6.	HomUG-Sur-I	Surgery;
7.	HomUG-ObGy-I	Gynecology & Obstetrics;
8.	Hom-UG PM-1	Practice of Medicine;
9.	HomUG-Yoga-II	Yoga for health promotion.

(i) The third professional session shall ordinarily start after completion of second professional examination and following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by Homoeopathy Education Board and approved by the Commission, namely: -

Table-5

Serial Number	Subject Code	Subject
(1)	(2)	(3)
1	HomUG-HMM-III	Homoeopathic Materia Medica;
2	HomUG-OM-III	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy;
3	HomUG-R-III	Homoeopathic Repertory and case taking;
4	HomUG-PM-II	Practice of Medicine ;
5	HomUG-Mod.Phar	Essentials of Pharmacology;
6	HomUG-Sur-II	Surgery;
7	HomUG-ObGy-II	Gynecology and Obstetrics;
8.	HomUG-CM-I	Community Medicine ;
9.	HomUG-Yoga -III	Yoga for health promotion;

(j) The fourth professional session shall ordinarily start after completion of third professional examination and following subject shall be taught as per the syllabus laid down by Homoeopathy Education Board and approved by the Commission, Namely:-

Table-6

Serial Number	Subject Code	Subject
(1)	(2)	(3)
1	HomUG-HMM-IV	Homoeopathic Materia Medica;
2	HomUG-OM-IV	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy;
3	HomUG-R-IV	Homoeopathic Repertory and case taking;
4	HomUG-PM-III	Practice of Medicine;
5	HomUG-CM-RM-Stat-II	Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics;
6	HomUG-Yoga - IV	Yoga for health promotion.

(k) Clinical training. -Clinical training of the student shall start from the first professional session after second term and subject related clinical training shall be provided in the attached hospital by the concerned faculty and department in non-lecture hour as per the requirement of the subject as mentioned below-

(i) During first professional session, clinical training shall be provided in Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD), community and peripheral clinics and clinical exposure may also be arranged through appropriate audio-visual media or simulated patient.

(ii) Students shall be placed in Hospital Pharmacy to get familiar with prescription patterns, medicine names, dosage, dispensing of medicines etc.

(iii) During second, third and fourth professional session, clinical training shall be provided through the specialty Outpatient Department (OPD) and Inpatient Department (IPD), peripheral Outpatient Departments (OPDs) and community posting wherein teacher of the above departments shall be consultant. The students shall be involved in screening patients in Outpatient Department (OPD); case taking, analysis, evaluation and totality of symptoms, clinical examination, repertorisation and investigation including Radiology, Hematology and Pathology Laboratory and prescription writing.

(iv) Training/ orientation on add on therapy: Training for Yoga, Physiotherapy and diet and nutrition shall be provided to the student by the concerned professional.

(v) Clinical training shall be on rotation basis as per the non-lecture/clinical batches and in accordance with the clinical/ non-lecture teaching hour stipulated for the following subjects, namely: -

(A) Homoeopathic special and general Outpatient Department (OPD) and Inpatient Department (IPD), peripheral Outpatient Department (OPD), community Outpatient Department (OPD), with compulsory repertorisation through software.

(B) Practice of Medicine: Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD) and specialty clinics like Pediatrics, Pulmonology, Cardiology, Nephrology, Gastroenterology, Dermatology, Psychiatry, Oncology or any other, functioning under the department, in attached hospital/Super specialty hospital with Memorandum of Understanding (MoU).

(C) Surgery: Eye, Ear Nose Throat (ENT), Dental Outpatient Department and any other related specialty clinics; Operation Theater Unit, Preparation room, postoperative recovery room, Sterilization, wound care & infection control, bio-waste management and any specialty units in the attached hospital/Super specialty hospital with Memorandum of Understanding (MoU).

(D) Gynecology and Obstetrics: Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD), Labour room, procedural room, and other related specialty clinics for reproductive, mother &child health, if any.

(E) Department of Community Medicine will provide training through specialty clinics, adopted villages /health programmes i.e. awareness camps, campaigns and public health programs and Inpatient Department (IPD) for waste management, prophylaxis and health education programs. Inpatient Department (IPD) Nutritional assessment and diet requirement of cases admitted in Inpatient Department (IPD) shall be determined by the dietitian of the Hospital. Awareness about nutritional disorders and balanced diet shall be included in the training programme.

(F) Clinical Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD) and clinics functioning under School Health programme .

(vi) Clinical training for the fourth professional session shall be provided in Outpatient department (OPD), Inpatient department (IPD), and Physiotherapy room in accordance with the requirement of subject, and shall be on rotation basis as per the non-lecture/clinical batches and also in accordance with the clinical/ non-lecture teaching hour stipulated for the following subjects, namely: -

(A) General and special Homoeopathic Outpatient Department (OPD) and Inpatient Department (IPD)

(B) Emergency/Casualty department in hospital

(C) Skill lab in hospital;

(D) Practice of Medicine: Outpatient Department (OPD), Inpatient Department (IPD) and specialty clinic (Pediatrics, Pulmonology, Cardiology, Nephrology, Gastroenterology, Dermatology, Psychiatry, Oncology) functioning under the department if any, in attached hospital /Super speciality hospital with Memorandum of Understanding (MoU).

(2) Electives- (a) It constitutes an optional course of study devised to enrich the educational experience of the student and each discipline has distinctive requirements not adequately covered by the regular courses.

(b) The Electives shall be conducted as an online programme by the Commission:

(i) Each student from first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course to third professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course shall opt two electives in each academic year.

(ii) The electives shall start from the second term of first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course.

(iii) One elective shall be compulsory in each professional year for student and he may select any one elective from the list provided by the Commission for a particular professional year.

(iv) Completion of two electives shall be compulsory for passing the respective academic year.

(v) Each elective may vary in terms of duration of the academic year but shall be available and divided into component of approximately two or more hours and the content or presentation shall be hosted on the online portal of the commission.

(vi) Each component shall comprise an audio-visual component in the form of lecture/demonstration, some suggested reading material/activity and an assessment.

(vii) The student may progress from one component to the next after satisfactorily completing each assessment.

(viii) At the end of each elective, the commission shall issue an elective completion certificate online to the student and the certificate, having the grade, shall be submitted to the medical institution authority as proof of completing the electives and same shall be sent to affiliating university.

(ix) The student who fails to complete the electives shall not be allowed to appear in annual university examination.

(x) The commission shall provide a unique number to the student to log in the portal.

8. Methodology for supplementing modern advancement, research and technology in Homoeopathy (SMART-Hom.).-

(1) To accomplish the supplementation of modern advancement, scientific and technological developments in Homoeopathy System of Medicine, all the thirteen departments as mentioned in table 2 of regulation 7, shall be supplemented, enriched and updated with relevant and appropriate advancement or development in the area of diagnostic tools, conceptual advancement and emerging areas as under-

(a) Innovations or advancement or new development in basic sciences like Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Microbiology, Bioinformatics, Molecular biology etc.;

(b) Diagnostic advancements;

(c) Pharmaceutical technology including quality and standardization of drugs, drug development etc.;

(d) Teaching, Training methods and Technology;

(e) Research Methods, Parameters, Equipment and Scales etc.;

(f) Technological automation, software, artificial Intelligence, digitalisation, documentation etc.;

(g) Biomedical advancements;

(h) Medical equipment;

(i) Any other innovations, advancement, technologies and development useful for understanding, validating, teaching, investigation, diagnosis, treatment, prognosis, documentation, standardisation and conduction of research in Homoeopathy.

(2) There shall be multidisciplinary Core Committee constituted by the Commission for the purpose of supplementation of modern advancement, scientific and technological developments in Homoeopathy, that identify the advancement and developments that are suitable and appropriate to include in anyone or multiple departments.

(3) There shall be an Expert Committee for each department constituted by Commission, to define and suggest the method of adaptation and incorporation of the said advancement and developments and also specify the inclusion of the same at undergraduate or postgraduate level and the expert committee shall develop detailed methodology for usage, standard operating procedure and interpretation as required.

(4) Teaching staff, practitioner, researcher, student and innovator etc. may send his suggestions through a portal specified by National Commission for Homoeopathy regarding supplementation of modern advancement, scientific and technological development in Homoeopathy and suggestion shall be placed by Homoeopathy Education Board before core committee for consideration.

(5) The modern advancement shall be incorporated with due interpretation of the said advancement based on the principles of Homoeopathy, supported by the studies and after five years of inclusion of such advancement in syllabus, they shall be considered as part of Homoeopathy syllabus.

(6) Once Core Committee approves the recommendations of the Expert Committee, National Commission for Homoeopathy shall direct the Homoeopathy Education Board, to include the same in curriculum of undergraduate or postgraduate course as specified by the Expert Committee and the Commission shall issue guidelines or if required to conduct orientation of teacher for incorporation of the recommended modern advancement or scientific and technological development.

(7) (a) There shall be a Core Committee for each department comprising of the following persons, namely -

(i) President, Homoeopathy Education Board–Chairman;

(ii) four experts from Homoeopathy (one expert from Materia Medica, Organon of Medicine, Repertory and Practice of Medicine)–members;

(iii) one expert (either retired or in service) each from Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH), National Institute of Homoeopathy

(NIH), pharma industry, public health – member;

(iv) one educational technologist–member;

(v) Member of Homoeopathy Education Board-Member Secretary:

Provided that the core committee may co-opt an expert as per the needs and with permission of the Commission.

(b) Terms of reference. – (i) The term of the Committee shall be three years;

(i) The committee shall meet at least twice in a year.

(ii) The committee shall identify any modern advancement, scientific and technical development as specified in the sub-regulation (1) of regulation for; -

(A) understanding of validating conduction of research activities in Homoeopathy;

(B) diagnosis or prognosis in a specific clinical condition and treatment;

(C) teaching and training;

(D) health care services through Homoeopathy.

(iii) The committee shall ensure the applicability of the identified modern advancements or scientific and technical development to basic principles of Homoeopathy with the help of the four expert members of Homoeopathy.

(iv) The Core Committee shall identify and recommend suitable expert for the Expert Committee to develop methodology for identification of modern advancement or development.

(v) The Core Committee shall suggest the application of the advancements or developments in terms of its usage in specific department or to incorporate in under-graduate or post-graduate syllabus etc. as the case may be.

(vi) The Core Committee shall identify the outdated part of the modern science and technology and suggest the Commission to replace it with the appropriate modern advancements.

(8) (a) There shall be an expert committee for each department consisting of the following persons namely:-

(i) Subject Expert as recommended by Homoeopathy Education Board– Chairman;

(ii) Two experts from relevant Homoeopathy subjects, one from under graduate (UG) and one from post graduate (PG) –members;

(iii) One expert from relevant modern subject–member;

(iv) One expert from teaching technology –member:

Provided that the Expert Committee may co-opt concerned expert in accordance to the selected area with the permission of the Commission.

(b) Terms of reference. –

(i) the term of the Expert Committee shall be three years;

(ii) The Expert Committee shall meet as many times as per the direction of the Commission;

(iii) The Expert Committee shall work on the suggestion from the core committee and decide how to incorporate it in the syllabus, its mode of teaching (i.e., lecture/non-lecture) and the assessment with the help of educational technologist, experts;

(iv) The Expert Committee shall first understand the application of modern advancement that are identified to incorporate and its relevance to the basic principles of Homoeopathy;

(v) The Expert Committee shall also identify the need of advance technology in Homoeopathy particular to that vertical and identify the suitable technology and recommend its usage along with the standard operating procedure or methodology;

(vi) The Expert Committee shall suggest Core Committee regarding the modern advancement and technology to be included at undergraduate or post graduate level.

9. General guidelines for examinations, results and re-admission.-

(1) The University or agencies empowered by the Commission shall conduct examination for the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Course.

(2) The examining body shall ensure the minimum number of hours for lectures or demonstrations or practical or seminars etc. in the subject in each Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) examination as specified in these regulations are followed, before allowing medical institution to send the student for university examination.

(3) The examining body shall ensure that the student of the medical institution, who does not fulfill the criteria laid down in these regulations are not sent for the university examination.

(4) Each student shall be required to maintain at least seventy five percent. attendance in each subject in theory/lecture hours/ practical and clinical / non-lecture hours separately for appearing at examination.

(5) Where the medical institution is maintaining physical register, it shall be recorded in cumulative numbering method as per Annexure-III and at the end of the course/ term/ part of the course, after obtaining each student signature, the same shall be certified by respective Head of the Department and approved by Head of the institute.

(6) The approved attendance shall be forwarded to the concerned university.

(7) Internal assessment examinations to be conducted by medical institution during first, second, third and fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) professional year.

(8) The weightage of internal assessment shall be ten percent. of the total marks specified for each subject for main university examination and internal assessment shall be in the forms of practical only.

(9) Internal assessment examination shall include one periodic assessment and one term test in each term of six months.

(10) It is compulsory for every student to pass with minimum fifty percent. marks in the internal assessment examination prior to filling the final university examination form of the respective professional year and Head of medical institution shall send the marks of internal assessment and term test to the university prior to final examination of any professional year.

(11) There shall be no separate class for odd batch student (those students who could not keep the term) and the student must attend the class along with regular batch or with junior batch as applicable.

(12) To become eligible for joining the Compulsory Rotatory Internship programme, a student must pass all four professional examinations and qualified in six electives and the entire course of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) including internship shall be completed within a period of maximum ten years.

(13) The theory examination shall have ten percent. marks for Multiple Choice Questions (MCQ), forty per cent. marks for Short Answer Questions (SAQ) and fifty percent. marks for Long Explanatory Answer Questions (LAQ) and these questions shall cover the subject widely.

(14) Each theory examination shall be of three hours duration.

(15) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty percent. in theory component and fifty percent. in practical component including practical, clinical, viva-voice, internal assessment and electives wherever applicable separately in each subject.

(16) Electives shall be assessed in terms of attendance and assessment by grading as following, namely: -

(a) Grading shall be only for two electives per professional session and mentioned in the certificate obtained by the student after online teaching and assessment.

(b) Grading shall be mentioned in the University mark sheet of student.

(c) The examination branch of the institution shall compile the grade of electives obtained by student and submit to university through the head of institution so that the University shall add the same to final mark sheet of the student.

(17) Grading of electives shall be assessed as following, namely :-

(a) Electives shall be assessed online by the resource person who has prepared the contents of elective and assessed to the student.

(b) The following points shall be taken in to consideration for grading , namely:-

(i) Depth of problem definition – 15%

(ii) Extent of work undertaken – 20%

(iii) Innovation – 15%

(iv) Logical and integrated way of presentation – 20%

(v) Quality of learning derived – 20%

(vi) Adequacy of references undertaken – 10%

(c) The final grades would be as follows, namely: -

(i) "A" – Excellent (above 70%)

(ii) "B" – Good (above 60 %)

(iii) "C" – Average (around 50%)

(iv) "D" – below average (around 40%)

(v) "E" – Poor (below 40%)

(d) The student shall have to secure at least 'C' grade in all the electives in order to pass the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course.

(18) The examining body shall hold examinations on such date and time as the examining body may determine and the theory and practical examination shall be conducted on the center approved by the examining body.

(19) There shall be a regular examination and a supplementary examination in a year and the supplementary examination shall be conducted within three months of declaration of results of regular examination including issuance of mark sheets.

(20) A candidate obtaining sixty percent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy five percent. and above marks shall be awarded distinction in the subject.

(21) The award of class and distinction shall not be applicable for supplementary examination.

(22) For non-appearance in an examination, a candidate shall not have any liberty for availing additional chance to appear at that examination.

(23) Any Diploma/Degree qualification, at present included in Schedule II and Schedule III of the Homoeopathy Central Council Act 1973 (59 of 1973) where nomenclature is not in consonance with these regulations shall cease to be recognised medical qualification when granted after commencement of these regulations. However, this clause will not apply to the students who are already admitted to these courses before the enforcement of these regulations.

(24) (a) No person shall be appointed as an external or internal examiner or paper setter or moderator in any of the subjects of the Professional examination, leading to and including the final Professional examinations for the award of the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) degree unless he has taken at least three years previously, a M.D.(Hom.) degree of a recognised university or an equivalent qualification in the particular subject as per recommendation of the Commission on teachers' eligibility qualification and has had at least three years of teaching experience in the subject concerned in a college affiliated to a recognised university at a faculty position.

(b) Non-medical scientist engaged in the teaching of medical students as full time teacher, may be appointed examiner in his concerned subject provided he possess requisite Post Graduate qualification andthree-year teaching experience of medical students after obtaining his postgraduate qualifications:

Provided further that the fifty percent. of the examiner (Internal and External) shall be from the medical qualification stream.

(c) A university having more than one college shall have separate set of examiner for each college, with internal examiner from the concerned college.

(d) In a state where more than one affiliating university is existing, the external examiner shall be from other university.

(e) External examiner shall rotate at an interval of two years.

(f) Any fulltime teacher with teaching experience of not less than three years in a concerned subject in a Homoeopathic Medical Institution shall be appointed internal / external examiner by rotation in his subject.

10. University examination. – (1) First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination:

(a) The student shall be allowed to appear for the First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination provided that he has required attendance as per clause (4) of regulation 9 of head of the medical institution.

(b) The process of conduction of examination and declaration of the results of First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) shall be completed between seventeen to eighteen Months from the date of admission.

(c) In order to be declared as "Passed" in First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of university examination including the internal assessments examination.

(2) Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Examination:

(a) No candidate shall be allowed for the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination unless he has passed all the subjects of First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination and has required attendance as specified in sub section (4) of regulation 9.

(b) The process of conduction of examination and declaration of results of Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination shall be completed between twenty nine to thirty Months from the date of admission.

(c) In order to be declared "Passed" in the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of university examination including the internal assessment examination.

(3) Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Examination:

(a) No candidate shall be allowed for the Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination unless he has passed all the subjects of the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination and has required attendance as specified in sub section (4) of regulation 9.

(b) The process of examination conduction and results of Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) shall be completed between forty one to forty two month from the date of admission.

(c) In order to be declared as "Passed" in the Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of university examination including the internal assessment examination.

(4) Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Examination:

(a) No candidate shall be allowed for the Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination unless he has passed all the subjects of Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination and has required attendance as specified in sub section (4) of regulation 9.

(b) The process of conduction of examination and declaration of result of Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination shall be completed between fifty three to fifty four Month from the date of admission.

(c) In order to be declared as "Passed" in the Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) examination, a candidate shall have to pass all the subjects of University examination including the internal assessment examination.

Result : (a) The examining body shall ensure to publish the results within one month from the last date of examination so that student can complete the course in five and half year after admission.

(b) Who passes in one or more subjects need not to appear in that subject or those subjects again in the subsequent examinations if the candidate passes the whole examination within four chances including the original examination.

(c) Notwithstanding contained in the foregoing regulations, the student shall be allowed the facility to keep term on the following conditions:

(i) The candidate shall pass First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination in all the subjects at least one term of six months before he is allowed to appear at the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(ii) The candidate shall have to pass the Second Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination at least one term of six months before he is allowed to appear at the third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(iii) The candidate must pass the Third Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination at least one term of six months before he is allowed to appear at the Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(d) The student who has not passed any of the four professional examinations even after exhausting all four attempts, shall not be allowed to continue his Course:

Provided that in case of any unavoidable circumstances, the vice Chancellor of the concerned university may provide two more chances in any one of four professional examination.

(e) The examining body may under exceptional circumstances, partially or wholly cancel any examination conducted by it under intimation to the commission and arrange for conducting re-examination in those subjects within a period of thirty days from the date of such cancellation.

(f) The university or examining authority shall have the discretion to award grace marks not exceeding to ten marks in total if a student fails in one or more subjects.

11. Assessment.-Assessment of students shall be in the form of Formative and Summative Assessments as under-

(1) Formative Assessment. - Student shall be assessed periodically to assess his performance in the class, determine the understanding of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course material and his learning outcome in the following manner, namely: -

(a) Periodical Assessment shall be carried out in practical and at the end of teaching of a topic or module or a particular portion of syllabus and the following evaluation method may be adopted as appropriate to the content, namely:-

Table -7

Serial Number	Evaluation Method
(1)	(2)
1.	Practical/Clinical Performance;
2.	Viva Voce;
3.	Open Book Test (Problem based);
4.	Summary Writing (Research Papers or Synopsis);
5.	Class Presentations; Work Book Maintenance;
6.	Problem based Assignment;

7.	Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Objective Structured Practical Examination (OPSE),Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), Direct Observation of Procedures (DOP), Case Based Discussion(CBD)
8.	Extra-curricular activities, (Social work, Public awareness, Surveillance or Prophylaxis activities, Sports or Other activities which may be decided by the Department);
9.	Small Project.

(b) (i) First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery(B.H.M.S.) course : There shall be minimum three periodical assessments for each subject (ordinarily at 4th, 9th, and 14thmonth) and two term test (ordinarily at 6th and 12th month) followed by final University examination.

(ii) Second, Third and Fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course: There shall be minimum two periodical assessments at 4th and 9th month and one term examination at 6th month followed by final university examination.

(iii) The scheme and calculation of assessment shall be as per the following tables, namely:-

Table-8

[Scheme of Assessment (Formative and Summative)]

Serial Number	**Professional Course**	**Duration of Professional Course**			
(1)	**(2)**	**(3)**			
		First Term	**Second Term**	**Third Term and University exam**	
		(a)	(b)	(c)	
(1)	First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).	First PA and First TT-1	Second PA and Second TT-2	Third PA	First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Exam (FUE)
		First Term	**Second Term and University exam**		
(2)	Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).	First PA and First TT-1	Second PA		Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) exam (FUE)
(3)	Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).	First PA and First TT	Second PA		Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) exam (FUE)
(4)	Fourth (Final) Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).	First PA and First TT	Second PA		Fourth (Final) Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) exam (FUE)

PA: Periodical Assessment; TT: Term Test; FUE: Final University Examinations; B.H.M.S: (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery).

(2) Summative Assessment. –

(a) Final University examinations conducted at the end of each professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) course shall be the Summative Assessment.

(b) There shall be double evaluation system and shall be no provision for revaluation.

(c) There shall be two examiners (one internal and one external) for university practical/clinical/viva voce examinations for hundred marks and it shall increase to four (two internal and two external) for two hundred marks.

(d) During supplementary examination for two hundred marks, if students are less than fifty then examination can be conducted by one internal and one external examiner but if students are more than fifty, then four examiners are required (two internal and two external examiner).

(e) While declaring the result of Summative Assessment, Internal Assessment component shall be considered as per the distribution of marks pattern provided in Table-10, Table-12,Table- 14 and Table-16.

12. The Profession wise Subjects, Number of Papers, Teaching Hours and Marks Distribution shall be as specified in the Tables below namely: -

Table -09

First Year Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) (3 terms)			
Subject	**Number of teaching hours**		
(1)	(2)		
	Lectures	Non- Lectures	Total
	(a)	(b)	(c)
Hom UG-OM-I	180	100	280
Hom UG-AN	325	330	655
Hom UG-PB	325	330	655
Hom UG-HP	100	110	210
Hom UG-HMM-I	120	75	195
Hom UG-R-I	21	-	21
HomUG-Yoga-I	-	30	30
Total	1071	975	2046
Foundation Course=10 Working days (60hours)		*Teaching Hours :2046*	

Table – 10

Marks distribution First Year Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)									
Serial Number	**Subject Code**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**					**Grand Total**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
				Practical/ Clinical	Viva	IA	Electives grade	Sub total	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1	*HomUG-OM-I*	1	100	50	40	10	Elective I - Elective II-	100	200
2	*HomUG-AN*	2	200	100	80	20		200	400

3	*HomUG-PB*	2	200	100	80	20		200	400
4	*HomUG-HP*	1	100	50	40	10		100	200
5	*HomUG-HMM-I*	1	100	50	40	10		100	200
Grand Total									1400

Table-11

Second Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). (2 terms) ***Teaching hours=1404***				
Serial Number	**Subject Code**	**Number of teaching hours**		
(1)	(2)	(3)		
		Lectures	Non-Lectures	Total
		(a)	(b)	(c)
1	HomUG-HMM-II	150	30	180
2	HomUG-OM-II	150	30	180
3	HomUG R-II	50	30	80
4	HomUG-FMT	120	50	170
5	HomUG-Path-M	200	80	280
7	HomUG-PM-I	80	92	172
8	Hom UG Sur- I	92	60	152
9	Hom UG ObGy- I	100	60	160
10	HomUG-Yoga-II	-	30	30
		942	462	1404

Table-12

Marks distribution of Second Year Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S)									
Serial Number	**Subject Code**	**Papers**	**Theory**	**Practical Clinical**	**Practical or Clinical Assessment**				
					(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Viva	Electives Grade	IA	Sub Total	Grand Total
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	HomUG-HMM-II	1	100	50	40	Electives I- Electives II-	10	100	200
2.	*HomUG-OM-II*	1	100	50	40		10	100	200
3.	*HomUG-FMT-I*	1	100	50	40		10	100	200
4.	*HomUG-Path M*	2	200	100	80		20	200	400
	Grand Total								1000

Table-13

Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). (2 terms) *Teaching hours=1404*				
Serial Number	**Subject Code**	**Number of teaching hours**		
		(3)		
(1)	(2)	Lectures	Clinical/ Practical	Total
		(a)	(b)	(c)
1	HomUG- -HMM-III	150	50	200
2	HomUG-OM-III	150	50	200
3	HomUG-R-III	100	50	150
4	HomUG-PM-II	120	100	220
5	Hom UG Sur- II	120	100	220
6	Hom UG ObGy- II	110	79	189
7	HomUG-CM	100	60	160
8	Hom.UG-Mod. Phar-I	45	-	45
9	HomUG Yoga-III		20	20
	Grand Total	895	509	1404

Table-14

Marks Distribution of Third Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Subjects									
Serial Number	**Subject Code**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**					**Grand Total**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
				Practical or Clinical	Viva	Electives grade	IA	Sub Total	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1	*HomUG-HMM-III*	1	100	50	40	Elective I - Elective II-	10	100	200
2	HomUG-OM-III	2	200	100	80		20	200	400
3	*Hom-UG-R-III*	1	100	50	40		10	100	200
4	*Hom-UG Sur-II*	2	200	100	80		20	200	400
5	*Hom-UG ObGy-II*	2	200	100	80		20	200	400
6	*Hom-UG-CM*	1	100	50	40		10	200	200
								Grand Total	1800

Table-15

Fourth Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) (2 terms) *Teaching hours=1404*				
Serial number	**Subject Code**	**Number of teaching hours**		
(1)	(2)	(3)		
		Lectures	Non-Lectures	Total
		(a)	(b)	(c)
1	HomUG-HMM-IV	200	83	283
2	HomUG-OM-IV	100	75	175
3	HomUG-R-IV	60	120	180
4	HomUG-PM-III	300	300	600
5	HomUG-CM II including RM-stat	71	75	146
6	HomUG-Yoga-II	-	20	20
	Total	731	673	
			Grand Total	1404

Table-16

Marks Distribution of Fourth Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Subjects)								
Serial Number	**Subject Code**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**				**Grand Total**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)
				Practical or Clinical	Viva	IA	Sub Total	
				(a)	(b)	(c)	(d)	
1	*HomUG-HMM-IV*	2	200	100	80	20	200	400
2	HomUG-OM-IV	1	100	50	40	10	100	200
3	HomUG-R-IV	1	100	50	40	10	100	200
4	HomUG-PM-III	3	300	100	80	20	200	500
5	*HomUG-CM-RM-STAT*	1	100	50	40	10	200	200
6	*HomUG-Ess. of Pharmacology*	1	50		40	10	50	100
							Grand Total	1600

13. Migration of students during the study: -(1) The student may be allowed to take migration to continue his study in another medical institution after passing the first professional examination, but the student who fails in such examination shall not be considered for transfer and mid-term migration.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both Medical Institution and University and it shall be against the vacant seat.

(3) Migration from one Medical Institution to other is not a right of a student.

(4) Migration of students from the Medical Institution to another Medical Institution in India shall be considered by the Commission only in exceptional cases on compassionate ground, if following criteria are fulfilled and routine migrations on other grounds shall not be allowed;

(a) Medical Institution at which the student is studying present and Medical Institution to which migration is sought are recognised as per provisions of Commission.

(b) The applicant shall submit his application in the Form- 3 for migration, complete in all respects, to the Medical Institution within a period of one month of passing (declaration of result) the first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination.

(c) The applicant shall submit an affidavit stating that he shall pursue twelve months of prescribed study before appearing at second professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery examination at the transferee college, which shall be duly certified by the Registrar of the concerned University in which he is seeking transfer and the transfer shall be effective only after receipt of the affidavit.

(d) Migration during internship training shall be allowed on extreme compassionate grounds and the migration shall be allowed only with the mutual consent of the medical institution at which the student is studying at present and the medical institution one to which migration is sought are recognised as per provisions of Commission.

(5) All applications for migration shall be referred to the Commission by medical institution and no medical institution shall allow migration without the approval of the Commission.

(6) The Commission reserves the right not to entertain any application except under the following compassionate grounds, namely: -

(a) death of a supporting guardian;

(b) illness of candidate causing disability supported by medical grounds certified by a recognized hospital;

(c) disturbed conditions as declared by concerned Government in the area where the college is situated.

(7) A student applying for transfer on compassionate ground shall apply in Form 3.

14. Compulsory Rotatory Internship Training. - There shall be compulsory rotatory internship training , followingly :-

(1) (a) Each candidate shall be required to undergo compulsory rotatory internship including internship orientation and finishing programme within one year from passing of fourth Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) examination.

(b) Ordinarily the internship training shall commence on first working day of April for regular batch students and first working day of September for supplementary batch students.

(c) The student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from First to Fourth (Final) Professional examination including six electives and after getting Provisional Degree Certificate from respective Universities and provisional registration Certificates from respective State Board or Council for Compulsory Rotatory Internship.

(2) During internship, the interns belonging to institute of the Central Government, State Government or Union territory as the case may be, and all the private homoeopathic medical colleges/institutions shall be eligible to get the stipend at par with other medical systems under respective Government and there shall not be any discrepancy between medical systems.

(3) (a) Migration during internship shall be issued with the consent of both the medical institution and university; in the case where migration is between the medical institution of two different Universities.

(b) If migration is only between medical institution of the same university, the consent of both the medical institution shall be required.

(c) Migration shall be accepted by the university on the production of the character certificate issued by the institute or medical institution and the application forwarded by the medical institution and university with a 'No Objection Certificate' as the case maybe.

(4) The objective of the orientation programme shall be to introduce the activity to be undertaken during the internship.

(a) The interns shall attend an orientation programme regarding internship and it shall be the responsibility of the teaching institution to conduct the orientation before the commencement of the internship.

(b) The orientation shall be conducted with an intention to make the intern to acquire the requisite knowledge as following , namely:-

(i) Rules and Regulations of the Medical Practice and Profession,

(ii) Medical Ethics;

(iii) Medico legal Aspects;

(iv) Medical Records;

(v) Medical Insurance;

(vi) Medical Certification;

(vii) Communication Skills;

(viii) Conduct and Etiquette;

(ix) National and State Health Care Programme;

(x) Project work.

(c) The orientation workshop shall be organised at the beginning of internship and an e-log book shall be maintained by each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him/her during orientation.

(d) The period of orientation shall be for three days prior to date of commencement of internship.

(e) The manual for conducting the orientation as prescribed from time to time by the National Commission for Homoeopathy shall be followed.

(5) (a) There shall be a finishing programme for three days at the completion of internship.

(b) This programme is designed for the interns and will consist of ten sessions spread over a period of three days. The program may include both online and offline modes of training. It is aimed to enlighten the interns on various career opportunities available after successful completion of the program and how to equip themselves to meet the requirements and fulfill their dreams.

(c) After successful completion of this training the student will be able to:

(i) list the various career opportunities available after successful completion of the degree program.

(ii) identify their Strengths and Weaknesses;

(iii) choose a career of their choice;

(iv) enumerate the requirements to be met to become a successful professional;

(v) demonstrate positive outlook and attitude towards the profession;

(vi) exhibit better skills in communication, problem solving, writing, team building, time management, decision making etc.;

(vii) demonstrate ethical and professional values and be a compassionate and caring citizen / professional.

(6) The finishing programme shall be as follows, namely:-

(a) Job opportunities after successful completion of the program

(b) Study opportunities in India and abroad after successful completion of the program

(c) Entrepreneurship opportunities after successful completion of the program

(d) Research opportunities after successful completion of the program

(e) Public Service opportunities after successful completion of the program

(f) Training and awareness about Competitive exams

(g) Self analysis to choose the right option

(h) Building Interpersonal & Soft Skills including Interview skills, Leadership skills, Resume writing skills, problem solving and decision making skills

(i) Certificate writing and prescription writing and medico-legal issues relevant to the profession

(j) Loan assistance and other scholarship facilities available for establishment and study.

(k) Ethical / Professional and Social responsibilities after successful completion of internship

(7) Activities during Internship shall consist of clinical work and project work.

(a) (i) Clinical work in the Outpatient Department (OPD)s/ medical institution hospital/ memorandum of understanding hospital/ Primary Health Centre or Community Health Centre or Research institute of Central Council for research in Homoeopathy or Rural Hospital or district hospital or civil Hospital or any government hospital of modern medicine or homoeopathy medicine or National Accreditation Board and for Hospital accredited private hospital of Homoeopathy.

(ii) The daily working hours of intern shall be not less than eight hour and the intern shall maintain an e-log book/log book containing all the activities undertaken by him/her during internship.

(iii) The medical institution shall opt any one of the Option as specified below for completion of internship and the same shall be mentioned in its prospectus.

(A) Option I shall be divided into clinical training of ten months in the Homoeopathy hospital attached to the college and two months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Research institute of Central Council for Research in Homoeopathy or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Homoeopathy Medicine or National Accreditation Board for Hospital accredited private hospital of Homoeopathy.

(I) The interns shall be posted in any of the following centers where National Health Programs are being implemented and these postings shall be to get oriented and acquaint with the knowledge of implementation of National Health Programmes in regard to,-

(a) Primary Health Centre;

(b) Community Health Centre or Civil Hospital or District Hospital;

(c) Any recognized or approved Homeopathy Hospital or Dispensary;

(d) In a clinical unit/hospital of Central Council for Research in Homoeopathy.

(II) All the above institutions mentioned in clauses (a) to (d) shall have to be recognised by the concerned University or Government designated authority for providing such training.

(III) During the two months internship training in Primary Health Centre or Research institute of Central Council for Research in Homoeopathy or Rural Hospital or Community Health Centre or District Hospital or any recognized or approved hospital of Modern Medicine or Homoeopathy Hospital or Dispensary, the interns shall:-

(1) get acquainted with routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;

(2) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management;

(3) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes;

(4) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;

(5) develop research aptitude;

(6) get familiarized with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register, etc. and take active participation in different Government health schemes or programmes;

(7) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.

(IV). The record of attendance during two months in Primary Health Center (PHC)/Community Health Center (CHC)/Dispensary must be maintained by the interns according to his posting and should be certified by the Medical Officer/Deputy medical superintendent/ Research officer/Resident Medical Officer (RMO)/Faculty/Outpatient department in-charge, where student undergone the training and shall be submitted to and counter signed by the principal of medical institution on monthly basis.

(B) Option II shall consists of clinical training of twelve months in Homoeopathy hospital attached to the medical institution and the record of attendance during twelve months in hospital attached to medical institution shall be maintained by the intern according to his posting and shall be certified by the Medical Officer/Deputy medical superintendent/ Research officer/ Resident Medical Officer (RMO)/Faculty/ Outpatient Department (OPD) in-charge, where the intern undergo the training and shall also be submitted to and counter signed by Dean/ Principal of medical institution on monthly basis.

(V) Division of Clinical work during posting in Option I and Option II. The clinical work during internship shall be conducted as per the following table, namely:-

Table-17

(Distribution of Internship duration)

Serial Number	Departments	Option I	Option II
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Practice of Medicine Outpatient Department including Psychiatry and Yoga, Dermatology, and related specialties and respective section of Inpatient Department	two month;	three months;
2.	Surgery Outpatient Department including Operation theatre, related specialties and Ophthalmology, Ear Nose Throat(ENT) and respective section of Inpatient Department	two month;	two months;

3.	Gynecology and Obstetrics Outpatient Department, related specialties including Operation theatre, and respective section of Inpatient Department	two month;	two months;
4.	Pediatric Outpatient Department related specialties including Neonatal Intensive Care Unit, and respective section of Inpatient Department	one month;	two months;
5.	Community Medicine Outpatient Department, related specialties including Rural/Public Health /Maternal and Child Health and respective section of Inpatient Department	two month;	two months;
6.	Casualty	one month;	one month;
7.	Primary Health Centre or Community Health Centre or Research institute of Central Council for Research in Homoeopathy or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Homoeopathy Medicine or NABH (National Accreditation Board for Hospitals) accredited private hospital of Homoeopathy	two month;	

(D)The intern shall undertake the following activities in respective department in the hospital attached to the College, namely: -

(1) The intern shall be practically trained in practice of medicine to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(a) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of patients with homoeopathic medicine;

(b) routine clinical pathological work such as hemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis and all pathological and radiological investigations useful for monitoring the status of different disease conditions;

(c) training in routine ward procedure and supervision of patients in respect of his diet, habits and verification of medicine schedule.

(2) The intern shall be practically trained in Surgery to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Clinical examination, diagnosis and management of common surgical disorders according to homoeopathic principles using homoeopathic medicines;

(b) Management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;

(c) Intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;

(d) Surgical procedures in ear, nose, throat, dental problems, ophthalmic problems;

(e) Examinations of eye, ear, nose, Throat and Refractive error with the supportive instruments in Out-Patient Department; and

(f) Practical training of a septic and antiseptic techniques, sterilization;

(g) Practical use of local anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;

(h) Radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;

(i) Surgical procedures and routine ward techniques such as-

(i) suturing of fresh injuries;

(ii) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;

(iii) incision and drainage of abscesses;

(iv) excision of cysts and;

(v) venesection;

(3) The intern shall be practically trained in Gynecology and Obstetrics to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Ante-natal and post-natal problems and their remedies, ante-natal and post-natal care;

(b) Management of normal and abnormal labors;

(c) Minor and major obstetric surgical procedures;

(d) All routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common gynecological conditions with homoeopathic medicine;

(e) Screening of common carcinomatous conditions in women.

(4) The intern shall be practically trained in pediatrics to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Care of newborns along with immunization programme:

(b) Important pediatric problems and their homoeopathic management;

(5) The intern shall be practically trained in Community Medicine to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely:-

(a) Programme of prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders, immunization, management of infectious diseases, etc.;

(b) Family Welfare Planning programme;

(c) All National Health Programme of Central Government at all levels

(d) Homoeopathic prophylaxis and management in cases of epidemic/endemic/pandemic diseases.

(6) The intern shall be practically trained in Emergency or Casualty management to acquaint with and to make him competent to deal with all emergency condition and participate actively in Casualty section of the hospital for identification of casualty and trauma cases and his first aid treatment and also procedure for referring such cases to the identified hospital.

(b) The project work shall consist of the following, namely:-

(a) Each intern will undertake a project utilizing the knowledge of Research Methodology and Biostatistics acquired in IVth Bachelor of Homoeopathic medicine and Surgery (B.H.M.S)

(b) It would be the responsibility of the intern to choose the topic of the subject (clinical/community/education) within the first month of the internship and shall communicate to guide/mentor allotted by Principal.

(c) The project shall run through three phases of planning (three months), data collection (three months) and finalization and writing (three months).

(d) The writing shall be as per the format taught in the course on research methodology and will be minimal one thousand five hundred words and it shall be type written and submitted in a spiral bond form as well as in the electronic format.

(e) The project shall end with a brief presentation to the IV Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) students.

(f) The principal shall assign a teacher to evaluate the project which will be with respect to the following:

(i) Originality of the idea

(ii) Scientific methodology followed in formulating the ideas and the designs

(iii) Analysis

(iv) Results and conclusion

(v) Merits of writing

(vi) The grades shall range from A (70% and above), B (60 - 70%), C50-60%) and D (below 50%)

(c) A Certificate shall be awarded to the intern stating the title of the project and grade received.

15. Electronic Logbook / Logbook. -(i) It shall be compulsory for an intern to maintain the record of procedures done/assisted/observed by him on day-to-day basis in a specified e-logbook/ logbook as the case may be and the intern shall maintain a record of work, which shall be verified and certified by the concerned Medical Officer or Head of the Unit or Department under whom he is placed for internship.

(ii) Failure to produce e-logbook/ logbook, complete in all respects certified by the concerned authority to the Dean / Principal / Director at the end of Internship Training Programme, may result in cancellation of his performance in any or all disciplines of Internship Training Programme.

(iii) The institution shall retain soft copy of the completed and certified –e log book/ logbook and available for further verification, if required.

16. Evaluation of Internship program. –(1) The evaluation system shall assess the skills of an intern while performing the minimum number of procedures as enlisted with an objective that successful learning of these procedures will enable the interns to conduct the same in his/her actual practice.

(2)The evaluation shall be carried out by respective Head of Department at the end of each posting and the reports shall be submitted to Head of the institute in Form-1.

(3)On completion of one year of compulsory rotatory internship including submission of project, the Head of the Institute shall evaluate all the assessment reports as specified in Form-1, as provided by Head of the Department at the end of respective posting and if found satisfactory, the intern shall be issued Internship Completion Certificate in Form-2 within seven working days.

(4)If performance of an intern is declared as unsatisfactory upon obtaining below fifteen marks as per Form-2 or less than fifty per cent. of marks, in an assessment in any of the Departments, he shall be required to repeat the posting in the respective department for a period of thirty percent. of the total number of days, laid down for that department in Internship Training and posting.

(5)The intern shall have the right to register his grievance in any aspect of conduct of evaluation and award of marks, separately to the concerned Head of the Department and Head of the Institution, within three days from the date of completion of his evaluation, and on receipt of such grievance, the Head of the Institution in consultation with the Head of the concerned Department shall redress and dispose of the grievance within seven working days.

17. Leave for interns.-(1) During compulsory rotatory internship of one year, fifteen days of leaves shall be permitted.

(ii)Any kind of absence beyond the period of fifteen days shall be extended accordingly.

18.Completion of internship.-(1) If there is any delay in the commencement of internship or break during internship due to unavoidable conditions, in such cases, internship period shall be completed within maximum period of twenty four months from the date of passing the qualifying examination of Fourth Final Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery and in such case, the student shall take prior permission from the Head of the institution in writing with all supporting documents thereof;

(2) It shall be the responsibility of the Head of the institution/college to scrutinise the documents, and assess the genuine nature of the request before issuing permission letter;

(3) if the student rejoins internship, he shall submit the request letter along with supporting document, in this regard to the head of institution/college.

19. Academic calendar: University, Institution/ College shall prepare academic calendar of a particular batch in accordance with the template of tentative academic calendar specified in Annexure II in these regulations and the same shall be circulated to students, hosted in respective websites, and followed accordingly.

20. Tuition fee. -Tuition fee as laid down and fixed by respective state fee regulation committee as applicable, shall be charged for four and half years study period only and no tuition fee shall be charged for extended duration of study in case of failing in examination or for any other reason and there shall not be any fee for doing internship in the same institute.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, (Homoeopathy Education Board)

[ADVT.-III/4/Exty./453/2022-23]

Appendix A

(See sub regulation (5) of regulation 4)

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in Clause (zc) of Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), provides asunder: -

1. Physical disability-

(a) Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including-

(i) "Leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from-

a) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

b) Manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

c) Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly.

(ii) "Cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly afterbirth.

(iii) "Dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less.

(iv) "Muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for health of muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues.

(v) "Acid attack victim" means a person disfigured due to violent assaults by throwing acid or similar corrosive substance.

(b) Visual impairment-

(i) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction-

a) Total absence of sight, or

b) Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction, or

c) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10degree.

(ii) "Low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:-

a) Visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 up to 3/60 or up to 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

b) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

(c) Hearing impairment-

(i) "Deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(ii) "Hard of hearing" means person having 60 DB hearing loss in speech frequencies in both ears,

(d) "Speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes;

(e) Intellectual disability a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in a dative behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including-

(i) "Specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia.

(ii) "Autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviors.

2. "Mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviors, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person,

3. Disability caused due to-

(a) Chronic neurological conditions, such as-

(i) "Multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

(ii) "Parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder-

(i) "Hemophilia" means an inherited disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding,

(ii) "Thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absence of haemoglobin.

(iii) "Sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anaemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage "Hemolytic" refers to the destruction of cell membrane of

red blood cells resulting in the release of hemoglobin,

4. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf, blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

5. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

Appendix B

(See sub-regulation (5) of regulation 4)

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).

(1) The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) The extent of "specified disability" of a person shall be assessed in accordance with the guidelines published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4th January, 2018under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

(3) The minimum degree of disability should be forty percent. (Benchmark disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

(4) The term 'Persons with Disabilities' (PwD) shall be used instead of the term 'Physically Handicapped'(PH)

TABLE 18

Serial Number	Disability Category	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	Eligible for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course, Not Eligible for	Eligible for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course, Eligible for Persons with Disabilities Quota	Not Eligible for Course
				Persons with Disabilities Quota		
1.	Physical Disability	(A) Locomotor disability, including specified disabilities (a to f).	(a) Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability- Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their function of incompetency will the aid of assistive devices, if it is being used, to see if its is brought below 80%	More than 80%
			(b)Cerebral Palsy**			
			(c) Dwarfism			
			(d)Muscular Dystrophy			
			(e) Acid attack victims			

			(f)Other* ** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.		and whether they possess sufficient motor, ability as required to pursue and complete the Course satisfactorily.	
			* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course.			
		(B) Visual Impairment(*)	(a) Blindness (b) Low vision	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)' I(20%)' & II (30%)		Equal to or more than 40% disability (i.e. Category III and above)
		(C) Hearing Impairment@	(a) Deaf (b) Hard of hearing	Less than 40% disability		Equal to or more than 40% disability
			(*) Persons with visual impairment/ visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). Course and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		(D) Speech & language	Organic/neurological causes	Less than 40%		Equal toor more than
		disability		disability		40% disability

		For admission to Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course. Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). course but beyond that they will neither be eligible to pursue the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course nor will they have any reservation.

2.	Intellectual disability		(a) Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia &Developmental aphasia)#	# Currently there is no quantification scale available to assess the severity of SLD; therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		
				Less than 40% disability	Equal to or more than 40% disability but selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the expert panel.	
			(b) Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperser syndrome (disability of 40-60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S). course by an expert panel	Currently, not recommended due to lack of objective method. However, the benefit of reservation/quot a may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/ or if the person is deemed unfit for pursuing Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course by an expert panel.

3.	Mental Behaviour		Mental illness	Absence or mild disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently, not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than disability or if the person

4.	Disability caused due to	(a) Chronic neurological conditions	(i) Multiple Sclerosis (ii) Parkinsonism	Less than 40% disability	40%80% disability	More than 80% disability
		(b) Blood disorders	(i) Hemophilia (ii) Thalassemia (iii)Sickle cell disease	Less than 40% disability	40%80% disability	More than 80% disability
5.	Multiple disabilities including deafness blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely , visual, hearing, speech &language disability, intellectual disability, and mental illness as a component of multiple disabilities. Combining formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India: $\frac{a+b\ (90-a)}{90}$ (where a=higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability ar when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual		

Note: For selection under PwD category, candidate shall be required to produce Disability Certificate before his scheduled date of counsellingissued by the disability assessment boards as designated by concerned authority of Government of India.

Note: 2- if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.

Annexure -I

Foundation Programme

[See clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7]

BACKGROUND

Homoeopathic medical education in India requires orientation of the new entrants to a basic philosophical orientation, a need to think in an integrated and holistic manner, an ability to function in a team at the bedside and a capacity to invest in a life-long learning pattern. Homoeopathy, though more than 225 years old, is relatively young as a scientific discipline and has attracted several negative community exposure due to a variety of reasons. In India, we are aware that the students who enter the portals of a homoeopathic college rarely do so out of their volition. It is often an exercise as the last choice or one which is adopted as a stepping stone to a 'medical' degree. Hence, the mind-set of the new entrants is rarely informed, positive, and self-affirming.

However, we know that like all medical disciplines, homoeopathy training includes a wide spectrum of domains that involves exposure to human interactions and interpersonal relationships in various settings inc luding hospital, community, clinics etc. The training is intense and demands great commitment, resilience and lifelong learning. It is desirable to create a period of acclimatization and familiarization to the new environment. This would include an introduction to the course structure, learning methods, technology usage, and peer interactions which would facilitate their smooth transition from junior college to homoeopathic college.

This is planned to be achieved through a dedicated 10 days exclusive "Found ation Programme", at the beginning of the BHMS course to orient and sensitize the students to various identified areas.

Goals and Objectives

Broad goals of the Foundation Programme in Homoeopathy include:

1. Orienting the students to various aspects of homo eopathic system of medicine;
2. Creating in them the conscious awareness of the 'Mission' as defined by Master Hahnemann;
3. Equipping them with certain basic, but important skills required for going through this professional course and taking care of patients;
4. Enhancing their communication, language, computer and learning skills;
5. Providing an opportunity for peer and faculty interactions and introducing an orientation to various learning methodologies.

Objectives

(a) The Objectives of the Foundation Programme are to:

Orient the learners to:

(i) The medical profession and the mission of a homoeopath in society

(ii) The BHMS Course

(iii) Vision and Mission of the institute

(iv) Concept of holistic and positive health and ways to acquire and maintain it

(v) History of Medicine and Homoeopathy and the status of Homoeopathy in the world

(vi) Medical ethics, attitudes and professionalism

(vii) Different health systems available in the country

(viii) Health care system and its delivery

(ix) National health priorities and policies

(x) Principles of primary care (general and community-based care)

(xi) Concept of mentorship programme

(b) Enable the learners to appreciate the need to enhance skills in:

(i) Language

(ii) Observation, documentation& understanding of basic medical technologies

(iii) Interpersonal relationships and team behavior

(iv) Communication across ages and cultures

(v) Time management

(vi) Stress management

(vii) Use of information technology

(c) Train the learners to provide:

(i) First-aid/ Emergency management

(ii) Basic life support

(iii) Universal precautions and vaccinations

(iv) Patient safety and biohazard safety

(d) Impart Language and Computer skills

(i) Local language programme

(ii) English language programme

(iii) Computer skills

These may be arranged as per the needs of the particular batch and extra coaching may be continued after the Foundation programme

Content and Methodology

The programme will be run in professional session which must be interactive.

The major components of the Foundation Programme include:

1) Orientation Program:

This includes orienting students to all the components mentioned below with specia1 emphasis on the role of Homoeopathy and homoeopath in today's times.

2) Skills Module (Basic):

This involves skill sessions such as Basic Life Support/ Emergency Management, First aid, Universal Precautions and Biomedical Waste and Safety Management that students need to be trained prior to entering the patient care areas.

3) Field visits to Community and Primary Health Centre:

These visits provide orientation to the care delivery through community and primary health centres, and include interaction with health care workers, patients and their families.

4) Professional development including Ethics:

This is an introduction to the concept of Professionalism and Ethics and is closely related to Hahnemann's emphasis on the conduct of a physician. This component will provide students with understanding that clinical competence, communication skills and sound ethical principles are the foundation of professionalism. It will also provide understanding of the consequences of unethical and unprofessional behavior, value of honesty, integrity and respect in all interactions. Professional attributes such as accountability, altruism, pursuit of excellence, empathy, compassion and humanism will be addressed. It should inculcate respect and sensitivity for gender, background, culture, regional and language diversities. It should also include respect towards the differently abled persons. It introduces the students to the basic concept of compassionate care and functioning as a part of a health care team. It sensitizes students to "learning" as a behavior and to the appropriate methods of learning.

5) Enhancement of Language / Computer skills / Learning skills:

These are sessions to provide opportunity for the students from diverse background and language competence to undergo training for speaking and writing English, fluency in local language and basic computer skills. The students should be sensitized to various learning methodologies such as small group discussions, skills lab, simulations, documentation and concept of Self-Directed learning.

Structure of the program for students

Table 19: Foundation Programme			
Serial Number	**Topic**	**Type of activity**	**Duration hours**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Welcome and Introduction to Vision/ Mission of the Institute	Lecture	1
2.	Mission and role of Homoeopathy and a Homoeopath in society including showcasing effects of Homoeopathy	Interactive discussion	3
3.	BHMS Course of study and introducing to first year faculty	Presentation	1
4.	Visit to institution / campus / facilities	Walking tour	2
5.	Concept of Holistic and Positive health	Interactive discussion	2
6.	History of Medicine and Homoeopathy and state of Homoeopathy in the world	Presentation	2
7.	Adult learning principles	Interactive discussion	2
8.	Health care system and delivery	Visit to PHC/ Urban Health Centre and interaction with staff	3
9.	Different health care systems recognized in the country and the concept of pluralistic health care systems	Presentation	1
10.	Primary community care	Interaction	2
11.	Basic life support	Demonstration video and practice	4
12.	Communication – its nature and importance in different social and professional settings	Practical with scenarios and enactment with observation	4
13.	Medical ethics – role in enhancing patient care	Role play	2
14.	Who is professional?	Debate between two sides on a topic	2
15.	Time management	Practical exercise	3
16.	First aid – principles and techniques	Demonstration and presentation	2
17.	National health priorities and policies	Presentation	1
18.	Importance of Mental Health and Hygiene to a medical student in the medical profession Stress management including importance of sports and extracurricular activities	Practical demonstration / video	4
19.	Concept and practice of mentoring	Interactive discussion	4
20.	Constitutional values, equality, gender sensitization and ragging policy	Presentation and Interactive discussion	3
21.	Universal precautions and vaccinations	Presentation followed by discussion	1
22.	Importance of Observation and Documentation in Homoeopathic practice	Practice exercise through video observation	4
23.	Team working	Game and debriefing	2
24.	Patient safety and biomedical hazards	Video and presentation	1
25.	Computer skills	Demonstration and practice of basic use of word, Excel and PPT	2
26.	Language skills	Language labs	2
	TOTAL		60

Annexure -II

PART A

TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR

First Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).

(18 MONTHS)

Serial Number	DATE / PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
(1)	(2)	(3)
1.	First working day of October	Course commencement
2.	10 working days	Foundation Programme
3	First periodic assessment	January- Internal Assessment (PA-1)
4.	Fourth Week of March	First Terminal Test -Internal Assessment (TT-1)
5	Second periodic assessment	June -Internal Assessment (PA-2)
6.	First week of September	Second Terminal Test -Internal Assessment (TT-2)
7.	Third periodic assessment	November – Internal Assessment – (PA-3)
8.	Second week of February to March	University Examination
9.	*First Working Day of April*	*Start of second professional year*
	NOTE.- 1. University / Institution / College shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students and displayed in respective websites. 2. Institution/College established in Extreme Weather Conditions may adjust the timings as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered. 3. Academic calendar may be modified according to directions of National Commission for Homoeopathy issued from time to time.	

PART-B

TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR

Second/Third/ Fourth Professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S).

(12 MONTHS)

Serial Number	**DATE /PERIOD**	**ACADEMIC ACTIVITY**
(1)	(2)	(3)
1.	First working day of April	Course commencement
2.	Fourth week of July	First periodic - Internal Assessment (PT-1)
3.	Fourth week of September	First terminal examination- Internal Assessment (TT-1)
4.	Fourth week of December	Second periodic - Internal Assessment (PT-2)
5.	Third week of February	University Examination
6.	*First Working day of April*	*Commencement of third/fourth/internship professional year*

	NOTE. - 1. University/ Institution / College shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students and displayed in respective websites. 2. Institution / College established in Extreme Weather Condition may adjust the timing as required by maintaining the stipulated hour of teaching and however, the structure of academic calendar shall not be altered 3. Academic calendar may be modified according to directions of National Commission for Homoeopathy issued from time to time.

Annexure-III

GUIDELINES FOR ATTENDANCE MAINTENANCE
(THEORY/PRACTICAL/CLINICAL/NON-LECTURE HOURS)

Institutes/colleges offering education in Homoeopathy are recommended to maintain online attendance system. However, in case physical registers are being maintained for recording attendance of various teaching/training activities, the following guidelines are to be followed:

(1) Attendance is to be marked in cumulative numbering fashion:

(a) In case presence, it is to be marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6……soon;

(b) In case of absence, it must be marked as 'A';

(c) Example: P PPP A P P AA P P P…. may be marked as (1, 2, 3, 4, A, 5, 6, A, A, 7, 8,9…).

(2) Avoid strictly marking 'P' for presence.

(3) Separate register for theory and practical/clinical/non-lecture activities are to be maintained.

(4) At the end of term or course or part of syllabus, the last number to be taken as total attendance.

(5) The total attendance after student's signature is to be certified by respective Head of department (HOD) followed by approval by Principal.

(6) In case of multiple terms, at the end of course all term attendance is to be summarised and percentage is to be calculated separately for theory and practical including clinical & non-lecture hours.

[Note : *lf any discrepancy is found between Hindi and English version, the English version will be treated as final .]

FORM 1

[See sub- regulation (2) and (3) of regulation 16]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

BACHELOR OF HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY (B.H.M.S) COURSE

DEPARTMENT OF----------

CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND ASSESSMENT OF INTERNSHIP

(1) Name of the Intern :

(2) Attendance during internship

Period of training From----------to----------

(a) Number of working days :

(b) Number of days attended :

(c) Number of days leave availed :

(d) Number of days absent :

Assessment of Internship

Serial Number	Category	Marks obtained
(1)	(2)	(3)
1.	General	Maximum10
(a)	Responsibility and Punctuality	(_____)outof2
(b)	Behavior with sub-ordinates, colleagues and superiors	(_____)outof2
(c)	Documentation ability	(_____)outof2
(d)	Character and conduct	(_____)outof2
(e)	Aptitude for research	(_____)outof2
2.	Clinical	Maximum20
(a)	Proficiency in fundamentals of subject	(_____)outof4
(b)	Bedside manners &rapport with patient	(_____)outof4
(c)	Clinical acumen and competency as acquired	(_____)outof4
	(i) By performing procedures	
	(ii)By assisting in procedures	(_____)outof4
	(iii) By observing procedures	(_____)outof4
Total Score obtained		(_____)out of30

Performance Grade of marks

Poor < 8, Below average 9-14, Average 15-21, Good 22-25, Excellent 26 and above

Note: An intern obtained unsatisfactory score (below 15) shall be required to repeat one third of the total period of posting in the concerned department.

Date:

Place:

Signature of the Intern

Signature of the Head of the Department and Office Seal

FORM 2

[See sub-regulations (3) and (4) of regulation 16]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

(BACHELOR OF HOMOEOPATHIC MEDICINE AND SURGERY – (B.H.M.S)) COURSE CERTIFICATE OF COMPLETION OF COMPULSORY ROTATORY INTERNSHIP

This is to certify that _____(name of the intern) an intern of ,_____(name of the college and address), has completed his/her Compulsory Rotatory Internship at the _____ (Name of college, address and place of posting) for one year _____ to _____ in following departments.

TABLE 20

Serial Number.	Name of the Department	Period of training (From) (dd/mm/yyyy)	Period of training (to) (dd/mm/yyyy)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

6.			
7.			
8.			

During the internship period, the conduct of the student is_____

Date:

Place:

Signature of the Internship in charge / Principal/Dean/Director with Office seal

Form-3

{See sub – regulation (4) and (7) of regulation 13}

Migration of Mr. / Miss _____ from _____ Homoeopathic Medical College _____ to _____ Homoeopathic Medical College _____

1. Date of admission in First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course
2. Date of passing First Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) University examination
3. Date of application
4. Number objection certificate from relieving college (enclosed) – Yes/No
5. Number objection certificate from relieving University (enclosed) – Yes/No
6. Number objection certificate from receiving college (enclosed) – Yes/No
7. Number objection certificate from receiving University (enclosed) – Yes/No
8. Number objection certificate from State Government wherein the relieving college is located – Yes/ No
9. Affidavit, duly sworn before First Class Magistrate containing an undertaking that "I will study for full twelve months in existing class of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) course in transferred Homoeopathic Medical College before appearing in the IInd Professional University examination" (enclosed) – Yes/No
10. Reasons for migration in brief (please enclose copy of proof) – Yes/No
11. Permanent address: _____".

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2023

F. No. 3-41/2022/NCH/HEB/Regulation-DRL-Pt. .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (zk), (zl), (zm), (zn), (zo) and (zp) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Recognition of Qualifications of Homoeopathy) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "Annexure" means an Annexure appended to these regulations;

(c) "Board" means the Homoeopathy Education Board;

(d) "Course" means the course of study in Homoeopathy, namely: -

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S), an undergraduate qualification in Homoeopathy listed and maintained by the Board;

(ii) M.D (Homoeopathy) or Post Graduation in Homoeopathy, a postgraduate qualification in Homoeopathy listed and maintained by the Board;

(e) "Digital Code" means the code given to the recognised medical qualification.

(f) "Form" means a form appended to these regulations;

(g) "medical qualification" means Diploma, undergraduate Degree, postgraduate Degree, super- specialty in Homoeopathy or any other such qualification as recommended by the Board in Homoeopathy medical systems awarded by approved Medical Institutions or Universities, as the case may be;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Recognition of medical qualifications awarded by Universities or medical institutions in India. – (1) The Board shall, for including a medical qualification awarded by Universities or medical institutions in India, list and maintain in the following manner, namely:-

(i) the list of recognised medical qualification given in Annexure-I shall be displayed on Commission's web portal;

(ii) while including the recognised medical qualification in the list, the validity period of such recognition shall be mentioned as specified in Annexure-VII;

(iii) the Board shall communicate the details of recognised medical qualification to the respective State or Union territories Medical Councils for Homoeopathy in the given format as specified in Annexure- VII;

(iv) for the purpose of inclusion and listing of medical qualification, a Digital Code shall be generated which shall be a combination of the abbreviated name of the State or Union territory, University code, medical institution code followed by qualification abbreviation code and amendments, if any, wherein, -

(a) State or Union territory shall be denoted by the abbreviated name of the State or Union territory as the case may be, in which the University is located as specified in Annexure-II;

(b) University shall be denoted by the abbreviated name of the University, in which the medical institution is affiliated as specified in Annexure-III;

(c) medical institution shall be denoted by the abbreviated name of the medical institution, as allotted by the Commission as specified in Annexure-IV;

(d) medical qualification Codes shall denote qualifications as specified in Annexure-V.

(2) The Board shall list and maintain all medical qualifications recognised and included in the Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) as specified in Annexure- VI and the list shall be displayed on Commission's web portal.

(3) The Board shall list and maintain all medical qualifications as specified in Annexure- VII and these medical qualifications shall be recognised medical qualification for the purposes of the Act.

(4) All the Universities or medical institutions after the notification of this regulation shall apply for further continuation of recognition of the qualification in the medical qualification recognition list in the prescribed Form A or Form B as the case may be, in the manner and procedure as mentioned in regulation 4.

(5) The Board may inspect or appoint inspectors to inspect the University or medical institution if required before deciding on grant of recognition of the medical qualification to examine academic training and examinations conducted in medical institution.

4. Examination of application. - (1) For the grant of recognition of medical qualifications of Homoeopathy, the Board shall examine the following eligibility criteria, namely: -

(a) (i) the medical institution or University shall be located in India;

(ii) the medical institution or University shall be duly permitted by Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;

(iii) nomenclature of medical qualification awarded by medical institution or University shall be approved by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;

(iv) duration of the Course of medical qualification awarded by medical institution or University shall be such as laid down by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;

(v) syllabus or curriculum adopted for the Course shall be such as laid down by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;

(vi) evaluation system for the Course shall be such as laid down by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;

(b) The details of nomenclature and duration of approved medical qualifications for Homoeopathy shall be provided as specified in Annexure –I.

(2) (a) University or medical institution fulfilling the eligibility criteria as specified in sub-regulation (1), shall submit duly filled application form offline or online addressed to the President, Board,- (i) for undergraduate Course or any other medical qualification in Homoeopathy as recommended by the Board, application shall be submitted as per the given format specified under Form – A within forty-five days of completions of undergraduate internship.

(ii) for postgraduate Course application shall be submitted as per the given format specified under Form – B within forty-five days of completions of postgraduate Course:

Provided that newly established medical institution of undergraduate Course with due approval by Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or the Central Government, may initiate the process for applying for grant of recognition of qualification through the degree awarding University, when the students enter internship:

Provided further, that if the established medical institution started a new Course or Higher Course in Homoeopathy with due approval by Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, may initiate the process for applying for grant of recognition of qualification through the degree awarding University, when the students are in final year of the respective course.

(b) the Board shall examine and process the received applications as per the criteria specified in sub-regulation (1).

(c) after processing of the application by the Board, an order either to grant recognition or denial of recognition shall be communicated to the applicant within a period of six months from the date of receipt of such application.

(d) in case, the Board finds any deficiency, an opportunity to rectify such deficiency shall be given to the applicant and if the applicant fails to rectify such deficiency, the application shall be rejected and order with the reasons shall be communicated to the applicant.

5. Appeal to the Commission for grant of recognition of medical qualifications. –

(1) The applicant whose application under sub- regulation (2) of regulation 4 has been rejected may prefer an appeal against the order to the Commission addressed to the Chairperson, National Commission for Homoeopathy within a period of sixty days from the date of communication of such order.

(2) The applicant may appeal offline or online in the specified Form-C duly filled for undergraduate Degree Course or postgraduate Degree Course.

(3) The Commission shall examine such appeal as per the eligibility criteria as specified in sub- regulation (1) of regulation 4 within a period of two months and if the Commission decides that recognition may be granted to such medical qualification, the Commission may direct the Homoeopathy Education Board to grant recognition and include such qualifications as per sub- regulation (1) of regulation 3.

(4) In case, if the deficiencies are found then an opportunity to rectify such deficiency shall be given to the appellant and if the appellant fails to rectify such deficiency, the appeal shall be rejected and order with the reasons shall be communicated to the appellant.

(5) In case of refusal of grant of recognition of medical qualification by the Commission or the Commission fails to decide the appeal within a period of two months, the appellant may prefer second appeal to the Central Government addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Ayush within a period of thirty days from the date of communication of the order under sub-section (4) or lapse of the said period of two months.

(6) The Central Government shall examine such appeal as per the eligibility criteria as specified in sub-regulation (1) of regulation 4 and if the Central Government decides that recognition may be granted to such medical qualification, the Central Government may direct the Commission to grant recognition and include such qualifications as per sub- regulation (1) of regulation 3.

(7) If the Central Government decides that recognition may not be granted to such medical qualification, the Central Government may reject and dispose such appeal:

Provided that before rejecting such appeal, if the deficiencies are found then an opportunity to rectify such deficiencies shall be given to the appellant and if the appellant fails to rectify such deficiency, the appeal shall be rejected and order with the reasons shall be communicated to the appellant.

6. Recognition of medical qualifications of Homoeopathy awarded by medical institutions outside India.– (1) The Board shall list and maintain all qualifications recognised and included in the Third Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) as per Annexure- IX and the list shall be displayed on Commission's web portal.

(2) The Board shall list and maintain all medical qualifications as specified in Annexure- VIII and these medical qualifications shall be recognised as medical qualifications for the purposes of the Act.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board

[ADVT.-III/4/Exty./287/2023-24]

Annexure –I

(see sub-regulation *(1)* of regulation 3 and sub-regulation (1) of regulation 4)

As per the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course-Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Regulations, 2022 and Post Graduate regulation of *erstwhile* Central Council of Homoeopathy "*Homoeopathy Central Council* (Post graduate Degree Course) regulation, 1989 the Nomenclature of undergraduate degree and postgraduate degree shall be as under, namely: -

Sl. No.	Nomenclature of Course	Duration	Abbreviation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	B.H.M.S. (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery)	5 ½ Year	B.H.M.S
2.	M.D. (Hom.) (Doctor of Medicine in Homoeopathy)	3 Year	M.D. (Hom.)
3.	All other such degree or diploma with their abbreviations as per Second and Third Schedule of the Central Council of Homoeopathy Act,1973	--	--

Annexure–II
(State Code)
(see sub-regulation *(1)* of regulation 3)

Sl. No.	State or Union territory	Abbreviation	Sl. No.	State or Union territory	Abbreviation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Andhra Pradesh	AP	20.	Orissa	OI
2.	Arunachal Pradesh	ANP	21.	Punjab	PN
3.	Assam	AS	22.	Rajasthan	RJ
4.	Bihar	BH	23.	Sikkim	SK
5.	Chhattisgarh	CH	24.	Tamil Nadu	TN
6.	Goa	GA	25.	Tripura	TR
7.	Gujarat	GJ	26.	Uttarakhand	UT
8.	Haryana	HR	27.	Uttar Pradesh	UP
9.	Himachal Pradesh	HM	28.	West Bengal	WS
10.	Telangana	TL	29.	Andaman and Nicobar Islands	AN
11.	Jharkhand	JA	30.	Chandigarh	CD
12.	Karnataka	KR	31.	Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu	DD
13.	Kerala	KL	32.	Delhi	DL
14.	Madhya Pradesh	MD	33.	Lakshadweep	LD
15.	Maharashtra	MH	34.	Puducherry	PY
16.	Manipur	MN	35.	Ladakh	LL
17.	Meghalaya	MG	36.	Jammu and Kashmir	JK
18.	Mizoram	MZ			
19.	Nagaland	NL			

Annexure- III
(University code)
(see sub-regulation *(1)* of regulation 3)

Sl. No.	**State**	**Name of University**	**University ID**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ANDHRA PRADESH	NTR University of Health Sciences, Vijayawada.	(AP-01)
2.	ARUNACHAL PRADESH	Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Doimukh Itanagar	(ANP-01)
3.	ASSAM	Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Guwahati	(AS-01)
4.	BIHAR	Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	(BH-01)
5.	CHHATISGARH	Guru Ghasidas University	(CH-01)
6.	CHHATISGARH	Pt. Deendayal Upadhyay Memo. Health Sciences and AYUSH University, Raipur C.G.	(CH-02)
7.	CHANDIGARH	Guru Ravidas Ayurved University, Hoshiarpur	(CD-01)
8.	DELHI	University of Delhi, Delhi	(DL-01)
9.	DELHI	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	(DL-02)
10.	GOA	Goa University, Teleigao Plateau, Goa	(GA-01)

11.	GUJARAT	Swarrnim startup and Innovation University	(GJ-01)
12.	GUJARAT	Hemchandracharya North Gujarat, University Patan Gujarat	(GJ-02)
13.	GUJARAT	Saurshtra University, Rajkot	(GJ-03)
14.	GUJARAT	Sardar Patel University, V.V.Nagar	(GJ-04)
15.	GUJARAT	Parul University, Vadodara (Constituent College)	(GJ-05)
16.	GUJARAT	Maharaja Krishna kumarsinhji Bhavnagar University, Bhavnagar	(GJ-06)
17.	GUJARAT	Veer Narmad South Gujarat University, Surat	(GJ-07)
18.	GUJARAT	Sankalchand Patel University	(GJ-08)
19.	GUJARAT	Gujarat University Ahmedabad	(GJ-09)
20.	GUJARAT	Shri Govind Guru University, Godhra	(GJ-10)
21.	GUJARAT	Bhakta Kavi Narsinh Mehta University	(GJ-11)
22.	GUJARAT	P.P. Savani University	(GJ-12)
23.	GUJARAT	Sumandeep Vidyapeeth University	(GJ-13)
24.	HARYANA	Shri krishna Ayush Univesity, Kurukshetra, Haryana	(HR-01)
25.	HIMACHAL PRADESH	Himachal Pradesh University, Shimla	(HM-01)
26.	JHARKHAND	Vinoba Bhave University, Hazaribagh	(JA-01)
27.	JHARKHAND	YBN University	(JA-02)
28.	JHARKHAND	Nilamber Pitamber University (2010-11) Vinoba Bhabe University, Hazaribagh	(JA-03)
29.	KARNATAKA	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru	(KR-01)
30.	KARNATAKA	KLE University, JMNC Campus, Nehru Nagar, Belagavi, (Deemed to be) Constituent College)	(KR-02)
31.	KARNATAKA	Yenepoya University, Mangaluru (Constituent College)	(KR-03)
32.	KERALA	Kerala University of Health and allied Sciences, Medical College P. O., Thrissur-680596	(KL-01)
33.	MADHYA PRADESH	Madhya Pradesh Medical Science, University, Jabalpur	(MD-01)
34.	MADHYA PRADESH	Sarvepalliradha Krishnan University Bhopal	(MD-02)
35.	MADHYA PRADESH	Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore	(MD-03)
36.	MADHYA PRADESH	Sri Satya Sai University of technology and Medical Sciences	(MD-04)
37.	MADHYA PRADESH	RKDF University, Bhopal	(MD-05)
38.	MADHYA PRADESH	Dr Hari Singh Gaur University, Sagar	(MD-06)
39.	MADHYA PRADESH	Sardar Patel University Balaghat	(MD-07)
40.	MAHARASHTRA	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	(MH-01)
41.	MAHARASHTRA	Bharati Vidyapeeth University, Pune	(MH-02)
42.	MAHARASHTRA	Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, (Deemed to be University) Sant Tukaram Nagar Pimpri, Pune-411018.	(MH-03)
43.	MEGHALAYA	North Eastern Hill University (NEHU), Shillong	(MG-01)
44.	ODISHA	Utkal University Bhubaneswar	(OI-01)
45.	ODISHA	Berhampur University	(OI-02)
46.	ODISHA	Sambalpur University	(OI-03)
47.	PUNJAB	Guru Ravidas Ayurved University , Punjab	(CD-01)
48.	RAJASTHAN	Dr. Sarvepelli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	(RJ-01)
49.	RAJASTHAN	Tantia University	(RJ-02)
50.	RAJASTHAN	Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed to be University)	(RJ-03)
51.	RAJASTHAN	Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, (Constituent Faculty)	(RJ-04)
52.	RAJASTHAN	Madhav University	(RJ-05)

		(Constituent Faculty)	
53.	RAJASTHAN	Constituent College of Homoeopathy University, Jaipur	(RJ-06)
54.	TAMIL NADU	Dr. M.G.R. Medical University, Chennai.	(TN-01)
55.	TAMIL NADU	Vinayaka Missions Research Foundation – Deemed To Be University	(TN-02)
56.	TELANGANA	Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences, Nizampura, Warangal, Telangana.	(TL-01)
57.	UTTARAKHAND	Uttarakhand Ayurved University, Dehradun	(UT-01)
58.	UTTARAKHAND	Kumaun University, Nainital	(UT-02)
59.	UTTAR PRADESH	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	(UP-01)
60.	UTTAR PRADESH	Mahayogi Guru Gorakhnath AYUSH University, Uttar Pradesh	(UP-02)
61.	WEST BENGAL	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	(WS-01)

Annexure- IV

(Medical Institution Code)

(see sub-regulation *(1)* of regulation 3)

Sl. No.	Name of the medical institution	State	Medical institution ID
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A.S.R. Homoeopathic Medical College, Y -Junction,,Prathipadu, Tadepalligudem, West	ANDHRA PRADESH	(01-01)
2.	Dr. Allu Ramalingaiah Govt. Homoeopathic Medical College, 26-1-11, Y-Junction, Rajamahendravaram,	ANDHRA PRADESH	(01-02)
3.	Dr. Gururaju Govt. Homoeopathic Medical College, Gudivada, Krishna Distt.- 521 301.	ANDHRA PRADESH	(01-03)
4.	Govt. Homoeopathic Medical College, Rama Raju Palli, Ravindra Nagar Post, Kadapa, Cuddapah, Andhra Pradesh, 516003.	ANDHRA PRADESH	(01-04)
5.	KKC Homoeopathic Medical College, 1-52, KKC Nagar, Parameswara Mangalam, Chittoor- 517584.	ANDHRA PRADESH	(01-05)
6.	Maharajaha Institute of Homoeopathy Sciences and Hospital, D.NO: 31-15,, Nellimarla Near M.D.O. Office, Nellimarla, Vizianagaram-535217.	ANDHRA PRADESH	(01-06)
7.	Sri Adi Shiva Satguru Ali Saheb Shivaaryula Homoeopathic Medical College, Thimmapuram, NH-63, , Near Anjineyaswamy Temple, Guntakal, Anantapur- 515801.	ANDHRA PRADESH	(01-07)
8.	North East Homoeopathic Medical College and Hospital, Vivek Vihar, Itanagar, PapumPare, 791113.	ARUNACHAL PRADESH	(02-01)
9.	Assam Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, Mull Singh Road, Lakhinagar P.O. Haibergaon, Dist. Nagaon-782 002.	ASSAM	(03-01)
10.	Dr. J. K. Saikia Govt. Homoeopathic Medical College, Near Gymkhana Club Road, Distt- Jorhat-785008.	ASSAM	(03-02)
11.	Swahid Jadav Nath Govt. Homoeopathic Medical College, Vill. Bagharbari, P.O. Khanapara, Guwahati-781037.	ASSAM	(03-03)
12.	B.N.M. Homoeopathic Medical Hospital, Saharsa-852 201.	BIHAR	(04-01)
13.	K.N.H Homoeopathic. Medical College and Hospital, Mayaganj, Bhagalpur-812001.	BIHAR	(04-02)
14.	Magadh Homoeopathic Medical College, Biharsarif, Station Road, Nalanda-803101.	BIHAR	(04-03)
15.	G.D. Memorial Homoeopathic Medical College and Hospital, East Ram Krishna Nagar, P.O. Jaganpura Patna -800 027.	BIHAR	(04-04)
16.	Dr. Rambalak Singh Gaya Homoeopathic Medical	BIHAR	(04-05)

	College and Hospital, Amwa, Bodh Gaya- 824231, Gaya.		
17.	Dr.Yadubir Singh Sinha Homoeopathic Medical College and Hospital, Laharisarai, Darbhanga- 846002.	BIHAR	(04-06)
18.	Mangla Kamla Homoeopathic Medical College and Hospital, Prof. Vishnu Kumar Marg, Srinagar, Siwan-841226.	BIHAR	(04-07)
19.	R.D. Kedia Homoeopathic Medical College and Hospital, post office Hanuman Sugar Mills Bariyapur, Motihari, East Champaran-841226,	BIHAR	(04-08)
20.	The Temple of Hahnemann Homoeopathic Medical College and Hospital, Opposite Post Office, Bhagat Singh Chowk, Munger- 811201.	BIHAR	(04-09)
21.	R.B.T.S. Govt. Homoeopathic Medical College, Ram Dayalu Nagar, P.O. Ramna, Muzaffarpur- 842 002.	BIHAR	(04-10)
22.	Dr. Halim Homoeopathic Medical College and Hospital, Ekmighat, P.O. Laheria Sarai- 846001.	BIHAR	(04-11)
23.	Kent Homeopathic Medical College and Hospital Khilwat, Hajipur Vaishali - 844101.	BIHAR	(04-12)
24.	Maharshi Menhi Homoeopathic Medical College and Hospital, Jeewachh Nagar, Katihar-854105.	BIHAR	(04-13)
25.	Muzaffarpur Homoeopathic Medical College, Raghu Nath Pandey Nagar, MIC Bela, Muzaffarpur-842005.	BIHAR	(04-14)
26.	Patna Homoeopathic Medical College and Hospital, Ram Krishan Nagar, (Sorangpur), Patna-800027.	BIHAR	(04-15)
27.	ChhadamilalChouksey (C.L.) Homoeopathic Medical College and Hospital, Lal KhadanMasturi Road, Bilaspur- 495001.	CHHATISGARH	(05-01)
28.	Maharana Pratap Homoeopathic Medical College, Near Rishabh Enclave, Imlidih, New Rajendra Nagar, Raipur-001.	CHHATISGARH	(05-02)
29.	Raipur Homoeopathic Medical College and Hospital, Ram Kund, Chaube Colony, Raipur- 492 001.	CHHATISGARH	(05-03)
30.	Homoeopathic Medical College and Hospital, M-671, Sector 26, U.T. Chandigarh - 160 019.	CHANDIGARH	(06-01)
31.	Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital, B-Block, Defence Colony, New Delhi-110024.	DELHI	(07-01)
32.	Dr. B.R. Sur Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Nanakpura Gurudwara (Ring Road), Moti Bagh-II, New Delhi-110 021.	DELHI	(07-02)
33.	Kamaxi Devi Homoeopathic Medical College, Hill Top, Shiroda, Goa-403103.	GOA	(08-01)
34.	Aarihant Homoeopathic Medical College and Research Institute, At Bhoya Rathod, Opp. Iffco Adalaj-Sertha Road, Gandhinagar-382420.	GUJARAT	(09-01)
35.	Laxmiben Homoeopathy Institute and Research Centre, Lalji Park, Unjha-Mehsana Highway, At and PO-Bhandu-384120, Ta-Visanagar, Distt. Mehsana, (North Gujarat).	GUJARAT	(09-02)
36.	Shree Limbdi Vikas Trust Homoeopathic Medical College, Limbdi– Dhanuka State Highway, District Surendra Nagar Limbdi - 363421.	GUJARAT	(09-03)
37.	Anand Homoeopathic Medical College and Research Institute,Near 0Sardar Baug, Bhalej Road, Anand- 001. Dist. Kheda.	GUJARAT	(09-04)
38.	Baroda Homoeopathic Medical College, Near Sonar Kui, Opp. Xavier Technical Institute, Sevasi-Sindhrot Road, Sevasi, Vadodara-391101.	GUJARAT	(09-05)
39.	Dr. V.H. Dave Homoeopathic Medical College and	GUJARAT	(09-06)

	Smt. S.I. Patel (Ipcowala) Homoeopathic Hospital, Hahnemann House, Amul Dairy Road, Anand- - 001, Dist. Kheda.		
40.	Jawaharlal Nehru Homoeopathic Medical College, C/o Parul Educational Complex, Post- Limbda, Tal- Waghodia, Dist.- Vadodara-391760.	GUJARAT	(09-07)
41.	Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, Dethali, Ta. Sidhdhpur, Dist. Patan (North Gujarat)- 384151.	GUJARAT	(09-08)
42.	Sh. H. N. Shukla Homoeopathic Medical College and Hospital, Sh. H. N. Shukla College Campus, Nr. Lalpari Lake, Bh. Marketing Yard, Amargadh-Bhichri, Rajkot (by Shree Mahatama Gandhi Education Trust, Rajkot, Gujarat).	GUJARAT	(09-09)
43.	Swami Vivekanand Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Sports Complex, Sidsar Road, Bhavnagar- 364 060.	GUJARAT	(09-10)
44.	Vidhyadeep Homoeopathic Medical College and Research Center (GJ035) Anita (Kim), Surat, Gujrat.	GUJARAT	(09-11)
45.	Arrdekta Homoeopathic Medical College and Hoapital, PO- Navi Metral, distt. Sabarkantha.	GUJARAT	(09-12)
46.	Samarpan Charitable and Educational Medical & Research Trust's Shri BachubhaiAlabhai Danger Homoeopathic Medical College, Opp. I.O.C. Depot, Jamnagar Road, Rajkot-360007.	GUJARAT	(09-13)
47.	Ahmedabad Homoeopathic Medical College, At & PO. Ghuma- Bopal Road, Ghuma, Ahmedabad.-380058.	GUJARAT	(09-14)
48.	Rajkot Homoeopathic Medical College, Jainath Petrol Pump, Gondal Road, Rajkot- 360 002.	GUJARAT	(09-15)
49.	Aarya-Veer Homoeopathic Medical College, at Kuvadva, Kuvada-Sardar Road, Rajkot- Ahmedabad NH, District- Rajkot-360 030.	GUJARAT	(09-16)
50.	Agarwal Education Foundation, S.S. Agarwal Homoeopathic Medical College at Near Devina Park Society, Viranjali Marg, GandeviRaod, Navsari-396445.	GUJARAT	(09-17)
51.	Ananya College of Homoeopathic, KIRC Campus, Ahmedabad-Mahesana Highway, Kalol, Dist. Gandhinagar- 382721.	GUJARAT	(09-18)
52.	Bhargva Homoeopathic Medical College, Vidyagram, At and Post-Dahemi, Ta-Borsad, Dist. Anand-388560.	GUJARAT	(09-19)
53.	C.D. Pachchigar Homoeopathic Medical College, Near Anand Mangal Society, Bhatar Road, Majura, Surat- 395001.	GUJARAT	(09-20)
54.	Gujarat Homoeopathic Medical College At and P.O.Savli- 91770, Dist.Vadodara.	GUJARAT	(09-21)
55.	Gyan Jyot Education Trust B.G. Garaiya Homoeopathy Medical College, At Kalipat Nr. Tramba, Bhavnagar Highway, Rajkot-360 020.	GUJARAT	(09-22)
56.	Jay Jalaram Homoeopathic Medical College, At and Post Morva (Rena), TakulaShahera, Distt. Panchmahal- 389001.	GUJARAT	(09-23)
57.	Kamdar Homoeopathy Medical College and Research Centre, Haripar Pal Survery No.12, Behind NRI Bungalows, Opp. Delhi Public School, Kalawad Road, Rajkot-360007.	GUJARAT	(09-24)
58.	Merchant Homoeopathic Medical College, Merchant Education Campus, Mehsana- Visnagar Highway, At. Gadha and P.O. Basna, Mehsana-384 315.	GUJARAT	(09-25)
59.	P.P. Savani Homoeopathy Medical College and	GUJARAT	(09-26)

	Hospital, NH- 8, GETCO, Near Biltech Company, Vill-Dhamdod, Kosamaba, Dist. Surat -394125.		
60.	Parul Institute of Homoeopathy and Research, P.O.-Limda, Tal. Waghodia, Dist. Vadodara- 391760.	GUJARAT	(09-27)
61.	Pioneer Homoeopathic Medical College, Pioneer Medical Campus, Near American School of Baroda, AT and P.O. Sayajipura Village, Near National Highway No:-8, Ajwa Cross Road, Vadodara.	GUJARAT	(09-28)
62.	Shree Chotalal Nagindas Kothari Homoeopathic Medical College and Research Centre, Near Van Chetna, Kakrapar Bye Pass, Tadkuva, Vyara, Dist. Surat-394 650.	GUJARAT	(09-29)
63.	Shree Mahalaxmi Mahila Homoeopathic Medical College, (Shree Shamlaji Arogya Seva Trust), Beside Gujarat Tractors Nr. Vishwamitri Bridge, MunjanaludaLalbag Road, Vadodara- 390011.	GUJARAT	(09-30)
64.	Shree Swaminarayan Homoeopathy College Shree Swaminarayan Vishwa Mangal Gurukul Trust, Nr. Ahmedabad-Mehsana National Highway, At and PO-Saij, Kalol, Dist. Gandhinagar-382721.	GUJARAT	(09-31)
65.	Shri Shamlaji Homoeopathic Medical College and Research Institute, Godhra, Near Moon Light Cinema, Godhra-389 001.	GUJARAT	(09-32)
66.	Shri Vivek Bharti Trust, Noble Homoeopathic College and Research Institute-Junagadh, "Parth Vatika, Bhesan Road, Via-Vadal, At. Bamangam-362310, Ta & Dist.	GUJARAT	(09-33)
67.	Valan Homoeopathic Medical College and Hospital, Valan- Palej Road, At P. O. Valan, TA. Karjan Dist.Vadodara.392310	GUJARAT	(09-34)
68.	Shree Sardar Patel Mahila Homoeopathic Medical College, Morbi Road, Hadala, Rajkot- 360003	GUJARAT	(09-35)
69.	Sumandeep Homoeopathic Medical College and Hospital, At and Post-Piparia, Talnka-Waghodia,Dist-Vododara, Gujarat-391760	GUJARAT	(09-36)
70.	Shri N.M. Patel Homoeopathic Medical College, Post-Salawada,Tal. Unawada,Dist-Mahisagar, Gujarat.388270	GUJARAT	(09-37)
71.	Nootan Homoeopathic Medical College, NootanSarvaVidyalayaKelarani Mandal, Sankalchand Patel Vidyadham Ambaji Gandhi Nagar Star Highway Visnagar-384315	GUJARAT	(09-38)
72.	Smt. A.J. Savla Homoeopathic Medical College and Research Institute, Pushpanjali 'Building' Near Jilla Panchayat, Nr. Karve School, Visnagar Road, Mehsana- 384001.	GUJARAT	(09-39)
73.	Smt. Malini Kishore Sanghavi Homoeopathic Medical College at Miyagaon, Tal. Karjan, Dist. Vadodara-391240.	GUJARAT	(09-40)
74.	Smt. T.V. Mehta Charitable Foundation, LalitabenRamniklal Shah Homoeopathic Medical College, Gardi Vidyapith Campus, Opp. Shiv Shakti Hotel, Kalawad Highway, Village Anandpar-361162, Rajkot.	GUJARAT	(09-41)
75.	Smt. Vasantaben N. Vyas Homoeopathic Medical College and Hospital, SR No.873/2 Jeshingpara, Amreli- 365 601.	GUJARAT	(09-42)
76.	Gandhinagar Homoeopathic Medical College, Mubarakpur (Pearl Education Charitable Trust),	GUJARAT	(09-43)

	Ahmadabad-392721.		
77.	J.R. Kissan Homoeopathic Medical College and Hospital, Old Sunderpur Road, Jind Bye Pass, Rohtak – 124 001.	HARYANA	(10-01)
78.	Solan Homoeopathic Medical College and Hospital, Barog Bye-pass, (Near Shoolini Filling Station), Kumarahatti - 173229	HIMACHAL PRADESH	(11-01)
79.	Arogyam Homoeopathic Medical College and Hospital , Vill – Jhaluwa, PO Kalyanpur, Garhwa -822114.	JHARKHAND	(12-01)
80.	Maa Kalawati Homoeopathic Medical College and Hospital, Rajaulatu, Namkum, Ranchi-834010.	JHARKHAND	(12-02)
81.	State Homoeopathic Medical College, ParaspaniGodda -814147	JHARKHAND	(12-03)
82.	Devki Mahaveer Homoeopathic Medical College and Research Hospital at Farathiya, Garhwa-822114.	JHARKHAND	(12-04)
83.	Singhbhum Homoeopathic Medical College and Hospital, Jamtara, Jharkhand, 292999	JHARKHAND	(12-05)
84.	The Homoeopathic College and Hospital of Mihijam, PO Mihijam, Distt. Jamtara 815354	JHARKHAND	(12-06)
85.	Bhartesh Homoeopathic Medical College, B.C.- 188, Old P. B. Road Dharwar, Belgaum-590 016.	KARNATAKA	(13-01)
86.	AGM Homoeopathic Medical College and Hospital, Navagrha Teerth Kshetra, Varur Hubballi - 581207.	KARNATAKA	(13-02)
87.	KLE University's Homoeopathic Medical College and Hospital, Yellur Road, Belagavi - 59005.	KARNATAKA	(13-03)
88.	Shetty Homoeopathic Medical College and Hospital, Shetty Education hub, Shahabad road, Kalburagi – 585105.	KARNATAKA	(13-04)
89.	Yenopoya Homoeopathic Medical College and Hospital, R.S. No.29,30,31, Naringana Village, Post-Deralakatte (Mangalore),Tah. Bantwal, Distt. Dikshin Kannada-575018.	KARNATAKA	(13-05)
90.	The Holy Family Education Society, Rosy Royal Homoeopathic Medical College and Hospital, Vill-Mallapura, Nelamangala, Bangalore-562162.	KARNATAKA	(13-06)
91.	S.B. Shirkoli Homoeopathic Medical College, Anant Vidya Nagar, P.B. No.16, Sankeshwar- 591 313, Distt. Belgaum.	KARNATAKA	(13-07)
92.	A.M. Shaikh Homoeopathic Medical College, Nehru Nagar, Belgaum-590 010.	KARNATAKA	(13-08)
93.	Dr. B.D. Jatti Homoeopathic Medical College and Hospital, D.C. Compound, Dharwad-580001.	KARNATAKA	(13-09)
94.	Dr. Maalakaraddy Homoeopathic Medical College and Hospital, MahadevappaRampure Marg, Sedam Road, Kalaburagi-585 105.	KARNATAKA	(13-10)
95.	Father Muller Homoeopathic Medical College and Hospital, University Road, Deralakatte, Mangalore-574160.	KARNATAKA	(13-11)
96.	Govt. Homoeopathic Medical College, Dr. SiddaiahPuranik Road, (Near Govt. Medical Stores) Basaveshwara-Nagar, Bangalore-560 079.	KARNATAKA	(13-12)
97.	Alvas Homoeopathic Medical College, Shobhavana Campus, NH-13, MijarMoodbidri -574225.	KARNATAKA	(13-13)
98.	Anuradha Homoeopathic Medical College and Hospital SY. No.78/5 (Old SY.No.78/1), Srigandrakaval.	KARNATAKA	(13-14)
99.	Bhagwan Buddha Homoeopathic Medical College and Hospital, 'Srinidhi Complex' Mallathalli,Bangalore-	KARNATAKA	(13-15)

	056.		
100.	BVV Sangha BVVS Homoeopathic Medical College and Hospital, BVVS Old Campus, Belgavi-Raichur Road, Bagalkot 587101.	KARNATAKA	(13-16)
101.	S.C.S.E. Society's. Shiv Basav Jyoti Homoeopathic Medical College, R.S. No.43/2A, Plot No.8, Indal Road, Azam Nagar,Belgaum - 590010.	KARNATAKA	(13-17)
102.	Sri Basaveshwar Rural Education and Development Trust Sri Sathya Sai College of Homoeopathic Medical Sciences, Plot No. 19 'C', Industrial Area, Sattur, Dharwad–580009.	KARNATAKA	(13-18)
103.	SVE Trust's Veerabhadreswar Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Sai Baba Temple, Humnabad(Post &Tq) Dist. Bidar- 585330 .	KARNATAKA	(13-19)
104.	Govt. Homoeopathic Medical College, Irnamuttam, P.O. Manacaud, Thiruvananthapuram-695009.	KERALA	(14-01)
105.	Govt. Homoeopathic Medical College, Karaparamba,Kozhikode Dist. –673 010.	KERALA	(14-02)
106.	National Homoeopathy Research Institute in Mental health, (NHRIMH) at CRI(H), Sachivothamapuram P.O., Kottayam-686532	KERALA	(14-03)
107	Athurasramam N.S.S. Homoeopathic Medical College, Sachivothamapuram, P.O. Kuricy, Distt.-Kottayam-686532.	KERALA	(14-04)
108.	Dr. Padiar Memorial Homoeopathic Medical College, Chottanikkara, Ernakulam-682312.	KERALA	(14-05)
109.	Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Nemom, Thiruvananthapuram- 695020.	KERALA	(14-06)
110.	Swami Pranavanand Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Police Line Road, Chhatarpur-471001.	MADHYA PRADESH	(15-01)
111.	District Homoeopathic Medical College and Hospital, 478, Katju Nagar, Ratlam – 457 001.	MADHYA PRADESH	(15-02)
112.	R.K.D.F. Homoeopathic Medical College and Hospital, Research Centre, Mile Stone 12, Hoshangabad Road, Bhopal-462046.	MADHYA PRADESH	(15-03)
113.	Sophia Homoeopathic Medical College (Swastik Educational and Social Welfare Society's), Mahal Gaon, Opp. R.I. Training Institute, City Centre, Gwalior 474 002.	MADHYA PRADESH	(15-04)
114.	Anushree Homoeopathic Medical College,112, Near Samdariya Green City ,Kashodhan Nagar, Madhotal, Jabalpur 482 002.	MADHYA PRADESH	(15-05)
115.	H.K.E. Society's Narayan Shree Homoeopathic Medical College, Clinical and Research Centre, Pushpa Nagar, Near Bhopal Railway Station, Bhopal- 462 010.	MADHYA PRADESH	(15-06)
116.	Hahnemann Homoeopathic Medical College, New Jail By- Pass `Road, Karond, Bhopal-462 038.	MADHYA PRADESH	(15-07)
117.	Mahatma Gandhi Homoeopathic Medical College and Hospital, Neemkheda, Gour Tiraha, (Mandla Road) Opp. Marble Rock School, Jabalpur-482001.	MADHYA PRADESH	(15-08)
118.	Om Charitable Chikitsa Samiti's K.S. Homoeopathic Medical College, Village, Piproli, Chirwai Naka, Lashkar, Gwalior-474001.	MADHYA PRADESH	(15-09)
119.	R. N. Kapoor Homoeopathic Medical College, Indore-Dewas Bypass Road, A P J Abdul Kalam Vill - Arandia, Indore-452016.	MADHYA PRADESH	(15-10)
120.	Rani Dullaiya Smriti Homoeopathy College and Hospital, Barkhedi Kalan, Bhadbhada Road, Bhopal-	MADHYA PRADESH	(15-11)

	462044.		
121.	Shri Gujarati Samaj Shrimati Kamlaben Raoji Bhai Patel Gujarati Homoeopathic Medical College Hospital and Research Centre, Sch.No.54A.B. Road.	MADHYA PRADESH	(15-12)
122.	Indira Gandhi Memorial Homoeopathic Medical College, 131, Prakash Nagar, Dhar-454001.	MADHYA PRADESH	(15-13)
123.	Lal Bahadur Shastri (L.B.S.) Homoeopathic Medical College, SamardaKaliasaut, Ratanpur, Mandideep Road, Bhopal – 462026.	MADHYA PRADESH	(15-14)
124.	School of Homoeopathy, Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences, SH-18, Bhopal-Indore Road, Opposite Oilfed Plant, Pachama, District Sehore, Sehore-466001.	MADHYA PRADESH	(15-15)
125.	Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, MACT `HILLS, AYUSH Campus, Beside Kaliasot Dam, Chuna Bhatti, Bhopal-462003.	MADHYA PRADESH	(15-16)
126.	Ram Krishna College of Homoeopathy and Medical Sciences, RKDF, University Campus, Nr. Airport Bypass Road, Gandhi Nagar, Bhopal-462033.	MADHYA PRADESH	(15-17)
127.	Sendhwa Homoeopathic Medical College and Hospital, Dist. Barwani, Sendhwa- 451666.	MADHYA PRADESH	(15-18)
128.	Shivang Homoeopathic Medical College and Hospital, Bairagarh Chichi, Nayapura, Kolar Road, Bhopal-462042.	MADHYA PRADESH	(15-19)
129.	Aarihant Homoeopathic Medical College at Sendhwa Distt. Barbani-45166, MP	MADHYA PRADESH	(15-20)
130.	Sagar Homoeopathic Medical College and Hospital Research Centre, Namak Mandi, Sagar- 470 002	MADHYA PRADESH	(15-21)
131.	Sheetla Sahai Homoeopathy Medical College and Research Institute Cancer Hospital, Gwalior, M.P.	MADHYA PRADESH	(15-22)
132.	Shri Ramnath Singh SikshaPrasar Samiti Homoeopathic Medical College, Gormi, Bhind-477660.	MADHYA PRADESH	(15-23)
133.	Smt. S.M. Deo Homoeopathic Medical College and Hospital, Sardar Patel Campus Gaykhuri, Balaghat, Distt. Balaghat –481 001.	MADHYA PRADESH	(15-24)
134.	Vasundhara Raje Homoeopathic Medical College and Hospital, Mahadji Nagar, Shivpuri, Link Road, Gwalior-474 001.	MADHYA PRADESH	(15-25)
135.	Ratnadeep Medical Foundation and Research Centre, Jamkhed Homoeopathic Medical College,Ratnapur, Tal. Jamkhed.	MAHARASHTRA	(16-01)
136.	Dhondumama Sathe (D.S.) Homoeopathic Medical College, F.P.No.23, Off Karve Road, Pune-411004.	MAHARASHTRA	(16-02)
137.	Dr. D.Y. Patil Homoeopathic Medical College, Pimpri, Dist. Pune-411018.	MAHARASHTRA	(16-03)
138.	Dr. G.D. Pol Foundations Yerala Homoeopathic Medical College and Research Centre, Institutional Area, Sector-4, Opp. Kharghar Railway Station, Kharghar, Navi Mumbai- 410210.	MAHARASHTRA	(16-04)
139.	Dr. J.J. Magdum Trust's Homoeopathic Medical College, Shirol Wadi Road, Jaysingpur, Tal. Shirol Dist. Kolhapur-416101, Maharashtra	MAHARASHTRA	(16-05)
140.	Kaka Saheb Mhaske Homoeopathic Medical College, Nagapur, M.I.D.C., Ahmednagar-414 111.	MAHARASHTRA	(16-06)
141.	Motiwala (National) Homoeopathic Medical College and Hospital, Motiwala Nagar, Gangapur Satpur Link Road, Via Nashik, H.P.O., Nashik-422 001.	MAHARASHTRA	(16-07)

142.	Prabhat Education Society's P.D. Jain Homoeopathic Medical College, Behind State Bank of Hyderabad, Vakil Colony, Parbhani-431 401.	MAHARASHTRA	(16-08)
143.	Nagpur College of Homoeopathy, Nagpur.	MAHARASHTRA	(16-09)
144.	Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Institute of Homoeopathic Medical Sciences, Badnera Road, Amravati-444605.	MAHARASHTRA	(16-10)
145.	Shri Janta Homoeopathic Medical College, Tawer, Jatharpeth Road, Kediya Plot's Akola-444 005.	MAHARASHTRA	(16-11)
146.	Mauli Homoeopathic College and Research Institute, Tondar, TQ Udgir, Dist. Latur -413517.	MAHARASHTRA	(16-12)
147.	Gondia Homoeopathic Medical College and Hospital, GHMC Campus, Surya Tola, Gondia- 441614.	MAHARASHTRA	(16-13)
148.	Govt. Homoeopathic Medical College, Chincholi, Jalgaon- 425002.	MAHARASHTRA	(16-14)
149.	K.E.S. Loknete Adv. Datta Patil Homoeopathic Medical College and Hospital, BalasahebKhardekar Road, Vengurla, Bhatawadi, Dist. Sindhudurg-416 516.	MAHARASHTRA	(16-15)
150.	Kisan Dnyanoday Mandal's Homoeopathic Medical College, Nimzari Road, Shirpur Dist. Dhule-425 405.	MAHARASHTRA	(16-16)
151.	M.H.F.'s Homoeopathic Medical College and Hospital, Hahnemann Hill, Pokhariphata, Gunjalwadi, Tal. Sangamner Distt. Ahmednagar-422 605.	MAHARASHTRA	(16-17)
152.	Matoshri AasarbaiDarade Homoeopathic College, Matoshri AsarabaiDarade Homoeopathic Medical college Babhulgaon , Tal-Yeola, Dist-Nashik	MAHARASHTRA	(16-18)
153.	OMAR Homoeopathic Medical College and Research Center, New Railway Station, Rajni, Tq. Gansawangi, Dist. Jalna,-425415	Maharashtra	(16-19)
154.	Shradha Homoeopathic Medical College Hospital and Research Center, Dist-Washim, Kondalazambre, Maharashtra- 443301	MAHARASHTRA	(16-20)
155.	Nootan Homoeopathic Medical College and Hospital, Gat No.412, Landgewadi, Tal. Kavathemahankal, Dist. Sangali- 416405.	MAHARASHTRA	(16-21)
156.	Purushottamdas Bagla Homoeopathic Medical College and Hospital, Pathanpura Marda Road, Arwat, Dist. Chandrapur-442402.	MAHARASHTRA	(16-22)
157.	Sayali Charitable Trust, College of Homoeopathy, Gut No. 141, 150, 55 Mitmita, Nashik Road, Aurangabad-431003.	MAHARASHTRA	(16-23)
158.	Shri Bhagwan Homoeopathic Medical College and Indira Gandhi Memorial Hospital, CIDCO N-6, Aurangabad -431003.	MAHARASHTRA	(16-24)
159.	Shri Takhatmal Shrivallabh Homoeopathic Medical College, Homoeo. Sadan, Rajapet, Amravati.-444606.	MAHARASHTRA	(16-25)
160.	Shri Tatyasaheb Ghatake Charitable Trust, R.R. Patil College of Homoeopathy and Hospital, Pune Baypass Road, Sangli-416416.	MAHARASHTRA	(16-26)
161.	Vidya Vaibhav Shikshan Mandal Dapoli Homoeopathic Medical College, At. Apati, P.O. Talsure, Taluka-Dapoli, Distt. Ratnagiri- 415 712.	MAHARASHTRA	(16-27)
162.	Disha Shikshan-V-Vikas Kendra's E.B. Gadkari Homoeopathic Medical College, 1830/A/B, Kadgaon Road, Opposite Govt. Rest House, Gadhinglaj, Dist. Kolhapur-416 502.	MAHARASHTRA	(16-28)
163.	Gandhi NathaRangaji Homoeopathic Medical College, 13, Budhawar Peth, Jain Boarding Campus, Balives,	MAHARASHTRA	(16-29)

	Solapur- 413 002.		
164.	Bharati Vidyapeeth's Homoeopathic Medical College, Dhankawadi, Katraj, Pune-411043.	MAHARASHTRA	(16-30)
165.	Dakshin Kesari Muni Mishrilalji Homoeopathic Medical College, Behind Bibi Ka Makbara, Shree Guru Ganesh Nagar, Aurangabad-431 004.	MAHARASHTRA	(16-31)
166.	Dr. M.L. Dhawale Memorial Homoeopathic Institute, Opp. S.T. Workshop, Palghar Boisor Road, Palghar- 401 404 .	MAHARASHTRA	(16-32)
167.	Foster Development Homoeopathic Medical College, N-5, Behind Gulmohar Colony, CIDCO, Aurangabad-431003.	MAHARASHTRA	(16-33)
168.	Guru Mishri Homoeopathic Medical College and Hospital at Shelgaon, Tq. Badnapur, Dist. Jalna- 431 202.	MAHARASHTRA	(16-34)
169.	National Medical College of Homoeo. Science (VamanraoIthape Homoeopathic Medical College), New Nagar Road, Sangamner, Distt. Ahmednagar-422 605.	MAHARASHTRA	(16-35)
170.	Panchsheel Homoeopathic ShikshanPrasarak Mandal's Homoeopathic Medical College, Civil Lines, Kelanagar, Khamgaon-444 303, Dist. Buldana.	MAHARASHTRA	(16-36)
171.	PouraviShikshanPrasarak Mandal's Mahila Homoeopathic Medical College and Hospital, 283/1B, Kolgiri Nagar, Hotgi Road, Majrewadi, Solapur, Maharashtra.	MAHARASHTRA	(16-37)
172.	Ahmednagar Homoeopathic Medical College, Savedi Road, Ahmednagar-414 003.	MAHARASHTRA	(16-38)
173.	AnantraoKanse Homoeopathic Medical College Hospital, Alephata, Tal.Junnar, Distt. Pune- 412411.	MAHARASHTRA	(16-39)
174.	Antarbharti Homoeopathic Medical College ,Dabha, Nagpur 440 023.	MAHARASHTRA	(16-40)
175.	Atal Bihari Vajpayee Homoeopathic Medical College and Hospital, At-Jalke, Khadke, Tq. –Newasa, Dist. Ahmednagar.	MAHARASHTRA	(16-41
176.	Shri Jagadguru Panchacharya Education Society's Homoeopathic Medical College, 200 E, Tararani Chowk, Kolhapur-416 003.	MAHARASHTRA	(16-42)
177.	BalirajaShikshanPrasarak Mandal's Padmashri Shyamraoji Kadam Homoeopathic Medical College, Hospital and Research Centre, CIDCO, New Nanded-431603.	MAHARASHTRA	(16-43)
178.	Dhanvantari Homoeopathic Medical College and Hospital and Research Centre, Dhanvantari Campus, Kamatwade, Opp. Abhiyanta Nagar, CIDCO, Nashik-422008.	MAHARASHTRA	(16-44)
179.	Godawari Foundation Dr. Ulhas Patil Homoeopathic Medical College, Godavari Hospital, M.J. College Road, Distt. Jalgaon-425001.	MAHARASHTRA	(16-45)
180.	Smt. KanchanbaiBabulalji (K..B.) Abad Homoeopathic Medical College, At and P.O. Neminagar, Chandwad, Dist. Nashik-423 101.	MAHARASHTRA	(16-46)
181.	SonajiraoKshirsagar Homoeopathic Medical College, Vidhya Nagar (W), College Road, Beed-431 122.	MAHARASHTRA	(16-47)
182.	Gulabrao Patil Homoeopathic Medical College,795, Gulabrao Patil Education Camps, Near Govt. Milk Dairy, Distt. Sangli, Miraj.	MAHARASHTRA	(16-48)
183.	Homoeopathic Medical College, Akot Road, Akola-444001.	MAHARASHTRA	(16-49)
184.	Janseva Mandal's Sai Homoeopathic Medical College,	MAHARASHTRA	(16-50)

	DugadPhata, Tal-Bhiwandi, Distt. Thane-421302 .		
185.	K.E.S.'s Chandrakant Hari Keluskar Homoeopathic Medical College, Alibag, Dist. Raigad-402 201.	MAHARASHTRA	(16-51)
186.	Konkan Education and Medical Trust's Virar Homoeopathic Medical College, Veer Savarkar Marg, Virar, Tal.Vasai, Dist. Thane-401305.	MAHARASHTRA	(16-52)
187.	Late Mrs. Housabai Homoeopathic Medial College and Hospital, Nimshirgaon-416101, Sangli-Kolhapur Road, Near Dharmnaga, Tal- Shirol, Distt. Kolhapur .	MAHARASHTRA	(16-53)
188.	Lokmanya Medical Foundation's Homoeopathic Medical College, Near Elpro Company, Behind Auditorium of P.C.M. Chinchwad, Pune-411 033.	MAHARASHTRA	(16-54)
189.	Mahalaxmi Homoeopathy Medical College, S. No.259 At. Post Raigaon, Tal.Jaoli, Distt. Satara-415020.	MAHARASHTRA	(16-55)
190.	Rashtrasant Janardan Swami Homoeopathic Medical college and Research Centre, Ahmednagar.	MAHARASHTRA	(16-56)
191.	Samarth Education Trust's Sawakar Homoeopathic Medical College, AM-1./1, Additional MIDC, Degaon Road, Satara.	MAHARASHTRA	(16-57)
192.	Sharadchandraji Pawar Homoeopathic Medical College and Hospital, At Shiva Trust Campus, Wadala-Mahadev Tq. Shiriram Distt. Ahmednagar-413739.	MAHARASHTRA	(16-58)
193.	Shri Chamundamata Homoeopathic Medical College and Hospital, 9, 10, 11 Gayatri Nagar Telephone and Parakh Nagar, Jillha Peth, Jalgaon- 425003.	MAHARASHTRA	(16-59)
194.	Smt. ChandabenMohanbhai Patel Homoeopathic Medical College, Irla,Natakkar R.G. Gadkari Marg,Vile, Parle (West), Mumbai- 400 056.	MAHARASHTRA	(16-60)
195.	SVVP Homoeopathic Medical College and Research Institute, B-101, Tulsi Arcade, Connought Place, CIDCO, Aurangabad- 431003, Hingoli.	MAHARASHTRA	(16-61)
196.	Vasantrao Kale Medical College and Hospital, P- 12, M.I.D.C. Kallam Road, Latur – 413 531.	MAHARASHTRA	(16-62)
197.	Venutai Yashwantrao Chavan Homoeopathic Medical College, 2968 "C", Dasara Chowk, Kolhapur -416002.	MAHARASHTRA	(16-63)
198.	North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Mawdiangdiang, Shillong-793018.	MEGHALAYA	(17-01)
199.	Cuttack Homoeopathic Medical College, Naya Bazar, Cuttack-753004.	ODISHA	(18-01)
200.	Dr. Abhin Chandra Homoeopathic Medical College and Hospital, Unit-III, Kharvela Nagar, Bhubaneswar, Distt. Puri. -751 001.	ODISHA	(18-02)
201.	Biju Pattnaik Homoeopathic Medical College, Berhampur- 760001 Ganjam.	ODISHA	(18-03)
202.	Mayurbhanj Homoeopathic Medical College and Hospital, At and P.O. Baripada, Distt. Mayurbhanj-757029.	ODISHA	(18-04)
203.	Orissa Medical College of Homoeopathy and Research, Sambalpur-768 001.	ODISHA	(18-05)
204.	Manjari Devi Homoeopathic Medical College and Hospital, At-Puranapadhan ,Plot No-262, Post-Sisilo, Via Balakati , P.S-Balianta, Bhubaneswar, Dist-Khordha, Odisha-752100	ODISHA	(18-06)
205.	Utkalmani Homoeopathic Medical College and Hospital, Naya Bazar, Rourkela-769010.	ODISHA	(18-07)
206.	Homoeopathic Medical College, HanumangarhRoad,Near Bye Pass), Abohar-152 116.	PUNJAB	(19-01)

207.	Sri Gurunanak Dev Homoeopathic Medical College, Canal Road, Barewal, Near Punjab Agricultural University. Via Ayalikalan, Ludhiana-142027.	PUNJAB	(19-02)
208.	Kalyan Homoeopathic Medical College, Tarn- Taran Sahib PB004- Punjab	PUNJAB	(19-03)
209.	Lord Mahavira Homoeopathic Medical College, Dr. Hahnemann Chowk, Kitchlu Nagar, Civil Lines, Ludhiana- 141 001.	PUNJAB	(19-04)
210.	MangilalNirban Homoeopathic Medical College and Research Institute, M.N.S. Hospital and Research Center, Bikaner-334001.	RAJASTHAN	(20-01)
211.	Sri Ganganagar Homoeopathic Medical College, Hanumangarh Road, Sriganganagar- 335002.	RAJASTHAN	(20-02)
212.	Swasthya Kalyan Homoeopathic Medical College and Research Centre, Jai Villa, Narain Singh Road, Near Trimurti Circle, Jaipur-302004.	RAJASTHAN	(20-03)
213.	Bharatiya Homoeopathic Medical College and Hospital, NH-11, Agra- Fatehpur Sikri Road, Bhartpur – 320001, Rajasthan.	RAJASTHAN	(20-04)
214.	Aarogya Homoeopathic Medical College, P.No.104/1, Dhani Kagota Ki NailaKanota, Jamwaramgarh, Jaipur-303012.	RAJASTHAN	(20-05)
215.	Rajasthan Vidyapeeth Homoeopathic Medical College, Vidyapeeth Campus, Dabok, Udaipur- 313 002.	RAJASTHAN	(20-06)
216	Under Faculty of Homoeopathic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Vedaant Gyan Valley, Jharna, Mahala Jobber, Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way , NH-8, Jaipur-303122 .	RAJASTHAN	(20-07)
217.	Madhav Homoeopathic Medical College and Hospital, Madhav Hills, Post-Bharja, Tehsil- Pindwara, Opp. Banas River Bridge Toll, NH- 27, Abu Road, Sirohi-307026.	RAJASTHAN	(20-08)
218.	Dr. Madan Pratap Khuteta Homoeopathic Medical College, Homoeopathy Plot No.10-11 and 12, Village Saipura, Sanganer, Jaipur – 302029.	RAJASTHAN	(20-09)
219.	University College of Homoeopathy, Kekari, Ajmer-305404 .	RAJASTHAN	(20-10)
220.	University College of Homoeopathy, Kadwad, Jodhpur .	RAJASTHAN	(20-11)
221.	O. P. J. S. Homoeopathic Medical College, VPO-Rawat Sarkunjla, Near Sankhu Fort, Rajgarh, Sadulpur-Jhunghunu Road, Churu-Rajastha-331303	RAJASTHAN	(20-12)
222.	Yuvraj Pratap Singh Memorial Homoeopathic Medical College, Shivaji Park, Alwar.- 301 001.	RAJASTHAN	(20-13)
223.	Martin Homoeopathic Medical College and Hospital, D.P.F. Mill Premises, G.N. Mills (P.O.), Mettupalayam Road, Coimbatore-641029.	TAMIL NADU	(21-01)
224.	Sri Sairam Homoeopathic Medical College and Research Centre, (Sapthagiri Education Trust), Sai Leo Nagar Tambaram West Chennai- 600044.	TAMIL NADU	(21-02)
225.	Venkateswara Homoeopathic Medical College and Hospital No. 4/11, Samayapuram Main Road, Karambakkam, Porur, Chennai-600 116.	TAMIL NADU	(21-03)
226.	Sarada Krishna Homoeopathy Medical College, Kulasekharam Distt. Kanyakumari-629161.	TAMIL NADU	(21-04)
227.	Vinayaka Mission's Homoeopathic Medical College, Chinnaseeragapadi, P.O. NH 47, Sankari Main Road, Salem- 636 308.	TAMIL NADU	(21-05)
228.	White Memorial Homoeopathic Medical College, Attoor, Veeyanoor-629 177.Dist. Kanyakumari.	TAMIL NADU	(21-06)
229.	Dr. Hahnemann Homoeopathy Medical College, and	TAMIL NADU	(21-07)

	Research Centre. Koneripatti, Rasipuram, NamakkalDist- 637408.		
230.	Excel Homoeopathy Medical College NH 544 Ranganoor Road, ,Sankari West Post, Pallakkapalayam, Komarapalayam, Namakkal- 637303.	TAMIL NADU	(21-08)
231.	Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, At. Thirumangalam, Dist. Madurai – 626 706.	TAMIL NADU	(21-09)
232.	Maria Educational and Charitable Trust, Chevaracode Kanyakumari's Maria Homoeoapthic Medical College and Hospital, PeraiThiruvattar P.O., Kanyakumari Distt.,-629177.	TAMIL NADU	(21-10)
233.	R.V.S. Medical Trust Homoeopathic Medical College, 242 B, Trichy Road, Sulur, Coimbatore Distt.- 402.	TAMIL NADU	(21-11)
234.	Sivaraj Homoeopathic Medical College and Research Institute, SiddharKovil Road, Thumbathulipatty, Perumampathy (P.O.), Salem-636 307.	TAMIL NADU	(21-12)
235.	S.V.S. Medical College of Homoeopathy and Research Institute, Kallakurichi Villupuram District-606202.	TAMIL NADU	(21-13)
236.	Shri Barani Homoeopathic Medical College and Hospital, Tiruchengode, Namakkal.	TAMIL NADU	(21-14)
237.	J.S.P.S. Govt. Homoeopathic Medical College, Ramanathapur, Hyderabad-500 013.	TELANGANA	(22-01)
238.	JIMS Homoeopathic Medical College and Hospital, Sriramnagar, Muchintal Village, Palamakula P.O., Shamshabad Mandal, Ranga Reddy District-509325.	TELANGANA	(22-02)
239.	Devs Homoeopathic Medical College and Hospital, Devanagar, Ankireddypalli, Kesara Mandal, R. R. District.--501301.	TELANGANA	(22-03)
240.	Guru nanak Homoeopathic Medical College and Hospital, Ibrahimpatnam, Ranareddy District, Hyderabad-501506	TELANGANA	(22-04)
241.	MNR Homoeopathic Medical College and Hospital, 2-23B/350, Bhagyanagar Phase-III, Near HMT Hills Colony, Opp;JNTU, Kukatpally, Hyderabad-500085.	TELANGANA	(22-05)
242.	Shreyaan Ishaan Educational Society, Hamsa Homoeopathy Medical College, Hospital and Research Centre, Kasheersagar Village, Mulugu Mandal, Medak Distt.-502279.	TELANGANA	(22-06)
243.	Param Himalaya Homoeopathic Medical College and Research Centre, Khairi Road, Doiwala, Dehradun-248140.	UTTARAKHAND	(23-01)
244.	Chandola Homoeopathic Medical College and Hospital, Kichcha Road, Ruderpur, P.O. Lalpur, Dist. Udhamsingh Nagar-263148. Nainital.	UTTARAKHAND	(23-02)
245.	National Homoeopathic Medical College and Hospital, 1, Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226001.	UTTAR PRADESH	(24-01)
246.	Bakson Homoeopathic Medical College, B-36, Knowledge Park, Phase-I, Greater NOIDA, Dist. Gautam Budha Nagar- 201 306.	UTTAR PRADESH	(24-02)
247.	Naiminath Homoeopathic Medical College, Hospital and Research Centre, Village Nawalpur, Tehsil Etmadpur, Agra.- 283206.	UTTAR PRADESH	(24-03)
248.	Pt. Jawaharlal Nehru State Homoeopathic Medical College and Hospital, Block A/1, Scheme-38, Lakhanpur, Kalyanpur, Kanpur- 208024.	UTTAR PRADESH	(24-04)
249.	State Lal Bahadur Shastri Homoeopathic Medical College and Hospital, Phaphamau, Allahabad -02	UTTAR PRADESH	(24-05)
250.	State Dr. Brij Kishore Homoeopathic Medical College and Hospital, Deokali, Faizabad-224001.	UTTAR PRADESH	(24-06)
251.	Sh. Sainath Post Graduate Institute of Homoeopathic Medical College and Research Center, 109/04, Gorge	UTTAR PRADESH	(24-07)

	Town, Prayagraj, Uttar Pradesh-211003		
252.	State Ghazipur Homoeopathic Medical College and Hospital, Rauza, Ghazipur- 233001.	UTTAR PRADESH	(24-08)
253.	State Homeopathic Medical College and Hospital, Gorakhpur-273402.	UTTAR PRADESH	(24-09)
254.	State Homoeopathic Medical College and Hospital, Kasimpur Road, Chherat, Aligarh- 202122.	UTTAR PRADESH	(24-10)
255.	State K.G.K. Homoeopathic Medical College and Hospital, Rly. Line Par, Moradabad- 001.	UTTAR PRADESH	(24-11)
256.	State Shri Durgaji Homoeopathic Medical College and Hospital, Chandeshwar, Dist. Azamgarh-276 001.	UTTAR PRADESH	(24-12)
257.	Bengal Homoeopathic Medical College and Hospital, Ismile, P.O. Asansol-713 301, Dist. Burdwan.	WEST BENGAL	(25-01)
258.	Birbhum Vivekanand Homoeopathic Medical College and Hospital, P.O. Sainthia, Distt. Birbhum-731234.	WEST BENGAL	(25-02)
259.	Netai Charan Chakravarty Homoeopathic Medical College and Hospital, 45, 'F' Road, Belgachia, Howrah-711 101.	WEST BENGAL	(25-03)
260.	D.N. De. Homoeopathic Medical College and Hospital, 12, G.K. Road, Kolkata -700 046.	WEST BENGAL	(25-04)
261.	Mahesh Bhattacharya Homoeopathic Medical College and Hospital, H.I.T. Road, Ichapur, Doomurjala Howrah-4.	WEST BENGAL	(25-05)
262.	National Institute of Homoeopathy, Block- GE, Sector III, Salt Lake, Kolkata- 700 106.	WEST BENGAL	(25-06)
263.	The Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospital, 265/66, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata-09.	WEST BENGAL	(25-07)
264.	Burdwan Homoeopathic Medical College and Hospital, Nimbarak Bhavan Raj Ganj P.O. Nutanganj, Distt. Burdwan- 713 102.	WEST BENGAL	(25-08)
265.	Kharagpur Homoeopathic Medical College and Hospital, At Kaushallya, P.O. Kharagpur-721 301. Distt. Midnapore.	WEST BENGAL	(25-09)
266.	Metropolitan Homoeopathic Medical College and Hospital, Ramchandrapur, Sodepur, Kolkata- 700 110.	WEST BENGAL	(25-10)
267.	Midnapore Homoeopathic Medical College and Hospital, P. O. and Dist. Midnapore-721 104.	WEST BENGAL	(25-11)
268.	Pratap Chandra Memorial Homoeopathic Hospital and College, 14/1,Narkeldanga North Road, Kolkata-700 011.	WEST BENGAL	(25-12)

Annexure - V

(Medical Qualification Codes)

(see sub-regulation *(1)* of regulation 3)

Sl. No.	Qualification	Codes
(1)	(2)	(3)
1.	Undergraduate	A
2.	Postgraduate	B
3.	Any other qualification approved by Homoeopathy Education Board	C

Annexure -VI

(see sub-regulation (2) of regulation 3)

(Recognised medical qualifications in Homoeopathy Granted by Universities, Boards or medical institutions in India as per Schedule II of Homoeopathy Central Council Act, 1973)

S.No.	Name of University, Board or	Recognised Medical	Abbreviation	Remarks

	Medical Institution	Qualification	for registration	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Annexure –VII

(see regulation 3)

Medical qualification recognition list (MQRL)

(Section 35 of the Act)

(Recognised medical qualification of Homoeopathy granted by University or medical institution in India)

Sr. No.	State (Code)	Name of University (Code)	Name of medical institution (Code)	Medical qualification (Code)	Digital Code	Validity Period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Annexure– VIII

(see regulation 6)

Medical qualification recognition list (MQRL)

(Section 36 of the Act)

(Recognised medical qualification of Homoeopathy granted by University or medical institution outside India)

Sl. No.	Country	Name of University	Name of medical institution (Code)	Qualification (Code)	Validity Period	Digital Code
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Annexure– IX

(see regulation 6)

(Recognised medical qualification in Homoeopathy Granted by Universities, Boards or medical institutions outside India as per Schedule III of the Homoeopathy Central Council Act, 1973)

Sl.No.	Name of University, Board or Medical Institution	Recognised Medical Qualification	Abbreviation for registration	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Form - A

[see sub-regulation (4) of regulation 3 and sub-regulation (2) of regulation 4]

Application for undergraduate courses in Homoeopathy or any other medical qualification in Homoeopathy in India

1. Name of Applicant University granting qualification:
2. Name of the Applicant College/ medical institution:
3. Full name of undergraduate course:
4. Abbreviation of undergraduate course:
5. Application for admitted academic session/batch:
6. At the time of application (online/offline) all the documents to be submitted through proper channel
7. Details of permitted Homoeopathic medical colleges affiliated with the Medical Institution / University along with intake capacity for the applied Course: -

Sl. No.	Name of College / medical institution	Postal Address	E-mail	Website	Academic Year applied for
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Permission from Central Government /court order for specific batch (enclose/upload the copy of same)	Admission intake Capacity permitted	Number of students admitted	Remarks, if any
(7)	(8)	(9)	(10)

8. Provide details of admitted students for each Medical Institution as per Proforma provided:

Sl. No.	Name of Student	Date of Admission	Common Merit		Admission quota		Admission through	
			Rank	Marks	All India (Yes/No)	State(Yes/No)	Admission on authority (Yes/No)	Court order and Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of enrollment in University	University enrollment number	Date of internship completion	Remarks ,if any
(10)	(11)	(12)	(13)

9. Provide the details of migrated students college wise/ institution wise:

9 -A – For those who migrated to other college (Provide the copy of supporting documents)

S. No.	Name of the Institution/College	Name of the students	Date of migration	Professional year of migration	University enrollment number	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9 -B- For those who migrated from other college (Provide the copy of supporting documents) : -

S. No.	Name of the Institution/College	Name of the students	Date of migration	Professional year of migration	University enrollment number	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. Provide the details of intern students for course: -

Sl.No.	Name of students	Year of Admission	Date of result of final year BHMS/ course completed	Provisional Registration No.	Year of provisional registration (from State Medical Council/ board of Homoeopathy)	Date of Starting of Internship	Date of Completion of Internship	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

SIGNATURE OF REGISTRAR OF THE
UNIVERSITY WITH SEAL and DATE

List of enclosure: The submission or upload of following information supported by necessary documents by medical institution shall be essential to recognise the qualification to be listed and maintained in the medical qualification recognition list by the Homoeopathy Education Board: -

(i) All the documents to be endorsed with Registrar (Seal) of Concerned University and signature of principal of respective college/ medical institution;

(ii) Details of number of Homoeopathic Medical Colleges or Institution affiliated to University, at present (and in past) (with their names, addresses and intake capacity);

(iii) Copy of University Ordinance or Regulation (duly attested by Register of University);

(iv) Upload or provide details of number of admissions made in undergraduate Course under the University in its affiliated colleges showing the names of candidates, date of admission, NEET score - if applicable, date of examination of the Course year wise in which they have appeared and result of the same.

(v) Upload or provide details of migration of students from one college to another and vice-versa in enclosed format; and whether permission of *erstwhile* Central Council of Homoeopathy and University was taken in such cases.

(vi) Provide details of any failure student of the course, if so number there of (college wise) and number of chances availed by them (separately) to clear successfully the said examination.

(vii) Upload or provide details of dates of starting and completion of compulsory internship training by each student who has passed the course examination in all subjects with name of training hospital where he or she has undergone such training (with their provisional registration given by State Council of Homoeopathy).

(viii) Copy of approval of such college from Central Government for that specific year.

(ix) Any other relevant information as and when required.

Form - B

[see sub-regulation (4) of regulation 3 and sub-regulation (2) of regulation 4]

Application for postgraduate Course qualification in Homoeopathy in India

1. Name of Applicant University granting qualification:
2. Name of the Applicant College/ medical institution:
3. Full name of postgraduate course:
4. Abbreviation of postgraduate course:
5. Application for admitted academic session/batch:
6. Details of permitted Homoeopathic medical colleges/ medical institution affiliated with the medical institution / UNIVERSITY along with intake capacity for the applied Course:

Sl. No.	Name of College / Center/ medical institution	Postal Address	E-mail	Website	Academic Year applied for	Permission from central government /court order for specific batch (enclose the copy of same)	Admission intake Capacity permitted	Number of students admitted for said academic year	Remark, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

7. Number of students admitted as regular candidate (year and subject wise) for M.D. (Hom) course (specialty subject wise)/ any other post-graduate course:

Name of the student with date of admission in the college	Date of registration with University for the Course	Common Merit		Admission quota		Admission through		Qualification (Degree) with name of awarding authority and year of award for admission to M.D. (Hom)
		Rank	Marks	All India (Yes/No)	State (Yes/No)	Admission on authority (Yes/No)	Court order and Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of Completion of internship at undergraduate level	Date of registration with State Medical Council of Homoeopathy	Date of Completion of MD(Hom) Part-I Examination/ scheduled examination	Date of Completion of M.D.(Hom)Part-II Examination/ scheduled examination	Date of Declaration of MD (Hom.) part II result	Remarks, if any
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

8. Details of work done by Post Graduate Students: -

A. Dissertation Topics of P.G. Student - Year wise /Department wise:-

Sr. No.	Name of student	Duration of house job Dates from to	Name of Topic	Date of submission	Any publication from Dissertation (Yes/No)	If yes, mention details (article title/name of journal/year/month/vol.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

B. Lecture taken by P.G. Students, Batch-

S. No.	Name of student	Class	Date and Day	Time	Topic
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

C. List of presentations given/seminar attended by P.G. students, Batch-

S. No.	Name of Student	List of Presentation	Title of the Seminar attended/Topic
(1)	(2)	(3)	(4)

SIGNATURE OF REGISTRAR OF THE UNIVERSITY WITH SEAL and DATE

List of enclosures: Provide or Upload following documents.

(i) Upload or provide details of name of students of post graduate course specialty subject-wise, batch wise with PG entrance examination (whichever applicable) score-if applicable, enrolled by the colleges concerned who have been examined by the University (till date).

(ii) Provide or upload details of the number of beds earmarked for P.G. students in IPD in Homoeopathic Hospitals of the College concerned be sent with month and year wise bed occupation by patients.

(iii) Upload or provide a report on work done by PG students during house job or training in the department.

(iv) Copy of University Ordinance or Regulations (duly attested by Registrar of University) be sent for PG Courses.

(v) Copy of results declared of PG course in various specialty subjects (college wise, eligible batch wise).

(vi) Any other relevant information as and when required.

Form- C

(see regulation 5)

Application for appeal to grant of recognition to a medical qualification in Homoeopathy under section 35 of National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (for degree awarding Universities within India)

Instructions: -

1. Application is to be submitted by degree awarding institute/University.

2. In case of multiple institutes are affiliated to a single University, separate application for each institution is to be submitted.

3. Application may be submitted either after issue of provisional certificate or award of degree or during internship of the first batch.

1.	Name of the aggrieved University	
2.	Address of the aggrieved University	
3.	E-Mail ID of concerned University Registrar	
4.	Contact person (Name and Designation)	
5.	Mobile No. (Contact person)	
6.	E-Mail ID (Contact person)	
7.	Name of the medical institution	
8.	Nomenclature of Course	
9.	Abbreviation of Course (if any)	
10.	Date of First Application to the Board	
11.	Date of denial of the Application by the concerned Board	
12.	The reason of the denial of application by the concerned Board	
13.	Appeal / Prayer of the University	
14.	The justification of appeal along with documents	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

Enclosure: -

1. Cancelled copy/specimen copy of degree in original awarded/to be awarded to the successful candidates.

2. Copy of curriculum and syllabus followed by university for conducting course.

Declaration or Certification: -

It is certified that the details above furnished or enclosed are true to the best of my knowledge. I ensure that this university/awarding body is following, in Toto, the rules and the regulations specified by Central Government /National Commission for Homoeopathy/*erstwhile* Central Council for Homoeopathy specified for time to time and implementing the same in the Homoeopathy medical colleges/ Medical institution affiliated to this University/awarding body.

SIGNATURE OF REGISTRAR OF THE
UNIVERSITY WITH SEAL and DATE

(Name of issuing authority)
Designation

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2023

F. No. 3-104/2023/NCH/HEB/Exam Regulation.—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) and Clauses (h), (j), (k), (l), (m) and (n) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations,
namely :-

1. Short title and Commencement. - (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (National Examinations in Homoeopathy) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the National Commission for Homoeopathy, Act, 2020 (15 of 2020); (ii)"Annexure" means an annexure appended to these regulations;

(iii) "Examination Cell" means a cell established by the Commission for planning and conducting National Examinations;

(iv) "Designated authority" means any agency or authority authorised by the Commission and/or an examination cell established by the National Commission for Homoeopathy for planning, coordinating and conducting National Examinations or Tests for Homoeopathy;

(v) "Counselling Authority" means 'Ayush Admission Central Counselling Committee' as designated by the Central Government for counseling and seat allotment for All India Quota seats; 'State or Union territory Counselling Committee 'for counseling and seat allotment for State or Union territory quota seats;

(vi) "National Examination" means examinations or tests including National Eligibility– cum Entrance Test, National Exit Test, Post-graduate National Entrance Test; National Teachers' Eligibility Test for Homoeopathy or any other examination conducted by the National Commission for Homoeopathy.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Function of the Examination Cell. - (1) There shall be an independent "Examination Cell" under the Commission for coordinating or conducting different examinations mentioned in sections 14, 15, 16 and 17 of the Act and for the examinations not mentioned in chapter IV of the Act but decided by the commission from time to time as considered necessary.

(2) The Examination Cell shall also verify the admitted students data submitted by each college with the sanctioned intake capacity of that particular year and submit the report along with discrepancies, if any, to the respective boards.

(3) The Examination Cell shall verify the data of admitted students submitted by each medical institution as per the following criteria, namely:-

(i) the data of admitted students submitted by the colleges in the format as specified by the Commission in Annexure-I and Annexure- III of this regulations within the stipulated date and time;

(ii) the data of admitted students submitted by the counselling authority (Center and State) in the format as specified by the Commission in Annexure-II and Annexure- IV of this regulations within the stipulated date and time;

(iii) the college shall be duly recognised by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, National Commission for Homoeopathy;

(iv) the total number of admitted students in Under Graduate or Post Graduate courses, as the case may be, shall be within the intake capacity for that particular academic session permitted by the Medical Assessment and Rating Board , National Commission for Homoeopathy, Government of India;

(v) all the students shall have been admitted through Central or State or Union Territory administration counseling as the case may be;

(vi) details of the candidates (Under Graduate) such as name of the candidate, fathers' name,

mothers' name, date of birth, National Eligibility cum Entrance Test, roll number, National Eligibility cum Entrance Test percentile, National Eligibility cum Entrance Test rank, marks obtained in National Eligibility cum Entrance Test, counseling authority, category if any shall be verified with the data of National Eligibility cum Entrance Test, data of allotted students, institution wise submitted by the Central or State or Union territories counseling authority, as the case may be;

(vii) details of the candidates (Post Graduate) such as name of the candidate, fathers' name, mothers' name, date of birth, All India Ayush Post Graduate Entrance Test roll number, counseling authority, category if any, allotted specialty or Post Graduate subject shall be verified with the data of All India Ayush Post Graduate Entrance Test results submitted by the designated authority and the consolidated data of allotted students, institution wise submitted by the Central or State or Union territory counseling authority as the case may be;

(viii) the Medical College failed to submit the data as specified in items (vi) and (vii) of sub clause (3) of clause 3 of this regulation shall be penalized rupees one lakh (Rs. 1, 00,000/-) per day or as specified by this commission from time to time. The payment shall be made through National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement into National Commission for Homoeopathy fund account;

(ix) examination Cell shall submit the institution wise data verification report along with discrepancies, if any, to the Homoeopathy Education Board as the case may be;

(x) once the data of admitted students is approved by the Homoeopathy Education Board, Examination Cell shall allot unique Ayush Identity Document. Unique Ayush Identity Document shall consist of: -

Ayush ID Format:

Last two Digit of current year + Institute unique id + two Digit state abbreviation + last five digit incremental number

Example:

23HOM2509WB00031

(xi) in case of transfer of student from one college to other college, the unique Ayush Identity Document shall be modified as detailed below:

a. letter 'T' denoting the 'Transfer' shall be inserted in the stream of abbreviation i.e. HomT;

b. the Institutional and State code shall be replaced with new institutional Identity Document and State code as applicable;

for example, in case student transfer from Hom 0459 of Uttarakhand (UK) to Hom 0232 to Rajasthan (RJ), his new Ayush Identity Document will be: -

21 HomT0232 RJ 17256; and

(xii) In case of discrepancies or if the details submitted by the medical institution are incorrect, temporary Ayush Identity Document of such student shall be withdrawn and matter shall be forwarded to Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy for penalizing action as deemed fit.

4. Composition of The Examination Cell.- (1) The Examination Cell shall comprise of,-

(i) Controller of Examinations;

(ii) Deputy Controller of Examinations

5. Duties and responsibilities of the Controller of Examination.- The duties and responsibilities of the controller of examination shall be the following, namely:-

(a) Controller of Examinations shall be the sole responsible person for all activities related to examination cell;

(b) he shall plan and execute conduction of various examinations as listed in this regulation in consultation with the Chairperson, National Commission for Homoeopathy and President of Homoeopathy Education Board of National Commission for Homoeopathy;

(c) he shall prepare calendar of events of each examination and execute the activities as scheduled;

(d) he shall identify the suitable agencies for conduction of various examinations and suggest to Advisory

Committee for approval;

(e) he shall coordinate with approved agency in conducting the assigned examination; and

(f) any other activity as assigned by the Chairperson or President of Homoeopathy Education Board of the Commission from time to time.

6. Duties and responsibilities of Deputy Controller of Examination.- The Duties and responsibilities of the Deputy Controller of Examination shall be as assigned by the Controller of Examination and shall assist to him for smooth discharging the function of the Examination Cell.

7. Common Advisory Committee and Technical Committee. - A common Advisory Committee and Technical Committee specific to each examination shall be constituted by the Commission in consultation with the President, Homoeopathy Education board.

8. Composition of the Advisory Committee.- The Advisory Committee shall consists of the following persons, namely:-

(a) Chairperson of Commission –Chairman;

(b) President, Homoeopathy Education Board–Member;

(c) Nominee from the Ministry of Ayush–Member;

(d) Two Principals from the Homoeopathic Colleges (to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy)–Members; and

(e) Controller of Examinations – Member Secretary.

9. The Terms of References of the Advisory Committee. – The term of References of the Advisory Committee shall be following, namely:-

(a) the term of the Advisory Committee shall be three years or till the reconstitution of the Committee by the Commission, whichever is earlier;

(b) the Advisory Committee shall meet minimum twice in a year;

(c) the Advisory Committee can co-opt any expert as per requirement with the approval of the Chairman;

(d) the Advisory Committee identifies and assign suitable agency for conduction of admission, examination or test;

(e) the Advisory Committee shall constitute Ayush Admission Central Counselling Committee for counseling; and seat allotment for All India Quota.

10. Composition of Technical Committee (separate for each examination) .- Composition of Technical Committee shall consists of the following, namely :-

(a) President Homoeopathy Education Board –Chairman;

(b) nominee from designated agency –Member;

(c) two experts of Homoeopathy to be nominated by the Chairperson of National Commission for Homoeopathy – Members;

(d) Health Education Technologist – Member; and

(e) Deputy Controller of Examinations (to be nominated by the Chairperson of National Commission for Homoeopathy) – Member Secretary.

11. The terms of reference of the Technical Committee.- The terms of references of the Technical Committee shall be the following namely:-

(a) the term of the committee shall be two years or reconstitution of the Committee by the Commission, whichever is earlier;

(b) the Committee shall meet as required;

(c) the Committee can co-opt any expert as per requirement with the approval of the Chairman of the Technical Committee;

(d) the Technical Committee will develop the 'Blue Print' of the question paper for every examination;

(e) the Technical committee identifies experts and Moderators for Question Paper setting;

(f) the Technical Committee shall coordinate with assigned agency for smooth conduction of the examination;

(g) the Technical Committee shall ensure the confidentiality of the matters related to examinations.

12. National Eligibility-Cum-Entrance Test examination for Homoeopathy .– (1) The National Eligibility - cum – Entrance Test for admission into undergraduate course of Homoeopathy shall be conducted in each academic year by the Commission through designated authority or agency.

(2) The eligibility criteria for appearing in National Eligibility cum Entrance Test examination and process of counselling and admission into Under Graduate courses of Homoeopathy shall be as notified in National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery Regulation, – 2022 and as per guidelines issued by National Commission for Homoeopathy from time to time.

13. National Exit Test. - (1) A common National Exit Test for Homoeopathy shall be conducted by the Commission through designated authority as provided under sub section (1) of section 15 of the Act.

(2) The National Exit Test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of Homoeopathy and for enrollment in the State Register or National Register as a registered medical practitioner of Homoeopathy.

(3) The pattern of the examination shall be problem based to test the clinical competency of a graduate of Homoeopathy as a registered medical practitioner in Homoeopathy.

(4) The National Exit Test examination shall be conducted ordinarily in the month of February and August every year.

(5) Eligibility for appearing in the National Exit Test shall be as below:

(a) An intern who has completed minimum two hundred and seventy days of the internship by the last date for submission of application for the National Exit Test examination

(b) Graduates of Homoeopathy who have completed their internship

(c) Foreign Nationals whose medical qualification has been recognised in schedule III of Homoeopathy Central Council Act 1973 or Recognised as per section 36 of National Commission for Homoeopathy Act 2020.

(6) However, the National Exit Test qualified candidates shall be eligible to get registered as medical practitioner only after completion of remaining duration of rotatory internship and fulfillment of criteria as specified by Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

(7) Practitioners who have already been registered or have completed internship before the notification of this regulation need not to appear for the National Exit Test.

(8) As per sub-section (1) of section 15 of the National Commission for Homoeopathy Act 2020 (15 of 2020), without qualifying National Exit Test, no Homoeopathic graduate (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery) shall be eligible to get registered in the State or Union territory Administration or National register, as the case may be.

(9) There shall not be any limit for attempts and duration to appear for National Exit Test.

(10) The candidates securing 50% and above shall be declared as qualified in National Exit Test Examination and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of National Commission for Homoeopathy.

(11) If a candidate does not clear the National Exit Test, his graduation degree shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory.

***Explanation*:** Unlike all other graduation degree holders, this degree holder of Homoeopathy, who has not cleared the National Exit Test Examination shall not be eligible for medical practice, though they can appear for the jobs or post-graduation courses other than the post-graduate courses recognised by the Commission, where these degrees are recognised.

(12) Qualifying of National Exit Test Examination and getting registered in a State or National Register shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue post graduate programs in Homoeopathy.

14. All India Ayush Post-Graduate Entrance Test. - (1) The Post-Graduate National Entrance Test as

specified in the National Commission for Homoeopathy Act 2020 (15 of 2020), is otherwise called as All India Ayush Post-Graduate Entrance Test.

(2) All India Ayush Post Graduate Entrance Test for Homoeopathy shall be conducted by the Commission through designated authority.

(3) All India Ayush Post-Graduate Test shall be ordinarily conducted in the month of April every year or on the date specified by the National Commission for Homoeopathy for that academic year.

(4) Undergraduate Degree holders (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery) who have completed their rotatory internship by 30th April in Homoeopathy Medical Institute or as per timeline specified by National Commission for Homoeopathy from time to time, shall be eligible for appearing in All India Post-Graduate Entrance Test.

(5) At the time of admission, candidate must have valid registration as medical practitioner at State or Union territory or National Register as the case may be.

(6) All India Ayush Post-Graduate Entrance Test result shall be declared by designated agency and shall be applicable for admission during particular academic year only.

(7) Process of counselling and admission in post-graduate course of Homoeopathy shall be as per the guidelines specified by National Commission for Homoeopathy from time to time.

15. National Teacher's Eligibility Test. – (1) The National Teacher's Eligibility Test shall be conducted by the Commission through designated authority separately for the post graduates of Homoeopathy, who desire to take up teaching profession in Homoeopathy.

(2) The minimum eligibility criteria for appearing in National Teacher's Eligibility Test shall be a post-graduate in a subject recognised by the Commission or National Medical Commission or Academic institutions.

(3) Any person who desires to take up teaching profession at the level of Assistant professor for the first time shall have to appear for this examination and shall have to obtain minimum of fifty percent. (without round off) of marks to get qualified.

(4) Master of Science in Anatomy, Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology, Master of Public Health from recognised Institutes can also appear for National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Assistant Professor, if the candidates are holding the Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree.

(5) Any person who desires to take up teaching profession at the level of Associate professor for the first time and having five years of experience in regular service (after possessing post-graduate qualification in the concerned subject) in Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or full time five years of experience as medical officer in regular service (after possessing post-graduate qualification in the concerned subject) in recognised Homoeopathy Medical College can appear in National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Associate Professor.

(6) Any person who desires to take up teaching profession at the level of Associate professor for the first time and having recognised Post Graduate qualification in Homoeopathy in concerned subject with five years of fulltime research experience in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal can appear in National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Associate Professor.

(7) Doctor of Philosophy degree holder along with Master of Science in Anatomy, Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology and Master of Public Health from recognised Institutes can appear in National Teacher's Eligibility Test examination for the post of Assistant Professor.

(8) The pattern of the test shall be aptitude based and shall be focused on the teaching aptitude; communication skill; classroom management; teaching, training and assessment technology; student psychology; andragogy; pedagogy as specified by National Commission for Homoeopathy from time to time.

(9) A Teacher Eligibility Certificate shall be issued by the Commission to the qualified candidate.

(10) Teacher eligibility shall stand invalid, if not joined as a teacher within ten years from the date of qualifying National Teacher's Eligibility Test for National Commission for Homoeopathy or break of ten years or more in teaching profession. In such case the candidate shall have to qualify once again National Teacher's Eligibility Test for National Commission for Homoeopathy for getting eligibility to join or re-join teaching profession.

(11) The candidate should satisfy his or her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he or she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria for the teacher.

(12) If a candidate has been allowed to appear in the National Teacher Eligibility Test, it does not imply that the candidate's eligibility has been verified and it does not vest any right with the candidate for appointment.

(13) The eligibility shall be finally verified, by the concerned recruiting agency or appointing authority.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board, National Commission for Homoeopathy

[ADVT.-III/4/Exty./560/2023-24]

Annexure- I
[See regulation 3(3) (i)]

Format for Under Graduate Admitted students data to be submitted by Homoeopathy colleges for Academic Year.....

			Serial Number	
			Institutional Identity Document provided by the National Commission For Homoeopathy	
			Date of the Admission	
			Name of the Candidate	
			Date of birth	
			Father's name	
			Mother's name	
			National Eligibility Cum Entrance Test roll number	
			National Eligibility cum Entrance Test percentile	
			All India National Eligibility cum Entrance Test rank	
			Marks obtained in National Eligibility Cum Entrance Test	
			Candidate category	Category
			Admitted category	
			Admitted quota	
			Admitted through Central or State or Union territory Administration counselling	

Annexure- II
[See regulation 3(3) (ii)]

Format for submission of consolidated data of admitted students (Under Graduate) college wise by Counseling Authority for Academic

			Serial Number
			Counseling Authority
			Name of the Candidate
			Date of birth
			Father's name
			Mother's name
			National Eligibility cum Entrance Test roll number
			National Eligibility cum Entrance Test percentile
			All India National Eligibility cum Entrance Test rank

			Marks obtained in National Eligibility Entrance Test	
			Candidate Category	Category
			Allotted Category	
			Allotted quota	
			Name of the Course	
			Name of the allotted colleges	

Annexure- III

[See regulation 3(3) (i)]

			Serial Number	Format for Post-graduate Admitted students data to be submitted by Homoeopathy colleges for Academic Year……
			Institutional Identity Document provided by the National Commission For Homoeopathy	
			Date of the Admission	
			Name of the Candidate	
			Date of birth	
			Father's name	
			Mother's name	
			AIAPGET Roll No.	
			AIAPGET Percentile	
			All India AIAPGET Rank	
			Marks obtained in AIAPGET	
			Candidate category	Category
			Admitted category	
			Admitted quota	
			Admitted through Central or State or Union territory Administration Counseling	
			Post-graduate Specialty Admitted	

Annexure- IV

[See regulation 3(3) (ii)]

Format for Submission of consolidated data of admitted students (Post Graduate) college wise by Counseling Authority for Academic Year…….															
Serial number	Counseling authority	Name of the Candidate	Date of birth	Father's name	Mother's name	All India Ayush Post Graduate Entrance Test roll number	All India Ayush Post Graduate Entrance Test percentile	All India Ayush Post Graduate Entrance Test rank	Marks obtained in All India Ayush Post Graduate Entrance Test	Category		Allotted quota	Name of the course	Name of the allotted colleges	Post-graduate Specialty Allotted
										Candidate category	Allotted category				

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December 2023

F.No. 3-36/2021/NCH/HEB/R.C.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (1) of section (10) of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Medical Research in Homoeopathy) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "Biomedical and Health Research" means research including studies on basic, applied and operational research designed primarily to increase the scientific knowledge about diseases and conditions (physical or socio-behavioural), their detection, cause and evolving strategies for health promotion, prevention, or amelioration of disease and rehabilitation including clinical research;

(c) "Clinical Research" means research that directly involves a particular person or group of people to study the effect of interventions, or uses materials or data from humans indirectly, such as their behaviour or biological samples for prevention, treatment and diagnosis of a disease condition or health disorder;

(d) "Clinical study" means research according to a protocol involving one or more human participants to evaluate biomedical or health-related outcomes, including interventional studies and observational studies in which the investigator does not assign human participants to interventions but observes them who have been given interventions in the course of routine clinical care, and may also include retrospective reviews of patient medical records or relevant literature;

(e) "Clinical trial" under purview of regulation means any systematic study of existing or new Homoeopathy drug in human participants to generate data for discovering symptomatic information under drug proving and or verifying its clinical, pharmacological, including pharmacodynamics or pharmacokinetics, and or adverse effects with the objective of determining safety and or efficacy of the drug;

(f) "Clinical trial" of non-regulatory nature means any research or study that prospectively assigns human participants or groups of humans to evaluate the effects on biomedical and health outcomes interventions like marketed homoeopathic drugs, public health interventions or observations during course of routine clinical care;

(g) "Ethics Committee" means a committee responsible for the scientific and ethical review of all proposals involving human participants, their biological materials and data and is constituted as per Ethical Guidelines for Biomedical Research on Human Participants issued by the Indian Council of Medical Research, 2017 and Good Clinical Practice Guidelines for Clinical Trials in Homoeopathy published by Central Council for Research in Homoeopathy, Ministry of Ayush, Government of India;

(h) " Homoeopathic drug" includes " any drug intended for internal or external use for diagnosis, treatment, prevention of diseases or disorder in human beings and animals recorded in Homoeopathic proving or therapeutic efficacy and established through clinical experience or research as described in authoritative Homoeopathic literature as may be specified from time to time by the Central Government by notification, and is manufactured in accordance with techniques of Homoeopathic pharmacy covering combination of ingredients of such Homoeopathic medicines, but does not include a medicine which is administered by injectable route";

(i) "investigational new drug in Homoeopathy" means new drug as defined under 'k' below and whose standards are drawn and is now ready for investigation in clinical trial regarding its safety and efficacy;

(j) "investigator" means a person who is responsible for conducting clinical trial or clinical investigation at a site;

(k) "new drug" means,–

(i) a drug not specified in the respective authoritative books of Homoeopathy as notified by Central Government and prepared by using modern advances with respective therapeutic claims in human beings or animals;

(ii) a drug, single or in combination of pharmacopeial Homoeopathic drugs, intended for certain claims and proposed to be marketed with modified or new claims including indication, route of administration, dosage and dosage form.

(l) "Principal Investigator" means the investigator who has the responsibilities to coordinate between the different members of the research team involved in a study at a site(s);

(m) "Protocol" means a document that states the background, rationale, objective(s), design, methodology, statistical considerations and organization of the trial and the conditions under which it is to be performed and managed. A list of items to be included in a homoeopathic clinical research protocol is compiled in various guidelines in section 4 below. The content and format of the protocol should take into consideration the relevant regulatory requirements and the guiding principles for the trial. The term protocol, unless otherwise specified, relates to the latest amended version of the document, in conjunction with all its appendices and enclosures;

(n) "research organisation" means a person or an organisation to whom a sponsor may transfer or delegate one or more of its functions and duties regarding conduct of research study.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scope.– All types of research for better academic understanding; for the advancement of Homoeopathy on scientific lines; interventional or non-interventional; fundamental or basic research, experimental, preclinical and clinical trials of different phases; with one or more pre-specified outcome measures; and studies of interdisciplinary nature or an integrative approach.

4. Guidelines, Rules to be followed for undertaking Research in Homoeopathy.– All investigators, research organizations are expected to follow the following guidelines for ethical and scientific reasons some of which are mandatory as per notification:

(a) All clinical trials relating to Homoeopathy (homoeopathic clinical trials) must be conducted in accordance with the Good Clinical Practices of Homoeopathy.

(b) Additionally, they should not be in contravention of any of the international or national regulatory guidelines for bio-medical research including but not limited to Drugs and Cosmetics Act (1940), and Rules (1945) and applicable amendments thereafter.

(c) Declaration of Helsinki (2013 or later versions, as applicable).

(d) Good Clinical Practices Guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2001 or later versions, as applicable).

(e) National Guidelines for Biomedical and Health Research Involving Human Participants (2017 or later versions as applicable).

(f) National Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Children (2017 or later versions as applicable).

(g) Indian Council of Medical Research Policy on Research Integrity and Publication Ethics (2019 or later versions as applicable), and other relevant regulations and guidelines, wherever applicable.

(h) For animal experiments, Rules and guidelines as notified by Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals, Government of India are to be followed.

5. Responsible Party.– The sponsor of an applicable trial will be considered the responsible party, unless a qualified principal investigator or coordinator initiates a research or trial (investigator-initiated research or trial) where she or he will be responsible and designated so by a grant, contractor, or award as the responsible party.

6. Registration.– All interventional clinical trials or studies shall be registered by the responsible party with Clinical Trial Registry of India before the enrolment of the first participant in the specific clinical trial.

7. Submission of Research Records.– The Commission has the power to call for all the information and documents, on an online platform or in the form and manner as specified, from the responsible party related to research or trial for assessment of regulatory compliances and for any violations including details of financial resources for the project. The responsible party shall submit an affidavit stating that the submitted clinical trial information is not false or misleading.

8. Research Audit.– The Commission can authorise a team of experts or third-party agency for the audit of the research or trial at any time during or after the trial for which the responsible party shall cooperate fully and provide logistic support as may be required by the auditors.

9. Publication of Research in Peer-Reviewed Journals.– It is advised that authors should publish their articles in non-predatory peer-reviewed journals.

10. Misconduct of Research.– (1) Research misconduct is defined as,–

(a) Fabrication, falsification and plagiarism in proposing, carrying out or reporting results of research;

(b) Deliberate, dangerous or negligent deviations from accepted practices in carrying out research;

(c) It includes failure to follow established protocols. If this failure results in unreasonable risk or harm to humans or the environment and facilitates misconduct in research by collusion in, or concealment of, such actions by others; and

(d) It also includes intentional, unauthorised use, disclosure or removal of, or damage to, research-related property of another, including apparatus, materials, writings, data, hardware or software or any other substances or devices used in or produced by the conduct of research.

(2) Responsibilities of the organization conducting research,–

(a) It is the responsibility of the organisation to investigate all allegations of research misconduct made against its research team in an unprejudiced manner. Findings of research misconduct would also be matters for consideration under the Institutional ethics committee. The onus of disciplinary action lies on the institutional head based on the recommendations of the Institutional Ethics Committee, a copy of which should be essentially sent to the sponsor, Commission and other associated bodies related to research;

(b) The organisation should define the responsibilities of each participant in research at every level;

(c) The outcome of any investigations on research misconduct or non- compliance or violation of mandatory guidelines should be essentially conveyed to the sponsor, Commission and other associated bodies related to the research; and

(d) Commission's research regulation clearly states that research misconduct should be taken seriously by the organisation and that any member of staff raising bonafide concerns can do so confidentially without fear of suffering any detriment, as also that malafide allegations will invite disciplinary action.

(3) Organisation's guidelines for investigating allegations of research misconduct or non-compliance of regulatory guidelines,–

(a) Each organisation shall have in place formal written procedures, complying to various rules and guidelines legally tenable for dealing with allegations of research misconduct against its staff and students and other researchers;

(b) A declaration of independent and impartial investigation should be issued in each enquiry;

(c) Confidentiality shall be strictly maintained;

(d) The allegation shall be dealt with in a fair and timely manner. Proper records of the proceedings should be kept;

(e) All interested parties shall be informed of the allegation at an appropriate stage in the proceedings;

(f) The outcome shall be made known as quickly as possible to all interested parties;

(g) During the period of enquiry both the whistle blower and the alleged should be protected;

(h) Anyone accused of misconduct or found guilty of misconduct shall have the right to be heard and make an appeal;

(i) Appropriate sanctions and disciplinary procedures should be in place as per the law for cases when the allegation is upheld; and

(j) If appropriate, efforts should be made to restore the reputation of the organisation and or accused party if the allegation is dismissed.

(4) Responsibilities of the Commission,–

(a) In case of direct appeal to the Commission, the enquiry will be rerouted to the concerned organisation or authority; and

(b) The commission may wish to undertake the enquiry at its level, depending on the nature of the allegations. The organisational support for the same shall be mandatory.

(5) Sanctions and or disciplinary actions in proven research misconduct or non- compliance or violation of mandatory guidelines shall be in proportion to the findings which may be as under on case-to-case basis,–

(a) Warning or Reprimand letter;

(b) Penalties - Withdrawal of grant or Withdrawal of publications or as decided on case-to-case basis;

(c) Guidelines for future monitoring; and

(d) Legal action, as per experts advise

11. Homoeopathic Research Regulation Committee.– (1) The committee shall be constituted by the Commission as per the following composition.–

a. Advisor (Homoeopathy) Ministry of Ayush– Chairman;

b. Director General Central Council for Research in Homoeopathy – Member;

c. Two experts from homoeopathy with a minimum of twenty years of research experience in homoeopathy in a recognised organisation or institute of the Government of India;

d. One academic expert in Homoeopathy with minimum of twenty years of teaching experience and having proven track record in research;

e. One expert Bioethicist – Member;

f. One expert in Bio-statistics with a minimum of twenty years of professional experience in biomedical research institution – Member;

g. Two experts from Basic sciences or Pharmacy or Biotechnology or Modern Medicine or Public Health with a minimum of twenty years of professional experience in biomedical research – Member;

h. One pharmacologist with a minimum of twenty years of professional experience in pharmacological research - Member; and

i. President – Homoeopathy Education Board – Convener.

The Committee may, if necessary, with prior approval of the Chairman, the Commission, co- opt member(s) or invite Government or Non-Government expert(s) for dealing with any specific issue and problem relating to different subjects such as legal, intellectual property, basic sciences etc. to seek their advice.

(2) Terms of reference.–

(a) The term of committee shall be three years from the date of constitution;

(b) The committee shall meet at least twice a year. The committee shall meet more frequently depending upon the applications submitted for consideration as per the directions of the Chairperson. Travelling allowance and sitting fee for the committee members shall be borne by the Commission.;

(c) The Commission will draw the standard operating procedures for the committee detailing the issues of conflicts of interest, non-disclosure of deliberations and codes of conduct for the members;

(d) The committee shall work on the agenda drawn by the homoeopathy education board;

(e) The committee shall draw guidelines on specific issues as referred to it from time to time, for homoeopathic research, ensuring superior performance in terms of quantity, consistency, collaboration, quality and other aspects of excellence and ensuring highest standards of ethics and participant protection;

(f) The committee shall have the power to appoint an arbitrator in a time bound manner to resolve conflicts between parties undertaking research, as per the need of the case referred to it for consideration;

(g) The committee shall have the power to monitor a study progress for a definite time period as per the need of the case referred to it for consideration;

(h) The committee shall give its recommendations on the research projects, referred to it by authorities, relating to violation of the mandatory guidelines issued by the Government of India from time to time; and

(i) The Committee shall deal with appeals of aggrieved party relating to research misconduct as referred by the Commission and shall submit a report with recommendations to the Commission.

12. Interpretation and Power to Relax.– (1) Where any doubt arises to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Commission for clarification.

(2) Where the Commission is satisfied that the operation of any of these regulation causes undue hardship in any case, it may by order for the reasons recorded in writing, dispense or relax the regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

DR. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board

[ADVT.-III/4/Exty./579/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2024.

F. No. 3-42/2021/NCH/HEB/PG.Reg.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (r) of sub-section (2) of section 55 read with section 16 and section 26 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Regulations, 1989, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short title and commencement**.– (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.–** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "annexure" means an annexure appended to these regulations;

(c) "appendix" means an appendix appended to these regulations;

(d) "electives" means an optional course of studies devised to enrich the educational expression of the student;

(e) "M.D. (Homoeopathy)" means a post-graduate degree in Homoeopathy (Doctor of Medicine in Homoeopathy);

(f) "syllabus" includes the curriculum for study as specified by the National Commission for Homoeopathy under these regulations.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Objective of homoeopathy post-graduate training programme.– The objective of homoeopathy post-graduate training programme are as follows, namely :–

(a) recognise the importance of Homoeopathy in context with National priorities and health needs of the community;

(b) practice Homoeopathy ethically and in step with the principles of the system;

(c) develop skills as a self-directed learner, recognise continuing education needs, select and use appropriate learning resources;

(d) demonstrate competence in basic concepts of research methodology and epidemiology and be able to critically analyse relevant published research literature;

(e) identify social, economic, environmental, biological and emotional determinants of health in a given case, and take them into account while planning therapeutic, rehabilitative, preventive and promotive measures or strategies;

(f) diagnose health problems and manage as per the scope of homoeopathy on the basis of clinical assessment, investigations etc;

(g) demonstrate scientific acumen by undertaking dissertation or research project using proper research methodology;

(h) play the assigned role in the implementation of national health programmes with homoeopathy, effectively and responsibly;

(i) organise and supervise the chosen or assigned health care services demonstrating adequate managerial skills in the AYUSH clinic or hospital or in the field; and

(j) develop skills in using educational methods and techniques applicable to the teaching of homoeopathy medical students.

4. Components of the post-graduate curriculum.– The post-graduate curriculum shall be set in a competency based integrated framework based on the outcomes defined for each speciality subject. Among other specific constituents, it shall comprise the following, namely:-

(a) theoretical and applied knowledge;

(b) practical, clinical, community and management related skills pertaining to the speciality subject;

(c) completion of dissertation work;

(d) publication or submission of a research article in a peer- reviewed scientific journal or presentation of the paper in the National Conference of the concerned society;

(e) soft skills and attributes including interpersonal and communication skills;

(f) training in Research Methodology, Medical Ethics and Medicolegal aspects; and

(g) professionalism and commitment to continued learning throughout professional life.

5. Eligibility criteria for admission and manner of admission.– (1) The eligibility for admission to M.D. (Homoeopathy) course shall be the following, namely: -

(a) No candidate shall be admitted to M.D.(Homoeopathy) course unless he possesses the degree of: -

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery or equivalent qualification in Homoeopathy included in the Schedule or medical qualification recognition list under the provisions of the Act, after undergoing a course of study of not less than five years and six months duration including one-year compulsory rotatory internship; or

(ii) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (Graded Degree) or equivalent qualification in Homoeopathy included in the Second Schedule of The Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), after undergoing a course of study of not less than two years duration;

(b) The candidate has registered himself with the State Board or Council, as the case may be.

(2) There shall be a uniform entrance examination for all Homoeopathic graduates, namely, All India AYUSH Post-Graduate Entrance Test examination for admission to the post-graduate course in medical institution in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the National Commission for Homoeopathy:

Provided that for foreign national candidates, any other equivalent qualification approved by the Central Government may be allowed for admission and above provision of this sub-regulation shall not be applicable.

(3) No candidate obtaining less than 50th percentile in the All-India AYUSH Post-graduate Entrance Test for post-graduate course conducted for the said academic year shall be considered for such admission:

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes obtain marks not less than 40th percentile and the candidates with the disability as specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) obtain the marks not less than 45th percentile in case of General category and not less than 40th percentile in case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes shall be considered for admission:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the All India AYUSH Post-graduate Entrance Test as specified above, held for any academic year for admission to post-graduate courses, the Commission may, in consultation with the Central Government, lower the marks required for admission to post-graduate course for candidates belonging to respective category and marks so lowered by the Commission shall be applicable for that academic year only.

(4) An All-India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared by the designated authority based on the marks obtained in the All-India AYUSH Post-graduate Entrance Test conducted for the academic year and the candidate within the respective category shall be considered for admission to post-graduate course from the said merit list.

(5) The seat matrix for admission in the Government institution, Government- aided institution and private institutions shall be fifteen per cent. for All- India quota and eighty-five per cent. for the State quota and the Union territory quota as the case may be:

Provided that, -

(a) the All-India quota for the purpose of admission to the Deemed to be University, both Government and private shall be one hundred per cent.;

(b) the University and institute having more than fifteen per cent. all India quota seat shall continue to maintain that quota;

(c) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in the Government and Government aided institutions shall be filled up by candidates with disability as specified under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

Explanation.- For the purposes of this regulation, the specified disability contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) specified in *Appendix "A"* and the eligibility of candidates to pursue a course in Homoeopathy with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in *Appendix "B"*. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.

(6) The designated authority for counseling of eighty-five per cent., State and Union territory quota for admissions to post-graduate course in all Homoeopathic educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be.

(7) The counseling for all admissions to the post-graduate course for seats under all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(8) The admission shall be done,–

(a) through counseling as per sub-regulation (b) of regulation 5 except for foreign nationals;

(b) by any manner other than the manner specified in these regulations shall not be approved and any institution found admitting the students in contravention of the provisions of regulation 5 of these regulations shall be denied permission for taking admission for subsequent academic year;

(9) The medical institutions shall have to submit the list of all admitted students in the format decided by the Commission on or before six p.m. on the cutoff date for admission decided by it from time to time;

(10) The medical institutions shall also provide the list of the admitted students who have been allotted seats through the counseling authority (Central, State or Union territory, as the case may be) except foreign nationals.

(11) The candidate who fails to obtain the minimum eligibility marks as referred to under sub- regulation (3), shall not be admitted to the post-graduate course in the said academic year.

(12) No authority or medical institution shall admit any candidate to the post-graduate course in contravention of the criteria or procedure specified in these regulations and any admission made in contravention of these regulation shall be cancelled by the Commission forthwith.

(13) The authority or medical institution which grants admission to any student in contravention of the provisions of these regulations shall be dealt within the manner as specified under the clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 28 of the Act.

(14) The medical institution shall send the final list of admitted students to the Commission within one month of closure of admissions and the Commission shall verify the medical institution to ensure the compliance of the provisions of the regulations at any time.

6. Course of study.–(1) Subjects of specialisation for Homoeopathy post-graduate degree course shall be the following, namely: -

(a) Homoeopathic Materia Medica;

(b) Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy;

(c) Homoeopathic Repertory and Case Taking;

(d) Homoeopathic Pharmacy;

(e) Practice of Medicine;

(f) Pediatrics;

(g) Psychiatry;

(h) Community Medicine;

(i) Dermatology.

(2) The Course shall be regular, full time and for a duration of three years.

(3) The student shall be regular and will be resident during one year of house-job in the campus and shall be given training as per the provisions of regulation 7:

Provided that a student shall complete the course of M.D.(Homoeopathy) in a speciality subject within the duration of maximum six years from the date of his admission.

(4) Each programme shall be divided into two parts comprising of eighteen month each in M.D.(Homoeopathy) Part-I and M.D.(Homoeopathy) Part-II respectively.

(5) The Courses under Part-I of each programme shall be as follows:-

(a) M.D. (Homoeopathy) Homoeopathic Materia Medica,–

(i) Fundamentals of Homoeopathic Materia Medica;

(ii) Fundamentals of Clinical Medicine in Homoeopathic Materia Medica; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(b) M.D. (Homoeopathy) Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy,–

(i) Fundamentals of Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy;

(ii) Fundamentals of Clinical Medicine in Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(c) M.D. (Homoeopathy) Homoeopathic Repertory and Case Taking,–

(i) Fundamentals of Repertory and Case Taking;

(ii) Fundamentals of Clinical Medicine in Homoeopathic Repertory and Case Taking; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(d) M.D. (Homoeopathy) Homoeopathic Pharmacy,–

(i) Fundamentals of Homoeopathy Pharmacy;

(ii) Fundamentals of Clinical Medicine in Homoeopathic Pharmacy; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(e) M.D. (Homoeopathy) Practice of Medicine,–

(i) Fundamentals of Practice of Medicine;

(ii) Fundamentals of Homoeopathy in Practice of Medicine; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(f) M.D. (Homoeopathy) Pediatrics,–

(i) Fundamentals of Pediatrics;

(ii) Fundamentals of Homoeopathy in Pediatrics; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(g) M.D. (Homoeopathy) Psychiatry,–

(i) Fundamentals of Psychiatry;

(ii) Fundamentals of Homoeopathy in Psychiatry; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(h) M.D. (Homoeopathy) Community Medicine,–

(i) Fundamentals of Community Medicine;

(ii) Fundamentals of Homoeopathy in Community Medicine; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(i) M.D. (Homoeopathy) Dermatology,–

(i) Fundamentals of Dermatology;

(ii) Fundamentals of Homoeopathy in Dermatology; and

(iii) Research Methodology and Biostatistics.

(6) For M.D. (Homoeopathy) Part-II examination, there shall be main specialty subject only with two papers.

7. Pattern of training.– (1) The period of training for obtaining Homoeopathy post- graduate degree in speciality subject shall be three completed years including the period of examination.

(2) In the beginning of post-graduate training, there shall be an induction programme for seven days which will comprise of –

(a) orientation about post-graduate course; and

(b) workshop in concerned subject specialty with subject experts.

(3) The post-graduate students shall be called Junior Resident in M.D.(Homoeopathy) Part-I and senior resident in M.D.(Homoeopathy) Part-II, in all speciality subjects of Homoeopathy post-graduate degree course.

(4) During the post-graduate course, the emphasis shall be more on clinical training and less on didactic lectures.

(5) The student should take part in seminars, group discussions, clinical meetings and journal club meetings.

(6) The student shall be required to write a dissertation as mentioned in regulation 8.

(7) The student shall be given graded responsibility in the hospital campus in the management and treatment of patients entrusted to his care as per duty roaster.

(8) The student shall participate in teaching and training of under-graduate students or interns.

(9) The students shall maintain an e-Log Book or Log book and do the laboratory or clinical work keeping in view the needs of each speciality subject.

(10) A student pursuing M. D. (Homoeopathy) Course shall study in the concerned Department of the institution for the entire period as a regular student. No student is permitted to work in any laboratory or college or industry or pharmacy, while pursuing the Homoeopathy post-graduate degree programme. No student shall join any other regular degree program in any other University in India or Abroad during the period of Homoeopathy post-graduate degree course.

(11) University Grants Commission approved Certificate or Diploma courses through open distance learning or online mode may be allowed for post- graduate students for improving various skills with permission of the Head of the institute without disturbing the work or duties assigned for

M.D. (Homoeopathy) course.

(12) Each year shall be taken as a unit for the purpose of calculating attendance.

(13) Every student shall mandatorily attend symposia, seminars, conferences, journal club meetings and lectures during each year as prescribed by the Department or college or University and not remain absent without any valid reasons and prior permission of the Head of the Institute.

(14) A student who has secured a minimum of seventy five per cent. of attendance and shows satisfactory progress, shall be permitted to appear at M.D. (Homoeopathy) Part-I and Part-II examinations respectively.

(15) Any student who fails to complete the course in the manner stated above shall not be permitted to appear at the University examinations. A certificate to this effect shall be sent to University by the Principal of the concerned college.

(16) Every student shall maintain an e-Log Book or Logbook (separately Part-I and part-II) for M.D. (Homoeopathy) and record his participation in the training programmes conducted by the Department such as journal reviews, clinical presentations, seminars.

(17) The work diary shall be scrutinised and certified by the Head of the Department and Head of the Institution and presented in the University at the time of practical examination, if called for.

(18) Special mention shall be made of the presentations by the student as well as details of experiments or laboratory procedures conducted by the student.

(19) The presentations shall be assessed by the faculty members and peers and assessed on numeric rating scale from 1 to 10.

8. Synopsis and dissertation.– (1) Every student shall submit to the competent authority of the University in the prescribed proforma given at Annexure, a synopsis containing particulars of proposed research study within a period of nine months from the date of commencement of the course or before the date notified by the University. The synopsis shall be submitted through the Guide, Head of Department of concerned speciality and counter signed by the Head of the institution.

(2) Every post-graduate students shall write dissertation about his research study in the format specified by the University, under the supervision of his Guide, and submit to the University. It includes identification of the problem, formulation of research question, hypothesis, review of literature, research methodology including the study design, discussing results and methods of conducting research study, collection of data, statistical analysis and drawing conclusions.

(3) Every student pursuing M.D.(Homoeopathy) degree course is required to submit six printed copies of dissertation or as required by the concerned University and soft copies, if required, of not less than ten thousand words embodying his own research study to the University for approval, not later than six months prior to holding of M.D.(Homoeopathy) Part-II examination.

(4) In case of rejection of synopsis, the student has to resubmit the synopsis to the University concerned through his Guide, in any case three months prior to the

M.D. (Homoeopathy) Part-I examination.

(5) The synopsis of the proposed study has to be registered with clinical trials registry of India after obtaining ethical approval from Institutional ethical committee.

(6) The dissertation should be written under the following headings, namely:-

(a) abstract;

(b) introduction;

(c) aim and objectives of study;

(d) review of literature;

(e) material and methods;

(f) observation and result;

(g) discussion;

(h) conclusion;

(i) references; and

(j) annexures or appendices.

(7) The written text of dissertation shall not be less than fifty pages and shall not exceed two hundred pages, excluding references, tables, figures and annexures. It should be neatly typed with double line spacing on one side of the bond paper (A4 size, 8.27" x 11.69") and bound properly. Spiral binding should be avoided. The dissertation shall be certified by the guide and Co-guide (if any), Head of the Department and Head of the Institution.

(8) A student shall adhere to plagiarism policy and the Copyright Act, 1957(14 of 1957) as amended from time to time, and give an undertaking in writing for the same.

(9) The dissertation shall be submitted to the guide at least three months before the time fixed for submitting it to the University. The guide or supervisor shall certify that the contents of the dissertation are the original work of the candidate and has not been submitted to any other University for the award of any degree or diploma. The student, whose dissertation has not been accepted by the University may be permitted to resubmit the same within a period of three months prior to

M.D. (Homoeopathy) part-II examination.

(10) The student is expected to write a research paper on the basis of his dissertation and submit to a peer-reviewed scientific journal or present in National level seminar.

9. Eligibility for post-graduate guide or examiner.– (1) A person shall possess the following qualifications and experience for being eligible to become a guide or examiner, namely: -

(a) M.D. (Homoeopathy) included in the Second Schedule of the Homoeopathy Central Council

Act, 1973 (59 of 1973) or Medical qualification recognition list of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020); and

(b) A teacher in a homoeopathy medical institution who is in post of Associate professor or Professor in concerned specialty subject after obtaining post-graduate degree in concerned subject: Provided that teachers who are already approved as post-graduate guide shall continue to remain post-graduate guide.

Provided further that in the newly instituted speciality subjects like Dermatology and Community Medicine, teachers from under- graduate Department of Practice of Medicine and Community Medicine with post-graduate qualification in Homoeopathy and who are posted as Associate Professor or Professor shall be eligible for becoming post- graduate guide or examiner respectively. These provisions shall remain in force up to ten years from the date of notification of these regulations:

Provided also that the guide or supervisor of a post-graduate speciality shall remain the guide or supervisor for that speciality only and he cannot become guide or supervisor for more than one speciality

subject.

(2) Educational qualification and experience for selection of Co-guide- post-graduate degree qualification in the speciality subject as stated in clause (a) or seven years teaching in a college recognised by the National Commission for Homoeopathy:

(3) The teaching faculty of a particular medical institution are only eligible to become guide or supervisor of post-graduate students of that institution. The subject wise guide list shall be approved by the concerned University.

10. Student guide ratio.– (1) The student – guide ratio shall be 3:1 if the guide is of Professor cadre.

(2) The student – guide ratio shall be 2:1 if the guide is of Associate Professor cadre.

11. Migration.– Under no circumstances, migration or transfer of student undergoing Homoeopathy post-graduate degree course from one college to other shall be permitted by any University or Authority.

12. Scheme of assessment.– (1) The Assessment for each programme shall be formative and summative type. The details of the formative assessment shall be worked out separately for each specialty in the framework of competency based assessment framework. A record of these would be maintained and due weightage may be accorded to these. The candidate shall be required to perform satisfactorily in formative assessment before being eligible to appear for the summative assessment. This will hold true for M.D. (Homoeopathy) Part-I as well as M.D. (Homoeopathy) Part-II and the summative assessment would comprise of:-

(a) written paper; and

(b) clinical or practical and Viva-Voce examination.

(2) Schedule of assessment:- Schedule of assessment shall be as following table, namely:-

Table

	Formative Assessment (Internal Assessment)	Summative Assessment (University Examination)
M.D.(Hom.) Part-I	1st term test - During sixth month of training	During eighteenth month of training
	2nd term test :- During twelfth month of training	
M.D.(Hom.) Part- II	1st term test - During twenty fourth month of training	During thirty sixth month of training
	2nd term test :- During thirtieth month of training	

(3) M.D. (Homoeopathy) Part-I examination –Maximum marks for each subject and minimum marks required to pass shall be as follows, namely: -

(a) M.D. (Homoeopathy) Homoeopathic Materia Medica:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva- Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper-I	Fundamentals of Homoeopathic Materia Medica	100	50	200*	100*

Paper-II	Fundamentals of Clinical Medicine in Homoeopathic Materia Medica	100	50	(160+40) [Summative assessment-160 marks] [Internal assessment-40 marks]	(80+20) [Summative assessment-80 marks] [Internal assessment-20 marks]
Paper-III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva voce) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(b) M.D. (Homoeopathy) Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva-Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Maximum marks
Paper- I	Fundamentals of Organon of Medicine and Homoeopathic philosophy	100	50	200* (160+40) [Summative assessment-160 marks] [Internal assessment-40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment-80 marks] [Internal assessment-20 marks]
Paper- II	Fundamentals of Clinical Medicine in Organon of Medicine and Homoeopathic philosophy	100	50	--	--
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(c) M.D. (Homoeopathy) Homoeopathic Repertory and Case Taking:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva-Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper- I	Fundamentals of Homoeopathic Repertory and Case Taking	100	50	200* (160+40) [Summative assessment-160 marks] [Internal	100* (80+20) [Summative assessment-80 marks] [Internal
Paper-II	Fundamentals ofClinical Medicine in Homoeopathic Repertory and Case Taking	100	50		

				assessment- 40 marks]	assessment- 20 marks]
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(d) M.D. (Homoeopathy) Homoeopathic Pharmacy:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva-Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper- I	Fundamentals of Homoeopathic Pharmacy	100	50	200* (160+40) [Summative assessment- 160 marks] [Internal assessment- 40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal assessment- 20 marks]
Paper- II	Fundamentals of Clinical Medicine in Homoeopathic Pharmacy	100	50		
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(e) M.D. (Homoeopathy) Practice of Medicine:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva-Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper-I	Fundamentals of Practice of Medicine	100	50	200* (160+40) [Summative assessment- 160 marks] [Internal assessment- 40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal assessment- 20 marks]
Paper- II	Fundamentals of Homoeopathy in Practice of Medicine	100	50		
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(f) M.D. (Homoeopathy) Pediatrics:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva-Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper- I	Fundamentalsof Pediatrics	100	50	200* (160+40) [Summative assessment- 160 marks] [Internal assessment- 40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal assessment- 20 marks]
Paper- II	Fundamental of Homoeopathy in Pediatrics	100	50		
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(g) M.D. (Homoeopathy) Psychiatry:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva-Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper-I	Fundamentals of Psychiatry	100	50	200* (160+40) [Summative assessment- 160 marks] [Internal assessment- 40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal assessment- 20 marks]
Paper- II	Fundamentals of Homoeopathy in Psychiatry	100	50		
Paper-III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(h) M.D. (Homoeopathy) Community Medicine:–

Subjects		Theory		Practical or Clinical examination including Viva- Voce	
		Maximum marks	Pass marks	Maximum marks	Pass marks
Paper- I	Fundamentals of Community Medicine	100	50	200* (160+40) [Summative assessment- 160 marks] [Internal	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal
Paper- II	Fundamentals of	100	50		

	Homoeopathy in Community Medicine			assessment- 40 marks]	assessment- 20 marks]
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(i) M.D. (Homoeopathy) Dermatology:–

Subjects		**Theory**		**Practical or Clinical examination including Viva- Voce**	
		Maximum marks	**Pass marks**	**Maximum marks**	**Pass marks**
Paper- I	Fundamentals of Dermatology	100	50	200* (160+40) [Summative assessment- 160 marks] [Internal assessment- 40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal assessment- 20 marks]
Paper- II	Fundamentals of Homoeopathy in Dermatology	100	50		
Paper- III	Research Methodology and Biostatistics	100	50	--	--

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(4) M.D. (Homoeopathy) Part-II examination –Maximum marks for each subject and minimum marks required to pass shall be as follows, namely:-

Subjects	**Theory**		**Practical or clinical exams including Viva-Voce and dissertation**	**Pass marks**
	Maximum marks	**Pass marks**	**Maximum marks**	**Pass marks**
(i) Speciality Subject Paper-I	100	50	200* (160+40) [Summative assessment-160 marks] [Internal assessment- 40 marks]	100* (80+20) [Summative assessment- 80 marks] [Internal assessment- 20 marks]
(ii) Speciality Subject Paper-II	100	50		

(*A common practical exam for paper I and II (100 marks practical + 100 marks viva) shall be conducted; twenty per cent. weightage shall be for internal assessment, which shall be calculated for practical or clinical including viva voce only. One internal assessment of 40 marks [20 marks (practical or clinical) + 20 marks (viva voce)] after each term of six months and average of two terms shall be considered. *eighty per cent. weightage shall be for summative assessment).

(5) Guidelines for examination shall be as follows, namely:-

(a) the theory examination shall have forty per cent. marks for short answer questions and forty per cent. marks for long explanatory answer questions that includes descriptive, case scenario and clinical application-based questions and twenty per cent. marks for problem- based question and these questions shall cover the entire syllabus of the subject;

(b) minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory component and fifty per cent. in practical or clinical component (that include practical, clinical, Viva-Voce) separately in each subject;

(c) each theory examination shall be of three hours duration;

(d) viva-voce or practical or clinical examination and assessment of dissertation in each specialty subject, to be held by not less than four examiners together, out of whom two shall be external examiners and two shall be internal examiners;

(e) four examiners shall jointly assess the knowledge of each student for recommending the result to the University. Average marks of four examiners shall be considered for assessment of the student;

(f) the University shall allow to conduct the examination for failed students within six months from declaration of the results;

(g) the University shall conduct not more than two examinations in a year, for any subject, with an interval of not less than six months between the two examinations;

(h) M.D. (Homoeopathy) Part-I examination is to be held in eighteenth month after completion of house job of one year duration;

(i) a student not passing examination in a subject of M.D. (Homoeopathy) Part-I course shall re-appear in all parts of that subject but only one chance to re-appear in that subject of examination shall be provided failing which he has to re-appear in examination in all the subjects (in all parts) of M.D. (Homoeopathy) Part-I course;

(j) results declared by the University shall be displayed as marks obtained in theory or practical or clinical or Viva-Voce examination as well as dissertation assessment separately;

(k) The maximum number of students to be examined in clinical or practical and Viva-Voce examinations on any day shall not exceed ten for M.D. (Homoeopathy) examinations.

(6) Valuation of examination papers shall be as follows, namely:-

(a) all eligible examiners for post-graduate examinations can perform the valuation of the answer scripts;

(b) all the answer scripts shall be subjected for two valuations by the concerned University. The highest of the total marks awarded by the two evaluators for the paper, which is rounded off to the nearest value, shall be considered for computation of the results;

(c) all the answer scripts, where the difference between two valuations is more than ten per cent. of the total marks prescribed for the paper, may be subjected to third valuation;

(d) the highest of the best two total marks, awarded by the three valuators for the paper, rounded off to the nearest value, shall be considered for final computation of the results;

(e) after the computation and declaration of the results, re-valuation is not permitted by any authority under any circumstances;

(f) all the Health Universities or Institutions imparting post-graduate courses shall develop a platform for bar-coded digital valuation.

(7) Every candidate seeking admission to M.D. (Homoeopathy) Part-I of the examination shall submit application to the University with the following documents, namely: -

(a) A Certificate from the Principal or Head of the institution or college (where course is imparted) about the completion of the course of studies in the subjects in which the candidate seeks admission to the examination;

(b) A Certificate of having completed one year house job in a Homoeopathic hospital as an essential part of the course;

(c) A Certificate from the Guide regarding submission of synopsis within the time specified in these regulations;

(d) minimum seventy-five per cent. attendance is required to become eligible for appearing in M.D.(Homoeopathy) Part – I examinations;

(e) no post-graduate student shall be permitted to appear in the examination without completing the mandatory course work and internal assessment as per these regulation.

(8) Every candidate seeking admission to M.D. (Homoeopathy) Part-II examination shall submit application to the University with the following documents, namely: -

(a) A mark sheet or result showing that the student has passed M.D. (Homoeopathy) Part-I examinations;

(b) A certificate from the guide in support of submission of the dissertation and accepted by the guide within the time specified in these regulations;

(c) A certificate from the Principal or Head of the Institution or College (where course is imparted) about the completion of the course of studies in the subject in which the candidate seeks admission to the examination;

(d) there shall be minimum of seventy-five per cent. attendance of post- graduate student to become eligible for appearing in M.D. (Homoeopathy) Part-II examination;

(e) no post-graduate student shall be permitted to appear in the examination without completing the mandatory course work and internal assessment as per this regulation.

(9) For the examiners, the following conditions shall be taken into consideration, namely:-

(a) the criteria for examiners shall be the same as in the post-graduate guide;

(b) there shall be two internal examiners; and

(c) at least fifty per cent. of the examiners shall be external examiners.

13. Common mandatory course work- (1) For the MD (Homoeopathy) Part-I, the following course work shall be common and mandatory for all post-graduate students irrespective of specialty, namely:-

(a) Course in Basic Cardiac Life Support Skills,-

(i) all post-graduate students shall complete a course in Basic Cardiac Life Support skills and get duly certified from recognised institute of the Central Government. If any student has already done this course and obtained certificate from recognised institute of the Central Government, he may choose any other course from the list of electives mentioned in clause (3) of this regulation.

(ii) the students must complete the course work within one year of the commencement of the batch.

(iii) no post-graduate student shall be permitted to appear in the M.D.(Homoeopathy) Part-I examinations without the above certification.

(b) Course in Bioethics,-

(i) all post-graduate students shall complete a course in Bioethics including Good Clinical Practices, to be conducted by the Institutes themselves or by any other method.

(ii) the students must complete the course within one year of the commencement of the batch.

(iii) no post-graduate student shall be permitted to appear in the M.D. (Homoeopathy) Part-I examination without completing the above course.

(2) For the MD (Homoeopathy) Part-II the following course work shall be common and mandatory for all post-graduate students irrespective of specialty, namely: -

(a) all post-graduate students shall complete a basic course in medical education technology and be duly certified by the recognised Institute of the Central Government.

(b) all post-graduate students shall complete a course in scientific writing and be duly certified from the recognised Institute of the Central Government.

(3) The institutions shall arrange training programmes on electives such as Telemedicine, Making effective presentations, use of PubMed, Awareness in medical audit management, Health economics, Health information system, basics of statistics, exposure to human behavior and study and knowledge of homoeopathic pharmacy. It is mandatory for each student to complete any one of the above electives in the entire duration of post-graduate course.

14. Additional infrastructure requirement and conditions for the post-graduate Homoeopathic Medical Institutions. – In addition to the minimum essential standards for graduate degree program as mentioned in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024, the following requirements shall be mandatory for the post-graduate homoeopathic

institutions, namely :-

(1) A recognised Homoeopathic College shall be treated as post-graduate center which meets all the prescribed minimum requirements, norms, and standards for conducting Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree course, and has been running Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree course successfully for five consecutive years.

(2) Every such medical institution or teaching hospital shall have a Department of the concerned speciality and shall also have the additional facilities as specified in these regulations.

(3) The annual intake capacity in post-graduate course shall be maximum ten seats but first permission shall be granted for maximum seven seats in a specialty subject. A medical institution may apply for an increase in the intake capacity for post-graduate course, only after completing first batch of post-graduate course or starting of post- graduate course only after completion of first batch of its under-graduate course.

(4) Requirement of hospital shall be as specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 along with the following additional requirements, namely: -

(a) out-patient Department with minimum of three hundred patients on an average per day during last five calendar years in the hospital of the medical institution running Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course.

(b) one bed shall be earmarked per student for each clinical subject of specialty, in addition to the beds required for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course in its teaching (collegiate) Homoeopathic Hospital, with a minimum 50% bed occupancy.

(c) the said attendance in the Out-patient Department and In-patient Department of the attached Homoeopathic Hospital has to be available on the day when an application is moved by the medical institution authorities seeking recognition or approval from National Commission for Homoeopathy.

(5) The National Commission for Homoeopathy shall have the power to call for such information and returns as it may deem fit from University and medical institution and they shall furnish the information as specified by the National Commission for Homoeopathy:

Provided that if the medical institutions fail to provide the information and return to Commission within the specified time limit, the Commission shall recommend for action against the concerned medical institution under section 28 of the Act, assuming that the concerned college is not complying with the provisions of these regulation.

(6) Every college shall provide all necessary information, documents and records to the Inspectors appointed by the Commission to discharge their duties and functions, required by them during the inspection.

(7) The administrative area shall be as notified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(8) A seminar hall with sitting capacity for a minimum of two hundred persons shall be available within the college premises for lectures, meetings, seminars, conferences, symposia, and counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement, closed circuit television, and audio-visual system with internet facilities.

(9) The following conditions shall be fulfilled for biometric attendance, namely:-

(a) all medical institutions shall install aadhar enabled biometric attendance machine as directed by the Commission from time to time for regular capturing of the attendance of human resources in the manner as specified and shall be essentially accessible to the Central Government, State Government or Union territories Administration and Commission to ensure maintenance of the minimum essential standards of education.

(b) the aadhar enabled biometric attendance shall be made available on the dashboard of medical institution website and to Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy on dedicated portal as directed by the Commission. The Commission shall seek such record of attendance from medical institution during or after assessment for compliance of minimum essential standards of education.

(c) the installation, maintenance and continuous smooth functioning of aadhar enabled biometric attendance system shall be the responsibility of medical institutions and any technical problem in the functioning of biometric system should be immediately reported to the Commission through nodal officer in-charge designated for the biometric attendance system and shall be rectified within a period of seven days from the date of reporting.

(10) minimum one year attendance record by aadhar enabled biometric machine should be made available to the commission or assessment team and the college shall maintain record for at least one year. One camera shall be installed for each post-graduate Department permitted by the National Commission for Homoeopathy.

(11) College Website shall be maintained as follows, namely;-

(a) each and every medical institution shall have its own website containing all the details with regard to information of post-graduate students with intake capacity sanctioned in each subject, subject-wise students admitted every year with all relevant details, merit-wise, category-wise, for current year and previous academic sessions along with their All India AYUSH Post-graduate Entrance Test scores.

(b) all speciality subject post-graduate Department details with regard to infrastructure, staff (teaching and non- teaching), library, equipment, charts or electronic display, specimens to be uploaded on the website along with the photographs.

(c) Hospital information, Out-patient Department and In-patient Department data shall be updated every month.

15. Staff requirements.–(1) Teaching staff,– There shall be minimum full time teaching staff for M.D.(Homoeopathy) (Additional to minimum teaching staff specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 course as per the following table, namely: **Table**

Sl. No.	Name of Department	Professor	Associate Professor
(1)	Homoeopathic Materia Medica	1	2
(2)	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy	1	2
(3)	Homoeopathic Repertory and Case Taking	1	2
(4)	Homoeopathic Pharmacy	1	2
(5)	Practice of Medicine	1	2
(6)	Pediatrics	1	2
(7)	Psychiatry	1	2
(8)	Community Medicine	1	2
(9)	Dermatology	1	2
(10)	Research Methodology and Biostatistics	1	1

(2) One Full-time Statistical Assistant shall be appointed to assist the teachers and students for statistical analysis.

16. Departments and their specific requirements. – (1) Department of Homoeopathic Materia Medica,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area in addition to the area which is provided for undergraduate course for each Department as required. The space for post-graduate student discussion rooms, post-graduate teaching faculty room and departmental library shall be available with the provision of audio-visual facilities.

(b) High speed internet facility shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as specified in separately notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and material shall be as per following table:-

Table

S. No.	Equipment and Materials	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	15
(8)	Books	5 sets
(9)	X- Ray View Box	01
(10)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years

(g) List of Charts or Electronic Display,–

(i) Science and Philosophy of Homoeopathic Materia Medica;
(ii) Different approaches to study Homoeopathic Materia Medica;
(iii) Periodic table;
(iv) Pictorial – Three polychrest – one each from Plant, Animal, Mineral kingdom;
(v) Nodoses – Any two medicines;
(vi) Sarcode-One medicine;
(vii) Group symptoms or study – Three groups ;
(viii) Therapeutic of any three illness.

(2) Department of Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy,-

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter in addition to the area which is provided for under-graduate course. The space for post- graduate students' discussion rooms, post-graduate teaching faculty room and departmental library shall be available with the provision of audio-visual facilities.

(b) High-speed internet facilities shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as specified in separately notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as assistant or attendant shall be available.

(f) Equipment and materials shall be as per the Table given below :–

Table

S. No.	Equipment and Materials	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic	15

	Display	
(8)	Books	5 sets
(9)	X- Ray View Box	01
(10)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years

(g) List of Charts or Electronic Display,–

(i) Different philosophies;

(ii) Case Taking;

(iii) Classification of disease;

(iv) Ground plan of Organon;

(v) Cardinal principles of homoeopathy;

(vi) Concept of disease evolution;

(vii) Different edition of Organon of Medicine;

(viii) Disease Phenomenon-Miasmas-psora, sycosis, tubercular, syphilis;

(ix) Causation of disease;

(x) Hahnemannian Concept of Man;

(xi) Display on posology;

(xii) Assessment of susceptibility;

(xiii) Evaluation of symptoms by C.Von.Beonninghausen;

(xiv) Evaluation of symptoms by J.T.Kent; and

(xv) Evaluation of symptoms by C.M. Boger.

(3) Department of homoeopathic repertory and case taking,-

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including in addition to the area which is provided for under-graduate course. Space for post-graduate students' discussion rooms, post- graduate, teaching faculty room and departmental library shall be available with the provision of audio-visual facilities.

(b) High speed internet facility shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist shall be as specified in separately notified post-graduate curriculum. Card repertory or model may be available for demonstration and discussion. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below :-

Table

S. No.	**Equipment and Material**	**Quantity**
(1)	Desktop or Laptop	5
(2)	Liquid-crystal display Projector	01

(3)	Round or Center table	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disk	01
(7)	Charts or Electronic Display	15
(8)	Homoeopathic Repertory Software (Preferably multiuser)	5
(9)	X- Ray View Box	01
(10)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years
(11)	Books	5 sets

(g) List of Charts or Electronic Display,–

(i) Evolution of Repertories;

(ii) Repertorial approaches- J.T.Kent;

(iii) Repertorial approaches -C.Von.Boenninghausen;

(iv) Repertorial approaches –C.M.Boger;

(v) Concept of Key note Symptoms;

(vi) Non reportorial approach – Structurisation;

(vii) Card Repertories;

(viii) Repertorial syndrome and Potential differential field;

(ix) Meaning of Rubric and Sub Rubric;

(x) General concepts of Repertorisation;

(xi) Repertory and Repertorisation;

(xii) Regional Repertories;

(xiii) Computer Software;

(xiv) Case- Taking and Repertory;

(xv) Analysis and Evaluation of Symptoms;

(xvi) Classification of repertory.

(4) Department of homoeopathic pharmacy,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including the space for post-graduate students' discussion rooms, post- graduate, teaching faculty room and departmental library shall be available with the provision of audio-visual facilities.

(b) High speed internet facility shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as specified in separately notified in the post-graduate curriculum. E- Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or

additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below :-

Table

S.No.	Equipment and Material	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	16
(8)	Herbarium sheets	20
(9)	X Ray View Box	01
(10)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years
(11)	Books	5 sets

(g) List of Charts or Electronic Displays,–

(i) Homoeopathic Pharmacopoeia;
(ii) Standardisation of drugs – Organoleptic evaluation;
(iii) Standardisation of drugs – Microscopic evaluation;
(iv) Standardisation of drugs – Physical evaluation;
(v) Standardisation of drugs – Chemical evaluation;
(vi) Standardisation of drugs – Biological evaluation;
(vii) Preservation of drugs and potencies;
(viii) Preparation of Homoeopathic drugs – Hahnemannian method;
(ix) Preparation of Homoeopathic drugs – New method;
(x) Scales of potentisation;
(xi) Methods of potentisation;
(xii) Principles of posology;
(xiii) Pharmaconomy;
(xiv) Homoeopathic pharmacy acts and rules;
(xv) Various types of drug actions;
(xvi) Indian medicines and their local names.

(h) Relevant Drug Act Laws and legislations shall be kept in every medical institution.

(5) Department of practice of medicine,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including the space for post-graduate students' discussion rooms, post-graduate, teaching faculty room and departmental library with the provision of audio-visual facilities.

(b) High-speed internet facilities shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as specified in separately notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below:-

Table

S. No.	Equipmentand Materials	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	15
(8)	Medical equipment for clinical training	As per requirement
(9)	X- Ray View Box	01
(10)	Books	5 sets
(11)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years

(g) List of Charts or Electronic Display,–

(i) Peripheral Nerve Evaluation axis and its components;

(ii) Bronchopulmonary Sequestration model and concept of Causation;

(iii) Dermatomes and peripheral Nerve supply ;

(iv) Susceptibility and various parameters;

(v) Hormonal Assay and its interpretation;

(vi) American association of Rheumatology criteria of diagnosis of Rheumatoid Arthritis;

(vii) Abnormal electrocardiogram findings in various Cardiovascular pathologies;

(viii) Miasm and its characteristic expressions;

(ix) World Health Classification of Diabetes Mellitus;

(x) Primary and secondary skin lesions;

(xi) Difference between Cardiac and respiratory dyspnea;

(xii) Types of hypersensitivity Reactions;

(xiii) Materia medica therapeutics of Renal colic;

(xiv) Materia medica therapeutics of Dyspnea;

(xv) Materia medica therapeutics of fever.

(6) Department of pediatrics,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including the space for post-graduate students, discussion rooms, post-graduate teaching faculty room and departmental library with the provision of audio- visual facilities.

(b) High-speed internet facilities shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as mentioned in separately

notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below:-

Table

S. No.	Equipment and Materials	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	13
(8)	Medical instruments and equipment for clinical training in pediatrics	As per requirement
(9)	X -Ray View Box	01
(10)	Books	5 sets
(11)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years

(g) List of Models and Charts or Electronic Display,–

(i) Models:-

(a) Breast model;

(b) Nutrition model;

(c) Developmental model;

(d) Training mannequins or dummies;

(e) Mannequins or dummies for training - Cardiopulmonary resuscitation, Intravenous cannula insertion.

(ii) Charts or Electronic Display:–

(a) Common deficiency Charts or Electronic Display – macro and micronutrients – protein energy malnutrition, obesity, rickets, scurvy;

(b) Complementary feeding chart;

(c) Common congenital anomalies chart with images;

(d) Pedigree chart ;

(e) World Health Organisation growth Charts or Electronic Display;

(f) Appearance, Pulse, Grimace, activity, and respiration score;

(g) Grades of dehydration;

(h) Grades of dyspnea;

(i) Electrolyte imbalance;

(j) Common anthropometry formulae in Pediatrics;

(k) Common constitutional remedy pictures of children with indications of any three;

(l) Common disease conditions in children with images – measles, chicken pox, mumps, worm infestation, diarrheal diseases, etc. with Homoeopathic therapeutics of two;

(m) Two clinical conditions with detail clinicopathological representation and evolution.

(7) Department of psychiatry,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including the space for post-graduate students' discussion rooms, post-graduate teaching faculty room and departmental library with the provision of audio- visual facilities.

(b) High speed internet facility shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as mentioned in separately notified post-graduate Curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below:-

Table

S. No.	Equipment and Materials	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	15
(8)	X-Ray View Box	01
(9)	Psychometric assessment tool → 1. Tests for intelligence- Wechsler Intelligence Scale for Children 2. Tests for social quotient – Vineland Social Maturity Scales 3. Objective personality tests (a) Millon Clinical Multiaxial Inventory (b) Minnesota Multiphasic Personality Inventory 4. Projective tests (a) Rorschach test	

	(b) Turnaround time (c) Computerized axial tomography 5.Rating scales: The types and their uses	
(10)	Books	5 sets
(11)	Poster presentations on Dissertations	Dissertations of last three academic years

(g) List of Charts or Electronic Display,–

(i) Brain structure and its function;

(ii) Models of mental health;

(iii) Sullivan's theory of interpersonal relationships;

(iv) Chart displaying the Hahnemannian classification of mental diseases;

(v) Modern classification of mental illness;

(vi) Cluster classification of personality disorders;

(vii) Various psychometric tests for discussion and learning related to cognitive, emotional or personality evaluations;

(viii) Mental Status Examination;

(ix) Mini Mental Status Examination;

(x) Cognition Conation and Affect;

(xi) Classification and expressions of anxiety disorders;

(xii) Psychosexual and psycho-social development (comparison);

(xiii) Child psychiatry clinical conditions;

(xiv) Affective disorders and their classification;

(xv) Schizophrenia spectrum disorders;

(xvi) Model (any two) -

(a) Maslow's model;

(b) Ericksons psychosocial model;

(c) Jean piagets theory of cognitive development.

(8) Department of community medicine,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including the space for post-graduate students' discussion rooms, post-graduate teaching faculty room and departmental library with the provision of audio-visual facilities.

(b) High-speed internet facilities shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as mentioned in separately notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below:-

Table

S. No	Equipment and Materials	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	5
(2)	Liquid-crystal display	01

	Projector	
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	16
(8)	X- Ray View Box	01
(9)	Books	5 sets
(10)	Poster presentation on Dissertations	As available

(g) List of Charts or Electronic Display and diagrams,–

(i) Concept of health and disease;

(ii) Epidemiology of communicable diseases;

(iii) Immunization and immunization schedule;

(iv) Homoeoprophylaxis;

(v) Demography and family planning;

(vi) Health information and biostatistics;

(vii) Diet, nutrition and nutritional problems and programme;

(viii) National health programmes;

(ix) International health agencies;

(x) Water and sewage treatment;

(xi) Medical entomology;

(xii) Occupational health;

(xiii) Smoking, alcoholism and drug addiction;

(xiv) Health administration and health care delivery system;

(xv) Screening of diseases;

(xvi) Other material concerning communicable diseases, diet, prophylactics, national health programs.

(9) Department of dermatology,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter area including the space for post-graduate students' discussion rooms, post-graduate teaching faculty room and departmental library with the provision of audio-visual facilities.

(b) High-speed internet facilities shall be available for good connectivity during online sessions.

(c) Two cupboards for storage of departmental books and booklist as mentioned in separately notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(d) There shall be minimum two Associate Professor and one Professor in the Department or additional faculty of higher cadre shall be considered against the lower cadre faculty.

(e) One non-technical staff such as Assistant or Attendant shall be available.

(f) Equipment and Materials shall be as per the Table given below:-

Table

S. No.	Equipment and Material	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	2
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for Good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	20
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	13
(8)	Slides	30 Clinical conditions (most common)
(9)	X- Ray View Box	01
(10)	Books	5 sets
(11)	Poster presentations on Dissertations	As available

(g) List of Charts or Electronic Display or Albums in Department,–

(i) Alopecia areata;

(ii) Warts;

(iii) Atopic dermatitis Eczema and its types;

(iv) Pemphigus;

(v) Leukoplakia;

(vi) Molluscum contagiosa;

(vii) Psoriasis;

(viii) Scabies;

(ix) Tinea cruris;

(x) Lichen planus;

(xi) Urticaria;

(xii) Vitiligo;

(xiii) Seborrheic dermatitis.

(10) Department of research methodology and biostatistics,–

(a) Medical institution shall provide at least ninety square meter for this Department. The space for the teaching faculty room and departmental library shall be available with the provision of audio-visual facilities. A well-equipped central research facility shall be provided that can be shared by different departments.High-speed internet facilities shall be available for good connectivity during online sessions.

(b) One cupboard for Storage of departmental books and booklist shall be as mentioned in separately notified post-graduate curriculum. E-Library subscription is mandatory for each student.

(c) There shall be one Associate Professor and one Professor in the Department.

(d) Equipment and Materials shall be as per the Table given below:-

Table

S. No.	Equipment and Material	Quantity
(1)	Desktop or Laptop	1
(2)	Liquid-crystal display Projector	01
(3)	Round or Center table (for good seating arrangements)	01
(4)	Chairs	10
(5)	Notice board	01
(6)	External hard disc	01
(7)	Charts or Electronic Display	05
(8)	Books	5 sets of books, each on Research methodology and Biostatistics.

(e) List of Charts or Electronic Display,–

(i) Case report guidelines check list;

(ii) International Standards for Clinical Trial Registries;

(iii) Clinical study Reports;

(iv) Good Clinical Practices for homoeopathy;

(v) Pharmaco vigilance.

17. Teaching and Non-teaching Staff.– (1) Salary of teaching staff shall be as specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(2) Qualifications for non- teaching and hospital staffs of post-graduate homoeopathic college and attached hospital shall be as specified in the Third Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(3) The following general provisions shall be applicable for appointment of teaching staff, namely: –

(a) The teaching experience in the concerned subject of persons appointed as regular teaching staff in the colleges, fulfilling the concerned prescribed regulation, prior to notification of these regulations, shall be taken into consideration for appointment of teaching staff as specified in these regulations.

Explanation- For the purposes of this regulation, teaching experience of a teacher in a subject in which he is appointed shall be the teaching experience counted for that subject only.

(b) Recognised post-graduate qualifications shall be obtained before the age of forty- five years for the appointment of teaching staff:

Provided that this age criteria of forty-five years shall not be applicable to the existing staff appointed prior to notification of these regulations.

(c) Teaching experience counted shall be in a recognised Homoeopathic Medical College or Medical Institution.

(4) Qualifications for Teaching Staff of post-graduate medical institution shall be as follows, namely:-

1. PROFESSOR:- Homoeopathic subjects namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy, Homoeopathic Pharmacy and Homoeopathic Repertory and Case taking,–

(A) Essential qualifications : The candidate,–

(i) must possess recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned as an Associate Professor or

not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution;

(ii) must have published two original publications as Principal author or Co-author in indexed or peer reviewed journal.

(B) Desirable qualifications : The candidate may have,–

(i) experience of not less than five years as supervisor or guide for post-graduate programme in Homoeopathy; or

(ii) administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical college or hospital; or

(iii) research experience in a research institution recognised by the University concerned and or the State Government or the Central Government, or in a project registered with Clinical Trial Registry -India.

2. PROFESSOR:- Practice of Medicine, Pediatrics, Psychiatry, Community medicine and Dermatology,–

(A) Essential qualification: The candidate,–

(i) must possess recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned as an Associate Professor or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution of degree level or teachers holding above mentioned experience in the Department of Practice of Medicine shall be considered for appointment in the Department of Dermatology for a period of ten years from the date of publication of this regulation; or

post-graduate Medical Degree in the subject concerned recognised by the Medical Council of India or National Medical Commission with five years of teaching experience as Associate Professor in the subject concerned or ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College or in a medical college permitted by the State or the Central Government; and

(ii) having minimum two publications as Principal or Co-author in an indexed or peer-reviewed journal.

(B) Desirable qualification : The candidate may have,–

(i) experience of not less than five years as supervisor or guide for post- graduate programme in Homoeopathy; or

(ii) administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical college or hospital; or

(iii) research experience in a research institution recognised by the University concerned and or the State Government or the Central Government, or in a project registered with Clinical Trial Registry -India.

3. PROFESSOR: Research Methodology and Biostatistics,–

(A) Essential qualification: The candidate,–

must possess recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned as an Associate Professor or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution and having minimum two publications as Principal or Co-author in an indexed or peer-reviewed journal; or

post-graduate degree in Medical Statistics or Biostatistics or Epidemiology or other relevant discipline of Research Methodology or Medical statistics with ten years of full time research experience in regular service in group "A" post in research institution recognised by the concerned University or the State Government or the Central Government or Union territory Administration and having at least four original publications as Principal or Co-author in an indexed or peer-reviewed journal and having qualified National Teachers Eligibility Test from the date it is operational.

(B) Desirable qualification: The candidate may have,–

(i) experience of not less than five years as supervisor or guide for post-graduate programme in

Homoeopathy; or

(ii) administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical college or hospital; or

(iii) research experience in a research institution recognized by the University concerned and or the State Government or the Central Government, Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trial Registry -India.

4. ASSOCIATE PROFESSOR: Homoeopathic philosophy, Homoeopathic Materia Medica, Homoeopathic Pharmacy and Homoeopathic Repertory,–

(A) Essential qualifications: The candidate shall have,–

recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution. Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

recognised post-graduate qualification in Homoeopathy in subject concerned with not less than five years of full time research experience in Teaching Institution or in Research Councils of the Central Government or the State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or

must have not less than five years of experience in regular service, after acquiring post-graduate qualification in concerned subject in the Central Government Health Services or the State Government health Services, Ministry of Ayush or full time five year of experience as medical officer in regular service after acquiring post-graduate qualification in the concerned subject in recognised Homoeopathy Medical Institute and having qualified National Teachers Eligibility test conducted by the Commission.

(B) Desirable qualifications: The candidate may have,–

(i) experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for Post-graduate course in homoeopathy; or

(ii) research experience in a research institution recognised by the University concerned or the State Government or Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

5. ASSOCIATE PROFESSOR : Practice of Medicine and Community medicines,–

(A) Essential qualification : The candidate shall have,–

recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution and must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

post-graduate medical degree in the subject concerned recognised by the Medical Council of India or National Medical Commission with five years of teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic Medical institution of degree level or in a medical college permitted by the Central Government or National Medical Commission and having minimum one publication as Principal or Co-author in an indexed or peer reviewed journal; or

recognised post-graduate qualification in Homoeopathy in subject concerned with not less than five years of full time research experience in Teaching Institution or in Research Councils of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or

must have not less than five years of experience in regular service, after acquiring post-graduate qualification in subject concerned in the Central Government Health Services or the State Government health Services, Ministry of Ayush or full time five year of experience as medical officer in regular service after acquiring post- graduate qualification in the concerned subject in recognised Homoeopathy Medical Institute and having qualified National Teachers Eligibility test conducted by the Commission.

(B) Desirable qualification: The candidate may have,–

(i) experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course in homoeopathy; or

(ii) research experience in a research institution recognised by the University concerned or the State Government or the Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

6. ASSOCIATE PROFESSOR: Dermatology, Pediatrics and Psychiatry,–

(A) Essential qualification: The candidate shall have,-

recognised post-graduate qualification in Homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic Medical institution of degree level and having minimum one publication as Principal or Co- author in an indexed or peer-reviewed journal or teachers holding post-graduate degree in practice of medicines and five years of teaching experience in the Department of practice of medicine shall also be considered for appointment in the Department of Dermatology or Pediatrics or Psychiatry for a period of ten years from the date of publication of this notification; or

post-graduate medical degree in the subject concerned recognised by the Medical Council of India or National Medical Commission with not less than five years of teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic Medical institution of degree level or in a medical college permitted by the Central Government or National Medical Commission and having minimum one publication as Principal or Co-author in an indexed or peer reviewed journal; or

recognised post-graduate qualification in Homoeopathy in subject concerned with not less than five years of fulltime research experience in Teaching Institution or in Research Councils of the Central Government or the State Government or the Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publications as Principal or Co-author in an indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test from the date it is operational; or

must have not less than five years of experience in regular service (after possessing post-graduate qualification in the subject concerned) in the Central Government Health Services or the State Government Health services, Ministry of Ayush, or not less than five years of experience as fulltime medical officer (after possessing post-graduate qualification in the concerned subject) in a recognised Homoeopathy Medical College and having minimum three publication as Principal or Co-author in an indexed or peer-reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test from the date it is operational.

(B) Desirable qualification: The candidate may have,–

(i) experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course in homoeopathy; or

(ii) research experience in a research institution recognised by the University concerned or the State Government or the Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

7. ASSOCIATE PROFESSOR: Research Methodology and Biostatistics,–

(A) Essential qualification: The candidate shall have,–

recognised post-graduate qualification in Homoeopathy with not less than five years of teaching experience in a Homoeopathic Medical College and has additionally taught research methodology and has at least one publication as Principal or Co-author in an indexed or peer-reviewed journal; or

recognised post-graduate qualification in Homoeopathy or post-graduate degree in Medical Statistics or Biostatistics or Epidemiology or other relevant discipline of Research Methodology or Medical statistics with not less than five years of fulltime research experience in Teaching Institution or in a research institution recognised by the University concerned or the State Government or the Central Government or Union territory Administration with at least four original publications as Principal or Co-author in an indexed or peer reviewed journals and having qualified National Teachers Eligibility Test from the date it is operational.

(B) Desirable qualification: The candidate may have,–

(i) experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course in homoeopathy; or

(ii) research experience in a research institution recognised by the University concerned or the State Government or the Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President

[ADVT.-III/4/Exty./843/2023-24]

Appendix A

(See sub-regulation (5) of regulation 5)

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability-

(a) Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including-

(i) "Leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from-

(a) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(b) Manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(c) Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly.

(ii) "Cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth.

(iii) "Dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less.

(iv) "Muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for health of muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues.

(v) "Acid attack victim" means a person disfigured due to violent assaults by throwing acid or similar corrosive substance.

(b) Visual impairment-

(i) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction-

(a) Total absence of sight, or

(b) Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction, or

(c) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(ii) "Low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:-

(a) Visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 up to 3/60 or up to 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(b) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

(c) Hearing impairment-

(i) "Deaf" means persons having 70 decibels hearing loss in speech frequencies in both ears;

(ii) "Hard of hearing" means person having 60 decibels hearing loss in speech frequencies in both ears,

(d) "Speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as

laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes;

(e) Intellectual disability a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in a dative behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including-

(i) "Specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia.

(ii) "Autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviors.

2. "Mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviors, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person,

3. Disability caused due to-

(a) Chronic neurological conditions, such as-

(i) "Multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

(ii) "Parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle- aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder-

(i) "Hemophilia" means an inherited disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding,

(ii) "Thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absence of hemoglobin.

(iii) "Sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anaemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage "Hemolytic" refers to the destruction of cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin,

4. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf, blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

5. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

Appendix B

(See sub-regulation (5) of regulation 5)

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy.

(1) The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) The extent of "specified disability" of a person shall be assessed in accordance with the guidelines published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4th January, 2018 under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

(3) The minimum degree of disability should be forty per cent. (Benchmark disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

(4) The term 'Persons with Disabilities' shall be used instead of the term 'Physically Handicapped'.

TABLE

Serial Number	Disability Category	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	Eligible for Homoeopathy Post-Graduate Degree Course-Doctor of Medicine in Homoeopathy, Not Eligible for Persons with Disabilities Quota	Eligible for Homoeopathy Post-Graduate Degree Course-Doctor of Medicine in Homoeopathy, Eligible for Persons with Disabilities Quota	Not Eligible for Course
2.	Intellectual disability		(a) Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia And Developmental aphasia)#	# Currently there is no quantification scale available to assess the severity of Specific Learning Disability; therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		
				Less than 40% disability	Equal to or more than 40% disability but selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation or assisted technology or aids or infrastructural changes by the expert panel.	
			(b) Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperser syndrome (disability of 40-60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for	Currently, not recommended due to lack of objective method. However, the benefit of reservation or quota may be considered in future after developing better	Equal to or more than60% disability or presence of cognitive or intellectual disability and or if the person is

				Homoeopath y Post- Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopath y course by an expert panel	methods of disability assessment.	deemed unfit for pursuing Homoeopathy Post- Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeo pathy by an expert panel.
3.	Mental Behaviour		Mental illness	Absence or mild disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently, not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation or quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his or her duties. Standards may be drafted for "fitness to practice medicine"

4.	Disabilit y caused due to	(a) Chronic neurological conditions	(i) Multiple Sclerosis	Less than 40% disability	40% 80% disability	More than 80% disability
			(ii) Parkinsonism			
		(b) Blood disorders	(i) Hemophilia	Less than 40% disability	40% 80% disability	More than 80% disability
			(ii) Thalassemia			
			(iii)Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilitie s including deafness blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, visual, hearing, speech and language disability, intellectual disability, and mental illness as a component of multiple disabilities. Combining formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Government of India: $\frac{a+b\,(90-a)}{90}$ (where a=higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability ar when more than one disabling condition is present in a given		

				individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual

Note 1: For selection under Person with disability category, candidate shall be required to produce Disability Certificate before his scheduled date of counselling issued by the disability assessment boards as designated by concerned authority of Government of India.

Note 2: In case of non-availability of eligible candidates in any category the unfilled seats shall be converted into the general category of All India Quota seats or State Quota seats as the case may be.

ANNEXURE

SYNOPSIS EVALUATION PROFORMA

(See sub-regulation (1) of regulation 8)

Sl. No.	**PARTICULARS OF TITLE AND SYNOPSIS SUBMITTED**	
1.	College:	College Code College Name
2.	Course:	Name of the P.G Degree course along with subject or specialty
3.	Scholar:	Name of the student (first name _____middle name _____last name) Contact no.: email id.:
4.	Batch:	Student admitted in academic year – Date of admission (dd/mm/yyyy)
5.	Guide/Supervisor:	Name of the Guide or Supervisor: Contact no.: email id.: PG recognition status:
6.	Eligibility:	Letter of permission to the student issued by affiliating university and eligibility of the Post-graduate department. (date and reference number of letter)
7.	Research methodology workshop:	Whether attended: Yes/No If yes, date of attendance (dd/mm/yyyy) Certificate of participation attached: Yes/No
8.	Title of synopsis:	(Submitted to University)

Name of Student: **Subject specialty:** **Year Of Admission:**

Date of submission of synopsis: **Date of approval from Post-graduate Guide:**

Synopsis evaluation checklist for all the Homoeopathy Post-graduate Institutes to evaluate synopsis of each student in each subject specialty admitted to institute.

The compiled information of all the students is to be sent to the University for approval in the checklist as mentioned below.

SYNOPSIS EVALUATION CHECKLIST						
S. No.	**Item**	**Component**	**Yes**	**No**	**N.A**	**Remark, if any**
1.	Title	1. Clear and brief				

		2. Important variable mentioned				
		3. Patient or Participant				
		4. Intervention				
		5. Comparator				
		6. Outcome				
		7. Reflects study design				
		8. Reflects primary objectives				
		9. Includes target population				
		10. Whether the title or study has been repeated				
2.	Research Gap	1. Gaps in research done till now have been identified				
3.	Research question	1. Feasible				
		2. Interesting				
		3. Novel				
		4. Ethical				
		5. Relevant				
		6. Socially relevant				
4.	Hypothesis	1. Clearly stated				
		2. Reflects relation between two or more variables				
5.	Introduction	1. Rationale of the study				
		2. Relevant epidemiological data				
		3. Existing knowledge gaps and how to bridge such gaps				
6.	Review of literature	1. Includes recent research studies relevant to the present study				
		2. Presents knowledge gap for the stated problem				
		3. Justifies research question				
		4. References from the following sources: -Journals, Textbooks, Govt. reports, classical textbooks, reference books, databases, websites etc.				
7.	Objectives:	Meets SMART criteria? **Specific –** target a specific area for improvement. **Measurable –** quantity or at least suggest an indicator of progress **Assignable –** specify who will do it **Realistic –** state what results can				

		realistically be achieved, given available resources. **Time-related** – specify when the results can be achieved.				
8.	Methodology	1. Type of study design				
		2. Setting (location of study)				
		3. Duration of study				
		4. Method of selection of study subjects (eligibility criteria) - Inclusion criteria - Exclusion criteria				
		5. Method of selection of comparison or control group				
		6. Matching criteria				
		7. Operational definitions				
		8. Specification of instruments and related measurements.				
9.	Research methodology specified and explained for data collection	1. Sample size				
		2. Sampling technique				
		3. Method for data collection relevant to objectives				
		4. Study instrument or data collection tool.				
		5. Data management and analysis procedure (coding and use of computers)				
		6. Plan for statistical analysis				
10.	Ethical clearance					
11.	Reference style:	1. VANCOUVER				
12.	Annexures:	1. Case record form or Questionnaire or Performa or any other study instrument to be used in study 2. Patient's information sheet and Informed consent form (including vernacular language) 3. Abbreviation validated and authentic 4. Parameters for assessment of study outcomes. 5. Authentic documents of collaborative research work, if any (utilization of infrastructure, human				

		resources etc.) 6. Appendix 'A' (Title of Synopsis submission letter) 7. Appendix 'B' (Approval of Ethics Committee) 8. Certificate of research methodology workshop attended by student				
13.	Concluding remarks by assessor:	1. Accepted 2. Accepted with modifications. 3. Rejected				
14.	Modifications suggested:					

Signature

Date: Name, Designation and Address of Evaluator

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054



Medical Assessment & Rating Board for Homoeopathy

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

F. No. 3-35/2021/NCH/HEB/MES.C.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (s) and (t) of sub-section (2) of section 55 read with clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 26 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short Title And Commencement. –** (1) These Regulations May Be Called The National Commission For Homoeopathy (Minimum Essential Standards For Homoeopathic Colleges And Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. –** In These Regulations, Unless The Context Otherwise Requires;

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "Appendix" means the Appendix annexed to these regulations;

(c) "attached hospital" means a teaching homoeopathic collegiate hospital attached to the medical institution;

(d) "director" means the Director of the medical institution;

(e) "Head of Department" means a teacher of Department among senior faculties responsible for academic and administrative control of the Department;

(f) "intern" means a medical student who is undergoing a period of training, "Compulsory Rotatory Internship" or "Internship" as provided under the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery Regulations, 2022;

(g) "nodal officer" means an official who is responsible for a specific project or task within an Organisation or institution;

(h) "Principal" means the Principal of the medical institution;

(i) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(j) "teaching experience" means full time teaching experience gained in the subject concerned in which he is appointed in a medical institution recognised by the Central Government or National Commission for Homoeopathy or National Medical Commission;

(k) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. **Objective. –** The Objective Of These Regulations Shall Be;

(a) to specify minimum essential standards;

(b) to ensure fully functional medical institution and its teaching hospital;

(c) to provide for the requirement of staff (teaching and non-teaching); instruments; equipment in the different Departments of the college and attached hospital and infrastructure for approval of competent authority for assessment for the purpose of grant or maintenance of permission and subsequent rating of medical institution for recognised course.

4. **Departments .–** (1) Every medical institution shall have the following Departments, namely: -

(a) Homoeopathic Materia Medica;

(b) Organon of medicine, Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology;

(c) Homoeopathic Pharmacy;

(d) Homoeopathic Repertory and Case Taking;

(e) Human Anatomy;

(f) Human Physiology and Biochemistry;

(g) Forensic Medicine and Toxicology;

(h) Pathology and Microbiology;

(i) Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics;

(j) Surgery;

(k) Gynecology and Obstetrics;

(l) Practice of medicine with Essentials of Pharmacology; and

(m) Yoga for health promotion.

(2) The medical institution, apart from the Departments in sub-regulation (1), shall have a unit of medical education technology for the purpose of teaching and training in Homoeopathy medical education.

(3) Every Department shall maintain the following registers or diary, namely: -

(a) non consumable or dead stock register;

(b) perishable items stock register;

(c) consumable items register;

(d) teaching plan and compliance or teaching diary;

(e) indent register;

(f) departmental activity record;

(g) departmental library registers; and

(h) students attendance for lectures and non-lectures separately.

5. Requirement of land.– The land required for establishment of Homoeopathy medical institution including attached hospitals and adequate infrastructure shall be as specified in Establishment of New Homoeopathic medical institution (Opening of New or Higher Course of Study and Increase of Intake Capacity by a Medical Institution), Regulations-2024:

Provided that the said land requirement is not applicable for the Homoeopathy medical institute established prior to the notification of these regulations in Official Gazette.

(a) The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land. A certificate from the Jila panchayat or local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the First Schedule and the Second Schedule which may be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Commission.

(b) There may be a separate building or interconnected building for the college and hospital as per the requirements mentioned in the First Schedule and the Second Schedule. The land should be owned by the person or possessed on lease of not less than thirty years or maximum permissible period as per the regulations made by the state concerned. Renewal of permission shall be obtained one year prior to expiry of lease.

(c) For new college establishments, the land in the name of person may be considered for grant of permission:

Provided that there may be a resolution of irrevocable authority for use of land only for homoeopathic medical institution and attached hospital.

(d) The resolution passed shall have to be concurrently approved by the registering authority with which applicant is registered.

(e) The property shall be exclusively demarcated for homoeopathy educational institution only.

(f) Medical institutions established prior to the notification of these regulations shall fulfill the following conditions, namely:-

(i) for the requirement of the size and possession of the land, at the end of the current lease period, such medical institutions shall either own the land or get it on the lease for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per the rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration;

(ii) if the institution submit the application for increase in the existing number of seats or apply for

higher degree courses, they shall have to fulfill all the requirements of land and infrastructure as specified in the Establishment of New Homoeopathic medical institution (Opening of New or Higher Course of Study and Increase of Intake Capacity by a medical institution), Regulations-2024:

Provided that these provisions shall not be applicable to an existing post-graduate college willing to apply for the increase of seats in their existing post-graduate course or addition of new subjects for Doctor of Medicine (Homoeopathy) course;

(iii) if an existing medical institution is situated in an urban area, they may have a hospital or college in a separate campus situated not more than five kilometers in distance or fifteen minutes of travel time to fulfill the necessary requirements of the constructed or built-up area.

(g) The building plan with departmental measurements must be certified by the local authority after verifying facilities as specified in these regulations.

(h) The buildings of the Homoeopathic medical institute and hospital shall conform to the prevailing building codes and local building bye-laws or norms. The hospitals should have fire-safety measures, including patient evacuation plans as per local bye laws and regulations. They shall comply with the requirements for providing access and facilities to those who are disabled. The buildings of the institute and hospital shall meet the requirements for the numbers of students to be admitted as specified by these regulations.

6. Intake capacity.– The application in homoeopathic degree course, namely, Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery shall be considered up to one hundred seats.

7. Power to call for information and returns.– (a) The National Commission for Homoeopathy and its autonomous boards shall have the power to call for such information and returns as it may deem fit. The University and medical institution shall furnish the said information as required by the National Commission for Homoeopathy:

Provided that if the medical institution fails to provide the information and return to Commission within time-limit as notified by the Commission from time to time, the Commission shall recommend for action against the medical institution under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act assuming that the medical institution is not complying with the provisions of regulation.

(b) Every medical institution shall provide all necessary information, documents and records to the inspectors appointed by the Medical Assessment and Rating Board of Homoeopathy or Commission to discharge their functions demanded by them during the inspection or assessment.

8. Failure to comply.– If any medical institution and attached hospital fails to comply with minimum essential standards, the Commission shall recommend for action against such institutions or hospitals under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

9. Requirement of medical institution and attached hospital. – (a) Every medical institution shall have the required areas, infrastructure, staffs, equipment as given in the First Schedule and attached hospital shall have the required areas, infrastructure, staffs and equipment as specified in the Second Schedule and qualification of the staff given in the Third Schedule.

(b) Every existing medical institution with intake capacity of one hundred seats, established prior to the date of notification of these regulations, shall fulfill the requirements of built up or constructed area, as laid down in these regulations within a period of five years from the date of notification of these regulations.

(c) Every existing medical institution with intake capacity of one hundred seats, established prior to date of notification of these regulations, shall fulfill the Department wise requirements, as laid down in these regulations within a period of one year from the date of notification of these regulations.

THE FIRST SCHEDULE

[(See clauses (a) and (b) of regulation 5 and clause (a) of regulation 9)]

Requirements of the Homoeopathic medical institution. – A. General. –

(1) (a) The medical institution shall provide adequate built-up space to accommodate various teaching areas (both in the medical institution and the attached hospital), library, administrative areas, rooms for teaching and non-teaching staff, student amenities, and other provisions as specified in this Schedule.

(b) Every medical institution shall have the attached hospital and hostel facility for the students and interns, with or without the residential area for faculty and other staff of medical institution or hospital.

(2) College council. – (a) Every medical institution shall have a college council comprising of the head of all the Departments or faculty specified for medical education technology unit as members and Principal or Director as Chairperson.

(b) The council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters and minutes of all the meetings shall be maintained properly.

(c) The council shall also organize inter-departmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the institution regularly.

(3) Biometric attendance. - (a) Every medical institution shall install aadhar enabled biometric attendance machine as directed by the Commission from time to time for regular capturing of the attendance of human resources in the manner as specified and shall be essentially accessible to the Central Government or State Government or Union territory Administration and Commission to ensure maintenance of the minimum essential standards of education.

(b) The aadhar enabled biometric attendance shall be made available on the dashboard of medical institution website and to medical assessment and rating board in Homoeopathy on dedicated portal as directed by the Commission from time to time. The Commission shall seek such record of attendance from medical institution during or after assessment for compliance of minimum essential standards of education.

(c) The installation, maintenance and continuous smooth functioning of aadhar enabled biometric attendance system shall be the responsibility of medical institutions and any technical problem in the functioning of biometric system should be immediately reported to the Commission through nodal officer in-charge designated for the biometric attendance system and shall be rectified within seven days.

(d) At least one year attendance record by aadhar enabled biometric machine shall be made available in the Commission or assessment team and college shall maintain record for at least one year.

(e) It shall be mandatory to have at least seventy five percent. attendance of the total working days (excluding vacations) for all the faculty and resident doctors. During vacation period, other than sick leave or leave availed due to emergency situations, the faculty on duty shall not avail any leave. Emergency leave shall be certified by the Head of the Department or Head of the Institution.

(4) Closed circuit television.– (a) In order to enable the Commission to maintain constant vigil on the standards of medical education and training being imparted, every medical institution shall have closed circuit television system in the campus and shall provide live streaming video of classrooms and the attached hospital in the manner as specified by the Commission and shall be essentially accessible to the Central Government, State Government or the Union territory Administration and Commission to enable the Commission to maintain a constant vigil on the standard of medical education and training being imparted;

(b)For monitoring the medical institutions, closed circuit television cameras shall be installed in the colleges, which shall maintain backup of one month recording for quick reference whenever asked during the inspections by the Commission or the Central Government. A nodal officer from the medical institution may be specially nominated to monitor the functioning or maintenance of the same;

(c)The installation, maintenance and continued smooth functioning of closed circuit television system shall be the responsibility of medical institution and in case of any technical problem or break up faced by the institution, it must be immediately informed to the Commission through nodal officer and shall be rectified within seven working days;

(d)Areas and number of cameras required for wider coverage are as per following Table, namely:-

TABLE

S No.	Area	No. of camera
1.	Classrooms (one in each)	05*
2.	Above all biometric machines	01
3.	Out-patient Department hall waiting area	01
4.	In-patient Department area	01
5.	Homoeopathic pharmacy/dispensary	01
6.	Patient registration including waiting area	01
7.	Hospital lab	01

* Additional for Post-graduate Class rooms.

(5) Teaching rooms and internet facility.– (a) Smart-boards shall be installed in the class rooms and lecture halls in a phased manner with at least two smart boards per year in the medical institutions, from the date of notification of these regulations. Demonstration rooms and clinical classrooms shall be provided with audio-visual facilities like liquid crystal display projectors and public address system;

(b) Medical institutions shall essentially have a broadband connection with local area network or wireless facility set up having adequate speed to cover the academic block, hospital and library along with technology enabled teaching aid for smart classroom set ups;

(c) A licensed homoeopathic software shall be available in all out-patient Departments and may be linked with hospital management software for management of various functions of patient care and back up shall be available for five years;

(d) Adequate computer systems shall be made available with latest configuration compatible for smooth functioning of all the requirements including the maintenance of dashboard for patient attendance, to be available on the website of the medical institution.

(6) Website.– Every medical institution shall have its own website containing the following details, which are to be updated in the first week of every month, namely: -

(a) details of director or principal and medical superintendent of the medical institution including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with landline number, mobile numbers and e-mail ID;

(b) details of the affiliating University, its Vice-Chancellor, Dean or Head of Faculty of Homoeopathy, Controller of Examinations and Registrar including their name, date of joining, complete address with landline number, mobile numbers and e-mail ID. The Link of University website should be available on the medical institution website;

(c) details of the Principal Secretary or Secretary and Commissioner or Director of AYUSH or Homoeopathy, including their name, date of joining, complete address with contact numbers and e-mail ID. The link of Secretariat and Directorate of Ayush Homoeopathy website should be available on the medical institution website;

(d) details of teaching staff and hospital staff along with the date of appointment and joining in the Department, their photograph, registration number, date of birth qualification, experience, Department, number of publications and such other required details, if any;

(e) detailed status of recognition of all the courses;

(f) details of the sanctioned intake capacity of courses of study in homoeopathy; as approved by National Commission for Homoeopathy;

(g) list of students admitted, merit-wise, category-wise in courses for the current and previous academic sessions along with their National Eligibility cum Entrance Test or All India Ayush Post Graduate Entrance Test scores;

(h) all research publications during last five years in peer or non-peer reviewed journals and any other publication;

(i) details of continuous medical education programmes, research course, conferences or any other academic activities conducted by the institution;

(j) details of any awards and achievement received by the students or faculty or by the college or medical institution;

(k) results of all the examinations of last one year;

(l) details of fees for courses and other costs;

(m) statistics of out-patient Department or in-patient Department of last five years;

(n) recording of registration of out-patient Department patients and dispensing area of hospital shall be updated on website;

(o) information on the activities of Ministry of Ayush and for accessing the same, link (https://main.ayush.gov.in) must be made available on the website;

(p) link for all related bodies of the Central Government, State Government and Union territory Administration;

(q) a nodal officer from the medical institute shall be designated to monitor the functioning or maintenance of the website;

(r) contact details of Nodal Officer shall be made available on the website directory; and

(s) any other information as may be sought by the Commission from time to time.

(7) Small group teaching facilities.– The common resource pool of teaching rooms, student practical laboratories, museums and lecture halls and any other available area that may be utilised for teaching purposes as specified in these regulations shall be utilised for small group (upto thirty students) teaching and shared by the teaching Departments. All the above-mentioned teaching areas shall have audio-visual and internet facilities.

(8) Student amenities.– Adequate amenities shall be provided to the students which shall include facilities for separate common rooms for boys and girls with toilets, cafeteria, periodic cultural activities, indoor and outdoor games and student counseling services. There shall be playground for outdoor or indoor games and track events in the college. Medical institutions may also have memorandum of understanding with some sport complex for conduct of outdoor games and track events, if such facilities are not available in their own campus.

(9) Biomedical waste management.– The Homoeopathic medical institution must ensure compliance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as notified from time to time. They shall have a robust institutional policy on biomedical waste management of human origin, with a well- defined arrangement for segregation and discarding of biomedical waste. Registration from the pollution control board shall be maintained by the hospital.

(10) Facilities for twenty four-hour potable and non-potable water availability under certification of Government water authority shall be available and periodic drinking water check-up and its report from any authorised water testing agency at least once in three months to be mandatory.

(11) Every Medical institution shall have separate male and female toilets on each floor with proper cleanliness and hygiene. There shall be adequate sewage drainage system or sewage treatment plant in every medical institution.

(12) Medical institution shall have sufficient parking facility for staff, patient, and student.

(13) All the required statutory provisions for the Central Government, State Government, Union territory Administration and local authorities related to employees state insurance, public provident fund, Labour rules, constructions and maintenance and other related things shall be complied with.

B. Department wise specific requirements are as follows, namely. –

(1) Department of Homoeopathic Materia Medica

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, museum, and Departmental library: seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Designation	Number required
	Teaching staff	
1.	Professor	01
2.	Associate professor	01
3.	Assistant professor	02
	Non-teaching staff	
4.	Multi-Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum.– (i) There shall be charts or digital display or standees or photo panels (picture-wise presentation) on topics covered for each year. The charts need to be changed after every four months. In case of establishment of new college, the number of charts in the museum shall be proportionate to their level (during first to final Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course) and five charts shall be

added annually. Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheets also. The charts may be on following subjects, namely:-

(a) Plant kingdom (10)

(b) Animal kingdom (10)

(c) Mineral kingdom (10)

(d) Ophidia groups (05)

(e) Spider family (02)

(f) Nosodes (01)

(g) Sarcodes (01)

(h) Imponderabilia (01)

(ii) Other creative charts (One each) shall be on following subjects, namely:-

(a) Characteristics of acute remedies;

(b) Characteristics of deep acting constitutional remedies;

(c) Characteristics of rare medicine;

(iii) Specimens: twenty-five different dry and wet specimens from all the kingdoms shall be kept in the Department.

(e) Photograph of the following founder and contributors in the field of homoeopathy Materia Medica mentioning the date of birth or death and brief sketch shall be displayed as per the following Table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Stalwart
1.	Dr. Samuel Hahnemann
2.	Dr. J.T.Kent
3.	Dr. Constantine Hering
4.	Dr. T.F.Allen
5.	Dr. H.C.Allen
6.	Dr. Richard Hughes
7.	Dr. J.H.Clark
8.	Dr. M.L. Tyler
9.	Dr. William Boericke
10.	Dr. C. Dunham
11.	Dr. E.A.Farrington
12.	Dr. E.B.Nash
13.	Dr. B.K.Bose
14.	Local or regional homeopaths of reputation

(2) Department of Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, museum and Departmental library: seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely:-

TABLE

S.No.	Designation	Number required
Teaching staff		
1.	Professor	01
2.	Associate professor	01
3.	Assistant professor	02
Non-teaching staff		
4.	Multi-Tasking Staff	01

A separate visiting faculty of the minimum cadre of Assistant professor withqualifications as specified in Third Schedule shall be engaged for teaching of fundamentals of psychology.

(d) Requirements in museum.– (i) Specimens or photos;

(ii) Teaching material: Catalogues containing acute and chronic cases (twenty acute and ten chronic cases): two copies each.

(iii) E-material software or videos or presentation or charts;

(iv) Charts or digital display or standees or photo panel: Out of all the charts mentioned below, five charts shall be displayed in museum and shall be changed after every four months. Charts shall be prepared by the students only and record to be maintained in A4 size sheets also: -

(a) History of medicine- 5 charts;

(b) History of Homoeopathy- 5 charts (World, India, State);

(c) Organon of medicine- 15 charts;

(d) Philosophy- 10 charts;

(e) Psychology- 5 charts.

(v) Topics for charts or digital display or standees or photo panel are as follows, namely:-

(a) What is Homoeopathy;

(b) Contents of Organon of Medicine;

(c) Various editions of Organon;

(d) Physician (mission, ideals of cure, qualification);

(e) Therapeutic law of nature;

(f) Modus operandi of homoeopathic cure;

(g) Comparison of different systems of medicine;

(h) Classification of diseases;

(i) Guidelines for case taking;

(j) Drug proving mentioning the methods, prover, guidelines;

(k) Drug Dynamization mentioning the methods, scales;

(l) Comparison of chronic miasm;

(m) One sided disease;

(n) Mental diseases;

(o) Intermittent diseases;

(p) Auxiliary measures;

(q) Fundamental principles of homoeopathy;

(r) Classification of symptoms;

(s) Logic- Inductive and Deductive;

(t) Susceptibility;

(u) Constitution (temperament, diathesis);

(v) Prognosis (observations after action of medicine);

(w) Prescriptions (first and subsequent);

(x) Comparison of concepts (J T Kent, H A Roberts, S.Close);

(y) Analysis or evaluation of symptom;

(z) Posology;

(za) Psychology (types);

(zb) Personality (types);

(zc) Emotions;

(zd) Behaviors and reactions;

(ze) Memory and intellect.

(vi) Other requirements in museum:-

(a) Photograph of the following founder and contributors in the field of Organon and Homoeopathic Philosophy mentioning the date of birth or death and brief sketch shall be displayed as per the following Table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Stalwart
1.	Dr. Samuel Hahnemann
2.	Dr. J.T.Kent
3.	Dr. Stuart Close
4.	Dr. Herbert A Roberts
5.	Dr. J.H.Allen
6.	Dr. R.E.Dudgeon
7.	Dr.Mahendralal Sarkar
8.	Dr.Babu Rajendra Lal Dutta
9.	Dr. B.K. Sarkar
10.	Dr.Diwan Harish chand
11.	Dr.K.G.Saxena
12.	Dr.Mahendra Singh
13.	Local or regional Homeopaths of reputation

(3) Department of Homoeopathic Pharmacy

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Designation	Number required
	Teaching staff	
1.	Professor or Associate Professor	01
2.	Assistant Professor	01
	Non-teaching staff	
3.	Lab Attendant	01
4.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

(i) Pharmacopeias (All volumes)

(a) Homoeopathic pharmacopeia of India -01 set.

(b) German homoeopathic pharmacopeia -01 set.

(c) Homoeopathic pharmacopoeia of United States-01 set.

(d) British homoeopathic pharmacopoeia -01 set.

(ii) Catalogue stating pharmacological action, general characteristics and clinical indications of the specimen: 2 copies.

(iii) Journals on practical or clinical record or herbarium shall be maintained.

(iv) Copy of the alcohol or spirit license or permission and utilization register, duly attested by Head of Department shall be maintained.

(v) Visit of students to Homoeopathic pharmacopoeia laboratory or a large-scale manufacturing unit of homoeopathic medicines having Good Manufacturing Practices compliance and approved by the Government authority. Record and attendance shall be maintained of such visit along with certificate of visit.

(e) List of equipment for pharmacy Department shall be as per Appendix-1.

(f) Following charts or digital display or standee or photo panel are required in the Department and charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also:-

(i) Homoeopathic pharmacopoeia (all volumes);

(ii) Sources of drugs;

(iii) Homoeopathic Pharmaceutical Codex;

(iv) Standardisation of drugs – organoleptic evaluation;

(v) Standardisation of drugs – microscopic evaluation;

(vi) Standardisation of drugs – physical evaluation;

(vii) Standardisation of drugs – chemical evaluation;

(viii) Standardisation of drugs – biological evaluation;

(ix) Preservation of drugs and potencies;

(x) Vehicle – solid vehicle;

(xi) Vehicle – liquid vehicle;

(xii) Vehicle – semi solid vehicle;

(xiii) Preparation of homoeopathic drugs – Hahnemannian method;

(xiv) Preparation of homoeopathic drugs – new method;

(xv) Scales of potentisation;

(xvi) Methods of potentisation;

(xvii) Principles of posology;

(xviii) Prescription writing;

(xix) Pharmaconomy;

(xx) Various types of external applications;

(xxi) Hahnemannian drug proving;

(xxii) Homoeopathic pathogenetic trial;

(xxiii) Phytoconstituents;

(xxiv) Homoeopathic pharmacy Acts and rules;

(xxv) Various types of drug actions;

(xxvi) Indian medicines and their local names.

(g) Herbarium: 20.

(h) Laminated photos of drug sources should be as per detail given below: -

(i) Vegetable kingdom;

(ii) Animal kingdom;

(iii) Mineral kingdom;

(iv) Nosodes;

(v) Sarcodes;

(vi) Imponderabilia;

(vii) Synthetic sources.

(i) Models in Department should be as follows: -

(i) Potentiser;

(ii) Triturator;

(iii) Globule making pan.

(j) Total number of specimens required are as follows:-

(i) Vegetable: a) dry specimen-50;

b) Fresh or wet specimen-20;

(ii) Animal - 10;

(iii) Chemical – 20.

(k) Herbal garden should have following:-

(i) No. of species planted-30;

(ii) Plants on pots -30;

(iii) Adequate irrigation facility and training.

(4) Department of Repertory and Case Taking

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library**:** Seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl.No	Designation	Numberrequired
	Teaching staff	
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
	Non-teaching staff	
4.	Multi-tasking staff	01

(d) Requirements in Museum:- (i) The Department shall be equipped with ten computers which shall be upgraded to latest configuration from time to time with necessary accessories along with five different homoeopathic software packages consisting of different repertories like Kent, Boger Boenninghausen, Boericke, Phatak, Synthesis, Murphy and Complete Repertory.

(ii) Fifteen charts or digital display or standees or photo panel on repertory shall be provided on following topics. Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also:-

(a) Evolution of repertories;

(b) Definition of repertory, its need and uses;

(c) Classification of repertories;

(d) Process of cross repertorization;

(e) Boenninghausen evaluation order of symptoms or approach;

(f) Kent's evaluation order of symptoms or approach;

(g) Boger's evaluation order of symptoms or approach;

(h) Kent's repertory editions;

(i) Card repertories;

(j) Repertorial syndrome and potential differential field;

(k) Conceptual image;

(l) Regional repertories;

(m) Repertory software;

(n) Analysis and evaluation of symptoms;

(o) Case taking and repertory.

(e) Photograph of the following founder and contributors in the field of homoeopathy repertory mentioning the date of birth or death and brief sketch shall be displayed as per the following Table, namely: -

TABLE

S.No.	Name of Stalwart
1.	Dr. Samuel Hahnemann
2.	Dr. J.T.Kent
3.	Dr. C.V. Boenninghausen
4.	Dr. C.M.Boger
5.	Dr.G.H.Jahr
6.	Dr.S.R.Phatak
7.	Dr.Jugal Kishore

8.	Dr.Ramanlal P Patel
9.	Dr. Frederik Schroyens
10.	Dr. Roger van Zandvoort
11.	Dr. Robin Murphy
12.	Dr.D.P.Rastogi
13.	Local or regional homoeopaths of reputation

(5) Department of Human Anatomy

(a) Space required for teachers and supporting staff, dissection hall, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters;

(b) License shall be as per the Extant provisions of the applicable laws;

(c) Staff qualification shall be as per the Third Schedule;

(d) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Designation	Numberrequired
Teaching staff		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
Non-teaching staff		
4.	Laboratory Attendant	01
5.	Cadaver Assistant	01
6.	Multi- Tasking Staff	01

(e) There shall be well ventilated dissection hall with wash basin and storage for cadaver in every medical institution.

(f) Requirements in museum: Department shall have models, specimens, bone set, articulated skeletons, histology and embryology models or slide for demonstration -

(i) No. of models- 20;

(ii) No. of charts or Digital display or standees or photopanel-30 (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also);

(iii) Histology slides- 50;

(iv) Soft part of all viscera- system wise- 25;

(v) Bones -

(a) Complete bone set – 06 (3 male and 3 female);

(b) Articulated & dis-articulated skeletons – 02;

(vi) Sample of x—ray films, Computed Tomography scan, Magnetic Resonance Imaging, Ultrasonography reports for applied anatomy – 25;

(vii) Journal: (a) Histology journal- details of all histology slides and organ slides;

(b) Gross anatomy journal.

(g) List of equipment required for anatomy lab shall be as per Appendix – 2

(6) Department of Human Physiology and Biochemistry

(a) Space for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Designation	Numberrequired
	Teaching staff	
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
	Non-teaching staff	
4.	Laboratory Attendant	01
5.	Laboratory Technician	01
6.	Multi- Tasking Staff	01

(d) List of equipment required for physiology lab shall be as per Appendix -3.

(e) List of equipment required for biochemistry lab shall be as per Appendix -4.

(7) Department of Forensic Medicine and Toxicology

(a) Space for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library : Seventy five square meters

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

TABLE

Sl.No	Designation	Numberrequired
	Teaching staff	
1.	Professor or Associate Professor	01
2.	Assistant Professor	01
	Non-teaching staff	
3.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

(i) Models of the following, namely:-

(a) Vertical section of tooth;

(b) Hair root;

(c) Patterns of fingerprints;

(d) Cadaveric spasm;

(e) Marbling sign;

(f) Patterned abrasion;

(g) Color changes in bruise;

(h) Laceration;

(i) Incised wound;

(j) Chop wound;

(k) Stab wound;

(l) Wound of entry and wound of exit;

(m) Coup and countercoup injuries;

(n) Intracranial haemorrhage;

(o) Fix knot and slip knot;

(ii) Charts or Digital display or standee or photo panel and certificate formats (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A 4 size sheet also) of the following, namely:-

(a) Purpose or objects of autopsy;

(b) Rules of autopsy;

(c) Autopsy report format;

(d) Signs of death- immediate, early, late;

(e) Rigor mortis- onset and duration;

(f) Medical certificate and reports intimation to police;

(g) Accident register format;

(h) Wound certificate;

(i) Age estimation format;

(j) Age certificate;

(k) Examination of rape victim;

(l) Examination of accused of rape or sodomy;

(m) Performa for examination of potency or impotency of male;

(n) Certificate of potency or impotency of female;

(o) Duties of medical practitioner in medico-legal cases.

(e) Toxicological specimens: 35 (as per syllabus)

(f) Weapons (blunt, sharp and pointed) : 20

(g) The sufficient copies of the relevant Acts and regulations to be kept in every medical institutions.

(h) List of equipment for forensic medicine and toxicology lab shall be as per Appendix -5.

(i) Records of students visit to district courts and hospitals to observe court proceedings and postmortem.

(8) Department of Pathology and Microbiology

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl.No	Designation	Numberrequired
	Teaching staff	
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01

Non-teaching staff		
4.	Lab technician	01
5.	Lab attendant	01
6.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

(i) Histopathology slides – 25;

(ii) Models – 20.

(e) List of equipment for pathology and microbiology lab shall be as per Appendix-6.

(9) Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl.No	Post	Numberrequired
Teaching staff		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01
Non – teaching staff		
4.	Statistical Assistant	01
5.	Multi- Tasking staff	01

(d) Requirements in museum:- (i) Models of the following, namely:-

(a) Slow sand model;

(b) Rapid sand model;

(c) Sanitary well model;

(d) Insanitary well model;

(e) Research cum action latrine model;

(f) Septic tank latrine model;

(g) Life cycle of 4 types of mosquito model;

(h) Life cycle of malaria parasite model;

(i) Life cycle of filaria model;

(j) Smokeless chullah;

(k) Life cycle of important Helminthes;

(l) Ideal well model.

(ii) Chart or Digital display or standee or photo panel and diagrams (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheetalso) of the following, namely:-

(a) Concept of health and disease;

(b) Epidemiology of communicable diseases;

(c) Immunization and immunization schedule;

(d) Homoeoprophylaxis;

(e) Demography and family planning;

(f) Health information and biostatistics;

(g) Non-communicable disease;

(h) Information, education, communication and counselling;

(i) Diet, nutrition and nutritional problems and programme;

(j) National health programmes;

(k) International health agencies;

(l) Noise, light, radiation and meteorology;

(m) Environmental sanitation, latrine;

(n) Water and sewage treatment;

(o) Bio-medical waste management;

(p) Wand washing, standard precaution, personal protective equipment;

(q) Medical entomology;

(r) Occupational health;

(s) Smoking, alcoholism & drug addiction;

(t) Health administration and health care delivery system;

(u) Energy requirement and energy utilization;

(v) Important days and weeks of public health;

(w) Screening of diseases;

(x) Other material concerning communicable diseases, diet, prophylactics, National health programmes.

(y) Research Methodology and Biostatistics charts or Digital display or standees or photo panel of the following, namely:-

(i) Care guidelines check list;

(ii) International standards for clinical trial registries;

(iii) Clinical study reports;

(iv) Good clinical practices;

(v) Pharmacovigilance.

(iii) Statistical software.

(iv) The following visit required for homoeopathic undergraduate students and proper record of each visit shall be maintained, namely:-

(a) Water treatment plant;

(b) Milk pasteurisation plant;

(c) Primary health center;

(d) Sub-center or anganwadi center;

(e) Old age home;

(f) Industrial units;

(g) Infectious disease Hospital;

(h) Health mela or health check-up camp;

(i) Rehab center for physical and mental disabilities;

(j) Mental health facility including remand home, asylum, child care centers.

(e) List of equipment in Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics shall be as per Appendix-7.

(10) Department of Surgery

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: Seventy five square meters.

(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

TABLE NO

Sl. No	Designation	Number required
Teaching staff		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01
Non-teaching staff		
4.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:- (i) Charts or Digital display or standees or photo panel (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also) of the following, namely:-

(a) Differential diagnosis of swelling or examination of swelling;

(b) Types of ulcer or classification of ulcer;

(c) Tumor classification;

(d) Hernia classification;

(e) Types of injury;

(f) Sinus and fistula;

(g) Classification of burns and Rule of Nine in burns;

(h) Types of hemorrhage;

(i) Varicose vein;

(j) Types of shock;

(k) Peptic ulcer;

(l) Acute appendicitis;

(m) Acute pancreatitis;

(n) Acute intestinal obstruction;

(o) Acute cholecystitis with cholelithiasis;

(p) Differential diagnosis of acute abdomen;

(q) Causes of abdominal pain according to the region of abdomen;

(r) Renal stone types;

(s) Remedies of renal stone;

(t) Inguinoscrotal swelling types;

(u) Types of fracture;

(v) Remedies of injuries;

(w) Glasgow's coma scale;

(x) Types of neck swelling;

(y) Instruments in surgery.

(ii) The following list of specimen, namely:-

(a) Lipoma;

(b) Cyst;

(c) Corn;

(d) Transurethral resection of the prostate;

(e) Cholecystectomy;

(f) Appendix;

(g) Ganglion;

(h) Renal stones treated by homoeopathy;

(i) Bladder stone;

(j) X-ray of fracture;

(k) X-ray of Intestinal Obstruction, Sinusitis, Osteoarthritis Knee, Spondylosis and Spondylolisthesis;

(l) X-ray of pneumonia, Emphysema and Bronchiectasis.

(e) List of instruments for the demonstration to students in Department of Surgery shall be as per Appendix -8.

(11) Department of Gynecology and Obstetrics

(a) Space for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library = Seventy five square meters.

(b) Staff qualification as per Third Schedule.

(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

TABLE

Sl.No	Designation	Number required
	Teaching staff	
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01
	Non-teaching staff	
4.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

(i) List of instruments required in Department of Gynecology and Obstetrics shall be as per Appendix-9.

(ii) Specimen required in the department are as detailed below, namely: -

TABLE

S.No.	Specimen	No. required
1.	Normal uterus with cervix	01
2.	Placenta with foetal membranes	01
3.	Uterine fibroid	01
4.	Simple ovarian cyst	01

5.	Chocolate cyst	01
6.	Abortus	01

(iii) Models required in the department are as detailed below, namely:-

TABLE

S.No.	Model	No. required
1.	Dummy pelvis	01
2.	Dummy baby	01
3.	Labor maneuver	01
4.	Foetal skull	01

(12) Department of Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology

(a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and departmental library : Seventy five square meters
(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl. No	Designation	Numberrequired
	Teaching staff	
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
	Non-teaching staff	
4.	Multi- Tasking Staff	01

A separate visiting faculty with a minimum designation of Assistant professor having qualifications as specified in Schedule III shall be engaged for teaching ofessentials of pharmacology.

(d) **Requirements in museum :-** (i) Charts or digital display or standees or photo panels (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also) of the following, namely:-

(a) Causes of breathlessness;

(b) Types of murmur and associated clinical conditions;

(c) Non-abdominal elements of Gastro intestinal examination;

(d) Abnormal auscultation sounds in Gastro intestinal examination;

(e) Glasgow coma scale;

(f) Types of gait;

(g) The cardiovascular system examination;

(h) The respiratory system examination;

(i) The abdominal examination;

(j) The genitourinary system examination;

(k) The nervous system examination;

(l) Clinical examination in blood disorders;

(m) Endocrine system examination;

(n) Normal hematological and biochemical values;

(o) Pulmonary function test study chart.

(ii) Models of the following, namely:-

(a) Lung volumes;
(b) Nail diseases;
(c) Edema – types;
(d) Cardiac valves – and murmurs;
(e) Respiratory pathologies – differentiation;
(f) Breath sounds –normal and abnormal;
(g) Added sounds – pathologies;
(h) Trachea – shifting, causes and differentiation;
(i) Circle of Willis – pathologic association with cerebral blood vessels anddifferentiation;
(j) Nephrotic and nephritic syndrome – clinical differentiation;
(k) Right heart failure v/s left heart failure.

(iii) X-ray films of the following, namely:-

(a) Chest

(i) Normal chest;

(ii) Interstitial lung disease;

(iii) Atelectasis of lung;

(iv) Segmental and lobar opacities of lung;

(v) Multifocal ill-defined opacities;

(vi) Diffuse fine nodular opacities;

(vii) Nodules and masses in lung;

(viii) Solitary or multiple lucent lesions of lung;

(ix) Pneumothorax;

(x) Pleural effusion or hemothorax or empyema;

(xi) Emphysema;

(xii) Cardiomegaly.

(b) Abdomen

(i) Intraperitoneal air;
(ii) Bowel obstruction;
(iii) Stones;
(iv) Pancreatic calcifications.

(c) Intravenous pyelogram

(d) Cervical spine and lumbar spine

(e) Knee and ankle

(iv) Computed Tomography scan of the head:-

(a) Haemorrhage – intra-parenchymal, subarachnoid, subdural, epidural;

(b) Trauma;

(c) Stroke – ischemic, haemorrhage;

(d) Mass effect;

(e) Hydrocephalus.

(v) Computed Tomography scan of chest and thorax

(vi) Reports:-

(a) Endoscopy report;
(b) Colonoscopy report.
(vii) Instruments:-
(a) Forceps or adson;
(b) Forceps or brain tissue or forceps or debakey or sponge;
(c) Clamp or bulldog or crafoord or hemostat or Kelly;
(d) Tracheostomy tube;
(e) Ryles tube;
(f) Bone marrow biopsy needle;
(g) Liver biopsy needle;
(h) Red rubber catheter;
(i) Spirometer – hand held;
(j) Electrocardiogram machine.

(13) Yoga for Health Promotion

A well-planned yoga Department shall be available in all the medical institution. This Department may be situated in college or hospital building.

(a) Space for yoga instructor, supporting staff and equipment: forty square meters.
(b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
(c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

TABLE

Sl.No.	Designation	Required number
1.	Yoga instructor	02 (One male and one female)
2.	Multi-Tasking Staff	01

(d) List of equipment required in Department of yoga for Health promotion shall be as per Appendix-10.

C. Units. –

Medical Education Technology Unit

(1) Space required for teachers and supporting staff : forty square meters.-

There shall be a medical education technology unit for faculty development and for providing teaching or learning resource material. The requirements of this unit shall be as specified in these regulations and by notification from time to time by the National Commission for Homoeopathy. Periodical training on technology used in teaching shall be imparted to the faculty by the medical institution or University. The certificate of participation of each faculty shall be documented in the unit for verification during inspection. Principal or director shall be the in-charge of the medical education technology unit. One of the professors, who has attended medical education technology workshop conducted by University or National Commission for Homoeopathy shall be appointed as coordinator. Principal shall co-opt one faculty from pre or para clinical Department, one from clinical Department and one from homoeopathic Department for a period of three years on rotation basis. Functions of the Department shall, inter alia, be as follows, namely:-

(a) Curriculum planning and implementation of Competency Based Dynamic Curriculum as directed by the Commission;
(b) Evaluation of teaching and training programme;
(c) Conduct workshop for faculty in areas of medical education technology;
(d) Conducting research in Medical Education.

(2) List of equipment required in Medical Education Technology Unit shall be as per Appendix 11.

D. Infrastructure requirements of the medical institutions: –

TABLE

S. No.	Particulars	Built uparea (In square meters)
(Applicable for students' intake up to one hundred and for students' intake from one hundred and one to one hundred and twenty five having ten percent reservation for economically weaker section seats)		
1.	**Administrative area** This shall include principal room, reception, visitor's room, committee room, administration and account section, record room, server room for computer network, separate toilet for male and female on each floor of building.	**200**
2.	**Lecture halls–05** There shall be five lecture halls with facilities of electricity, fans and cooler or air conditioner (except colleges in the hilly areas) each having the area of not less than one hundred and twenty five square meter, with provision for audio-visual and internet facilities and shall be enabled for e-learning.	**625**
3.	**Seminar or examination hall** A large hall with sitting capacity for minimum of three hundred students shall be made available within the college premises for conducting meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling and other allied activities. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system with internet facilities and air-conditioning.	**250**
4.	**Central library** **(a)** Library shall be air conditioned (except colleges in the hilly areas) with good lighting and adequate space for stocking the books and journals. **(b)** There shall be the provision for reading rooms with sitting capacity for at least eighty to one hundred students, reading room for faculty, separate reading room for post-graduate students, room for librarian and other staff, room for stocking old books, journals and other materials related to the library. **(c)** There shall be at least three thousand books on specified subjects with addition of two hundred books each year. The library shall have newspapers [one national (English) and one vernacular language] or newsletters and printed journal (specifically for the subjects to be taught) **(d)** A computer room with computer nodes for at least ten percent of the annual intake of students along with internet facilities. **(e)** There shall be facility of e-library or digital repository with book and periodicals and access to e-journal. **(f)** There shall be evidence for full annual subscription of minimum five journals including e-journal. **(g)** Library should be equipped with photocopy machine, printers and scanners. There must be regular posting of one librarian and one assistant librarian as per the qualifications mentioned in Third Schedule.	**200**
5.	**Teaching Department** There shall be thirteen teaching Department for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course and area wise requirement is as detailed below, namely:-	
	Name of the Department	**Space required (In square meters.)**
(a)	Homoeopathic Materia Medica (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75

(b)	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(c)	Homoeopathic Pharmacy (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Laboratory with museum cum demonstration room	175
(d)	Homoeopathic Repertory and Case Taking (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Computer laboratory and demonstration room	75
(e)	Human Anatomy (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Well ventilated dissection hall with wash basin and storage for cadaver (iii) Museum with facility of histology demonstration	175
(f)	Human Physiology and Biochemistry (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Separate laboratories for hematology and biochemistry, (iii) Museum and demonstration room for clinical physiology	175
(g)	Forensic Medicine and Toxicology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(h)	Pathology and Microbiology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Laboratory with museum cum demonstration room	175
(i)	Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	100
(j)	Surgery (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(k)	Gynecology and Obstetrics (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(l)	Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(m)	Yoga for health promotion (i.) Room for yoga instructor and support staff	40
6.	Medical education technology unit	40
7.	Common rooms for boys and girls with adequate sitting arrangements and locker	60
8.	Canteen facility in the college premises	200
	Total area	**2940**

Note:- The space requirement in square meters shall not be made applicable for the colleges with sixty seats established prior to the date of notification of this regulation except the serial number 5(i), (m) and 6. However, all space requirements as mentioned above in the table shall be fulfilled by all the existing colleges with one hundred seats within the period of five years from the date of notification of this regulation except serial number 5 (i), (m) and 6 which should be fulfilled from the date of notification of this regulation along with all other facilities as mentioned above in table.

E. Staff of the medical institution. –(1) The Requirement of the Principal or Director or Dean shall be as follows namely:-

S.No.	Designation	Up to 100 admissions
1.	Principal or Director or Dean or Head of institution	01

(2) Teaching staff:-

(a) There shall be minimum teaching staff for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree course as specified in the Table below:-

TABLE

S.No.	Name of the Department	Up to 100 admissions		
		Professor	**Associate professor**	**Assistant professor**
1.	Homoeopathic Materia Medica	1	1	2
2.	Organon medicine Homoeopathic Philosophy Fundamentals	1	1	2
3.	Homoeopathic Pharmacy	1 Or 1		1
4.	Homoeopathic Repertory and Case Taking	1	1	2
5.	Human Anatomy	1	1	2
6.	Human Physiology and Biochemistry	1	1	2
7.	Forensic Medicine & Toxicology	1 Or	1	1
8.	Community Medicine,Research Methodology and Biostatistics	1	1	1
9.	Pathology and Microbiology	1	1	1
10.	Surgery	1	1	1
11.	Gynecology and Obstetrics	1	1	1
12.	Practice Medicines of Essentials with Pharmacology of	1	1	2
	Total	**40**		

Note: -The requirement of minimum teaching staff as mentioned above in the table shall be fulfilled by all the existing colleges within the period of one year from the date of notification of this regulation.

(3) The Teaching Staff of all Departments or subjects shall be full-time only and the following provisions shall be considered namely:-

(a) Additional higher cadre faculty available in a Department shall be considered for the vacant lower cadre in the same Department;

(b) Contract appointment on temporary basis shall be done against the vacant positions of teaching faculties due to deputation or lien, for the equivalent period of deputation or lien within a period of three months from the date of relieving of teaching or non-teaching staff on deputation or lien;

(c) The responsibility of the Head of the Department shall be delegated essentially in rotational manner for a period not exceeding three years among the senior faculty of the concerned department but not below the level of Associate Professor;

(d) A separate visiting faculty with a minimum designation of Assistant professor having qualifications as specified in the Third Schedule shall be engaged for teaching essentials of modern pharmacology;

(e) A separate visiting faculty of the minimum designation of Assistant professor having qualifications as specified in Third Schedule shall be engaged for teaching of fundamentals of psychology;

(f) For teaching yoga in context to Homoeopathy, a male and female yoga instructor shall be appointed on regular basis with qualifications as specified in these regulations in the Third Schedule;

(g) One statistical assistant for the statistical work of the college and attached hospital shall be appointed to assist the teachers in the Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics with qualification as specified in these regulations;

(h) Time bound carrier progression scheme with financial upgradation and designation for the full-time teaching and non-teaching staff who are stagnant for eight years or more in the same designation, shall be made available by the concerned authority and uploaded on the website of the Institution. The financial and designation upgradation shall be as per the table under (5) of clause (E) of the First Schedule of these regulations.

(i) The appointment and promotion order shall contain the details of post, name of the Department, date of promotion, mode of appointment like full time or part time or visiting faculty and type of employment (regular or contractual) along with the term of appointment;

(j) Faculty or staff shall be posted on contract or probation only for a period of one year or as per the extent State Government or Central Government rules. No teacher shall be eligible for regular posting unless he has satisfactorily completed his probation in the category in which he was appointed.

Note. - Staff Required For The Medical Institution And Hospital Must Be Notified To The Commission Every Year. In Case Of Resignation Or Removal Of Any Staff From The Institution, The Same Must Be Notified And Intimated Along With Proper Documents To The Commission. New Appointment Made Thereafter By The Institution Shall Be Informed To The Commission Within A Period Of Three Weeks From The Date Of Appointment.

(4) Practicing consultant of Modern medicine or Homoeopathy:-

(a) To ensure the exposure of students to experienced professional, it is essential to provide adequate number of practicing consultants as visiting faculty from modern medicine and Homoeopathy. This will be in-addition to the staff required for the hospital and college;

(b) This visiting faculty, however, shall not be counted for the faculty requirement laid down in these regulations;

(c) Specialists from modern medicine and Homoeopathy for experience sharing and discussion, diagnosis and management of doubtful and difficult cases, shall be appointed in the medical institution;

(d) Documentary evidences such as attendance and feedback from the students shall be kept in Department of practice of medicine;

(e) The medical institution shall appoint practicing consultant with proven clinical repute from modern medicine having post-graduate medical qualification or Diplomate of National Board or Diploma in Child Health or Diploma in Dermatology, Venerology and Leprosy as recognised by National Medical Commission in the subject concerned along with the professional experience of not less twenty years. While for Homoeopathy, professional experience of not less than fifteen years for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree holder and not less than ten years for M.D.

(Hom.) degree holder as recognised by the National Commission for Homoeopathy;

(f) The practicing consultant shall be from Homoeopathy and specialties such as cardiology, pediatrics, psychiatry, radiology, ophthalmology, rheumatology, pain palliative care, geriatrics, dermatology, nephrology, general medicine, neurology, gynecology, obstetrics, emergency medicine and critical care, surgery, dentistry, physiotherapy:

Provided that arrangements shall be made for minimum of four different types of lectures or interactive sessions from the above-mentioned subjects every month. A record of such interactions and students' participation is to be maintained.

(5) Salary of teaching and non-teaching staffs:-

(a) For the teaching and non-teaching staff of Government or Government aided institution or Government autonomous institution or Government University or self-financing medical institution including Central, Private, deemed University or State Private, deemed to be University, salary and allowances including non-practicing allowance shall be paid as specified in tables below respectively and there shall not be any discrepancy of salary structure between medical systems. Teachers and non–teaching medical officers who are paid non-practicing allowance shall not do clinical practice during non – college hours.

TABLE (For teaching staff)

S.No.	Post	Pay scale
1.	Assistant Professor	level-10 in pay matrix (56,100-1,77,500).
2.	Associate Professor	level-12 in pay matrix (78,800-2,09,200).
3.	Professor	level-13 in pay matrix (1,23,100-2,15,900).
4.	Principal or Head of the institution	level-13A in pay matrix (1,31,100-2,16,600).

(i) Note : The Librarian shall be considered under the teaching faculty cadre as defined by the University Grant Commission. It is essential for every self-financing medical institution including Central, Private, deemed University or State Private, deemed to be University to provide at least basic pay mentioned in the above cited table for the respective teaching cadre. This shall be the minimum specified salary and not be restrictive for higher salary structure if already being paid. However, all applicable allowances may be paid as per respective employer's policy and annual increment with respect to the year of experience to the concerned cadre or post.

TABLE (For Non-Teaching Staff)

Post	Pay Scale
Lab Attendant, Lab Technician, Library Assistant, Office superintendent, Accountant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Data Entry Operator, Pharmacist, X-ray technician and attendant, Nursing staff, Storekeeper, Receptionist, Dresser, Office assistant /Multi- Tasking Staff and Ward boys or Aya	Salary of non-teaching staff of medical institution and hospital shall not be less than minimum wages as specified by the respective State or Central Government for skilled and non-skilled manpower.

(b) Corresponding pay structure as applicable be adopted as and when the Central Pay Commission revise pay scales.

(c) Salary of Resident medical officer in collegiate hospital shall not be less than Rs.55000/- per month and that of senior medical officer shall not be less than the Rs.65000/- per month.

(d) The salary shall be credited to the salary account through bank transfer from the dedicated account of the medical institution to the teachers and all other staff. Necessary facilities such as provident fund or employees state insurance, gratuity, encashment of leaves and such others shall be provided by the medical institution and income tax deduction certificate such as form 16 or 16A shall be issued by the college to the teacher as per the prevailing norms.

Note: *Principal shall be the signing authority or one of the signing authorities for the operation of bank account of medical institution.*

(6) Age Of Superannuation Of Teaching And Non-Teaching Staff . – (A) The Age of Superannuation of Teaching and Non-Teaching Staff Shall Be As Per The order of The Central Government or State Government or Union Territory Administration. Retired Teachers, Fulfilling The Eligibility Norms of Teachers May Be Re-Employed Upto the age of Sixty-Five Year As Full Time Teacher. However, Such Re-Employed Teachers Shall Not Be Given Any Administrative Charge.

(b) From The Age of Sixty-Five Year And Till The age of Sixty-Seven Year, Teachers Can Be Re-Employed For The Post-Graduate Teaching. They However, Should Full-Fill The qualifications Required as per the Designation Mentioned In Third Schedule.

(7) Unique Teacher's Code. – (a) A Unique Teacher's Code For All Eligible Teachers Shall Be Allotted By The Commission After Their Appointment In The College Through An Online Faculty Management System On Application Within Fifteen Working Days. This Shall Be Continuously Monitored Through The Online Faculty Management System;

(b) Concerned faculty shall update profile in the online teacher management system from time to time with respect to change in their status and qualification, designation, posting and superannuation and such other details;

(c) The commission shall have the power to withdraw or suspend or withhold or cancel teacher's code on ethical and disciplinary grounds or if the teacher discontinued the teaching or not joined to any institution for any reason or on superannuation or on demise or on such other similar or other related events. If discontinued, he may rejoin the teaching profession with the same teacher's code after making fresh application to the National Commission for Homoeopathy.

(8) Technical, Administrative And Supporting Staff: (1) The Technical And Other Staff In Various Departments And Units Of The Medical Institutions Shall Be As Per The Following Table, Namely:-

TABLE

Sl. No.	Department	Staff (Technical and Non-technical)	No. Required
1.	Anatomy	Laboratory attendant	1
		Cadaver assistant	1
2.	Physiology includingbiochemistry	Laboratory technician	1
		laboratory attendant	1
3.	Homoeopathic Pharmacy	Laboratory attendant	1
4.	Pathology and microbiology	Laboratory technician	1
		Lab attendant	1
5.	Library	Librarian	1
		Library assistant	1
6.	Administrative staff	Office superintendent	1
		Accountant	1
		Upper Division Clerk	1
		Lower Division Clerk	1
		Data entry operator	1
		Multi- Tasking Staff in admin section	02
7.	Multi- Tasking Staff	In all the departments	13

2. The medical institution shall provide adequate supportive staff in each of the Department, laboratory, library, museum and administrative section. The watch and ward duty, transport and sanitation shall be provided by the medical institution from outsourcing or by appointment, as the case may be.

THE SECOND SCHEDULE

[(See clauses (a) and (b) of regulation 5 and clause (a) of regulation 9)]

Requirement of Homoeopathic Collegiate Hospital

A. General

(1) At the time of submission of application to the medical assessment and rating board under the National Commission for Homoeopathy for grant of permission for establishment of medical institution for course not below the graduate degree or Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course, there shall be a fully functional hospital having valid registration with state health authority, existing for at least one year with all necessary infrastructure like out-patient Department, indoor wards, operation theaters, laboratories etc. as specified under these regulations. Registration certificate from pollution control board shall be obtained.

(2) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or Local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission or clearance to the National Commission for Homoeopathy. The concerned State Government or Union territory Administration shall verify the availability of such permission or clearance with one year validity before issuing the no objection certificate to such applicant medical institution.

(3) All Teaching Homoeopathic Hospital Shall Have To Apply For National Accreditation Board For Hospitals Accreditation Within A Period of one Year of Notification of These Regulations In Official Gazette. The Hospital Shall obtain Entry Level Certificate Within A Period of one Year of Registration And Full Accreditation Within Two Years After obtaining Entry Level Certification.

(4) Out-Patient Department Shall Have Adequate Reception And Patient Waiting Area, Consultation Or Examination Room. A First-Aid Kit Also Be Kept In Outdoor Department.

(a) Furniture or Fixture or Equipment Requirements: - For out-patient Department, furniture or equipment shall be as per Appendix- 12

(b) Peripheral out-patient Department:-

(i) Teaching hospitals may establish maximum of ten peripheral Out-patient Departments within the range of ten to twenty-five kilometers from main hospital to provide effective affordable health care services to theperipheral population, clinical exposure to the students and to function as a secondary level referral center for the teaching hospital.

(ii) Information on daily Central out-patient Department and number of referrals from peripheral out-patient Department shall be recorded in register and case records are to be maintained and clubbed with record of out-patient Departments in the collegiate hospital.

(iii) Other requirements and staff from the collegiate hospital shall be utilised for the functioning of peripheral out-patient Department. Agreement with respect to space allotted for peripheral out-patient Departments, own or leased must be made available. Record showing functionality of minimum one year shall be maintained. Documents related to possession of building and out-patient Department or in-patient Department data shall be maintained.

(5) The Hospital Shall Be Suitably Spacious To Accommodate Out-Patient Department And In-Patient Department In Addition To Reception, Patients, Waiting Area, Dispensing Room, Dressing Room, Clinical Laboratory, Radiology Section, Medical Record-Room, Operation Theatre, Labor Room, Store Room, Separate Wards For Male And Female, Duty Rooms For Doctors, Nurses, Other Staffs And Clinical Teaching Room Required For A Functional Hospital And The Specification Of Built-Up Area In The Attached Hospital Shall Be As Specified In These Regulations.

(6) The Medical Institution And Hospital Shall Maintain Computerised Central Registration System For Maintaining The Records Of Patients In Out-Patient Department And In-Patient Department, And Shall Also Maintain The Department Wise Out-Patient Department And In-Patient Department Records, Case Papers Of Out-Patient Department And In-Patient Department Patients, Laboratory And Radiological Investigation Reports, Medicine Dispensing Register, Diet Register For In-Patient Department Patients, Duty Roster Of Hospital Staff, Birth And Death Certificates, And Other Such Related Documents To Substantiate The Claim Of Genuine Functional Homoeopathic Teaching Hospital Fulfilling The Norms As Specified In These Regulations.

(7) Medical Record Management And Disposal.- (A) Mandatory Information To Be Recorded And Maintained As Per The Extant Rules Or Regulations Or Law Of The State Government Or Central Government Or The Union Territory Administration, As Applicable.

(b) Medical Records Of Indoor Patients May Be Stored In Digitised Form For At Least Past Ten Years Or As Per Availability. For Future, All Medical Records Of Indoor Patients Should Be Digitised On Regular And Continuous Basis And Kept Indefinitely For Future References Since It Contains Valuable Data Which May Be Required For Research And Policy Planning Purposes.

(c) The Hospital May Store Medical Records In Hard Copy Form As Mentioned Below, Namely:-

(i) In- patient's medical records, (that is, Case sheets etc.) - five years;

(ii) Out-patient Department records (OPD registers and duplicate OPD record if any)- five years;

(iii) Medico legal registers and case sheets - ten years or till the disposal of ongoing cases in any of the court related to these records.

(8) **(A)** In Case An Attached Hospital Of A Colleges Does Not Have The Facilities To Handle Critical Cases In The Operation Theatre, For The Purpose Of Exposure Of The Students In The Clinical Field And To Understand The Depth Of Operative Surgery And Operative Gynecology And Obstetrics As Well As Management In Critical And Surgical Cases, A College Shall Have A Memorandum Of Understanding, Signed Between Medical Superintendent Of Both The Hospitals, With A Reputed Nearby Located Multi-Specialty Hospital Of Modern Medicine Having All Required Facilities Namely:-

(i) Operation Theatre, Labor Room, Intensive Care Unit And Other Required Facilities For The Management Of Emergency Cases And Critical Patients;

(ii) All Radiological (Including Computed Tomography Scan, Magnetic Resonance Imaging, Ultrasonography) And Advanced Laboratory Investigation Facilities;

(iii) Hospital With Whom Memorandum Of Understanding Is Signed Shall Be Accredited National Accreditation Board Of Hospitals.

(B) Students of medical institution shall be deputed under the strict supervision of concerned teachingfaculty of the college for the required exposure in the said field to the attached multi-specialty hospital. Proper attendance record of visit of students shall be maintained.

(9) In-Patient Department: -

(A) Wards and rooms for in-patient Department:-

(i) general Medicine (Male And Female Ward Separately);

(ii) Pediatrics;

(iii) Surgery (Male And Female Ward Separately);

(iv) Obstetrics And Gynecology;

(v) Toilets And Bathroom (Separate For Male And Female);

(vi) Doctors' Duty Room;

(vii) Nursing Stations Or Duty Room For Nurses;

(viii) Pharmacy With Essential Medicines;

(ix) Record Room.

(B) (i) First-aid kit shall be available in In-patient Department. The In-patient Department (IPD) of the hospital shall have separate male and female wards, and distribution of beds shall be as specified in the Table below, namely :-

TABLE

Wards	**Distribution of beds inIn-patient department**
General medicine	50% (Acute 10% and chronic40%)
Surgery	20%
Obstetrics and Gynecology	20%
Pediatrics	10%

(ii) Furniture or fixture requirements for In-patient Department shall be as per Appendix – 13

(iii) Equipment or instruments for In-patient Department (IPD) shall be as per Appendix-14

(10) (A) The Requirement Of Number Of Beds, And Minimum Out-Patient Department Attendance Shall Be As Mentioned In The Table Below For Bachelor Of Homoeopathic Medicine And Surgery Course, Namely:-

TABLE

Intake capacity peryear	Minimum number of beds in in- patient Department	Minimum per day average number of patients in out- patient Department during last one calendar year (300days)
Up to 60 students	30	180
61-100 students	50	300

(B) Bed occupancy rate in In-patient Department during last one calendar year shall not be less than fifty per cent.

NOTE: -*Relaxation of out-patient Department and In-patient Department up to ten per cent. for medical institution in hilly areas and notified tribal areas shall be provided.*

(11) (A) THE HOMOEOPATHIC TEACHING HOSPITAL SHALL HAVE WELL-FURNISHED SEPARATE DISPENSARIES FOR ITS OUT-DOOR AND IN-DOOR DEPARTMENTS CONTAINING SUFFICIENT STOCK OF MEDICINE.

(B) The location of central pharmacy should be adjacent to out-patient Department on the groundfloor of collegiate hospital. There should be sufficient space for patients to sit and should contain educative posters on health, hygiene and offer literature for reading.

(C) Minimum staff requirement shall be as mentioned below:-

(i) Pharmacist: 01;

(ii) Dispenser: 02.

Qualification of above staff shall be as per Third Schedule.

(D) Infrastructure requirements and equipment:-

(i) suitable space for medicating and dispensing medicines;

(ii) provisions for water supply;

(iii) suitable space for washing bottles;

(iv) counter for dispensary;

(v) facilities required for store and dispensaries;

(vi) waste receptacle.

(E) Standard operating procedure for quality assurance shall be maintained.

(12) (A) Collegiate hospital shall have dedicated emergency room with adequate man power. It should preferably have a distinct entry independent of out-patient Department main entry so that a minimum time is lost in giving immediate treatment to casualties arriving in the hospital. There should be an easy ambulance approach with adequate space for free passage of vehicles and covered area for alighting of patients. Signage of emergency must be displayed at the entry of the hospital. Separate emergency beds must be provided.

Emergency unit to have all basic instruments required for examination of patient which shall include torch, thermometer, tongue depressor, knee hammer, B.P. apparatus, nebulizer glucometer, pulse oxymeter, needles, syringe, suturing material, scalpel, ryles tube, I.V. set, oxygen cylinder, mask with kit for inhalation and suction machine.

(B) Emergency unit shall be managed under the supervision of General Physician having qualification as specified in the Third Schedule. Duty roaster for doctors and nurses shall be displayed and maintained.

(C) Emergency Equipment shall be as per Appendix-15.

(D) Drugs segment includes the minimum essential drug which needs to be maintained in the facility.

(i) Anesthetics drugs shall be as per Appendix-16.

(ii) Emergency drugs shall be as per Appendix-17.

(13) Central Laboratories:-

(A) There shall be well equipped and updated central laboratory with proper infrastructure and as specified in these regulations for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigation on the patients referred from outdoor and indoor Department of the hospital. This laboratory in the collegiate hospital shall be accredited with National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hospital shall essentially have X-ray, E.C.G. facility. Hospital should also have facility of scanning and sonography equipment either in its own hospital or under Memorandum of Understanding with National Accreditation Board for Laboratories accredited Superspeciality hospital located in nearby area.

(B) Records of patients shall be maintained.

(C) List of equipment in lab shall be as per Appendix 18.

(14) Clinical Teaching Room.- The collegiate hospital shall have teaching room for each of the clinical departments for clinical cases discussions or demonstrations. The purpose of the clinical room is to provide practical experience for the students so that students acclimatise to clinical environments, develop professionally, interact with patients with more confidence, develop self- reflection and appraisal skills.

(15) Skill Laboratory -

(A) Every homoeopathic teaching hospital shall have a skill laboratory where students can practice and improve skills pre-specified in the curriculum. The purpose of skill laboratory is to provide asafe and non-threatening environment for students to learn, practice and be observed performing skills thus mitigating the risks involved in direct patient exposure without adequate preparation and supervision. The skill laboratory attempts to recreate the clinical environment and tasks which future health care workers have to perform.

(B) Skill Laboratory shall have: -

(i) room for demonstration of skills to small groups;

(ii) room for faculty coordinator and supporting staff;

(iii) adequate space for storage of dummy or other equipment or instruments like suturing material, needle, syringe, intravenous sets, plastering moulds, various types of catheters, enema, ryles tube and such others;

(iv) facility for video recording and review of the interaction for teaching communication skills;

(v) general physician attached to collegiate hospital or staff having completed course in emergency medicine and adequate supporting staff;

(vi) the teaching areas of the skill lab shall have provision for audio-visual and internet facilities and shall be enabled for e-learning;

(vii) Trainer simulator or models or dummy for.-

(a) First aid, Bandaging, splinting;

(b) Basic Life Support, Cardio Pulmonary Resuscitation;

(c) Various type of injections- Subcutaneous, Intra-muscular, Intra-venous;

(d) Urine Catheter insertion;

(e) Skin and Fascia suturing;

(f) Breast examination model;

(g) Gynecological examination model including Intra Uterine Contraceptive Device Training model.

(16) A Well-Equipped And Functioning Operation Theatre And Labor Room Shall Be Provided For Day ToDay Working.

(A) Equipment Requirements for Operation theater shall be as per Appendix-19

(B) Equipment Requirements for Anesthesia shall be as per Appendix-20

(17) (A) Hospital Shall Have A Separate Unit For Rehabilitation Including Physiotherapy And Yoga In The Hospital Premises. Twenty-Five Yoga Mats Shall Be Kept In The Collegiate Hospital. Posters And Charts On Yoga *Asanas* Need To Be Displayed In The Hospital. Register Of Yoga Sessions Conducted For Students And Patients Shall Be Maintained. Same Shall Be Periodically Verified By The Superintendent Of The Hospital. Students Shall Be Given Minimum One Hour Training (Year Wise) In Yoga Once In A Week.

(B) Equipment or instruments for physiotherapy unit shall be as specified below:-

(i) Diathermy machine -01;

(ii) Traction(cervical and lumbar)-01;

(iii) Physiotherapy cycle-01;

(iv) Ultrasound equipment-01;

(v) Interferential therapy machine-01;

(vi) Transcutaneous Electrical nerve Stimulaion-01;

(vii)Treatment Table- 01.

(18) Imaging Equipment Shall Be As Per Appendix-21

(19) Ambulance Shall Be Provided Essentially As A Part And Parcel Of Hospital Facilities. Basic Life Support Ambulance For Management Of Emergency Cases Shall Be Available With The Hospital To Transfer The Patients To The Referral Hospitals.

(20) All the hospitals with multi story building should have a stretcher lift located on appropriate place.

(21) Ramp shall be available for patients with disability.

(22) Wheel chair and stretchers shall be available in the porch or visiting area.

(23) The following registers are to be maintained in the hospital Department and laboratory (Central laboratory, SkillLab, Pharmacy, Clinical teaching room), namely:-

(a) dead stock register;

(b) equipment or instruments register;

(c) indent register;

(d) chemicals or solutions register;

(e) breakage register;

(f) medicines store register;

(g) medicine dispensing register;

(h) attendance register.

B. INFRASTRUCTURE REQUIREMENT

The hospital shall have built up area and infrastructure as given in Table below:-

TABLE

S.No.	Particulars	Built up area (in sq.mt.)
		Up to 100 (from 101 to 125*) students intake
1.	**Hospital administration block**	100
	(a) rooms for :	
	(i) Superintendent (ii) Public relation officer (iii) Deputy medical superintendent (iv) Staff nurse	
	(b) reception and registration	
2.	**Out-patient department**	220

(a)	(i) General Medicine (ii) Gynecology and obstetrics (iii) Surgery (iv) Pediatrics and child health	
(b)	(i) Dressing room (ii) Pharmacy store (iii) Waiting area for patient	
3.	**Clinical teaching room**: 04(thirty square meter area for each room)	120
4.	**Skill Laboratory**	100
5.	**In-patient department** (i) General medicine (male and female ward/ bed separately) (ii) Pediatrics (iii) Surgery (male and female ward separately) (iv) Obstetrics and Gynecology (v) Toilets and bathroom (separate for male and female) (vi) Doctors duty room (vii) Nursing stations or duty room for nurses (viii) Pharmacy (ix)Record room	450
6.	**Operation theatre unit** (i) Operation theatre (ii) Preparation room (iii) Post operative recovery room (iv) Space for sterilized linen (v) Labor room (vi) Room for surgeon or obstetrician or assistants (vii) Nursing staff room	100
7.	**Rehabilitation unit** (i) Physio-therapy (ii) Yoga clinic and hall (iii) Dietician	100
8.	**Central clinical laboratory** (i) Pathology and microbiology (ii) Bio-chemistry	30
9.	**Radiology and Sonography section** X-ray room, dark room, provisions for storing films and Chemicals	40

10.	**Pharmacy**	25
11.	**Emergency unit**	25
12.	**Hospital kitchen**	30
13.	**Stores**	30
	Total	1370

***College having ten percent. EWS seats.**

Note:- The said space requirement in square meters shall not be applicable up to five years for the medical institutions established prior to the date of notification of this regulation, except serial number 3,4, and 11. All facilities as mentioned above in the table shall be fulfilled by all the existing colleges.

C. Hospital Staff-

(1) The minimum staff required for the attached hospital shall be as specified in the table below and it shall be liable to increase proportionately in accordance with the increase in required bed strength. Qualification of the hospital staff shall be as per the Third Schedule.

TABLE

S. No	Name of the post	For 30 beds	For 31 to 50 beds	For 51-100 beds
(A)	Medical superintendent	1	1	1
(B)	Deputy medical superintendent*	1	1	1
(C)	General Physician **(Emergency medicine andcritical care)	1	1	1
(D)	Surgeon (general surgery) **	1	1	1
(E)	Obstetrician and Gynecologist**	1	1	1
(F)	Radiologist	On call	On call	On call
(G)	Pathologist or biochemist**	1	1	1
(H)	Medical officer	2	3	4
(I)	Resident medical officer	1	2	2
(J)	Anesthetist	On call	On call	On call
(K)	House physician(resident) ***	2	5	8
(L)	Public relation Officer or multipurpose social officer	1	1	1
(M)	Pharmacist	2	3	3
(N)	Laboratory technician	1	1	2
(O)	X-ray technician or radiographer	On call	1	1
(P)	Dresser	1	1	2
(Q)	X-ray attendant	On call	1	1
(R)	Nursing staff in-charge	1	1	1
(S)	Nursing staff ****	5	6-8	9-16
(T)	Operation theatre nurse	1	1	1
(U)	Operation theatre assistant	1	1	1
(V)	Ward boys or Ayas	4	7	9
(W)	Storekeeper	1	1	1

(X)	Registration clerk or receptionist	1	2	2
(Y)	Yoga instructor or physician	1	1	1
(Z)	Physiotherapist	On call	1	1
(ZA)	Dietician	1	1	1

(2) Every homoeopathic hospital shall engage adequate qualified staff for running the hospital smoothly.

(3) Auxiliary staff like lab attendant, dark room attendant shall be as per requirement.

(4) The college and hospital authorities shall make arrangements either by adequate staff of its own or through a contractor for looking after the jobs like cleanliness, gardening, watch and ward duties in the premises of the hospital. Copy of vendor contract with the agency with details of services shall be maintained.

(5) The teaching hospital shall have provision for laundry and dietetic services. Staff for these services shall be appointed or arranged through a contractor for providing adequate staff. Documents such as contract signed between the service provider and the superintendent of the hospital shall be maintained in the hospital. Minimum validity of Memorandum of Understanding with the service provider shall be at least for one year.

(6) Hospital reception, out-patient Department registration, in-patient Department registration, account section shall be properly manned and preferably computerized.

Note- * The principal shall be the medical superintendent of the attached Homoeopathic collegiate hospital under normal circumstances. However, if principal is unable to hold the post then the charge shall be given to deputy medical superintendent.

** teachers having required qualification in modern medicine in the Departments of practice of medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pathology and biochemistry working in college can be deputed as general physician, surgeon, obstetrician or gynecologist, pathologist and biochemist respectively amongst hospital staff.

*** for post-graduate level colleges, Doctor of Medicine (Hom.) students shall work as house physician in hospital attached to their college

**** Nursing staff to be recruited as per the Indian Nursing Council norms for the available bed strength.

THE THIRD SCHEDULE

[(See clause (a) of regulation 9)]

QUALIFICATIONS FOR TEACHING, NON-TEACHING AND HOSPITAL STAFF OFMEDICAL INSTITUTION AND ATTACHED HOSPITAL

A. GENERAL

(1) The Principal or Director, Medical Superintendent, Professors, Associate Professor and Assistant Professor, staff of college and hospital shall have the qualification and experience as specified in these regulations.

(2) All teaching staff appointed under these regulations should possess recognised post-graduate degree and their post-graduate degree should have been completed before the age of forty-five years:

Provided that this age criteria of forty-five years shall not be applicable to existing teaching staff appointed prior to these regulations.

(3) First recruitment as a teacher on various cadres shall be through National Teachers Eligibility Test and as per the provisions of National Commission for Homoeopathy (National Examination in Homoeopathy) Regulations, 2023.

(4) Teaching experience counted shall be of recognised homoeopathic medical institution or academic institution.

(5) Number of teachers appointed with post-graduate degree in anatomy, physiology, biochemistry, forensic medicine and public health from any University or institution recognised by the University Grant Commission in the respective Departments shall not be more than one inspecific Departments. They shall not be promoted as Head of Department.

(6) Promotion or transfer of existing teacher from one institution to another shall be as per the regulation effective at the time of his appointment:

Provided that, if there is any break in the continuity of teaching service of any teacher for a period of more than six months, fresh appointment shall be made as per the regulation in force.

B. QUALIFICATIONS FOR TEACHING STAFF OF HOMOEOPATHIC MEDICALINSTITUTION

(1) Principal or Director

(i) Essential qualification:

(A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy, and

(B) Holding a post of not less than the teaching cadre of professor in a degree level recognised homoeopathic medical institution for a period of not less than two years; or

an Associate professor with recognised post-graduate degree and teaching experience for a period of not less than seven years in the cadre of Associate professor.

(C) Must possess experience in administration for a period of not less than three years as head of Department or medical superintendent or deputy medical superintendent or any other administrative experience.

(D) Must have published at least three original publications as principal or co- author in an indexed or peer reviewed journals.

(ii) Desirable Qualification:

(A) Degree or diploma in administration or health administration from any recognised institution; and

(B) Five years of experience as supervisor or guide for post-graduate programme in homoeopathy; and

(C) Research experience as investigator in the project(s) registered with Clinical Trial Registry -India.

(2) Professor

(a) In Homoeopathic subjects namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon of Medicine and Homeopathic Philosophy, Homoeopathic Pharmacy, Homoeopathic Repertory and Case taking-

(i) Essential qualifications:

(A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy; and

(B) Not less than five years of teaching experience in the subject concerned as an associate professor; or

not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution.

(C) Must have published two original publications as Principal author or Co-author in indexed or peer reviewed journal.

(ii) Desirable qualifications:

(A) Experience of not less than five years as supervisor or guide for post-graduate programme in Homoeopathy; and

(B) Administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical

college or hospital.

(C) Research experience in a research institution recognised by the concerned University and or the State Government or Central Government or the Union territory administration, in a project registered with Clinical Trial Registry -India.

(a) In allied subjects, namely, Human Anatomy, Human Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology, Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics, Practice of Medicine With Essentials of Pharmacology, Pathology and Microbiology, Surgery, Gynecology and Obstetrics-

(i) Essential Qualification:

(A) Post-graduate degree in homoeopathy with not less than five years of teaching experience as an Associate Professor in the subject concerned or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution; or

(B) Post-graduate medical degree in the concerned subject recognised by the National Medical Commission with five years of teaching experience as an Associate Professor in the subject concerned or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a

homoeopathic medical institution or in a medical college permitted by the Central Government; or

(C) Recognised under graduate degree in homoeopathy along with post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in medical physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine (forensic medicine) for forensic Medicine and toxicology or in public health for community medicine from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with twelve years of regular teaching experience in the subject concerned in a homoeopathic medical institution; or

(D) Recognised post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine or forensic medicine for Forensic Medicine and Toxicology or in public health for community medicine along with Ph.D from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with not less than twelve years of regular teaching experience in the subject concerned in a homoeopathic medical institution; and

(E) Must have published at least two original publications as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal.

(ii) Desirable Qualification:

(A) Experience of not less than five years as supervisor or guide for post-graduate programme in Homoeopathy; and

(B) Administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical college or hospital; and

(C) Research experience in a research institution recognised by the concerned University or the State Government or Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

(3) Associate Professor

(A) In Homoeopathic Subjects Namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon Of Medicine And Homoeopathic Philosophy, Homoeopathic Pharmacy, Homoeopathic Repertory And Case Taking, Practice Of Medicine With Essentials Of Pharmacology-

(i) Essential Qualifications:

(A) Recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution;

(B) Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

(C) Recognised post-graduate qualification in Homoeopathy in subject concerned with not less than five years of full time research experience in Teaching Institution or in Research Council of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or

(D) Must have not less than five years of experience in regular service, after acquiring post-graduate degree in subject concerned in the Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or full time five years of experience as medical officer in regular service after acquiring post-graduate degree in the concerned subject in recognised Homoeopathy Medical Institute and having qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

(ii) Desirable qualifications:

(A) Experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course inhomoeopathy; and

(B) Research experience in a research institution recognised by the concerned University or the State Government, Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

(**b**) In allied subjects, namely, Human Anatomy, Human Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology, Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics, Pathology and Microbiology, Surgery, Gynecology and Obstetrics

(i) Essential qualification:

(A) Recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of experience in regular service of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution;

(B) Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

(C) Post-graduate medical degree in the subject concerned recognised by the National Medical Commission with not less than five years of experience in regular service of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution or in a medical college permitted by the Central Government;

(D) Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

(E) Recognised under graduate qualification in homoeopathy and post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in medical physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine (forensic medicine) for forensic Medicine and toxicology or in public health for community medicine from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with not less than seven years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution and;

(F) Must have published one article as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

(G) Recognised post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine or forensic medicine for forensic Medicine and toxicology or in public health for community medicine along with Ph.D from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with not less than seven years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution; and

(H) Must have published at least one article as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or

(I) Recognised post-graduate qualification in Homoeopathy with not less than five years of full time research experience in Teaching Institution or Research Council of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; and

(J) at least three publications as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal and qualified National teachers eligibility test conducted by the Commission; or

(K) Must have five years of experience in regular service after acquiring post-graduate degree in the concerned subject in the Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or full time five years of experience as medical officer in regular service after possessing Post-graduate degree in the subject concerned in recognised Homoeopathy Medical College and having qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

(ii) Desirable qualification:

(A) Experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course in Homoeopathy; and

(B) Research experience in a research institution recognised by the concerned University or the State Government or Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

(4) Assistant Professor

(a) In the subjects namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon of Medicine, Homoeopathic Pharmacy, Repertory, and Practice of Medicines.-

Essential Qualification:

(A) Recognised post-graduate degree in Homoeopathy in the subject concerned; and

(B) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission. Preference shall be given to those candidates who holds experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission.

(b) In the subjects, namely, Anatomy, Physiology, Pathology, Forensic Medicine and Toxicology, Surgery, Gynecology and Obstetrics.-

Essential Qualification:

(A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy; and

(B) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission and preference shall be given to those candidates who holds experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission; or

(C) Post-graduate medical degree in subject concerned recognised by the National Medical Commission; and

(D) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission and preference shall be given to those candidates who holds experience of working as resident medical officer or house physicians in a hospital attached to a medical college permitted by the Central Government; or

(E) Recognised under graduate degree in homoeopathy and post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in medical physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine (forensic medicine) for forensic Medicine and toxicology from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and

(F) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or

(G) Post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or Physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine or forensic medicine for forensic medicine and toxicology from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and

(H) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

(c) In the subject, namely, community medicine and research methodology and biostatistics.-

Essential Qualifications:

(A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy; and

(B) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission;

(C) Must have published at least two original publications as principal or co-author in peer reviewed journals; or

(D) Recognised under graduate degree in homoeopathy and post-graduate degree in public health for community medicine from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and

(E) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or

(F) Post-graduate degree in public health for community medicine along with Ph.D from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and

(G) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

(d) **Visiting Assistant Professor In Fundamentals Of Psychology-**

Essential Qualifications:

(A) Recognised post-graduate degree in Homoeopathy and Masters degree in any branch of psychology and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission; or

(B) Recognised post-graduate degree in homoeopathy in psychiatry and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission; or

(C) Post-graduate medical degree in psychiatry recognised by the National Medical Commission and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house

physicians in a hospital attached to a medical college permitted by the Central Government or Commission.

(e) **Visiting Assistant Professor In Modern Pharmacology.-**

(A) Post-graduate degree in Pharmacology by a recognised Commission; or

(B) Master's degree in Pharmacy recognised by the Pharmacy council of India.

(5) Yoga Instructor

(i) Essential Qualification:

(a) qualified degree holder namely, bachelor of naturopathy and yogic sciences- a five and half years regular medical course in yoga and naturopathy; or

(b) diploma in naturopathy and yogic sciences. having the registration to practice these systems of health care from the State or Central authorities.

(ii) Desirable Qualification:

Preference shall be given to persons with homoeopathic medical qualifications along with degree of Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences.

(6) Librarian

Essential Qualification:

Degree in library sciences from a recognised institution with knowledge of working on computers and internet with three years of experience.

(7) Assistant Librarian

Essential Qualification:

Degree In Library Sciences From A Recognised Institution With Knowledge Of Working On Computers And Internet.

C Qualification For Hospital Staff

(1) Medical Superintendent-

(a) **Essential Qualification:** Recognised post-graduate degree qualification in homoeopathy and shall be of Professor Cadre.

(b) **Desirable Qualification**: Having degree or diploma in hospital administration of not less than one year duration from institution recognised by the Central Government.

(2) Deputy Medical Superintendent

Essential Qualification:

Recognised post-graduate degree in homoeopathy and shall be minimum of associate professor cadre for two years.

(3) Residential Medical Officer

Essential Qualification:

Recognised degree qualification in homoeopathy with experience as house physician for a period of not less than two years in a recognised homoeopathic hospital after obtaining regular registration from a State Board of homoeopathy.

(4) Medical Officer

Essential Qualification:

Recognised Degree Qualification In Homoeopathy With Experience For A Period Of Not Less Than One Year As A House Physician In A Recognised Homoeopathic Hospital.

(5) Surgeon (General Surgery), General Physician, Anesthetist, Obstetrician Or Gynecologist, Radiologist And Pathologist And Biochemist-

Essential Qualification: Post-Graduate Medical Degree In Concerned Subject Recognised By The National Medical Commission. General Physician To Have Specialisation In Emergency Medicines.

(6) House Physician-

Essential Qualification: Recognised Degree Qualification In Homoeopathy And Having Regular Registration From A State Board Of Homoeopathy With Professional Experience For A Period Of Not Less Than Two Years;

Provided that the post of house physician (resident) in permitted post-graduate college shall not be separately required as post-graduate students in first of Doctor of Medicine (Homoeopathy) course shall be doing house job compulsorily.

(7) Laboratory Technician-

Recognised Bachelor of Science degree along with Medical laboratory technology from a recognised University or institutions.

(8) Dispenser-

Must have passed senior secondary from a recognised board with any of the following qualifications, namely: -

(a) a diploma in homoeopathic pharmacy recognised by the concerned State board; or

(b) two years' experience of dispensing homoeopathic medicine in homoeopathicdispensary or pharmacy.

(9) X-Ray Technician or Radiographer-

Must have a diploma in radiology from a recognised University or institutions.

(10) X-Ray Attendant or Dark Room Attendant-

Must have passed senior secondary from a recognised board with experience of working in x-ray department for two years.

(11) Yoga Physician-

(A) Essential Qualification:

Qualified degree holder (bachelor of Naturopathy and yogic sciences – a five and half years regular medical course in yoga and naturopathy or diploma in naturopathy and yogic science) having the registration to practice these systems of health care from the State or Central authorities.

(B) Desirable Qualification:

Preference shall be given to persons with homoeopathic medical qualifications along with above qualifications.

(12) Physiotherapist-

A degree in physiotherapy recognised by the State Government concerned.

(13) Dietician-

A degree in diet and nutrition recognised by the State Government concerned.

(14) Dresser-

Must have passed senior secondary from a recognised board.

(15) Nursing Staff In-Charge-

Must possess a Bachelor of Science degree or General Nursing and Midwifery in nursing and registered under Nursing Council of the State concerned with two years of experience.

(16) Nurse-

(a) Essential Qualification:

Must possess a Bachelor of Science degree or General Nursing and Midwifery or Auxiliary Nurse and Midwifery in nursing registered under nursing council of State concerned.

(b) Desirable Qualification:

One year experience of working in homoeopathic hospital.

(17) Store Keeper-

Must have passed senior secondary from a recognised Board with knowledge of computer.

(18) Registration Clerk or Receptionist:

(a) Essential Qualification:

(i) Must have passed senior secondary from a recognised Board;

(ii) Must have knowledge of regional language, English and proficiency in computer operation.

(b) Desirable Qualification: Must Have A Diploma In Computer Application.

(19) Pharmacist-

Graduate in any stream along with experience of three years of working in homoeopathic pharmacy and preference shall be given to the candidates having Diploma in pharmacy.

(20) Secretarial And Accounts Staff.- (A) **Office Superintendent –**Post-Graduate Or Undergraduate With Five Years Of Administrative Experience.

(b) **Upper Division Clerk-** Graduate with three years' experience of office work.

(c) **Lower Division Clerk –** Graduate with one year experience of office work.

(d) **Office Assistant-** Graduate with one year experience of office work.

(e) **Accountant –** Bachelor of Commerce with five years' experience of accounts, book keeping, knowledge of banking, Knowledge about Employee's provident fund and Public provident fund and all Government and University related works.

(f) **Data Entry Operator-** Must have passed senior secondary with basic computer course and typing speed of thirty or above.

(g) **Multi-Tasking Staff-** Must have passed matriculation from a recognised secondary board.

(21) Ward Boy Or Aya.- (a) Essential: Must Have Passed Matriculation From A Recognised Secondary Board.

(b) Desirable: One year experience In-patient care services.

(22) Chowkidar or Peon.- 8th Standard Pass.

D. QUALIFICATION FOR NON - TEACHING STAFF OF MEDICAL INSTITUTION

(1) **Laboratory Technician.-** Bachelor of Science, Medical Laboratory Technology from a recognised University or institutions or diploma in Medical Laboratory Technology with five years' experience.

(2) **Laboratory Attendant.-** Must have passed matriculation from recognised Secondary Board.

(3) **Cadaver Assistant.–** Must have passed matriculation from recognised secondary Board and knowledge of local language.

(4) **Library Assistant.-** Must have passed matriculation from recognised secondary Board.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President

[ADVT.-III/4/Exty./823/2023-24]

APPENDIX– 1

[(See clause (e) of sub-paragraph (3) of paragraph-B of the First Schedule**)]**

List of equipment for pharmacy department

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Pill tiles	30
2.	Porcelain dishes	30
3.	Crucibles with tongs	30
4.	Silica crucibles	02
5.	Pestles and mortars (iron, glass, porcelain)	1+1+30
6.	Water bath. (metal or electric)	30
7.	Microscope (student type)	05
8.	Thin layer chromatography apparatus including UV chamber	1
9.	Ph meter	2
10.	Stop watch	25

11.	Hydrometer	5
12.	Alcoholometer	5
13.	Pycnometer	10
14.	Water still (distilled water plant)	1
15.	Percolator	5
16.	Macerator	5
17.	Botanical slides	10
18.	Colorimeter	01
19.	Spectro scope	01
20.	Manual/Mechanical/Electric potentiser	2/01/01
21.	Electric triturator	2
22.	Dissecting microscope	02
23.	Distillation apparatus (glass)	1 set
24.	Hot air oven	01
25.	Electronic balance	10
26.	Physical balance	01
27.	Measuring glasses (a) Glass beaker (100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000ml) (b) Volumetric flask (250 ml, 500 ml, 1000 ml) (c) Measuring cylinder (10 ml, 50 ml, 100 ml,500 ml, 1000 ml (d) Test tubes (8 ml, 10 ml, 12 ml) with holder (e) Watch glass (f) Graduated pipette (1 ml, 10 ml)	 05 each 05 each 30 each 30 eachAs required
28.	Glass retort	02
29.	Bunsen burner with gas connection	05
30.	Miscellaneous (A) Chemicals (i) Ammonium chloride (ii) Ammonium oxalate (iii) Barium chloride (iv) Calcium carbide (v) Calcium carbonate (vi) Copper sulphate (vii) Hydrochloric acid (viii) Iodine (ix) Nessler's reagent (x) Nitric acid (xi) Potassium ferro cyanide (xii) Salicylic acid (xiii) Silver nitrite	 As required

	(xiv) Sodium hydroxide (xv) Sodium chloride (xvi) Sulphur (xvii) Sulphuric acid (xviii) Borax	05 each
	(B) Drugs (samples prepared by students) (i) Mother tinctures: (a) Arnica montana (b) Calendula officinalis (c) Cantharis (d) Echinacea angustifolia (e) Euphrasia officinalis (f) Hydrastis canadensis (g) Rhus toxicodendron (h) Ruta graveolens (i) Mullein oil (ii) Potentized medicines: Common polychrest medicines in variouspotencies and scales.	
	(C) Vehicles (i) Lactose (pharmaceutical grade) (ii) Globules (number 10,20, 30, 40) (iii) Blank tablets (1gr, 3 gr and 5 gr) (iv) Distilled water (v) Strong alcohol (vi) Dispensing alcohol (vii)Dilute alcohol (viii)Rectified spirit (60op) (ix) Glycerine (x) Olive oil (xi) White petroleum jelly (xii)Lanolin (xiii)Wax	As required
31.	Glass phials	As required
32.	Glass bottles (15 ml,30 ml, 60 ml, 100ml)	As required
33.	Glass rods	As required
34.	Glass funnels	As required
35.	Filter paper (Whatman grade 1, pack of 100).Normal filter paper (pack of 100) Litmus paper (blue)	As required
36.	Ointment slab	45
37.	Gas apparatus for filtration with vacuum	02
38.	Chopping board	25

39.	Chopping knife	25
40.	Spatula (horn, stainless steel)	25
41.	Burette	5
42.	Press	2
43.	Sieve (no. 10,22,44,60, 85,120)	2 each
44.	Thermometer	2
45.	Graduated conical glass(10,50,100ml)	15
46.	Wire gauze	5
47.	Tripod stand	5
48.	Porcelain bowl	25
49.	Lactometer	10

APPENDIX – 2

[(See clause (g) of sub-paragraph (5) of paragraph-B of the First Schedule)**]**

List of equipment required for anatomy lab

Sl. No	Item	No.
1.	Dissection tables with marble tops or stainless steel (6'x'1'x2'x3')	4
2.	Stretcher- steel top (6'x'2'x3')	1
3.	Dissection set complete	2
4.	Tray (steel)-for instruments or demonstration of specimen	2
5.	Saw for sectioning body and limbs	1
6.	Storage tanks to hold cadavers (a) Plastic or metal or concrete (b) Containers (glass) for viscera and dissected parts-for demonstration	 2 2
7.	Embalming materials (a) Cannula (b) IV tubes (c) Formalin holding tub (d) Syringe needles (e) Nylon thread	 02 02 02 02 02
8.	Microscope (medical)	35
9.	Revolving stools –metal or wood	35
10.	X-ray viewing box	01
11.	Chemicals (embalming and soft part preservation) (a) Formalin (b) Glycerin (c) Sodium chloride	As required
12.	Cadaver: (Cadaver and dissected body part shall be applicableafter Letter of Intent given to the medical institution)	02

APPENDIX – 3

[(See clause (d) of sub-paragraph (6) of paragraph -B of the First Schedule)**]**

List of equipment required for physiology lab

S.No.	Name of the article	Quantity
1.	Medical microscope with oil immersion	25
2.	Equipment for Erythrocyte sedimentation rate estimation or westergren's pipette for Erythrocyte sedimentation rate on stand	25 (with sparepipettes)
3.	Haematocrit tubes	35
4.	Sahli's haemoglobinometer	35
5.	Haemocytometer	25
6.	Sphygmomanometer	25
7.	Stethoscope	25
8.	Clinical thermometer (digital or mercury)	25
9.	Knee hammer	25
10.	Tuning forks to test hearing (32-10000hzs)	1 set
11.	Electrocardiograph (ECG machine)	1
12.	Electronic stop watches 1/10 sec.	04
13.	Glass distillation (double) apparatus	01
14.	Centrifuge	01
15.	Colorimeter (photo electric)	02
16.	Ph meter electric	02
17.	Color perception lantern (edridge green)	01
18.	Educational compact disc, digital video disc, films, slides, models with audio visual aids	As required
19.	Perimeter	01
20.	Spirometer	01
21.	Tonometer	01
22.	Handgrip dynamometer	01
23.	Bicycle ergometer	01

APPENDIX – 4

[(See clause (e) of sub paragraph (6) of paragraph-B of the First Schedule)**]**

Requirements for biochemistry

S. No	Name of the article	Quantity
1.	Electronic or monopan balance	01
2.	Centrifuge	01
3.	Balance, chemical or ordinary	01

4.	Water baths	01
5.	Urinometer	25
6.	Chemicals: (a) Iodine (b) Ammonium oxalate (c) Barium chloride (d) Silver nitrate (e) Sodium hydroxide (f) Mercuric sulphate (g) Salicylic acid	As required
7.	Hydrometer (0.700 to 1.00)	02
8.	Albuminometers	10
9.	Glucometer	10
10.	Thermometer	10
11.	Colorimeter	01
12.	Hot air oven 14"x14"x14" (electric)	01
13.	Glass ware like pipette, beakers, burettes, wire gouge with asbestos, center hot plate,stove, syringes, burners, rubber tubing stands clamps, flash etc.	As required
14.	Ph (Potential of hydrogen) meter	1
15.	Binocular research microscope	02
16.	Stethoscope: demonstration with multiple pieces	02
17.	Ophthalmoscope	01
18.	Otorhinolaryngoscope	01
19.	Revolving stools, metal	45

APPENDIX – 5

[(See clause (h) of sub-paragraph (7) of paragraph-B of the First Schedule **)]**

List of equipment for forensic medicine and toxicology lab

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Weighing machine dial type human	01
2.	Equipment for measuring height	01
3.	Vernier caliper scale	01
4.	X-ray view box one in four	01
5.	Catalogue stating characteristics and Clinical applications of the toxicological and other specimen.	02 copies
6.	Catalogue of poisons and their antidote, Catalogue or list of household antidote	25
7.	(a) Bones; (b) Skull; (c) Pelvis (complete with sacrum, coccyx).	01 each ofmale and female

8.	(a) Bullets; (b) Pistol bullet; (c) Revolver bullet; (d) Rifle bullet.	01 of each
9.	Shotgun cartridge	01
10.	Sample of fixed knot or loop, slip knot, loop	01 each
11.	Stomach tube	01
12.	Hand lens (study of fingerprint purpose)	02
13.	Comparison microscope for finger print	01
14.	X-ray films depicting ossification center	05
	(appearance and fusion) of different bones to access age and sex of the person.	
15.	Audio- visual presentation of post mortem educational compact discs or digital video discs.	02

APPENDIX-6

[(See clause (e) of sub-paragraph (8) of paragraph-B of the First Schedule)**]**

List of equipment for pathology and microbiology lab

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Hot air oven (50°c) for special standing	1
2.	Centrifuge machine electric roto fix	2
3.	Water bath (electric)	4
4.	Glass ware	As required
5.	Beaker 100 ml	30 pcs
6.	Glass cylinder 100 ml	30 pcs
7.	Test tubes (6`× ½ ")	100 pcs
8.	Test tubes (4"× ½)"	100 pcs
9.	Glass rods (1 feet)	30 pcs
10.	Glass slides (microscopy)	200 pcs
11.	Glass cover slip	300 pcs
12.	Glass dropper	30 pcs
13.	Conical flask	15 pcs
14.	(a) Stains:- (i) Leishman stain (ii)Buffer solution (iii) Deionized water (b) Gram stain:- (i) Crystal violet (ii) Gram's iodine (iii) Acetone (iv) Safranin (c) Ziehlnelsen stain:- (i) Carbol -fuchsin (ii) Concentrated sulphuric acid (iii) Methylene blue	As required

	(d) Heat & aceticacid test:- For presence of albumin in urine (i) 96;% glacial acetic acid (ii) Deionized water (e) Benedict's qualitative test:- For presence of sugar in urine (i) benedict's qualitative reagent (f) Rothera's test:- For presence of ketone bodies in urine : (i) Ammonium sulphate (ii) Sodium nitroprusside (iii) Liquor ammonia (g) Total WBC count:- (i) WBC diluting fluid (h) Total RBC count (i) RBC diluting fluid (i) Hemoglobin estimation by colorimeter (j) Drabkin,' s solution (k) Hb standard (l) N /10 hydrochloric acid (HCL) by acid (m)haematin method by sahli's haemoglobinometer	
15.	Blood grouping reagent anti a , anti b , anti d :	As required
16.	For stool test for ova , parasite , cyst Lugol's iodine	As required
17.	(a)Material for preparing media:- (i) Nutrient agar media; (ii) Macconkey's media (iii) Lowenstein jensen media (LJ media); (iv) Sterile petri dish (glass or plastic); (v) Nichrome wire loop holder; (vi) Deionized water.	As required
18.	(a) Materials required for histopathology :- (i) Mechanical rotary microtome (ii) Hot air oven (iii) Water bath (iv) Chemicals: (a) Acetone (b) 2-propanol (c) Xylene (d) Dpxmountant (e) Formaldehyde 37% (f) Glycerol (g) Formic acid 85% (h) Papanicilaou solution (i) Methylene blue	01 01 01 As required As required

	(v) Cover glass slip : 22× 22mm /18×18mm (b) Slide box (c) Dropping bottle (d) Diamond pencil (e) L mould (f) Cassette (g) Haematoxylin& eosin stain (h and e): powder (h) Hcl 35% : 500ml (i) Nitric acid : 500ml (j) Slides (k) Small forceps (tooth and without tooth) :2 (l) Steel scale (m) Scissors (n) Glass jar	
19.	Incubator	2
20.	Haemocytometer with RBC and WBC pipettes	25
21.	Sahli's haemoglobinometer	25
22.	Autoclave	2
23.	Anaerobic apparatus	2
24.	Stopwatch ½ sec	2
25.	Ph meter	1
26.	Microscopes with oil immersion lens, movable stage and condenser	45
27.	High power centrifuge for serological/ haematological work	1
28.	Westergren's pipette for Erythrocyte sedimentation rate estimation	10
29.	Wintrobe haematocrit tube for Erythrocyte sedimentation rate and packed cell volume	10
30.	Colony counter	1
31.	Coplin jars	02
32.	Computer with accessories	01
33.	Colorimeter and auto analyzer	01
34.	Elisa reader for serological test	01
35.	Pathological specimens	25
36.	Urinometer (other than mercury)	02

APPENDIX – 7

[(See clause (e) of sub-paragraph (9) of paragraph-B of the First Schedule)]

List of equipment in Department of Community Medicine, Research Methodologyand Biostatistics

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Barometer (fortin)	1
2.	Lactometer	1
3.	Alcoholmeter	1
4.	Water purifier (having ro, uv, tds regulator)	1

5.	Total dissolved solids (tds) meter	2
6.	Glucometer	2
7.	Air quality monitor	2
8.	Mid upper arm circumference measuring tape	5
9.	Display: Immunization, community programme health, other family welfare programmes, bio- statistics and research methodology models, sociology related information on display.	As required
10.	Refrigerator	02
11.	Hydrometer spirit-	02
12.	Hydrometer milk	02
13.	Weighing machine adult	03
14.	Salter's baby weighing machine	02
15.	Harpenden skinfold caliper	02
16.	Height measuring stand	02
17.	Catalogue on methods of various experiments conducted in practical, field visits, and synopsison other related topics.	02
18.	Horrock's apparatus (for estimating bleaching powder need for water disinfection)	02
19.	Chloroscope(for checking the residual chlorine in drinking water)	02

APPENDIX – 8

[(See clause (e) of sub-paragraph (10) of paragraph -B of the First Schedule**)]**

List of instruments for the demonstration to students in Department of Surgery

S.No.	Name of article	Quantity
1.	Allis tissue forceps	Minimum 2
2.	Curved allis	Minimum 2
3.	Mosquito forceps	Minimum 1
4.	Tooth forceps	Minimum 4
5.	Chittal forceps	Minimum 1
6.	Needle holder	Minimum 1
7.	Sponge holding forceps	Minimum 1
8.	Allis	Minimum 1
9.	Simple forceps	Minimum 2
10.	Rubber catheter	Minimum 2
11.	Folley's catheter	Minimum 2
12.	Cannula	Minimum 4
13.	Tracheal tube	Minimum 2
14.	Straight scissor	Minimum 4
15.	Artery forceps	Minimum 4
16.	Scissors	Minimum 4
17.	Proctoscope	Minimum 4

18.	Suture material	As required
19.	Dressing material	As required
20.	Ryle's tube	Minimum 4
21.	Catheter	Minimum 4
22.	Dressing tray	Minimum 1
23.	Kidney tray	Minimum 4
24.	Tray	Minimum 4
25.	Dressing drum	Minimum 1
26.	Auroscope	Minimum 3
27.	Stethoscope	Minimum 4
28.	Measuring tape	Minimum 4
29.	Hammer	Minimum 4
30.	Ophthalmoscope	Minimum 1
31.	Tenometer	Minimum 1
32.	Dental instruments	Minimum 1
33.	ENT instruments	Minimum 1
34.	Infant feeding tube	Minimum 1
35.	Laryngoscope	Minimum 1
36.	Retractor	Minimum 5
37.	Sim's speculum	Minimum 5

APPENDIX - 9

[(See sub-clause (i) of clause (d) of sub-paragraph (11) of paragraph -B of the First Schedule)**]**

List of instruments required in Department of Gynecology and Obstetrics

S. No	Name of instrument	No. Required
1.	Sim's speculum	01
2.	Cusco's speculum	01
3.	Anterior vaginal wall retractor	01
4.	Cervical dilators	01
5.	Simple rubber catheter	01
6.	Uterine curette	01
7.	Sponge holding forceps	01
8.	Allis tissue forceps	01
9.	Artery forceps	01
10.	Doyen's retractor	01
11.	Babcock's forceps	01
12.	Needle holder	01
13.	Toothed forceps	01

14.	Non toothed forceps (plane forceps)	01
15.	Episiotomy scissors	01
16.	Mayo's scissors	01
17.	Towel clip	01
18.	Vulsellum	01
19.	Cord clamps	01
20.	Obstetric forceps	01
21.	Foley's catheter	01

APPENDIX -10

[(See clause (d) of sub-paragraph (13) paragraph -B of the First Schedule)**]**

Equipment required in Department of Yoga for Health Promotion

S.No.	Name of instrument	Quantity
1.	Weighing machine	1
2.	Height chart	1
3.	Blood pressure instrument	1
4.	Stethoscope	1
5.	Torch	1
6.	Hammer	1
7.	Patient record register	1
8.	Case taking Performa	as required
9.	Diet chart pad	as required
10.	Yoga mat	35
11.	Yoga stretching belt	10
12.	Yoga exercise ball	05
13.	Belly twister	02
14.	Fitness cycle	01
15.	Palm ball	05

APPENDIX -11

[(See sub-paragraph (2) of paragraph - C of the First Schedule)**]**

List of equipment required in Medical Education Technology Unit

S.No.	Medical Education Technology Unit (METU)	Quantity
1.	Smart board	1
2.	Computer with latest configuration	2
3.	Round tables	2

4.	Chairs	10
5.	Printer and scanner	1 each
6.	Overhead projectors	1
7.	Books and journals on Medical Education Technology - :Physical and soft copy procured online	10 copies
8.	Stationary	As required

APPENDIX – 12

[(See clause (A) of sub-paragraph (4) of paragraph -A of the Second Schedule)**]**

Furniture/Fixture/Equipments Requirements for OPD

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30beds	31to 50beds	51to100 beds
1.	Room with well- lighted and ventilated and equipped with a chair and a table for doctor	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
2.	X-ray viewer	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
3.	Two chairs forpatients and attendants	1set per consultation room	1set per consultation room	1set per consultation room
4.	An examination table of6 ft. X 2.5ft.With privacy screen	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
5.	Blood pressure apparatus	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
6.	Stethoscope	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
7.	Torch	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
8.	Thermometer	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
9.	Weighing machine.	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
10.	Essential diagnostic tools required for examination of patients as per the scope of services offered by the hospital.	As per requirement	As per requirement	As per requirement
11.	Light source which gives light colour and temperature similar to solar light, Light intensity of atleast 500 lux at the point of examination	As per requirement	As per requirement	As per requirement
12.	Computers	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
13.	Telephone equipment	As per requirement	As per requirement	As per requirement
14.	Airconditioning	As per requirement	As per requirement	As per requirement
15.	Adequate lockable storage space	As per requirement	As per requirement	As per requirement

16.	Foot stools	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room

APPENDIX-13

[(See sub-clause (ii) of clause (B) of sub-paragraph (9) of paragraph -A of the Second Schedule)**]**

Furniture/Fixture Requirements for IPD

Sr. No.	Name of theEquipment	For 30 beds	31 to50bed	51to100bed
1.	Iron beds(simple, surgical & pediatrics)	30	50	100
2.	Adequate wall or steel C upboards	4	8	15
3.	Arm Board Adult	12	24	24
4.	Backrest	4	8	20
5.	Bain marie trolley stainless steel	1 per floor	1 per floor	1 per floor
6.	Bed side cabinets	1per 5 patients	1per 5 patients	1per 5 patients
7.	Bed side Screen	1 per ward or full length curtains between the beds	1 per ward or full length curtains between the beds	1 per ward or full length curtains between the beds
8.	Bucket Plastic	12	24	24
9.	Ceiling Fans	As per requirement	As per requirement	As per requirement
10.	Clock	1 per ward	1 per ward	1 per ward
11.	Containers for kitchen	As needed	As needed	As needed
12.	Doctor's chair for OP and ward,	As needed	As needed	As needed
13.	Doctor's or Officetable	3	10	20
14.	Dressing trolley-perfloor/ ward depending on layout	4	8	10
15.	Dustbins in each ward and consultationroom	6	12	15
16.	Duty table for nurses	8	20	30
17.	Emergency resuscitation kit	1 per floor	1 per floor	1 per floor
18.	Enema Set	4	4	8
19.	Fire extinguisher –	ABC 1 per ward or floor based on layout	ABC 1 per ward or floor based on layout	ABC 1 per ward or floor based on layout
20.	Foot stools	16	25	25
21.	Fridge	1 Per Area or Ward	1 Per Area or Ward	1 Per Area or Ward
22.	Heavy duty Torchlight	1 per ward	1 per ward	1 per ward
23.	Hospital Cots	100	300	500
24.	Hospital CotsPediatric	10	30	50
25.	Hot Water Bags	2 per ward	2 per ward	2 per ward
26.	Ice bags	2 per ward	2 per ward	2 per ward
27.	Hot Water geyser	2 per ward	2 per ward	2 per ward

28.	I V Stands - 2 per 10beds	20	50	100
29.	Intercom System	2 per ward	2 per ward	2 per ward
30.	Kitchen utensils,	Adequate	Adequate	Adequate
31.	Massage table of 7ft.x 2.5ft (wood or fiber) if service is provided	One per procedure room	One per procedure room	One per procedure room
32.	Medicine trolley	1 per ward	1 per ward	1 per ward
33.	Office chairs	8	20	20
34.	Office Table	6	10	10
35.	patient Beds with siderails	20% of totalbeds	20% of totalbeds	20% of total beds
36.	Patient call BellSystem	1 per bed	1 per bed	1 per bed
37.	Patient locker	1 per bed	1 per bed	1 per bed
38.	Patients examinationtable	– 1 per ward or floor as per the profile of patients and layout of facility	– 1 per ward or floor as per the profile of patients and layout of facility	– 1 per ward or floor as per the profile of patients and layout of facility
39.	Patients side table	1 per bed	1 per bed	1 per bed
40.	Pediatric cots with railings	as per scope ofservices	as per scope ofservices	as per scope ofservices
41.	Steel or Wooden cupboard	16	20	25
42.	Steel rack	10	20	40
43.	Stool	8	15	25
44.	Stools revolving	2 per ward	2 per ward	2 per ward
45.	Stretcher or Patient trolley	1 per ward	1 per ward	1 per ward
46.	Urinal (Male andFemale)	20	50	100
47.	waiting chairs or benches for patientsrelatives	50% of the bed strengths	50% of the bed strengths	50% of the bed strengths
48.	Weighing Machine	1 per ward	1 per ward	1 per ward
49.	Wheel chair	2 per 50 beds	2 per 50 beds	2 per 50 beds
50.	X-ray viewer	one per ward	one per ward	one per ward

APPENDIX 14

[(See sub-clause (iii) clause (B) of sub paragraph 9 of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

Equipments/instruments for In-patient department (IPD)

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 beds	31to50 beds	51to100bed
1.	Ambu bags	6	6	6
2.	Arm Board Adult	12	24	24
3.	Autoclave Drums	6	9	12
4.	Back rest	4	8	20
5.	Bain marie trolley stainless steel 1 per floor	2	4	8

6.	Bed pans, 1 per 5patients	6	10	20
7.	Biomedical wastecolour coded bins	One set each per floor	One set each per floor	One set each per floor
8.	Cheatle forceps assorted sizes	8	16	25
9.	Containers for kitchen	As required	As required	As required
10.	Dressing trolley-1per floor/ ward depending on layout	1 per ward	1 per ward	1 per ward
11.	Dustbins in eachward And consultation room	1 per ward	1 per ward	1 per ward
12.	Emergency Resuscitation kit	1 per floor	1 per floor	1 per floor
13.	Enema Set	As required	As required	As required
14.	Fridge	As required	As required	As required
15.	Heavy duty Torch light	1 per ward	1 per ward	1 per ward
16.	Hot Water Bags	2 per ward	2 per ward	2 per ward
17.	I V Stands	2 per 10 beds	2 per 10 beds	2 per 10 beds
18.	Infra-Redlamp	5	10	10
19.	Instrument tray	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward
20.	Instrument trolley	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward
21.	Intercom System	As required	As required	As required
22.	Kidney Trays	1 per 5 beds	1 per 5beds	1 per 5 beds
23.	Medicine trolley	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward
24.	Needle cutter	3 per ward	3 per ward	3 per ward
25.	Non mercury Thermometer clinical	1 per ward	1 per ward	1 per ward
26.	O2cylinderwithspanner	1 per ward	1 per ward	1 per ward
27.	Patients examination table– 1 per ward/ floor as per the profile of patient and layout of facility	1 per ward	1 per ward	1 per ward
28.	Sphygmomanometers - Stand Type1 and Portable (aneroid or Digital) Type 1	1 per ward	1 per ward	1 per ward

APPENDIX – 15

[(See clause (c) of sub-paragraph (12) of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

Emergency Equipments

Sr.No.	Name of the Equipment	For 30bed	31 to50bed	51to100 bed
1.	Emergency equipment box For first aid and Basic Life Support Skill	Minimum1	Minimum1	Minimum1
2.	Crash- Cardtrolley	Minimum1	Minimum1	Minimum1
3.	Portable defibrillator	Optional	Optional	Minimum1
4.	Disposable syringes	As needed	As needed	As needed
5.	Ambu Bag	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Laryngoscope with cell	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Sealed battery cell	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Endotracheal tubes	As needed	As needed	As needed
9.	Monitor	As needed	As needed	As needed

APPENDIX - 16

[(See sub-clause (i) of clause (D) of sub-paragraph (12) of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

Anesthetics drugs

Sr.no.	Name of the Drug	Strength	MinimumQuantity
	1.1 General Anethesia (to be given only by a qualified allopathy anesthetist)		
1.	Ether,	--	As per requirement
2.	Halothane	--	As per requirement
3.	Isoflurane*	--	As per requirement
4.	Ketamine Hydrochloride Injection	10mg /ml,50 mg /ml	As per requirement
5.	Nitrous Oxide	Medical grade	As per requirement
6.	Oxygen	Medical grade	As per requirement
7.	Injection Thiopentone Sodium	0.5g,1 g powder	As per requirement
	1.2 Local Anesthesia		
8.	Injection Bupivacaine Hydr ochloride	0.25%,0.5%0.5%+7.5%Gluco se	As per requirement
9.	Spray Ethyl Chloride	1%	As per requirement
10.	Injection Lignocaine	Topical Forms 2-5%	As per requirement
11.	Injection Lignocaine	Hydrochloride 1-2% Spinal 5% + 7.5% Glucose	As per requirement
12.	Injection Lignocaine Hydrochloride + Adrenaline	1%, 2% +Adrenaline 1:200.000 In vial 1.3	As per requirement
	1.3 Preoperative Medication and Sedation for Short Term Procedures		
13.	Injection Atropine Sulphate	0.6mg /ml	As per requirement

14.	Injection Diazepam	5mgInjection 5mg/ ml	As per requirement
15.	any other medicationas decided by the concerned anesthetist		As per requirement

APPENDIX – 17

[(See sub-clause (ii) of clause (d) of sub-paragraph (12) of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

Emergency Drugs

Sr.no.	Name of the Drug	Strength	Minimum Quantity
1.	Inj.Adrenaline	As perI.P	Minimum 10 Ampules
2.	Inj.Atropine	As perI.P	Minimum 10 Ampules
3.	Inj.Calcium Carbonate	As perI.P	Minimum 10 Ampules
4.	Inj.Dopamine	As perI.P	Minimum 10 Ampules
5.	Inj.Dobutamine	As perI.P	Minimum 10 Ampules
6.	Inj.Nitroglycerine	As perI.P	Minimum 10 Ampules
7.	Inj.Sodium Bicarbonate	As perI.P	Minimum 10 Ampules
8.	Inj.Hydrocortisone	As perI.P	Minimum 10 Ampules
9.	Inhaler Beclomethasone(250micro/dose	As perI.P	Minimum 10 Ampules
10.	Inhaler Salbutamol(200micrograms)	As perI.P	Minimum 10 Ampules
11.	Inj.Frusemide	As perI.P	Minimum 10 Ampules
12.	Inj.Diazepam/Midazolam	As perI.P	Minimum 10 Ampules
13.	Inj.Deriphyllin	As perI.P	Minimum 10 Ampules
14.	Inj.Phenytoin sodium	As perI.P	Minimum 10 Ampules
15.	Inj.Avil	As perI.P	Minimum 10 Ampules
16.	Inj.Ondansetrone	As perI.P	Minimum 10 Ampules
17.	Inj.KCl	As perI.P	Minimum 10 Ampules
18.	Inj.Lignocaine2%	As perI.P	Minimum 10 Ampules
19.	Inj.Amiadarone	As perI.P	Minimum 10 Ampules
20.	Inj.Magnesium sulphate	As perI.P	Minimum 10 Ampules
21.	Inj.Mannitol	As perI.P	Minimum 10 Ampules
22.	Inj.Morphine/Inj.Pethidine	As perI.P	Minimum 10 Ampules
23.	Inj.Noradrenaline bititrate	As perI.P	Minimum 10 Ampules
24.	Inj.Fentanyl	As perI.P	Minimum 10 Ampules
25.	Water for Injection	As perI.P	Minimum 10 Ampules
26.	Inj.Sodium Valporate	As perI.P	Minimum 10 Ampules
27.	Inj.Voveran	As perI.P	Minimum 10 Ampules
28.	Inj.Paracetamol	As perI.P	Minimum 10 Ampules
29.	Metoprolol Injection	As perI.P	Minimum 10 Ampules
30.	N/2 saline Injection	As perI.P	Minimum 10 Ampules

31.	Oxygen Inhalation	As perI.P	Minimum 10 Ampules
32.	Oxytocin Injection	As perI.P	Minimum 10 Ampules

APPENDIX-18

[(See clause (C) of sub-paragraph (13) of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

List of Equipments In Laboratory

Test Tube, Funnel, Litmus and Filter Paper, Beaker, Tripod, Burner, Volumetric Flask, Dropper, Thermometer, Tongs, Weighing Machine, Burette, Watch Glass, Crucible, Labbalance, mixers, shakers, stirrers, pipettes as required.

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 bed	31 to 50 bed	51 to 100 bed
1.	Alarm clock	1 Per Area/Ward	1 Per Area/Ward	1 Per Area/Ward
2.	Automatic cell counter	Optional	Optional	Minimum 1
3.	Auto analyzer or Semi auto analyzer	Optional	Optional	Optional
4.	Auto clave	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Binocular Microscope	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Biochemistry analyser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Chemical Balances	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Counting chamber	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
9.	Electric Colorimeter	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	Centrifuge Machine	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
11.	Electrolyte analyser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
12.	ESR stand with tubes	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
13.	Flame photometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
14.	Glucometer	1 Per Area/Ward	1 Per Area/Ward	1 Per Area /Ward
15.	Hematology Analyser or Cell Counter	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
16.	Haemoglobinometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
17.	HbA1c machine	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
18.	Hot air oven	As needed	As needed	As needed
19.	Hot plates	As needed	As needed	As needed
20.	Lab Incubator	As needed	As needed	As needed
21.	Laboratory Auto claves	As needed	As needed	As needed
22.	Micro pipette of different volumes	As needed	As needed	As needed
23.	PH meter	As needed	As needed	As needed
24.	Refrigerator	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
25.	Rotor or Shaker	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
26.	Simple balances	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
27.	Spirit lamp	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
28.	TCDC count apparatus	As needed	As needed	As needed
29.	Test tube holders	As needed	As needed	As needed

30.	Test tube rack	As needed	As needed	As needed
31.	Test tube stands	As needed	As needed	As needed
32.	Timer stopwatch	As needed	As needed	As needed
33.	Urine analyser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
34.	Waterbath	As needed	As needed	As needed

APPENDIX-19

[(See clause (a) of sub-paragraph (16) of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

Equipment Requirements for Operation Theater

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 bed	31 to 50 bed	51 to 100 bed
1.	Anterior vaginal Wall retractor	Adequate	Adequate	Adequate
2.	Artery forceps	Adequate	Adequate	Adequate
3.	Auto Clave HP Vertical (2bin)	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
4.	Autoclave equipment for sterilization/Sterilizer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Bladder sound (Urethral dilators)of different sizes	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Cusco's Speculum	As needed	As needed	As needed
7.	Diathermy Machine (Electric Cautery)	As needed	As needed	As needed
8.	Disposable syringes (5-10cc)	As needed	As needed	As needed
9.	Enema Pot	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	Focus lamp Ordinary	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
11.	Foley's Catheter	As needed	As needed	As needed
12.	Formaline dispenser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
13.	General Surgical Instrument Set Piles, Fistula, Fissure	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
14.	Instrument Trays of Various Sizes	Adequate	Adequate	Adequate
15.	Instrument Trolley	As needed	As needed	As needed
16.	IV stands	As needed	As needed	As needed
17.	Kidney tray	As needed	As needed	As needed
18.	Knife and scissor	As needed	As needed	As needed
19.	L.P. Tray	Adequate	Adequate	Adequate
20.	Magill's forceps (two sizes)	Adequate	Adequate	Adequate
21.	Metallic or disposable insemination cannula	Adequate	Adequate	Adequate
22.	Operation table Hydraulic Minor with stand	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
23.	OT Spot light (Shadowless	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1

	ceiling fitted/stand mounted)			
24.	Oxygen Cylinder	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
25.	Oxygen Mask with Circuit	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
26.	Plastic aprons, gloves and mask	Adequate	Adequate	Adequate
27.	Shadow less lamp ceiling type major or minor	1	1	2
28.	Shadow less Lamp Stand model	Minimum1	Minimum1	Minimum1
29.	Sims speculum in small, medium and large size	Adequate	Adequate	Adequate
30.	Sphygmomanometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
31.	Sterile cotton	As needed	As needed	As needed
32.	Sterile gloves	As needed	As needed	As needed
33.	Sterilizer Small (Instruments)	As needed	As needed	As needed
34.	Sterilizer big(Instrument)	As needed	As needed	As needed
35.	Sterilizer Medium (Instrument)	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
36.	Stethoscope	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
37.	Suction Apparatus - Electrical	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
38.	Suturing Set	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
39.	Swab holders	Minimum 1	Minimum 1	Minimum1
40.	Thermometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
41.	Tongue depressors	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
42.	Toothed forceps	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
43.	Two long(8inch) and two short (6inch) Artery forceps	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
44.	Two Uterine sound	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
45.	Urethral Dilator Set	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
46.	Vaginal Examination set	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
47.	Vulsellum	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1

APPENDIX-20

[(See clause (B) of sub-paragraph (16) of paragraph – A of the Second Schedule**)]**

Equipment Requirements for Anesthesia

Sr. No.	**Name of the Equipment**	**For 30 bed**	**31 to 50bed**	**51to 100 bed**
1.	Airway female and male	Adequate	Adequate	Adequate
2.	Anesthesia Trolley /Boyle's Apparatus	Minimum 1 if anesthesiais given	Minimum 1	Minimum 1
3.	Anesthetic- laryngoscope Magill's	Minimum 2	Minimum 2	Minimum 2

	with Four blades			
4.	CO2 cylinder for laparoscope	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Connector set of six for ETT	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Defibrillator or Automated external defibrillator	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Endotracheal tube sets	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Magill's forceps (two sizes)	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
9.	Mouthprop	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	Multi-parameter Monitor	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
11.	N2O Cylinder for Boyles	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
12.	O2 cylinder for Boyles	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
13.	Tongue depressors	Adequate	Adequate	Adequate
14.	Tubes connecting for ETT	Adequate	Adequate	Adequate

APPENDIX-21

[(See sub-paragraph (18) of paragraph – A of the Second Schedule)**]**

Imaging Equipment

Sr. No.	**Name of the Equipment**	**For 30 bed**	**31 to 50 bed**	**51 to100 bed**
1.	300 M.A. X-ray machine/ Digital X-Ray machine	01	01	01
2.	Ultra Sonogram (Obstetrics and gynecology department should be having a separate ultra- sound machine of its own)	Either in the hospital or under Memorandum of understanding with super specialty hospital	Either in the hospital or under Memorandum of understanding with super specialty hospital	Either in the hospital orunder Memorandum of understanding with super specialty hospital
3.	Echocardiogram	01	01	01
4.	X-ray developing tank	Minimum 1	Minimum 1	Minimum1
5.	Safe light X-ray darkroom	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Cassettes X-ray	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Lead apron	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Intensifying screen X-ray	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
9.	Thyroid shield	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	TLD batches	One per person	One per person	One per person
11.	Gonadal guard	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
12.	X-ray lobby single	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1

*In Colleges with digital X- Ray machine, a11 equipment are required except X-Ray developing tank and X-Ray developing tank and X-ray cassettes.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

F.No. 3-35/2021/NCH/HEB/MSR.C.–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (r) and (za) of sub-section (2) of Section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), and in supersession of the Establishment of New Medical College, (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admissions Capacity by a Medical College) Regulations, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Establishment of New Homoeopathic Medical Institution (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Intake Capacity by a Medical Institution), Regulations-2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "attached hospital" means a teaching Homoeopathic Collegiate Hospital attached to the medical institution;

(c) "Course" means the courses of study in Homoeopathy, namely:-

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery, means an Undergraduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

(ii) "Doctor of Medicine in Homoeopathy" means a Post Graduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

(iii) any other course with medical qualification recognised by Homoeopathy Education Board and shall also include trainings or fellowship in Homoeopathy above graduate level.

(d) "Form" means a Form annexed to these regulations;

(e) "Scheme" means an organised plan of furnishing information about the Colleges or Institution for achieving permission and rating.

(2) The words and expression used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. **Permission for establishment of a college, opening of new or higher course of study or training and increase of intake capacity. -** Any person intending to establish a medical institution or intending to open a new or higher course of study or training or intending to increase intake capacity in any course of study or training shall follow the procedures and criteria mentioned in regulations 4 to 6 and submit a scheme to the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with an application in the Form specified in regulation 4.

4. **Application and Scheme.-** (1) Any person intending to establish a medical institution shall submit the scheme along with an application in Form-1 to the President, Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per schedule declared by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with processing fee for assessment as specified in National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institution) Regulations, 2024.

(2) Any college intending to open a new or higher course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form-2 to the President, Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per schedule declared by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with processing fee for assessment as specified in National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institution) Regulations, 2024.

(3) Any college intending to increase its intake capacity in any course of study or training of the proposed college shall submit the scheme along with an application in Form-3 to the President, Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per schedule declared by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with processing fee for assessment as specified in National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institution) Regulations, 2024.

5. Eligibility for making an application.- (1) For making an application under sub-regulation (1) of regulation 4, a person or a institute shall be eligible if, -

(a) his one of the objectives is to impart quality education about Homoeopathy;

(b) has obtained 'No Objection Certificate' from the concerned State Government for establishing a new homoeopathic medical institution at the proposed site in Form-4;

(c) No objection certificate for opening new medical institution shall be obtained from the Secretary, Department of AYUSH or Health of the state;

(d) the No objection certificate should clearly specify the academic year of starting of the medical institution and the approved courses;

(e) concerned officials from Department of AYUSH or Health should visit the proposed site and verify the required details and accordingly decision for issuing the No objection certificate may be taken;

(f) the No Objection Certificate should contain the period of validity not exceeding three years from the date of issuing No objection certificate;

(g) has obtained a 'Consent of Affiliation' for establishing a new medical institution from a University established under any Central or State statute which shall be valid for two years, in Form-5;

(h) has not already admitted students in any class or standard or course or training of the proposed college;

(i) owns and manages a functional homoeopathic hospital in accordance with the provisions of the Second Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 from last one year;

(j) in a position to provide performance bank guarantee from a Scheduled Bank or Security amount valid for a period equivalent to the duration of course in favour of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi;

(k) college with capacity up to hundred seats- Bank guarantee of rupees two crores and fifty lakhs in favour of the National Commission for Homoeopathy which will be refunded without interest after a period equivalent to the duration of course:

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

(l) is in a position to establish infrastructure and manpower in phased manner in accordance to the provision specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 from last one year.

(2) For making an application under sub-regulation (2) of regulation 4, a person or an institute shall be eligible if, -

(a) has obtained 'No Objection Certificate' from the concerned State Government for opening a new or higher course of study or training in Form-4;

(b) No objection certificate for opening new or higher course of study or training shall be obtained from the Secretary, Department of AYUSH or Health of the state.

(c) The No objection certificate should clearly specify the academic year of starting of the new course. Concerned officials from the Department of AYUSH or Health should visit the proposed site and verify the required details and accordingly decision for issuing the No objection certificate may be taken.

(d) The No Objection Certificate should contain the period of validity not exceeding three years from the date of issuing No objection certificate.

(e) has obtained a 'Consent or Continuance of Affiliation' of the University established under Central or State Statute in Form-5;

(f) is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024;

(g) is recognised by the Central Government or the Commission for running undergraduate or post-graduate course in Homoeopathy for at least five and a half years and three years respectively;

(h) is exempted by the Central government for being owned or managed by the Central Government or the State Government from fulfilling the criteria specified in sub-clause (d);

(i) the nomenclature of post-graduate degree or course, guide-student ratio shall be as laid down in the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course-Doctor of Medicine in Homoeopathy), Regulations, 2024;

(j) is able to establish infrastructure and manpower in accordance with the provisions of the National Commission for (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy), Regulations, 2024;

(k) the college provides an undertaking to furnish a bank guarantee or security amount in favor of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, from a Scheduled bank for a period equivalent to the duration of the course for providing additional infrastructure facilities;

(l) post-graduate Course- Bank guarantee of rupees fifty lakh per subject upto seven seats in favor of the National Commission for Homoeopathy which will be refunded without interest after a period equivalent to the duration of course:

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

(3) For making an application under sub-regulation 3 of regulation 4, a person or a medical institution shall be eligible if, -

(a) has obtained 'No Objection Certificate' from the concerned State Government for increasing intake capacity of Homoeopathic medical college in Form-4;

(b) No Objection Certificate for increasing the intake capacity shall be obtained from the Secretary, Department of AYUSH or Health of the state.

(c) The No Objection Certificate should clearly specify the academic year of increasing the intake capacity and the approved courses.

(d) Concerned officials from the Department of AYUSH or Health should visit the proposed site and verify all the required details for increase in intake capacity and accordingly decision for issuing the No Objection Certificate may be taken.

(e) has obtained a 'Consent or Continuance of Affiliation' of the University established under Central or State Statute in Form 5;

(f) has produced documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2024;

(g) has completed a period of five and half years in case of undergraduate course and three years in case of post-graduate course and degree included in the Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act or listed in Medical Qualification Recognition List maintained by the National Commission for Homoeopathy;

(h) recognised by the Central Government or Commission for running undergraduate or post-graduate or any other recognised course;

(i) the maximum number of admissions in undergraduate course does not exceed one hundred;

(j) the ratio of Guide and students is maintained as laid down in the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy), Regulations, 2024;

(k) college provides a bank guarantee or security amount in favor of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, from a Scheduled bank for additional infrastructure facilities for each course or discipline as follows: -

(i) Post-graduate Course per seat- Bank guarantee of rupees five lakh.

(ii) For undergraduate course, Bank guarantee of rupees four lakhs per ten seats but limited up to one hundred seats only.

provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

(4) The annual intake capacity in post-graduate course shall be maximum ten seats but first permission shall be granted for maximum seven seats in a specialty subject. Amedical institution may apply for increase in intake capacity above sixty in undergraduate course or above seven in post-graduate course or starting of post-graduate course only after completion of first batch of its undergraduate course or post-graduate course, as the case may be.

6. Requirement of land.- (a) The total built up area required for adequate infrastructure including medical institution, hospital and other infrastructure required under these regulations is made available in a single piece of land, not less than 3.5 acres, in rural areas, or 2.5 acres in urban and hilly areas. The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land. A certificate from the Jila panchayat or local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the First Schedule and the Second Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024, which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Commission.

(b) There can be a separate building or interconnected building for the college and hospital as per the requirements mentioned in the First Schedule and the Second Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024. The land should be owned by the person or possessed on lease of not less than thirty years or maximum permissible period as per State regulations. Renewal of permission shall, however, must be obtained one year prior to expiry of lease. However, for new college establishments, the land in the name of person can be considered for grant of permission, provided there is a resolution of irrevocable authority for use of land only for homoeopathic medical institution and attached hospital. The resolution so passed shall have to be concurrently submitted to or approved by the registering authority with which applicant is registered. The property shall be exclusively demarcated for homoeopathy educational institution only.

(c) Medical institutions shall submit the possession certificate for land from tehsildar while submitting application.

(d) The building plan with departmental measurements must be certified by local authority of the Central Government or the State Government after verifying facilities as specified in these regulations.

(e) The buildings of the Homoeopathic medical Institute and hospital shall conform to the prevailing building codes and local building byelaws or norms. The hospitals should have fire-safety measures, including patient evacuation plans as per local byelaws and regulations. They must also comply with the requirements for providing access and facilities to those who are disabled. The buildings of the institute and hospital shall meet the requirements for the numbers of students to be admitted as specified.

7. Intake capacity.- The application in homoeopathic degree course, namely, Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery shall be considered up to one hundred seats.

8. POWER TO CALL FOR INFORMATION AND RETURNS.- (A) THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY AND ITS AUTONOMOUS BOARDS SHALL HAVE THE POWER TO CALL FOR SUCH INFORMATION AND RETURNS AS IT MAY DEEM FIT. THE UNIVERSITY AND MEDICAL INSTITUTION SHALL FURNISH THE SAID INFORMATION AS REQUIRED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY:

Provided that if the medical institution fails to provide the information and return to Commission within time-limit as notified by the Commission from time to time, the Commission shall recommend for action against the medical institution under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act assuming that the medical institution is not complying with the provisions of regulation.

(b) Every medical institution shall provide all necessary information, documents and records to the inspectors appointed by the Medical Assessment and Rating Board or Commission to discharge their functions demanded by them during the inspection or assessment.

9. Failure to comply.- If any medical institution and attached hospital fails to comply with minimum essential standards, the Commission shall recommend for action against such institutions or hospitals under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act**.**

10. REQUIREMENT OF MEDICAL INSTITUTION AND ATTACHED HOSPITAL.- (A) EVERY MEDICAL INSTITUTION SHALL HAVE THE REQUIRED AREAS, INFRASTRUCTURE, STAFFS, EQUIPMENT AS MENTIONED IN THE FIRST SCHEDULE AND ATTACHED HOSPITAL SHALL HAVE THE REQUIRED AREAS, INFRASTRUCTURE, STAFFS AND EQUIPMENT AS GIVEN IN THE SECOND SCHEDULE, AND QUALIFICATION OF THE STAFF MENTIONED IN THE THIRD SCHEDULE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY (MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR HOMOEOPATHIC COLLEGES AND ATTACHED HOSPITALS) REGULATIONS, 2024.

(b) However, all the existing medical institutions with intake capacity of one hundred seats, established prior to the date of notification of these regulations, shall fulfill the requirements of built up or constructed area, as laid down in these regulations within a period of five years from the date of notification of these regulations.

(c) All the existing medical institutions with intake capacity of one hundred seats, established prior to date of notification of these regulations, shall fulfill the specified department wise requirements, as laid down in these regulations within a period of one year from the date of notification of these regulations.

11. Requirements of the Homoeopathic medical institution.- (1) General- (a) The medical institution shall provide adequate built-up space to accommodate various teaching areas (both in the medical institution and the attached hospital), library, administrative areas, rooms for teaching and non-teaching staff, student amenities, and other provisions as specified in various sections of the First Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(b) Every medical institution shall have the attached hospital and hostel facility for the students and interns, with or without the residential area for faculty and other staff of medical institution or hospital.

Provided that medical college shall follow the ratio of hundred Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery seats for ten lakh population in that State Government or Union territory Administration.

(2) COLLEGE COUNCIL.– (A) EVERY MEDICAL INSTITUTION SHALL HAVE A COLLEGE COUNCIL COMPRISING OF THE HEAD OF ALL THE DEPARTMENTS OR FACULTY SPECIFIED FOR MEDICAL EDUCATION TECHNOLOGY UNIT AS MEMBERS AND PRINCIPAL OR DIRECTOR AS CHAIRPERSON.

(b) The council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters. Minutes of all the meetings shall be maintained properly.

(c) The council shall also organize inter-departmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the institution regularly.

(3) Phase wise specific requirement of new medical institutions.- A homoeopathic medical institution seeking permission for starting Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course under sub-section (1) of 29 shall establish infrastructure and manpower in phased manner as per the provision and Schedules (Schedule in this sub-regulation correspond to the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2024, mentioned below:

(i) Before the admission of the first batch of students, the medical institution shall have-

(a) at the time of submission of application, there should be a fully developed hospital building with functional homoeopathic hospital at least for one year before the date of making application; having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in sub-regulation (A) & sub-regulation (B) of regulation (10) in the land earmarked for college and attached hospital as per the

Second Schedule.

(b) all teachers with the requisite qualifications as specified in the First Schedule and the Third Schedule required for first professional year teaching should be available.

(c) At least one specialist doctor or clinical teacher, each of Surgery, Gynecology and Obstetrics and Practice of Medicine departments as specified in the Second Schedule, appointed for operating the hospital.

(d) A library with three thousand books, seating capacity of one hundred students and two librarian and peon.

(e) A properly furnished and well equipped two lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for the first professional year teaching as specified in the First Schedule.

(f) A medicinal plants garden covering five hundred square meters of land with plantation of at least hundred species of medicinal plants in premises.

(g) Hundred percent of paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as specified in the First Schedule and the Second Schedule.

(h) Assured round the clock availability of medical services including medicines, doctors and emergency management in the hospital.

(i) Fully functional pharmacy.

(ii) The medical institution shall be visited at least six months before the admission of the Second batch of students and at that time the institution shall have-

(a) All teachers with the requisite qualification as specified in the First Schedule and the Third Schedule and non-teaching staff required for the first and the second professional years teaching and training should be appointed;

(b) a library with three thousand books;

(c) A properly furnished and well-equipped three lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years teachingas specified in the First Schedule.

(iii) The medical institution shall be visited at least six months before the admission of third batch of students and that time the institutions shall have—

(a) All teachers with the requisite qualification as prescribed in the First Schedule and the Third Schedule and non-teaching staff required for the first, second and third professional year teaching and training should be appointed;

(b) A properly furnished and well equipped four lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years teaching as specified in the First Schedule.

(iv) The medical institution shall be visited at least six months before the admission of the fourth batch of students, the institution shall have-

(a) All teachers with the requisite qualification as prescribed in the First Schedule and the Third Schedule in the concerned subject and non-teaching staff required for the first, second, third, and fourth professional years teaching and training;

(b) Fully functional laboratories.

(v) List of equipment, machinery, etc.

To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the medical institution shall possess all the required equipment, machinery etc., in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the institution in sufficient numbers, as specified under the First Schedule and the Second Schedule.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board

[ADVT.-III/4/Exty./824/2023-24]

FORM-1

(See sub-regulation (1) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISION TO ESTABLISH A NEW MEDICAL INSTITUTION

1.		Name of the applicant (in BLOCK letters):	
2.		Complete Address with Pin Code, telephone numbers fax and e-mail (in BLOCK letters)	
3.		Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, (Telephone numbers, fax and e-mail):	
4.		Status of applicant whether State Government or Central Government or Union territory Administration or University or Trust	
5.		Registration or incorporation (Number and date if any)	
6.		Name and address of Affiliating University	
7.		Basic infrastructure Facilities available for Medical institution and attached Hospital (Attach separate sheet if necessary) As per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2024.	
8.	(a)	Composition of the Trust,	
	(b)	Particulars of members of the Society or Trust,	
	(c)	Head or Project Director of the proposed Medical College	
9.		Head or Project Director of hospital	
10.		Qualifications and Experience in the field of Medical education of trustmembers, if any	
11.		Financial Capability (Balance sheet for the lastthree years to be provided) If the applicant is a trust, details of the resources to be prescribed)	
12.		Name and Address of the proposed Homoeopathy College	
13.	Characteristics of proposed site of the Medical College		
	(a)	Topography	
	(b)	Plot size	
	(c)	Permissible floor space index	
	(d)	Ground coverage	
	(e)	Building height	
	(f)	Road access	
	(g)	Availability of public transport	
	(h)	Electric supply	
	(i)	Water supply	
	(j)	Sewerage connection	
	(k)	Communication facilities	
	(l)	Master plan of the Proposed Medical College	
	(m)	Layout plans, sections	
	(n)	Elevations and floor wise area calculations	
14.	Educational Programme		
	(a)	Proposed annual intake capacity of students	
	(b)	Mode of admission	
	(c)	All India Quota	
	(d)	Central Quota	
	(e)	Management Quota	

	(f)	N R I quota	
	(g)	State Quota	
	(h)	Reservation or preferential allocation of seats	
15.		Functional Programme	
	(a)	Department wise and service wise functional requirements	
	(b)	Area distribution and room wise sitting capacity	
16.		Equipment	
	(a)	Department wise list of equipment with year wise schedule of quantities and specifications	
	(b)	Medical equipment	
	(c)	Scientific equipment	
	(d)	Allied equipment	
17.		Man-power - Department wise and year wise provision	
	(a)	Full time teaching staff	
	(b)	Technical staff	
	(c)	Administrative staff	
	(d)	Ancillary staff	
	(e)	Salary structure	
	(f)	Mode of payment of salary	
	(g)	Recruitment procedure	
	(h)	Recruitment calendar	
18.		Building Programme	
	(a)	Departments, lecture theatres, examination hall, museum etc.	
	(b)	Staff quarters	
	(c)	Staff and students hostels	
	(d)	Administrative office	
	(e)	Library	
	(f)	Auditorium	
	(g)	Teaching pharmacy	
	(h)	Mortuary	
	(i)	Cultural and recreational centre	
	(j)	Sports complex	
	(k)	Medicinal plants garden	
		Other facilities (State name of other facilities)	
19.		Proposed Phase Programme and quarter wise schedule of activities indicating	
	(a)	Commencement and completion of building design	
	(b)	Local body approvals	
	(c)	Civil construction	
	(d)	Provision of engineering service and equipment	
	(e)	Requirement of staff	
	(f)	Schedule of admission	
20.		Project Cost	
	(a)	Capital cost of land	
	(b)	Buildings	
	(c)	Plant and machinery	
	(d)	Medical, scientific and allied equipment	
	(e)	Furniture and fixtures	
	(f)	Preliminary and preoperative expenses	
21.		Means of financing the project	
	(a)	Contribution of the applicant	
	(b)	Grants	
	(c)	Donations	

	(d)	Equity	
	(e)	Term loans	
	(f)	Other sources, if any	
22.		Revenue assumptions	
	(a)	Fee structure	
	(b)	Hospital user charges	
	(c)	Estimated annual revenue from various sources	
23.		Expenditure assumptions	
	(a)	Operating expenses	
	(b)	Depreciation	
24.		Operating results	
	(a)	Income statement	
	(b)	Cash flow statement	
	(c)	Projected balance sheets	
25.		Name, address and details of existing hospital	
	(a)	Bed strength	
	(b)	Bed distribution, bed occupancy and whether anorm of 1:2 ratio of in-patients per student would be fulfilled	
	(c)	Built up area	
	(d)	Clinical and para clinical disciplines	
	(e)	Number of outpatient departments and department wise attendance	
	(f)	Architectural and layout plans	
	(g)	List of medical or allied equipment	
	(h)	Capacity and configuration of engineering services	
	(i)	Hospital services, administrative services, other ancillary and support services (category wisestaff strength)	

Signature of Applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed, translated into any one of National Language.
2. Certified copy of certificate of registration.
3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the available land as proof of ownership, translated in any one of the National Language (Hindi or English).
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital.
7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
8. Certified copy of the “Consent of Affiliation” issued by a recognised University.
9. Authorisation letter addressed to the bankers of the applicant authorising the National Commission for Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
10. All the measurements of the land and buildings must be in METRIC SYSTEM.
11. Any other documents as required by National Commission for Homoeopathy.
12. Other enclosures as per the various parts of applications (Please indicate details).

Note : All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-2

(See sub-regulation (2) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISSION TO OPEN A NEW OR HIGHER COURSE OF STUDYOR TRAINING

1. Name of the applicant (in BLOCK letters)_____
2. Complete Address with PIN code, telephone number, or mobile number and email address(in BLOCK letters) _____
3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone numbers, mobile, e-mail and website)_____
4. Status of applicant whether State Government or Union territory Administration, University or Public or Private Trust_____
5. Registration Number and date: Central or State Government Authority or Charity commissioner or NITI Aayog Portal ID (, if any)_____
6. Name and address of Affiliating University_____
7. Year of admission of first batch for undergraduate course_____
8. Month and year of completion of first admitted undergraduate batch_____
9. Number of seats approved and date of recognition by Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy for existing undergraduate or post-graduate course(s)_____
10. Name of the proposed new or higher course (s) of study_____
11. Number of seats applied for undergraduate and post-graduate in each course subject wise_____
12. Details of additional financial allocation_____
13. Details of Provision for additional space_____
14. Details of Equipment and other infrastructure facilities as per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 _____
15. Details of Provision of recruitment of additional staff _____
16. Any other relevant information_____

Date : Signature of Applicant

Full Name: _____

Designation: _____

LIST OF ENCLOSURES:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
2. Attested copy of the continuance or concurrence of affiliation issued by a recognised University.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government or the National Commission for Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy approving recognition of the college or institution, if already approved by Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy.
5. All annexures required as per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 to be attached with the form wherever required duly attested bythe Principal or Director or Dean of the Applicant College or Institute.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-3

(See sub-regulation (3) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY

1. Name of the applicant (in BLOCK letters)_____
2. Complete Address with PIN code, telephone number, or mobile number and email address (in BLOCK letters) _____
3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone numbers, mobile, e-mail and website of institute or college)_____
4. Status of applicant whether State Government or Union territory Administration, University or Public or Private Trust _____
5. Registration Number and date: Central or State Government Authority or Charity commission or NITI Aayog Portal ID (if any) _____
6. Name and address of Affiliating University _____
7. Year of admission of first batch for undergraduate course _____
8. Month and year of admission of first batch admitted to undergraduate course _____
9. Month and year of completion of first admitted undergraduate batch _____
10. Number of seats approved and date of recognition by Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy, for existing undergraduate or post-graduate course(s) _____
11. Name of the course(s) of study applied_____for increase in admission capacity
12. Number of seats_____in each subject or course
13. Details of additional financial allocation_____
14. Details of provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities as perthe National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024_____
15. Details of provision for recruitment of additional staff
16. Any other relevant information _____

DATE: **SIGNATURE OF APPLICANT**

Full Name: _____

Designation:_____

List of enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
2. Attested copy of the continuance or concurrence of affiliation issued by a recognised University.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government or National Commission for Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from Ministry of Ayush or Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy approving recognition of the college or institution, if already approved.
5. All annexures required as per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 to be attached with the form wherever required duly attested by the Principal or Director or Dean of the Applicant College or Institute.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-4

(See clause (b), sub-regulation (1) of regulation 5)

NO OBJECTION CERTIFICATE FROM THE STATE GOVERNMENT

No…….

Government of …….

The Department of AYUSH,

To,

Dated, the ……

(Name and address of applicant),

Subject: No Objection Certificate

Reference:

Sir,

The desired "No Objection Certificate" in respect of following facts is being issued:

(1) Number of Homoeopathic institutions already existing in the concerned district and captive population.

(2) Number of seats available or number of Homoeopathic practitioners being produced annually.

(3) Number of Homoeopathic practitioners registered with the State Council or Board of Homoeopathy.

(4) Number of Homoeopathy practitioners in State Government Service.

(5) Number of vacant Government posts of Homoeopathy doctors in the State, particularly in rural or difficult areas.

(6) Number of Homoeopathy doctors registered with the State Employment Exchanges.

(7) Homoeopathy Doctors-population ratio in the State

(8) How the establishment of the medical College or increase in admission capacity or starting ……..course would resolve the problem of deficiencies of qualified medical personnel in the State and improve the availability of such medical manpower in the State,

(9) The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.

(10) Full justification for opening of the proposed medical College or increase in admission capacity or starting new or higher course.

(11) Homoeopathy Doctors-population ratio to be achieved.

i. The (name of the applicant) …….. has applied for establishment of new medical institution (Homoeopathy Medical College) at ……. On careful consideration of the proposal, the Government of …….. has decided to issue "No Objection Certificate" to the applicant for the establishment of a new medical institution (Homoeopathy Medical College) with …… (Number) seats capacity starting …….. Course.

ii. The (name of the applicant) ……. has applied for increase in admission intake capacity from ……. To …… seats starting …… year at (Homoeopathy Medical College) medical institution.

On careful consideration of the proposal, the Government of …….. has decided to issue "No Objection Certificate" to the applicant for the increase in intake capacity (Homoeopathy Medical College) from …… to …… (Number) seats capacity.

iii. The (name of the applicant) ……. has applied for opening of new higher courses or increase intake seats capacity in existing higher course at …….. On careful consideration of the proposal, the Government of …… has decided to issue " No objection Certificate" to the applicant for the establishment of a new higher course or increase intake seats capacity in existing higher course with …… (Number) of seats …….. for (a) Homoeopathy Materia Medica (b) seats …….. for Organon of Medicine (c) seats …….. for Repertory (d) seats …….. for Pharmacy (e) seats …….. for Practice of Medicine (f) seats …….. for Pediatrics (g) seats

…….. for Psychiatry (h) seats …….. for Community Medicine (i) seats …….. for Dermatology capacity starting new or increase admission capacity in …… course.

It is certified that;

(a) The applicant owns and manages a fifty bedded hospital, which was established in the year…….

(b) It is desirable to establish a new medical institution or opening new higher course in the public interest or increase in admission capacity or starting ……. Course and

(c) Establishment of new medical institution or increase in admission capacity or starting……course at..... by (the name of Trust) is feasible.

It is also certified that adequate clinical material as per norms of the Minimum Essential Standard in force are available with the proposed or existing Medical Institution (Homoeopathy Medical College).

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the Homoeopathy College as per Minimum Essential Standards norms in force and fresh admissions are stopped by the National Commission for Homoeopathy or Central Government, the State Government shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Central Government.

This No objection certificate granted is valid for the period of three years from the date of issue

Yours faithfully,

(Signature of the Competent Authority)

Office Seal

FORM-5

(See clause (g), sub-regulation (1) of regulation 5))

CONSENT OF AFFILIATION

No…….

University…….

Place:_____

Dated: _____

On the basis of the report of the Local Inquiry Committee, the University of -------- has agreed in principle, to affiliate the proposed Homoeopathy College with admission capacity of ……seat to be established at ---------- by the (name of the applicant), increase in admission capacity from _____ seats to _____ seats of ---------- Course or starting Course or Subject to grant of permission by the President, Medical Assessment and Rating Board, National Commission for Homoeopathy, Government of India, Ministry of Ayush, New Delhi under section _____of the National Commission for Homoeopathy Act 2020 and regulations there upon.

Yours faithfully,

(Signature of the Registrar)

Office seal

Note:- While issuing Consent of Affiliation to the applicant, a copy of the same along with detailed inspection report of the proposed homoeopathic medical College or institute shall be provided in the prescribed format to the President, MARBH, 61-65, opposite D Block Rd, Institutional Area, Janakpuri, Delhi-110058.

It is mandatory for the college or institute to apply for Continuance of Affiliation or Concurrence of affiliation every year subject to grant of permission from National Commission for Homoeopathy under Ministry of Ayush, Government of India.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253041
CG-DL-E-15032024-253041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

File No. 10-2/MARBH/NCH/2023-24.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses *(v), (w), (x), (y), (z), z(b) and z(c)* of sub-section (2) of section 55 read with section 28 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Inspectors and Visitors) Regulations, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institutions)Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions. -** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "attached hospital" means a teaching homoeopathic collegiate hospital attached to the medical institution;

(c) "course" means the courses of study in homoeopathy, namely :-

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery, means an Undergraduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

(ii) "Doctor of Medicine (Homoeopathy) or Post Graduation in Homoeopathy" a Post Graduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

(iii) any other course with medical qualification recognised by the Homoeopathy Education Board and shall also include trainings or fellowship in Homoeopathy above graduate level.

(d) "Form" means a Form annexed to these regulations;

(e) "Scheme" means an organised plan of furnishing information about the Medical Institution for achieving permission and rating;

(f) 'Minimum essential standards' means standards laid down by the Homoeopathy Education Board for conducting course(s), examinations and includes norms for infrastructure, faculty and quality of education and research in medical institutions;

(g) 'Inspector' means a team of experts appointed by the Medical Assessment and Rating Board or hired through authorised third-party agency by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy for carrying out inspection of medical institutions for assessment and rating and maintenance of minimum essential standards as specified by the Homoeopathy Education Board.

(2) words and expressions used herein and not defined in the regulations, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Procedure of assessment and rating of Medical Institutions. – (1) Each existing medical institution will be invited to submit information in structured format by offline or online mode with relevant annexures on annual basis along with the specified fees to the 'Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy' for assessment of maintenance of minimum essential standards as specified through regulation and for the rating.

(2) Applications received on or before the specified last date of submission along with the required fees shall only be accepted.

(3) The medical Institution shall submit continuance of affiliation certificate from the University for the preceding year along with application.

(4) All the eligible medical Institution shall be rated by assessment after a period of five years of opening and every year thereafter, subject to maintenance of minimum essential standards as specified.

(5) All such documents with are not in English or Hindi shall be translated and annexed certified with the Application form.

(6) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall verify the fulfillment of the medical institutions in terms of compliance of maintaining minimum essential standards followed by rating of such Institutions.

(7) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may seek any information, clarification, documents or digital material from any Medical College or Medical Institution at any time for the purpose of assessment and rating.

4. Fee to be submitted along with application.- The application submitted under regulations shall be accompanied by the fee as specified in the Table-1, below by way of a demand draft or online payment, payable to the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, namely: -

Table No. 1

For existing Homoeopathic Medical Colleges			
Fees			**Amount (Rs.)**
	Under graduate course	Post graduate course (alone)	For both Post graduate and Under graduate course
Processing fee for assessment	Two lakhs	Three lakhs	Four lakhs
For establishing New Homoeopathic Medical Colleges			
Fees			**Amount (Rs.)**
	Under graduate course	**Post graduate course (per subject)**	
Processing fee for assessment	Five lakhs	Two lakhs	
For Increase of Seats			
Processing fee for assessment	Four lakhs	Twenty-Five Thousand per seat	

5. **Extension of approval for admissions for existing Institutions based on self-disclosure.–**(1) All recognised existing homoeopathic medical Institutions with more than five years of establishment and having permission from Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or Commission or Government of India continuously during last three years shall get extension of approval for admissions for the subsequent year based on self-disclosure through web portal of the Commission, with an affidavit stating full compliance to Minimum Essential Standards as notified, as per the sanctioned intake capacity of the preceding year of notification of this regulation. Such colleges may be inspected for necessary verification of compliance of regulation during the course of academic year. Extension of approval for admissions shall be conveyed.

(i) Provided that the Institution is not acted upon by Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or Commission or Government of India under the provisions of clause (f) sub-section (1) of section 28 of the National Commission for Homoeopathy Act.

(ii) Provided further that no legal or disciplinary issues pending or contemplated against the Institution.

(iii) Provided further that the Institution has not violated the provisions of regulations on admission of students as specified through regulations.

(2) The existing colleges which do not fall in category as per sub regulation (1) above, shall be given permission or denial for admission in subsequent year only after conducting the inspection.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy upon inspection if finds institution not having compliances to Minimum essential standards as specified through regulations shall be acted upon sections 8 and 9 of this regulation.

(4) Institutions not seeking permission for admissions or are denied permission, consecutively during last five years, shall be considered fresh, if applies to get permission under scheme of opening of opening of new colleges shall apply under scheme of opening of new colleges as per provisions of the related regulation notified elsewhere.

6. **Manner of appointment of inspectors or independent rating agencies for assessment and rating.–** (1)The President of Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall appoint such number of inspectors, authorised third party agency to inspect the medical institution for assessment and rating for maintenance of minimum essential standards as specified.

(2) No person shall be appointed as an inspector unless he or she possesses the following qualification, namely: -

(i) a recognised Post Graduate medical qualification in Homoeopathy included in the Degree Recognition List maintained by the Homoeopathy Education Board of the Commission; and

(ii) having at least five years professional experience in a Central Government or State Government or Autonomous Institution.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may also hire services of public sector agency, having experience of similar work of assessment or rating of Medical or Non-medical Institutions as independent assessment and rating agency by calling Expression of Interest on mutually agreed terms and conditions after approval of the Commission.

(4) The team of experts or independent assessment and rating agency shall follow the guidelines for assessment of Minimum Essential Standards and or rating of the institutions.

7. **Manner of carrying out Inspections for Assessment and Rating of Medical Institutions. –** The Medical Institutions, shall be inspected for assessment and rating as under:

(a) the Medical Assessment Board of Homoeopathy shall authorise such number of Inspectors or through authorised third-party independent rating agency as deemed necessary to inspect Medical Institutions for assessment and rating to maintain the minimum essential standards as specified;

(b) inspections shall be carried out in physical or online or hybrid mode.

(c) institutions shall also be assessed as per rating criteria specified in these regulations;

(d) rating of medical Institutions shall be made available on the website of the National Commission for Homoeopathy every year;

(e) inspection teams or Rating Agency shall be provided all the required documents duly signed by the authority of the Institutions as may be asked to submit during inspection;

(f) the information and reports with annexures or video recording of inspection for assessment and rating of a Medical Institution shall be kept confidential. It shall be submitted to the Medical

Assessment or Rating Board for Homoeopathy with signatures of all team members in a sealed cover. Copy of the report to be submitted online to official e-mail of the Board on the same day.

(g) the report of inspection for rating and assessment shall be made available to the concerned Institution after final decision has been taken by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy; and

(h) more than one inspection for a college can be conducted during an academic year, if found necessary by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or by the Commission.

8. Failure to maintain minimum essential standards. - Upon assessment, if any Institution is not maintaining the minimum essential standards as specified, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, shall reduce the intake of seats or deny permission for admissions and recommend to the Commission for withdrawal of recognition in that particular academic year or subsequent year as the case may be.

9. Imposition of penalty for failure to maintain minimum essential standards of education. –

The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall issue warning, impose penalty or to take action against the medical Institution for the following reasons namely:-

(i) monetary penalty shall be imposed on the Medical Institution for submitting forged documents in support of claim for maintenance of minimum essential standards;

(ii) monetary penalty shall be imposed on the Medical Institution in case of providing false teaching experience to a teacher or to any other staff; and

(iii) monetary penalty shall be imposed on the Medical Institution having ghost teachers on their faculty list appointed by them as full-time teachers.

(iv) the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, may issue warning to the Medical Institution with the directions to rectify the deficiencies in maintaining the Minimum Essential Standards in time bound manner as specified ;

(v) failure to rectify the deficiencies within the time period given, if noticed monetary penalty as recommended by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy and approved by the Commission shall be imposed on the Medical Institution;

(vi) amount of penalty shall be deposited in the Account of the National Commission for Homoeopathy;

(vii) permission to the Medical institution shall be denied in the subsequent year if monetary penalty is not deposited to the Commission in time;

10. Inspection for Assessment of scheme for establishment of new medical institution. – (1) Inspection for establishing a new Medical Institution shall be considered after assessment of eligibility requirements as per the norms laid down by the Homoeopathy Education Board for imparting Under Graduate and Post Graduate courses on submission of required information, and documents along with requisite fee as per the norms as prescribed in the **(Form-1).**

(2) New Institution shall be assessed keeping in view of the following requirements before issuing letter of Intents, namely:-

(a) adequacy of infrastructure and financial resources as per norms and minimum essential standards laid down by the Homoeopathy Education Board;

(b) written consent of the required faculty fulfilling the essential qualification and experience, availability of non-teaching staff;

(c) other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of the existing Homoeopathy Hospital and as may be required for the Medical Institution;

(d) valid No Objection Certificate from the State Government after holding inspection of the premises as per the format of the Commission;

(e) valid consent of affiliation from the affiliating University issued in the format of the Commission with the report of inspection;

(3) The application of new scheme shall be returned, if the same is not completed in terms of the required documents and provided under sub-regulation (2).

(4) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall issue Letter of Intent after verification of required documents and facilities as specified by the Homoeopathy Education Board for new scheme through inspection.

(5) The new Medical Institution shall be inspected for assessment for Minimum Essential Standards and rating compulsorily every year after five years from the date and year of establishment, with required fee.

(6) Assessment of the new Institution shall be carried out according to phase wise requirements for development for new Scheme as specified by the Homoeopathy Education Board.

(7) A Letter of Permission shall be issued after assessment of compliance of minimum essential standards as per the criteria laid down for infrastructure, teaching and non-teaching faculty, medical and para-medical staff, and other adequate facility required and specified for proper functioning of Medical Institution including hospital and specific requirements as indicated in the Letter of Intent and receipt of the required Performance Bank Guarantee in favor of the National Commission for Homoeopathy.

(8) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall verify all facilities after physical inspection of the College, if satisfied on the facilities established in the College and Collegiate Hospital shall issue for permission for one academic year. If any essential facilities are found as not addressed, Letter of Permission for subsequent academic year, as the case may be, shall not be issued, or cancelled.

(9) Letter of Permission shall be issued for the particular academic year for which the application is received.

(10) New Medical Institution shall be assessed compulsorily every year for five years from the date and year of opening with required fee.

(11) Assessment for Minimum Essential Standards and Rating of the new Institution shall be carried out according to requirements of phase wise development as per the new scheme as specified by the Homoeopathy Education Board.

11. Assessment of new scheme for opening new or higher course of study or training. -(1) Inspection for opening a new higher course or training by a medical institution shall be considered after assessment of eligibility requirements for application as specified by the Homoeopathy Education Board through regulation.

(2) The Institution shall be assessed keeping in view of the following before issuing Letter of Intent, namely :-

(a) adequacy of infrastructure and financial resources as per Minimum Essential Standards, 2024 for new scheme as specified by the Homoeopathy Education Board;

(b) adequate academic faculty, non-teaching and supportive staff, additional facilities in Library and Laboratories and all other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of medical institution;

(c) adequate hospital facilities and functioning are in existence as assessed through inspection;

(d) The continuance of Affiliation Certificate with list of faculties and guides issued by the University after the University inspections for the last two years;

(e) approval of faculties for higher course by the University without affecting Under Graduate course; and

(f) valid No Objection Certificate from the State Government

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall inspect the Medical Institution and issue Letter of Intent, if the applicant institution is found eligible. The Letter of Intent to start a new higher course or training by a Medical Institution shall include a statement of requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty, and other manpower as assessed by the Inspector.

(4) In case of failure to fulfill the requirements for opening new Post Graduate Course or higher course of study or training, an opportunity to rectify the defects, within a time period as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, shall be given.

(5) In the case of defects not removed, the scheme shall be disapproved by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

(6) Letter of Permission shall be issued after assessment of compliance of the conditions and requirements indicated in the Letter of Intent and on receipt of the required Performance Bank Guarantee or security deposit in favour of the Commission and appointment of required faculty, other manpower and facilities as per regulations for opening new Post Graduate Course or Higher Course of study or training.

(7) All the facilities shall be verified before approval by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

12. Assessment for scheme for increase in seating capacity in the existing medical institution. – (1) Inspection for increase in intake capacity in existing Medical Institution shall be considered after Assessment of Eligibility Requirements for application as per Minimum Essential Standards as specified by the Homoeopathy Education Board and on submission of required information and documents along with requisite fee.

(2) The existing medical institution applying for increase in seating capacity shall be assessed keeping in view of the following, before issuing Letter of Intent, namely:-

(a) adequacy of infrastructure and financial resources as per Minimum Essential Standards, 2024 for increase in seating capacity as notified by separate regulations;

(b) required academic faculty, non-teaching and supportive staff and other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of Medical Institution as specified in the scheme; and

(c) adequate hospital facilities and functioning are in existence.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall inspect the Medical Institution and issue Letter of Intent, if the applicant Institution is found eligible.

(4) The Letter of Intent to increase in seating capacity in a Medical Institution shall include a statement of requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, Medical and allied equipment, faculty, and other manpower.

(5) In case of failure to fulfill the requirements for increase in seating capacity, an opportunity to rectify the defects, within a time period as may be specified by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, shall be given.

(6) In case of defects not removed, the scheme shall be disapproved by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy.

(7) Letter of Permission shall be issued only after considering the maintenance of Minimum Essential Standards during the last five years and also after assessment of compliance and fulfillment of requirements indicated in the Letter of Intent.

(8) Submission of required performance Bank Guarantee or security deposit in favor of the Commission and appointment of required faculty and other manpower.

(9) In case of failure to fulfill the requirements as assessed by the Medical Assessment and Rating board, the scheme for increase in seating capacity shall be disapproved.

13. Rating criteria for the Medical Institutions. - (1) The Medical Institutions shall be assessed on the following parameters for rating purpose:

(i) infrastructure and equipment;

(ii) human and finance resources;

(iii) hospital operations and functionalities;

(iv) teaching-learning program and technology;

(v) evaluation of education program (Course outcome);

(vi) research and publications;

(vii) community outreach program;

(viii) staff or student welfare;

(ix) accreditation like National Assessment and Accreditation Council, National Accreditation Board for Hospitals, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, International Organisation for Standardization;

(x) quality assurance and feedback; and

(xi) capacity building of the faculty and staff.

(2) The components in respect of infrastructure and manpower are required to be fulfilled by the Medical Institutions, as per the specifications of requirement of applicable in regulations, to have an average score.

(3) The higher score shall be given for such Institutions, who have achieved minimum essential standards as specified by the Homoeopathy Education Board and other components like accreditation, research and publications, quality education initiatives and higher educational facility acquired.

(4) The rating of Institutions shall be made available on the website of the National Commission for Homoeopathy before the admissions are open in the respective year.

(5) The website of Medical Institutions shall publish the link on rating of institutions mentioned on the website of the National Commission for Homoeopathy.

(6) Assessment and Rating shall be done annually.

(7) The Medical Institutions shall be graded based on the scores obtained during the assessment. Based on the scores, colleges will be rated from 'A+' Grade, 'A' Grade, 'B+' Grade, 'B' Grade up to 'C' Grade.

Grade	**Assessment Score**
A++	Above 80% of the total score
A+	Above 70% up to 80% of the total score
B+	Above 60% up to 70% of the total score
B	Above 50% to 60% of the total score
C	Below 50% of the total score

14. Appeals on disapproval of a scheme and denial of permission to existing medical institutions for admissions by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy. – (1) where no order is passed by the Medical Assessment and Rating Board on a scheme within six months of receiving the proposal or on disapproval of the scheme, the person concerned may prefer an appeal to the Commission within thirty days of such disapproval.

(2) Manner of appeal to be considered by the Commission has been provided in the National Commission for Homoeopathy (General) Regulations, 2023. The Commission shall follow the same while considering appeal.

(3) where the Commission has disapproved the scheme or no order has been passed within fifteen days from the date of preferring appeal under these regulations, the person concerned may prefer a second appeal to the Central Government, within seven days of the communication of such disapproval.

15. Withdrawal of recognition or de-recognition of qualification.- (1)Upon inspection or assessment, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy shall send report to the Commission for withdrawal of recognition or de-recognition of qualification granted to the Medical Institution by a University or Medical Institution on the following reasons, namely :-

(a) the courses of study and examination to be undergone in, or the proficiency required from candidates at any examination held by a University or Medical Institution do not conform to the minimum essential standards specified by the Homoeopathy Education Board; or

(b) the standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education in medical institutions as determined by the Homoeopathy Education Board are not adhered to by any University or Medical Institution, and such University or Medical Institution has failed to take necessary corrective action to maintain specified minimum essential standards, the Commission may initiate action in accordance with the provisions of sub-section (2):

(c) the Commission shall initiate action to impose penalty or take action for *suo-moto* withdrawal of recognition granted to the medical qualification awarded by a University.

(d) The Commission on the recommendation shall write to the Government of the State in which the University or Medical Institution is situated. The State Government shall seek explanation from the affiliating University and upon receiving such explanation shall make the recommendations to the Commission.

(e) the Commission shall, after making such further inquiry as it deems fit, and after holding consultations with the State Government or Union territory administration and the authority of the

concerned University of Medical Institution, comes to the conclusion that the recognition granted to such medical qualification ought to be withdrawn and by order, shall withdraw recognition granted and upload it on its website for general public

(f) The Commission shall direct the Homoeopathy Education Board to amend the entries against the University or Medical Institution concerned in the list maintained by that Board to the effect that the recognition granted to such qualification is withdrawn with effect from the date specified in that order.

16. Closure of Homoeopathy Medical Colleges. - (1) Requirement and eligibility,**-**

(a) The existing Institution seeking for progressive closure or complete closure shall apply to the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy with the recommendations of the concerned State and from the affiliating University.

(b) In case of progressive closure, closure at first level shall be allowed in the current academic year and the subsequent years of working shall be closed at the end of each academic year progressively. However, final closure order shall be issued after completion of the program(s) and submission of Affidavit/Undertaking **(Form 1)** by the College.

(c) In case of complete closure, the institution shall be closed completely in one instance.

(d) Progressive closure or complete closure is subject to no pending court case filed against the Institution by the Commission or State Government or Central Government.

(e) College shall not be eligible to apply to other courses listed in Minimum Essential Education regulation.

(f) The affidavit to be submitted for closure of the College shall be as per **(Form 2)** of the regulation.

(2) **Procedure:**

(a) The College has to apply to Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per the Regulations.

(b) Medical Assessment and Rating board or Committee constituted for scrutiny shall verify the documents submitted by the college.

(c) The closure of College shall be effected only on receipt of approval by the Commission.

(3) Applications of existing institutions which have applied for closure of the institution, shall be given an extension of permission with zero student intake for the current academic year, for submission of Inspection report of affiliated University. Such institutions should submit all relevant documents after all students passed out (or) redistributed or transferred through affiliated University to nearby Homoeopathic Medical Colleges as recognised by the National Commission for Homoeopathy and seek official closure of the college.

(4) The application for closure of the College shall be valid for the duration of the course within which the Institution should submit the required mandatory documents. Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy may close the College after approval of the Commission with the intimation to the affiliating University and State Government or Union territory Administration and shall issue a Public Notice regarding the same. In case of such institutions where Bank Guarantee is to be released, a penalty of the value of security deposit as may be decided by the Commission shall be imposed before the release of same.

17. Criteria for relaxation.-

The Commission upon consultation with the Central Government shall relax Minimum Essential Standards as specified by the Homoeopathy Education Board for medical institutions which are set up in such areas like Hills, Tribal, North-Eastern States, or as deemed necessary by the Commission in consultation with the Central Government subject to the condition that quality of education and health care services shall not be affected seriously.

Dr. K.R. JANARDANAN NAIR, President

[ADVT.-III/4/Exty./825/2023-24]

Form-1

[See regulation 18(1)(b)]

Affidavit or Undertaking

(To be issued on Homeopathy Medical College letter head)

To

The President,

Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy,

National Commission for Homoeopathy,

61-65, Institutional Area, Janakpuri,

New Delhi-110058

Reference: Closure of (Name) Homoeopathic Medical College-reg.

Sir,

We Undertake the following, namely:-

(i) that the college shall provide requisite fund and facility like infrastructure, laboratory, library, computers, faculty and clinical training and so on till all the students studying complete their course.

(ii) that college shall also make all such arrangements for students who are trailing due to failure.

(iii) that college shall bear liability of refunding the caution money to passing out of the regular as well as trailing students.

(Signature of Principal with seal)

Form-2

[see regulation 18(1)(f)]

Closure of College

(Format of affidavit to be submitted by the applicant on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- duly sworn before first class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner.

I or We <Name> Chairman, <name of the Trust Society> Secretary, <name of the trust or Society>, son of ……..aged…… do hereby solemnly affirm, state and undertake to comply with the following in connection with our application of <College Name and Address> to ……..University, for closure of the college.

(a) Consequently, I hereby declare that the Trust (Name of Trust and full address) is responsible for

(b) The education and examination related work of the students already admitted in this course till completion.

(c) Administrative issues of such students and all staff (teaching and non-teaching).'

(d) No court case is pending against the National Commission for Homoeopathy or Government of India……. University, (Place)

(e) No ragging or women harassment or Police case is pending.

(f) No punishable action taken by the National Commission for Homoeopathy or Affiliating University or State Government regarding non-compliance of norms.

Name of the authorised person executing the undertaking

along with his or her official position with (Seal)

Verification

I, the above named deponent do hereby verify that the facts stated in the above affidavit are true to my knowledge. No part of the same is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at<name of the place>**on this the**<date>.

DEPONENT

(Name, designation and address of the executants' seal)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



Board of Ethics & Registration for Homoeopathy

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227316
CG-DL-E-01062021-227316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943
No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

G.S.R. 358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "Commission" means the National Commission for Homoeopathy constituted under section 3 of the Act;

(c) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. **Manner of submitting list of medical practitioners under first proviso to sub-section (1) of section 34**.— (1) The Commission shall submit the list of the Homoeopathy Practitioners to the Central Government once in every six months in Form A and Form B of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Commission shall submit the Forms referred to in sub-rule (1) in a portable document format (PDF) by electronic mode and forward two hard copies of the same by speed post to the Joint Secretary to the Government of India in-charge of the affairs of the National Commission for Homoeopathy in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy.

SCHEDULE

FORM A

[*See* rule 3]

List of Homoeopathy Practitioners possessing recognised medical qualifications enrolled in State Register or National Register.

S.No.	Name of professional (IN BLOCK LETTERS) with recent photograph.	Father's name (IN BLOCK LETTERS).	Present correspondence address.	Permanent address.	Aadhaar number.	Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date of birth and Nationality.	Name of medical degree or diploma obtained and University with the month and year of passing qualification.	Registration particulars: (i) Registration number: (ii) Date of registration: (iii) Name(s) of the register (National/State): (iv) Whether the registration is renewable or permanent:	Name of hospital or institute with complete address for purposes of teaching or research or practice, of medicine.	Name of person in institution or hospital who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM B

[*See* rule 3]

List of the Homoeopathy Practitioners possessing medical qualifications from outside India and permitted to practice in India for a limited period under second proviso to sub-section (1) of section 34.

S.No.	Name of professional (IN BLOCK LETTERS) with recent photograph.	Father's name (IN BLOCK LETTERS).	Present correspondence address.	Permanent address.	Passport number.	Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address.	Visa details.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Date of birth and Nationality.	Name of medical degree or diploma obtained and University with the month and year of passing qualification.	Whether previously visited India for medical practice. If so, date, period and place of previous visits.	Are you registered in any other foreign country? If so, give name of body or organisation or institute with which registered and number and date of registration.	Are you registered as a medical practitioner in your own country? If so, provide name of body or organisation or institute with which registered with registration or license number and date.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Whether registration or License is renewable or permanent.	Name of hospital or institute with complete address for the purposes of teaching or research or practice of medicine.	Period of training or research or practice of medicine.	Name of person in institution or hospital in India, who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned.	Whether employment in India was temporary or permanent to be specified.
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

[F.No. R-21011/10/2020-EP-III]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247662
CG-DL-E-27072023-247662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945
No. 441] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2023

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Rules, 2021, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Rules, 2021, in rule 3, in sub-rule (2), the words "and forward two hard copies of the same by speed post" shall be omitted.

[F. No. R-21011/10/2020-EP-III]

RAHUL SHARMA, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 358(E) dated the 1st June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December of 2022

F. No. 2-11/2021-BERH/NCH/11050 -In exercise of the powers conferred by clauses (u), (zd) and (ze) of sub-section (2) of section 55of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. ***Short title and commencement–*** (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Practitioners of Homoeopathy) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. ***Definitions –*** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, (15 of 2020);

(b) "Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)" means as the case may be is a mission which seeks to create a national digital health ecosystem that supports universal health coverage in an efficient, accessible, inclusive, affordable, timely and safe manner, that provides a wide-range of data, information and infrastructure services, duly leveraging open, interoperable, standards based digital systems, and ensures the security, confidentiality and privacy of health-related personal information.

(c) "Practitioner of Homoeopathy' includes Medical Practitioner of Homoeopathy, registered practitioner of Homoeopathy, registered medical practitioner, practitioner, register homoeopathic practitioner, licensed practitioner, homoeopathy practitioner, who is for the time being registered in any State register or Central register or National register for Homoeopathy;

(d) "section" means a section of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Declaration and Oath --**At the time of registration, each applicant shall submit a Declaration and Oath asper the format given at Appendix-I,to the registrar of the State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy concerned, duly signed by applicant.

CHAPTER II

General Principles

4. **Character of Practitioner of Homoeopathy. –** (1) The primary object of the medical profession is to render service to humanity with full respect for the dignity of Human being and financial reward is a secondary consideration.

(2) Whoever chooses the medical profession, assumes the obligation to conduct himself or herself in accordance with its ideals and shall be an upright person and qualified or registered or both with the State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, and shall keep himself or herself pure in character and be diligent in caring for the sick and shall be modest, sober, patient and prompt to do his duty without anxiety and shall be pious and conduct himself or herself with propriety in his or her profession and in all the actions of his or her life.

5. **Standards of Character and Morals. –** (1) The medical profession expects highest level of character and morals and every practitioner of Homoeopathy owes to the profession and committed duty to attain such level. Being an incumbent upon a practitioner of Homoeopathy, temperate in all matters, the practice of medicine requires unremitting exercise of a clear and vigorous mind.

(2) A Practitioner of Homoeopathy shall uphold the dignity and honours of his or her profession with prime objectives of rendering services to humanity and rewards and financial gains shall be secondary.

6. **Responsibility of Practitioner of Homoeopathy. -** A practitioner of Homoeopathy shall merit the confidence of patients entrusted to his care while rendering of service and devotion. The honoured ideals of the medical profession imply the responsibilities of a practitioner extended not only to individuals but also to the entire society and therefore the practitioner should try continuously to improve his knowledge and skills; and should be available to the patient and colleagues for benefits of such knowledge.

7. **Prescription and Medical certificate**. – (1) A Practitioner of Homoeopathy shall provide the prescription to a patient within seventy two hours as requested or required by such person; and also issue Medical Certificate to the patient when so desired. He will keep a copy of the medical certificate as a record for at least three years and the format of the medical certificate shall be as per format at Appendix-III to these regulations.

(2) A Practitioner of Homoeopathy shall display the registration number in his or her clinic on every prescription, as per medical certificate, or he and she shall display as suffix to his or her name over recognized degree, diploma, membership, honour.

(3) A Practitioner of Homoeopathy, whose qualification is included in the 2nd or 3rd Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973(59 of 1973) or in the list of recognized qualification of the National Commission for Homoeopathy, may use "Dr." as prefix before his or her name.

8. **Advertising. -** (1) Solicitation of patients directly or indirectly, by a practitioner of Homoeopathy either personally or by advertisement in the newspapers, by placards or by the distribution of circular cards or handbills, shall be unethical.

(2) A practitioner of Homoeopathy shall not make use of, or permit others to make use of, his or her name, signature as a subject of any form or manner of advertising or publicity through lay channels which shall be of such a character as to invite attention to him or to his professional position or skill or as would ordinarily result in his self-aggrandizement.

Provided that he or she may be permitted for formal announcement in media, about the following matters, namely:-

(i) the starting of practice;

(ii) change of address;

(iii) temporary absence from duty;

(iv) resumption of practice;

(v) succeeding to another's practice;

(vi) registration on any Ayushman Bharat Digital Mission enabled digital platform.

(3) A practitioner of Homeopathy shall not advertise himself or herself directly or indirectly through price lists or publicity materials of manufacturing firms or traders with whom he or she may be connected in any capacity, nor shall he or she publish cases, operations or letters of thanks from patients in non-professional newspapers or journal:

Provided that he or she may be permitted to publish his or her name in connection with a prospectus or a directory or a technical expert's report.

(4) A practitioner of Homoeopathy shall not follow or promote or practice objectionable claims on various e-platforms nor use the prescription according to such unethical claims which may bring a bad reputation to the system:

Provided that nothing contained in these regulations shall apply, if he or she writes for laying in the media under his own name in matters of public health, hygiene or occasionally delivers a public lecture, gives talks on television or radio relating to health or hygiene without suggesting specific treatment or prescription.

(5) Provided further that Ayushman Bharat Digital Mission enabled digital platform used by a practitioner of Homeopathy in order to enable individuals to search for healthcare providers and healthcare services shall not be considered to be solicitation of patients for the purpose of this regulation.

9. **Professional service. -** (1) A practitioner of Homoeopathyengaged in the practice may receive the payment for such services and shall specifically intimateto the patient at the time, the medical service is rendered.

(2) Fee are reducible at the discretion of the practitioner of Homoeopathy and he or she shall always recognize poverty as presenting valid claims for gratuitous services;

(3) It shall be unethical to enter into a contract of "no cure, no payment".

CHAPTER III

Duties of Homoeopathic Practitioners to their Patients

10. Obligations to the sick. –During urgency, the Practitioner of Homoeopathy shall, for the sake of humanity and the noble traditions of the profession, not only be ever ready to respond to the calls of the sick and the injured, but also be mindful of the high character of his or her mission and the responsibility he or she incurs in the discharge of his professional duties; considering scope and limitations, of his expertise.

11. Patient not to be neglected. - (1) A practitioner of Homoeopathy shall be free to choose whom he or she will treat; provided he or she shall respond to any request for his or her assistance in an emergency or whenever expects the service and in case of emergency, the Practitioner of Homoeopathy shall treat the patient; Provided that he or she may refuse treatment due to limitation of his or her expertise; and refer the patient to another appropriate physician or health facility in the interest of patient.

(2) Once having undertaken a case, a practitioner of Homoeopathy shall not neglect the patient nor shall withdraw from the case without giving notice to the patient, through his or her relatives or his or her responsible friend sufficiently long in advance of his or her withdrawal to allow them time to secure another practitioner of Homoeopathy.

12. Acts of negligence. - (1) No practitioner of Homoeopathy shall willfully commit an act of negligence that may deprive his or her patient of necessary medical care.

(2) A practitioner of Homoeopathy is expected to render due diligence and skill in services as would be expected from another practitioner of Homoeopathy with similar qualifications, experience and attainments.

(3) An act of commission or omission of a practitioner of Homoeopathy shall not be judged by any non-Homoeopathic Standards of professional service expected from him or her; but by those standards as are expected from a Homoeopath of his or her training, standing and experience.

(4) A practitioner of Homoeopathy shall use any drug prepared according to Homoeopathic principles and according to Pharmacopeial standards which is approved by the licensing authorities and adopt other necessary measures including modern investigation techniques i.e., Radiological, Pathological, and others are required for diagnosis and follow up of treatment.

13. Practitioner of Homoeopathy to obey law and regulations. - A practitioner of Homoeopathy, **-**

(a) shall not act contrary to the laws regulating the practice of Homoeopathy;

(b) shall not assist others to disobey the law regulating the practice of Homoeopathy;

(c) shall act in aid of the enforcement of sanitary laws and regulations in the interest of public health;

(d) A practitioner of Homoeopathy shall observe the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Act, 1985 (61 of 1985), the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Transplantation of Human Organs and tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), and Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, Environmental (Protection) Act 1986(29 of 1986),Preconception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) and such other related Acts and Rules of the Central Government or the State Government or the Local Administrative bodies relating to protection and promotion of public health, as amended time to time.

14. Behaviour towards patients. - The demeanor of a practitioner of Homoeopathy towards his or her patients shall always be courteous, sympathetic, friendly and helpful and every patient shall be treated with attention and consideration.

15. Prognosis. - (1) The practitioner of Homoeopathy shall neither exaggerate, nor minimize the gravity of a patient's condition and he or she shall ensure that the patient, his or her relatives or responsible friends have such knowledge of the patient's condition as will serve the best interest of the patient and his or her family.

(2) In cases of serious manifestations, he or she shall give timely notice to the family or authorized attendant of the patient and also to the patient, when necessary.

16. Ethics of Privacy, Confidentiality and Medical Records (Patience, Delicacy and Secrecy). - Maintaining confidentiality, patience and delicacy shall symbolize or characterize the attitude of a practitioner of Homoeopathy and confidences concerning individual or domestic life entrusted by patients to a practitioner and defects in the disposition or character of patients observed during the medical attendance shall not be revealed by him to anyone unless their revelation is required by the laws time being in force.

CHAPTER IV

Duties of practitioner of Homoeopathy to the Profession

17. Upholding honour of profession. - A practitioner of Homoeopathy shall, at all times, uphold the dignity and honour of the profession.

18. Membership of Medical Society. - For the advancement of his or her profession, a practitioner of Homoeopathy may affiliate with Medical Societies and contribute his or her time, energy and means to his or her progress so that he or she may better represent and promote the ideals of the profession.

19. Exposing unethical conduct. - A practitioner of Homoeopathy shall expose to appropriate authority, without fear or favor, the incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of any member of the profession.

20. Association with unregistered persons or indulging in malpractice. - A practitioner shall not associate himself or herself professionally with anybody or society of unregistered practitioners of Homoeopathy and practitioners indulging in malpractice.

21. Appointment of substitutes. - Whenever a practitioner of Homoeopathy requests another practitioner of Homoeopathy to attend his patients during his temporary absence from practice, then the professional courtesy requires the acceptance of such appointment by the latter, if it is consistent with his or her other duties and the said practitioner of Homoeopathy acting under such an appointment shall give the utmost consideration to the interests and reputation of the absentee practitioner and shall not charge either the patient or the absentee practitioner of Homoeopathy for his or her services, except in the case of a special arrangement between them and such patients shall be restored to the care of the absentee practitioner of Homoeopathy upon his return.

22. Service without fees to fellow Practitioner.- (1) A practitioner of Homoeopathy shall consider it a pleasure and privilege to render gratuitous service to his or her professional brother and his dependents if they are in their vicinity or to a medical student and shall not charge for his or her service.

(2) When a practitioner of Homoeopathy is called from a distance to attend or advise another practitioner of Homoeopathy or his or her dependents, reimbursement shall be made for travelling and other incidental expenses.

23. Emergency visit.- (1) The practitioner of Homoeopathy called upon in an emergency to visit a patient, under the care of another practitioner of Homoeopathy shall, when the emergency is over, retire in favor of the later; but he or she shall be entitled to charge the patient for his services.

(2) When a practitioner of Homoeopathy is consulted at his own residence, it is not necessary for him to enquire of the patient if he or she is under the care of another medical practitioner of Homoeopathy.

(3) When a practitioner of Homoeopathy examines a patient, at the request of another practitioner of Homoeopathy, it shall be his or her duty to write a letter, stating his or her opinion of the case with the mode of treatment, he or she thinks is required to be adopted.

24. Engagement for an Obstetrics case. - (1) If a practitioner of Homoeopathy is engaged to attend a woman patient during her confinement, he or she shall do so and refusal to do so on an excuse of any other engagement shall be considered unethical, except when he or she is already engaged on a similar or other serious case.

(2) When a practitioner of Homoeopathy who has been engaged to attend on an obstetrics case is absent and another is sent for and delivery is accomplished, then the acting practitioner of Homoeopathy shall be entitled to his professional fees; provided he shall secure the patients consent to withdraw on the arrival of the practitioner of Homoeopathy already engaged.

25. When it becomes the duty of a practitioner of Homoeopathy occupying an official position to see and report upon an illness or injury, he or she shall communicate to the practitioner of Homoeopathy in attendance so as to give him an option of being present and the practitioner of Homoeopathy shall avoid remarks upon the diagnosis or the treatment that has been adopted.

CHAPTER V

Duties of practitioner of Homoeopathy in Consultation

26. Consultation shall be encouraged. - In cases of serious illness, especially in doubtful or difficult conditions, the practitioner of Homoeopathy shall encourage consultation of experts and he or she shall do so, in perplexing illness, in

therapeutic abortions, in the treatment of a woman who had procured criminal abortion, in suspected cases of poisoning, or when desired by the patient or his or her representative.

27. Patient referred to another medical practitioner of Homoeopathy. - When a patient is referred to another practitioner of Homoeopathy by the attending practitioner of Homoeopathy, a statement of the case shall be given to the later practitioner of Homoeopathy and the later practitioner of Homoeopathy shall communicate his opinion in writing, in a closed cover, directly to the attending practitioner of Homoeopathy.

28. Consultation by telemedicine. - The Consultation through telemedicine by the registered Practitioners of Homoeopathic shall be permissible in accordance with the Telemedicine Practice Guidelines issued from time to time by the Central or State Government and other Government authorities and may use its Ayushman Bharat Digital Mission enabled digital platforms or solutions or modules as maintained by the National Health Authority from time to time.

29. Conduct in consultation. - (1) In consultations, there shall be no place for insincerity, rivalry or envy among the and all due respect shall be shown to the practitioner of Homoeopathy in charge of case and no statement or remarks shall be made which shall impair the confidence reposed in him or her by the patient and for this purpose no discussion shall be carried out in the presence of the patient or his or her representatives.

(2) All statements of the case to the patient or his or her representatives, shall take place in the presence of all other practitioners consulting, except as otherwise agreed and the announcement of the opinion to the patient or his or her relatives and friends shall rest with the attending

(3) Difference of opinion shall not be divulged unnecessarily; provided when there is an irreconcilable difference of opinion, the circumstances shall be frankly and impartially explained to the patient or his friends and it shall be open to them to seek further advice if they so desire, in the interest of patient.

30. Consent to medical treatment: No consent of patient or relative or guardian is required for consultant or indoor patient department (IPD) treatment or for Diagnostic procedures and in case of emergency conditions, consent of patient or guardian shall be obtained and if a practitioner of Homoeopathy does not do so, he shall be liable to be punished in accordance with the provisions of the Act.

Provided that the treatments for dealing with emergency situations, where there is no time and patient's life is at stake, may be given without obtaining prior consent and the consent shall be deemed to be implied.

31. Treatment after consultation. - (1) The attending practitioner of Homoeopathy may decide subsequent variations in the treatment change may be required; provided that he will state the reasons of such variations in next consultations.

(2) The consultant shall have the same privilege, with its obligations, when sent for an emergency during the absence of the attending practitioner of Homoeopathy;

Provided that the attending practitioner of Homoeopathy may prescribe at any time to the patient, as and when the patient consult the practitioners of Homoeopathy.

32. Consultant not to take charge of the case. - When a practitioner of Homoeopathy has been called as a consultant in the rarest and most exceptional circumstances, he or she shall justify the consultation taking charge of the case and the consultant shall not do so merely on the solicitation of the patient or his or her friend.

CHAPTER VI

Duties of Practitioners of Homoeopathy to the Public

33. Practitioners as citizens. –A practitioners of Homoeopathy, possessing special training, shall advise concerning the health of the community wherein they dwell and they shall play their part in enforcing the laws of the community and in sustaining the institutions that advance the interest of humanity, cooperate with the authorities in the observance and enforcement of sanitary laws and regulations and shall observe the provisions of all laws relating to Drugs, Poisons and Pharmacy made for the protection and promotion of public health.

34. Public health. –(1)**A** practitioners of Homoeopathy, engaged in public health work, shall enlighten the public concerning quarantine regulations and measures for the prevention of epidemic and communicable disease and in all times he shall notify the constituted public health authorities of every case of communicable disease under his care, in accordance with the laws, rules and regulations of the health authorities and when an epidemic prevails, the practitioner of Homoeopathy shall continue his labour without regard to the risk of his own health.

35. Dispensing. - A practitioner of Homoeopathy has a right to prepare and dispense his own prescription which shall be done as per need and according to the principle of Homoeopathy at the most hygienic way.

CHAPTER VII

Misconduct

36. Professional or ethical Misconduct.- The following acts of commission or omission by a practitioner of Homoeopathy shall constitute professional misconduct and shall be liable for disciplinary action, if, he or she : -

(a) contravenes any of the provisions of these regulations;

(b) fails to display the registration number accorded to him or her by the Commission or State Medical Council for Homoeopathy, in his or her clinic;

(c) fails to maintain the records of prescription and certificates issued by him or her;

(d) commits the offence of adultery or misbehaves with a patient, or maintain improper association with a patient;

(e) convicted by a court of law for offences involving moral turpitude;

(f) signs or gives under his or her name and authority any certificate, report or document of kindred character which is untrue, misleading and improper;

(g) contravenes the provisions of law relating to the Drugs and Cosmetics Act, 1940(23 of 1940) and the rules made thereunder;

(h) sells a drug or poison prohibited by the Drugs and Cosmetics Act,1940(23 of 1940) and the rules made thereunder;

(i) performs or encourages un-qualified person to perform abortion or any major surgical operation;

(j) issues certificate of experience in Homoeopathy to unqualified or non-medical persons:

Provided that nothing contained in this clause shall prevent or restrict the proper training and instruction of legitimate employees of doctors, midwives, dispensers, attendants or skilled mechanical and technical assistants under the personal supervision of practitioner of Homoeopathy;

(k) affixes a signboard in the shop of a chemist or in a place where he or she does not reside or work;

(l) discloses the secrets or confidential information of a patient without his or her consent that have been learnt in the exercise of profession, except in a court of law under order of the presiding judge;

(m) contravenes the guidelines issued by the Commission or concerned State Medical Council for Homoeopathy:

Provided that nothing contained in this clause shall apply even if he or she conducts the Clinical drug trials or other research involving patients or volunteers as per the guidelines of the Central Government or State Government authorities;

(n) publishes photographs or case-reports of patient with identity in any medical or other journal without written consent of the patient, can publish only case reports without any disclosure of identity of patient.

(o) exhibits in public the scale of fees:

Provided that nothing contained in this clause shall apply even if he or she displays the same in the physician's consulting or waiting room;

(p) uses touts or agents for procuring patients;

(q) claims to be a specialist without possessing a special qualification listed by the Commission in the branch concerned;

(r) advertises or notifies the name of the institution or clinic in which no facility is offered or names of the diseases not treated;

(s) publishes the names or photographs of doctor running or attending the clinic or institution in the advertisement;

(t) refuses to treat the patients on the grounds of religion or caste;

(u) issues any certificate referred to in Appendix- II to these regulations, which is found false, untrue, misleading or improper, his or her name shall be removed from the Register of Homoeopathic Practitioners, both from State and National Register;

(v) Commits any other conduct which is found misconduct by the State Medical Council for Homoeopathy or by Board of Ethics and Regulation for Homoeopathy of National Commission for Homoeopathy;

(w) is convicted for offences arising from drunkenness or abuse of alcohol which is likely to be regarded as professional misconduct;

(x) treats the patients or perform other professional duties while being rendered unfit to perform such duties by the influence of alcohol or drugs;

(y) practices, any other system of medicine other than Homoeopathy:

Provided that nothing contained in this clause shall prevent or restrict to practice by medical practitioner of Homoeopathic under the National Health Programme and others programme run by Central or State Government after undergone any training or course recognized or prescribed by the competent authority.

Provided further that the instances of professional misconduct mentioned under this regulation shall not constitute a complete list for disciplinary action and the State Medical Councils for Homoeopathy are in no way precluded from considering and dealing with any other form of professional misconduct on the part of a registered practitioner of Homoeopathy.

37. Pharmacovigilance.-The practitioner of Homoeopathy shall report to appropriate authorities, for any adverse events attributed to any Homoeopathic Medicinal product, if observed by him while treating patient.

38. The practitioner of Homoeopathy shall follow the following guidelines on proper prescription and dispensing, namely:-

(a) shall be familiar with updated knowledge and guidelines on the use of Homoeopathic medicines;

(b) shall prescribe drugs only in the dose and for the duration as necessary for the clinical condition being treated;

(c) shall prescribe drugs after proper clinical assessment and diagnosis;

(d) shall maintain patients record as per Good Clinical Practice guidelines for Homoeopathic practitioners published by the Central Council for Research in Homoeopathy, under the Ministry of Ayush, Government of India.

39. The Manner taking disciplinary action and the procedure for receiving complaints –

(1) Where a practitioner of Homoeopathy commits any act of Professional or Ethical misconduct, the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall take action suo-moto or on receipt of the written complaint as per the form given at Appendix-IV with relevant supporting documents and identity proof within a period of six months from the date of filing compliant.

(2) After receiving of the complaint, the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall examine the matter and after making enquiry shall decide the matter within the period of three months from the date of filing such complaints.

Provided that before deciding the complaint the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall give an opportunity of being heard to the practitioner of Homoeopathy.

(3) If after enquiry, the State Medical Council or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy found the practitioner of Homoeopathy guilty for professional or Ethical misconduct, it shall take action against such practitioner of Homoeopathy in accordance with the provisions of the Act or the respective State Act, as the case may be.

Dr. PINAKIN N. TRIVEDI, President, Board of Ethics & Registration for Homoeopathy

[ADVT.-III/4/Exty./474/2022-23]

APPENDIX-I

[See regulation 3]

DECLARATION AND OATH

(1) I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.

(2) Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

(3) I will maintain the utmost respect for human life.

(4) I will not permit considerations of religion, nationality, race, political beliefs or social standing to intervene between my duty and my patient.

(5) I will practice my profession with conscience and dignity in accordance with the principles of Homoeopathy.

(6) The health of my patient shall be my first consideration.

(7) I will respect the secrets which are confided to me, during homoeopathic consultation.

(8) I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.

(9) I will maintain by all means in my power the honour and noble traditions of medical profession

(10) I will treat my colleagues with respect and dignity

(11) I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

(12) I shall abide by the Code of Ethics, Rules and Regulation for Homoeopathic practice as amended time to time.

Hahnemannian Oath

"On my honour, I swear that, I shall practice the teachings of Homoeopathy, perform my duty as expected from me, render justice to my patients and help the sick whosoever comes to me for treatment. May the teachings of Master Hahnemann inspire me and may I have the strength for fulfillment of my mission with the aim to cure the sick."

Signature_____

Name_____

Signature _____

Registrar, State Medical Council for Homoeopathy.

APPENDIX -II

[See regulation 36(u)]

List of Certificates to be issued by Homoeopathic Doctors for the purpose of Various Acts or Administrative Requirements.

1. Certificate of birth or death or disposal of the dead under various Central Acts or State Acts;
2. Certificate of lunacy and mental illness under the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).
3. Certificate under the Education Acts.
4. Certificate under the Public Health Acts and the orders made thereunder.
5. Certificate under the Acts and orders relating to the notification of infectious diseases.
6. Certificate under the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).
7. Certificate in connection with insurance benefits.
8. Certificate for procuring or issuing of passport or driving license.
9. Certificate of illness for seeking exemption from attending Court of Justice / Government offices or in private employment.
10. Certificate in connection with Pension matters.

APPENDIX-III (a)

(See regulation 7)

MEDICAL CERTIFICATE

I, Dr. ……...…… after careful personal examination of the case, hereby certify that Sh. /Smt. /Km. ……..……. whose signature is given below, is suffering from …….. and I consider that a period of ……. days with effect from ……..… is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

Signature of the Patient ……

Date:-

……..

Signature of Authorized Medical Attendant

With Regn. No. and stamp / seal

APPENDIX-III (b)

FITNESS CERTIFICATE

I, Dr. ……...…… after careful examination of the case, here by certify that Smt./Sri/Ms.……..……..on restoration of health is now fit to join duty.

Signature of the Patient ……

Date:-

……..

Signature of Authorized Medical Attendant

With Regn. No. and stamp / seal

APPENDIX-IV

Prescribed Form for Complaint

(See Regulation 39)

1. Detail of the Complainant:
   (a) Name :
   (b) Address:
   (c) Qualification:
   (d) Phone Number:
   (e) Email ID:
   (f) Identity card details :
2. Detail of the Medical Practitioner of Homoeopathy against which complaint is being lodging :
   (a) Name :
   (b) Address: (i) present :
   (ii) Permanent:
   (c) Qualification:
   (d) Phone Number, if any:
   (e) Email ID, if any:
   (f) details of the State Medical Council where aforesaid medical practitioner of Homoeopathy Registered:
   (g) State Registration Number _____
   (h) Enrollment No in National Register For Homoeopathy (NRH) or CRH …
3. Date and year of alleged misconduct:
4. Whether the Complainant has approached any other Forum or remedy Exercised?
5. Whether any court proceedings are adopted or pending connected with the alleged misconduct?
6. Documents if any relied upon by the Complainant (annex -copies):
7. Whether the applicant has any witness in support of his allegations? If so, give their names and address? :
8. Brief Facts with regard to alleged misconduct. :
9. Explanation for delay I filling Complainant, if any. :
10. Any other relevant information with regard to the alleged misconduct.

Place Name :

Signature:

Enclosure:

(a) .

(b) .

(c)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

F. No. 2-11/2021-BERH/NCH/11055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (zf), (zg), (zh), (zi) and (zj) of sub-section (2) of section 55read with sections 32, 33 and 34 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1983, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Manner of Preparation and Maintenance of National Register for Practitioner of Homoeopathy) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**(1) In these regulations, unless the context otherwise require,–

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);
(b) "additional qualification" includes a post graduate degree, post graduate diploma or doctoral degree as may be laid down by the Commission;
(c) "Ayushman Bharat Digital Mission" means a mission which seeks to create a national digital health ecosystem that supports universal health coverage in an efficient, accessible, inclusive, affordable, timely and safe manner, that provides a wide-range of data, information and infrastructure services, duly leveraging open, interoperable, standards based digital systems, and ensures the security, confidentiality and privacy of health-related personal information.
(d) "Form" means a form appended to these regulations;
(e) "Healthcare Professional Registry" under Ayushman Bharat Digital Mission means a comprehensive repository of all healthcare professionals involved in the delivery of healthcare services across both modern and traditional systems of medicine.
(f) "Practitioner of Homoeopathy' includes Medical Practitioner of Homoeopathy, registered practitioner of Homoeopathy, registered medical practitioner, practitioner, register homoeopathic practitioner, licensed practitioner, homoeopathy practitioner, who is for the time being registered in any State register or Central register or National register for Homoeopathy;
(g) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively, assigned to them in the Act.

3. **Maintenance of National Register**. – (1) The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall maintain the National Register for Homoeopathy in the Forms as specified in the National Commission for Homoeopathy (Submission of List of Homoeopathy Practitioners) Rules, 2021, both in electronic and physical formats.

(2) The National Register shall be prepared on the basis of list of registered medical practitioners as provided by the State Medical Councils for Homoeopathy and the data of direct registration made by the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

(3) Every State Medical Council for Homoeopathy shall also maintain and regularly update the State Register in the Form-1 and Form-2,both in the electronic and physical formats and also supply physically signed two copies of the same to the President of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy on quarterly basis as per the time schedule mentioned in the following table, namely:–

Serial Number	Details of Data	Time-Period
(1)	(2)	(3)
1.	Data of Registered Practitioner From 01st January to 31st March	upto the 15th April
2.	Data of Registered Practitioner From 01st April to 30th June	upto the 15th July
3.	Data of Registered Practitioner From 01st July to 30th September	upto the 15th October
4.	Data of Registered Practitioner From 01st October to 31st December	upto the 15th January

(4) Every State Medical Council for Homoeopathy in discharge of its functions under these regulations shall make suitable arrangements for the infrastructures relating to the Information Technology and human resources, so as to commensurate with number of practitioners registered in the State or Union territory, as the case may be, and the State Government or Union territory Administration concerned shall ensure that licenses or registrations granted prior to constitution of the Commission are updated in Form - 1 and Form– 2,in a time bound manner but within a maximum time- period of one year from the date of commencement of these regulations.

(5) In case of any contradiction between the Act and any regulations made thereunder and any State Act or regulations for the time being in force, the provisions of the Act and regulations made there under shall prevail and every State Medical Council for Homoeopathy shall comply the said provisions of the Act and regulations made there under so as to maintain uniformity.

(6) The Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall have continuous interactions with the State Medical Councils for Homoeopathy so as to effectively promote and regulate the conduct of medical practitioners of Homoeopathy.

(7) (i) All registered homoeopathic medical practitioners duly registered under their respective State Medical Councils for Homoeopathy, may enroll themselves in Healthcare Professional Registry under Ayushman Bharat Digital Mission as per the guidelines issued in this regard by the National Health Authority.
(ii) Not withstanding anything contained in clause (i), practitioners of Homoeopathy of government healthcare facility shall mandatorily register themselves in Healthcare Professional Registry under Ayushman Bharat Digital Mission.

4. **Eligibility for License to Practice**. -(1) Any person possessing medical qualification in Homoeopathy recognised by the Homoeopathy Education Board or recognised under the Second or Third schedule to the *erstwhile* Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) shall be eligible to obtain license to practice Homoeopathy from the concerned State Medical Council for Homoeopathy, where he resides:

Provided that the State Medical Councils for Homoeopathy shall ensure that the applicant who desires to obtain license is not already registered with any other State Medical Council for Homoeopathy:

Provided further that in case of delay of more than one year in obtaining initial registration by any qualified person, the concerned State Medical Council for Homoeopathy shall ensure that the applicant has not obtained registration from any other State Medical Council for Homoeopathy and compulsory undertaking to the effect that he does not have any license or registration from any other State or Union territory shall be obtained before granting the license.

5. **Additional qualification**. -(1) The State Medical Council for Homoeopathy shall enter the recognised additional qualification against the initial registration of the practitioner of Homoeopathy in the State Register, after verification and simultaneously updation of the electronic data in this regard.

(2)The State Medical Council for Homoeopathy shall enter all changes or modifications or corrections, in any details of the practitioner of Homeopathy in the State Register, updated the same through the electronic data synchronisation with the National Register, modify the same in Healthcare Professional Registry if applicable, and also inform to the National Commission for Homoeopathy in this regard.

6. **Registration with National Commission for Homoeopathy**. – Where the State Medical Council for Homoeopathy is not constituted the National Commission for Homoeopathy through the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall register a medical practitioner of Homoeopathy residing in a State or Union territory on application form made along with fee as specified these Regulation.

Provided that the direct registration under this regulation shall be made only till the time such State Medical Council for Homoeopathy is constituted:

Provided further that the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall, before entering the name of such practitioner in the register, verify his qualification from the awarding authority and also verify his address and other particulars from the concerned police authority.

7. **License to practice by citizen or for foreign qualification**.– (1) Any foreign citizen possessing the medical qualification in Homoeopathy of his country and is recognised as practitioner of homoeopathy in that country and recognised by the National Commission for Homoeopathy and desires license to practice Homoeopathy in India, shall be required to obtain diplomatic permission for stay in India and shall be eligible for obtaining temporary license for the period of falling within the such permitted stay but not exceeding six months at a time:

Provided that in case of a foreign citizen who desires to pursue any additional qualification in Homoeopathy recognised by the National Commission for Homoeopathy shall be eligible for obtaining the license for the period of his study.

(2) Any foreign citizen referred to in sub-regulations (1), shall apply in Form-7 to the State Medical Council for Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy, as the case may be, along with payment of the fee as specified in the Schedule for obtaining license in Form-8 and the 'A' part of register for them shall be maintained by the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, in Form-2.

(3) Any person who is citizen of India and holding foreign qualification recognised by the National Commission for Homoeopathy and desires for the License to practice Homoeopathy shall apply to the concerned State Medical Council for Homoeopathy:

Provided that the National Commission for Homoeopathy through the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall register such person residing in a State or Union territory, where the State Medical Council for Homoeopathy is not constituted vide the application in Form- 7 and certificate of registration in Form- 8:

Provided further that the State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy shall, before entering the name of such practitioner in their respective register, verify his qualification from the awarding authority and also verify his address and other particulars from the concerned police authority.

(4) Where a foreign Practitioner of Homoeopathy visits India for the purpose of healthcare service delivery, he may register themselves in the Healthcare Professional Registry under Ayushman Bharat Digital Mission, in order to maintain patient records and enhance the quality of care, in accordance with the policy, guidelines and notifications as maybe issued by the National Health Authority from time to time.

8. **Practice or Employment in other State**.–(1) A person holding license to practice Homoeopathy from any State Medical Council for Homoeopathy or direct registration with National Commission for Homoeopathy or direct registration with *erstwhile* Central Council for Homoeopathy or enrolled in National Register for Homoeopathy or enrolled in *erstwhile* Central Council for Homoeopathy shall be eligible to practice or work in any State or Union territory:

Provided that a licensed practitioner shall also enroll with the concerned respective State Medical Council for Homoeopathy.

(2) (i) A licensed practitioner of Homoeopathy, who wants to practice in any other State or Union territory, shall apply to the concerned State Medical Council for Homoeopathy, in Form–5 and on verification of particulars, the State Medical Council for Homoeopathy shall enroll them in Form–6.

(ii) Every State Medical Council for Homoeopathy shall maintain and regularly update the State Register separately in Form-6 and also send the particulars of practitioners enrolled with State Medical Councils for Homoeopathy to Board of Ethics and Registration for Homoeopathy.

(iii) A practitioner of Homoeopathy registered with any other State Medical Council for Homoeopathy and desires to practice in any such State or Union territory, where the State Medical Council for Homoeopathy is yet to be constituted, shall apply to the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, in Form-5 with fee as specified in Schedule and enroll such practitioners, in Form–6:

Provided that on verification of particulars, the State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, as the case may be, shall issue enrollment letter with a copy to the State Medical Council for Homoeopathy, where practitioner is actually registered:

Provided further that any such enrolment shall not be equated with provisional or temporary or permanent registration or direct registration and the concerned State Medical Council for Homoeopathy shall also update the new address in the record.

9. **Updating the details of License in State or National Register**. – (1) The license of a medical practitioner of Homoeopathy shall be updated after every five years in a uniform pattern by all the State Medical Councils for Homoeopathy and by National Commission for Homoeopathy for the direct registrations.

(2) Any practitioner who fails to get his license updated within six months from the due date, shall forfeit his right to practice in Homoeopathy and also forfeit the right to continue in employment based upon his license, unless updated with the payment of fees as may be laid down by State Medical Councils for Homoeopathy or with the payment of fees as specified in Schedule along with the application in Form-9 in case of direct registration by the National Commission for Homoeopathy, as the case may be:

Provided that no such updating shall be allowed, if delay is beyond two years and in such case, the license or registration shall be cancelled and fresh application for license shall be required to be obtained with applicable fee as specified in the Schedule or as laid down by the State Medical Council for Homoeopathy, as the case may be.

(3) All updating or removal made under this regulation shall be informed to the Board of Ethics and Registration through electronic and physical format by stating the reasons by State Medical Councils for Homoeopathy.

10. **Removal or Restoration of name in the State Register or National Register**. –
(1) Where the registration to any person has been granted on the basis of unrecognised qualifications, forged documents or through unfair means, his registration shall be removed by the respective State Medical Council for Homoeopathy or Board of Ethics and Registration, as the case may be, by recording the reasons thereof and after giving an opportunity of being heard in person and all such cancellations shall be intimated to the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy within fifteen days.
(2) Any registered practitioner of Homoeopathy whose name has been removed from a State Register of Homoeopathy, on any ground other than that he does not possess requisite medical qualifications, and failed to update his license in due time, and where any application of the said practitioner for restoration of his name to the State Register of Homoeopathy has been rejected by the State Medical Council for

Homoeopathy, may file an appeal to the President, Board of Ethics and Registration for Homoeopathy within thirty days of such rejection, with all details.

(3) In the case, where an appeal is allowed in favor of a licensed practitioner, whose name has been removed from the State or National Register, his name shall be restored accordingly, in the respective register and updated.

11. **Protection of earlier Registrations or Licenses**. – The license granted by any State Medical Councils for Homoeopathy or names entered in the Central Register of Homoeopathy in Part-I and Part-II by the *erstwhile* Central Council of Homoeopathy prior to constitution of the Commission unless cancelled by the State Councils for Homoeopathy, shall be valid for practice or employment.

12. The Commission shall power to relax any of the conditions specified in this regulation, for reasons to be recorded in writing, to avoid any hardship to the practitioners in extreme deserving cases.

Dr. PINAKIN N. TRIVEDI, President, Board of Ethics and Registration for Homoeopathy

[ADVT.-III/4/Exty./475/2022-23]

FORM-1

[See regulation 3]

(List of Homoeopathic Practitioners possessing recognised qualifications enrolled in state register, to be supplied to the President of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy by every State Medical Council for Homoeopathy on quarterly basis)

Serial Number	Name of professional (IN BLOCK LETTERS) with recent photograph	Father's name (IN BLOCK LETTERS).	Present correspondence address.	Permanent address.	Aadhaar number.	Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date of Birth and Nationality	Name of medical degree or diploma obtained and University with the month and year of passing qualification.	Registration particulars: (i) Registration number: (ii) Date of registration: (iii) Name(s) of the register (National/State): (iv) Whether the registration is renewable or permanent:	Name of hospital or institute with complete address for purposes of teaching or research or practice, of medicine.	Name of person in institution or hospital who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM-2

[See regulation 3]

(List of Homoeopathic Practitioners possessing recognised qualifications from outside India, permitted to practice in India and enrolled in state register, to be supplied to The President of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy by every State Medical Council for Homoeopathy on quarterly basis)

Serial Number	Name of professional (IN BLOCK LETTERS) with recent photograph.	Father's name (IN BLOCK LETTERS)	Present correspondence address	Permanent address	Passport number.	Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address.	Visa details.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Date of Birth and Nationality	Name of medical degree or diploma obtained and University with the month and year of passing qualification	Whether previously visited India for medical practice. If so, date, period and place of previous visits.	Are you registered in any other foreign country? If so, give name of body or organisation or institute with which registered and number and date of registration.	Are you registered as a medical practitioner in your own country? If so, provide name of body or organisation or institute with which registered with registration or license number and date.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Whether registration or license is renewable or permanent.	Name of hospital or institute with complete address for the purposes of teaching or research or practice of medicine.	Period of training or research or practice of medicine.	Name of person in institution or hospital in India, who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned.	Whether employment in India was temporary or permanent to be specified.
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

FORM-3
(See regulation 6)

National Commission for Homoeopathy
JawaharLal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, JanakPuri, New Delhi-58

Please staple one unattested photo here	**Application Form for Registration (to be used only by the Practitioners of such States /Union territories where no State Medical Council for Homoeopathy exists)**.	Self-Attested Photo to be pasted here

To,

President (BERH),
National Commission for Homoeopathy,
Janakpuri, New Delhi -110058.

Dear Sir,

I hereby request that my name and other particulars as mentioned below may be entered in the National Register of Homoeopathy.

1. Full Name
(IN BLOCK LETTERS) :

2. Father's name (IN BLOCK LETTERS) :
3. Present correspondence address :
4. Permanent address:
5. Aadhaar number:
6. Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address:
7. Date of birth and Nationality:
8. Name of medical degree obtained and University with the month and year of passing qualification:

_____

9. Name of the institution and address where the applicant received internship training for such qualification and the period of such internship training:

_____

10. Name of hospital or institute with complete address for purposes of teaching or research or practice of medicine:

_____

11. Name and designation of person in institution or hospital who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned:

_____

12. I forward herewith self-attested copy each of :-
    (i) Matriculation Certificate or Secondary School Certificate or passport or birth certificate or any other document regarding proof of date of birth.
    (ii) Internship completion certificate.
    (iii) An attested copy of the degree certificate in respect of the medical qualification possessed by me.
    (iv) Self-attested copy of any document confirming the applicants residential address which may be Indian Election Commissions Identity Card or the Passport or the Driving License.
    (v) Self-attested copy of Aadhaar Card.

13. Registration fee of Rs. _____ (in words_____) remitted by online or Bank Draft No……in favour of 'National Commission for Homoeopathy' payable at New Delhi.

Note:- In case of rejection of application the service charges_____ shall not be refunded to the applicant.

CERTIFICATE

I certify that particulars furnished above are true to the best of my knowledge and belief. I reside in the State/Union territory of _____ where no Homoeopathic Board/Council exists and I did not obtained any Registration from any other State Board/Council in the past.

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Date :

Place :

DECLARATION AND OATH

1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.
2. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to laws of humanity.
3. I will maintain the utmost respect of human life.
4. I will not permit considerations of religion, nationality, race, political beliefs or socrar standing to intervene between my duty and my patient.
5. I will practice my profession with conscience and dignity in accordance with principles of Homeopathy and or in accordance with the principles of biochemic system of medicine (tissue remedies).
6. The health of my patient shall be my first consideration.
7. I will respect the secrets which are confined to me.
8. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.
9. I will maintain by all means in my power the honour and noble traditions of medical profession.
10. My colleagues will be my brothers and sisters.
11. I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Hahnemannian Oath

"On my honor I swear that I shall practice the teachings of homeopathy, perform my duty, render justice to my patients and help the sick whosoever comes to me for treatment.

May the teachings of Master Hahnemann inspire me and may I have the strength for fulfillment of my mission".

(Signature of the candidate)

Name:……
Date:……..

Signature of Homoeopathic Doctor Attesting the Oath_____

Name of Attesting Homoeopathic Doctor _____

Registration Number(With name of State Board) and Qualification of Attesting Doctor _____

***Note:-** The Declaration and Oath should be signed by the applicant and duly attested by a Registered Medical Practitioner of Homoeopathy.

FORM-4
(see regulation 6)

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY
JawaharLal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, JanakPuri, New Delhi-58

Registration Certificate

Space for Photograph of Candidate

Certificate No. NCH_____

Candidate's Name	Father's Name	Address	Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)

New Delhi
Date:-

President
(BERH)

(valid upto five years from the date of issuance)

FORM-5

{see sub-regulation (i)(2) of regulation 8}

National Commission for Homoeopathy
JawaharLal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, JanakPuri, New Delhi-58

Application for seeking permission to practice in other State

To,
The (Name of the registering authority)

Sub:- For enrollment to practice in _____State-reg.

Madam / sir,
I am in possession of _____qualification and having valid Regn. No_____issued by _____State Medical Council for Homoeopathy / Registering Authority on_____.

I desire to practice at _____ (address) for a period of_____w.e.f._____. Kindly add my name in your Adjunct Register and issue me enrollment letter. My Registration is updated till date. I am ready to pay required fee. Self-attested copies of following documents are enclosed namely:-

(i) Degree / Diploma;
(ii) Internship certificate;
(iii) Registration Certificate with proof of update, if required;
(iv) New address proof;
(v) Any other document.

It is certified that no ethical proceedings of any type are pending against me with any authority / State.

Thanking you.

Yours sincerely,

Dated:_____

( )

Add:_____
Email:_____
Mob:_____

FORM-6

[See regulation 8(2) (i)]

Serial Number	State Enrollment number	Name of professional (IN BLOCK LETTERS) with recent photograph	Father's name (IN BLOCK LETTERS).	New address of practice or work.	Permanent address.	Aadhaar number.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address.	Date of Birth and Nationality	Name of medical degree or diploma obtained and University with the month and year of passing qualification.	Registration particulars: (i) Registration number: (ii) Date of registration: (iii) Name(s) of the register (National/State): (iv) Whether the registration is renewable or permanent:	Name of hospital or institute with complete address for purposes of teaching or research or practice, of medicine.	Name of person in institution or hospital who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

FORM-7

[See regulation 7(4)]

National Commission for Homoeopathy
JawaharLal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, JanakPuri, New Delhi-58

Application Form for Registration (for foreign citizens)

Please staple one unattested photo here	Self-Attested Photo to be pasted pasted here

To,

President Board of Ethics and Registration for Homoeopathy,
National Commission for Homoeopathy,
Janakpuri, New Delhi -110058.

Dear Sir,

I hereby request that my name and other particulars as mentioned below may be entered in the National Register of Homoeopathy.

1. Full Name
(IN BLOCK LETTERS) :

2. Father's name (IN BLOCK LETTERS) :

3. Present correspondence address :

4. Permanent address :

5. Passport number:

6. Visa details:

7. Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address :

8. Date of birth and Nationality :

9. Name of medical degree obtained and University with the month and year of passing qualification:

10. Name of the institution and address where the applicant received internship training for such qualification and the period of such internship training.

_____

11. Whether previously visited India for medical practice. If so, date, period and place of previous visits. Enclose the Self-attested copy.

_____

12. Are you registered in any other foreign country? If so, give name of body or organisation or institute with which registered and number and date of registration. Enclose the Self-attested copy:

_____

13. Are you registered as a medical practitioner in your own country? If so, provide name of body or organisation or institute with which registered with registration or license number and date. Enclose Self-attested copy.

_____

14. Name of hospital or institute with complete address for purposes of teaching or research or practice of medicine:

_____

15. Name Period of training or research or practice of medicine.

16. Name and designation of person in institution or hospital who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned:

17. Whether employment in India was temporary or permanent to be specified

18. I forward herewith self attested copy each of :-
    (i) Passport or birth certificate or any other document regarding proof of date of birth.
    (ii) Internship completion certificate.
    (iii) An attested copy of the degree certificate in respect of the medical qualification possessed by me.
    (iv) Self-attested copy of any document confirming the applicants residential address which may be the Passport.
    (v) Self-attested copy of Visa.
    (vi) Self-attested copy of Diplomatic permission letter.

19. Registration fee of Rs. _____ (in words_____) remitted by online or Bank Draft No…….in favour of 'National Commission for Homoeopathy' payable at Delhi at New Delhi.

Note:- In case of rejection of application the service charges _____shall not be refunded to the applicant.

CERTIFICATE

I certify that particulars furnished above are true to the best of my knowledge and belief. I reside in the_____State/Union territory of _____. I did not obtained any Registration from any other State Board/State Medical Council for Homoeopathy in the past.

Date :

Yours faithfully,

Place :

(Signature of the applicant)

DECLARATION AND OATH

1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.
2. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to laws of humanity.
3. I will maintain the utmost respect of human life.
4. I will not permit considerations of religion, nationality, race, political beliefs or socrar standing to intervene between my duty and my patient.
5. I will practice my profession with conscience and dignity in accordance with principles of Homeopathy and or in accordance with the principles of biochemic system of medicine (tissue remedies).
6. The health of my patient shall be my first consideration.
7. I will respect the secrets which are confined to me.
8. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.
9. I will maintain by all means in my power the honour and noble traditions of medical profession.
10. My colleagues will be my brothers and sisters.
11. I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Hahnemannian Oath

"On my honor I swear that I shall practice the teachings of homeopathy, perform my duty, render justice to my patients and help the sick whosoever comes to me for treatment.

May the teachings of Master Hahnemann inspire me and may I have the strength for fulfillment of my mission".

(Signature of the candidate)

Name:……
Date:……..

Signature of Homoeopathic Doctor Attesting the Oath_____
Name of Attesting Homoeopathic Doctor _____
Registration Number (with name of State Board) and Qualification of Attesting Doctor _____

_____

*Note:-The Declaration and Oath should be signed by the applicant and duly attested by a Registered Medical Practitioner of Homoeopathy.

FORM-8

[See regulation 7(4)]

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY
JawaharLal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, JanakPuri, New Delhi-58

Registration Certificate

Space for Photograph of Candidate

Certificate No. NCH_____

Candidate's Name	Father's Name	Address	Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)

New Delhi President

Date:- (BERH)

(valid upto_____ from the date of issuance)

FORM-9
(See regulation 9 (2))

National Commission for Homoeopathy
JawaharLal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan,
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, JanakPuri, New Delhi-58

Application Form for Restoration of name (to be used only by the Practitioners of such States /Union territories where no State Medical Council for Homoeopathy.

Please staple one unattested photo here

Self-Attested Photo to be pasted here

To,
The (Name of the registering authority).

Dear Sir,

I hereby request that my name and other particulars as mentioned below may be entered in the National Register of Homoeopathy.

1. Full Name
(IN BLOCK LETTERS) :

2. Father's name (IN BLOCK LETTERS) :

3. Present correspondence address :

4. Permanent address:

5. Aadhaar number:

6. Phone, Fax and mobile numbers with e-mail address:

7. Date of birth and Nationality:

8. Original Registration number:

9. Reason for removal of name from the register:
_____

10. Name of medical degree obtained and University with the month and year of passing qualification:
_____

11. Name of the institution and address where the applicant received internship training for such qualification and the period of such internship training:
_____

12. Name of hospital or institute with complete address for purposes of teaching or research or practice of medicine:
_____

13. Name and designation of person in institution or hospital who will be responsible for legal issues regarding patient care provided by doctor concerned:

_____

14. I forward herewith self-attested copy each of :
    (i) Matriculation Certificate or Secondary School Certificate or passport or birth certificate or any other document regarding proof of date of birth.
    (ii) Internship completion certificate.
    (iii) Self-attested copy of any document confirming the applicants residential address which may be Indian Election Commissions Identity Card or the Passport or the Driving License.
    (iv) Self-attested copy of Aadhaar Card.
    (v) An attested copy of the degree certificate in respect of the medical qualification possessed by me.

15. Restoration fee of Rs. _____ (in words_____) remitted by online or Bank Draft No…….in favour of 'State Medical Council for Homoeopathy / National Commission for Homoeopathy' payable at Delhi at New Delhi.

Note:- In case of rejection of application the service charges_____ shall not be refunded to the applicant.

I certify that particulars furnished above are true to the best of my knowledge and belief. I reside in the State/UT of _____ where no Homoeopathic Board/Council exists and I did not obtained any Registration from any other State Board/Council in the past.

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Date :

Place :

DECLARATION AND OATH

(1) I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.
(2) Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to laws of humanity.
(3) I will maintain the utmost respect of human life.
(4) I will not permit considerations of religion, nationality, race, political beliefs or socrar standing to intervene between my duty and my patient.
(5) I will practice my profession with conscience and dignity in accordance with principles of Homeopathy and or in accordance with the principles of biochemic system of medicine (tissue remedies).
(6) The health of my patient shall be my first consideration.
(7) I will respect the secrets which are confined to me.
(8) I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.
(9) I will maintain by all means in my power the honour and noble traditions of medical profession.
(10) My colleagues will be my brothers and sisters.
(11) I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Hahnemannian Oath

"On my honor I swear that I shall practice the teachings of homeopathy, perform my duty, render justice to my patients and help the sick whosoever comes to me for treatment.

May the teachings of Master Hahnemann inspire me and may I have the strength for fulfillment of my mission".

(Signature of the candidate)

Name:……
Date:……..

Signature of Homoeopathic Doctor Attesting the Oath_____

Name of Attesting Homoeopathic Doctor _____

Registration Number (with name of State Board) and Qualification of Attesting Doctor _____

*Note: - The Declaration and Oath should be signed by the applicant and duly attested by a Registered Medical Practitioner of Homoeopathy.

SCHEDULE

[See regulation 6, 7(2), 7(2) (iii), 9(2)]

Fees levied for registration at Board of Ethics and Registration for Homoeopathy

Sl.No.	Process under National Commission for Homoeopathy (NCH)	Regulation No.	Name of Authority	Amount (INR/ $)
1	Direct registration at NCH as per regulation	Regulation no. 6	National Commission for Homoeopathy	Rs. 3000/-
2	License for foreign citizen at NCH	Regulation no. 7(2)	National Commission for Homoeopathy	US $ 200
3	Enrollment in other State where no State Council is present	Regulation no. 8 (2) (iii)	National Commission for Homoeopathy	Rs. 2000/-
4	Updating of license beyond six months of due date and upto 2 years at NCH	Regulation no. 9 (2)	National Commission for Homoeopathy	Rs. 1500/- In addition to regular Registration Fees
5	Restoration of name at NCH as per regulation	Regulation no. 9 (2)	National Commission for Homoeopathy	Rs. 2000/- In addition to regular Registration Fees

F.No._____

Secretary, NCH

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.